वार्षिक रिपोर्ट

2010-11

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
उच्चतर शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2010-11

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
उच्चतर शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार

विषय-सूची

1. सिंहावलोकन
पेज - 1

2. प्रमुख पहलें
पेज - 5

3. प्रशासन
पेज - 13

4. प्रारंभिक शिक्षा
पेज - 19

5. माध्यमिक शिक्षा
पेज - 55

6. उच्चतर शिक्षा
पेज - 87

7. तकनीकी शिक्षा
पेज - 125

8. प्रौढ़ शिक्षा
पेज - 175

9. प्रौद्योगिक समर्थित अधिगम तथा दूरस्थ शिक्षा
पेज - 187

10. छात्रवृत्तियां
पेज - 195

11. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों की शिक्षा
पेज - 199

12. पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर का विकास
पेज - 213

13. भाषा एवं संबद्ध क्षेत्र
पेज - 235

14. पुस्तक संवर्धन एवं कापीराइट
पेज - 253

15. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं यूनेस्को
पेज - 267

16. महिला अधिकारिता
पेज - 281

17. विकलांग व्यक्ति
पेज - 295

अनुबंध

अनुबंध – 1
संस्वीकृत एवं क्रियाशील डीआईईटी, सीटीई एवं आईएएसई की राज्यवार संख्या 306

अनुबंध – 2
2010–11 में आरएमएसए के अंतर्गत नए स्कूलों तथा सुदृढ़ीकृत/परिवर्धित विद्यमान स्कूलों की राज्यवार सूची (30.11.2010 की स्थिति के अनुसार) 307

अनुबंध – 3
2010–11 के दौरान स्कूलों में आईसीटी योजना के अंतर्गत अनुमोदित स्कूलों का ब्यौरा तथा जारी की गई निधियों का ब्यौरा 308

अनुबंध – 4
उच्च शिक्षा विभाग – वर्ष 2010–11 के दौरान (31.12.2010 तक) एनजीओ को 1.00 लाख रू. से अधिक जारी की गई निधियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण 309

अनुबंध – 5
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग – वर्ष 2010–11 के दौरान (31.12.2010 तक) एनजीओ को 1.00 लाख रू. से अधिक जारी की गई निधियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण 310

अनुबंध – 6
मानव मूल्यों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता की योजना के अंतर्गत एनजीओ को 5.00 लाख रू. से अधिक जारी किए गए अनुदान की सूची (राज्यवार) 2009–10 317

अनुबंध – 7
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सारांश 318

अनुबंध – 8
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं की सूची 319

अनुबंध – 9
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वायत्त संगठनों की सूची 324

अनुबंध – 10
सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण (1.1.2011 की स्थिति के अनुसार) 339

अनुबंध – 11
1.1.2011 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा 2010 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण 340

अनुबंध – 12

1.1.2011 की स्थिति के अनुसार विभिन्न समूह 'क' सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा 2010 के दौरान विभिन्न ग्रेडों में सेवाओं में की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण 341

स्कूल शिक्षा तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के संबंध में सांख्यिकी

स्कूल शिक्षा तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के संबंध में सांख्यिकीय सूचना निम्नलिखित प्रकाशनों में दी गई है:

1. स्कूल शिक्षा सांख्यिकी 2007–08

2. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सांख्यिकी 2007–08

संक्षेपाक्षर

एएएसएसआरःईसीएस	एसोसिएशन ऑफ एशियन सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल्स
एबीएल	गतिविधि आधारित अध्ययन
एबीवी–आईआईआईटीएमजी	अटल बिहारी वाजपेयी सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान
एसीसीसी	एसोसिएशन ऑफ कैनेडियन क्म्यूनिटी कॉलेज
एसीसीयू	एशिया–पैसेफिक कल्चरल सेन्टर फॉर यूनेस्को
एसीयू	राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ
एडीईपीटीएस	शिक्षण सहायता के माध्यम से शैक्षिक निष्पादन में उन्नति
एई	प्रौढ़ शिक्षा
एईसी	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
एईपी	किशोर शिक्षा परियोजना
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एआईई	वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा
एआईईईई	अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा
एआईईएलटीए	अखिल भारतीय अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्राधिकरण
एआईआईएस	अमेरीकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज
एआईएमएमपी	क्षेत्र गहन तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम
एआईएसईएस	अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण
एआईयू	भारतीय विश्व विद्यालय संघ
एएलएम	सक्रिय अध्ययन प्रविधि
एएलडब्ल्यू	प्रौढ़ साक्षरता सप्ताह
एओसी	सहयोग करार
एपीईआईडी	विकास हेतु शैक्षिक विकास के लिए एशिया–प्रशांत कार्यक्रम
एएससी	शैक्षणिक स्टाफ कॉलेज
एएससीआई	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज
एएसआईएसटी	विज्ञान एवं प्रैद्योगिकी हेतु आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता
एवीआई	प्रत्यायित व्यावसयिक संस्थाएं
एवीआरसी	दृश्य–श्रव्य अनुसंधान केन्द्र
बीएएसई	बंगलौर एसोसिएशन फॉर साइंस एजुकेशन
बीई	बजट व्यय
बीईपीसी	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
बीईपी	बिहार शिक्षा परियोजना
बीजीवीएस	भारत ज्ञान विज्ञान समिति
बीआईटीई	ब्लॉक शिक्षक शिक्षा संस्थान
बीआईटीएस	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस
बीजेवीजे	भारत जन विज्ञान जत्था
बीएलआरसी	ब्लाक स्तरीय संसाधन केन्द्र
बीएमएस	आधारभूत न्यूनतम सेवाएं
बीओएटी	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीआरएओयू	बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
सीएबीई	केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड
सीएसी	केन्द्रीय प्रशिक्षु परिषद
सीएवाईटी	युवा शिक्षकों के लिए करयिर अवार्ड
सीबीआर	समुदाय आधारित पुनर्वास

सीबीएसई	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीसीए	कम्पयूटर ऐपलीकेशन्स में प्रमाणपत्र पाठयक्रम
सीसीई	सतत शिक्षा केन्द्र / सतत और व्यापक मूल्यांकन
सीसीआई	पत्राचार पाठयक्रम संस्थान
सीसीईए	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति
सीडीसी	पाठयक्रम विकास केन्द्र
सी सीआरटी	सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र
सीडीपीओ	समुदाय विकास परियोजना अधिकारी
सीई	सतत शिक्षा
सीईएसी	प्रतिलिप्याधिकार प्रवर्तन परामर्श परिषद
सीईसी	सतत शिक्षा केन्द्र
सीईईपी	सांस्कृतिक शैक्षणिक आदान–प्रदान कार्यक्रम
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीईपी	सतत शिक्षा कार्यक्रम / कंप्यूटर शिक्षा योजना / सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम
सीईएस	शिक्षा सचिवों की समिति
सीजीआई	कांसुलेट–जनरल ऑफ इंडिया
सीईआरपीए	अनुसंधान, आयोजना एवं कार्रवाई केन्द्र
सीएचडी	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय
सीआईसीटी	सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ क्लैकसिकल तमिल
सीआईडीए	कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी
सीआईएफएल	केंद्रीय अंग्रेजी एवं भारतीय भाषा संस्थान
सीआईईटी	केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्यिगिकी संस्थान

सीआईआईएल	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान
सीआईआईएलपी	कनाडा–इंडिया इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री लिंकेज
सीआईआरई	बीमा अनुसंधान एवं शिक्षा केन्द्र
सीआईएससीई	काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एजुकेशन
सीआईटी	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
सीआईवीई	केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान
सीएलएपीएस	संपोषणीयता के लिए बाल अध्ययन संवर्धन कार्यक्रम
सीएलएएसएस	स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन
सीएलआईपी	बाल भाषा सुधार कार्यक्रम
सीएलपी	बाल श्रम परियोजना / कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम
सीएमसीएचसी	मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल प्रमाणपत्र
सीएनआईसी	नवजात तथा शिशु देखभाल प्रमाणपत्र
सीओए	वास्तुशिल्प परिषद
सीओबीएसई	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद
सीओएल	कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग
सीपीसीसी	आयोग आयोजना एवं लागत समिति
सीपीई	उत्कृष्टता की क्षमता वाले कॉलेज
सीपीजीआरएएमएस	केंद्रीकृत लोक शिकायत वाचक एवं निगरानी प्रणाली
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीपीपी	सार्वजनिक नीति केन्द्र
सीपीएससी	शिक्षा हेतु कोलंबो प्लान स्टाफ कॉलेज
सीपीडब्ल्यूडी	
सीआरसी	कंप्यूटर रेडी कॉपी / क्लस्टर संसाधन केंद्र

सीआरपीए	अनुसंधान, आयोजना एवं कार्रवाई केन्द्र
सीएस	मंत्रिमंडल सचिवालय / कंपनी सचिव
सीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र
सीएसएम	साफ्टवेयर प्रबंधन केंद्र
सीएसएस	केंद्रीय सचिवालय सेवा
सीएसटीटी	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग
सीटी एन्ड ई	परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र
सीटीई	शिक्षक शिक्षा कॉलेज
सीटीपी	कम्पयूटर तकनीशियन कार्यक्रम
सीटीएसए	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन
सीवीसी	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
डीए	महंगाई भत्ता
डीएई	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय
डीएआरएण्डपीजी	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग
डीबीटी	जैव–प्रौद्योगिकी विभाग
डीईसी	दूरस्थ शिक्षा परिषद
डीईईपी	जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना
डीएफआईडी	अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग
डीआईईटी	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
डीआईएसई	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली
डीआईयू	जिला क्रियान्वयन यूनिट
डीओएनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास
डीओपीटी	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
डीओएस	अंतरिक्ष विभाग
डीपीसी	जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता
डीपीई	प्राथमिक शिक्षा डिप्लोमा
डीपीईपी	जिला प्राथमिक शिक्षा कायक्रम
डीपीजी	लोक शिकायत निदेशालय
डीपीएनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विकास परियोजनाएं
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट / जिला पुनर्वास केन्द्र
डीआरडीए	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी
डीआरडीओ	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
डीआरयू	जिला संसाधन यूनिट
डीएस	डे स्कूल
डीएसईएल	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
डीटीपी	डेस्क टॉप पब्लिशिंग
डीडब्ल्यूसीआरए	ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास
ईएपी	विदेशी सहायताप्राप्त परियोजना
ईएआर	बाहरी शैक्षणिक संबंध
ईबी	शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ
इबीबी	शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए ब्लाक
ईसी	कार्यकारी समिति/यूरोपियन कमीशन
ईसीसीई	प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल तथा शिक्षा
ईसीओडब्ल्यूएएस	पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक संगठन
एड.सिल	एजुकेशनल कन्सलटेंट्स इंडिया लि.
ईडीआई	शैक्षिक विकास सूचकांक
एजुसैट	शिक्षा उपग्रह
ईई	प्रारंभिक शिक्षा
ईईओ	शिक्षा विस्तार अधिकारी
ईईपी	शिक्षा आदान–प्रदान कार्यक्रम

ईएफए	सभी के लिए शिक्षा
ईएफडीपी	शीघ्र संकाय विकास कार्यक्रम
ईजीएस	शिक्षा गारंटी योजना
ईएचपी	मानव मूल्यों में शिक्षा
ईएलटीआई	अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान
ईएमडीपी	उद्यमशीलता एवं प्रबंधन विकास कार्यक्रम
ईएमआईएस	शैक्षणिक प्रबंधन सूचना प्रणाली
ईएमपीसी	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण केंद्र
ईएमआरसी	शैक्षणिक मीडिया अनुसंधान केन्द्र
ईओसी	समान अवसर प्रकोष्ठ
ईपी	समतुल्यता कार्यक्रम
ईक्यूआईपी	शैक्षिक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम
ईआरसी	व्यय सुधार आयोग
ईआरआईसी	शैक्षणिक अनुसंधान एवं नवाचार केन्द्र
ईएसपीएस	विदेश छात्रवृत्ति प्रसंस्करण प्रणाली
ईएसआरसी	आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान परिषद
एफएक्यू	उचित औसत गुणवत्ता
एफजी	अंतिम अनुदान
एफआईसीसीआई	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री
एफआईपी	भारतीय प्रकाशक संघ/संकाय सुधार कार्यक्रम
एफपीएम	प्रबंधन में अध्येतावृत्ति कार्यक्रम
जीएपी	गुजरात उपलब्धि प्रोफाइल
जीएटीएस	सामान्य सेवा व्यापार समझौता
जीएटीटी	सामान्य व्यापार एवं टैरिफ समझौता
जीबीएस	सकल बजटीय सहायता
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
जीपीएटी	स्नातक फार्मेसी अभिवृत्ति परीक्षा
जीपीएफ	सामान्य भविष्य निधि
जीवीसी	जेनरिक व्यावसायिक पाठयक्रम
एचबीसीएसई	होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र
एचईएफएस	मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान
एचईपीएसएन	विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों हेतु उच्च शिक्षा
एचएमसीटी	होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी
एचआरएम	मानव संसाधन विकास मंत्री
एचआरए	मकान किराया भत्ता
एचटीटीसी	हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र
एचटीटीआई	हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
आईएएमआर	अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान
आईएआरसीएस	भारतीय कम्प्यूटिंग विज्ञान अनुसंधान संघ
आईएएसई	उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान
आईबीई	अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो
आईबीओ	अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलम्पियाड
आईसीडीएस	समेकित बाल विकास सेवाएं
आईसीएचओ	अंतर्राष्ट्रीय कैमेस्ट्री ओलम्पियाड
आईसीएचआर	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद
आईसीएमआर	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
आईसीपीडी	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन
आईसीपीआर	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

आईडीएमआई	अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास
आईडीएस	विकास अध्ययन संस्थान
आईईए	भारतीय शैक्षणिक सार
आईईडीसी	निशक्त बच्चों हेतु समेकित विकास
आईईडीएसएस	माध्यमिक स्तर पर विकालांगों के लिए समावेशी शिक्षा
आईईटीई	इलेक्ट्रोनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियर संस्थान
आईएफसी	सूचना एवं सुविधा केंद्र
इग्नू	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
आई जी एन टी यू	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्व विद्यालय
आईजीपी	आय सृजन कार्यक्रम
आईआईएएस	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान
आईआईईपी	अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना संस्थान
आईआईआईटी	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईआईटीएम	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान
आईआईएलएस	अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान
आईआईएम	भारतीय प्रबंध संस्थान
आईआईपी	उद्योग भागीदारी संस्थान
आईआईपी	उद्योग संस्थान भागीदारी
आईआईपीए	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
आईआईएससी	भारतीय विज्ञान संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईटीडी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
आईआईटीजी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
आईआईटीके	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
आईआईटी–केजीपी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
आईआईटीएम	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
आईआईटीआर	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की
आईआईवीईटी	भारतीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
आईएलआईपी	एकीकृत अधिगम सुधार कार्यक्रम
आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
आईएमओ	इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलम्पियाड
आईएनएई	भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी
आईएनसीसीयू	यूनेस्को के साथ सहयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय आयोग
आईएनडीएलएसटी	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिजीटल लाइब्रेरी
आईएनएसए	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
आईपीएआई	भारतीय लोक लेखापरीक्षक संस्थान
आईपीएचओ	इंटरनेशनल फिजिक्स ओलम्पियाड
आईपीआर	बौद्धिक संपत्ति अधिकार
आईपीआरएस	इंडियन परफार्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड
आईआरआरओ	इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट्स आर्गनाइजेशन
आईएसबीएन	इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड बुक नम्बरिंग
आईएसएम	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स
आईएसआरओ	भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान परिषद

आईएसएससी	अंतर्राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद
आईएसटीएम	सचिवालय प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीसीओएस	अंतराष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र
आईटीडीओएस	अंतराष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रशिक्षण प्रभाग
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जेसीवीई	संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद
जेईई	संयुक्त प्रवेश परीक्षा
जेएमआई	जामिया मिलिया इस्लामिया
जेएमआर	संयुक्त समीक्षा मिशन
जेएनयू	जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय
जेएनवी	जवाहर नवोदय विद्यालय
जेआरएफ	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
जेआरवाई	जवाहर रोजगार योजना
जेएसएन	जन शिक्षा निलायम
जेएसएस	जन शिक्षण संस्थान
केजीबीवी	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
केएचएस	केन्द्रीय हिन्दी संस्थान
केएचएसएम	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल
केआरएस	प्रमुख संसाधन व्यक्ति
केएसक्यूएओ	कर्नाटक राज्य गुणवत्ता आकलन संगठन
केवीएस	केन्द्रीय विद्यालय संगठन
एलएएन	लोकल एरिया नेटवर्क
एलईपी	जीवन समृद्धि कार्यक्रम
एलएपी	अध्ययन आश्वासन कार्यक्रम
एलएटीएस	शिक्षु उपलब्धि ट्रकिंग प्रणाली
एलडीसी–आईएल	भारतीय भाषाओं के लिए भाषाई डेटा परिसंघ
एलईपी	जीवन संवर्धन कार्यक्रम
एलजीपी	अध्ययन गारंटी कार्यक्रम
एलपी	साक्षरता कार्यक्रम
एलएससी	शिक्षु सहायता केन्द्र
एमएएनयूयू	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय
एमसीबी	मुस्लिम बहुल ब्लॉक
एमसीडी	अल्पसंख्यक बहुल जिला
एमडीएम	मध्याह्न भोजन
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमजीआईईपी	महात्मा गांधी शांति शिक्षा संस्थान
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमएचटीटीआई	मिजोरम हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
एमआईएल	आधुनिक भारतीय भाषाएं
एमआईएलईएस	बहु–उद्देश्यी भारतीय भाषा मूल्यांकन प्रणाली
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएलई	बहु भाषी शिक्षा
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएस	महिला समाख्या
एमएसके	महिला शिक्षण केन्द्र
एनएबी	राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड
एनएसीओ	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
एनएएनसीई	राष्ट्रीय सतत शिक्षा अकादमिक नेटवर्क
एनबीबी	राष्ट्रीय बाल भवन
एनबीएचएम	राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड
एनबीटी	नेशनल बुक ट्रस्ट
एनसीएईआर	राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद

एनसीसी	नेशनल कैडेट कार्पस
एनसीसीएल	राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र
एनसीईसी	नोडल सतत शिक्षा केन्द्र
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एनसीएफ	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य ढांचा
एनसीएफडब्ल्यूएफएल	महिला साक्षरता के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
एनसीएचई	राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद
एनसीएमईअई	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग
एनसीओएस	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा परिसंघ
एनसीपीएसएल	राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद
एनसीपीयूएल	राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद
एनसीआरआई	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद
एनसीटीई	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद
एनईसीआरडी	पूर्वोत्तर अनुसंधान और विकास केंद्र
एनईएचयू	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय
एनईएलडी	पूर्वोत्तर भाषा विकास
एनईपी	पूर्वोत्तर परियोजना
एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एनई–आरआईई	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
एनईआरआईएसटी	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी संस्थान
एनईआरएलसी	पूर्वोत्तर भाषा केन्द्र
एनईटी	राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा
एनएफई	अनौपचारिक शिक्षा
एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनएचआरसी	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एनआईसीईई	भूकंप अभियांत्रिकी पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
एनआईएफएम	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान
एनआईएफटी	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआईओएस	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान
एनआईआरडी	राष्ट्रीय ग्रमीण विकास संस्थान
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनएलसीपीआर	केन्द्रीय असमाप्य संसाधन पूल
एनएलएम	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
एनएमसीएमई	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति
एनओआरआई	भारत को लौटने का प्रमाण पत्र देने की बाध्यता नहीं है।
एनओएस	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय
एनपीईजीईएल	प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा कार्यक्रम
एनपीएमसीएमएस	स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम
एनपीएनपीएसई	प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम
एनपीटीईएल	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम
एनआरसीटी	थाइलैंड की राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद
एनआरईजीए	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्राधिकरण
एनआरएफ	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान
एनआरजी	राष्ट्रीय संसाधन समूह
एनएसएफ	राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान
एनएलएम	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
एनटीएमआईएस	राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली
एनटीएसई	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा
एनयूईपीए	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय

ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओडीएल	मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षण
ओपीएसी	आनलाइन पब्लिक अक्सेस कैटलॉग
पीएबी	परियोजना अनुमोदन बोर्ड
पीसीपी	वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम
पीसीटी	पेटेन्ट सहयोग संधि
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीजी	स्नातकोत्तर
पीआईएचईएडी	विदेश में भारतीय उच्च शिक्षा का संवर्धन
पीएलईपी	पंजाब में अध्ययन संवर्धन के लिए तैयारी
पीओए	कार्रवाई कार्यक्रम
पीपीएल	फोनोग्राफिक्स परफोरमेन्स लिमिटेड
पीपीपी	सार्वजनिक निजी साझेदारी
पीक्यूएल	जीवन की वास्तविक गुणवत्ता
पीएसएससीटीवीई	पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
पीटीए	अभिभावक शिक्षक संघ
पीटीआर	शिक्षक छात्र अनुपात
पीडब्ल्यूडी	निशक्त व्यक्ति
क्यूआईसीके	शिक्षणकक्ष में गुणवत्ता सुधार
क्यूआईपी	गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आरसीसी	पुनश्चर्या पाठ्यक्रम केंद्र
आरसीसीपी	रेडियो–सह–कैसेट प्लेयर
आरटी	क्षेत्रीय समितियां
आरसीएसजीसी	अनुसंधान एवं रचनात्मक स्रोत सृजन केंद्र
आरई	संशोधित अनुमान
आरईएडी	खेल खेल में अध्ययन और विकास

आरईसी	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज
आरएफ	रेडियो फ्रीक्वेंसी
आरएफएलपी	ग्रामीण कार्यसाधक साक्षरता परियोजना
आरएफयू	क्षेत्रीय फील्ड यूनिट
आरजीआईएम	राजीव गांधी भारतीय प्रबंध संस्थान
आरआईडी	अनुसंधान और संस्थानिक विकास
आरआईई	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
आरआई	ग्रामीण संस्थान
आरएलसी	क्षेत्रीय भाषा केंद्र
आरएमएसए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
आरपीएफ	संशोधित नीति निरूपण
आरआरसी	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र
आरएसकेबी	राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड
आरटीई	शिक्षा का अधिकार
आरटीआई	सूचना का अधिकार
सार्क	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ
एसएआईआईईआर	श्री अरविन्द अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिणिक अनुसंधान संस्थान
एसएपी	विशेष सहायता कार्यक्रम
एससी	अनुसूचित जाति
एससी/एसटी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
एससीए	एशियाई विज्ञान परिषद
एससीईआरटी	राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एससीजी	रणनीतिक संचार समूह
एससीएचई	राज्य उच्च शिक्षा परिषद
एससीएसपी	अनुसूचित जनजाति उपयोजना
एससीवीई	राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद

एसडीएई	राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय
एसएच	वाक् विकलांग
एसआईसीआई	शास्त्री इंडो–कैनेडियन इंस्टीट्यूट
एसआईडी	नवाचार एवं विभाग सोसाइटी
एसआईडीए	स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी
एसआईईटी	राज्य शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान
एसआईएल	दक्षिण भारतीय भाषा
एसआईएम	स्व अनुदेशात्मक सामग्री
एसकेआईएमएस	शेरे कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान
एसकेपी	शिक्षा कर्मी परियोजना
एसएलईटी	राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा
एसएलआईईटी	संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
एसएलएम	स्व–अधिगम सामग्री
एसएलएमए	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण
एसओपीटी	प्राथमिक शिक्षक हेतु विशेष अभिमुखीकरण कार्यक्रम
एसओयू	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय
एसपीए	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय
एसपीओए	राज्य कार्रवाई कार्यक्रम
एसपीक्यूईएम	मदरसों में स्तरीय शिक्षा प्रदान करने की योजना
एसआरसी	राज्य संसाधन केन्द्र
एसआरएफ	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीईआई	माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थान
एसयूपीडब्ल्यू	समाज उपयोगी उत्पादक कार्य
टीए	यात्रा भत्ता
टीसी	शिक्षक केन्द्र
टीईएमबीआई	परंपरागत रूप से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक संस्थान
टीईक्यूआईपी	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम
टीएलसी	पूर्ण साक्षरता अभियान
टीएलई	शिक्षण अधिगम उपकरण
टीएमए	ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट
टीएसजी	पूर्ण साक्षरता अभियान
टीएसपी	आदिवासी उपजिला
टीटीटीआई	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
यूसी	उपयोगित प्रमाणपत्र
यूसीसी	सार्वभौमिक प्रतिलिप्याधिकार आयोग
यूईई	प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण
यूजी	अवर स्नातक
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन
यूएनएफपीए	संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि
यूनिसेफ	संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि
यूएनयू	संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय
यूपीई	प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण
यूटी	संघ राज्य प्रदेश
वीए	स्वैच्छिक एजेंसियां
वीएएसएस	वियतनाम समाज विज्ञान अकादमी
वीडीएल	वीडियो दूरस्थ अध्ययन
वीईसी	ग्राम शिक्षा समिति
वीईपी	व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम

वीएच	दृष्टि विकलांग
वीएचओ	स्वैच्छिक हिन्दी संगठन
वीएलएसआई	काफी बड़े पैमाने पर एकीकरण
वीपीएन	बहुत वैयक्तिक नेटवर्क
वीआरसी	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
वीएसएटी	वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल
वीएसएससी	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र
डब्ल्यूआईडीईआर	विश्व विकास आर्थिक
	अनुसंधान संस्थान
डब्ल्यूआईपीओ	विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन
वाईओयूसीआरए	ग्रामीण तरक्की के लिए युवा अभियान
जेडआईईटी	क्षेत्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
जेडएसएस	जिला साक्षरता समिति

सिंहावलोकन

साक्षरता की केन्द्रीयता
पर
प्रो. अमर्त्य कुमार सेन
द्वारा
वार्ता
अध्यक्षता
भारत के माननीय प्रधानमंत्री
डॉ. मनमोहन सिंह
माननीय अतिथि
श्रीमती डी पुरंदेश्वरी
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री
साक्षर भारत
Pratichi
Talk on
CENTRALITY OF LITERACY
by
Professor Amartya Kumar Sen
Nobel Laureate and Lamont University Professor at the Harvard University,
Presided by
Dr. Manmohan Singh
Hon'ble Prime Minister of India
Guests of Honour
Shri Kapil Sibal
Minister of HRD
Minister of State, HRD
3rd August 2010, New Delhi

1

सिंहावलोकन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्वप्न समता एवं उत्कृष्टता के साथ शिक्षा क्षेत्र में भारत की मानव संसाधन संबंधी क्षमता को पूर्णरूपेण साकार करना है। 1976 के संविधान संशोधन, जिसने शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया, के कारण संघ सरकार ने देश में वैज्ञानिक, पेशेवर, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के समन्वय एवं निर्धारण के अपने अधिदेश के अलावा शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकरण स्वरूप में सुधार करने, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, सभी स्तरों पर गुणवत्ता एवं मानकों में वृद्धि करने की वृहत्तर जिम्मेदारी स्वीकार की।

मंत्रालय का प्रयास सबके लिए शिक्षा, सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने, प्रारंभिक शिक्षा में अवधारण एवं गुणवत्ता, वंचित समूहों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को जन अभियान बनाने तथा साथ ही अवसरंचना एवं संकाय में निवेश करके स्तरीय उच्च शिक्षा तक पहुंच के अधिक अवसर प्रदान करने, शैक्षिक सुधारों को बढ़ावा देने, गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य के साथ अभिशासन एवं संस्थानिक पुनर्गठन में सुधार तथा अभी तक वंचित समुदायों के समावेशन पर है।

भारत युवाओं का देश है – 1.2 बिलियन से अधिक आबादी में से 0.672 बिलियन लोग 15–64 आयु वर्ग के हैं, जिसे सामान्यतया ''कामकाजी आयु की आबादी'' समझा जाता है। अनुमान व्यक्त किया गया है कि अगले 30 वर्षों में निर्भरता के अनुपात में भारत में भारी गिरावट आएगी, जो भारत के लिए एक प्रमुख जनांकिकी लाभांश होगा। वर्ष 2001 में देश की 11 प्रतिशत आबादी 18–24 आयुवर्ग में थी जिसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 12 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की अम्मीद है। इस विशाल आबादी को एक बहुमूल्य मानव संसाधन के रूप में लिया जाना चाहिए तथा उसे आवश्यक कौशलों से सुसज्जित किया जाना चाहिए ताकि वे उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने एवं हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए सामर्थ्यवान हो सकें।

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधिनियमन तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21–क के प्रभावी हो जाने के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ने, स्कूल बाह्य बच्चों, शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों का उपयुक्त ढंग से अल्पावधि से मध्यम अवधि में समाधान किया जाएगा। यह अधिनियम सरकारों के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वे 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें।

भारत सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। यह लक्ष्य अप्रैल 2000 में विश्व शिक्षा मंच, डकर में अपनाए गए सबके लिए शिक्षा (ईएफए) का अंग है। ईएफए के लक्ष्यों में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं: वर्ष 2015 तक सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना, युवाओं एवं प्रौढ़ों के लिए उपयुक्त अधिगम एवं जीवन कौशल कार्यक्रम तक साम्यपूर्ण पहुंच का सुनिश्चय करना, 2015 तक प्रौढ़ साक्षरता में 50 प्रतिशत सुधार प्राप्त करना, 2015 तक शिक्षा में लैंगिक समानता प्राप्त करना और शिक्षा की गुणवत्ता के सभी पहलुओं में सुधार लाना।

शिक्षा तक पहुंच तथा सकल नामांकन अनुपात, विशेष रूप से लड़कियों एवं सीमांत समूहों की लड़कियों के नामांकन में सुधार की दृष्टि से प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण बहुत हद तक प्राप्त कर लिया गया है। विशेष रूप से प्रारंभिक स्तर पर लैंगिक समानता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के लिए शुरू किए अनेक कार्यक्रमों तथा विकलांग बच्चों, अल्पसंख्यकों एवं सीमांत समूहों पर हल्के बल तथा अंततः सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) में विलयित कार्यक्रमों की देन है। एसएसए प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाता है तथा कतिपय मानदंडों के अधीन प्राथमिक स्कूल खोलने तथा प्राथमिक स्कूलों के उच्च प्राथमिक स्कूलों में उन्नयन के लिए प्रावधान करता है। मंत्रालय ने माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच को सर्वसुलभ बनाने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान भी शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य हर बस्ती से तर्कसंगत दूरी के अंदर माध्यमिक स्कूल का प्रावधान करके पांच वर्ष के अंदर कक्षा 9 एवं 10 के लिए 75 प्रतिशत का नामांकन अनुपात प्राप्त करना, सभी माध्यमिक स्कूलों को विहित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लैंगिक, सामाजिक–आर्थिक एवं

विकलांगता संबंधी बाधाओं को दूर करना तथा 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना हैं।

मध्याह्न भोजन योजना नामांकन, अवधारण एवं उपस्थिति में वृद्धि तथा बच्चों के लिए पोषाहार सहायता में सुधार के उद्देश्य से कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को शामिल करती है।

युवाओं एवं किशोरों के लिए जीवन पर्यन्त अधिगम के लिए कार्यक्रमों पर समुचित बल दिया जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को केंद्र प्रायोजित योजना कार्यक्रम साक्षर भारत की शुरूआत से और बल मिला है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2012 तक 15–35 आयुवर्ग के 70 मिलियन प्रौढ़ों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करना है जिसमें से 60 मिलियन महिलाएं होंगी, तथा लाभवंचित एवं सीमांत सामाजिक समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर गंवा चुके तथा ऐसी शिक्षा प्राप्त करने की मानक आयु पार कर चुके परंतु अब साक्षरता, बुनियादी शिक्षा (औपचारिक शिक्षा के समतुल्य) एवं व्यावसायिक शिक्षा (कौशल विकास) प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस करने वाले प्रौढ़ों की, विशेष रूप से महिलाओं की प्रौढ़ शिक्षा को और बढ़ावा देना एवं सुदृढ़ करना है। यह योजना अब न केवल मात्रात्मक सुधार की दिशा में अपितु लिंग, सामाजिक समूहों एवं क्षेत्रों के बीच विषमताओं को कम करने की दिशा में भी निश्चित सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित करेगी।

उच्च शिक्षा का भी देश के लिए बहुत महत्व है क्योंकि यह 21वीं शताब्दी के ज्ञान आधारित समाज के निर्माण का एक ताकतवर उपकरण है। समता एवं उत्कृष्टता के साथ पहुंच में सुधार, राज्य विशिष्ट रणनीतियों का अंगीकरण, अभिशासन की संरचना में सुधार के साथ पाठ्यचर्या सुधार, व्यावसायीकरण, नेटवर्किंग व सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा की प्रासंगिकता में वृद्धि उच्च शिक्षा क्षेत्र की कुछ प्रमुख नीतिगत पहलें हैं। उच्च शिक्षा में अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें हैं: विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के सामान्य विकास के लिए कार्यक्रम; महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु विशेष अनुदान; छात्रों को छात्रवृत्ति; पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए क्षैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की योजना ताकि सुनिश्चित हो कि कोई भी इस कारण पेशेवर शिक्षा से वंचित न रहे कि वह गरीब है; तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में शिक्षण के साथ विस्तार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के प्रयोग तथा स्तरीय शिक्षा के संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का उद्देश्य आखिरी मील तक संयोजकता प्रदान करने के अपने ध्येय के अंग के रूप में देश के 18000 से अधिक कॉलेजों को कंप्यूटर अवसंरचना एवं संयोजकता प्रदान करना है जिसमें लगभग 400 विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के प्रत्येक विभाग शामिल हैं।

31 जनवरी 2010 की स्थिति के अनुसार, 544 विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थाएं है – 261 राज्य विश्वविद्यालय, 73 राज्य निजी विश्वविद्यालय, 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 130 सम विश्वविद्यालय, 33 राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं, विभिन्न राज्य विधानों के अंतर्गत स्थापित 5 संस्थाएं। इसके अलावा, 31324 कालेज हैं जिसमें लगभग 3432 महिला कालेज शामिल हैं।

पहुंच में वृद्धि के निमित्त, मंत्रालय प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय अवश्य हो। तकनीकी एवं पेशेवर शिक्षा के क्षेत्र में, 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 7 नए भारतीय प्रबंध संस्थान, 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तथा 10 नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं तथा इस दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके अलावा, 5 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) तथा 2 आयोजना एवं वास्तुशिल्प विद्यालय भी स्थापित किए गए हैं। 374 नए मॉडल डिग्री कालेज, देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रत्येक जिले में एक तथा तकरीबन 1000 नए पॉलिटेक्निक स्थापित करने में भी राज्य सरकारों की सहायता करने की उच्च शिक्षा विभाग की योजना है।

राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के सामाजिक–आर्थिक विकास पर विशेष बल दिया जाता है जिसके लिए क्षेत्र विशिष्ट आयोजना तथा बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार के अनुदेशों के अनुसार, मंत्रालय की सकल बजटीय सहायता का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 9 केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा अनेक तकनीकी संस्थाएं हैं। इस क्षेत्र में 66 नए पॉलिटेक्निक स्थापित किए जा रहे हैं। ऊपर उल्लिखित 374 कालेजों से 44 ऐसे कालेज पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोलने के लिए प्रस्तावित हैं।

समावेशी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में लैंगिक अंतराल दूर करने के लिए, मंत्रालय की पहलों से लड़कियों के सामान्य नामांकन में सकारात्मक वृद्धि हुई है जो आज स्वतंत्रता के अवसर पर नामांकन के प्रतिशत से 4 गुना अधिक हो गया है। अजा/अजजा/अपिव की शिक्षा का ध्यान रखने के लिए, अजा, अजजा एवं अपिव को केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में दाखिले में केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इसी तरह, विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को बेहतर शिक्षा प्रदान के लिए, उच्च शिक्षा संस्थाओं में पीडब्ल्यूडी को विकलांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, मंत्रालय ने उनके लिए प्रतिवर्ष 82000 छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया है तथा ब्याज सब्सिडी योजना शुरू की है। शिक्षा पर परिव्यय में भी 10वीं योजना से काफी वृद्धि हुई है। 11वीं योजना में शिक्षा के लिए परिव्यय 10वीं योजना के परिव्यय से 9 गुना से अधिक है जो सबको शिक्षा प्रदान करने एवं विश्व के भावी रहनुमा के रूप में भारत के स्थापित होने में समर्थ बनाने के लिए ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था एवं समाज का सृजन करने संबंधी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रमुख पहलें

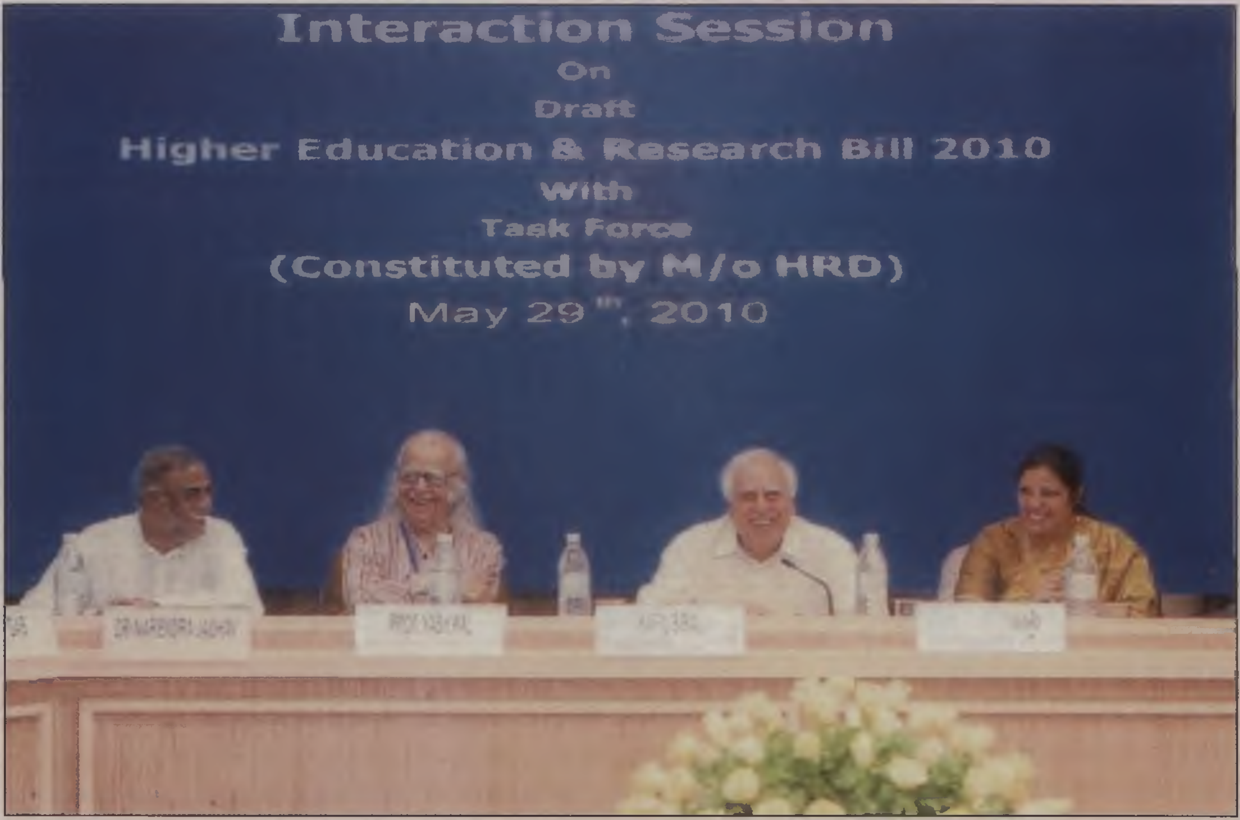
Interaction Session
On
Draft
Higher Education & Research Bill 2010
With
Task Force
(Constituted by M/o HRD)
May 29th, 2010

2

प्रमुख पहलें

यह स्वतः स्पष्ट है कि शिक्षा की विकास में मौलिक भूमिका होती है। राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षा समर्थ बनाती हैं, साथ ही यह नए, बड़े अधिक महत्वाकांक्षी सपने देखने में राष्ट्र की क्षमता भी बढ़ाती है। वर्तमान में भारत को जो जनांकिकी लाभांश प्राप्त है वह अनिवार्य बनाता है कि हम अपने युवाओं को बड़े सपने देखने का अवसर एवं सामर्थ्य प्रदान करें। शिक्षा प्रणाली समावेशन, विस्तार एवं उत्कृष्टता के तीन आधारों पर आगे बढ़ रही है। यद्यपि सरकार जीडीपी के अनुपात के रूप में सरकारी परिव्यय निरंतर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, संख्याओं की अनिवार्यता के लिए शिक्षा प्रणाली के विस्तार में तथा इसे अधिकाधिक समावेशी बनाने में अन्य सभी पणधारियों की अधिक भागीदारी अपेक्षित है। 2010–11 के दौरान शिक्षा क्षेत्र में कुछ नई पहलों तथा प्रमुख उपलब्धियों का नीचे उल्लेख किया गया है:

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया हैं, पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। आरटीई के रोड मैप के अनुसार, (1) पड़ोसी स्कूल 3 वर्ष के अंदर अर्थात 31 मार्च 2013 तक स्थापित किए जाने हैं; (2) निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार स्कूल अवसंरचना एवं शिक्षकों का प्रावधान 3 वर्ष के अंदर अर्थात 31 मार्च 2013 तक किया जाना है; (3) अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण 5 वर्ष के अंदर अर्थात 31 मार्च 2015 तक प्रदान किया जाना है; जबकि गुणवत्ता संबंधी हस्तक्षेपों एवं अन्य प्रावधानों को तात्कालिक प्रभाव से लागू करना है।

सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बच्चों को मौलिक अधिकार बनाने वाले भारत के 86वें संविधान संशोधन के अधिदेश के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से आरटीई के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा रहा है। तदनुसार, आरटीई अधिनियम 2009 की अपेक्षाओं के साथ उनको संरेखित करने के लिए एसएसए के मानदंडों को संशोधित किया गया है। पूरे देश को शामिल करने तथा 1.1 मिलियन बस्तियों में 192 मिलियन बच्चों की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए एसएसए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा स्कूल जाने वाली एवं स्कूल न जाने वाली दोनों की तरह की लड़कियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। एनपीईजीईएल उन लड़कियों तक भी पहुंचता है जो स्कूलों में नामांकित है किंतु नियमित रूप से स्कूल नहीं जाती हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) अजा, अजजा, अपिव तथा मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। केजीबीवी बिखरी आबादी वाले ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां स्कूल काफी दूरी पर होते हैं तथा लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक चुनौती हैं। इसकी वजह से लड़कियां अक्सर पढ़ाई छोड़ने के लिए बाध्य हो जाती हैं। केजीबीवी स्वयं ब्लॉक आवासीय स्कूल स्थापित करके इसका समाधान करता है।

महिला समाख्या (एमएस) कार्यक्रम महिलाओं की अधिकारिता के लिए एक सतत कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं, विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से सीमांत समूहों की महिलाओं की अधिकारिता एवं शिक्षा के लिए एक ठोस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने के लिए 1989 में शुरू किया गया। एमएस के अंदर समता प्राप्त करने के लिए महिलाओं की अधिकारिता में शिक्षा की केंद्रीय भूमिका पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। एमएस योजना का लक्ष्य उन बाधाओं को दूर करना है जो ग्रामीण महिलाओं एवं लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकते है, जैसे कि उनके सापेक्षिक दुराव की समस्याएं, जीविका के लिए संघर्ष, आत्मविश्वास का अभाव, दमनकारी सामाजिक कुरीतियां आदि। एमएस का उद्देश्य ग्रामीण, सर्वाधिक सीमांत महिलाओं के संदर्भों की सामूहिक जागरूकता एवं समझ पैदा करना तथा इसे चुनौती देने के लिए उनकी क्षमता निर्मित करना है।

मदरसों में स्तरीय शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) मदरसों में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास करती है ताकि मुसलमानों के बच्चे शिक्षा के औपचारिक विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानकों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। एसपीक्यूईएम योजना की प्रमुख विशेषताः शिक्षकों को अधिक मानदेय का भुगतान करके तथा अन्य संबद्ध मुद्दों के माध्यम से विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक अध्ययन आदि जैसे पाठ्यचर्या के औपचारिक विषयों की पढ़ाई के लिए मदरसों में क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना है।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) की योजना अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निजी सहायताप्राप्त/गैर सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों/संस्थाओं में अवसंरचना की वृद्धि करने के लिए चालू की गई है।

प्राथमिक शिक्षा के पोषाहार सहायता कार्यक्रम (एनपी–एनएसपीई), जिसे आमतौर पर मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के नाम से जाना जाता है, देश के 2408 ब्लॉकों में 15 अगस्त 1995 को सूखा राशन योजना के रूप में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। नामांकन, अवधारण एवं उपस्थिति बढ़ाने तथा साथ ही बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से एमडीएमएस कार्यान्वित किया जा रहा है। इस समय मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सरकारी, सरकारी सहायताप्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों तथा शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) तथा वैकल्पिक व नवाचारी (एआईई) केंद्रों में कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले सभी बच्चे शामिल हैं। इसके अंतर्गत मदरसों एवं मकतबों में पढ़ने वाले बच्चे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (एनसीएलपी) के बच्चे भी शामिल हैं। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य (1) कक्षा 1–8 के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके (2) अधिक नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए निर्धन एवं लाभवंचित वर्गों के बच्चों को प्रोत्साहित करके तथा कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी सहायता करके और (3) ग्रीष्मावकाश के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषाहार सहायता प्रदान करके भारत में अधिकांश बच्चों की दो सर्वाधिक बाध्यकारी समस्याओं अर्थात भूख एवं शिक्षा का समाधान करना है।

मार्च 2009 में आरंभ किया गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) समता का सुनिश्चय करते हुए माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच एवं इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा में एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। योजना में अन्य बातों के साथ प्रत्येक बस्ती से तर्कसंगत दूरी के अंदर एक माध्यमिक स्कूल प्रदान करने के लिए नए माध्यमिक स्कूल खोलने विद्यमान सरकारी माध्यमिक स्कूलों के सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना है। गुणवत्ता में सुधार का कार्य निम्नलिखित के माध्यम से किया जाता हैः (1) पीटीआर में सुधार तथा विषय विशिष्ट शिक्षक प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति; (2) विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी शिक्षा पर बल, (3) शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण और (4) अध्ययन अध्यापन सुधार आदि। समता के पहलुओं पर निम्नलिखित के माध्यम से ध्यान दिया जाता हैः (1) सूक्ष्म आयोजना पर विशेष बल, (2) स्तरोन्नयन में आश्रम स्कूलों को तरजीह (3) स्कूल खोलने के लिए अजा/अजजा/अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों को तरजीह (4) कमजोर वर्गों के लिए विशेष नामांकन अभियान, (5) विद्यालयों में अधिक महिला शिक्षक और (6) लड़कियों के लिए अलग शौचालय ब्लॉक आदि।

माध्यमिक शिक्षा में एक अन्य प्रमुख योजना उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर उच्च गुणवत्ता के 6000 विद्यालय स्थापित करने के लिए नवम्बर 2008 में आरंभ की गई मॉडल विद्यालय योजना है। इस समय राज्य सरकारों के अधीन शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 3500 विद्यालय स्थापित करने का घटक क्रियाशील है।

माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने एवं इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मार्च 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की योजना शुरू की गई। इस योजना का कार्यान्वयन 2009–10 से शुरू हुआ। किसी बस्ती से तर्कसंगत दूरी के अंदर माध्यमिक विद्यालय प्रदान करके 5 वर्ष के अंदर माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर 2005–06 के 52.26 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत पर लाने की परिकल्पना है। अन्य उद्देश्यों में शामिल हैंः सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों का पालन करने वाला बनाकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, लैंगिक, सामाजिक–आर्थिक एवं विकलांगता संबंधी बाधाओं को दूर करना, 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना और 2020 तक सार्वभौमिक अवधारण प्राप्त करना।

ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल विद्यालय स्थापित करने की योजना उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में प्रत्येक ब्लॉक में एक विद्यालय की दर से 6000 मॉडल विद्यालयों की स्थापना के

माध्यम से प्रतिभावान ग्रामीण बच्चों को स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए है। यह योजना 2009–10 से लागू की जा रही है। इस योजना के उद्देश्य हैं: (1) प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक अच्छी गुणवत्ता का माध्यमिक स्कूल हो; (2) गतिनिर्धारक की भूमिका निभाना और अवसंरचना, पाठ्यचर्या, मूल्यांकन एवं स्कूल अभिशासन में मॉडल बनने के लिए नवाचारी पाठ्यचर्या एवं पाठ्यविवरण आजमाना।

माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए बालिका छात्रावास के निर्माण एवं संचालन की योजना एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है जो 2009–10 से लगभग 3500 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 100 सीटों वाले बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए बालिका छात्रावास के निर्माण एवं संचालन के लिए पिछली एनजीओ संचालित योजना को इसने प्रतिस्थापित किया है, जिसके अंतर्गत बालिका छात्रावास चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जाती थी। संशोधित योजना का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को बनाए रखना है ताकि बालिकाएं स्कूल दूर होने, अभिभावकों की वित्तीय क्षमता तथा अन्य संबंधित सामाजिक कारकों के चलते अपनी पढ़ाई जारी रखने से वंचित न रहें।

विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) योजना दिसम्बर 2004 में शुरू की गई जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से आईसीटी कौशलों में अपना क्षमता निर्माण करने तथा कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से उनको पढ़ने के लिए माध्यमिक स्कूल के छात्रों को अवसर प्रदान करना हैं। यह योजना विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य भौगोलिक बाधाओं वाले छात्रों के बीच डिजीटल अंतराल को पाटने के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक है। अब तक के अनुभव के आधार पर, 11वीं योजना की शेष अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए योजना को संशोधित किया गया है। योजना के दिशानिर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य संगठनों को 27 जुलाई 2010 को परिचालित किए गए हैं।

माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना (आईईडीएसएस) 2009–10 में शुरू की गई। यह कक्षा 9–12 में विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय पास करने वाले तथा सरकारी, स्थानीय स्कूल एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक पढ़ने वाले सभी ऐसे छात्र शामिल हैं जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 तथा आटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक पश्चता तथा बहु विकलांग अधिनियम 1999 के अंतर्गत परिभाषित एक या अधिक विकलांगताओं अर्थात (1) नेत्रहीनता (2) कम दिखना (3) कुष्ठ रोग (4) श्रवण विकलांग (5) लोकोमोटर विकलांगता (6) मानसिक पश्चता (7) मानसिक बीमारी (8) आटिज्म और (9) सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त है।

मंत्रालय ने 2008–09 में राष्ट्रीय योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति योजना नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य कक्षा 8 में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करना तथा माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा 12 तक पढ़ाई जारी रखने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देना है। कक्षा 9 से 12 में पढ़ने के लिए प्रत्येक वर्ष चयनित छात्रों को 6000 रूपए प्रतिवर्ष (500 रूपए प्रतिमाह) एक लाख छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

2008–09 में "माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन" नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई। इस योजना के अनुसार पात्र लड़कियों के नाम में 3000 रूपए की राशि सावधि जमा के रूप में जमा की जाती है तथा ब्याज सहित इसे निकालने के लिए वे तब पात्र होती हैं जब वे 18 साल की आयु की हों जाती हैं तथा उन्हें 10वीं कक्षा की परीक्षा अब तक पास कर लेनी चाहिए। योजना के अंतर्गत शामिल हैं (1) अजा/अजजा समुदाय की ऐसी सभी लड़कियां जिन्होंने कक्षा 8 पास कर लिया और (2) ऐसी सभी लड़कियां जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कक्षा 8 की परीक्षा पास की हैं (वे अजा/अजजा से संबंधित हों या न हों) तथा कक्षा 9 में सरकारी, सरकारी सहायताप्राप्त एवं स्थानीय निकाय के स्कूलों में दाखिल हैं। योजना का उद्देश्य पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर घटाने तथा माध्यमिक विद्यालयों में अजा/अजजा समुदाय की लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देने एवं 18 साल की आयु तक उनका अवधारण सुनिश्चित करने के लिए समर्थकारी माहौल स्थापित करना है।

हिंदी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में "आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षक (हिंदी से भिन्न) नियुक्त करने की योजना" शुरू की गई। हिंदी भाषी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) शिक्षक (हिंदी से भिन्न) अधिमानतः दक्षिण भारतीय भाषा (एसआईएल) की नियुक्ति के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य त्रिभाषा सूत्र को लागू करना तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानतः दक्षिण भारतीय भाषा को विद्यालयों में

तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए हिंदी भाषी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देना है।

प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य ऐसे प्रौढ़ों को शिक्षा के विकल्प प्रदान करना है जिन्होंने अवसर गवां दिया है तथा औपचारिक शिक्षा की उम्र पार कर गए हैं किन्तु अब बुनियादी शिक्षा (साक्षरता), कौशल विकास (व्यावसायिक शिक्षा) तथा समतुल्यता समेत किसी प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता महसूस करते है। साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली पंचवर्षीय योजना अवधि के समय से ही अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिनमें से सबसे प्रमुख राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) है जिसे 15–35 आयु वर्ग के निरक्षरों को समयबद्ध ढंग से कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करने के लिए 1988 में शुरू किया गया। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2 नई योजनाएं अर्थात साक्षर भारत तथा 'प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना' 11वीं योजना के दौरान शुरू की गई हैं।

साक्षर भारत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितम्बर 2009 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य विशेष रूप से 15 वर्ष तथा इससे अधिक आयु की महिलाओं में प्रौढ़ शिक्षा को और बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य 2012 तक साक्षरता दर 80 प्रतिशत करने तथा लैंगिक अंतराल को इसी अवधि तक आधा करने का है। भारत सरकार ने साक्षर भारत को एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में वर्गीकृत किया है। इस योजना का मिशन ''प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता की गुणवत्ता एवं मानक में सुधार के माध्यम से पूर्ण साक्षर समाज स्थापित करना'' है।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार की प्रमुख पहलें

1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई अधिनियम) प्रभावी हो गया है।

विश्वविद्यालयों तथा उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान की संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता के सिद्धांत के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थाओं में ज्ञान की उन्नति के लिए शैक्षिक गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने एंव नीतियां परिभाषित करने के लिए सरकार राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग/परिषद स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

3 मई 2010 को संसद में प्रस्तुत राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2010 के अंतर्गत सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रत्यायन अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है।

3 मई 2010 को संसद में प्रस्तुत तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में अनुचित प्रथाओं का निषेध विधेयक 2010 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में अनुचित प्रथाओं पर रोक लगाना है।

संसद में हाल में प्रस्तुत शैक्षिक न्यायाधिकरण विधेयक 2010 में छात्रों, शिक्षकों एवं संस्थाओं के बीच विवादों के निपटारे के लिए दो चरणीय न्यायाधिकरण प्रणाली अपनाने का प्रावधान है।

संसद में हाल में प्रस्तुत किया गया विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश एवं प्रचालन का विनियमन) विधेयक 2010 में अनुमोदन प्रक्रिया के साथ–साथ विदेशी शिक्षा संस्थाओं के विनियमन के लिए एक समयबद्ध एवं पारदर्शी प्रणाली का प्रावधान है।

राश्ट्रीय तौर पर मान्यताप्राप्त अर्हता प्रणाली के लिए सामान्य सिद्धांत एवं दिशानिर्देश लागू करने के लिए एक राश्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता रूपरेखा विकसित जा रही है, जिसके अंतर्गत विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा संस्थान तथा उच्च शिक्षा संस्थान शामिल हैं। इसमें ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज गतिशीलता, अनेक प्रवेश तथा निकास के प्रावधान के साथ दक्षता आधारित मॉड्यूलर दृश्टिकोण अपनाया जाएगा।

संसद में प्रस्तुत करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा राश्ट्रीय शैक्षिक आधान की स्थापना का प्रावधान करने के लिए एक विधेयक हाल ही में अनुमोदित किया गया है। इस विधेयक में विश्वविद्यालयों तथा राज्य एवं राश्ट्रीय स्तर के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी शैक्षिक पुरस्कारों का एक राश्ट्रीय इलेक्ट्रानिक डेटाबेस सृजित करने का प्रयास है।

स्वैच्छिक क्षेत्र के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के निमित्त, ''प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना'' नामक एक संशोधित योजना 1 अप्रैल 2009 से लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य साक्षर भारत की समग्र छत्रछाया में प्रौढ़ों में कार्यसाधन साक्षरता, कौशल विकास एवं सतत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों में सरकारी क्षेत्र गहन एवं व्यापक भागीदारी प्राप्त करना है। योजना के अंतर्गत 3 घटक अर्थात राज्य संसाधन केंद्र, जन शिक्षण संस्थान तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता है।

उच्च शिक्षा क्षेत्र

उच्च शिक्षा का विखंडन काफी समय से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा है जिसमें विद्यमान विषय क्षेत्रों की सीमाओं पर ज्ञान के नए उभरते क्षेत्रों के विकास को मिलाते हुए नई सीमाएं सृजित की है। अन्य आधारभूत सिद्धांत, जिस पर उच्च अध्ययन का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है, यह है कि ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ऐसी संस्थाओं की स्वायत्तता नितांत आवश्यक है। ज्ञान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उच्च शिक्षा का पुनर्गठन जो नवाचार, नए विचारों के निरंतर उद्भव तथा लोगों की सतर्कता बढ़ाने का प्रयास करता है, के लिए एक नई भावना के विनियमन की जरूरत होती है जो सर्वसुलभ पहुँच के लिए अवसर के साथ जवाबदेही के लिए आवश्यकता के मध्य संस्थाओं की स्वायत्तता का सम्मान करता है। अन्य बातों के साथ शैक्षिक मानक, प्रत्यायन मानदंड तथा संस्थाओं के वित्तपोषण एवं अनुशासन का तंत्र विहित करने के अधिकार के साथ एक निकाय की स्थापना से देश में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने संबंधी प्रयास में वृद्धि होगी। सरकार ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की स्थापना में सहायता के लिए एक कार्यबल का गठन किया जिसने प्रख्यात शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, कुलपतियों तथा राज्य सरकारों के शिक्षा सचिवों से व्यापक विचार–विमर्श के बाद एक विधेयक तैयार किया है।

लोगों की यह चिंता रही है कि तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों को अनुचित प्रथाओं का सहारा नहीं लेना चाहिए, जैसे कि कैपिटेशन फीस लेना तथा दाखिले के लिए डोनेशन की मांग करना, छात्रों द्वारा या उनकी ओर से किए गए भुगतान के संबंध में रसीद जारी न करना, अपारदर्शी एवं संदिग्ध दाखिला प्रक्रिया के माध्यम से पेशेवर अध्ययन कार्यक्रमों में दाखिला, शिक्षा सेवाओं की सुपुर्दगी की घटिया गुणवत्ता तथा गुमराह करने वाले विज्ञापनों के माध्यम से ऐसी सेवाओं की गुणवत्ता के झूठे दावे करना, अयोग्य या अपात्र शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति, छात्रों के प्रमाणपत्रों तथा अन्य दस्तावेजों को रोक लेना। इन सरोकारों के जवाब में अनुचित प्रथाओं के अंगीकरण के लिए निषेध एवं दंड का प्रावधान करने के लिए 3 मई 2010 को संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है जो ऐसी प्रथाओं को दंडित एवं प्रतिबंधित करेगा।

संसद में प्रस्तुत किए एक अन्य विधेयक का उद्देश्य संस्थाओं एवं नियामकों के मध्य छात्रों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के संबंध में अर्ध न्यायिक ढंग से विवादों के स्वतंत्र, प्रवर्तनीय, त्वरित, फास्ट ट्रैक क्षेत्राधिकार की भूमिका निभाने के लिए शैक्षिक न्यायाधिकरण स्थापित करना है।

पारदर्शी एवं सूचित बाह्य समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से उच्च शिक्षा में मूल्यांकन एवं प्रत्यायन संस्थाओं की शैक्षिक गुणवत्ता पर विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने और इस प्रकार घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उनकी गतिशीलता में बढ़ावा देने के लिए छात्रों एवं अन्यों को संदर्भ की सामान्य रूपरेखा का प्रावधान करने के लिए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के कारगर साधन हैं। इस समय प्रत्यायन स्वैच्छिक है जिसकी वजह से 1/5 कॉलेजों तथा एक तिहाई से कम विश्वविद्यालयों ने प्रत्यायन प्राप्त किया है। उच्च शिक्षा में अनिवार्य प्रत्यायन से देश की उच्च शिक्षा प्रणाली वैश्विक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली का हिस्सा बन सकेगी। इस प्रयोजनार्थ सांस्थानिक ढांचा के सृजन एवं अनिवार्य प्रत्यायन का प्रावधान करने के लिए 3 मई 2010 को संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश एवं प्रचालन को विनियमित करने के लिए एक विधायी प्रस्ताव 3 मई 2010 को संसद में प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक एक नियामक रूपरेखा का प्रावधान करेगा जिसमें विदेशी शिक्षा संस्थाएं भारत की राष्ट्रीय नीति की दृष्टि से प्रवेश करने एवं प्रचालन करने में समर्थ होंगी और साथ ही घटिया मानक वाले या 'रातोंरात' भाग जाने वाले प्रचालकों पर रोक एवं नियंत्रण लगेगा।

विश्वविद्यालयों के अनुसंधान एवं शिक्षण संसाधनों में वृद्धि के लिए यूजीसी की पहलः अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी स्तर पर विज्ञान से संबंधित विषय क्षेत्रों में अनुसंधान की उच्च गुणवत्ता सुदृढ़ करना तथा चयनित विभागों/केंद्रों में शैक्षिक अनुक्रम के सभी स्तरों पर नई प्रतिभाओं के प्रवेश के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नवाचारी शिक्षण को बढ़ावा देना उद्देश्य

है। नए इंडक्टी एक राष्ट्रीय स्तर पर संचालित प्रतियोगिता प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाएंगे तथा व्याख्याता, रीडर, प्रोफेसर के रूप में रखे जाएंगे। विशेष रूप से चयनित इन संकायों को एक अलग पहचान प्रदान करने के लिए इनमें से प्रत्येक श्रेणी से पूर्व यूजीसी शब्द जोड़ा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुसंधान एवं पढ़ाने के लिए आपवादिक सृजनशीलता, उत्साह एवं प्रतिबद्धता वाले व्यक्तियों को चुना जाए। यह नितांत आवश्यक है कि इस दिशा में अब विलंब न हो क्योंकि विश्वविद्यालयों से वैज्ञानिक उत्पाद में हाल के वर्षों में भारी गिरावट आई है तथा हमारे अधिकांश विश्वविद्यालयों में लंबे समय से बड़े पैमाने पर संकाय की भर्ती नहीं की है तथा शोधकर्ताओं की एक से अधिक पीढ़ी गंवाने का खतरा है। संकाय को काम पर रखने से जुड़ी अन्य स्थानिक समस्याओं के अलावा संकाय पदों की अनुपलब्धता को इस गंभीर त्रासदी के लिए अक्सर जिम्मेदार कारण बताया जाता है। 'संकाय रिचार्ज' पहल किसी न किसी रूप में इस समस्या के समाधान का एक प्रभावी तंत्र प्रदान करती है तथा अपने विज्ञान संबद्ध विभागों में संकाय संसाधन स्तरोन्नत करने के इच्छुक विश्वविद्यालयों को एक अनूठा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन के लिए, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को एक संकाय रिचार्ज प्रकोष्ठ गठित करने के लिए चुना गया है। यह प्रकोष्ठ वैश्विक विज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर भरने के लिए 1000 संकाय पद सृजित करेगा। इस प्रयोजनार्थ एक राष्ट्रीय समन्वयक तथा एक एसोसिएट समन्वयक की नियुक्ति की गई है।

कुशल जनशक्ति सृजित करके, औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि करके तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके तकनीकी शिक्षा देश के मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तकनीकी शिक्षा के तहत इस समय इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुशिल्प, शहरी आयोजना, फार्मेसी तथा अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प, होटल प्रबंधन एवं केटरिंग प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम शामिल हैं। तकनीकी शिक्षा प्रणाली के समक्ष प्रमुख चुनौती पहुंच, गुणवत्ता एवं समावेशन की है। चिंता का एक अन्य क्षेत्र गुणवत्ता एवं संख्या दोनों की दृष्टि से संकाय की अपर्याप्त उपलब्धता है। अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों का संवर्धन, तकनीकी संस्थानों से निकलने वाले प्रशिक्षित स्नातकों एवं स्नातकोत्तरों की नियोजनीयता में सुधार ऐसे क्षेत्र है जहां अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है।

समता एवं उत्कृष्टता के साथ पहुंच में वृद्धि प्रदान करने संबंधी सरकार के सपने को लागू करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। आठ (8) नए आईआईटी, पांच (5) नए आईआईएम तथा दस (10) नए एनआईटी स्थापित किए गए हैं तथा क्रियाशील हैं। उदयपुर एवं काशीपुर में आईआईएम 2011–12 से क्रियाशील हो जाएंगे। निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) के तहत 20 नए आईआईआईटी स्थापित किए जाएंगे।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत बेहतर नियोजनीयता के लिए उच्च गुणवत्ता के इंजीनियर तैयार करने, प्रयोज्य अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने, प्रभावी शिक्षण के लिए संकाय के प्रशिक्षण, संस्थानिक एवं प्रणाली प्रबंधन प्रक्रिया में वृद्धि के लिए संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल देने की परिकल्पना है।

समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में, सामुदायिक पॉलिटेक्निक के विकास की योजना के माध्यम से ग्रामीण युवाओं/अजा/अजजा, महिलाओं, पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों तथा अन्य लाभवंचित समूहों को प्रशिक्षण देने तथा आवश्यकता आधारित लाभप्रद रोजगार पाने में उनकी सहायता करने को वरीयता दी जाती है। महिला छात्रावास के लिए अब तक 343 पॉलिटेक्निकों को 20 लाख रूपए की राशि संस्वीकृत की गई हैं। शारीरिक रूप से विकलांगों को एकीकृत करने के लिए विद्यमान पॉलिटेक्निकों के उन्नयन की योजना तैयार की गई है जिसका उद्देश्य शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में शामिल करना है।

पॉलिटेक्निकों पर उपमिशन की योजना के तहत, 300 पॉलिटेक्निकों में से 250 जिलों में नए पॉलिटेक्निक स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। इसके अलावा अवसंरचना सुदृढ़ीकरण के लिए विद्यमान सरकारी/सरकारी सहायताप्राप्त पॉलिटेक्निकों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

15 अगस्त 2007 से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2007 के प्रवर्तन से, 20 एनआईटी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया गया है। अधिनियम के तहत आईआईएसईआर के कार्यान्वयन के लिए एनआईटी (संशोधन) विधेयक 2010 लोक सभा में 15 अप्रैल 2010 को प्रस्तुत किया गया। 8 नए आईआईटी को अपनी परिधि में लाने तथा आईटी बीएचयू के आईआईटी में परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी

संस्थान अधिनियम, 1961 में संशोधन लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है।

योजना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की परिकल्पना एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई है जिसका उद्देश्य कभी भी तथा कहीं भी उच्च शिक्षा संस्थाओं में सभी शिक्षुओं के लाभार्थ अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का उपयोग करना है। इस योजना के प्रमुख घटक हैं:

(क) संस्थाओं एवं शिक्षुओं को अक्सेस डिवाइसों के प्रावधान के साथ ब्रॉडबैंड की संयोजकता प्रदान करना;

(ख) ई–अंतर्वस्तु का सृजन

मिशन का उद्देश्य आखिरी मील तक संयोजकता प्रदान करने के अपने ध्येय के अंग के रूप में देश में 18000 से अधिक कॉलेजों को कंप्यूटर अवसंरचना एवं संयोजकता प्रदान करना है जिसमें लगभग 400 विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के प्रत्येक विभाग शामिल हैं।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा का ध्यान रखने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई) 11 नवम्बर 2004 को स्थापित किया गया जिसे अपनी पंसद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने तथा अन्य संबद्ध मामलों में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य सौंपा गया। यह आयोग अर्ध न्यायिक निकाय है तथा सिविल न्यायालय के अधिकार इसे प्रदान किए गए हैं। आयोग ने नवम्बर 2010 तक 3598 शैक्षिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक स्टेटस प्रमाणपत्र जारी किया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत के छात्रों एवं विद्वानों को विदेश छात्रवृत्ति प्रदान करने में सूत्रधार के रूप में काम करता है ताकि विदेश में पढ़ाई करने में उनको समर्थ बनाया जा सके तथा वे ऐसी तरक्की के अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें जो विदेशों में हो रही हैं। 2009–10 के दौरान सीईपी/ईईपी तथा राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 240 नामांकन के विरूद्ध कुल 89 भारतीय छात्रों/विद्वानों ने छात्रवृत्ति प्राप्त की। चालू वर्ष के दौरान 226 नामांकन के विरूद्ध विभिन्न सीईपी/ईईपी तथा राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2010 तक 75 भारतीय राष्ट्रिकों ने छात्रवृत्ति प्राप्त की है।

कॉपीराइट बोर्ड, जो अर्धन्यायिक निकाय है, का गठन सितम्बर 1958 में हुआ। कॉपीराइट बोर्ड का क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत है। बोर्ड को कॉपीराइट पंजीकरण, कॉपीराइट आबंटन, जनता से रोकी गई कृतियों, अप्रकाशित भारतीय कृतियों के संबंध में लाइसेंस देने, अनुवाद के उत्पादन एवं प्रकाशन तथा कतिपय विशिष्ट प्रयोजन की कृतियों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन का कार्य सौंपा गया है।

उच्च अध्ययन एवं पेशेवर पाठ्यक्रम करने के लिए कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, मंत्रालय ने कॉलेज एवं विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की एक केंद्रीय योजना शुरू की है। शैक्षिक वर्ष 2010–11 से, पात्रता की कसौटी संशोधित की गई तथा इसे 10 + 2 की कक्षा 12 या समकक्ष में विशिष्ट परीक्षा बोर्ड के लिए संगत धारा में 80 प्रतिशत किया गया है। नियमित छात्र के रूप में मान्यताप्राप्त संस्थाओं से उच्च शिक्षा या पेशेवर पाठ्यक्रम करने वाले ऐसे छात्र इस योजना के पात्र हैं जिनके माता–पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रूपए से कम हैं। हर वर्ष 82000 नई छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जिनमें से 50 प्रतिशत लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। आंतरिक आबंटन के अधीन सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार भी आरक्षण होगा। इस समय विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण इस प्रकार है: अजा – 15 प्रतिशत, अजजा – 7.5 प्रतिशत, अपिव – 27 प्रतिशत तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए सभी श्रेणियों में क्षैतिज रूप से – 3 प्रतिशत। आय की अधिकतम सीमा 4.5 लाख रूपए प्रतिवर्ष है। मंत्रालय ने भारत में मान्यताप्राप्त संस्थाओं से पेशेवर/तकनीकी धाराओं में अध्ययन पाठ्यक्रम करने के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की शैक्षिक ऋण योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित बैंक के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (जिनके माता–पिता की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 4.5 लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो) के छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण पर शोधन विलम्बकाल के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए भी एक केंद्रीय योजना शुरू की है।

प्रशासन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Human Resource Development, Government of India
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की 57वीं बैठक
57th Meeting of the
CENTRAL ADVISORY BOARD OF EDUCATION (CABE)
19 जून 2010, नई दिल्ली
19th June 2010, New Delhi

3

प्रशासनिक ढांचा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्री के समग्र प्रभार में है जिनकी सहायता राज्य मंत्री करते हैं। मंत्रालय में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग नामक दो विभाग हैं। प्रत्येक विभाग के मुखिया सचिव हैं। सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की सहायता के लिए विशेष सचिव, 2 अपर सचिव, 3 संयुक्त सचिव, आर्थिक सलाहकार तथा उप महानिदेशक (सांख्यिकी) हैं। सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सहायता के लिए 1 अपर सचिव, 4 संयुक्त सचिव तथा आर्थिक सलाहकार हैं। इसके अलावा दोनों विभागों के लिए काम करने वाले 1 अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार हैं। विभाग ब्यूरो, प्रभागों, शाखओं, डेस्को, अनुभागों एवं यूनिटों में विभाजित हैं। प्रत्येक ब्यूरो विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के अधीन है जिनकी सहायता के लिए निदेशक/उप सचिव/उप शिक्षा सलाहकार के स्तर पर विभागीय प्रमुख हैं।

दोनों विभागों सचिवालय के स्थापना संबंधी मामले उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासन प्रभाग द्वारा देखे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- दोनों विभागों के लिए केंद्रीय स्टाफिंग योजना/केंद्रीय सचिवालय सेवा के तहत नियुक्त अधिकारियों तथा संवर्गेतर पदों अर्थात सलाहकार संवर्ग, सांख्यिकी संवर्ग आदि के स्थापना संबंधी मामले।
- इस वर्ष के दौरान कुल 427 ई–सर्विस बुक का सृजन किया गया है।
- 360 सीएसएस अधिकारियों के संबंध में कार्यपालक रिकार्ड (ईआर) पत्रक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजे गए हैं।
- अगले पांच वर्षो में सेवानिवृत्त होने वाले इस विभाग के कर्मचारियों की सेवा पंजियों का सत्यापन वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ परामर्श करके शुरू किया गया है तथा पूरा होने के उन्नत चरण पर है।
- राष्ट्रीय ई–अभिशासन योजना तथा मिशन मोड परियोजनाओं के तत्वावधान में इस मंत्रालय ने ई–कार्यालय पर काम करना शुरू कर दिया हैं तथा पूर्णतः क्रियाशील फाइल ट्रैकिंग प्रणाली (एफटीएस) से भिन्न ई–टूर, भंडार/सूची प्रबंधन, प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की निगरानी तथा कर्मचारी भुगतान प्रणाली जैसे नए अनुप्रयोग के लिए पहल की गई हैं।

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ

स्थापना प्रभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रकोष्ठ दोनों विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह प्रबंधन, प्रशासन, सतर्कता, रोकड़ एवं लेखा, कार्मिक आदि के क्षेत्र में दोनों विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान फरीदाबाद जैसी संस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित करता है।

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ विदेशी घटक के घरेलू निधीयन की योजना, कोलम्बो योजना, द्विपक्षीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत विदेश में अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के प्रत्युत्तर में उपयुक्त एवं पात्र अधिकारों का नॉमिनेशन भी भेजता हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान 31 जनवरी 2011 तक अल्पावधिक प्रशिक्षण के लिए एक समूह 'क' स्तर के अधिकारी को विदेश भेजा गया है, 5 अधिकारियों ने मध्यावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम मे भाग लिया, एक समूह 'क' अधिकारी ने लोक प्रशासन में उन्नत पेशेवर कार्यक्रम प्रशिक्षण में भाग लिया तथा समूह 'क' 'ख' और 'ग' स्तर के कुल 24 अधिकारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया। वर्ष 2010–11 के दौरान पहली बार मंत्रालय के 13 अधिकारियों के लिए मंत्रालय विशिष्ट प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी 2011 में आईएसटीएम के माध्यम से संचालित किया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्री का विवेकाधीन अनुदान

मंत्रालय का प्रशासनिक प्रभाग शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान प्रदान करने के लिए एक निधि का प्रचालन करता हैं। इस निधि को मानव संसाधन विकास मंत्री की विवेकाधीन निधि कहा जाता है जिससे सामान्य/तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी/उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति तथा संस्था/संगठन को तथा पिछली परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक के साथ असाधारण रूप से ऐसे मेधावी बच्चों की शिक्षा के लिए 20000 रूपए का एकबारगी अनुदान दिया जाता है जिनके माता–पिता की आय प्रतिमाह 5000 रूपए से अधिक नहीं होती है या जिनके माता–पिता जिंदा नहीं है।

सतर्कता संबंधी गतिविधियां

मंत्रालय में सतर्कता ढांचा सचिव के समग्र पर्यवेक्षण में है, जिनकी संयुक्त सचिव के रैंक के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी, एक अंशकालिक अवर सचिव तथा अन्य सहायक स्टाफ द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ में विभिन्न स्रोतों से कुल 893 संदर्भ प्राप्त हुए जिनमें केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त संदर्भ शामिल हैं। 4 शिकायतें लोकहित प्रकटन संकल्प के तहत प्राप्त हुईं जो जांच के विभिन्न चरणों पर हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त 6 संदर्भों में तथ्यान्वेषी जांच के आदेश दिए गए हैं जो चल रही है। 4 मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो को मंत्रालय द्वारा अभियोजन की संस्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करके 4 शिकायतें बंद की गई। 2 अन्य शिकायतें, जिनमें प्रारंभिक जांच से प्रथम दृष्टया आपराधिक मंशा का पता चला, पूर्ण जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेजी गई हैं। अनेक शिकायतें अन्वेषण के उन्नत चरण पर हैं।

वर्ष के दौरान 4 मामलों में नियमित विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। पिछले वर्षों से अग्रनीत किए गए 11 पुराने अनुशासनिक मामलों में से 2 को निष्कर्ष पर पहुंचाया गया। 1 मामले में संचयी प्रभाव के बिना तथा उसकी पेंशन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए एक चरण की कटौती का दंड लगाया गया। 1 अन्य मामलें में 2 वर्ष की अवधि के लिए समय वेतनमान में 3 चरण की कटौती का दंड लगाया गया।

संदिग्ध निष्ठा वाले राजपत्रित अधिकारियों के नामों की सूची केंद्रीय जांच ब्यूरो से परामर्श करके तैयार की गई।

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न स्वायत्त संगठनों में रिक्तियों के विरूद्ध मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए।

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों में अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र के आधार पर रोजगार पाने वाले कर्मचारियों के प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में वृहद कवायद संपन्न की गई। ऐसे मामलों में एफआईआर लिखवाने समेत उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है जहां प्रमाणपत्र जाली पाए गए।

1 से 8 नवम्बर 2010 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। बैनर और पोस्टर लगाए गए तथा सभी सार्वजनिक डीलिंग में ईमानदारी बरतने के लिए दोनों विभागों के अधिकारियों के लिए शपथ–ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों ने भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

लोक शिकायत निदेशक, जो संयुक्त सचिव के रैंक अधिकारी हैं, के अधीन उच्च शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में विशिष्ट शिकायत निवारण तंत्र भी है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से 208 शिकायत याचिकाएं प्राप्त हुईं जिनमें प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, मंत्रीमंडल सचिवालय (लोक शिकायत निदेशालय), राष्ट्रपति सचिवालय तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग शामिल है। शिकायतों के समय पर निपटान के लिए सभी उपाय अपनाए गए।

हालांकि घोषित किया गया है शिकायतें सुनने के लिए शिकायत निदेशक आम जनता एवं स्टाफ के लिए हर बुधवार प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच उपलब्ध होते हैं, परंतु व्यवहार में सभी कार्यदिवसों को कार्य घंटों के दौरान किसी को मिलने से नहीं रोका जाता। ईमेल पता पर उनको भेजी गई शिकायतों का निदेशक खुद ही जबाव देते हैं जिसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा बहुत प्रचारित किया गया है। लोक शिकायतों के पूरी तरह निवारण के संबंध में सरकारी नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, उच्च शिक्षा

विभाग तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन स्वायत्त/अधीनस्थ संगठनों एवं पीएसयू ने शिकायत निदेशक के रूप में अधिकारी निर्दिष्ट किया गया है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की सिफारिश के अनुसार एनआईसी की सहायता से एक नई केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग प्रणाली शुरू की गई है।

मंत्रालय के कर्मचारियों की शिकायतें सुनने/स्वीकार करने तथा उनकी शिकायतों के समय पर निवारण के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर समिति गठित की गई है।

सूचना एवं सुविधा केंद्र (आईएफसी)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आने वाले गैर सरकारी संगठनों एवं आम जनता को सूचना तक शीघ्र एवं सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने के लिए जून 1997 में निकनेट आधारित सूचना एवं सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य प्रभावी, अनुक्रियाशील एवं नागरिक अनुकूल प्रशासन को बढ़ावा देना है। केंद्र मंत्रालय की योजनाओं के बारे में उच्च अध्ययनों के लिए भारत आने वाले विदेशी छात्रों तथा भारतीय छात्रों, आंगतुकों, गैर सरकारी संगठनों को सूचना प्रदान करता है। इंटरनेट की सुविधा से युक्त कंप्यूटर के माध्यम से डेटा/सूचना अक्सेस की जा सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट का पता हैं: http://www.education.nic.in.

आरटीआई अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया है। जब भी इस नियम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होते हैं तो सामान्यतया उसी दिन सूचना एवं सुविधा केंद्र द्वारा संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को अग्रेषित किए जाते हैं। प्रति आवेदन 10 रूपए का आवेदन शुल्क विभाग के खजांची के पास जमा कराया जाता है।

आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर तथा सूचना के आदान–प्रदान में सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों के रूप में अधिकारियों को निर्दिष्ट करने के कार्य की समीक्षा की है। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 5(2) के अंतर्गत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में अवर सचिव एवं अवर सचिव के रैंक के अधिकारी निर्दिष्ट किए गए हैं तथा विभागीय प्रमुखों को धारा 19(1) के तहत अपील प्राधिकारी निर्दिष्ट किया गया हैं। दोनों विभागों के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) तथा अपील प्राधिकारियों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) के प्रावधानों के अनुसार यह सूचना वार्षिक आधार पर अपडेट की जा रही है।

केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2009--10 के लिए उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में सूचना संकलित की गई तथा उनको ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया।

2010--11 के केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के लिए सूचना एकत्र करने की प्रणाली को सीआईसी ने संशोधित किया है। अब यह तिमाही आधार पर तथा ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होती है। इस मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठनों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है। प्रयोजन पूरा करने के लिए सभी संगठनों को पासवर्ड दिए गए हैं तथा सीआईसी की साइट पर सूचना स्वयं अपलोड करने के लिए उन्हें सूचित किया गया है। मंत्रालय में सभी सीपीआईओ से केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2010–11 के लिए डेटा एकत्र किया जा रहा है, संकलित किया जा रहा है तथा तिमाही आधार पर सीआईसी के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों/अपीलों को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	आवेदनों एवं अपीलों की संख्या
2006	359
2007	641
2008	1554
2009	2166
2010	3235

राज्य शिक्षा मंत्री सम्मेलन

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में 18 जून 2010 को राज्य शिक्षा मंत्री सम्मेलन आयोजित किया गया। माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्रीमती डी. पूरंदेश्वरी, श्री नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग तथा अधिकांश राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया। एचआरएम ने राष्ट्रीय शिक्षा वित्त निगम की स्थापना की प्रक्रिया के बारे में राज्यों के प्रतिनिधियों को बताया। एचआरएम ने अभी हाल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को सूचित किया तथा निम्नलिखित में साथ देने के लिए राज्यों की सराहना की:

1. उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता कम करना।
2. राष्ट्रीय आकलन एवं मूल्यांकन संस्थान स्थापित करना।
3. उस अंकभार को बहाल करना जो पेशेवर एवं अन्य पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं में कक्षा 12 में निष्पादन के लिए अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए।
4. व्यापक एवं सतत मूल्यांकन की प्रणाली को कक्षा 10 तक लागू करना।
5. एक राष्ट्रीय व्यावसायिक पाठ्यचर्या रूपरेखा।
6. मूल्यपरक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या रूपरेखा क्योंकि परीक्षाएं केवल उच्च शिक्षा के द्वार हैं जबकि मूल्य आजीवन चलते हैं तथा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब)

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में 19 जून 2010 को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 57वीं बैठक आयोजित की गई। केब के सदस्यों के अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी तथा केब के उपाध्यक्ष श्री प्रतीक प्रकाश बाबू पाटिल तथा युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया।

बैठक में विशेष रूप से प्रस्तावित उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक, शैक्षिक पुरस्कारों की डिमेटिंग, सर्वशिक्षा अभियान एवं शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के मानदंडों में सामंजस्य लाने, राष्ट्रीय व्यावसायिक अर्हता रूपरेखा तथा विज्ञान एवं गणित के लिए कोर पाठ्यचर्या पर बल दिया गया।

महान स्वतंत्रा सेनानी, प्रख्यात शिक्षाविद तथा राष्ट्र के पहले संघीय शिक्षा मंत्री स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म समारोह मनाने के लिए 11 नवम्बर 2010 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। विज्ञान भवन में आयोजित मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम हामिद अंसारी थे। श्री डेविडसन हेपबर्न, अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) महासम्मेलन तथा श्री डेविड विलेट्स, विश्वविद्यालय एवं विज्ञान राज्य मंत्री, बीआईएस विभाग, यूनाइटेड किंगडम मानद अतिथि थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय बाल भवन के छात्रों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयोजना एवं मॉनिटरिंग यूनिट

आयोजना एवं मॉनिटरिंग यूनिट वार्षिक योजनाओं एवं पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा में शामिल है तथा आबंटित योजनागत परिव्ययों के मुकाबले में योजनागत व्यय की मॉनिटरिंग के लिए तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वास्तविक व्यय के विश्लेषण के लिए योजना आयोग के लिए संपर्क यूनिट के रूप में काम करती है। यह यूनिट ''शिक्षा पर बजटीय व्यय का विश्लेषण'' नामक वार्षिक प्रकाशन भी निकालती है जिसमें शिक्षा पर सरकारी व्यय की रूझानों का विश्लेषण होता है। इस प्रलेख के लिए डेटा राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न बजट प्रलेखों से एकत्र किया जाता है तथा शिक्षा विभाग, तथा अन्य विभागों द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे के साथ प्रकाशित करने के लिए विश्लेषित किया जाता है और योजनागत, योजनेतर, राजस्व एवं पूंजी व्यय के रूप में पृथक किया जाता है। यह यूनिट शिक्षा क्षेत्र की वार्षिक वित्तीय सांख्यिकी भी निकालती है जिसमें शिक्षा क्षेत्र के लिए योजनावार डेटा (केंद्रीय एवं राज्य) होता है।

प्रारंभिक शिक्षा

4

प्रारंभिक शिक्षा

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 तथा संविधान (86वां) संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से भारत के संविधान में अंतःस्थापित अनुच्छेद 21–क 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा: "शिक्षा का अधिकार अधिनियम देशभर के अनेक बच्चों के सपनों को साकार करेगा... यह हमारे बच्चों एवं भारत के भविष्य के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के प्रदर्शित करता है। हम युवाओं का राष्ट्र हैं। शिक्षा हमारे राष्ट्र के कल्याण का निर्धारण करेगी। शिक्षा सफलता की कुंजी है। यह व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाती हैं। यदि हम शिक्षा के अधिकार के माध्यम से अपने बच्चों का पोषण करते हैं, तो भारत का भविष्य सुरक्षित होता है।" आरटीई अधिनियम प्रत्येक बच्चे को कतिपय आवश्यक मानदंडों एवं मानकों को पूरा करने वाले औपचारिक विद्यालय में संतोषप्रद एवं साम्यपूर्ण गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

आरटीई अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

आरटीई अधिनियम, 2009 में निम्नलिखित के लिए प्रावधान है:

(i) आसपास के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।

(ii) यह स्पष्ट करता है कि 'प्रारंभिक शिक्षा का अभिप्राय 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने तथा अनिवार्य दाखिला, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सरकार के दायित्व से है। "निःशुल्क" का अभिप्राय यह है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का शुल्क या प्रभार या व्यय अदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो उसे प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई करने एवं पूरा करने से रोक सकता है।

(iii) यह गैर दाखिल बच्चे की आयु के अनुसार कक्षा में दाखिला के लिए प्रावधान करता है।

(iv) यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने, तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सराकरों के बीच वित्तीय एवं अन्य जिम्मेदारियों की हिस्सेदारी में उपयुक्त सरकारों, स्थानीय प्राधिकरण एवं अभिभावकों के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करता है।

(v) यह अन्य बातों के साथ शिक्षक छात्र अनुपात (पीटीआर), भवन एवं अवसंरचना, स्कूल के कार्य घंटों, शिक्षकों के कार्य घंटों से संबंधित मानक एवं मानदंड विहित करता है।

(vi) यह सुनिश्चित करता है कि निर्दिष्ट शिक्षक छात्र अनुपात प्रत्येक स्कूल के लिए अनुरक्षित किया जाए, न कि केवल राज्य या जिला या ब्लाक स्तर के पदों में कोई शहरी–ग्रामीण असंतुलन नहीं है, यह शिक्षकों की तर्कसंगत तैनाती का प्रावधान करता है। यह 10 वार्षिक जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानमंडलों एवं संसद के चुनावों तथा आपदा राहत को छोड़कर गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का भी निषेध करता है।

(vii) यह उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों अर्थात अपेक्षित प्रवेश एवं शैक्षिक अर्हता वाले शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है।

(viii) यह (i) शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न, (ii) बच्चों के दाखिले के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, (iii) कैपिटेशन फीस, (iv) शिक्षकों द्वारा निजी शिक्षण, (v) मान्यता के बिना स्कूलों के संचालन का निषेध करता है।

(ix) यह संविधान में अधिष्ठापित मूल्यों तथा ऐसे मूल्यों के अनुरूप पाठ्यचर्या के विकास का प्रावधान करता है जो बच्चे के ज्ञान, क्षमता एवं प्रतिभा का निर्माण करते हुए तथा बाल अनुकूलन एवं बाल केंद्रित अध्ययन के माध्यम से डर, ट्रोमा एवं चिंता से मुक्त करते हुए बच्चों के चहुंमुखी विकास का सुनिश्चय करेंगे।

(x) यह बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य आयोगों, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार होंगे, के माध्यम से बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा एवं निगरानी तथा शिकायतों के निवारण का प्रावधान करता है।

आरटीई का रोडमैप

आरटीई का रोडमैप अधिनियम में अधिदेशित समय सीमा से लिया गया है (सारणी 4.1)

सारणी 4.1

गतिविधि	समय सीमा
पड़ोस में स्कूल की स्थापना	3 वर्ष (31 मार्च 2013 तक)
स्कूल अवसंरचना का प्रावधान	3 वर्ष (31 मार्च 2013 तक)
• सभी मौसम के अनुकूल स्कूल भवन	
• एक–शिक्षण कक्ष–एक–शिक्षक	
• पुस्तकालय	
• मुख्याध्यापक–सह–कार्यालय कक्ष	
• शौचालय, पेयजल	
• बाधामुक्त पहुंच	
• खेल का मैदान, फेंसिंग, चारदीवारी	
निर्धारित पीटीआर के अनुसार शिक्षकों का प्रावधान	3 वर्ष (31 मार्च 2013 तक)
अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण	5 वर्ष (31 मार्च 2015 तक)
गुणवत्ता कार्यक्रम तथा अन्य प्रावधान	तत्काल प्रभाव से

आरटीई एवं एसएसए के परिणामी संशोधन के कार्यान्वयन के लिए समिति

सितंबर 2009 में, सरकार ने आरटीई अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में एसएसए पर अनुवर्ती कार्रवाई का सुझाव देने के लिए पूर्व शिक्षा सचिव श्री अनिल बोर्डिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने राज्य शिक्षा सचिवों, शिक्षाविदों, शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों, स्वैच्छिक संगठनों तथा नागरिक समाज के संगठनों से कई दौरों की वार्ता की।

समिति ने "आरटीई का कार्यानन्वयन तथा एसएसए में परिणामी संशोधन" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2010 में प्रस्तुत की, जो निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित थी:

(i) पाठ्यचर्या, शिक्षक शिक्षा, शैक्षिक आयोजना एवं प्रबंधन के लिए पर्याप्त निहितार्थों के साथ शिक्षा की संपूर्ण अंतर्वस्तु एवं प्रक्रिया में सुव्यवस्थित सुधार के लिए निहितार्थों के साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की व्याख्या के अनुसार शिक्षा का समग्र दृष्टिकोण।

(ii) समता का अभिप्राय केवल समान अवसर से ही नहीं है, अपितु ऐसी स्थितियों के सृजन से भी है जिसमें समाज के लाभवंचित वर्ग – अजा, अजजा, मुस्लिम अल्पसंख्यक, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के बच्चे तथा विशेष जरूरत वाले बच्चे अवसर का लाभ ले सकें।

(iii) पहुंच का अर्थ केवल यह सुनिश्चित करना नहीं है कि स्कूल सभी बच्चों के लिए निर्दिष्ट दूरी के अंदर सुगम्य हो जाएं अपितु इसमें परंपरागत रूप से बहिष्कृत श्रेणियों – अजा, अजजा तथा सर्वाधिक लाभवंचित समूहों के अन्य वर्गों, मुस्लिम समुदाय, सामान्यतया लड़कियों तथा विशेष जरूरत वाले बच्चों की शैक्षिक जरूरतों एवं दुर्दशा को समझना भी शामिल है।

(iv) लैंगिक सरोकार का अभिप्राय केवल लड़कियों को लड़कों के साथ तालमेल स्थापित करने में समर्थ बनाने के लिए प्रयास से ही नहीं है अपितु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/92 में उल्लिखित परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को देखने अर्थात महिलाओं के स्तर में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए निर्णायक हस्तक्षेप करने से है।

(v) शिक्षक की केंद्रीय भूमिका, शिक्षण कक्ष में तथा शिक्षण कक्ष के बाहर एक संस्कृति पैदा करने के लिए उनको प्रेरित करना जिससे बच्चों के लिए, विशेष रूप से दलित एवं सीमांत पृष्ठभूमि वाली लड़कियों के लिए समावेशी माहौल सृजित हो सकता है।

(vi) आरटीई अधिनियम के माध्यम से अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षा प्रशासकों तथा अन्य पणधारियों पर एक नैतिक दायित्व सौंपा जाता है, न कि दंडात्मक प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है।

(vii) आरटीई कानून के कार्यान्वयन के लिए अभिसरण एवं शैक्षिक प्रबंधन की एकीकृत प्रणाली पूर्वापेक्षा है। सभी राज्यों को इस दिशा में अधिक से अधिक रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए।

एसएसए के मानदंडों में संशोधन

समिति की सिफारिश के आधार पर एसएसए के कार्यान्वयन की रूपरेखा संशोधन के अधीन है तथा आरटीई अधिनियम 2009 की अपेक्षाओं के साथ उनको संरेखित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को संशोधित किया गया है:

(i) नए विद्यालय: एसएसए राज्य सरकारों द्वारा अपनी आरटीई नियमावली द्वारा निर्धारित पड़ोस में विद्यालय संबंधी मानदंडों के अनुसार नए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए सहायता देगा; शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) के तहत केंद्रों के माध्यम से प्रदान की गई वैकल्पिक शिक्षा की सभी सुविधाओं को दो वर्ष की अवधि के अंदर नियमित औपचारिक स्कूलों में स्तरोन्नत किया जाएगा।

(ii) शिक्षक: शिक्षकों की उपलब्धता तथा शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा। आरटीई अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा के लिए शिक्षकों एवं अंशकालिक अनुदेशकों की संस्वीकृति।

(iii) अतिरिक्त शिक्षण कक्ष: अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का प्रावधान ताकि हर शिक्षक से केवल एक शिक्षण कक्ष जुड़ा हो; इसके अलावा मुख्याध्यापक–सह–कार्यालय के लिए कमरे का प्रावधान।

(iv) स्कूल बाह्य बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण: आरटीई अधिनियम की धारा 4 के अधिदेश के अनुसार आयु के अनुरूप उपयुक्त कक्षा में स्कूल बाह्य बच्चों एवं पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान। एसएसए के वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा (एआईई) कार्यक्रम के तहत चल रहे केंद्रों की संकल्पना में संशोधन किया जा रहा है ताकि बच्चों की आवश्यकता के आधार पर 3 माह से 2 वर्ष की लोचपूर्ण अवधि में आवासीय या गैर–आवासीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

(v) 8 वर्षीय ईई चक्र: 5 वर्ष की प्राथमिक + 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा से युक्त 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा की दिशा में राज्य सरकारों को आगे बढ़ने में सुविधा प्रदान करने के लिए, अध्ययन–अध्यापन उपकरण (टीएलई) प्रदान करने के लिए एसएसए के मानदंडों को संशोधित किया गया है ताकि राज्यों को कक्षा 5 एवं कक्षा 8 का क्रमशः प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के साथ विलय करने और इस प्रकार 8 वर्ष के प्रारंभिक शिक्षा चक्र की दिशा में आगे बढ़ने में समर्थ बनाया जा सके।

(vi) पोशाक: आरटीई अधिनियम सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिदेश देता है। पोशाक एक ऐसा व्यय है जिसे गरीब परिवार अक्सर वहन नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार यह प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने के लिए कई छात्रों के लिए बाधा बन जाती है। एसएसए सभी लड़कियों, अजा, अजजा तथा बीपीएल बच्चों को ऐसी जगह पोशाक के दो सेट उपलब्ध कराएगा जहां (1) राज्य सरकारों ने अपने–अपने राज्य में आरटीई नियमावली में बच्चों की पात्रता के रूप में स्कूल पोशाक के प्रावधान को शामिल किया है और (2) राज्य सरकारें राज्य बजट से पोशाक प्रदान नहीं कर रही हैं। तथापि, पोशाक की खरीद ग्राम पंचायत या एसएमसी स्तर पर विकेंद्रीकृत होगी।

(vii) परिवहन: छिटपुट आबादी वाली दूरस्थ बस्तियों या ऐसे शहरों में जहां जमीन की उपलब्धता एक समस्या है वहां बच्चों के लिए पड़ोस के स्कूल में पहुंचना कठिन हो सकता है। ऐसे बच्चों को परिवहन के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है। इस सुविधा के लिए निधियों की आवश्यकता राष्ट्रीय घटक के तहत रखी जाएगी जिसे राज्य से जिला विशिष्ट प्रस्तावों की प्राप्ति/मूल्यांकन पर यह सत्यापित करते हुए प्रयुक्त किया जाएगा कि छिटपुट आबादी वाले, पहाड़ी/घने जंगल/मरूस्थलीय भूभागों में बच्चों के लिए परिवहन की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है तथा शहरी क्षेत्रों में भूमि की अनुपलब्धता के कारण राज्य के 'पड़ोस' मानदंड के अनुसार स्कूल स्थापित करना अव्यवहार्य है।

(viii) आवासीय सुविधाएं: देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां स्कूल स्थापित करना व्यवहार्य नहीं हो सकता। इनमें छिटपुट आबादी वाले क्षेत्र या पहाड़ी एवं घने जंगली क्षेत्र शामिल है जहां भौगोलिक भूभाग दुष्कर है। घनी आबादी वाले ऐसे शहरी क्षेत्र भी हैं जहां स्कूल स्थापित करने के लिए जमीन प्राप्त करना कठिन है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में अनेक शहरी वंचित बच्चे हैं: कठिन परिस्थितियों में घर विहीन एवं सड़कीय बच्चे जिनको कोई प्रौढ़ संरक्षण प्राप्त नहीं है जिनको न केवल दिवा विद्यालय सुविधाओं की जरूरत है अपितु रहने और खाने की सुविधाओं की भी जरूरत है। एसएसए के तहत इन बच्चों को आवासीय सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। तथापि, पूरे देश में ऐसे विद्यालयों के पता लगाने में आंतरिक कठिनाई हो सकती है; इसलिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना छिटपुट आबादी वाले, पहाड़ी/जंगली भूभागों तथा शहरी वंचित बच्चों एवं प्रौढ़ संरक्षण रहित बच्चों के लिए एक आपवादिक उपाय के रूप में सीमित होनी चाहिए।

(ix) ब्लाक एवं क्लस्टर स्तर पर शैक्षिक सहायता में वृद्धि ताकि सुनिश्चित हो कि राज्य आरटीई अधिनियम की धारा 29 के तहत अधिदेशित पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन कर सकें और शिक्षकों को स्थल पर विषय सहायता पर्याप्त एवं समुचित रूप से प्रदान कर सकें।

(x) **केजीबीवी:** शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में केजीबीवी की संस्वीकृति– शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में संस्वीकृत करने के लिए 1073 अतिरिक्त केजीबीवी अनुमोदित किए गए हैं।

इसके अलावा एसएसए के कार्यान्वयन में 10 वर्ष के अनुभव के आधार पर एसएसए के मानदंडों में निम्नलिखित संशोधन शामिल किए गए हैं:

(i) विद्यालय पुस्तकालय के लिए प्रावधान शामिल करने हेतु अवसंरचनाः 3000 रूपए की दर से प्राथमिक विद्यालयों के लिए तथा 10000 रूपए की दर की उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए एकबारगी पुस्तक अनुदान।

(ii) विशिष्ट वर्ष में बड़े मरम्मत के लिए विद्यमान विद्यालयों के अधिकतम 5 प्रतिशत तक प्रति विद्यालय पर सीलिंग का प्रस्ताव हटा दिया गया हैं क्योंकि इससे मरम्मत के लिए मांग में रूकावट आती है।

(iii) गैर क्रियाशील विद्यालय उपकरण के प्रतिस्थापन तथा अन्य आवर्ती लागत के लिए विद्यमान प्रावधान के अलावा खेल सामग्री, गेम्स, स्पोर्ट्स उपकरण शामिल करने के लिए स्कूल अनुदान के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया।

(iv) संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों, बीआरसी एवं सीआरसी समन्वयकों का प्रशिक्षण शामिल करने के लिए 10 दिन तक प्रतिवर्ष 200 रूपए प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण के मानदंडों को संशोधित किया गया।

(v) ब्लाक एवं क्लस्टर स्तर पर शैक्षिक पर्यवेक्षण संरचना के लिए अनुरक्षण, आकस्मिक व्यय एवं टीएलएम अनुदान के मद में यूनिट लागत बढ़ाई गई।

(vi) एसएमसी/स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों की क्षमता के निर्माण के लिए यूनिट लागत, व्यक्तियों की संख्या तथा प्रशिक्षण के दिनों की संख्या बढ़ाई गई।

(vii) विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए वित्तीय प्रावधान प्रति बच्चा 1200 रूपए से बढ़ाकर 3000 रूपए प्रतिवर्ष प्रति बच्चा किया गया, परन्तु संसाधन शिक्षकों को शामिल करने के लिए कम से कम 1000 रूपए प्रति बच्चा प्रयुक्त किया जाएगा।

(viii) घटकवार सीलिंग हटाकर प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) के कार्यान्वयन में लोच।

(ix) आरटीई अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकारों के निगरानी के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की गतिविधियों की सहायता के लिए सावधान किया गया।

(x) अनुसंधान, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग तथा पर्यवेक्षण (आरईएमएस) के लिए यूनिट लागत में वृद्धि की गई।

संयुक्त आरटीई/एसएसए कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय परिव्यय

केंद्र सरकार ने 2010–11 से 2014–15 की पांच वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त आरटीई–एसएसए कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 231233 करोड़ रूपए के परिव्यय को भी अनुमोदित किया है। संयुक्त एसएसए–आरटीई कार्यक्रम के लिए निधियों की वार्षिक आवश्यकता केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों दोनों के लिए लगभग 40000 से 49000 करोड़ रूपए की बीच होगी। इसमें से 183641 करोड़ रूपए (79 प्रतिशत) आवर्ती तथा 47592 करोड़ रूपए (21 प्रतिशत) अनावर्ती है। (सारणी 4.2)।

आरटीई के तहत अनुमोदित कुल आवश्यकता (सारणी 4.2)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योग	आवर्ती	अनावर्ती	आवती का प्रतिशत	अनावर्ती का प्रतिशत
2010–11	40503	29247	11256	72	28
2011–12	43904	33303	10601	76	24
2012–13	48151	37948	10203	79	21
2013–14	48743	40798	7945	84	16
2014–15	49931	42345	7586	85	15
योग	231233	183641	47592	79	21

231233 करोड़ रूपए के परिव्यय में अगले 5 वर्षों के दौरान 13वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को संस्तुत 24068 करोड़ रूपए का सहायता अनुदान शामिल है। शेष 207165 करोड़ रूपए की आवश्यकता को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच 65:35 के अनुपात में बांटा जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के मामले में 90:10 का विद्यमान हिस्सेदारी पैटर्न जारी रहेगा। इस प्रकार 2010--11 से 2014-- 2015 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल केंद्रीय हिस्सा 137107 करोड़ रूपए (एनईआर : 8820 करोड़ रूपए) तथा राज्य हिस्सा 70058 करोड़ रूपए (एनईआर : 980 करोड़ रूपए) होगा।

केंद्र और राज्यों के बीच निधियों की हिस्सेदारी के पैटर्न में संशोधन

केंद्र एवं राज्यों के बीच 11वीं योजना के लिए अनुमोदित निधियों के हिस्सेदारी का पैटर्न स्लाइडिंग स्केल पर था अर्थात 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के लिए 65:35, तीसरे वर्ष में 60:40, चौथे वर्ष में 55:45 तथा इसके बाद 50:50 (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10) था। निधियों की हिस्सेदारी के इस पैटर्न को 2010--11 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 2010--11 से 65:35 के नए निधियन पैटर्न से प्रतिस्थापित किया गया है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10)। एसएसए ने वर्ष 2010--11 के दौरान निधियन के संशोधित पैटर्न के अनुसार राज्यों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराया।

आरटीई के अधिनियम के बाद के घटनाक्रम

मॉडल आरटीई नियमावली की तैयारीः मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आरटीई अधिनियम के तहत माडल नियमावली तैयार करने के लिए एक समिति गठित की थी। 30 जनवरी 2010 को आयोजित राज्य शिक्षा सचिवों की बैठक में राज्यों के साथ मॉडल नियमावली साझा की गई जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट www.education.nic.in पर डाला गया। मॉडल नियमावली राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित भी की गई कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे अपनाएं/अनुकूलित करें। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व नियमावली तैयार करने/अपनाने/अनुकूलित करने का काम पूरा करने एवं अधिसूचित करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाह से भी अवगत कराया गया।

केंद्रीय नियमावली का निर्माणः "बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010" शीर्षक से केंद्रीय नियमावली 9 अप्रैल 2010 को राजपत्र में अधिसूचित की गई। इनको भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट www.education.nic.in पर डाला गया।

आरटीई अधिनियम की धारा 23 के तहत अधिसूचनाः अधिनियम की धारा 23(1) निम्नवत कहती हैः "अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा किसी अधिकृत शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा।" परिणामतः, केंद्र सरकार ने 5 अप्रैल 2010 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों पात्रता के लिए न्यूनतम आर्हता निर्धारित करने के लिए शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को अधिकृत किया गया है।

आरटीई अधिनियम की धारा 7 एवं 29 के तहत अधिसूचनाः धारा 7(6) कहती है कि "केंद्र सरकार धारा 29 के तहत निर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकरण की सहायता से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित करेगी।" इसके अलावा अधिनियम की धारा 29 (1) कहती है कि "प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन प्रक्रिया अधिसूचना द्वारा उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा विहित की जाएगी।" केंद्र सरकार ने विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन प्रक्रिया विहित करने एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित करने के लिए 7(6) (क) के तहत शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के लिए 5 अप्रैल 2010 को अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि एनसीएफ 2005 तब तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा होगी जब तक केंद्र सरकार नई रूपरेखा विकसित करने का निर्णय नहीं ले लेती हैं।

आरटीई अधिनियम के तहत एनसीटीई द्वारा शिक्षक अर्हता की अधिसूचनाः एनसीटीई ने आरटीई अधिनियम के तहत निम्नलिखित शिक्षक अर्हताओं को अधिसूचित किया है

(i) कक्षा 1–5

(क) वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (नाम चाहे जो भी), या

वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) 45 प्रतिशत अंक के साथ तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (नाम चाहे जो भी), एनसीटीई (मान्यता मानदंड एवं कार्यविधि) विनियमन 2002 के अनुसरण में, या

वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बीईएल एड), या

वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ तथा प्रारंभिक (विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय डिप्लोमा, और

(ख) इस प्रयोजनार्थ एनसीटीई द्वारा निर्मित दिशनिर्देशों के अनुसरण उपयुक्त सरकार द्वारा संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (एलईटी) में उत्तीर्ण।

(ii) कक्षा 6–8

(क) बीए/बीएससी तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (नाम चाहे जो भी), या बीए/बीएससी कम से कम 50 प्रतिशत अंक साथ तथा 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक (बीएड), या

बीए/बीएससी कम से कम 45 प्रतिशत अंक साथ तथा इस संबंध में समय–समय पर एनसीटीई (मान्यता मानदंड एवं कार्यविधि) विनियमन के अनुसरण में 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक (बीएड), या

वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बीइएल एड), या

वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ तथा 4 वर्षीय बीए/बीएससी या बीए एड/बीएससी एड, या

बीए/बीएससी कम से कम 50 प्रतिशत अंक साथ तथा 1 वर्षीय बीएड (विशेष शिक्षा), और

(ख) इस प्रयोजनार्थ एनसीटीई द्वारा निर्मित दिशनिर्देशों के अनुसरण उपयुक्त सरकार द्वारा संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (एलईटी) में उत्तीर्ण।

2. शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमः शिक्षक शिक्षा में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा मान्यताप्राप्त डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर विचार किया जाएगा। तथापि शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिप्लोमा तथा बीएड (विशेष शिक्षा) के मामले में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम पर विचार किया जाएगा।

3. प्रशिक्षणः कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा बीएड की अर्हता वाले बीए/बीएससी पास व्यक्ति 1 जनवरी 2012 से कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त छमाही व विशेष कार्यक्रम करते हैं। डीएड (विशेष शिक्षा) या बीएड (विशेष शिक्षा) वाले व्यक्ति नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त छमाही व विशेष कार्यक्रम करेंगे।

4. इस अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त व्यक्तिः इस अधिसूचना की तारीख से पहले कक्षा 1 से 8 के लिए नियुक्त शिक्षकों की निम्नलिखित श्रेणियों को ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं की जरूरत नहीं होगीः

(क) 3 सितंबर 2001 को या इसके बाद अर्थात उस तारीख को नियुक्त शिक्षक जब एनसीटीई (स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) प्रभावी हुआ।

(ख) परंतु बीएड अर्हता या बीएड (विशेष शिक्षा) या डीएड (विशेष शिक्षा) अर्हता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा पर एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त छमाही विशेष कार्यक्रम करेंगे।

(ग) बीएड अर्हता वाला कक्षा 1 से 5 तक ऐसा शिक्षक जिसने एनसीटीई द्वारा अनुमोदित छमाही विशेष बुनियादी शिक्षक पाठ्यक्रम (विशेष बीटीसी) पूरा किया है।

(घ) प्रचलित भर्ती नियमावली के अनुसरण में 3 सितंबर 2001 से पूर्व नियुक्त शिक्षक।

5. कतिपय मामलों में इस अधिसूचना की तारीख के बाद नियुक्त शिक्षकः जहां किसी उपयुक्त सरकार, या स्थानीय प्राधिकरण या स्कूल ने इस अधिसूचना की तारीख से पहले शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन जारी किया है, ऐसी नियुक्तियां एनसीटीई (स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार की जाएं।

एसएसए के तहत प्रगति का सिंहावलोकन

गतिविधि	उपलब्धि
पहुंच	99 प्रतिशत ग्रामीण आबादियों में 1 कि.मी. के अंदर प्राथमिक स्कूल हैं। सितंबर 2010 तक 366559 नए स्कूल खोले गए।
सकल नामांकन अनुपात	सकल नामांकन अनुपात प्राथमिक स्तर पर 6–14 आयु वर्ग में 2001–02 के 96.3 से बढ़कर 2008–09 में 114.37 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 2001–02 के 60.2 से बढ़कर 2008–09 में 76.23 हो गया।
लैंगिक समता सूचकांक (जीपीआई)	प्राथमिक स्तर पर 2001–02 के 0.83 से बढ़कर 2008–09 में 1.00 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 2001–02 के 0.77 से बढ़कर 2008–09 में 0.96 हो गया।
प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच छोड़ने की दर	2001–02 के 39.03 प्रतिशत से घटकर 2008–09 में 24.93 प्रतिशत हो गई अर्थात 14.10 प्रतिशत घटोतरी हुई। लड़कियों के मामले में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर इस अवधि के दौरान 16.98 प्रतिशत घटी।
शिक्षक छात्र अनुपात	2008–09 में राष्ट्रीय स्तर पर पीटीआर 44:1 प्राथमिक स्तर पर तथा 34:1 उच्च प्राथमिक स्तर पर था। दिसंबर 2010 तक 11.13 लाख शिक्षक भर्ती किए गए।
विशेष जरूरत वाले बच्चों का नामांकन	सितंबर 2010 तक 29.72 लाख बच्चे अभिचिन्हित किए गए तथा इनमें 24.59 लाख बच्चे (82.74 प्रतिशत) स्कूलों में नामांकित किए गए। विशेष जरूरत वाले 71453 बच्चों को ईजीएस/एआईई केंद्रों के माध्यम से शामिल किया जा रहा है तथा 1.64 लाख बच्चों को गृह आधारित शिक्षा दी जा रही है।

पहुंच में वृद्धिः एसएसए बड़े पैमाने पर प्रारंभिक स्कूल अवसंरचना सृजित करने के लिए सहायता देता है। अस्तित्व में आने के समय से लेकर अब तक पूरे देश में एसएसए के तहत निर्माण के लिए 281943 स्कूल भवन तथा 1277072 अतिरिक्त शिक्षण कक्ष संस्वीकृत किए गए हैं। स्कूल भवनों के निर्माण में प्रगति का ब्यौरा नीचे सारणी 4.3 में दिया गया है।

तथापि, स्कूल अवसंरचना का प्रावधान अकेली गतिविधि नहीं है। स्कूलों में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं अवधारण पर स्कूल अवसंरचना की डिजाइन एवं गुणवत्ता का काफी असर होता है। इस प्रकार एसएसए के तहत सिविल कार्य एसएसए के पहुंच, क्षमता एवं गुणवत्ता संबंधी विस्तृत उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए। आरटीई अधिनियम में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत निर्धारित समयसीमा के अंदर सभी प्रारंभिक स्कूलों में कतिपय न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

एसएसए सिविल कार्य के निष्पादन में राज्यों को लोच प्रदान करता हैं। न तो डिजाइनें और न ही यूनिट लागत केंद्रीय रूप से निर्धारित होती हैं। राज्य अपनी सरकारों द्वारा अधिसूचित दर अनुसूची के अनुसार लागत अनुमान विकसित करने एवं भवन की डिजाइन तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं। एसएसए ने निम्नलिखित के लिए अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया है:

- आयोजना एवं निर्माण के प्रति संपूर्ण स्कूल विकास दृष्टिकोण अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना, ताकि शिक्षण कक्षों के समुचित स्थान, पेयजल एवं सेनिटेशन की सुविधाओं तथा स्कूल परिसर के अंदर खेल के मैदानों का सुनिश्चय हो और साथ ही नामांकन में वृद्धि से उत्पन्न भावी विस्तार की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाए।

सारणी 4.3

वर्ष	पूरे किए गए कार्य	किए जा रहे कार्य	कुल
स्कूल भवन	2,22,032	32,903	2,54,935
अतिरिक्त शिक्षण कक्ष	9,66,390	2,00,478	11,66,868
पेयजल सुविधाएं	1,87,789	3172	1,90,961
शौचालय	2,91,172	56,685	3,47,857

- स्कूल भवनों में बाल अनुकूल अवयवों को शामिल करना अर्थात बच्चों के परिप्रेक्ष्य से इंडोर एवं आउटडोर स्थानों की डिजाइन। इसमें पर्याप्त अध्ययन घटकों का प्रावधान शामिल हो सकता है, जैसे चाक बोर्ड, भंडारण शेल्फ का प्रदर्शन जो सभी बच्चों के लिए सुगम्य होते हैं, विभिन्न आयु वर्गों/कद के बच्चों के लिए सुविधाओं की डिजाइन जैसे पेयजल एवं पेशाबघर।
- अनेक भिन्न तरीकों से अध्ययन में सुविधा प्रदान करने के लिए शैक्षिक संसाधनों के अनुरूप इंडोर एवं आउटडोर स्थानों की डिजाइन जैसे फर्श, दीवार, सीढ़ी, खिड़की, दरवाजे, सीलिंग आदि। उदाहरण के लिए कोण की संकल्पना को समझाने के लिए फर्श पर किसी शटर पर कई तरह के कोण बनाए जा सकते हैं, या फ्लैग पोल की छाया समय की माप को समझाने के लिए काम आ सकती है या सीलिंग फैन को बच्चों के मनोरंजन के लिए कलर व्हील से रंगा जा सकता है आदि।
- भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के आधार पर स्कूल डिजाइन में उपयुक्त 'सुरक्षा विशेषताएं' शामिल करना ताकि सुनिश्चित हो कि बच्चे सुरक्षित एवं निरापद माहौल में शिक्षा प्राप्त करें।
- स्कूल में पेयजल, सेनिटेशन, मध्याह्न भोजन के लिए किचन, खेल का मैदान, चारदीवारी, ग्रीन फेंसिंग समेत सभी आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान।
- दरवाजों, खिड़कियों, वेंटिलेटर, स्काईलाइट आदि का उपयुक्त ढंग से स्थान निर्धारित करके तथा ऊष्मा की अधिकता या न्यूनता नियंत्रित करने के लिए शेडिंग की रणनीतियों का प्रयोग करके स्कूल भवनों को ऊर्जा दक्ष बनाना

एसएसए स्वामित्व की भावना जगाने के लिए सिविल कार्य की सभी गतिविधियों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी प्रोत्साहित करता है। ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण की तुलना में स्कूलों का समुदायों द्वारा निर्माण गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर साबित हुआ है। समुदाय से स्थल, डिजाइन का चयन तथा स्कूली सुविधाओं के अनुरक्षण में भी सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा है। पूरे देश में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां समुदाय ने अपने गांव के स्कूल में सुधार के लिए धन/श्रम की दृष्टि से भरपूर योगदान दिया है।

एसएसए ने सिविल कार्य का राष्ट्रीय तृतीय पक्ष मूल्यांकन संचालित किया है। निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गहन पर्यवेक्षण एवं निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। समुदाय द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा इस पर्यवेक्षण प्रणाली का आधार है। विस्तृत निर्माण मैनुअल विकसित किए गए हैं तथा सभी राज्यों में शिक्षकों एवं सामुदायिक सदस्यों को वितरित किए गए हैं जिसमें निर्माण की मूलभूत बातों तथा ऐसी जांचों एवं संतुलनों का उल्लेख है जिन्हें अपनाने की जरूरत होती है। इसमें आपदा संभावित क्षेत्रों में उठाए जाने वाले निवारक कदम शामिल है।

इंजीनियरों का एक दल समुदाय की सहायता करता है जो तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। इंजीनियरों एवं बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा स्थल पर जांच से प्रणाली की पारदर्शिता एवं दृढ़ता संभव होती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की विभिन्न संस्थाओं एवं विशेषज्ञों/वास्तुशिल्पियों के माध्यम से प्रदान की गई डिजाइन के लिए निविष्टियां, निष्पादन एवं मूल्यांकन गुणवत्ता के सुदृढ़ीकरण में सहायता करता है।

शिक्षा में लैंगिक एवं सामाजिक श्रेणी से संबंधित अंतरालों को पाटना

एसएसए में यूईई की आयोजना एवं प्रावधान में लड़कियों के लिए शिक्षा पर स्पष्ट एवं विशेष बल दिया जाता है। एसएसए राज्यों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि देश की सभी बस्तियों की पर्याप्त अवसंरचना एवं शिक्षकों वाले प्रारम्भिक स्कूलों तक पहुंच हो। एसएसए के हस्तक्षेप सभी लड़कियों पर लागू होते हैं; इनमें बस्ती से 1 कि.मी. के अंदर प्राथमिक विद्यालयों तथा 3 कि.मी. के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता, पाठ्यपुस्तकों आदि की उपलब्धता शामिल है। तथापि, लड़कियों के लिए कुछ विशिष्ट कार्यक्रम हैं जैसे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर केवल लड़कियों के स्कूल का प्रावधान, लड़कियों के लिए अलग शौचालय, 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की भर्ती, लड़कियों को सहोदर भाई–बहनों के देखभाल की जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए आईसीडीएस कार्यक्रम के साथ अभिसरण में स्कूल के अंदर या आसपास प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्रों का प्रावधान, लड़कियों के लिए साम्यपूर्ण अध्ययन अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम आदि।

पहुंच एवं अवधारण, शिक्षण कक्ष माहौल, तथा प्रबंधन सहायता के लिए लड़कियों के संबंध में पूरे देश में समता से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां नीचे सारणी 4.4 में दी गई हैं:

सारणी 4.4

पहुंच एवं अवधारण	माता–पिता/समुदाय का उत्प्रेरण
	माता–पिता एवं विद्यालय के बीच घनिष्ठ संबंध की स्थापना
	शैक्षिक प्रोत्साहन प्रदान करना
	पिछड़े क्षेत्रों पर बल
	मानीटरिंग में समुदाय को शामिल करना
शिक्षण कक्ष के माहौल में सुधार	स्कूल अवसंरचना अर्थात शौचालय, पेयजल एवं चारदीवारी का निर्माण
	सहायक शिक्षण कक्ष माहौल एव प्रक्रियाओं का विकास
	महिला शिक्षकों का प्रावधान
	समय में लोच प्रदान करना
समानता के लिए शिक्षा	पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकों में सुधार करना
	शिक्षकों, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों के लिए जेंडर पर प्रशिक्षण
	पूरक अध्ययन–अध्यापन सामग्री पदान करना
सूचनापत्र	कार्यशाला, बैठक आदि के माध्यम से सूचना अंतरण, हिस्सेदारी का सुनिश्चय करना
प्रबंधन सहायता	किशोरियों के लिए विशेष शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना
	समुदाय स्तरीय ढांचों का गठन – वीईसी, एमटीए, पीटीए
	समर्पित प्रबंधन ढांचे का प्रावधान
	प्रबंध सूचना प्रणाली
	सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना एवं अनुकूलित करना

प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)

एनपीईजीईएल शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों (ईबीबी) में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा स्कूल जाने वाली एवं स्कूल बाह्य लड़कियों की शिक्षा की जरूरतों को पूरा करता है। एनपीईजीईएल ऐसी लड़कियों तक भी पहुंचता है जो स्कूलों में नामांकित हैं किंतु नियमित रूप से स्कूल नहीं जाती है।

एनपीईजीईएल की पहुंच	
ब्लाक	3282
क्लस्टर	39307
मॉडल क्लस्टर स्कूल	40384
ईसीसीई सहायता	2520
अतिरिक्त शिक्षण कक्ष	26838
कौशल विकास (शामिल लड़कियों की संख्या)	1744693
सेतु पाठ्यक्रम	657622
ज्ञानार्जन दौरा (शामिल लड़कियों की संख्या)	967738
पोशाक	सभी लड़कियों के लिए

बच्चों के उस समय स्कूल छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है जब वे कक्षा में पढ़ाई की गति से तालमेल स्थापित नहीं कर पाते हैं या शिक्षकों/समकक्षों द्वारा स्कूल में उपेक्षित महसूस करते हैं। एनपीईजीईएल ऐसी लड़कियों की पहचान करने तथा अरक्षिता की उनकी स्थिति से उनको बाहर निकालने पर विशेष ध्यान देने तथा उनको पढ़ाई बीच में छोड़ने से रोकने के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी पर बल देता है।

ईंधन, चारा, पानी, सहोदर भाई–बहनों की देखभाल तथा संदत्त या असंदत्त कार्य के संबंध में जिम्मेदारी वाली लड़कियों की सहायता के लिए सहायता सेवाओं की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए प्रोत्साहनों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो ईसीसीई के माध्यम से तथा आवश्यकता के आधार पर स्थानीय रूप से तय किए जाते हैं, क्योंकि लड़कियों को 2 से 3 वर्ष के बच्चों के देखभाल की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। लिंग संवेदी अध्ययन–अध्यापन सामग्री भी अतिरिक्त विषय हैं जैसे आत्मरक्षा, जीवन कौशल, कानूनी अधिकार जिनका योजना में प्रावधान किया गया है। योजना में शिक्षण कक्षों की सुव्यवस्थित मॉनिटरिंग एवं संवेदीकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए गए हैं कि शिक्षण कक्ष का माहौल लिंग संवेदी हो।

लड़कियों के नामांकन, उपस्थिति एवं उपलब्धि पर अनवर्ती कार्रवाई के लिए एनपीईजीईएल ग्राम स्तरीय महिलाओं एवं सामुदायिक समूहों के माध्यम से काम करता है। स्थानीय मुद्दों की समझ के आधार पर ग्राम विशिष्ट कार्रवाई की सिफारिश में समुदाय को शामिल किया जाता है।

क्लस्टर स्तर पर, क्लस्टर के विद्यालयों के एक स्कूल को संसाधन केंद्र के रूप में विकसित किया जाता है। यह पूरक वाचन सामग्री, पुस्तकों, उपकरण, गेम्स, व्यावसायिक प्रशिक्षण, लिंग पर शिक्षक प्रशिक्षण, आत्मरक्षा एवं जीवन कौशल जैसे अतिरिक्त विषयों पर कक्षाओं के लिए आधान होता हैं। संसाधन क्लस्टर की सभी लड़कियों द्वारा प्रयुक्त किए जा सकते हैं तथा बारी–बारी से क्लस्टर के स्कूलों में अक्सर परिचालित किए जाते हैं। मॉडल क्लस्टर विद्यालय क्लस्टर के अन्य विद्यालयों को प्रेरित करने, लिंग संवेदी विद्यालय तथा शिक्षण कक्ष का माहौल निर्मित करने का काम करते हैं ताकि लड़कियां आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें।

एनपीईजीईएल के तहत राज्य पहलें

- **आंध्र प्रदेश:** जो लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा पूरा नहीं कर सकती उनकी पहचान की गई है तथा कक्षा 10 की परिक्षा में बैठने के लिए उन्हें नामांकित किया गया है।
- **असम:** लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, स्कूलों में उनका नामांकन एवं अवधारण सुनिश्चित करने के लिए ब्लाक में सर्वोत्तम निष्पादन वाले शिक्षकों एवं विद्यालयों के लिए पुरस्कार।
- **बिहार:** राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान की सहायता से 8वीं से 10वीं कक्षा की लड़कियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति। 25335 लड़कियां व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में नामांकित हैं।
- **गुजरात:** किशोरियों के लिए मीना मंच ताकि वे अपने खुद के मुद्दों पर चर्चा कर सकें तथा स्कूल जाने के लिए लड़कियों को प्रेरित कर सकें।
- **हरियाणा:** कक्षा 5 के अंत में पढ़ाई छोड़ने पर रोक लगाने के लिए गांव से बाहर स्थित सरकारी स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ने जाने वाली लड़कियों के लिए साइकिल दी गई तथा 8 वर्ष की शिक्षा पूरी करने के लिए सहायता दी गई।
- **हिमाचल प्रदेश:** आत्मरक्षा में प्रशिक्षण दिया गया ताकि स्कूली लड़कियों का समग्र विकास हो सकें।
- **जम्मू और कश्मीर:** समुदाय, समाज एवं अभिभावकों में जागरूकता सृजन। लड़कियों की शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में उनको लाने के लिए अभिभावकों एवं समुदाय को प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए।
- **कर्नाटक:** चिकित्सा पेशेवरों, डाक्टरों एवं शिक्षकों के माध्यम से स्वास्थ्य, कौमार्यावस्था से जुड़े मुद्दों पर परामर्श एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि लड़कियों में आत्मविश्वास एवं जागरूकता पैदा हो जिससे स्कूलों में उनके अवधारण में सहायता मिलती है।
- **महाराष्ट्र:** जीवन में कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण दिया गया जिससे लड़कियां सूचित निर्णय लेने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने तथा ऐसे संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने में समर्थ हुईं जो उनके लिए उच्च कोटि के जीवन का आश्वासन देंगे।
- **उड़ीसा:** कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लड़कियों की शिक्षा की दिशा में समुदाय को संचेत करने तथा शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया में उनको अधिकाधिक शामिल करने के लिए एमसीएस में विभिन्न सामुदायिक संचेतना कार्यकलाप आयोजित किए गए हैं।
- **राजस्थान:** लड़कियों के अवधारण के लिए भ्रमण एवं हिस्सेदारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- **उत्तराखंड:** मॉडल क्लस्टर विद्यालयों को अध्ययन–अध्यापन उपकरण अनुदान अर्थात पुस्तकालय पुस्तकें, गेम्स, स्पोर्टस, संगीत यंत्र एवं व्यावसायिक उपकरण प्रदान किए गए।
- **उत्तर प्रदेश:** लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जूडो–कराटे के माध्यम से लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में अजा, अजजा, अपिव एवं मुस्लिम समुदायों की लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। केजीबीवी छिटपुट बस्ती वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां स्कूल काफी दूरी पर होते हैं तथा लड़कियों की सुरक्षा चुनौती होती है। इसकी वजह से लड़कियां अक्सर पढ़ाई बंद कर देती हैं। केजीबीवी स्वयं ब्लाक में आवासीय विद्यालय स्थापित करके इस समस्या का निराकरण करता है।

केजीबीवी की पहुंच

- 3569 संस्वीकृत जिनमें से 492 केजीबीवी 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी के साथ हैं।
- 2569 केजीबीवी क्रियाशील हैं।
- कुल नामांकन में 27 प्रतिशत अजा, 28 प्रतिशत अजजा, 26 प्रतिशत अपिव, 9 प्रतिशत मुस्लिम तथा 10 प्रतिशत बीपीएल है। मुस्लिम बहुल ईबीबी में नामांकित लड़कियों में से लगभग एक चौथाई मुस्लिम हैं।

केजीबीवी निम्नलिखित तक पहुंचता है:

- किशोर लड़कियां जो नियमित स्कूल जाने में असमर्थ हैं।
- 10+ आयु की स्कूल बाह्य लड़कियां जो प्राथमिक शिक्षा पूरा करने में असमर्थ हैं।
- बिखरी बस्तियों वाले दुर्गम क्षेत्रों में यायावर आबादी की कमसिन लड़कियां जो प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए अर्हक नहीं है।

केजीबीवी में अजा/अजजा/अपिव तथा अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के 75 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं तथा 25 प्रतिशत सीटें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए हैं।

एनपीईजीईएल तथा केजीबीवी दोनों से एसएसए के तहत पूरक प्रयास के लिए साथ मिलकर काम करने की उम्मीद है ताकि सभी लड़कियों का समावेशन सुनिश्चित हो तथा उनको स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा सके। एनपीईजीईएल दिवा स्कूलों के माध्यम से काम करने के लिए अभिकल्पित है जबकि केजीबीवी ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधाएं स्थापित करता है जहां उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं हैं या जहां कतिपय सामाजिक समूहों में शैक्षिक रूप से लाभवंचित परिवार हैं।

लैंगिक अंतराल वाले जिले

एसएसए के तहत ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जहां नामांकन में लैंगिक अंतराल अधिक होता है। 2010–11 में प्राथमिकता देने के लिए प्राथमिक स्तर पर 10 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 20 प्रतिशत से अधिक लैंगिक अंतराल वाले 26 जिलों की पहचान की गई। 2010–11 में इन 26 जिलों के लिए विशेष आबंटन का ब्यौरा सारणी 4.5 में दिया गया है।

विशेष फोकस समूह

शिक्षा सामाजिक अधिकारिता का सबसे प्रभावी माध्यम है। एसएसए लाभवंचित सामाजिक समूहों (अजा, अजजा, अपिव एवं अल्पसंख्यक समुदाय) के बच्चों पर विशेष बल देता है। यह इन विशेष समूहों की शिक्षा के लिए संदर्भ विशिष्ट हस्तक्षेपों/रणनीतियों का प्रावधान करता हैं।

ऐसे जिलों की पहचान जहां विषमताएं अधिक हैं: एसएसए निधियों के आबंटन तथा स्कूल अवसंरचना के मामले में अजा, अजजा, अपिव एवं अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता वाले जिलों एवं ब्लाकों में भौगोलिक क्षेत्रों पर ध्यान देता है ताकि उन लोगों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके जो अब तक शैक्षिक सुविधाओं से वंचित हैं। एसएसए के तहत विशेष कार्यक्रमों के लिए विशेष फोकस वाले जिलों की पहचान की गई है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- अजा की अधिक आबादी वाले 61 जिले
- अजजा की अधिक आबादी वाले 109 जिले
- मुसलमानों की आबादी वाले 88 जिले
- लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाक (ईबीबी) के नाम से जाने जाने वाले कम महिला साक्षरता तथा अधिक लैंगिक अंतराल वाले 3000 से अधिक ब्लाकों की भी पहचान की गई है। अब सभी ईबीबी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाने है। 2567 ऐसे विद्यालय पहले से ही चल रहे हैं।

एसएसए के तहत 2010–11 में विशेष फोकस वाले जिलों को स्कूल अवसंरचना का आबंटन (सारणी 4.6)

2010–11 में एनपीईजीईएल तथा एसएसए के तहत लैंगिक अंतराल वाले जिलों में निधियों का आबंटन (सारणी 4.5)

श्रेणी	जिलों की संख्या	धनराशि (रूपए लाख में) एसएसए	एनपीईजीईएल	केजीबीवी	कुल
प्राथमिक स्तर पर 10 प्रतिशत से अधिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 20 प्रतिशत से अधिक लैंगिक अंतराल	26	1,38,222 (4 प्रतिशत)	1220 (3 प्रतिशत)	3544 (4 प्रतिशत)	142985.48 (4 प्रतिशत)

सारणी 4.6

(₹ लाख में)

	कुल एसएसए संस्वीकृति	विशेष फोकस मे वाले जिलों	विशेष फोकस वाले जिलों में प्रतिशत
खोले गए प्राथमिक स्कूल	25021	22713	91
खोल गए उच्च प्राथमिक	9109	7676	84
कक्षों का निर्माण	156838	124764	80
शिक्षक	137146	118965	87

अजा एवं अजजा के बच्चों पर फोकसः एसएसए के हस्तक्षेप अजा एव अजजा के सभी बच्चों पर लागू होते हैं। इनमें बस्ती से 1 किमी के अंदर प्राथमिक स्कूल तथा 3 किमी के अदंर उच्च प्राथमिक स्कूल का सुनिश्चय, पाठ्यपुस्तकें आदि उपलब्ध कराना शामिल है। तथापि, लड़कियों के लिए कुछ विशिष्ट कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल हैं: (1) विशिष्ट परिवारों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों पर बल के साथ अजा/अजजा समुदायों से सामुदायिक आयोजकों की नियुक्ति, (2) अजा एव अजजा के बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए नवाचार निधि के तहत विशेष गतिविधियां (3) अध्ययन के साम्यपूर्ण अवसरों को बढ़ावा देने एवं सामाजिक पक्षपात दूर करने के लिए शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम (4) शिक्षकों की भर्ती में अजा एव अजजा के लिए आरक्षण (5) आदिवासी भाषाओं में सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री की तैयारी ताकि इनको मातृभाषा से स्कूल की भाषा में परिवर्तित किया जा सके, (6) उच्च प्राथमिक स्तर पर केजीबीवी के आवासीय विद्यालयों में अजा एवं अजजा की लड़कियों को प्राथमिकता।

समावेशी शिक्षा

एसएसए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि विशेष जरूरत वाले सभी बच्चों को सार्थक एवं स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाए, उनकी विकलांगता का प्रकार, श्रेणी एवं मात्रा जो भी हो। विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए एसएसए के मुख्य घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- पहचान, कार्यात्मक एवं औपचारिक मूल्यांकन, उपयुक्त शैक्षिक नियोजन, व्यक्तिनिष्ठ शैक्षिक योजना तैयार करना, सहायक उपकरणों का प्रावधान, शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन सहायता, वास्तुशिल्पीय बाधाओं का निवारण, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन तथा विशेष जरूरत वाली लड़कियों पर विशेष बल।
- स्कूलों के लिए सीडब्ल्यूएसएन को तैयार करने और इस प्रकार उनके लिए बेहतर समावेशी शिक्षा का सुनिश्चय करने के उद्देश्य से सीडब्ल्यूएसएन के लिए विशेष प्रशिक्षण।
- सीडब्ल्यूएसएन को बुनियादी जीवन कौशल प्रदान करके स्कूल एवं जीवन के लिए उन्हें तैयार करने के लिए गंभीर एवं प्रचुर विकलांगताओं वाले बच्चों के लिए गृह आधारित शिक्षा।
- प्रतिवर्ष विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार विकलांग बच्चों के एकीकरण के लिए प्रति बच्चा 3000 रूपए तक वित्तीय सहायता।

पहचान एवं नामांकन

सीडब्ल्यूएसएन की पहचान करने के लिए सभी राज्यों द्वारा परिवार सर्वेक्षण तथा विशेष सर्वेक्षण संचालित किए गए है। 29.72 लाख सीडब्ल्यूएसएन की पहचान की गई है। 24.59 लाख सीडब्ल्यूएसएन (पहचान किए गए में से 82.74 प्रतिशत) विद्यालयों में नामांकित हैं। इसके अलावा, 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 71453 सीडब्ल्यूएसएन को ईजीएस/एआईई के माध्यम से शामिल किया जा रहा है तथा 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 164002 सीडब्ल्यूएसएन को गृह आधारित शिक्षा दी जा रही है। कुल मिलाकर अभिचिन्हित सीडब्ल्यूएसएन में से 90.47 प्रतिशत को विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से कवर किया गया है।

सीडब्ल्यूएसएन के लिए विशेष प्रशिक्षण

- समुचित स्थापन एवं गतिशीलता के लिए उपयुक्त अनुकूलन में अभिभावकों को प्रशिक्षण देना
- उपयुक्त रोगहर हस्तक्षेपों में अभिभावकों को प्रशिक्षण देना
- बच्चों के संचार कौशल में वृद्धि करना
- कार्यात्मक ज्ञान के लिए बच्चों को आवश्यक कौशल प्रदान करना
- खेल की गतिविधियों के महत्व पर बल देना
- मुख्यधारा के लिए अपेक्षित कौशल विकसित करने हेतु विकलांग बच्चों को तैयार करना
- रियायतों/योजनाओं के माध्यम से अधिकारों को बढ़ावा देना

बाधामुक्त पहुंच

सीडब्ल्यूएसएन को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एसएसए की रूपरेखा में स्कूलों को बाधामुक्त बनाने का प्रावधान है। एसएसए के तहत बाधामुक्त पहुंच पर व्यापक दिशानिर्देश विकसित किया गया। आज की तिथि तक 7.27 विद्यालयों (58.02 प्रतिशत) में बाधामुक्त पहुंच उपलब्ध कराई गई है। प्रदान की गई सेवाओं की निगरानी, गुणवत्ता सुधार तथा स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन को बनाए रखने पर बल दिया जा रहा है।

शिक्षक प्रशिक्षण एवं संसाधन सहायता

- 26.24 लाख शिक्षकों को नियमित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शामिल किया गया है, जिसमें समावेशी शिक्षा पर 2–3 दिवसीय कैप्सूल शामिल होता है।
- समावेशी शिक्षा के प्रति बेहतर अभिविन्यास के लिए 19. 40 लाख शिक्षकों को 3–5 दिवसीय अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया गया है।

- भारतीय पुनर्वास केंद्र के साथ 26 राज्यों में 1.38 लाख शिक्षकों को 90 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है तथा वे जिलों/ब्लाकों में संसाधन व्यक्ति के रूप में काम करते हैं।
- 28 राज्यों में 12629 संसाधन व्यक्तियों को नियुक्त किया है तथा 1075 एनजीओ 30 राज्यों में आईई कार्यक्रम में शामिल हैं।
- स्कूलों की डिजाइन में बाधामुक्त विशेषताओं को शामिल करके उनको अधिक विकलांग अनुकूल बनाया जा रहा है। 4.27 स्कूलों को बाधामुक्त बनाया जा चुका है तथा कार्य चल रहा हैं।
- 18.37 लाख (72.49 प्रतिशत) सीडब्ल्यूएसएन को सहायक डिवाइसें प्रदान की गई हैं।

सहायक उपकरणों का प्रावधान

विशेष जरूरत वाले अनेक बच्चे सहायक उपकरणों के अभाव में स्कूल नहीं जा पाते हैं। इन बच्चों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ अभिसरण में सहायक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा धर्मस्व संगठन, एनजीओ, कारपोरेट सेक्टर आदि भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। अब तक एसएसए के तहत 18.37 लाख सीडब्ल्यूएसएन को सहायक डिवाइसें प्रदान की गई हैं।

एनजीओ की भागीदारी

30 राज्यों में 1075 एनजीओ समावेशी शिक्षा को सहायता प्रदान करने में शामिल हैं। मध्य प्रदेश में आरूषि, स्पाटिक्स सोसायटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, कोलकाता, श्रीरामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, कोयंबटूर तथा राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ, मुंबई कुछ ऐसे विख्यात एनजीओ हैं जो एसएसए की सहायता कर रहे हैं। एनजीओ निम्नलिखित के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं:

- समावेशी शिक्षा के लिए आयोजना
- जागरूकता सृजन
- सामुदायिक संचेतना
- सीडब्ल्यूएसएन की जल्दी पहचान, अनुवेदन एवं मूल्यांकन तथा व्यक्तिनिष्ठ शैक्षिक योजना तैयार करना
- प्रशिक्षण सामग्री का विकास
- सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण तथा मुख्य संसाधन व्यक्ति प्रशिक्षण पर विशेष बल के साथ जनशक्ति विकास
- आवश्यक सहायक डिवाइसों (एड्स एंड एप्लाइंसेस) का प्रावधान

परिणाम

- बेहतर पहचानः 2002–03 में केवल 6.83 लाख सीडब्ल्यूएसएन की पहचान की गई थी जबकि आज 29.72 लाख सीडब्ल्यूएसएन की पहचान की गई है।
- अधिक नामांकनः 2002–03 में विद्यालयों में केवल 5.66 लाख सीडब्ल्यूएसएन नामांकित थे जबकि इस समय 24.59 लाख एसएसए के तहत सीडब्ल्यूएसएन का नामांकन है। आज नियमित स्कूलों, एआईई एवं गृह आधारित शिक्षा के माध्यम से विशेष जरूरत बाले बच्चों का कवरेज 90.47 प्रतिशत हैं।

गुणवत्ता सुधार

सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्यों में से एक हर बच्चे को साम्यपूर्ण गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे विद्यालयों एवं प्रणालियों की तरफ बढ़ना है जो बाल अनुकूल एवं समावेशी, प्रत्येक बच्चे की जरूरतों के प्रति अनुक्रियाशील हों तथा उनके अध्ययन का सुनिश्चय करने में समर्थ हों। पूरे देश में शिक्षकों, पाठ्यचर्या, अध्ययन सामग्री, अध्ययन प्रक्रियाओं, अध्ययन परिणामों, मूल्यांकन एवं मानिटरिंग प्रणालियों में समग्र सुधार लाने के लिए व्यापक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए राज्यों की सहायता की जा रही है ताकि सुनिश्चित हो कि छात्रों के अध्ययन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

शिक्षक नियोजन, क्षमता निर्माण एवं सहायताः सभी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चत करने के लिए एसएसए के तहत शुरू से लेकर सितंबर 2010 तक लगभग 11.13 लाख शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश,

प्रलेखन

राष्ट्रीय स्तर पर, समावेशी शिक्षा पर 4 दस्तावेज विकसित किए गए हैं:

- **विशेष जरूरत वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना** – एसएसए में समावेशी शिक्षा की आयोजना एवं कार्यान्वयन के लिए मैनुअल – यह दस्तावेज इस बारे में चरण–दर–चरण गाइड हैं कि एसएसए में समावेशी शिक्षा कैसे लागू करे।
- **समावेशन में एनजीओ पहलः एसएसए अनुभव** – ऐसी गतिविधियों का संकलन जिनमें विभिन्न राज्यों में समावेशी शिक्षा में एनजीओ शामिल हैं।
- **समावेशन में नए पथों की खोज**– एसएसए में सीडब्ल्यूएसएन के लिए गृह आधारित शिक्षा प्रथाओं का एक प्रलेखन।
- **संगम** – समावेशी शिक्षा पर एक द्विवार्षिक सूचना पत्र। अब तक 10 संस्करण निकाले गए हैं।

कर्नाटक, उड़ीसा, मिजोरम, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

शिक्षकों के कौशल में उन्नयन के लिए एसएसए ने सभी शिक्षकों के लिए 20 दिन तक के वार्षिक सेवाकालीन प्रशिक्षण, पहले से नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 60 दिन के प्रशिक्षण के रूप में संघनित पाठ्यक्रम तथा नव प्रशिक्षित नियुक्त शिक्षकों के लिए 30 दिन के प्रवेश प्रशिक्षण का प्रावधान है। 2010–11 में एसएसए के तहत सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए 39.48 लाख शिक्षक अनुमोदित किए गए हैं। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अंतर्वस्तु एवं प्रविधि समेत शिक्षाशास्त्रीय मुद्दे शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य शिक्षण कक्ष के स्तर पर अध्ययन–अध्यापन में सुधार करना है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं: एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत, बच्चे कैसे सीखते हैं, विषय विशिष्ट अंतर्वस्तु या अध्ययन से जुड़ी कठिनाईयां, गतिविधि आधारित विधियां, टीएलएम या अध्ययन किट का प्रयोग आदि। एसएसए ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए बुनियादी दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं तथा एनसीईआरटी द्वारा 'परावर्ती शिक्षक' नामक पुस्तिका में संक्षिप्त रूप में दिए गए हैं, हालांकि प्रत्येक राज्य अपनी स्वयं की प्राथमिकताएं, शिक्षक प्रशिक्षण माड्यूल, अनुवर्ती कार्यक्रम तथा विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण कलेण्डर परिभाषित करता है।

शैक्षिक सहायता ढांचा : शिक्षको एवं विद्यालयों को विकेंद्रीकृत शैक्षिक सहायता प्रशिक्षण तथा पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक ब्लाक एवं क्लस्टर में देशभर में दिसंबर 2010 तक 6637 ब्लाक संसाधन केंद्र (बीआरसी) तथा 69989 क्लस्टर संसाधन केंद्र (सीआरसी) स्थापित किए गए है। प्रत्येक बीआरसी एवं सीआरसी में विषय विशिष्ट संसाधन व्यक्ति तैनात किए गए हैं जो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं तथा शिक्षाशास्त्र एवं अंतर्वस्तु से संबंधित मुद्दों पर शिक्षकों को स्थल पर सहायता प्रदान करने के लिए स्कूलों का दौरा भी करते हैं। बीआरसी एवं सीआरसी स्कूलों की शैक्षिक मानिटरिंग, शिक्षण कक्ष के अवलोकन तथा शिक्षकों एवं छात्रों के लिए संसाधन सामग्री के विकास में भी शामिल हैं। नियमित रूप से अनुभव बांटने एवं चर्चा के लिए सीआरसी में मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा 31 से अधिक राज्यों ने सरकारी प्रणाली से बाहर के तकनीकी संसाधन नेटवर्क को जोड़ने, शिक्षक समुदाय में प्रतिभाओं को शामिल करने तथा स्कूल एवं शिक्षक के निष्पादन में सुधार हेतु विकेंद्रीकृत स्तर पर व्यवस्थागत सुधारों एवं परिवर्तनों से जुड़े प्रयासों को समृद्ध करने के लिए गुणवत्ता सुधार संबंधी उपायों के व्यापक क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए एससीईआरटी, डीआईईटी एवं बीआरसी के साथ मिलकर काम करने के निमित्त राज्य, जिला, ब्लाक एवं क्लस्टर स्तरीय संसाधन समूह गठित किए गए हैं। एसएसए के संशोधित मानदंडों में (1) शिक्षक प्रशिक्षण के लिए विषय विशिष्ट संसाधन व्यक्ति (2) समावेशी शिक्षा के लिए संसाधन व्यक्ति और (3) एमआईएस समन्वयक की उपलब्धता के माध्यम से बीआरसी एवं सीआरसी के लिए शैक्षिक सहायता सुदृढ़ करने का प्रावधान है।

शिक्षकों के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम: एसएसए में इग्नू की सहायता से राष्ट्र/राज्य, जिला एवं उप–जिला के स्तर पर संस्थाओं एवं कार्मिकों की क्षमता के निर्माण में सुविधा प्रदान की जा रही है। यह कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा निविष्टियां विकसित करने, डिजाइन करने, निर्मित करने एवं सुपुर्द करने तथा राज्यों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने और इस प्रकार व्यावसायिक दृष्टि से अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुविधा प्रदान करने में तकनीकी एवं शैक्षिक सहायता प्रदान कर रहा है। अब तक दूरस्थ विधि से प्रशिक्षण के लिए 1 लाख से अधिक अप्रशिक्षित शिक्षकों को पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश जैसे राज्य अपने अप्रशिक्षित शिक्षकों को स्थानीय विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के आपरेशन क्वालिटी कार्यक्रम के तहत 1 लाख से अधिक शिक्षक शामिल हैं। डीईपी–एसएसए, इग्नू ने अंतःक्रियात्मक मल्टीमीडिया पैकेज तथा दूरस्थ विधि की अन्य सामग्रियों के अलावा विज्ञान एवं गणित शिक्षा पर राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन किया है।

पाठ्यचर्या, पाठ्यविवरण एवं पाठ्यपुस्तकों का नवीकरण: एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ऐसे स्कूलों की तरफ शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव का आह्वान करती है जो अधिक बाल अनुकूल एवं समावेशी हैं, तथा अध्ययन अध्यापन प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो अधिक रचनात्मक स्वरूप की हैं। प्रत्येक राज्य से एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के आलोक में अपनी राज्य पाठ्यचर्या को नवीकृत करने का आग्रह किया गया है ताकि उनकी पाठ्यचर्या, अध्ययन–अध्यापन सामग्री, शिक्षाशास्त्र एवं मूल्यांकन प्रणालियों में संगत परिवर्तन हो सकें। अधिक गतिविधि आधारित, बाल अनुकूल तथा लिंग एवं सीमांत समूहों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए एनसीएफ 2005 के आधार पर अब तक 14 राज्यों ने अपनी पाठ्यचर्या का नवीकरण किया है तथा 7 राज्यों ने इसके अनुसार अपनी पाठ्यपुस्तकों का संशोधन पूरा कर लिया है।

बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें: कक्षा 8 तक सभी बच्चों को पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क दी जाती हैं। 2010–11 में दिसंबर 2010 तक 9.93 करोड़ बच्चों को पाठ्यपुस्तकें दी गई हैं। साथ ही गतिविधि आधारित शिक्षण कक्ष प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने तथा अध्ययन प्रक्रियाओं को संपूरित करने के लिए अनेक राज्यों द्वारा वर्कबुक एवं वर्कशीट भी प्रदान की जा रही है।

विद्यालयों/अध्यापकों को अनुदान: एसएसए संदर्भगत शिक्षण सहायक सामग्री विकसित करने के लिए सभी शिक्षकों को प्रति शिक्षक 500 रूपए का वार्षिक शिक्षक अनुदान भी देता है। डीआईईटी तथा बीआरसी कम लागत की विषय एवं प्रकरण से संबद्ध शिक्षण सहायक सामग्री विकसित करने के लिए नियमित कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऐसी निधियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए राज्यों ने विद्यालयों एवं शिक्षकों को दिशानिर्देश भी जारी किया है। 2010–11 में लक्ष्य रखा गया है कि 42.51 लाख शिक्षक टीएलएम अनुदान प्राप्त करेंगे जिसमें से दिसंबर 2010 के अंत तक 90 प्रतिशत ने अब तक प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा उपभोज्य वस्तुओं की लागत वरण करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्कूल को 5000 रूपए तथा प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्कूल को 7000 रूपए का वार्षिक स्कूल अनुदान अलग से दिया जाता है। अनुरक्षण के प्रयोजनार्थ प्रत्येक विद्यालय को प्रति विद्यालय 7500 रूपए दिए जाते हैं। 2010–11 में लगभग 12.89 ऐसे विद्यालयों को स्कूल अनुदान देने का लक्ष्य था जिसमें से 93 प्रतिशत ने दिसंबर 2010 के अंत तक यह अनुदान प्राप्त कर लिया है। नए विद्यालयों के लिए स्कूल उपकरण एवं अधिष्ठापन व्यय के लिए प्रति प्राथमिक विद्यालय 20000 रूपए तथा प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय 50000 रूपए की दर से अध्ययन–अध्यापन उपकरण नामक एक बारगी अनुदान दिया जाता है। 2010–11 में लगभग 33856 विद्यालयों को टीएलई अनुदान देने का लक्ष्य था।

कंप्यूटर समर्थित अध्ययन: एसएसए के तहत बच्चों के अध्ययन में बढ़ोतरी में सहायता के लिए स्कूलों में कंप्यूटर समर्थित अध्ययन सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक जिले को 50 लाख रूपए तक का अनुदान उपलब्ध है। गतिविधियों में शामिल हैं: स्कूलों को कंप्यूटर उपकरण या लैब प्रदान करना, स्थानीय भाषाओं में पाठ्यचर्या आधारित ई–लर्निंग सामग्री का विकास, और कंप्यूटर के प्रयोग में शिक्षकों का प्रशिक्षण, अक्सर निजी क्षेत्र की साझेदारी में। कार्यक्रम के शुरू होने से लेकर अब तक 67000 स्कूलों ने इसका लाभ उठाया है जिसमें 102.61 लाख बच्चे तथा 1.99 लाख शिक्षक शामिल हैं जिन्हें सीएएल संसाधनों की हैंडलिंग पर प्रशिक्षण दिया गया।

अध्ययन प्रक्रियाओं एवं अध्ययन परिणामों में सुधार: एसएसए शिक्षक केंद्रित कक्षा के स्थान पर सक्रिय कक्षा की वकालत करता है जो सक्रिय छात्र भागीदारी एवं अध्ययन के लिए अधिकतम उपलब्ध समय से उपयोग को बढ़ावा देती है। इस बदलाव को संभव बनाने के लिए एसएसए ने व्यापक श्रेणी की अध्ययन–अध्यापन सामग्रियों, शिक्षण प्रविधियों, शिक्षा शास्त्रीय वाचन, प्रभावी शिक्षण कक्ष प्रक्रियाओं, शिक्षा में नए विचारों तथा स्कूल सुधार से जुड़े प्रयोगों में शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के अधिक अनावर्तन को समर्थ बनाया है। वार्षिक सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण एवं मासिक चिंतन बैठकों के अलावा संदर्भगत अध्ययन–अध्यापन सामग्री विकसित करने एवं प्रयुक्त करने के लिए 500 रूपए का वार्षिक अनुदान दिया जाता है। अपनी अध्ययन–अध्यापन प्रक्रियाओं आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करने में शिक्षकों को समर्थ बनाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है।

अध्ययन संवर्धन कार्यक्रम: प्रत्येक जिले के लिए एसएसए के कुल परिव्यय का 2 प्रतिशत अध्ययन संवर्धन कार्यक्रम के लिए उपलब्ध है जिसका उद्देश्य विशिष्ट रूप से अध्ययन प्रक्रियाओं एवं परिणामों में सुधार करना है। 2009–10 में प्राथमिक स्तर पर केंद्रित अध्ययन संवर्धन कार्यक्रम संचालित करने के लिए (विशेष रूप से शीघ्र पाठन एवं गणितीय कौशल सुदृढ़ करने के लिए) 33 राज्यों को सहायता दी गई है तथा 28 राज्यों को उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं गणित की पढ़ाई सुदृढ़ करने पर बल के साथ अध्ययन संवर्धन कार्यक्रम के लिए सहायता दी गई है।

इन विषय विशिष्ट कार्यक्रमों को अभिकल्पित करने में राज्यों की सहायता के लिए एनसीईआरटी ने शुरूआती प्राथमिक ग्रेडों के लिए एक वाचन कार्यक्रम शुरू किया है जो बच्चों के वाचन कौशलों को सुदृढ़ करने के लिए अपने स्वयं के कार्यक्रम निर्मित करने के लिए राज्यों के लिए एक उदाहरण है। इसमें 40 प्रारंभिक पाठकों की प्रोटोटाइप सीरीज, एक शिक्षक प्रशिक्षण मैनुअल तथा वाचन शिक्षाशास्त्र पर सामग्रियों का एक डोजियर शामिल था। इसी तरह, एनसीईआरटी ने शुरूआती प्राथमिक ग्रेडों पर गणित के शिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें कक्षा 1 एवं 2 के लिए प्रोटोटाइप गणित अध्ययन का विकास, तथा प्रारंभिक गणित की शिक्षा के लिए ठोस, अनुभव आधारित अध्यापन में सहायता के लिए उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों एवं सामग्रियों के साथ एक शिक्षण प्रशिक्षण मैनुअल शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित एवं विज्ञान के सुदृढ़ीकरण के लिए एनसीईआरटी द्वारा समान प्रोटोटाइप किट भी विकसित किए गए हैं।

मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन: एसएसए के तहत अनेक राज्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जहां अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में प्रत्येक छात्र के अध्ययन की प्रगति की निरंतर टोह ली जाती है ताकि बच्चों के लिए मूल्यांकन तनावपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण अनुभव न हो। केरल, उत्तराखंड, दिल्ली और तमिलनाडु ऐसे कुछ उदाहरण हैं। उनके प्रयासों में राज्यों की सहायता करने के लिए एनसीईआरटी ने रचनात्मक शिक्षाशास्त्र एवं एनसीएफ 2005 की तर्ज पर ऐसे सतत

मूल्यांकन को लागू करने में शिक्षकों की सहायता के लिए पांच विषय विशिष्ट स्रोत पुस्तकों का विकास किया है। अनेक राज्य अपने यहां की मूल्यांकन प्रणालियों में परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी की इन स्रोत पुस्तकों को चरणबद्ध ढंग से लागू करने की प्रक्रिया में हैं। इन राज्यों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सुविधा प्रदान करने के लिए एनसीईआरटी ने पर्यावरण अध्ययन, गणित एवं हिंदी भाषा में कक्षा 3, 5 एवं 8 में मापेय एवं सत्यापनीय अध्ययन संकेतकों का एक सेट विकसित किया है। इन संकेतकों के विरूद्ध अध्ययन स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी में उपकरण भी विकसित किए जा रहे हैं।

छात्रों के अध्ययन परिणामों में सुधारः एसएसए के विभिन्न गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों का प्रभाव बच्चों के अध्ययन स्तर में वृद्धि में दिख रहा है जो एसएसए में एक प्रमुख मुद्दा है। कक्षा 3, 5 एवं 7/8 के अंत में विभिन्न विषय क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा हर तीसरे वर्ष बच्चों की अध्ययन उपलब्धि का राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जाता है। एसएसए के कार्यान्वयन के दौरान 3 बिंदुओं पर अध्ययन स्तरों में सुधार के स्तर का अध्ययन करने के लिए चक्र–1 एवं चक्र–2 एसएसए के आरंभ में तथा मध्यावधि में संचालित किए गए हैं तथा चक्र–3 2010 में संचालित किया जाएगा। चक्र–1 एवं चक्र–2 से परिलक्षित सुधार नीचे दिया गया है जो राष्ट्र स्तरीय तस्वीर दर्शाता है (सारणी 4.7)।

गुणवत्ता की मॉनिटरिंगः देश में एक कंप्यूटरीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) क्रियाशील है जो छात्र–कक्षा अनुपात, शिक्षक छात्र–अनुपात, शिक्षक प्रोफाइल तथा परीक्षा परिणाम जैसे गुणवत्ता से संबंधित अनेक पैरामीटरों पर नजर रखती है।

इसके अलावा, एनसीईआरटी की सहायता से भारत सरकार ने छात्र उपस्थिति, स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षण कक्ष प्रथाएं, छात्र अध्ययन उपलब्धि, बीआरसी/सीआरसी द्वारा शैक्षिक पर्यवेक्षण, सामुदायिक सहायता आदि जैसे गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं की निगरानी के लिए गुणवत्ता निगरानी उपकरण के रूप में एक तिमाही निगरानी प्रणाली चालू की हैं। निगरानी उपकरणों में विभिन्न स्तरों पर निष्पादन में प्रणालीगत सुधार के लिए डेटा एवं फीड बैक के विश्लेषण में सुविधा प्रदान करने के लिए क्लस्टर, ब्लाक एवं जिला स्तरों पर विश्लेषणात्मक प्रारूप शामिल हैं। सभी राज्यों ने उपकरणों को प्रभावी ढंग से प्रचालित करने के लिए अपने कार्मिकों को प्रशिक्षित किया है तथा इन क्यूएमटी का प्रयोग करके क्लस्टर से लेकर राज्य स्तर पर निगरानी शुरू कर दी है। निगरानी की इस कवायद के कार्यान्वयन से ऐसे मुद्दों की पहचान करने में राज्यों को मदद मिली है जिन पर एसएसए के तहत प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के निमित्त बल देने की जरूरत है। राज्यों को आयोजना एवं कार्यान्वयन से जुड़ी अपनी अड़चनों, समस्याओं की पहचान करने में समर्थ बनाया गया है जिससे उनको प्रशिक्षण एवं शिक्षक निष्पादन में सुधार करने के लिए केंद्रीत ढंग से योजना बनाने में सहायता मिली है। इस कवायद ने अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं एवं जरूरतों के अनुरूप गुणवत्ता के पहलुओं पर ध्यान देने में राज्यों को समर्थ बनाया है।

राष्ट्रीय स्तर से सहायताः मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक विस्तृत गुणवत्ता रूपरेखा पर चर्चा करने एवं सहमत होने के लिए जून–अगस्त 2009 में 4 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया, जो सामंजस्यपूर्ण ढंग से गुणवत्ता सुधार के लिए एसएसए के भावी प्रयासों का मार्गदर्शन करेगी। कार्यशालाओं ने शीर्ष स्तरीय शिक्षा प्राधिकारियों को शिक्षा की गुणवत्ता में कोर एवं समर्थकारी घटकों में वांछित बदलाव के दृष्टिकोण पर पहुंचने तथा आने वाले वर्षो में इस दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने के लिए योजना निर्मित करने के लिए, तथा बच्चों की अध्ययन एवं शिक्षण कक्ष प्रक्रियाओं के बारे में सहभागितापूर्ण ढंग से चिंतन करने एवं चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। चर्चा के तहत कोर घटक (पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र, सामग्री, कक्षा आयोजन, पाठ आयोजना, अध्ययन मूल्यांकन) तथा समर्थकारी घटक (शिक्षक विकास एवं सहायता, निष्पादन मूल्यांकन, प्रशासन, कार्यक्रम मूल्यांकन, अनुसंधान, संस्थानिक विकास) दोनों शामिल थे। प्रत्येक राज्य ने शिक्षाशास्त्रीय

एनसीईआरटी के अध्ययन उपलब्धि सर्वेक्षण के निष्कर्ष (सारणी 4.7)

कक्षा	भाषा		गणित		ईवीएस/विज्ञान		समाज विज्ञान	
	चक्र–I	चक्र–II	चक्र–I	चक्र–II	चक्र–I	चक्र–II	चक्र–I	चक्र–II
कक्षा 3	63.12	67.84	58.25	61.89	—	—	—	—
कक्षा 5	58.87	60.31	46.51	48.46	50.30	52.19	—	—
कक्षा 7	52.24	57.35	30.50	40.38	37.78	42.86	34.04	44.73
कक्षा 8	53.86	56.49	39.17	42.57	41.30	42.71	46.19	47.89

नवीकरण के लिए तथा इस विजन के प्रसार के लिए तथा विभिन्न स्तरों पर सभी पणधारियों में शिक्षाशास्त्रीय समझ बढ़ाने के लिए इस सहमत विजन के इर्दगिर्द अपने राज्य में कोर एवं समर्थकारी घटकों के एकीकरण के लिए विस्तृत कार्य योजना अभिकल्पित किया एवं प्रस्तुत किया।

अनुसंधान: एसएसए के गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं पर स्वतंत्र फीडबैक प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एसएसए के तहत विभिन्न स्वतंत्र मूल्यांकन शुरू किए गए हैं। पूरे किए गए तथा चल रहे अध्ययनों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क. पूरे किए गए अध्ययन

1. स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या अनुमान लगाने के लिए अखिल भारतीय नमूना सर्वेक्षण (2005)
2. स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या अनुमान लगाने के लिए अखिल भारतीय नमूना सर्वेक्षण (2009)
3. एसएसए के तहत सिविल कार्य का राष्ट्रीय मूल्यांकन (2006–07)
4. प्राथमिक स्तर पर बच्चों की उपलब्धि एवं साक्षरता स्तर का अध्ययन (2005)
5. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति का अध्ययन (2006)
6. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति का अध्ययन (2006)
7. पैरा शिक्षकों के विकास एवं सामर्थ्य का अध्ययन (2008)
8. छात्रों का टाइम–ऑन–टाक्स अध्ययन (2008)
9. प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षिक सहायता एवं पर्यवेक्षण प्रदान करने में ब्लाक संसाधन केंद्रों एवं क्लस्टर संसाधन केंद्रों की कारगरता का अध्ययन (2008)
10. पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों का अनुमान लगाने के लिए अखिल भारतीय नमूना सर्वेक्षण (2009)
11. कक्षा 1 एवं 2 के बीच नामांकन में भारी गिरावट के कारण (2009)
12. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का राष्ट्रीय मूल्यांकन (2007)
13. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का राष्ट्रीय मूल्यांकन (2008)
14. प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का मूल्यांकन (2008)
15. एसएसए के संदर्भ में स्कूल प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण में वीईसी/पीटीए/एसएमडीसी/शहरी स्थानीय निकायों आदि की भूमिका (2009)
16. प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षण का अध्ययन

ख. चल रहे अध्ययन

1. 12 राज्यों में पर्यावरण मूल्यांकन समेत सिविल कार्य का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन (चरण--2)
2. शिक्षण कक्ष के संपादन पर सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण का प्रभाव।

प्रलेखन एवं प्रसार: एसएसए अच्छी प्रथाओं को प्रलेखित करने तथा सभी राज्यों के साथ उनको साझा करने के लिए प्रयास करता है ताकि उनकी समझ एवं निष्पादन में वृद्धि हो। आईआईएम, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित ''शिक्षा संगम'' नामक प्रकाशन के माध्यम से अब तक 100 से अधिक अच्छी प्रथाओं को परिचालित किया गया है। टीएसजी की शिक्षाशास्त्र यूनिट के साथ मिलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (आंध्र प्रदेश), एकीकृत अध्ययन सुधार कार्यक्रम (पश्चिम बंगाल), तीन आर गारंटी कार्यक्रम (महाराष्ट्र), शिशु उपलब्धि ट्रैकिंग प्रणाली (उड़ीसा) तथा स्कूल निष्पादन मॉनिटरिंग (उत्तराखंड) प्रलेखित किया। इन दस्तावेजों को राज्यों के साथ साझा किया गया है।

गुणवत्ता के क्षेत्र में एनसीईआरटी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रकाशित किए गए हैं:

1. महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में बच्चों के अवधारण एवं अध्ययन उपलब्धि में सुधार के लिए नवाचार
2. कर्नाटक में अध्ययन गारंटी कार्यक्रम
3. तमिलनाडु में गतिविधि आधारित अध्ययन कार्यक्रम

तकनीकी सहयोग निधि

विकास साझेदारों नामतः विश्व बैंक, डीएफआईडी तथा ईसी के साथ मिलकर एसएसए के तहत 2008 में तकनीकी सहयोग निधि स्थापित की गई। यह निधि (1) अध्ययन मूल्यांकन प्रणाली और (2) गुणवत्ता संबंधी पहलुओं का मूल्यांकन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता सुदृढ़ीकरण में सहायता प्रदान करेगी। यह प्रभावी क्षमता विकास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु संगत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों तक पहुंच प्राप्त करने में समर्थ बनाएगी तथा संस्थानिक या संगठनात्मक विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

मॉनिटरिंग: सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की दिशा में राज्यों की प्रगति का टोह लेने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अयोजना और प्रशासन विश्व विद्यालय ने एक शैक्षिक विकास सूचकांक (ईडीआई) विकसित किया है।

शैक्षिक विकास सूचकांक

2009–10 के लिए ईडीआई तैयार करने के लिए निम्नलिखित पैरामीटरों को ध्यान में रखा गया है:

घटक	संकेतक
पहुंच	असेवित बस्तियों का प्रतिशत (2002–03 से खोले गए नए विद्यालयों (सरकारी) के संदर्भ में संशोधित)
	1000 बच्चों की आबादी के हिसाब से विद्यालयों की उपलब्धता
	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों/अनुभागों का अनुपात (केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर)
अवसंरचना	40 से अधिक छात्र–शिक्षण कक्ष अनुपात वाले विद्यालय
	पेयजल सुविधाओं वाले विद्यालय
	कॉमन शौचालयों वाले विद्यालय
	लड़कियों के लिए शौचालय वाले विद्यालय
शिक्षक	महिला शिक्षक वाले विद्यालयों का प्रतिशत (2 तथा अधिक शिक्षकों वाले विद्यालयों में)
	40 से अधिक शिक्षक–छात्र अनुपात वाले विद्यालय
	2 से कम शिक्षक वाले विद्यालयों का प्रतिशत (15 से अधिक छात्र वाले विद्यालयों में) (केवल प्राथमिक विद्यालय)
	3 से अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों का प्रतिशत (उच्च प्राथमिक विद्यालय/अनुभाग)
परिणाम	पेशेवर अर्हता विहीन शिक्षक
	सकल नामांकन अनुपात – समग्र
	अनुसूचित जाति के बच्चों की प्रतिभागिताः अजा की आबादी का प्रतिशत (2001 की जनगणना) – अजा नामांकन का प्रतिशत
	अनुसूचित जनजाति के बच्चों की प्रतिभागिताः अजजा की आबादी का प्रतिशत (2001 की जनगणना) – अजजा नामांकन का प्रतिशत
	नामांकन में लैंगिक समता सूचकांक
	पुनरावृत्ति दर
	पढाई बीच में छोड़ने की दर
	कक्षा 1 नामांकन में एक्जिट क्लास का अनुपात (केवल प्राथमिक स्तर)
	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर संक्रमण की दर (केवल उच्च प्राथमिक स्तर)
	60 प्रतिशत तथा इससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत

2009–10 के दौरान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर राज्यों को आबंटित ईडीआई मान एवं ईडीआई रैंक इस प्रकार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर		संयुक्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक	
	2009–10		2009–10		2009–10	
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.663	5	0.829	4	0.746	4
आंध्र प्रदेश	0.561	17	0.762	12	0.662	14
अरूणाचल प्रदेश	0.328	35	0.620	25	0.474	31
असम	0.386	31	0.503	32	0.445	32
बिहार	0.375	32	0.466	35	0.421	35
चंडीगढ़	0.665	7	0.814	5	0.735	6
छत्तीसगढ़	0.439	26	0.558	27	0.498	27
दादर एवं नगर हवेली	0.493	22	0.710	19	0.602	20
दमन एवं दीव	0.612	9	0.782	10	.697	9
दिल्ली	0.651	8	0.790	8	0.720	8
गोवा	0.602	11	0.783	9	0.692	10
गुजरात	0.584	13	0.730	18	0.657	15
हरियाणा	0.590	12	0.770	11	0.680	11
हिमाचल प्रदेश	0.567	16	0.741	16	0.654	17
जम्मू एवं कश्मीर	0.404	30	0.621	24	0.512	25
झारखंड	0.363	34	0.500	34	0.431	34
कर्नाटक	0.569	15	0.743	15	0.656	16
केरल	0.700	3	0.844	3	0.772	3
लक्षद्वीप	0.704	2	0.887	2	0.795	2
मध्य प्रदेश	0.433	27	0.540	28	0.486	30
महाराष्ट्र	0.576	14	0.750	13	0663	13
मणिपुर	0.411	29	0.627	23	0.519	24
मेघालय	0.365	33	0.501	33	0.433	33
मिजोरम	0.544	19	0.738	17	0.641	18
नागालैंड	0.549	18	0.699	20	0.624	19
उड़िसा	0.468	23	0.524	30	0.496	28
पांडिचेरी	0.736	1	0.891	1	0.813	1
पंजाब	0.656	6	0.803	7	0.730	7
राजस्थान	0.458	25	0.629	22	0.544	22
सिक्किम	0.608	10	0.748	14	0.678	12
तमिलनाडु	0.677	4	0.811	6	0.744	5
त्रिपुरा	0.415	28	0.567	26	0.491	29
उत्तर प्रदेश	0.534	21	0.511	31	0.523	23
उत्तराखंड	0.538	20	0.636	21	0.587	21
पश्चिम बंगाल	0.467	24	0.540	29	0.503	26

संयुक्त समीक्षा मिशनः एसएसए कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ छह मासिक संयुक्त समीक्षा मिशन आयोजित की गई। जनवरी जेआरएम एक फील्ड आधारित मिशन है जो 8–10 राज्यों का भ्रमण करती है जबकि जुलाई संयुक्त समीक्षा मिशन एक डेस्क आधारित समीक्षा है जो एसएसए की संपूर्ण योजना तथा प्रगति को देखता है। संयुक्त समीक्षा मिशन के आधे सदस्य तीन बाहरी विकास साझेदारों से है जबकि बाकी आधे स्वतंत्र भारतीय विशेषज्ञ है। इस मिशन का नेतृत्व एक भारतीय विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा समीक्षाः 16–17 सितम्बर, 2010 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशकों सहित राज्य शिक्षा सचिवों तथा राज्य परियोजना निदेशकों के साथ सचिव, एसई एंड एल द्वारा राष्ट्रीय स्तर की बैठकें की गई।

मध्याह्न भोजन योजना

नामांकन, अवधारण और उपस्थिति में वृद्धि के साथ–साथ बच्चों में पोषण स्तर सुधारने के उद्वेश्य से प्राथमिक शिक्षा को पोषण प्रोत्साहन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी–एनएसपीई) 15 अगस्त, 1995 को केन्द्र समर्थित योजना के रूप में देश के 2,408 ब्लाकों में शुष्क राशन योजना के रूप में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 किग्रा. खाद्यान्न प्रति छात्र/प्रति माह की दर से सभी राज्यों एवं संघ क्षेत्रों में सभी सरकारी, स्थानीय निकायों तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1–5 के सभी बच्चों को न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत होने की शर्त के अधीन प्रदान किया गया। 1997–98 तक एनपी–एनएसपीई का विस्तार देश के सभी ब्लाकों में किया गया। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28 नवम्बर, 2001 के आदेश के तहत यह तैयार मध्याह्न भोजन योजना बन गई जिसके अन्तर्गत प्रत्येक सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक बच्चे को न्यूनतम 200 दिनों के लिए 300 कैलोरी तथा 8–10 ग्राम प्रोटीन की न्यूनतम सामग्री का तैयार मध्याह्न भोजन मुहैया किया जाना था। योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता में 100 ग्राम प्रति बालक प्रति स्कूल दिवस की दर से खाद्यान्न की मुफ्त आपूर्ति तथा 50 रू0 प्रति क्विंटल की अधिकतम दर से खाद्यान्न के परिवहन के लिए इमदाद शामिल था। भोजन बनाने की लागत के लिए केन्द्रीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, 13 राज्यों और 6 संघ क्षेत्रों ने अपने बजट से सभी बच्चों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया। 10 राज्यों तथा 1 संघ क्षेत्र ने तैयार भोजन आंशिक रूप से उपलब्ध किया। 2002 में इस योजना को न केवल सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकायों में पढ़ने वाले बच्चों अपितु शिक्षा गांरटी योजना (ईजीएस) और वैकल्पिक एवं परिवर्तित शिक्षा (एआईई) केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल करने के लिए विस्तार किया गया।

सितम्बर, 2004 में इस योजना को भोजन बनाने की लागत के लिए 1 रू0 प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस की केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया। भोजन बनाने की लागत में दालों, सब्जियों, खाने का तेल, मसालों, ईधन तथा खाना बनाने वाले कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली मजदूरी और पारिश्रमिक अथवा एजेंसी (यथाः एसएचजी, वीईसी/एसएमडीसी) को भुगतान की जाने वाली राशि शामिल थी। परिवहन इमदाद भी पहले के 50 रू0 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर विशेष दर्जे वाले राज्यों के लिए 100 रू0 प्रति क्विंटल कर दिया गया। योजना के प्रबंधन, निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए पहली बार खाद्यान्न, परिवहन इमदाद तथा भोजन बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता का 2 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गर्मियों के अवकाश के दौरान मध्याह्न भोजन मुहैया कराने का प्रावधान भी किया गया।

जुलाई, 2006 में इस योजना को उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों के लिए भोजन बनाने की लागत 1.80 रू0 प्रति छात्र/स्कूल दिवस तक बढ़ाने के लिए पुनः संशोधित किया गया बशर्ते कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के राज्य न्यूनतम 0.20 प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस अंशदान दें तथा अन्य राज्यों के लिए 1.50 रू0 तक बढ़ाने के लिए बशर्ते कि ये राज्य और संघ क्षेत्र न्यूनतम 0.50 रू0 प्रति छात्र/प्रति स्कूल दिवस अंशदान दें। पोषण मानक को संशोधित करके 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन किया गया।

अक्टूबर, 2007 में शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,479 ब्लाकों (ईबीबी) में उच्च प्राथमिक कक्षाओं (अर्थात कक्षा 6–8) में पढ़ने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया और योजना का 'प्राथमिक शिक्षा को पोषण प्रोत्साहन का राष्ट्रीय कार्यक्रम' से बदलकर 'स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम' रखा गया। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पोषण मानक 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन निधारित किया गया। रसोई–सह–भण्डार के निर्माण और स्कूलों में रसोई के उपकरणों की खरीद के लिए चरणों में 60,000 रू0 प्रति इकाई और 5,000 रू0 प्रति स्कूल की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान कया गया। योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के अन्य घटकों की तरह राज्यों/संघ क्षेत्रों को परिवहन इमदाद की प्रतिपूर्ति की विद्यमान पद्धति को बदलकर अनुदान पद्धति कर दिया गया।

सरकारी सहायता प्राप्त केन्द्रों के रूप में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त के साथ–साथ गैर मान्यताप्राप्त मदरसों/मकतबों को योजना में शामलि करने के लिए अप्रैल, 2008 में इस योजना को पुनःसंशोधित किया गया।

प्राथमिक मानक के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए अगस्त, 2009 में आदेश जारी किए गए, वर्तमान में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (एनसीएलपी) के अन्तर्गत पढ़ने वाले बच्चों सहित मदरसों एवं मकतबों के साथ–साथ सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समर्थित वैकल्पिक एवं परिवर्तित शिक्षा (एआईई) केन्द्रों तथा सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकायों के स्कूलों और शिक्षा गांरटी योजना (ईजीएस) में कक्षा 1–8 में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना में शामिल किया गया है।

नवम्बर, 2009 में इस योजना को निम्नवत रूप से पुनः संशोधित किया गया:

(i) दालों की मात्रा को 25 ग्राम से बढ़ाकर 30 ग्राम एवं सब्जियों की मात्रा को 65 ग्राम से बढ़ाकर 75 ग्राम तथा तेल व चर्बी की मात्रा को 10 ग्राम से घटाकर 7.5 ग्राम करके उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को संतुलित पोषक आहार सुनिश्चित करने के लिए खाद्य मानकों को संशोधित किया गया है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए खाद्य मानको में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ii) 1.12.2009 से भोजन बनाने की लागत को संशोधित करके प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए 1.58 रू0 से बढ़ाकर 2.50 रू0 प्रति बालक प्रति दिन तथा उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 2.10 रू0 से बढ़ाकर 3.75 रू0 प्रति बालक प्रति दिन किया गया है। भोजन बनाने की विद्यमान लागत प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए 2.69 प्रति बालक प्रति दिन और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 4.03 प्रति बालक प्रति दिन है। भोजन बनाने की लागत को 1.4.2011 को 7.5 प्रतिशत तक संशोधित किया जाएगा। भोजन बनाने की लागत केन्द्र तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों मध्य 90:10 तथा अन्य राज्यों / संघ क्षेत्रों के मध्य 75:25 के आधार पर शेयर किया जा रहा है।

(iii) 1.12.2009 से रसोइया–सह–सहायक को 1000 रू0 प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान के लिए एक पृथक प्रावधान रखा गया है। उक्त मानदेय का खर्च उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के मामले में केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 तथा गैर–उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्यों के मध्य 75:25 के आधार पर शेयर किया जा रहा है।

(iv) रसोई–सह–भण्डार के निर्माण की लागत का निर्धारण प्लिंथ एरिया मानकों (प्रत्येक 100 बच्चों के लिए 24 वर्गमी. तथा प्रत्येक अतिरिक्त 100 बच्चों के लिए अतिरिक्त स्थान हेतु 4 वर्गमी.) तथा राज्य दर अनुसूची के आधार पर किया जाता है। रसोई–सह–भण्डार की लागत केन्द्र तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के मध्य 90:10 तथा अन्य राज्यों / संघ क्षेत्रों के मध्य 75:25 के आधार पर शेयर किया जा रहा है।

(v) 11 विशेष दर्जे वाले राज्यों (यथा आसाम, अरूणांचल प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखण्ड एवं त्रिपुरा) में परिवहन सहायता का भुगतान इन राज्यों में प्रचलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दरों के समान किया जा रहा है। अन्य राज्यों / संघ क्षेत्रों में खाद्यान्न परिवहन सहायता 75 रू0 प्रति क्विंटल की सीमा के अधीन नजदीकी भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से स्कूल तक वास्तविक परिवहन लागत के आधार पर प्रतिपूर्ति की जा रही है।

(vi) 1.4.2010 से जिला स्तर तक भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों की लागत के भुगतान का विकेन्द्रीकरण।

उद्वेश्य

मध्याह्न भोजन योजना का उद्वेश्य भारत में अधिकतर बच्चों की दो घोर समस्याओं यथाः भूख एवं शिक्षा को निम्नलिखित रूप से सुलझाना हैः

(i) सरकारी, स्थानीय निकायों तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों एवं शिक्षा गारंटी योजना व वैकल्पिक एवं परिवर्तित शिक्षा केन्द्रों में कक्षा 1–8 में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना।

(ii) सुविधाओं से वंचित वर्गों से संबंध रखने वाले गरीब बच्चों को और नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उनको कक्षाओं में होने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में सहयोग देना।

(iii) गर्मियों के अवकाश के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करना।

तर्काधार

(i) स्कूल में सहभागिता को प्रोत्साहनः मध्याह्न भोजन योजना का स्कूल में सहभागिता पर काफी प्रभाव न केवल रजिस्टरों में पंजीकृत अधिक बच्चों के रूप में है वरन दैनिक आधार पर छात्रों की नियमित उपस्थिति के रूप में भी है।

(ii) कक्षाओं में भूख को मिटानाः सुविधाओं से वंचित समाज के कई बच्चे स्कूल में भूखे पेट ही आते है। वे बच्चे भी जो स्कूल आने से पहले भोजन करते है, दोपहर तक भूख महसूस करते है और कक्षा में ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ रहते हैं, विशेषकर उन परिवारों के बच्चे जो अपने बच्चों को भोजन का डिब्बा नहीं दे पाते है अथवा जो स्कूल से काफी दूर रहते हैं। मध्याह्न भोजन ऐसे

बच्चों को 'कक्षा में भूख' से बचाकर इस समस्या से निजात दिलाने में सहायक हो सकता है।

(iii) बच्चों के स्वस्थ विकास को सुगम बनानाः मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए "संपूरक पोषक" के नियमित स्रोत के रूप में भी कार्य कर सकता है जिससे उनका स्वस्थ विकास हो सके।

(iv) आन्तरिक शैक्षिक मूल्यः एक अच्छे सुव्यवस्थित मध्याह्न भोजन को बच्चों में कई अच्छी आदतें (जैसेः खाने से पहले और बाद में अपने हाथ धोना) डालने तथा उनको स्वच्छ पानी, अच्छी सफाई तथा अन्य संबंधित मामलों की शिक्षा देने के लिए एक अवसर के रूप में प्रयोग किया जा सकता हैं।

(v) सामाजिक समता को बढ़ावा देनाः मध्याह्न भोजन से समतावादी मूल्यों के प्रसार में मदद मिल सकती है क्योंकि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ बैठना सीखते है और सामान्य भोजन ग्रहण करते हैं। मध्याह्न भोजन स्कूलों में विशेष रूप से जाति तथा वर्ग की बाधाओं को समाप्त कर सकता है। अजा/अजजा समुदाय के रसोइए की नियुक्ति बच्चों को जातिगत पूर्वाग्रह से उबरने में शिक्षित करने का एक अन्य साधन है।

(vi) लैंगिक निष्पक्षता को बढ़ानाः स्कूल सहभागिता से लैंगिक भेदभाव कम हो जाता है क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होती है। मध्याह्न भोजन योजना महिलाओं के लिए रोजगार का उपयुक्त स्रोत भी है और कामगार महिलाओं को दिन में घर में खाना बनाने के बोझ से मुक्ति दिलाता है। किसी भी रूप में महिलाओं एवं लड़कियों को मध्याह्न भोजन योजना में विशेष अधिकार हैं।

(vii) मनोवैज्ञानिक लाभः मनोवैज्ञानिक अभाव के कष्ट से आत्म सम्मान में कमी आती है जिससे असुरक्षा, व्यग्रता, और तनाव पैदा होता है। मध्याह्न भोजन योजना से इनका समाधान हो सकता है और चिंतनशीन, संवेगशील तथा सामाजिक विकास सुगम हो सकता है।

फैलाव

वर्तमान में स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी–एमडीएमएस) में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकायों के स्कूलों, राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (एनसीएलपी) स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) स्कूलों तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समर्थित मदरसो एवं मकतबों सहित वैकल्पिक एवं परिवर्तित शिक्षा (एआईई) केन्द्रों में कक्षा 1–8 में पढ़ने वाले सभी बच्चें शामिल हैं।

पोषण सामग्री

योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देशों द्वारा मध्याह्न भोजन योजना में निम्नलिखित पोषण सामग्री निर्धारित है:–

तैयार मध्याह्न भोजन की पोषण सामग्री

क्र.स.	मद	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1.	कैलोरी	450 कैलोरी	700 कैलोरी
2.	प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
3.	चावल/गेहूँ	100 ग्राम	150 ग्राम
4.	दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
5.	सब्जियां	50 ग्राम	75 ग्राम
6.	तेल	5 ग्राम	7.5 ग्राम
7.	आईएफए, विटामिन ए, सूक्ष्म पोषकों की आपूर्ति	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्कूल स्वास्थ्य मिशन से अभिसारित	

योजना का वित्तीय घटक

केन्द्रीय सहायता के घटकः वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित सहायता प्रदान करता हैः

(i) प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए 100 ग्राम प्रति बालक प्रति स्कूल दिवस तथा उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए 150 ग्राम प्रति बालक प्रति स्कूल दिवस की दर से नजदीकी भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से मुफ्त खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की आपूर्ति।

(ii) 1.4.2010 से 11 विशेष दर्जे वाले राज्यों (यथाः आसाम, अरूणांचल प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखण्ड एवं त्रिपुरा) में इन राज्यों में प्रचलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दरों के समान परिवहन सहायता। अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों के मामलों में 75 रू0 प्रति क्विंटल की अधिकतम सीमा के अधीन नजदीकी एफसीआई गोदाम से स्कूल तक खाद्यान्नों को ढोने में आने वाली वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति।

(iii) 1.12.2009 से भोजन बनाने की लागत को संशोधित करके (मजदूरी और प्रशासनिक प्रभारों के अलावा) प्राथमिक कक्षाओं के लिए 2.50 रू0 तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 3.75 रू0 किया गया है और 1.4.2010 को इसमें

वर्ष 2010–11 के लिए

चरण	प्रत्येक भोजन की कुल लागत	केन्द्र/राज्य का हिस्सा			
		गैर–उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्य (75:25)		उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्य (90:10)	
		केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य
प्राथमिक	2.69 रू0	2.02 रू0	0.67 रू0	2.43 रू0	0.27 रू0
उच्च प्राथमिक	4.03 रू0	3.02 रू0	1.01 रू0	3.63 रू0	0.40 रू0

वर्ष 2010–11 के लिए

चरण	प्रत्येक भोजन की कुल लागत	केन्द्र/राज्य का हिस्सा			
		गैर–उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्य (75:25)		उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्य (90:10)	
		केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य
प्राथमिक	2.89 रू0	2.17 रू0	0.72 रू0	2.60 रू0	0.29 रू0
उच्च प्राथमिक	4.33 रू0	3.25 रू0	1.08 रू0	3.90 रू0	0.43 रू0

7.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई। भोजन बनाने की विद्यमान लागत प्राथमिक कक्षाओं के लिए 2.69 रू0 प्रति बालक प्रति दिन और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 4.03 रू0 प्रति बालक प्रति दिन है तथा इसमें 1.4.2011 से 7.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाएगी। भोजन बनाने की लागत केन्द्र तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के साथ 90:10 तथा अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों के साथ 75:25 के आधार पर शेयर किया जा रहा है। तदनुसार, केन्द्र तथा राज्यों/संघ क्षेत्रों का न्यूनतम हिस्सा निम्नलिखित है:

(iv) रसोई–सह–भण्डार के निर्माण की लागत का निर्धारण 1. 12.2009 से 60,000 रु0 प्रति इकाई की सामान्य दर के बजाय प्लिंथ एरिया मानकों तथा राज्यों/संघ क्षेत्रों में प्रचलित राज्य दर अनुसूची के आधार पर किया जाता है। दिशानिर्देशों के अनुसार 100 बच्चों वाले स्कूलों में रसोई–सह–भण्डार के निर्माण के लिए 20 वर्ग मीटर प्लिंथ एरिया का मानक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक अतिरिक्त 100 बच्चों के लिए 4 वर्ग मीटर का प्लिंथ एरिया जोड़ा जाएगा। राज्यों/संघ क्षेत्रों को स्थानीय स्थिति के अनुसार 100 बच्चों के स्लैब को बदलने की सुविधा होगी। रसोई–सह–भण्डार के निर्माण की लागत केन्द्र तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के मध्य 90:10 के आधार पर तथा अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों के मध्य 75:25 के आधार पर किया जाता है ।

(v) 5000 रु0 प्रति स्कूल की औसत लागत पर रसोईघर के उपकरणों की खरीद के लिए सहायता। रसोईघर के उपकरणों में निम्नलिखित शामिल है:

(क) खाना पकाने के उपकरण (स्टोव, चूल्हा आदि)

(ख) खाद्यान्नों तथा अन्य मसालों के भण्डारण के लिए डिब्बे।

(ग) खाना पकाने और परोसने के लिए बर्तन ।

(v) 1.12.2009 से रसोइया–सह–सहायक को 1000 रु0 प्रतिमाह का मानदेय तथा रसोइया–सह–सहायक को रखने के लिए मानक 25 विद्यार्थी तक के बच्चों वाले स्कूलों के लिए एक रसोइया–सह–सहायक है। 26 से 100 बच्चों वाले स्कूलों के लिए दो रसोइया–सह–सहायक तथा प्रत्येक अतिरिक्त 100 बच्चों तक के लिए एक अतिरिक्त रसोइया–सह–सहायक की नियुक्ति। रसोइया–सह–सहायक का मानदेय केन्द्र तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के मध्य 90:10 तथा अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों के मध्य 75:25 के आधार पर शेयर किया जाता है।

(vi) योजना के प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन (एमएमई) के लिए केन्द्रीय सहायता राज्यों/संघ क्षेत्रों को कुल आवर्ती केन्द्रीय सहायता अर्थात (क) खाद्यान्नों की लागत (ख) परिवहन लागत (ग) भोजन बनाने की लागत तथा (घ) रसोइया–सह–सहायक को मानदेय के 1.8 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है। कुल आवर्ती केन्द्रीय सहायता के 0.2 प्रतिशत का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन, निगरानी तथा मूल्यांकन प्रयोजनार्थ किया जाता है ।

निगरानी तंत्र

स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी और परिवेक्षण

के लिए एक समग्र तंत्र निर्धारित किया है। निगरानी तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैः

(क) स्थानीय स्तर पर निगरानी के लिए व्यवस्थाः ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों, वीईसी, पीटीए, एसडीएमसी के सदस्यों के साथ–साथ माताओं की समितियों से (i) बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की नियमितता तथा भरपूरता, (ii) मध्याह्न भोजन को बनाने तथा परोसने में स्वच्छता, (iii) अच्छी गुणवत्ता के सामानों, ईंधन आदि की समय पर खरीद (iv) विभिन्न आहार तालिका का कार्यान्वयन, (v) दैनिक आधार पर सामाजिक तथा लैंगिक समता की निगरानी किया जाना अपेक्षित है ।

(ख) सूचना का प्रदर्शनः पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्वेश्य से सभी स्कूलों तथा केन्द्रों, जहां कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है, से आम जनता की सूचना के लिए परिक्षेत्र में दृश्यमान स्थान पर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित हैः

(i) प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा तथा प्राप्ति की तारीख,

(ii) उपयोग की गई खाद्यान्न की मात्रा,

(iii) अन्य खरीदी गई, उपयोग की गई सामग्री,

(iv) बच्चों की संख्या जिनको मध्याह्न भोजन दिया गया,

(v) दैनिक आहार तालिका,

(vi) परिवेक्षण तथा निगरानी के लिए सामुदायिक सदस्यों का रोस्टर।

(ग) ब्लाक स्तरीय समितिः ब्लाक स्तर पर एक वृहद आधारित स्टियरिंग–सह–निगरानी समिति मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी भी रखेगी।

(घ) राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षणः राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों जैसे कि महिला एवं बाल विकास, खाद्य, स्वास्थ्य आदि से संबंधित राज्य सरकार/संघ क्षेत्रों के अधिकाारियों द्वारा भी उन स्कूलों एवं केन्द्रों, जहां ये कार्यक्रम चल रहे हैं, का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। यह सिफारिश की गई है कि प्रत्येक तिमाही में 25 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों/ईजीएस एवं एआईई केन्द्रों का दौरा किया जाए।

(ङ) जिला स्तरीय समितिः जिला स्तर पर एमडीएम योजना की निगरानी के लिए एक स्टीयरिंग–सह–निगरानी समिति के अलावा राज्यों/संघ क्षेत्रों को निम्नलिखित संघटन के साथ एक जिला स्तरीय समिति के गठन के निदेश दिए गए हैः

- संसद के सभी सदस्य, राज्य विधान सभा के सदस्यों तथा जिला परिषद के सदस्य।
- जिला जज/जिलाधिकारी/उपायुक्त/जिला परिषद/शहरी स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
- एमडीएम का जिला प्रभारी अधिकारी।
- पेयजल मिशन/सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम/आईडीसीएस कार्यक्रम/पंचायती राज/श्रम/अक्षम कल्याण/समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण आदि के जिला प्रभारी अधिकारी।
- क्षेत्र में एमडीएम के लिए प्राथमिक शिक्षा पर कार्य करने वाले दो गैर सरकारी संगठन।
- बैठक में उपस्थित सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य बैठक के दिन समिति की अध्यक्षता करेंगे।

यह समिति जिला स्तर पर एसएसए के साथ–साथ एमडीएम कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

(च) आवधिक रिपोर्टः राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों से (1) शामिल बच्चें तथा संस्थान, (2) स्कूल दिवसों की संख्या, (3) केन्द्रीय सहायता के उपयोग की प्रगति (4) स्कूलों में उपलब्ध आवश्यक अवसंरचना (5) कोई अनहोनी घटना आदि की आवधिक सूचना स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है।

(छ) समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा निगरानीः सर्व शिक्षा अभियान की निगरानी के लिए चिन्हित 41 समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थानों को मध्याह्न भोजन योजना के निगरानी का जिम्मा भी सौंपा गया है।

(ज) शिकायत निवारणः राज्यों तथा संघ क्षेत्रों से लोक शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करना अपेक्षित है जिसका व्यापक प्रचार किया जाए जो सुगमता से पहूँच योग्य हो।

(झ) राज्य स्तरः राज्यों तथा संघ क्षेत्रों से योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए राज्य स्तर पर एक स्टीयरिंग–सह–निगरानी समिति का गठन करना भी अपेक्षित है। राज्यों/संघ क्षेत्रों ने योजना के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र संस्थानों को नियुक्त किया है।

(ण) राष्ट्रीय स्तरः केन्द्र स्तर पर भारत सरकार एक राष्ट्र स्तरीय स्टीयरिंग–सह–निगरानी समिति (एनएसएमसी), सचिव (एसई एंड एल) की अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) के माध्यम से योजना की निगरानी करती है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य/संघ क्षेत्र से संबंधित मुद्दो को ठीक करने और कार्यक्रम की

निगरानी के लिए क्षेत्रीय व राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए राष्ट्रीय मिशन का आम परिषद तथा कार्यकारी परिषद मध्याह्न भोजन योजना की भी समीक्षा करती है।

(त) समीक्षा मिशनः राज्यो तथा संघ क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, यूनीसेफ तथा उच्चतम न्यायालय के आयुक्त के कार्यालय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए मध्याह्न भोजन योजना पर एक समीक्षा मिशन गठित की गई है। इस मिशन का नेतृत्व भारत सरकार का अधिकारी करता है। प्रथम समीक्षा मिशन ने 2009–10 के दौरान प्रत्येक तीन राज्यों यथाः आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश के दो जिलों में लगभग दस स्कूलों का दौरा किया। द्वितीय समीक्षा मिशन ने 2010–11 के दौरान आंध्र प्रदेश तथा गुजरात का दौरा किया । यह मिशन निम्नलिखित कार्य पूरा करेगीः

(i) राज्य सरकार से स्कूल / खाना बनाने वाली एजेंसी स्तर तक निधि के प्रवाह की प्रणाली तथा इस प्रक्रिया में लगने वाले समय की समीक्षा।

(ii) प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली तथा राज्य से स्कूल स्तर तक इसके प्रदर्शन की समीक्षा।

(iii) जिला स्तर पर एफसीआई को खाद्यान्नों की लागत के भुगतान की समीक्षा।

(iv) स्कूल / खाना बनाने वाली एजेंसी के स्तर पर खाद्यान्नों तथा निधि की उपलब्धता, चुनिंदा स्कूलों एवं जिलों में भोजन मुहैया कराने की गुणवत्ता तथा नियमितता, कार्यान्वयन में पारदर्शिता, अध्यापकों की भूमिका, समुदाय की सहभागिता, स्वास्थ्य चेकअप तथा सूक्ष्म–पोषकों की आपूर्ति के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के ज्ञान के संबंध में 2009–10 के दौरान कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा।

(v) योजना के प्रभाव तथा कार्यान्वयन के बारे में बच्चों, अभिभावकों तथा अध्यापकों की संतुष्टि का मूल्यांकन।

(vi) स्कूल / खाना बनाने वाली एजेंसी के स्तर पर रिकार्ड के रखरखाव की समीक्षा।

(vii) अवसंरचना की उपलब्धता, इसकी समुचितता तथा निधि के स्रोत की समीक्षा।

(viii) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार के लिए सुझाव देना।

पहली और दूसरी समीक्षा मिशन की रिपोर्ट उपचारी कार्रवाई हेतु तथा संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करने हेतु संबंधित राज्यों को भेज दी गई है।

भोजन बनाने का कार्य

दिशानिर्देशों के अनुसार जहां तक संभव हो खाना बनाने / तैयार मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जिम्मेदारी स्थानीय महिलाओं / माताओं के स्व–सहायता समूह अथवा नेहरु युवा केन्द्रों से संबद्ध स्थानीय युवा क्लबों अथवा एक स्वैच्छिक संगठन अथवा वीईसी / एसएमडीसी / पीटीए / ग्राम पंचायत / नगर निगम द्वारा सीधे रखे गए व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत स्व–सहायता समूहों का मिश्रण निरन्तर बढ़ रहा है।

शहरी क्षेत्रों में, जहां रसोई के निर्माण के लिए जगह की कमी है वहां स्कूलों के एक संकुल के लिए केन्द्रीकृत रसोई की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। एक केन्द्रीकृत रसोई में खाना बनाया जाए तथा पका हुआ गरम भोजन एक भरोसेमंद परिवहन व्यवस्था द्वारा स्वच्छ माहौल में विभिन्न स्कूलों में ले जाया जाए। बच्चों की संख्या तथा सेवा प्रदाता की क्षमता के आधार पर शहरी क्षेत्र में ऐसे एक या अधिक नोडल रसोई हो सकते हैं । दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलौर, लखनऊ, चंडीगढ़, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में केन्द्रीकृत रसोई का प्रयोग किया जा रहा हैं। उत्तर प्रदेश तथा पंजाब ग्रामीण क्षेत्रों में भी केन्द्रीकृत रसोई चलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तथापि, यह विभाग महसूस करती है कि योजना के सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर भोजन बनाने में स्व–सहायता समूहों आदि की भागीदारी उचित रहेगी।

मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता

एमडीएम की गुणवत्ता मुख्य रुप से खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। एफसीआई को श्रेष्ठ उपलब्ध गुणवत्ता के खाद्यान्न देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो कि किसी भी मामले में कम से कम अच्छी औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की होनी चाहिए। एमडीएम कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एफसीआई प्रत्येक राज्य के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है। एफसीआई तथा जिलाधिकारी तथा / अथवा जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित अधिकारियों की एक टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण के पश्चात तथा उनके द्वारा अन्न को न्यूनतम एफएक्यू मानकों के अनुसार घोषित करने पर जिला अधिकारी / जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अच्छी औसत गुणवत्ता का खाद्यान्न उठाया जाना सुनिश्चित करता है।

गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता, दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई है। यह भी प्रावधान किया गया है कि 2–3 वयस्क सदस्य जिनमें से कम से कम एक शिक्षक हो, बच्चों को खाना परोसने से पूर्व भोजन को चखें। यद्यपि दिशानिर्देशों में पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा प्रत्येक तिमाही में 25 प्रतिशत स्कूलों/ईजीएस/एआईई केन्द्रों के निरीक्षण का प्रावधान है किन्तु अधिकारियों/कर्मचारियों तथा संसाधनों की कमी के कारण कार्यक्रम का संवेगी एवं त्वरित निरीक्षण अपेक्षानुसार नहीं हो पा रहा है। दिशानिर्देशों में कार्यक्रम के पर्यवेक्षण तथा निगरानी के लिए सक्रिय सामुदायिक भागीदारी का भी प्रावधान है। इतने विशाल कार्यक्रम की सफलता की कुंजी समुदाय की सक्रिय और सार्थक सहभागिता में निहित हैं।

योजना आयोग द्वारा किया गया मूल्यांकन अध्ययन

योजना ओयाग ने मध्याह्न भोजन योजना का अध्ययन किया और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत किया।

अध्ययन की मुख्य बातें निम्नवत है:

- तैयार मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने नमूना स्कूलों में कक्षा में भूख को मिटाने में सफलता पाई है।
- तैयार मध्याह्न भोजन ने सभी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ भोजन करने के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया है जिससे सामाजिक समता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा होगी।
- यह भी देखा गया है कि इस कार्यक्रम ने पठन पाठन की गतिविधियों की बजाय योजना से संबंधित गतिविधियों की ओर अध्यापकों तथा छात्रों का ध्यान मोड़ा है जिससे पढ़ाई का नुकसान हुआ है।
- आमतौर पर मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा मानवशक्ति (जो कि तैयार मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की सफलता के लिए जरुरी है) की कमी पाई गई।
- अधिकतर राज्यों में यह पाया गया कि पीडीएस डीलर स्कूलों तक खाद्यान्नों की सुपुर्दगी के भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरुप खाद्यान्नों का नुकसान हुआ है। ऐसी कई घटनाएं है जहां आपूर्ति की लंबी श्रंखला के कारण आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों में मिलावट व चोरी हुई है।
- जहां तैयार मध्याह्न भोजन योजना से देश में स्कूलों में उपस्थिति में वृद्धि हुई है, इससे नमूना स्कूलों में नए नामांकनों पर कोई विशेष प्रभाव प्रतीत नहीं होता है।

स्वतंत्र अध्ययनों द्वारा खोज

(i) प्रोब (पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एजुकेशन) रिपोर्ट – प्रोब (पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एजुकेशन) रिपोर्ट 2006 की मुख्य बातें निम्नवत हैः

(क) 84 प्रतिशत परिवारों ने कहा कि मध्याह्न भोजन बच्चों द्वारा बनाया जाता है।

(ख) अधिकतर स्कूलों ने सूचित किया कि बच्चे स्कूल में भोजन करते है।

(ग) बच्चे कई तरह की आहार तालिका का आनंद ले रहे हैं।

(घ) खाने से पूर्व हाथ धोने, खाने से पूर्व व बाद में खाने के जगह की सफाई जैसी अच्छी आदतें स्कूलों में सिखाई जा रही है।

(ङ) एमडीएम जैसे प्रोत्साहनों से नामांकन दर में सुधार हुआ है।

(ii) प्रोफेसर अमर्त्य सेन की प्रतीची अनुसंधान टीम (2005) का ''पश्चिम बंगाल में तैयार मध्याह्न भोजन कार्यक्रम– बीरभूम जिले का एक अध्ययन'' में यह दर्शाया है कि मध्याह्न भोजन से नामांकन व उपस्थिति में वृद्धि द्वारा प्राथमिक शिक्षा के भौगोलीकरण में सार्थक रुप से निभाया हैं। यह वृद्धि लड़कियों और अजा/अजजा वर्गों से संबंध रखने वाले बच्चों के मामलों में और अधिक है। इस अध्ययन ने यह भी इंगित किया है कि मध्याह्न भोजन योजना से अध्यापकों की अनुपस्थिति दर में कमी आई है और इसने सामाजिक दूरी को कम किया है।

2005 से 2009 की अवधि के दौरान उपलब्धियां

घटक	2005–06	2006–07	2007–08*	2008–09*	2009–10*
शामिल किए गए बच्चें (करोड़ में)	11.94	10.68	11.37	11.19	11.36
आबंटित खाद्यान्न (लाख मी0टन में)	22.51	21.60	24.79	29.30	27.7
बजट आंबटन (करोड़ रु0 में)	3345.26	5348.00	6678.00	8000.00	7359.15
कुल व्यय (करोड़ रु0 में)	3186.33	5233.47	5835.47	6688.02	6937.02

* सम्मिलित रुप से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक

(iii) नवम्बर (2008) में आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिकी में प्रकाशित दीपा सिन्हा द्वारा "आंध्र प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना पर सामाजिक लेखा–परीक्षा" में यह सूचित किया गया है कि इस योजना से नामांकन में वृद्धि, कक्षाओं में भूख को रोकने तथा सामाजिक भेदभाव में कमी आई है। स्कूलों में तैयार मध्याह्न भोजन परोसने में नियमितता भी देखी गई है। एमडीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को जीवनयापन का अवसर प्रदान किया है।

मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत अवसंरचना का विकास

रसोईघर के शेड का निर्माणः वर्ष 2006–07 में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ क्षेत्रों को 60,000 रु0 प्रति इकाई की दर से रसोई शेड–सह–भण्डार के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता शुरु की गई। राज्यों को वर्ष 2009–10 के दौरान प्लिंथ एरिया मानकों (प्रत्येक 100 बच्चों के लिए 24 वर्ग मीटर तथा प्रत्येक अतिरिक्त 100 बच्चों के लिए 4 वर्ग मीटर का अतिरिक्त स्थान) तथा राज्य दर अनुसूची के आधार पर रसोई शेड–सह–भण्डार के निर्माण की लागत प्रदान की गई। एक समयावधि में चरणबद्ध रुप से अवसंरचना की कमी को भरने का निर्णय लिया गया। निम्नलिखित विवरण के अनुसार राज्यों/संघ क्षेत्रों को 8,50,313 रसोई शेड–सह–भण्डार के निर्माण के लिए पहले ही 5524.29 करोड़ रु0 की केन्द्रीय सहायता जारी की जा चुकी हैः–

क्र.सं.	वर्ष	इकाई	राशि (करोड़ रु0 में)
(क)	2006–07	2,21,039	1,326
(ख)	2007–08	2,22,849	1,337
(ग)	2008–09	3,02,870	1,817
(घ)	2009–10	1,03,555	1,044.29
	कुल	**8,50,313**	**5,524.29**

8,50,313 स्वीकृत रसोई शेडों में से 4,16,022 रसोई शेडों का निर्माण 30.9.2010 तक किया जा चुका है। वर्ष 2010–11 के लिए पीएबी एमडीएम द्वारा 170353 रसोई शेडों की स्वीकृति दी गई है।

रसोई के उपकरणों की खरीद

5,000 रु0 प्रति स्कूल की दर से रसोई के उपकरणों की खरीद के लिए केन्द्रीय सहायता वर्ष 2006–07 में शुरु किया गया। अब तक 11.26 लाख स्कूलों में रसोई के उपकरणों की खरीद के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को 562.87 करोड़ रु0 जारी किए जा चुके है जिसका विवरण निम्नलिखित हैः

क्र.सं.	वर्ष	स्कूल	राशि (करोड़ रु0 में)
(क)	2006–07	5,20,863	260.43
(ख)	2007–08	2,13,561	106.78
(ग)	2008–09	1,21,212	60.61
(घ)	2009–10	2,70,096	135.05
	कुल	11,25,732	562.87

11वीं पंच वर्षीय योजना (2007–08 से 2011–12) के लिए आबंटन

योजना आयोग द्वारा 11वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत 48,000.00 करोड़ रु0 के कुल बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस) के साथ–साथ प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) का अंशदान दोनों शामिल हैं।

महिला समाख्या कार्यक्रम

महिला समाख्या कार्यक्रम महिलाओं की अधिकारिता के लिए एक चालू कार्यक्रम है जिसे शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों को ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर सामाजिक तथा आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों में महिलाओं को शिक्षा एवं अधिकारिता के लिए एक ठोस कार्यक्रम में रुपांतरित करने के लिए 1989 में शुरु किया गया। एमएस में मुख्य बिंदु समता प्राप्त करने के लिए महिलाओं की अधिकारिता शिक्षा पर केन्द्रित है। एमएस भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं एवं लड़कियों को शिक्षा से दूर रखने वाली बाधाओं को हटाना और उनके संबंधियों को अकेलेपन, जीवनयापन के लिए संघर्ष, आत्मविश्वास की कमी, दमनकारी सामाजिक रुढ़ियों आदि से बचाना है। एमएस का लक्ष्य एक सम्मिलित जागरुकता पैदा करना तथा सबसे अधिक कमजोर महिला के संदर्भ में गॉवों को समझना और उनकी क्षमता का विकास करना है ताकि वे इसे चुनौती दे सकें।

मुख्य उद्देश्य

एमएस कार्यक्रम के उद्देश्य है:

(i) एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें शिक्षा महिलाओं की समता के लिए कार्य कर सके।

(ii) महिलाओं की सेल्फ इमेज तथा आत्मविश्वास को बढ़ाना और जिससे वे अर्थव्यवस्था में उत्पादक व श्रमिक के रुप में अपने अंशदान को जान पाए और शिक्षा कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

(iii) एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें महिलाएं ज्ञान व सूचनाएं प्राप्त कर सकें जिससे वे स्वयं अपने तथा समाज के विकास में एक सार्थक भूमिका निभा सकें ।

(iv) औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं तथा लड़कियों की और अधिक सहभागिता के लिए वातावरण तैयार करना।

(v) महिलाओं और किशोर लड़कियों को आवश्यक समर्थन अवसंरचना और शिक्षा के अवसर तैयार करने के लिए एक अनौपचारिक लर्निंग वातावरण मुहैया करना।

(vi) महिला संघों को प्रारंभिक स्कूलों, एई ईजीएस/एआईई केन्द्रों तथा निरंतर शिक्षा की अन्य सुविधाओं सहित गॉवों में शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय सहायता तथा निगरानी के लिए समर्थ बनाना।

(vii) ग्राम स्तर पर महिला संगठनों (महिला संघों) को जिला स्तर पर विकसित निर्णय लेने के अधिकारों के साथ प्रबंधन का विकेन्द्रीकृत एवं सहभागीय तरीका स्थापित करना जिसके फलस्वरुप प्रभावी सहभागिता के लिए आवश्यक माहौल उपलब्ध होगा।

एमएसः वर्तमान स्थिति

वर्तमान में इस कार्यक्रम को दस राज्यों यथाः आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के 104 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को राजस्थान में भी शुरु करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

संगठनात्मक ढांचा

महिला संघ महिला समाख्या का नोडल बिंदु है और सभी गतिविधियों की योजना संघ को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। संघ स्तरीय प्रक्रियाओं का सहयोगिनी द्वारा सूत्रधार किया जाता हैं जो कि दस गॉवों के लिए प्रेरक, सूत्रधार, समर्थक और गाइड है।

निधि–पोषण का इतिहास

एमएस योजना शुरूआत में नीदरलैंड की सरकार से प्राप्त अनुदान द्वारा पूर्ण रुप से पोषित एक बाह्य समर्थित परियोजना (ईएपी) थी। नीदरलैंड सरकार से निधि का आगमन 31.12. 2005 तक जारी रहा। उसके पश्चात, योजना को भारत सरकार द्वारा 2007–08 तक निधि पोषित किया गया। वर्तमान में, सात वर्षों (2007–14) के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग तथा भारत सरकार के मध्य 90:10 की निधि के अंशदान के आधार पर एमएस कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), यू.के. 35 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड (तकनीकी सहयोग फंड के लिए 1 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड सहित) की सहायता प्रदान कर रहा है। योजना के लिए 11वीं योजना में बजटीय परिव्यय 210.00 करोड़ रु0 है जिसमें से 46.00 करोड़ रु0 वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 2010–11 के लिए आबंटित किया गया है।

वर्तमान प्रगति

आधारभूत स्तर पर सेवा सुपुर्दगी तथा अधिकारिता प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना जबकि सुस्थिरता की एमएस सिद्धान्तों पर कार्यक्रम के स्वयं विस्तार तथा समेकित करने पर वर्तमान में ध्यान केन्द्रित है। इसे विशेषकर संघों (ब्लाक एवं जिला स्तर पर महिला संघ) को स्वायत्तता के स्तर तक सुदृढ़ बनाकर उनके द्वारा स्थानीय संदर्भ (एमएसके को चलाने, ब्लाकों के भीतर नए गॉवों तक विस्तार, समर्थन और संसाधन सहयोग आदि) में एमएस गतिविधियों में मुख्य उत्तरदायित्व निभाने से प्राप्त किया गया है। पिछले वर्ष से काफी संघों ने स्वायत्तता की ओर प्रगति की है जिससे नए जिलों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में संगामी विस्तार में सहायता मिलेगी ।

वर्तमान में एमएस कार्यक्रम द्वारा सुसाध्य 185 संघ है।

राष्ट्रीय स्तर पर नया परिवर्तन

सामाजिक शैक्षिक क्षेत्र में नवीनतम निगरानी एवं मूल्यांकन आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप एमएस का बुनियादी सर्वेक्षण (ओआरजी नील्सन द्वारा, टीसीएफ के अन्तर्गत भी अनुबंधित) 2009–10 में पूरा किया गया। इसके आधार पर एमएस कार्यक्रम के लिए ढांचागत परिणाम को पुनः बनाया गया और इस प्रक्रिया आधारित कार्यक्रम की मात्रात्मक और गुणवत्ता

दोनों पहलुओं के सामंजस्य के लिए मानकीकृत एमआईएस विकसित की जा रही है। राज्यों ने लंबे समय के आंकड़ा संग्रहण पद्धति को पुनः बनाकर संघ से ऊपर के संघ की सदस्यता, कार्यक्रम का फैलाव तथा अन्य प्रगति/प्रभाव सूचकों का गैर–समुच्चय और विस्तृत आंकड़े संग्रहित किए हैं।

इस कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को पिछले वर्ष (2009–10) में ईआरयू प्रशिक्षण दिया गया और अनिवार्य मूल्यांकन दस्तावेज उसी वर्ष के अन्त तक तैयार किया गया जिसे एमएस के एनपीओ द्वारा 2010–11 के लिए योजना बनाने के लिए राज्य के कार्यक्रमों के फीडबैक के रूप में प्रयोग किया गया।

एसएसए समीक्षाओं तथा निर्णय में दो दशकों के गहन आधारिक कार्यों पर आधारित एमएस की संस्तुतियों को शामिल करके राष्ट्रीय स्तर पर एमएस को काफी पहचान मिली है (उदाहरणार्थः सितम्बर, 2009 में 10वीं एसएसए जेआरएम की डेस्क समीक्षा में केजीबीवी एवं एनपीईजीईएल पर एमएस एसपीडी की प्रस्तुति, 2009 से एसएसए की लैंगिक समन्वयकों की कार्यशालाओं में एमएस राज्य प्रतिनिधियों को सहभागी के साथ–साथ संसाधन कर्मियों के रूप में डिजाइन में अपने अनुभवों को बांटने के लिए आमंत्रित किया गया, 2010 में राज्य शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में एसएसए के अन्तर्गत लड़कियों की शिक्षा को एमएस के समर्थन पर विचार–विमर्श किया गया, राज्यों के शिक्षा विभागों, एसएसए एवं एमएस के मध्य अधिकतम सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एसएसए पीएबी के साथ ही एमएस एडब्ल्यूपीबी अनुमोदन बैठक आयोजित करने की प्रथा शुरू करना, राष्ट्रीय महिला आयोग ने एमएस को अनुसंधान पहलों पर सहयोग के लिए आमंत्रित किया)।

एमएस कार्यक्रम के अन्दर अन्तर–राज्यीय ज्ञान के साथ–साथ बाह्य दर्शन एवं समर्थन के लिए वर्ष 2010–11 के दौरान टीसीएफ के अन्तर्गत एमएस में श्रेष्ठ आचरण पर प्रलेखन भी पूरा किया गया और 3 टूलकिट, एक विषय अध्ययन संग्रह तथा उससे तैयार की गई नीति विवरण दो राष्ट्रीय स्तर के कार्यशालाओं के माध्यम से अन्य कार्यक्रमों, संगठनों एवं सरकारी विभागों व मंत्रालयो में प्रसारित किया गया।

राजस्थान सरकार ने 2010–11 के दौरान राज्य में एमएस कार्यक्रम शुरू करने के लिए कदम उठाए है और सहमति ज्ञापन मसौदा तैयारी की प्रक्रिया के अधीन है।

मदरसों में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना

एसपीक्यूईएम का प्रयास मदरसों में गुणवत्तात्मक सुधार लाना है ताकि मुस्लिम बच्चे राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के मानकों के अनुसार औपचारिक शिक्षा विषयों में शिक्षा प्राप्त कर सकें। एसपीक्यूईएम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैः

1. शिक्षकों को मानदेय के परिवर्धित भुगतान के माध्यम से विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक अध्ययन आदि विषयों की औपचारिक पाठ्यक्रम के शिक्षण के लिए क्षमता को सुदृढ़ करना।
2. ऐसे शिक्षकों को प्रत्येक दो वर्षों में नई शैक्षणिक प्रथाओं का प्रशिक्षण।
3. उच्चतर तथा उच्चतम स्तर के मदरसों में वार्षिक रखरखाव लागत के साथ विज्ञान प्रयोगशाला तथा कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपलब्ध करना।
4. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों में विज्ञान/गणित किट का प्रावधान।
5. पुस्तकालयों और बुक बैंकों को सुदृढ़ बनाना तथा मदरसों से सभी स्तरों में शिक्षण सामग्री उपलब्ध करना।
6. इस परिवर्तित योजना की अनूठी विशेषता यह है कि यह मदरसों को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग के साथ औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मान्यताप्राप्त केन्द्रों के रूप में संबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिससे ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे कक्षा 5, 8, 10 व 12 के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। इससे उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के समान गुणवत्ता मानक भी सुनिश्चित हो पाएगा। एनआईओएस का पंजीकरण एवं परीक्षा शुल्क के साथ ही प्रयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।
7. इस योजना के अन्तर्गत एनआईओएस संबद्धता का विस्तार मदरसों में उच्चतर तथा उच्चतम स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए किया जाएगा।
8. योजना की निगरानी तथा इसको लोकप्रिय बनाने के लिए यह योजना राज्य मदरसा बोर्डों को वित्त पोषित करेगी। भारत सरकार स्वयं आवधिक मूल्यांकन करेगी जिसमें से पहला दो वर्षों के भतर होगी।

11वी योजना अवधि में एसपीक्यूईएम योजना के लिए 325 करोड़ रू0 का परिव्यय उपलब्ध किया गया है। 50.00 करोड़ रू0 की एक राशि वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात 2010–11 के लिए चिन्हित किया गया है। वर्तमान वर्ष 2010–11 के दौरान तीन राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल को शिक्षकों को मानदेय, बुक बैंक/विज्ञान किट, कम्प्यूटर प्रयोगशाला

तथा 1578 मदरसों में आधुनिक विषयों को पढ़ाने वाले मदरसा शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण आदि के लिए 39.92 करोड़ रू0 की राशि जारी की गई है।

अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए योजना (आईडीएमआई)

अल्पसंख्यक बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से निजी सहायताप्राप्त/गैर सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों/संस्थानों में अवसंरचना में वृद्धि के लिए आईडीएमआई प्रचालन में है। आईडीएमआई की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैः–

1. यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से अल्पसंख्यक संस्थानों में स्कूल अवसंरचना को बढ़ाने तथा उनको सुदृढ़ बनाकर अल्पसंख्यकों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध करेगी।
2. इस योजना में पूरा देश शामिल होगा किन्तु 20 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों, ब्लाकों तथा कस्बों में स्थित अल्पसंख्यक संस्थानों (निजी सहायताप्राप्त/गैर–सहायताप्राप्त) को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. यह योजना अन्य बातों के साथ–साथ लड़कियों को शिक्षा सुविधा, विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों तथा अल्पसंख्यकों में शैक्षिक रूप से सबसे अधिक वंचित बच्चों के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी।
4. यह योजना निजी सहायताप्राप्त/गैर–सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को अवसंरचना विकास के लिए विद्यमान स्कूलों में शैक्षिक अवसंरचना तथा भौतिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने, जिसमें (क) अतिरिक्त कमरा, (ख) विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला कक्ष (ग) पुस्तकालय कक्ष (घ) शौचालय (ड.) पेयजल सुविधा तथा (च) विशेषकर बालिकाओं के लिए हॉस्टल भवन के लिए अधिकतम 50 लाख रू0 प्रति संस्थान की शर्त के अधीन 75 प्रतिशत तक वित्त पोषित करेगी।

11वीं योजना अवधि में आईडीएमआई योजना के लिए 125. 00 करोड़ रू0 का परिव्यय उपलब्ध किया गया है। इस योजना के लिए वर्तमान वित्त 2010–11 वर्ष के लिए 1075 करोड़ रू0 की राशि चिन्हित की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान 25 अल्पसंख्यक संस्थानों को 6.09 करोड़ की राशि जारी किया गया है।

शिक्षक शिक्षण

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई), 1986 तथा इसके कार्यकलाप के कार्यक्रम में परिकल्पित के अनुसार प्रारंभिक एवं उच्चतर विद्यालयों के शिक्षकों को सेवा से पूर्व और सेवा में प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक व उच्चतर विद्यालयों को अकादमी संसाधन सहयोग के प्रावधान हेतु एक सांस्थानिक अवसंरचना के सृजन के लिए शिक्षकों की शिक्षा के पुनर्गठन तथा पुनःसंगठन के लिए एक केन्द्रीय–प्रायोजित योजना 1987 में आरंभ की गई। इस योजना में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित घटक है जिसके केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा हैः–

(क) डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाईट्स) की स्थापना।

(ख) सेकेंडरी टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सुदृढ़ करके कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन (सीटीई) तथा इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन (आईएएससी) में बदलना।

(ग) स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) को सुदृढ़ बनाना।

इस योजना को निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के साथ 10वीं योजना के अन्तर्गत संशोधित किया गयाः–

1. डीआईईटी/सीटीई/आईएएससी/एससीईआरटी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना, जिनको स्वीकृति दी गई किन्तु 9वीं योजना के अंत तक पूरा नहीं किया गया।
2. 9वीं योजना अवधि तक स्वीकृत डीआईईटी/सीटीई/आईएएससी को पूर्णरूप से क्रियाशील व प्रचालन योग्य (एससीईआरटी को सुदृढ़) बनाना।
3. आवश्यक सीमा तक नई डीआईईटी/सीटीई/आईएएससी/एससीईआरटी परियोजनाओं की स्वीकृति एवं उनका कार्यान्वयन।
4. डीआईईटी आदि द्वारा हाथ में लिए गए कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार – विशेषकर सेवा से पूर्व व सेवा में प्रशिक्षण का, ताकि वे शिष्य की उपलब्धियों के स्तर की शर्तों में आकलन के अनुसार अपने कार्यक्षेत्रों में प्रारंभिक तथा उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की अपनी नोडल भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सकें।
5. मंत्रालय ने एनसीईआरटी, एनयूईपीए, एनसीईटी तथा विकास साझेदारों के सहयोग से "प्रारंभिक शिक्षकों का सेवा में विकास" पर अक्टूबर, 2010 में भुवनेश्वर में एक

तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार के दौरान महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।

6. शिक्षकों की शिक्षा पर विभिन्न सेमिनारों में व्यक्त किए गए विचारों तथा राज्य सरकारों सहित विभिन्न पणधारकों से साथ हुई एनसीईआरटी रिपोर्ट पर विचार–विमर्श, एनसीईआरटी द्वारा किए गए मूल्यांकन में शामिल संस्तुतियां (अगस्त, 2009), 11वीं योजना के लिए शिक्षकों के लिए शिक्षा पर उप–समूहों की सिफारिशों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सहयोग से इस योजना को संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

7. आज की तारीख तक विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में 571 डीआईईटी, 106 सीटीई तथा 32 आईएएसई स्वीकृत किए गए जिनमें से 555 डीआईईटी, 104 सीटीई तथा 31 आईएएसई क्रियाशील हैं। ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। योजना के अन्तर्गत 2010–11 के दौरान राज्यों/संघ क्षेत्रों को 323.13 करोड़ रू0 की केन्द्रीय सहायता जारी किया गया।

नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन

नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने शिक्षकों की शिक्षा के योजनाबद्ध एवं समन्वित विकास प्राप्त करने तथा शिक्षकों की शिक्षा पद्धति में मानकों एवं मानदंडों की विनियमन एवं देखरेख के लिए अपना वृहद अधिदेश पर कार्य जारी रखा। एनसीटीई अधिनियम में देश में शिक्षकों की शिक्षा में गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानकों एवं विनियमन की प्रक्रिया बनाने का प्रावधान है। एनसीटीई ने अपने विद्यमान विनियमनों एवं मानकों व मानदंडों को संशोधित किया है और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (मान्यता मानक एवं प्रक्रिया) 2009 को अधिसूचित किया है। विजुअल आर्ट में डिप्लोमा तथा परफार्मिंग आर्ट में डिप्लोमा के लिए पहली बार मानक एवं मानदंड आरंभ किया गया है।

काउंसिल अपने चार क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से निम्नवत कार्य करता है:

क्षेत्रीय समिति का नाम	क्षेत्रीय समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्य/संघ क्षेत्र
पूर्वी क्षेत्रीय समिति	अरूणांचल प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखण्ड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल
पश्चिमी क्षेत्रीय समिति	गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव
उत्तरी क्षेत्रीय समिति	हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली एवं उत्तराखण्ड
दक्षिणी क्षेत्रीय समिति	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्ष्यद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं पांडिचेरी

एनसीटीई द्वारा क्रियान्वित मुख्य गतिविधियां

शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता

क्षेत्रीय समितियों को शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। 31 दिसम्बर, 2010 तक 11,30,964 शिक्षक प्रशिक्षुओं की स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के साथ एनसीटीई द्वारा 16,940 पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले 12,053 शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है।

प्रारंभिक स्कूल शिक्षक की नियुक्ति के लिए योग्यता

बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का. आ. 750 (ई) दिनांक 31 मार्च, 2010 के अनुसरण में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने आरटीई अधिनियम की धारा 2 के खंड (ध) के संदर्भ में अपने दिनांक 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना द्वारा स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के लिए प्रारंभिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया है।

टीचर इलीजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) संचालन के लिए दिशानिर्देश

23 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में कक्षा 1 से 8 में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु

पात्रता के लिए न्यूनतम योग्यताओं में टीचर इलीजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) को एक अनिवार्य योग्यता बना दिया गया है। एनसीईटी ने विशेषज्ञों की एक समिति की सहायता से टीईटी के दिशानिर्देश तथा रूपरेखा तैयार किया है और उसे 11 फरवरी, 2011 को परिचालित किया है।

शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, 2009 का कार्यान्वयन

एनसीटीई ने एक शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (एनसीएफटीई, 2009) तैयार किया है जो प्रकरण, प्रयोजन तथा दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए यह व्यक्त करता है कि शिक्षक शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा में सहजीवी संबंध है और इन दोनों क्षेत्रों में सुधार से शिक्षक शिक्षा सहित शिक्षा के पूरे परिदृश्य में गुणवत्ता सुधार के लिए आवश्यक प्रयोजन को परस्पर सुदृढ़ बनाएगा। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों के लिए इस रूपरेखा के डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम के नए प्रयोजनों तथा अपेक्षित कार्यसंपादन के तरीके को महत्व दिया गया है।

एनसीटीई ने तीन शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए सुझावी पाठ्यक्रम विकसित किया है, यथाः (1) बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी. एड.); (2) मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम. एड.); (3) डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डी. ईएल. एड.); तथा (4) डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन (डी. ई. सी. एड.)। विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों, एससीईआरटी, डीआईईटी तथा अन्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों को एनसीएफटीई की सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यशालाओं के आयोजन का अनुरोध किया गया है जिसके लिए एनसीटीई आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। कई संस्थानों इस संबंध में पहले ही कार्यशालाएं आयोजित कर ली है।

डी. एड एवं बी. एड के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार/संस्थानों की ग्रेडिंग

एनसीटीई मानको/मानदंडों तथा विनियमनों के प्रवर्तन से टीईआई के मध्य "न्यूनतम मानदंड" सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है और यह गौण आंकड़ों के आधार पर संस्थानों की ग्रेडिंग के लिए कुछ आधार प्रदान कर सकता है। समुचित रूप से निर्मित मानदंड के आधार पर शैक्षिक संस्थानों को मान्यता शैक्षिक हस्तक्षेप की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। एनसीटीई ने शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन एवं मूल्यांकन परिषद (एनएएसी), बंगलौर के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों के ग्रेडिंग के लिए एक तंत्र तैयार करने के लिए एनसीटीई ने प्रो. ए. के. शर्मा, पूर्व निदेशक, एनसीईआरटी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति ने अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सौंप दी है और जिसे एनसीटीई द्वारा शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाएगा।

अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण

पिछले दस वर्षों की अवधि में यह देखा गया कि राज्य सरकारें एनसीटीई द्वारा अधिसूचित योग्यताओं वाले शिक्षकों को नियुक्त करने में असमर्थ रहे है। तथापि, आरटीई एक्ट, 2009 के कार्यान्वयन के लिए काफी अधिक संख्या में शिक्षकों को भर्ती किया जाना आवश्यक है। कार्य की विशालता के बावजूद शिक्षकों की गुणवत्ता को किसी भी कीमत पर कम करना वांछनीय नहीं है। अतएव, यह सुनिश्चित किया जाए कि जिसे शिक्षक के रूप में भर्ती किया जाए उसके पास चुनौतियों का सामना करने के लिए अनिवार्य योग्यता, तत्परता तथा सामर्थ्य हो।

एनसीटीई राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। एनसीटीई ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है।

"शिक्षकों के लिए व्यावसायिक सदाचार का कोड" को तैयार करना

इसे सर्वत्र महसूस किया गया कि अन्य व्यवसायों की तरह शिक्षण व्यवसाय के लिए भी अपना व्यावसायिक सदाचार का कोड हो जो इसकी मर्यादा तथा सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए पूर्वापेक्षा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आरटीई–2009 ने शिक्षकों पर कुछ भारी व्यवसायिक उत्तरदायित्व डाला है जिसे उनको अपने कर्तवय के निर्वहन द्वारा निभाया जाएगा। स्कूल शिक्षकों के लिए व्यावसायिक सदाचार के कोड की महत्ता तथा आवश्यकता को समझते हुए एनसीटीई ने आल इंडिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों तथा राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ परामर्श से प्रो. ए. के. शर्मा. की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन करके "शिक्षकों के लिए व्यावसायिक सदाचार का कोड" तैयार किया। यह कोड एनसीटीई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नए पाठ्यक्रम तथा नमूना संसाधन सामग्री का विकास

शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (एनसीएफटीई–2009) का लक्ष्य विचारशील पेशेवर के रूप में शिक्षकों को तैयार करना है। पाठ्यक्रम मसौदा दस्तावेज में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पो. ए. के. शर्मा की अध्यक्षता में गठित एक मूल समिति द्वारा पूर्व–प्राथमिक, प्रारंभिक, उच्चतर तथा परा–स्नातक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। विकसित मसौदा पाठ्यक्रम को एनसीटीई की वेबसाइट में, शिक्षकों को शिक्षित करने वाले शिक्षकों, पणधारकों तथा उन सभी से जो शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में इच्छुक है, से सुझाव प्राप्त करने हेतु अपलोड किया गया है। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे, शिक्षकों की आवश्यकताओं, आरटीई–2009 के अनुसार शिक्षकों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को समुचित रूप से संबोधित किया जा सके। पाठ्यक्रम को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके पश्चात शिक्षक शिक्षा कोर्स के लिए नमूना संसाधन सामग्री विकसित किया जाएगा।

आरटीई एक्ट, 2009 की आवश्यकताओं के आलोक में प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरटीई एक्ट, 2009 के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों के लिए योग्यता को ध्यान में रखते हुए परिषद ने निर्णय लिया है कि बी. एड. (कक्षा 1 से 5 के लिए), बी. एड. (विशिष्ट शिक्षा) तथा डी. एड. पास करने वाले भी प्रारंभिक स्कूल शिक्षक के रूप में भर्ती के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे एनसीटीई द्वारा विकसित प्रारंभिक शिक्षा में विशिष्ट कार्यक्रम का छह माह का कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करें।

स्थापना दिवस

एनसीटीई ने अपना 15 वां स्थापना दिवस अगस्त, 2010 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में विशेष कार्यकमों का आयोजन करके मनाया। श्री कपिल सिब्बल, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास, श्रीमती पुरंदेश्वरी, माननीया राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और प्रो. आनंदकृष्णन, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गर्वनर, आईआईटी, कानपुर ने एक विशेष भाषण दिया। श्रीमती अंशु वैश, सचिव (एसई एंड एल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस समारोह में भाग लिया। प्रो. जी. एल. अरोड़ा को शिक्षक शिक्षा में आजीवन उपलब्धि से सम्मानित किया गया।

शिक्षा दिवस

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर तथा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि देने के लिए शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में प्रो. आर. गोविन्दा, उप–कुलपति, एनयूईपीए द्वारा प्रस्तुत ''व्यवसायी के रूप में शिक्षकः हारी हुई बाजी को पुनःजीतना' पर अपना दूसरा मौलान आजाद स्मारक भाषण आयोजित किया। श्रीमती पुरंदेश्वरी, माननीय राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास ने सत्र की अध्यक्षता की और प्रौद्योगिकीय विकास के परिणामस्वरूप शिक्षकों के बदलाव की जरूरत पर बल दिया। डा. अमरजीत सिंह, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस अवसर पर विशेष मेहमान के रूप में उपस्थित थे।

स्कूल शिक्षकों तथा शिक्षक शिक्षाविशारदों की मांग तथा आपूर्ति अनुमान 2007–08, 2016–17

एनसीटीई ने अक्टूबर, 2007 में ''स्कूल शिक्षकों तथा शिक्षक शिक्षाविशारदों की मांग तथा आपूर्ति अनुमानः 2007–08 से 2016–17'' के शीर्षक से एक राष्ट्रीय परियोजना शुरू की। इस परियोजना में भारत के सभी 28 राज्य और 7 संघ क्षेत्रों को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शामिल किया गयाः

1. राज्यों/संघ क्षेत्रों में 2006–07 तक विभिन्न स्कूल स्तरों में शिक्षकों तथा शिक्षक शिक्षाविशारदों की संख्या तथा प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए अध्ययन करना।
2. राज्यों/संघ क्षेत्रों में 2006–07 तक विभिन्न स्कूल स्तरों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षक शिक्षा संस्थानों में आने वाले तथा वहां से बाहर निकलने की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए अध्ययन करना।
3. विभिन्न स्कूल स्तरों में 2007–08 से 2016–17 तक स्कूल शिक्षकों तथा शिक्षक शिक्षाविशारदों की मांग तथा आपूर्ति अनुमान लगाना।

4. राज्यों / संघ क्षेत्रों में भौगोलिक एवं जनसंख्या के ध्यान में रखते हुए एवं बाध्यता के दृषिकोण से शिक्षक शिक्षा संस्थानों की आवश्यकता के लिए स्थान योजना का विकास करना।

विभिन्न राज्यों / संघ क्षेत्रों से आंकड़े प्राप्त करने के पश्चात इस परियोजना को पूरा किया गया। सभी 35 राज्यों / संघ क्षेत्रों को शामिल करते हुए कुल मिलाकर 33 शीर्षक प्रकाशित किए गए और भारी मात्रा में परिचालित किया गया। 2009–10 से 2016–17 की अवधि के लिए राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में शिक्षक शिक्षा संस्थानों की अन्तर्ग्रहण क्षमता के लिए मांग तथा आपूर्ति अनुमान आरटीआई एक्ट आरएमएसए तथा एनसीटीई विनियमन, 2009 के संशोधित मानको के आधार पर एनसीटीई द्वारा तैयार किया गया। यह रिपोर्ट प्रकाशनाधीन है।

अपीलों का निपटान

1 अप्रैल, 2010 से 31 जनवरी, 2010 तक की अवधि के दौरान एनसीटीई के सम्मुख प्रस्तुत 867 अपीलों का निपटान किया गया।

अन्य गतिविधियां

(क) स्कूलों तथा शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में पर्यावरण शिक्षा को एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के सहयोग से शिक्षक शिक्षाविशारदों के लिए 3 संसाधन पुस्तकें विकसित और प्रकाशित की गई हैं। पूरे भारत में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों पर पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के सहयोग से संसाधन पुस्तकों के प्रभावी प्रयोग के लिए शिक्षक शिक्षाविशारदों के लिए अभिमुखी कार्यक्रमों की एक श्रंखला आयोजित की गई।

(ख) शिक्षकों को प्रौद्योगिकी कौशल में योग्य बनाने तथा सूचना संचार प्रौद्योगिकी को शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए इंटेल इंडिया प्रा. लि. के सहयोग से कार्यरत शिक्षक शिक्षाविशारदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रंखला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पहचान किए गए प्रशिक्षण केन्द्रों पर व्यवसायी विकास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मान्यताप्राप्त प्रत्येक शिक्षण शिक्षा संस्थानों से दो शिक्षक शिक्षाविशारदों को "मास्टर प्रशिक्षक" के रूप में पहचान किया गया है। ये मास्टर प्रशिक्षक इंटेल टैक्नालाजी प्रा. लि. द्वारा चिन्हित प्रशिक्षकों / विशेषज्ञों से पूर्ण प्रशिक्षण करने के बाद सोपन नमूने के सिद्धांतों के अनुसार संबंधित संस्थाओं में बाकी संकाय संदस्यों को आगे प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

(ग) शिक्षक शिक्षा संस्थानों में पठन पाठन संसाधन आयोजित करने के लिए एक मैनुअल का विकास किया गया है और इसे भारी मात्रा में प्रसारित किया गया। यह मैनुअल अपेक्षित अनुदेश संसाधन प्रस्तुत करने तथा पठन पाठन प्रक्रिया को सुधारने में शिक्षक शिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान कर रहा है। शिक्षक शिक्षण संस्थानों से शिक्षक शिक्षण कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों से संबंधित पठन पाठन संसाधनों की भारी मात्रा को संघटित करना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय बाल भवन

राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है। इस संगठन की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 1956 में किया गया, यह 5–16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक सृजनशील संसाधन केन्द्र है।

एनबीबी का मिशन बच्चों को अनौपचारिक तरीकों से सृजन कला, सृजन लेखन, सृजन प्रदर्शन, भौतिक शिक्षा, वैज्ञानिक नवरचना, फोटोग्राफी, गृह प्रबंधन एवं संग्रहालय तकनीकों जैसे क्षेत्रों में एक खुशनुमा एवं सुखद वातावरण में उनकी सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करना है। एनबीबी का उद्वेश्य जाति, संप्रदाय, धर्म तथा लिंग का भेदभाव किए बिना बच्चों में मौलिक सोच का विकास करना है तथा उनमें साहस, आत्म सम्मान, धर्मनिरपेक्ष का भाव तथा सिद्धांतों से प्यार जैसे तत्वों को उनके अन्दर समाहित करने के उद्वेश्य से अनौपचारिक शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से अलग प्रकार से सक्षम बच्चों सहित अभावग्रस्त वर्गों के बच्चों पर विशेष ध्यान देना भी है।

देश में कुल 154 बाल भवन है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 54 बाल भवन केन्द्रों सहित 77 बाल केन्द्र एनबीबी से संबद्ध है। इसके अलावा जवाहर बाल भवन, मंडी एनबीबी की एक ग्रामीण इकाई है जो मंडी तथा एनसीटी क्षेत्र के अन्य नजदीकी गांवों के बच्चों की आवश्यताएं पूरी करता है। विचारों के बेहतर संचार तथा एकीकृत कार्यक्रमों के लिए बाल भवनों तथा बाल भवन केन्द्रों के बीच गहरा सामंजस्य है। पूरे वर्ष भर में एनबीबी स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर कई कार्यक्रम आयोजित करता है। पूरे वर्ष भर में विभिन्न प्रसंगो एवं विषयों पर कई विशेष कार्यशालाओं का

आयोजन भी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष इन कार्यक्रमों में हजारों बच्चें भाग लेते है। एनबीबी की कुछ नियमित वार्षिक पेशकशों को संक्षिप्त रूप से निम्नवत उल्लेख किया गया है:

राष्टीय प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र (एनटीआरसी): एनबीबी का एनटीआरसी एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सृजनात्मक कार्यशालाएं तथा दृश्य कला कार्यशालाओं को आयोजन करती है जो शिक्षकों तथा शिक्षक प्रशिक्षुओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है। दृश्य कला कार्यशाला प्रकृति में अनूठा है क्योंकि विषय के शिक्षक सहभागी स्कूलों के कला एवं शिल्प तथा प्रदर्शन कला शिक्षकों के साथ गहरे समन्वय में कार्य करते है जिससे विषय का पठन पाठन शिक्षकों व छात्रों दोनों के लिए खुशगंवार अनुभव बन जाता है।

बाल श्री पुरस्कारः बाल श्री योजना एनबीबी द्वारा 1995 में कला, प्रदर्शन, लेखन तथा वैज्ञानिक नवरचना के क्षेत्रों में देश के अत्यधिक सृजनात्मक एवं प्रगतिशील बच्चों की पहचान के लिए शुरू किया गया। इसका ध्येय हमारे बच्चों में मौलिकता, सृजनशीलता तथा नवरचनात्मकता की पहचान और उसे आरंभ से ही विकसित करना है ताकि देश का भावी नागरिक सामाजिक परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य कर सके और समाज तथा राष्ट्र का सम्पूर्ण विकास हो सके। बाल श्री पुरस्कृतों को स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय तीन स्तरों पर जांच के बाद चुना जाता है। स्थानीय स्तर के बाद 366 बच्चों ने क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव के लिए भाग लिया जिनमें से 152 बच्चें राष्ट्रीय बाल श्री कैम्प तक पहुंचे हैं जिसका आयोजन जनवरी, 2011 में अंतिम चुनाव के लिए आयोजित किया जाना है।

बच्चों की राष्ट्रीय सभा तथा अनुकूलन कैम्पः इस वर्ष बच्चों की राष्ट्रीय सभा तथा अनुकूलन कैम्प 'बाल अधिकार'' प्रसंग के साथ 14–20 नवम्बर, 2010 तक आयोजित किया गया।

माध्यमिक शिक्षा

5

माध्यमिक शिक्षा

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि करने तथा 2009–10 से शुरू की गई योजना की गुणवत्ता एवं कार्यान्वयन में सुधार करने के उद्देश्य से मार्च, 2009 में यह योजना शुरू की गई। किसी बस्ती से तर्कसंगत दूरी के अंदर माध्यमिक स्कूल का प्रावधान करके पांच वर्ष के अंदर माध्यमिक स्तर पर 2005–06 में 52.26 प्रतिशत से नामांकन कर 75 प्रतिशत प्राप्त करने की परिकल्पना थी। अन्य उद्देश्यों में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि करने में सभी माध्यमिक स्कूलों को समर्थ बनाते हुए माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लैंगिक, सामाजिक–आर्थिक एवं विकलांगता संबंधी बाधाओं को दूर करना, 2017 तक अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना तथा 2020 तक सार्वभौमिक अवधारण प्राप्त करना शामिल हैं।

लक्ष्य

विस्तृत भौतिक लक्ष्यों में निम्नलिखित के लिए सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं:

- 2011–12 तक 32 लाख से अधिक छात्रों का अतिरिक्त नामांकन,
- तकरीबन 44,000 विद्यमान माध्यमिक स्कूलों का सुदृढ़ीकरण,
- लगभग 11,000 नए माध्यमिक स्कूल खोलना,
- शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, और
- 80,000 से अधिक अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण।

घटक

स्कूलों में प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाओं में शामिल हैं:

(i) अतिरिक्त शिक्षण कक्ष,
(ii) प्रयोगशालाएं
(iii) पुस्तकालय
(iv) कला एवं दस्तकारी कक्ष
(v) शौचालय ब्लॉक
(vi) पेयजल का प्रावधान
(vii) बिजली/टेलीफोन/इंटरनेट की संयोजकता

समता का सुनिश्चय करते हुए गुणवत्ता में सुधार

गुणवत्ता में सुधार निम्नलिखित के माध्यम से होगाः (1) पीटीआर घटाकर 30:1 करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, (2) विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी की शिक्षा पर बल, (3) शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण (4) विज्ञान प्रयोगशालाएं (5) आईसीटी समर्थित शिक्षा (6) पाठ्यचर्या सुधार, और (7) अध्ययन–अध्यापन सुधार।

समता के मुद्दों पर निम्नलिखित के माध्यम से ध्यान दिया जाएगाः (1) सूक्ष्म आयोजना पर विशेष बल (2) स्तरोन्नयन में आश्रम स्कूलों को वरीयता (3) स्कूल खोलने के लिए अजा/अजजा/अल्पसंख्यक की बहुलता वाले क्षेत्रों को वरीयता (4) कमजोर वर्ग के लिए विशेष नामांकन अभियान (5) स्कूलों में अधिक महिला शिक्षक और (6) लड़कियों के लिए अलग शौचालय ब्लॉक।

निधियन का पैटर्न तथा निधियों का प्रवाह

केन्द्र सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजना व्यय का 75 प्रतिशत वहन करेगी तथा शेष 25 प्रतिशत व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए हिस्सेदारी का पैटर्न 50:50 होगा। दोनों योजना अवधियों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निधियन का पैटर्न 90:10 होगा।

यह योजना कार्यान्वयन के लिए स्थापित राज्य सरकार की सोसायटियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। केन्द्रीय हिस्सा सीधे कार्यान्वयन एजेंसी को जारी किया जाता है। लागू राज्य हिस्सा भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को जारी किया जाता है।

कार्यान्वयन में प्रगति

2010–11 के दौरान, 30.11.2010 तक 25 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त वार्षिक योजना प्रस्तावों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया तथा निम्नलिखित कार्यकलापों को अनुमोदित किया है:

- ➢ नए/स्तरोन्नत स्कूल : 2368
- ➢ 12206 स्कूलों का निम्नलिखित के साथ सुदृढ़ीकरण
  - अतिरिक्त शिक्षण कक्ष : 17733
  - विज्ञान प्रयोगशाला : 6983
  - कंप्यूटर कक्ष : 5566
  - कला/दस्तकारी/संस्कृति कक्ष : 8126
  - पुस्तकालय : 8309
  - अलग शौचालय ब्लॉक : 5507
  - पेयजल सुविधाएं : 3265
- ➢ शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण : 590000लाइव
- ➢ वार्षिक शिक्षक अनुदान : 65298
- ➢ लघु मरम्मत अनुदान : 1593
- ➢ शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टर : 431

ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना

यह प्रति ब्लॉक एक स्कूल की दर से ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना के माध्यम से प्रतिभावान ग्रामीण बच्चों को स्तरीय शिक्षा प्रदान करने की योजना है। यह योजना 2008–09 में शुरू की गई तथा 2009–10 से कार्यान्वित की जा रही है।

उद्देश्य

- प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक अच्छी गुणवत्ता का माध्यमिक स्कूल हो
- गति निर्धारक की भूमिका निभाना
- नवाचारी पाठ्यचर्या एवं शिक्षाशास्त्र आजमाना
- अवसंरचना, पाठ्यचर्या, मूल्यांकन एवं स्कूल अभिशासन में मॉडल के रूप में काम करना

कार्यान्वयन का ढंग

इस योजना में कार्यान्वयन के दो तरीके होंगे, एक सरकारी क्षेत्र में 3500 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) के लिए और दूसरा शेष 2500 ब्लॉकों के लिए। अभी तक सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत ईबीबी में स्कूल स्थापित करने के तौर–तरीकों का निर्णय हुआ है तथा उनका कार्यान्वयन चल रहा है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- इन स्कूलों के लिए भूमि राज्य सरकारों द्वारा अभिचिन्हित की जाएगी और निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकारों द्वारा शिक्षण के माध्यम के बारे में निर्णय लिया जाएगा। तथापि, अंग्रेजी एवं स्पोकन अंग्रेजी के शिक्षण पर विशेष बल दिया जाएगा।
- स्कूलों में 6 से 12 या 9 से 12 तक की कक्षाएं होंगी।
- ये स्कूल केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरह राज्य सरकार की सोसायटियों द्वारा संचालित किए जाएंगे।

हिस्सेदारी का पैटर्न

कक्षा 6 से 12 या 9 से 12 के दो सेक्शनों वाले स्कूलों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती दोनों लागतों के लिए हिस्सेदारी का पैटर्न 75:25 होगा। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए हिस्सेदारी का पैटर्न 90:10 होगा।

कार्यान्वयन एजेंसी

योजना के कार्यान्वयन के लिए स्थापित राज्य सरकार की सोसायटियों द्वारा योजना कार्यान्वित की जाएगी। केंद्रीय हिस्सा कार्यान्वयन एजेंसी को सीधे जारी किया जाएगा। लागू राज्य हिस्सा भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को जारी किया जाएगा।

कार्यान्वयन में प्रगति

2009–10 के दौरान 11 राज्यों में 327 मॉडल स्कूल संस्वीकृत किए गए तथा केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 257.71 करोड़ रूपए निम्नानुसार जारी किए गए:

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत स्कूलों की संख्या	केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में जारी की गई राशि (करोड़ रूपए में)
1.	बिहार	105	18.85
2.	छत्तीसगढ़	20	22.65
3.	हिमाचल प्रदेश	5	6.78
4.	जम्मू एवं कश्मीर	19	25.62
5.	कर्नाटक	74	83.80
6.	मध्य प्रदेश	33	37.37
7.	मिजोरम	1	1.36
8	नागालैंड	11	7.47
9.	पंजाब	21	23.78
10.	तमिलनाडु	18	20.25
11.	पश्चिम बंगाल	20	3.58

2010–11 के दौरान पांच राज्यों में 401 मॉडल स्कूल संस्वीकृत किए गए हैं तथा 31 दिसंबर 2010 तक केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 229.51 करोड़ रूपए निम्नानुसार जारी किए गए हैं:

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत स्कूलों की संख्या	केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में जारी की गई राशि (करोड़ रूपए में)
1.	छत्तीसगढ़	52	58.89
2.	गुजरात	74	69.29
3.	हरियाणा	36	12.55
4.	राजस्थान	91	32.65
5.	उत्तर प्रदेश	148	56.13

इनमे से पंजाब में 21 स्कूल, छत्तीसगढ़ में 20 स्कूल, कर्नाटक में 74, तमिलनाडु में 18 स्कूल तथा गुजरात में 12 स्कूल शैक्षिक वर्ष 2010–11 से क्रियाशील हो गए हैं।

इसके अलावा, 2010–11 के दौरान पंजाब को दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में पंजाब को 23.78 करोड़ रूपए, और पश्चिम बंगाल को 19.07 करोड़ रूपए एवं बिहार को 100.06 करोड़ की राशि केंद्रीय हिस्से की बची हुई राशि के रूप में जारी की गई है। 31 दिसंबर 2010 तक 1098 और स्कूल अनुमोदित किए गए हैं जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

(1)	असम	24
(2)	तमिलनाडु	26
(3)	आंध्र प्रदेश	355
(4)	बिहार	265
(5)	झारखंड	40
(6)	मध्य प्रदेश	168
(7)	महाराष्ट्र	43
(8)	उड़ीसा	111
(9)	राजस्थान	43
(10)	पश्चिम बंगाल	18
(11)	उत्तर प्रदेश	3
(12)	छत्तीसगढ़	2

माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए बालिका छात्रावास के निर्माण एवं संचालन की योजना

यह 2008–09 में आरंभ की गई एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है तथा तकरीबन 3500 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 100 सीट वाले बालिका छात्रावास स्थापित करने के लिए 2009–10 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना नें माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए बालिका छात्रावास निर्मित एवं संचालित करने की एनजीओ चालित पिछली योजना को प्रतिस्थापित किया है, जिसके अंतर्गत बालिका छात्रावास चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी जाती थी।

उद्देश्य

संशोधित योजना का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों को बनाए रखना है ताकि स्कूलों से दूरी, अभिभावकों की वित्तीय क्षमता तथा अन्य संबंधित सामाजिक कारणों से छात्राएं अपनी पढ़ाई जारी रखने के अवसर से वंचित न रहें।

लक्षित समूह

कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली 14–18 आयुवर्ग की तथा अजा, अजजा, अपिव, अल्पसंख्यक समुदाय तथा बीपीएल परिवार की लड़कियां इस योजना के लिए लक्षित समूह होगी। छात्रावासों में प्रवेश के लिए केजीबीवी से उत्तीर्ण लड़कियों को वरीयता दी जाएगी। दाखिला दी गई लड़कियों में कम से कम 50 प्रतिशत लड़कियां अजा, अजजा, अपिव, अल्पसंख्यक समुदाय से होगी।

हिस्सेदारी का पैटर्न तथा कार्यान्वयन एजेंसी

केंद्र सरकार 90 प्रतिशत आवर्ती एवं अनावर्ती परियोजना लागत वहन करेगी तथा शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना है। योजना के कार्यान्वयन के लिए स्थापित राज्य सरकार की सोसायटियों द्वारा योजना कार्यान्वित की जाएगी। केंद्रीय हिस्सा राज्य सरकारों को जारी किया जाएगा जो बदले में कार्यान्वयन एजेंसी को जारी करेगी। लागू राज्य हिस्सा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को जारी किया जाता है।

कार्यान्वयन में प्रगति

2009–10 के दौरान, 11 राज्यों में 379 छात्रावास संस्वीकृत किए गए हैं तथा केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 65.15 करोड़ रूपए की राशि निम्नानुसार जारी की गई हैं:

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत छात्रावासों की संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	5	0.96
2.	बिहार	92	11.56
3.	छत्तीसगढ	74	14.14
4.	हिमाचल प्रदेश	5	0.96

5.	जम्मू एवं कश्मीर	18	3.44
6.	कर्नाटक	62	10.56
7.	मध्य प्रदेश	30	5.74
8.	मिजोरम	1	0.19
9.	पंजाब	21	4.02
10.	राजस्थान	27	5.16
11.	तमिलनाडु	44	8.42

2010–11 के दौरान, राज्य में 159 छात्रावास स्थापित करने के लिए राजस्थान को 31.30 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है (09.12.2010 तक)। इसके अलावा, पंजाब को केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 3.25 करोड़ रूपए तथा बिहार को पहली किस्त की बची राशि के रूप में 6.03 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे कतिपय स्पष्टीकरणों के अधीन सहायता अनुदान समिति (जीआईएसी) द्वारा 2 राज्यों में 197 और छात्रावास संस्वीकृत किए गए हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

1.	उड़ीसा	53
2.	उत्तर प्रदेश	144

संबंधित राज्य सरकारों से अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद निधियां जारी की जाएंगी।

स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की केंद्र प्रायोजित योजना

आईसीटी कौशलों पर मुख्यतः उनकी क्षमता का निर्माण करने तथा कंप्यूटर समर्थित अध्ययन प्रक्रिया के माध्यम से उनको सीखने में समर्थ बनाने के लिए माध्यमिक स्तर के छात्रों को अवसर प्रदान करने के लिए दिसम्बर 2004 में स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) योजना शुरू की गई।

यह योजना विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य भौगोलिक बाधाओं के छात्रों में अंकीय अंतराल को पाटने में एक प्रमुख उत्प्रेरक है। यह योजना संपोषणीय आधार पर कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती हैं। इसका उद्देश्य केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में स्मार्ट स्कूल भी स्थापित करना है जो "प्रौद्योगिकी प्रदर्शन" के रूप में काम करने तथा आसपास के स्कूलों के छात्रों में आईसीटी कौशल का प्रसार करने में भारत सरकार की गति निर्धारक संस्थाएं हैं।

अब तक के अनुभव के आधार पर 11वीं योजना की शेष अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए योजना को संशोधित किया गया है। योजना के दिशानिर्देश 20.07.2010 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं संगठनों को परिचालित किए गए हैं।

योजना के घटक

इस योजना में तत्वतः चार घटक हैं।

1. पहला घटक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को कंप्यूटर समर्थित शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ साझेदारी है।
2. दूसरा घटक स्मार्ट स्कूलों की स्थापना है जो प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का कार्य करेंगे।
3. तीसरा घटक शिक्षकों से संबंधित हस्तक्षेप है, जैसेकि एक अनन्य शिक्षक की तैनाती का प्रावधान, आईसीटी में सभी शिक्षकों की क्षमता वृद्धि और उत्प्रेरण के उपाय के रूप में राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार की योजना।
4. चौथा घटक मुख्यतः केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), 6 राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थानों (एसआईईटी) तथा पांच क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आरआईई) के माध्यम से तथा बहिस्रोतन के माध्यम से ई–अंतर्वस्तु के विकास से संबंधित है।

संशोधित योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क) स्कूलों के लिए अनावर्ती व्यय 6.7 लाख रूपए से संशोधित करके 6.4 लाख रूपए किया गया है जबकि वार्षिक आवर्ती व्यय 1.34 लाख रूपए से संशोधित करके 2.70 लाख रूपए किया गया है। आवर्ती लागत संस्वीकृति के वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को शामिल करने के उद्देश्य से इस योजना के 6000 करोड़ रूपए का योजनागत आंबटन है। शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों तथा अजा/अजजा/अल्पसंख्यक/कमजोर वर्ग की बहुलता वाले क्षेत्रों में शीघ्र कवरेज के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) संशोधित योजना के अंतर्गत, प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल में एक उपयुक्त रूप से अर्हता प्राप्त पूर्णकालिक कंप्यूटर शिक्षक का प्रावधान है। ऐच्छिक विषय के रूप में कंप्यूटर संबद्ध विषय रखने वाले उच्चतर माध्यमिक स्कूल के मामले में एक स्नातकोत्तर कंप्यूटर शिक्षक की जरूरत होगी।

(घ) माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में सभी शिक्षकों के लिए सेवाकालीन (प्रवेश एवं पुनश्चर्या) प्रशिक्षण के लिए प्रावधान है ताकि वे आईसीटी समर्थित शिक्षण प्रदान करने में समर्थ हो सकें।

(ड.) क्षेत्रीय भाषाओं में ई–अंतर्वस्तु के विकास के लिए सीआईईटी, एसआईईटी एवं आरआईई में लैब स्थापित करने के लिए संशोधित योजना में प्रावधान है।

(च) प्रतिवर्ष स्कूल के लिए 25 लाख रूपए के अनुदान तथा 2.5 लाख रूपए के आवर्ती अनुदान का प्रयोग करके जिला स्तर पर राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 150 स्मार्ट स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रत्येक ऐसे स्कूल में कम से कम 40 कंप्यूटरों का प्रावधान संभव हो सकेगा।

(छ) ई–अंतर्वस्तु के विकास में योगदान करने के लिए एसआईईटी को सुदृढ़ करने का प्रावधान है।

(ज) प्रबंधन, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन को सुदृढ़ किया जाएगा।

(झ) विद्यमान कार्यक्रम के साथ अभिसरण विशेष रूप से शिक्षक प्रशिक्षण तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति एवं इंटरनेट संयोजकता सुनिश्चित करने में आवश्यक होगा।

(ञ) इस योजना में अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में स्कूलों में आईसीटी का प्रयोग करने वाले शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल है।

(ट) सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर (जहां अनुपात 90:10 है) केंद्र एवं राज्य के बीच हिस्सेदारी का पैटर्न 75:25 है।

कवरेज

योजना के अंतर्गत फिलहाल सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। कंप्यूटर एवं पेरीफरल, शैक्षिक साफ्टवेयर खरीदने, शिक्षक प्रशिक्षण, ई–अंतर्वस्तु के विकास, इंटरनेट संयोजकता तथा स्मार्ट स्कूल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

वित्तीय सहायता एवं लागत संबंधी मानदंड

सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) की अध्यक्षता में परियोजना मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन समूह (पीएमईजी) द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के आधार पर राज्यों, सीआईईटी एवं एसआईईटी को वित्तीय सहायता दी जाती है। सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर (जहां अनुपात 90:10 है) परियोजना की लागत केंद्र एवं राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में साझा की जाती है।

2010–11 में हुई प्रगति

नवंबर 2010 तक योजना के अंतर्गत 15 राज्यों एवं चार संघ राज्य क्षेत्रों में 10045 स्कूलों को शामिल करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

+ 2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की योजना

माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की केंद्र प्रायोजित योजना में शैक्षिक अवसरों में विविधता लाने का प्रावधान है ताकि व्यक्तिगत नियोज्यता में वृद्धि हो, कुशल जनशक्ति की मांग एवं पूर्ति के बीच असंतुलन घटे तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों को एक विकल्प मिल सके।

+ 2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की केंद्र प्रायोजित योजना 1988 से लागू की जा रही है। संशोधित योजना 1992–93 से चलाई जा रही हैं। योजना में प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने, क्षेत्रवार व्यावसायिक सर्वे करने, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक, अभ्यास पुस्तिका दिशानिर्देश, प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करने, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान एवं विकास के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन आदि के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता का प्रावधान है। यह अल्पावधिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विशिष्ट नवाचारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एनजीओ एवं स्वयंसेवी संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस योजना ने अब तक + 2 स्तर पर 9619 स्कूलों में 21000 अनुभागों तथा तकरीबन 10 लाख छात्रों की क्षमता निर्माण के लिए अवसंरचना सृजित की है। योजना के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक 765 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है।

विभिन्न समितियों/समीक्षा समूहों की सिफारिशों के आधार पर विद्यमान योजना को संशोधित किया जा रहा है।

माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस)

विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (आईईडीसी) की पिछली योजना को प्रतिस्थापित करके माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) की योजना 2009–10 में शुरू की गई। यह कक्षा 9–12 में विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा के 8 वर्ष पूरा करने के बाद समावेशी एवं समर्थकारी परिवेश में 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 से 12) पूरा करने के लिए सभी विकलांग छात्रों को समर्थ बनाना है।

योजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्कूल उत्तीर्ण करने वाले तथा सरकारी, स्थानीय निकाय एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले ऐसे सभी छात्र शामिल हैं जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 तथा आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक पश्चता एवं अनेक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत परिभाषित एक या अधिक विकलांगताओं से पीड़ित हैं, अर्थात (1) अंधता (2) कम दिखना (3) निदानित कुष्ठ रोग (4) श्रवण विकलांगता (5) लोकोमोटर विकलांगता (6) मानसिक पश्चता (7) मानसिक बीमारी (8) आटिज्म, और (9) सेरेब्रल पाल्सी को भी शामिल किया जाता है।

घटक

इस योजना के घटकों में शामिल हैः (1) चिकित्सा/शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन (2) छात्र विशिष्ट सुविधाओं का प्रावधान (3) अध्ययन सामग्री का विकास (4) विशेष प्रशिक्षक जैसी सहायता सेवाएं (5) संसाधन कक्षों का निर्माण एवं उपकरणों से लैस करना (6) विशेष जरूरत वाले बच्चों की आवश्यकताएं पूरा करने में सामान्य स्कूल शिक्षकों की क्षमता के निर्माण के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण (7) स्कूलों को बाधा मुक्त बनाना। प्रत्येक राज्य में मॉडल समावेशी स्कूल स्थापित करने की भी परिकल्पना है। विकलांग लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा माध्यमिक स्कूलों तक पहुंच प्राप्त करने में उनकी सहायता के लिए योजना के अंतर्गत प्रयास किए जाते हैं तथा उनकी क्षमता के विकास के लिए सूचना एवं मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। विकलांग लड़कियों के लिए 200 रूपए की मासिक वृत्तिका का प्रावधान है।

योजना के अंतर्गत शामिल सभी मदों के लिए शत प्रतिशत आधार पर केंद्रीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के स्कूल शिक्षा विभाग कार्यान्वयन एजेंसी हैं। वे योजना के कार्यान्वयन में ऐसे गैर सरकारी संगठनों को शामिल कर सकते है जिनके पास विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है।

सहायता दो प्रमुख घटकों के लिए ग्राह्य है अर्थातः

(i) छात्र–उन्मुख घटक, जैसे चिकित्सा एवं शैक्षिक मूल्यांकन, पुस्तक एवं लेखन सामग्री, लड़कियों के लिए वृत्तिका, सहायता सेवाएं, सहायक युक्तियां, रहने और खाने की सुविधा, रोगहर सेवाएं, अध्ययन अध्यापन सेवाएं। केंद्रीय सहायता के रूप में प्रति बच्चा प्रतिवर्ष 3000 रूपए प्रदान किए जाते हैं जिसे प्रति बच्चा प्रतिवर्ष 600 रूपए की छात्रवृत्ति के माध्यम से राज्य द्वारा संवर्धित किया जाता है।

(ii) अन्य घटकों में विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए सामान्य शिक्षकों को भत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासकों का प्रबोधन, संसाधन कक्ष की स्थापना, बाधा मुक्त परिवेश प्रदान करना आदि शामिल हैं।

केंद्रीय स्तर पर, परियोजना मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन समूह (पीएमईजी) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है तथा मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन का कार्य भी करता है। इसमें सदस्य के रूप में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र से अनेक विशेषज्ञ है।

योजना के दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.education.nic.in पर उपलब्ध है।

वर्ष 2010–11 के लिए बजट आबंटन 70 करोड़ रूपए था। 31.12.2010 की स्चिथति के अनुसार योजना के अंतर्गत व्यय 57.77 करोड़ रूपए है। योजना के अंतर्गत 2010–11 के दौरान 20000 सरकारी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 1.30 लाख से अधिक विकलांग बच्चों, 3000 शिक्षकों को शामिल किया जा रहा है।

राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति की योजना

भारत सरकार ने 2008–09 में राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की। योजना का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देना है ताकि वे कक्षा 8 के स्तर पर पढ़ाई न छोड़ें तथा माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा 12

तक पढ़ाई जारी रखने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है। कक्षा 9 से 12 में पढ़ाई के लिए हर वर्ष चुने गए छात्रों को प्रति छात्र 600 रूपए प्रतिवर्ष (500 रूपए प्रतिमाह) की एक लाख छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्तियां सरकारी, स्थानीय निकाय एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए हैं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 1.50 लाख रूपए से अधिक नहीं होती है। राज्य के मानदंड के अनुसार आरक्षण का प्रावधान है। 2008–09 के लिए 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चयनित छात्रों को 54579 छात्रवृत्तियां संस्वीकृत की गई, 2009–10 के लिए 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चयनित छात्रों को 24536 छात्रवृत्तियां संस्वीकृत की गई तथा 2010–11 के लिए 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चयनित छात्रों को 6920 छात्रवृत्तियां संस्वीकृत की गई। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को पड़ोस के बैंक में अपना खाता खोलना होता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर तिमाही आधार पर प्राप्तकर्ताओं के खाते में छात्रवृत्ति जमा की जाती है।

माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन

भारत सरकार ने 2008–09 में 'माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की। योजना के अनुसार सावधि जमा के रूप में पात्र लड़कियों के नाम पर 3000 रूपए की राशि जमा की जाती है जिसे वे 18 वर्ष का होने पर इस पर ब्याज समेत इसे आहरित कर सकती हैं तथा उनको कक्षा 10 की परीक्षा उस समय तक उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए। योजना के अंतर्गत (1) अजा/अजजा समुदाय की ऐसी सभी लड़कियां जिन्होंने कक्षा 8 पास कर लिया है और (2) ऐसी सभी लड़कियां शामिल हैं जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 की परीक्षा पास करती हैं (वे अजा/अजजा से संबंधित हों या न हों) और सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकाय के स्कूलों में कक्षा 10 में नामांकन कराती हैं। योजना का उद्देश्य पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर कम करने तथा माध्यमिक स्कूलों में अजा/अजजा की लड़कियों का नामांकन बढ़ाने तथा 18 वर्ष की आयु तक उनका अवधारण सुनिश्चित करने के लिए समर्थकारी माहौल सृजित करना है।

2008–09 के लिए 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 409580 पात्र लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए 122.87 करोड़ रूपए की राशि संस्वीकृत की गई। 2009–10 के लिए 210576 पात्र लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए 63.17 करोड़ रूपए की राशि संस्वीकृत की गई। 2010–11 के लिए 12402 पात्र लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए 3.72 करोड़ रूपए की राशि संस्वीकृत की गई।

भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता की केंद्र प्रायोजित योजना

इस योजना में 3 घटक हैं:

(i) गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण
(ii) उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति तथा उर्दू पढ़ाने के लिए मानदेय की मंजूरी
(iii) हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों (हिंदी से भिन्न) की नियुक्ति

इन योजनाओं को 10वीं योजना में तीनों में सहलग्नता बढ़ाने तथा बेहतर प्रशासनिक दक्षता के लिए इनको एक साथ मिला दिया गया। योजनाओं के घटक अपरिवर्तित रहे।

योजना का मुख्य उद्देश्य त्रिभाषा सूत्र को लागू करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना है। योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे संशोधित किया गया है।

गैर हिंदी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण

केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित के लिए कारगर ढंग से त्रिभाषा सूत्र लागू करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के विचार से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की: (1) गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति और (2) हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज खोलना/सुदृढ़ करना।

अब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर केवल एक पंचवर्षीय योजना के लिए ग्राह्य है, जहां वित्तीय सहायता अगली पंचवर्षीय योजना अवधि के अंतिम वर्ष तक दी जाएगी।

राज्य सरकार में भाषा शिक्षकों की वेतन संरचना के आधार पर योजना के तहत नियुक्त हिंदी शिक्षकों के लिए वेतन के लिए 100 प्रतिशत सहायता ग्राह्य है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति तथा उर्दू पढ़ाने के लिए मानदेय प्रदान करना

आई के गुजराल समिति की सिफारिशों के अनुसरण में 1975 में एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के लिए उर्दू शिक्षकों के वेतन के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। 2008–09 के दौरान योजना को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

(i) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अनुसरण में किसी ऐसे स्थान में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति जहां 25 प्रतिशत से अधिक आबादी उर्दू बोलने वाली है।

(ii) राज्य सरकार में भाषा शिक्षक की वेतन संरचना के आधार पर योजना के अंतर्गत नियुक्त उर्दू शिक्षकों के वेतन के लिए अब 100 प्रतिशत सहायता ग्राह्य है। उर्दू पढ़ाने वाले अंशकालिक शिक्षकों के लिए 1000 रूपए प्रतिमाह की दर से मानदेय ग्राह्य है।

(iii) 5 वर्ष की अतिरिक्त योजना अवधि के लिए राज्यों को अब उर्दू शिक्षकों के लिए केंद्रीय सहायता ग्राह्य है।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निधियन से 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों अर्थात जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू) द्वारा उर्दू शिक्षकों के प्रशिक्षण का संचालन किया जाएगा।

हिंदी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों (हिंदी से भिन्न) की नियुक्ति

भारत सरकार ने 1993–94 से आठवीं योजना अवधि के दौरान एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की जिसके अंतर्गत हिंदी भाषी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) शिक्षक (हिंदी से भिन्न) अधिमानतः दक्षिण भारतीय भाषा (एसआईएल) शिक्षक की नियुक्ति के लिए प्रावधान था। योजना का उद्देश्य त्रिभाषा सूत्र को लागू करना तथा स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं (एमआईएल) अधिमानतः दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ाने में हिंदी भाषी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना था।

यह योजना 75 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है। 2010–11 के लिए बजट प्रावधान 15 करोड़ रूपए है। 2010–11 के दौरान (अक्टूबर 2010 तक) हिंदी प्रशिक्षण कॉलेज, उत्तरी गौहाटी के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए असम सरकार को 24890000 रूपए की राशि जारी की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

1958 में शुरू किया गया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राथमिक, मिडिल एवं माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले मेधावी शिक्षकों को सार्वजनिक पहचान प्रदान करने के लिए हर वर्ष 5 सितम्बर (शिक्षक दिवस) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। कुल मिलाकर 374 पुरस्कार हैं जिनमें से 20 पुरस्कार संस्कृत, फारसी एवं अरबी के शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। शिक्षकों की संख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संगठन के लिए कोटा निर्धारित हैं।

योजना के अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों के शिक्षक भी शामिल हैं जिसमें विदेशों में स्थित स्वतंत्र संबद्ध स्कूलों, भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिसर (सीआईएससीई), सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) तथा आण्विक ऊर्जा शिक्षा सोसायटी द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं। पुरस्कार वर्ष 2001 से स्कूलों में एकीकृत समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले तथा नियमित स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले शिक्षकों के लिए 33 विशेष पुरस्कार भी निर्धारित किए गए हैं। पुरस्कार वर्ष 2006 से केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए 2 अतिरिक्त विशेष पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं जिससे विशेष पुरस्कारों की कुल संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पुरस्कार वर्ष 2007 से विशेष पुरस्कारों की कुल संख्या बढ़ाकर 43 कर दी गई हैं।

प्रत्येक पुरस्कार के साथ एक प्रशस्ति पत्र, 25000 रूपए की नकद राशि तथा एक रजत पदक दिया जाता है।

5 सितम्बर 2010 (शिक्षक दिवस) को एक जगमगाते समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा पूरे देश के 312 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया जिसमें 95 महिला शिक्षक, 7 संस्कृत शिक्षक, 2 अरबी/फारसी शिक्षक तथा स्कूलों में एकीकृत/समावेशी शिक्षा में विकलांग बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले 13 शिक्षक शामिल हैं।

केंद्रीय विद्यालय संगठन

केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के प्रतिपाल्यों को अबाध शिक्षा प्रदान करने के लिए नवम्बर 1962 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) की योजना अनुमोदित की गई। शुरू में, शैक्षिक सत्र 1962–63 के दौरान 20 रेजीमेंटल स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय के रूप में अधिग्रहीत किया गया। 01.02.2011 की स्थिति के अनुसार अब यह संख्या बढ़कर 1067 हो गई हैं जिसमें विदेशों में स्थित 3 स्कूल (काठमाण्डु, मास्को एवं तेहरान) शामिल हैं। 39 केंद्रीय विद्यालयों में दो पालियां चलती हैं।

केवीएस प्रशासन

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं शासी मंडल के पदेन अध्यक्ष हैं। मानव

संसाधन विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष हैं। आयुक्त संगठन का कार्यपालक प्रमुख होता है। इसके 18 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके प्रमुख सहायक आयुक्त होते हैं जो क्षेत्र के सभी केंद्रीय विद्यालयों के कामकाज की निगरानी करते हैं। चार क्रियाशील आंचलिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (जेडआईईटी) हैं जिनके प्रमुख निदेशक होते हैं। 1073 केंद्रीय विद्यालयों के प्रमुख प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य ग्रेड–2 होते हैं जो स्कूल के कामकाज का प्रबंधन करते हैं।

सेक्टरवार 1073 क्रियाशील केंद्रीय विद्यालयों का वितरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	सेक्टर	केंद्रीय विद्यालयों की संख्या
1.	रक्षा	352
2.	सिविल	591
3.	उच्च अध्ययन संस्थान	21
4.	परियोजनाएं	109
कुल		1073

दाखिला

केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए प्रमुख कसौटी पिछले 7 वर्षों के दौरान अभिभावक का स्थानांतरण है। इसके पश्चात दाखिल किए जाने वाले बच्चों की अन्य श्रेणियों में केंद्र सरकार के गैर स्थानांतरणीय कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के स्थानांतरणीय एवं गैर स्थानांतरणीय कर्मचारियों, राज्य सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों तथा यायावर आबादी के प्रतिपाल्य आते हैं, यदि सीटें उपलब्ध होती हैं। 30.11.2010 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में 1060011 छात्र पढ़ रहे हैं।

वर्ष 2010–11 के दौरान खोले गए केंद्रीय विद्यालयों पर संक्षिप्त रिपोर्ट

वर्ष 2010–11 के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 केंद्रीय विद्यालय समेत कुल 107 केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए संस्वीकृति प्रदान की गई। 93 केंद्रीय विद्यालय (2010–11 के दौरान 91 केंद्रीय विद्यालय तथा 2011–12 के दौरान 2 केंद्रीय विद्यालय) खोलने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इनमें से 85 केंद्रीय विद्यालय क्रियाशील हो गए हैं तथा शैक्षिक सत्र 2011–12 के दौरान शेष 6 केंद्रीय विद्यालयों को क्रियाशील बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

प्राथमिक पूर्व शिक्षा

जहां अवसंरचना उपलब्ध हैं वहां केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्व–वित्त पोषण के रूप में केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिक पूर्व शिक्षा शुरू किया है। 1 अप्रैल को 4 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है।

+ 2 स्तर पर अध्ययन पाठ्यक्रम

केंद्रीय विद्यालय मुख्यतया विज्ञान, वाणिज्य एवं मानविकी की धाराओं में शिक्षा प्रदान करते हैं। 2005–06 के सत्र से + 2 स्तर पर 4 और विषय शुरू किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:

(i) कंप्यूटर विज्ञान
(ii) मल्टीमीडिया एवं वेब प्रौद्योगिकी
(iii) सूचना विज्ञान की प्रथाएं
(iv) जैव प्रौद्योगिकी

शैक्षिक निष्पादन

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की परीक्षाओं में पिछले पांच वर्षों के दौरान अन्य

विद्यालय संगठनों के साथ केंद्रीय विद्यालयों का तुलनात्मक निष्पादन नीचे सारणी में दिया गया है:

कक्षा 10	2006	2007	2008	2009	2010
केवीएस	90.63	95.64	96.07	96.35	96.64
जेएनवी	91.13	96.41	97.54	97.84	98.72
स्वतंत्र स्कूल	85.94	91.81	91.77	91.89	91.79
योग (सीबीएसई)	77.16	84.44	87.08	88.84	89.28
कक्षा 12					
केवीएस	92.89	93.14	91.00	91.32	91.13
जेएनवी	90.24	90.11	92.44	94.09	95.31
स्वतंत्र स्कूल	82.35	82.89	81.68	80.94	79.42
योग (सीबीएसई)	79.55	80.64	80.91	81.00	79.87

केंद्रीय विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएं

- केंद्रीय विद्यालय मुख्य रूप से केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के प्रतिपाल्यों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करते हैं।
- सभी केंद्रीय विद्यालय सह शिक्षा विद्यालय हैं।
- सामान्य पाठ्य पुस्तकों, सामान्य पाठ्यचर्या एवं शिक्षण के द्विभाषी माध्यम अर्थात अंग्रेजी एवं हिंदी का अनुसरण किया जाता है।
- सभी केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों के कुछ केंद्रीय विद्यालय + 2 स्तर पर राज्य शिक्षा बोर्डो से भी संबद्ध हैं।
- छात्राओं के मामले में, शिक्षण शुल्क बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है। एकल बालिका छात्र के लिए सभी शुल्कों के भुगतान से छूट है।
- कक्षा 8 तक लड़कों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है।
- कक्षा 12 तक जिन अन्य वर्गों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है वे इस प्रकार हैं:
  - केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्टाफ के प्रतिपाल्य
  - अजा/अजजा छात्र
- 1962, 1965, 1971, 1999 के युद्ध तथा चीन एवं पाकिस्तान के विरूद्ध कारगिल युद्ध के दौरान मारे गए/विकलांग हो गए सशस्त्र बल के कर्मचारियों के बच्चे

आईटी समर्थित विद्यालय

भारत सरकार द्वारा स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए 31 केंद्रीय विद्यालयों की पहचान की गई है। अपनी अवसंरचना समृद्ध करने तथा आईटी एवं मल्टीमीडिया के अभीष्ट प्रयोग के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सभी 31 केंद्रीय विद्यालयों को 25–25 लाख रूपए की राशि संस्वीकृत की गई है।

सभी केंद्रीय विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर एवं पेरीफरल हैं तथा अधिकांश केंद्रीय विद्यालयों में 2–3 कंप्यूटर लैब अबाध रूप से कार्य कर रहे हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे कंप्यूटरों को संभालने एवं प्रयुक्त करने में समर्थ हो सकें। बड़े स्तर पर कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम की योजना बनाई गई हैं। केंद्रीय विद्यालयों में आईसीटी अवसंरचना से संबंधित सांख्यिकी नीचे दी गई है:

क्रम सं.	मद	संख्या
1	क्रियाशील केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या	1067
2	ऐसे केंद्रीय विद्यालयों की संख्या जहां कंप्यूटर लैब हैं	960 (90%)
3	केंद्रीय विद्यालयों में कंप्यूटरों की कुल संख्या	42447
4	छात्रों की कुल संख्या	10,60,011
5	छात्र कंम्पयूटर अनुपात	24.1
6	ऐसे केंद्रीय विद्यालयों की संख्या जहां लैन की संयोजकता है	861
7	ऐसे केंद्रीय विद्यालयों की संख्या जहां इंटरनेट की संयोजकता है	976 (91%)
8	ऐसे केंद्रीय विद्यालयों की संख्या जहां ब्राडबैंड की संयोजकता है	939 (88%)
9	ऐसे केंद्रीय विद्यालयों की संख्या जहां उनकी अपनी वेबसाइट हैं	985 (92%)

केंद्रीय विद्यालय एलसीडी प्रोजेक्टर से भी सुसज्जित हैं।

क्रीड़ा/सह पाठ्यचर्या गतिविधियों में उपलब्धियां

- केंद्रीय विद्यालयों के बच्चे क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्रीड़ा एवं खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेते हैं। केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों ने भारतीय

क्रीड़ा परिसंघ के 2009–10 के खेलकूद में भी भाग लिया तथा केंद्रीय विद्यालयों के 11 छात्रों ने विभिन्न खेलकूदों एवं क्रीड़ा की घटनाओं में पदक जीता।

- केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों ने एनसीईआरटी द्वारा संचालित जवाहर लाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया तथा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते।
- संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर केंद्रीय विद्यालयों में हर वर्ष युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2010–11 के लिए केंद्रीय विद्यालय नं. 2, सीआरपीएफ, भुवनेश्वर ने राष्ट्रीय स्तर प्रथम स्थान प्राप्त करके पंडित जवाहर लाल नेहरू रनिंग शील्ड तथा ट्राफी जीती।
- केंद्रीय विद्यालयों के 560 छात्रों (240 स्काउट एवं 320 गाइड) ने हैदराबाद में 16वें राष्ट्रीय जम्बूरी – 2011 में भाग लिया।
- केंद्रीय विद्यालयों के छात्र विभिन्न ओलंपियाड अर्थात गणित/भौतिकी/रसायन शास्त्र/जीव विज्ञान में भाग लेते हैं तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर पदक जीता है।
- कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में बच्चों में प्रतिभा विकसित करने के लिए केंद्रीय विद्यालयों ने सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। यह प्रदर्शनी क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय स्तर की समाज विज्ञान प्रदर्शनी केंद्रीय विद्यालय नं. 2, भोपाल में आयोजित की गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

केंद्रीय विद्यालय संगठन सभी श्रेणी के अपने शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों पर समुचित बल देता है ताकि वे अपने ज्ञान, प्रविधि एवं नवाचारी प्रथाओं को अद्यतन कर सकें। वर्ष 2010 में 01.01.2010 से 31.12.2010 तक आयोजित किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या इस प्रकार है:

क्रम सं.	श्रेणी	आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या	
		12 दिवसीय कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	पीजीटी	41	1524
2.	टीजीटी	48	1862
3.	पीआरटी	63	2844
4.	एचएम	02	46
5.	विविध श्रेणी	19	813

मार्गदर्शन एवं परामर्श

केंद्रीय विद्यालय जरूरत के समय में बच्चों की सहायता करने तथा करियर चुनने में भी सहायता प्रदान करने के लिए अपने शिक्षकों, विशेष रूप से मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की सेवाओं का उपयोग करते हैं। केंद्रीय विद्यालयों द्वारा परामर्श पेशेवरों की सेवाएं एवं सहायता भी ली जाती है।

छात्रावास की सुविधाएं

केंद्रीय विद्यालय संगठन जहां जरूरत होती है वहां अपने छात्रों (लड़के एवं लड़कियां दोनों) को छात्रावास की सुविधाएं भी प्रदान करता हैं।

वित्त

केंद्रीय विद्यालय संगठन सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित है। गत पांच वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान योजनागत एवं योजनेतर शीर्षों के अंतर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन को बजट आवंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	योजनेतर	योजनागत
2005–06	639.94	183.00
2006–07	659.36	235.00
2007–08	714.00	300.00
2008–09	1151.00	300.00
2009–10	2085.44	340.00
2010–11	1652.00	350.00

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय

सिक्किम समेत भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 100 केंद्रीय विद्यालय क्रियाशील है जिनमें नामांकन 66939 छात्र (36990 लड़के तथा 29949 लड़कियां) है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 100 केंद्रीय विद्यालयों में से 56 केंद्रीय विद्यालय सिविल क्षेत्र में, 22 रक्षा क्षेत्र में, 17 परियोजना क्षेत्र में तथा 5 उच्च अध्ययन संस्थान के क्षेत्र में हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2010 के दौरान संचालित कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की परीक्षाओं में उत्तीर्णता का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

	कक्षा 10	कक्षा 12
गौहाटी क्षेत्रीय कार्यालय (जिसमें असम, मेघालय एवं अरूणाचल प्रदेश को शामिल हैं)	96.90	93.54
सिल्चर क्षेत्रीय कार्यालय (जिसमें असम के शेष भाग, मिजोरम, मणीपुर, नागालैंड एवं त्रिपुरा शामिल हैं)	98.01	89.33
कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय (जिसमें सिक्किम के विद्यालय शामिल हैं)	98.05	91.03

केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा सिक्किम समेत पूर्वोत्तर में स्थित केंद्रीय विद्यालयों के लिए जारी की गई निधियां इस प्रकार हैं:

वर्ष	योजनागत	योजनेतर
2008–09	3000 लाख रू.	4112.00 लाख रू.
2009–10	3400 लाख रू.	9767.47 लाख रू.
2010–11 (31.12.2010 तक)	2500 लाख रू.	5625 लाख रू.

वर्ष के दौरान निर्माण की शुरू की गई गतिविधियां

2010–11 के दौरान (1 फरवरी 2011 तक), 796 केंद्रीय विद्यालय (जिसमें परियोजना/उच्च अध्ययन संस्थान एवं विदेशों में स्थित 133 केंद्रीय विद्यालय तथा सिविल एवं रक्षा क्षेत्र के 663 केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं) स्थायी भवनों में चल रहे हैं। 67 केंद्रीय विद्यालयों में स्थायी स्कूल भवन का निर्माण प्रगति पर है। इसके अलावा पट्टा/स्थायी अनुदान को अंतिम रूप दिए जाने के अधीन 6 केंद्रीय विद्यालयों के संबंध में स्थायी स्कूल भवनों का निर्माण सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया है।

2010–11 के दौरान (1 फरवरी 2011 तक), (1) केंद्रीय विद्यालय, गूटी, आंध्र प्रदेश (2) केंद्रीय विद्यालय, खम्मम, आंध्र प्रदेश (3) केंद्रीय विद्यालय, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश (4) केंद्रीय विद्यालय नं. 2, मंगलौर, कर्नाटक (5) केंद्रीय विद्यालय, कलपेटा, केरल (6) केंद्रीय विद्यालय नं. 1, एटारसी, मध्य प्रदेश (7) केंद्रीय विद्यालय, पन्ना, मध्य प्रदेश (8) केंद्रीय विद्यालय, गंगापुर सिटी, राजस्थान (9) केंद्रीय विद्यालय, बौद्ध, उड़ीसा (10) केंद्रीय विद्यालय, नवरंगपुर, उड़ीसा (11) केंद्रीय विद्यालय, बगफा, त्रिपुरा (12) केंद्रीय विद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश और (13) केंद्रीय विद्यालय, कौशानी, उत्तराखंड स्थित स्कूल भवन पूरे किए गए।

वर्ष 2010–11 के दौरान 26 केंद्रीय विद्यालयों में स्टाफ क्वार्टर पूरे किए गए।

नवोदय विद्यालय समिति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समता एवं सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से गति निर्धारक आवासीय नवोदय विद्यालय स्थापित करने की परिकल्पना थी। इसके अनुसरण में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का 21) के अंतर्गत सोसायटी के रूप में नवोदय विद्यालय समिति का पंजीकरण किया गया।

समिति के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) स्कूल (अब आगे नवोदय विद्यालय कहा गया है) स्थापित करना, अनुरक्षित करना, नियंत्रित करना एवं प्रबंधित करना और ऐसे स्कूलों के संवर्धन के लिए आवश्यक या अनुकूल सभी कार्य करना जिनके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- (i) उनके परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बगैर अधिमानतः ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को अच्छे स्तर की आधुनिक शिक्षा प्रदान करना जिसमें मूल्यों का समावेशन, पर्यावरण की जागरूकता, एडवेंचर की गतिविधियां तथा शारीरिक शिक्षा के ताकतवर घटक शामिल हैं।
- (ii) एक सामान्य माध्यम अर्थात हिंदी एवं अंग्रेजी के माध्यम से पूरे देश में शिक्षण के लिए उपयुक्त स्तर पर सुविधाएं प्रदान करना।
- (iii) मानकों में तुलनीयता सुनिश्चित करने तथा हमारे लोगों की साझी एवं संयुक्त विरासत का बोध पैदा करने के लिए सामान्य कोर पाठ्यचर्या प्रदान करना।
- (iv) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने तथा सामाजिक अंतर्वस्तु समृद्ध करने के लिए देश के एक भाग में स्थित स्कूल के छात्रों को दूसरे भाग में स्थित स्कूल में उत्तरोत्तर लाना।
- (v) जीवन्त परिस्थितियों में शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा अनुभव एवं सुविधाओं के आदान–प्रदान के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र बिंदु के रूप में काम करना।

(ख) नवोदय विद्यालयों के छात्रों के निवास के लिए छात्रावास स्थापित करना, विकसित करना, अनुरक्षित करना और प्रबंधित करना।

(ग) समिति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए यथा अपेक्षित देश के अन्य भागों में स्थित अन्य संस्थाओं को

सहायता प्रदान करना, स्थापित करना एवं संचालित करना।

(घ) ऐसे अन्य सभी कार्य करना जिन्हें समिति के सभी या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या अनुकूल समझा जाता है।

जवाहर नवोदय विद्यालय खोलना

जवाहर नवोदय विद्यालय का खोला जाना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की ओर से तकरीबन 30 एकड़ उपयुक्त जमीन निःशुल्क पेश करने संबंधी प्रस्ताव पर आधारित होता हैं। राज्य सरकार को 3 से 4 वर्ष के लिए या जब तक इसका अपना भवन स्थायी स्थल पर निर्मित नहीं हो जाता है तब तक के लिए 240 छात्रों एवं स्टाफ को समाहित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में किराया रहित भवन एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं भी प्रदान करनी होती हैं।

आज की तिथि के अनुसार, 609 जिलों (तमिलनाडु के जिलों को छोड़कर) में से 576 जिलों में समिति द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 569 क्रियाशील हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने ऐसे जिलों में 20 जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है जहां अजा एवं अजजा की बहुलता है। इनमें से 19 जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं तथा 14 क्रियाशील हैं।

दाखिला

जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला चयन परीक्षा के आधार पर दिया जाता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चे किसी असुविधा का सामना किए बगैर सफल होने में समर्थ हों। ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए अभ्यर्थी जिले की 75 प्रतिशत सीटों को भरते हैं तथा शेष सीटें जिले के शहरी क्षेत्रों से भरी जाती हैं।

जवाहर नवोदय विद्यालयों में उपलब्ध अवसंरचना एवं स्टाफ के अभीष्ट उपयोग के निमित्त, कक्षा 9 में चयन परीक्षा के माध्यम से तथा कक्षा 11 में कक्षा 10 की परीक्षा के निष्पादन के आधार पर खाली सीटें भरी जाती हैं।

30.09.2010 की स्थिति के अनुसार नामांकन की स्थिति

30.09.2010 की स्थिति के अनुसार छात्र नामांकन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

संख्या	लड़के	लड़कियां	ग्रामीण	शहरी	सामान्य	अजा	अजजा
212752	134088	78664	165878	46876	122869	52185	37698
प्रतिशत	63.03	36.97	77.97	22.03	57.75	24.53	17.72

शैक्षिक गतिविधियां

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में जवाहर नवोदय विद्यालयों का निष्पादन नीचे दिया गया है:

सीबीएसई परिणाम – कक्षा 10 में पास होने का प्रतिशत

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या	पास होने वाले छात्रों की संख्या	उत्तीर्णता का प्रतिशत
2006	425	27476	25039	91.13
2007	444	28987	27945	96.41
2008	467	29630	28902	97.54
2009	480	30184	29532	97.84
2010	504	31289	30834	98.55

सीबीएसई परिणाम – कक्षा 12 में पास होने का प्रतिशत

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या	पास होने वाले छात्रों की संख्या	उत्तीर्णता का प्रतिशत
2006	349	14258	12866	90.24
2007	369	18682	16834	90.11
2008	393	20160	18635	92.44
2009	419	21692	20410	94.09
2010	430	21863	20839	95.32

कंप्यूटर सहायताप्राप्त शिक्षा

कंप्यूटर सहायताप्राप्त शिक्षा सभी विद्यालयों में शुरू की गई है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में कंप्यूटर छात्र अनुपात 1:12 है। 33 विद्यालय स्मार्ट विद्यालय तथा आईसीटी कार्यक्रम में गतिनिर्धारक के रूप में विकसित किए गए हैं। 201 जवाहर नवोदय विद्यालयों में ब्राड बैंड वीएसएटी की संयोजकता उपलब्ध है। जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्टाफ एवं शिक्षकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 11 जवाहर नवोदय विद्यालय (9 स्मार्ट विद्यालय समेत) कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं।

प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां

पूरे देश में पांच (5) नवोदय नेतृत्व संस्थान (एनएलआई) हैं। इन केंद्रों में निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:

- पुनश्चर्या/प्रबोधन पाठ्यक्रम (10 दिवसीय)
- अल्पकालिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/कार्यशाला (5 दिवसीय)
- प्रवेश पाठ्यक्रम (21 दिवसीय)
- शिक्षणेतर स्टाफ के लिए अल्पावधिक प्रबोधन पाठ्यक्रम (6 दिवसीय)
- कैप्सूल पाठ्यक्रम (3 दिवसीय)

एनएलआई द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
2005–06	133	3773
2006–07	162	4686
2007–08	97	3149
2008–09	191	5464
2009–10	184	4712

निर्माण संबंधी गतिविधियां

1 फरवरी 2011 की स्थिति के अनुसार भवनों के निर्माण की स्थिति नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
1.	जिलों की संख्या (तमिलनाडु के 31 जिलों को छोड़कर)	609
2.	अनुमोदित जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या	595
3.	क्रियाशील जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या	583
4.	चरण–क संस्वीकृत	573
5.	चरण–क पूरा	475
6.	चरण–ख संस्वीकृत	491
7.	चरण–ख पूरा	361

बजट आबंटन एवं व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	वर्ष	आबंटित/जारी किया गया बजट			किया गया व्यय		
		योजनेतर	योजनागत	योग	योजनेतर	योजनागत	योग
1	2006–07	165.15	653.50	818.65	170.09	658.70	828.79
2	2007–08	194.80	910.00	1104.80	195.14	902.28	1097.42
3	2008–09	259.87	1290.00	1549.87	273.39	1208.36	1481.75
4	2009–.10	376.20	1300.00	1676.20	357.46	1281.96	1639.42
5	2010–11	370.40	1385.00	1755.40	270.35*	839.17*	1109.52*

*31.12.2010 तक

अजा एवं अजजा की बहुलता वाले चयनित 20 जिलों में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय

29 फरवरी 2008 को वित्त मंत्री के अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में, अजा एवं अजजा की बहुलता वाले 20 जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने अजा एवं अजजा की बहुलता वाले निम्नलिखित में से प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थिति नीचे दी गई है:

क्रम सं.	राज्य	जिला	अजा या अजजा की बहुलता वाला जिला	स्थिति
1	आंध्र प्रदेश	प्रकासम	अजा	क्रियाशील
2	बिहार	गया	अजा	क्रियाशील
3	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	अजा	संस्वीकृत
4	झारखंड	पलामू	अजा	क्रियाशील
5	कर्नाटक	गुलबर्ग	अजा	क्रियाशील
6	मध्य प्रदेश	उज्जैन	अजा	क्रियाशील
7	पंजाब	अमृतसर	अजा	क्रियाशील
8	राजस्थान	गंगानगर	अजा	संस्वीकृत
9	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	अजा	
10	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना	अजा	क्रियाशील
11	आंध्र प्रदेश	खम्मम	अजजा	क्रियाशील
12	असम	कार्बीआंग्लॉग	अजजा	क्रियाशील
13	छत्तीसगढ़	दांतेवाड़ा	अजजा	क्रियाशील
14	गुजरात	दाहोद	अजजा	संस्वीकृत
15	झारखंड	पाकुर	अजजा	क्रियाशील
16	मध्य प्रदेश	झबुआ	अजजा	क्रियाशील
17	महाराष्ट्र	नंदूरबार	अजजा	संस्वीकृत
18	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	अजजा	क्रियाशील
19	उड़ीसा	मल्कांगिरी	अजजा	संस्वीकृत
20	राजस्थान	बांसवाड़ा	अजजा	क्रियाशील

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)

राष्ट्रय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्कूल शिक्ष से संबंधित शैक्षिक मामलों पर केंद्र सरकार एवं राज्‍ सरकारों की सहायता करने एवं सलाह देने के लिए एक शीर्ष संसाधन संगठन है। यह अपने विभिन्न संघाकों अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के विभागों, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली, पंडि सुन्दरलाल शर्मा, केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपल तथा अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एवं शिलांग स्थिा 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के माध्यम से स्कूल शिक्षा में गणात्मक सुधार के लिए शैक्षिक एवं तकनीकी सहायता प्रदा करती है। अपने उद्देश्यों का प्राप्त करने के लिए एनरोईआरटी निम्नलिखित कार्य करती है:

(i) स्कूल एवं शिक्षक शिक्षा की सभी शाखाओं में अनुसंधान का संचालन, संवर्धन एवं समन्वय करना;

(ii) शिक्षकों के सेवाकालीन एवं सेवापूर्व प्रशिक्षण का आयोजन करना;

(iii) शैक्षिक पुनर्निर्माण में लगी संस्थाओं, संगठनों एवं एजेंसियों के लिए विस्तार सेवाओं का आयोजन करना;

(iv) परिवर्धित शैक्षिक तकनीकों, प्रथाओं एवं नवाचारों का विकास करना एवं अन्वेषण करना;

(v) शैक्षिक सूचनाएं एकत्र, संकलित करना, प्रक्रियागत करना एवं प्रसार करना;

(vi) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं अन्य देशों की राष्ट्र स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना।

सिंहावलोकन

एनसीईआरटी अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रकाशन एवं शैक्षिक सूचनाओं के प्रसार से संबंधित कार्यक्रम संचालित करती है। यह स्कूल शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के लगभग सभी क्षेत्रों एवं चरणों

में काम करती है अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा; प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण; अजा, अजजा एवं अल्पसंख्यक, लड़कियां, शारीरिक रूप से विकलांग जैसे विशेष जरूरत वाले समूहों की शिक्षा; सेवापूर्व एवं सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा; व्यावसायिक शिक्षा; परीक्षा सुधार; शैक्षिक शिक्षा शास्त्र; पर्यावरणीय शिक्षा; जनसंख्या शिक्षा; मार्गदर्शन एवं परामर्श; प्रतिभाओं की पहचान एवं पोषण; पाठ्यचर्या एवं शैक्षिक सामग्री का विकास; शिक्षा की अंतर्वस्तु एवं प्रक्रियाएं; स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सेवाकालीन नवाचारी पाठ्यक्रम; मुद्रित एवं गैर मुद्रित सामग्रियों का निर्माण आदि। यह राज्यों, केंद्र एवं राज्य स्तरीय शैक्षिक संगठनों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करती है। इसके कार्यक्रम राज्यों की शैक्षिक आवश्यकताओं, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं प्रतिबद्धताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय निविष्टियों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

एनसीईआरटी ने अपने प्रमुख सतत कार्यक्रमों का संचालन जारी रखा जैसे कि एनसीएफ 2005 के आधार पर पाठ्यपुस्तकें तैयार करना; बच्चों के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी; राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना; शिक्षक शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा में नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार; व्यावसायिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार; कलात्मक एवं नवाचारी उत्कृष्टता के लिए चाचा नेहरू छात्रवृत्ति; अखिल भारतीय बाल शिक्षा श्रव्य दृश्य महोत्सव; ईसीसीई में डिप्लोमा पाठ्यक्रम; नवाचारी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा एवं परामर्श पाठ्यक्रम; अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वे; शिक्षा में अनुसंधान का सर्वे; दूरदर्शन के ज्ञानदर्शन तथा आकाशवाणी के ज्ञानवाणी चैनल पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसार तथा एजुसैट सुविधा का प्रयोग करके टेली कांफ्रेंसिंग के माध्यम से नई पाठ्यपुस्तकों पर शिक्षक प्रशिक्षण; श्रव्य दृश्य कार्यक्रमों का निर्माण; माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यान्वयन की निगरानी, आदि।

2010–11 के दौरान एनसीईआरटी द्वारा संचालित किए प्रमुख कार्यक्रम

(i) एनसीईआरटी का प्रारम्भिक शिक्षा विभाग सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नोडल केंद्र के रूप में काम कर रहा है।

(ii) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के हाल में प्रवर्तन के कारण एनसीईआरटी को इस संबंध में विभिन्न कार्य आबंटित किए गए हैं।

(iii) एसएसए के अंतर्गत गुणवत्ता सुधार की चार प्रमुख पहलों का मूल्यांकन किया जा रहा है अर्थात आंध्र प्रदेश की संपोषणीयता के लिए बाल अधिगम संवर्धन कार्यक्रम, हिमाचल प्रदेश का एएडीएचएआर, तमिलनाडु का गतिविधि आधारित अधिगम तथा उड़ीसा का बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) तथा कौशल विकास की रणनीतियों के माध्यम से अजजा बालिकाओं की अधिकारिता की स्थिति का अध्ययन पूरा होने वाला है।

(v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन पर एक अन्वेषी अध्ययन शुरू किया गया है।

(vi) प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा में गतिविधि बैंक तथा स्तरीय प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा – अभ्यासकर्ताओं के लिए एक हैंडबुक विकसित की गई है।

(vii) बहुग्रेड तथा बहुस्तरीय शिक्षण पर शिक्षक संसाधन सामग्री तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में मूल्यांकन पर स्रोत पुस्तिका एवं पर्यावरणीय विज्ञान में शिक्षक हैंडबुक का विकास प्रगति पर है।

(viii) एसएसए विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए गृह आधारित शिक्षा प्रथाओं के अन्वेषी अध्ययन पर अनुसंधान, स्कूल जाने वाले बच्चों के व्यवहार में चुनौतियों पर अध्ययन, उच्च प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों की आवश्यक दक्षताओं का मूल्यांकन – अजा के बच्चों को पढ़ाना तथा राजस्थान के पढ़ाई बीच छोड़ने वाले अजा/अजजा छात्रों का विश्लेषण प्रगति पर है।

(ix) स्कूलों के लिए ब्रेल साक्षरता पाठ्यचर्या विकसित की गई है तथा यह भारतीय ब्रेल परिषद द्वारा अनुमोदित की गई है। राज्यों में तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से इस पाठ्यचर्या को लागू करने के लिए अब कदम उठाए जा रहे हैं।

(x) विभिन्न राज्यों के जनजाति बहुल क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अल्पावधिक अधिकारिता कार्यक्रम, आदिवासियों की आबादी वाले राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में भाषायी अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए कार्य योजनाओं का विकास, जनजातियों की

अधिक आबादी वाले राज्यों में बहु–भाषायी एवं बहु–सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए रूपरेखा की डिजाइन, अजा के बच्चों की कम साक्षरता एवं कम शैक्षिक स्तर वाले अजा की बहुलता वाले क्षेत्रों के लिए पहले से संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुवर्तन, गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों का प्रबोधन कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी द्वारा शुरू किए गए हैं।

(xi) बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी ने मुस्लिम लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 से 12) में बाधाओं का अध्ययन तथा लैंगिक परिपेक्ष्य से भारत के दक्षिणी राज्यों के मदरसों एवं मकतबों का अध्ययन शुरू किया है।

(xii) एनसीईआरटी ने इतिहास, भूगोल, भाषा, कला एवं सौंदर्यबोध, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, गणित एवं विज्ञान जैसे विभिन्न विषय क्षेत्रों में केजीबीवी बालिकाओं एवं केजीबीवी शिक्षकों के लिए सेतु पाठ्यक्रम एवं शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया हैं तथा यह पाठ्यक्रम प्रकाशन की प्रक्रिया में है।

(xiii) कक्षा 12 के लिए मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का विकास प्रगति पर है।

(xiv) 13 राज्यों के एसएसए लैंगिक समन्वयकों के लिए शिक्षा में लैंगिक मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(xv) विज्ञान एवं गणित शिक्षा के क्षेत्रों में एनसीईआरटी अन्वेषी समस्याओं पर पूरक सामग्री तथा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए प्रयोगशाला मैनुअल विकसित कर रही है।

(xvi) प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान एवं गणित शिक्षा की स्थिति के अध्ययन, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान के शिक्षण कक्ष निष्पादन पर अध्ययन तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गणित की पढ़ाई पर कंप्यूटर एवं इंटरनेट के प्रयोग की प्रभावकारिता के अध्ययन पर अनुसंधान परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

(xvii) गतिविधि आधारित विज्ञान एवं गणित शिक्षण, प्रयोगशाला तकनीकों तथा व्यावहारिक गतिविधियों एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पर्यावरणीय शिक्षा में हैंडबुक के प्रयोग पर मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम संचालित किए गए।

(xviii) गणित, पर्यावरणीय अध्ययन के शिक्षण, परियोजना आधारित अधिगम तथा सूक्ष्म स्तरीय रसायन शास्त्र किट के प्रयोग पर प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(xix) कक्षा 6 से 9 के लिए विज्ञान में शिक्षण कक्ष एवं संपादन में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पैकेज विकसित किया जा रहा है।

(xx) उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान/गणित की पर्याप्त पृष्ठभूमि से रहित शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण पैकेज विकसित किया जा रहा है तथा विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों के लिए 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(xxi) कक्षा 6 से 10 के लिए पर्यावरणीय शिक्षा की परियोजना पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं।

(xxii) 21–22 जुलाई 2010 को क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर में चंडीगढ़ के लिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन के शिक्षण पर प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के प्रबोधन का आयोजन किया गया।

(xxiii) दृष्टि विकलांग छात्रों के लाभ के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में कक्षा 6 से 8 की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों की श्रव्य सीडी विकसित की जा रही है।

(xxiv) लक्षद्वीप द्वीपसमूह पर श्रव्य दृश्य सामग्री, भौगोलिक शब्दों एवं संकल्पनाओं का त्रिभाषी शब्दकोष, वैयक्तिक वित्त में पूरक पठन सामग्री, सूचना का अधिकार अधिनियम पर पूरक पोथी, स्कूल अर्थशास्त्र में हैंडबुक तथा मानवाधिकार के विषय क्षेत्र में पाठ्य विवरण तैयार किए जा रहे हैं।

(xxv) राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एनपीईपी) के अंतर्गत, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन बहुउद्देशीय स्कूलों में किशोर शिक्षा में गतिविधि आधारित जीवन कौशलों पर अनुसंधान अध्ययन संचालित किया जा रहा है।

(xxvi) किशोर शिक्षा एवं जनसंख्या शिक्षा में सामग्रियां विकसित की जा रही हैं।

(xxvii) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन बहुउद्देशीय स्कूलों के शिक्षको के लिए तथा किशोर शिक्षा पर राष्ट्रीय एजेंसियों के राज्य संसाधन व्यक्तियों के लिए भी गतिविधि आधारित जीवन कौशलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(xxviii) कक्षा 3 एवं 5 के अंत में टर्मिनल उपलब्धि सर्वे प्रगति पर है।

(xxix) माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन तथा अन्वेषी सामग्री परीक्षण एवं उच्च स्तर के चिंतन कौशलों पर हैंडबुक तैयार की जा रही है।

(xxx) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली में उपलब्धि सर्वे संचालित करने में एससीईआरटी तथा एसआईई के संकाय के लिए 2 सप्ताह का क्षमता निर्माण

कार्यक्रम तथा स्कूल शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

(xxxi) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के लिए 15 अप्रैल 2010 से माध्यमिक शिक्षा समूह (एसईजी) ने काम करना शुरू कर दिया।

(xxxii) एसईजी ने आरएमएसए योजना के कार्यान्वयन के लिए विजन दस्तावेज एवं बहु–स्तरीय रणनीति दिशानिर्देश तैयार करने, शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के सेवाकालीन व्यावसायिक विकास के लिए पाठ्यचर्या रूपरेखा के विकास, माध्यमिक स्तर के लिए मूल्यांकन स्रोत पुस्तिका तथा गणित के शिक्षकों के लिए आईसीटी किट के विकास का कार्य शुरू किया है।

(xxxiii) कॉमनवैल्थ ऑफ लर्निंग के सहयोग से दूरस्थ/आन लाइन विधि से मार्गदर्शन एवं परामर्श में एकवर्षीय अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो 4 जनवरी 2010 से एनआईईई, नई दिल्ली तथा 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रारंभ हुआ, पूरा किया गया।

(xxxiv) स्वयं के साथ तथा अन्य के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से जीने के लिए आवश्यक अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं कौशलों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के लिए शान्ति के तरीके पर एक संसाधन पुस्तक प्रकाशित की गई है।

(xxxv) राज्यों में शांति शिक्षा के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए एक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एससीईआरटी, गौहाटी, असम में आयोजित किया गया।

(xxxvi) बीएड के लिए शिक्षु, अधिगम एवं संज्ञान पर पाठ्यपुस्तक विकसित की जा रही है।

(xxxvii) भारत के आदिवासी जिलों में डीआईईटी में शिक्षा में आईसीटी के सहयोग तथा आईसीटी के लिए आधारभूत सुविधाओं का अध्ययन किया जा रहा है।

(xxxviii) अनुसंधान एवं आलेखन पर पेशेवर शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रक्रिया पर एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की गई।

(xxxix) कक्षा 12 के लिए मीडिया अध्ययनों पर एक पाठ्यपुस्तक तथा +2 स्तर पर मीडिया अध्ययनों के लिए व्यवहारिक मैनुअल और प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक खेलकूद के लिए एक संसाधन मैनुअल विकसित किया जा रहा है।

(xl) प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों में तकरीबन 145 शैक्षिक खेलकूद विकसित किए गए हैं।

(xli) कंप्यूटर तकनीक, लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा, विपणन एवं सेल्समैनशिप व क्रेच, स्कूल पूर्व प्रबंधन तथा उद्यमशीलता विकास जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(xlii) उच्चतर माध्यमिक छात्रों एवं उनके अभिभावकों के लिए गृहविज्ञान के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा की लोकप्रियता के लिए एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया।

(xliii) एनसीईआरटी ने मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता रूपरेखा (एनवीईक्यू) पर संकल्पना कागजात के विकास में योगदान दिया।

(xliv) एसएसए के अंतर्गत सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के प्रभाव पर अनुसंधान, शिक्षण कक्ष संपादन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या का तुलनात्मक अध्ययन, देश में निजी माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का अध्ययन, डीआईईटी की आयोजना एवं प्रबंधन शाखा के कार्यों का मूल्यांकन तथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र के चयनित डीआईईटी का इतिवृत्तमूलक अध्ययन प्रगति पर है।

(xlv) भारतीय शिक्षा का विजनः मुद्दे एवं सरोकार; एमएड के लिए शिक्षक शिक्षा के उभरते परिपेक्ष्य तथा काम करने के लिए अधिगम पर व्यावहारिक हैंडबुक विकसित करने का कार्य प्रगति पर है।

(xlvi) पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षा सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में विज्ञान एवं गणित में पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार, कौशल उन्नयन सह उत्प्रेरण पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण पैकेज तैयार किए गए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(xlvii) एनसीईआरटी वित्तीय सहायता प्रदान करके शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति (ईआरआईसी) के माध्यम से शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देती है। ईआरआईसी के अंतर्गत 2 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की गईं तथा 29 परियोजनाएं चल रही हैं। अनुसंधानों का प्रसार किया जा रहा है। 7वें शैक्षिक अनुसंधान के संबंधित कार्य प्रगति पर है। असम में डीआईईटी एवं एससीईआरटी के संकाय सदस्यों के लिए अनुसंधान प्रविधि पाठ्यक्रम एससीईआरटी, गौहाटी में आयोजित किया गया। अनुसंधान कार्य करने की आयोजना में कर्नाटक के विश्वविद्यालय पूर्व प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(xlviii) एनसीईआरटी की डाक्टोरल अध्येतावृत्ति, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) व्याख्यानमाला, वृहस्पतिवार व्याख्यान मंच तथा भारतीय शैक्षिक समीक्षा एवं भारतीय शैक्षिक सार का प्रकाशन जारी रहा।

(xlix) 8वां अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वे प्रगति पर है। दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, नागालैंड तथा दमन व दीव जैसे राज्यों के लिए जिला/ब्लॉक स्तर पर सर्वे अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की स्कूल निर्देशिका को अद्यतन करने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है।

(l) एनसीईआरटी ने स्कूल शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों (सीईईपी) के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में काम करना जारी रखा। विभिन्न देशों के अनेक शिष्टमंडलों ने एनसीईआरटी का दौरा किया तथा संकाय सदस्यों एवं प्राधिकारियों से बातचीत की।

(li) भारत–अफगानिस्तान सहयोग में विकास के अनुसरण में, शिक्षक तैयारी के क्षेत्र में अफगानी छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। अंग्रेजी एवं अंग्रेजी भाषा शिक्षण में अफगानी छात्रों के लिए दो महीने का एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रगति पर है। दो बैचों में 80 से अधिक छात्र, एक एनसीईआरटी मुख्यालय, दिल्ली में तथा दूसरा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रहे हैं।

(lii) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुवर्तन के रूप में विकसित अंतर्वस्तु के क्षेत्र में पाठ्यपुस्तक एवं पूरक सामग्री का अनुवाद उर्दू में कराया गया है।

(liii) "प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा शिक्षा का स्तर" पर मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजना प्रगति पर है।

(liv) उर्दू साहित्य का इतिहास, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए उर्दू व्याकरण, हिंदी, उर्दू में पूरक पठन सामग्री तथा रचनात्मक लेखन एवं अनुवाद, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू के लिए शिक्षक मैनुअल विकसित किए जा रहे हैं।

(lv) हिंदी, संस्कृत एवं उर्दू में भाषा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर श्रव्य दृश्य कार्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं।

(lvi) स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रबोधन पूरा किया गया।

(lvii) डीआईईटी के शिक्षण प्रशिक्षकों में गुणात्मक सुधार के लिए गुजराती भाषा में रचनात्मक लेखन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आरआईई, भोपाल में आयोजित किए गए।

(lviii) पूर्वोत्तर एवं पूर्वी क्षेत्रों के लिए एससीईआरटी, एसआईई एवं डीआईईटी के पुस्तकालयाध्यक्षों एवं प्रभारी पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए गए। आरआईई, अजमेर में उत्तराखंड के लिए स्कूल शिक्षा से संबद्ध पुस्तकालयों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वित्तीय उपलब्धि (31 जनवरी 2011 की स्थिति के अनुसार)

वर्ष 2010–11 के लिए 40 करोड़ रूपए (योजनागत) के संशोधित अनुमान के विरूद्ध 25 करोड़ रूपए का व्यय किया गया। योजनेतर व्यय 119.17 करोड़ रूपए के संशोधित अनुमान के विरूद्ध 95 करोड़ रूपए है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय शिक्षा संस्थान

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन 1979 में परियोजना के रूप में आरंभ किए गए मुक्त शिक्षा कार्यक्रमों ने अब भारत में शिक्षा की एक स्वतंत्र प्रणाली का रूप ले लिया है। तकरीबन 1.6 मिलियन पंजीकृत शिक्षुओं के साथ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), जिसे पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एनओएस) के नाम से जाना जाता था, विश्व में सबसे बड़े मुक्त विद्यालय संगठन के रूप में उभरा है। लक्षित समूहों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एनआईओएस बुनियादी शिक्षा से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा में दूरस्थ एवं मुक्त अध्ययन कार्यक्रम के साथ–साथ भारी मात्रा में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। 1990 में भारत सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से एनआईओएस को डिग्री पूर्व स्तर तक पंजीकृत शिक्षुओं की परीक्षा लेने एवं प्रमाणित करने का प्राधिकार दिया।

संगठन के विजन दस्तावेज में परिकल्पना है कि एनआईओएस अपनी स्वाभाविक कार्यक्रम सुपुर्दगी भूमिका के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यतः संसाधन संगठन के रूप में काम करेगा। यह प्रस्ताव हैं कि भारत में मुक्त शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य मुक्त विद्यालय (एसओएस) प्रमुख जिम्मेदारी वहन कर सकते हैं, क्योंकि संभावित शिक्षु सामान्यतया पढ़ाई के अपने माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को चुनना पसंद करेंगे।

एनआईओएस मुख्यालय में अपने 5 विभागों एवं क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से काम करता है। एनआईओएस ने इलाहाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, गौहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, कोच्चि, पटना और पुणे में अपना क्षेत्रीय केंद्र तथा दरभंगा में क्षेत्रीय उपकेंद्र स्थापित कर लिया हैं। भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय केंद्र तथा विशाखापट्टनम स्थित क्षेत्रीय उपकेंद्र अभी हाल में स्थापित किए गए हैं। बंगलुरू, गांधीनगर तथा इम्फाल में क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

एनआईओएस द्वारा प्रस्तुत अध्ययन पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) निम्नलिखित अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम उपलब्ध कराकर तथा दूरस्थ अधिगम विधि (ओडीएल) के माध्यम से इच्छुक शिक्षुओं को अवसर प्रदान करता है:

- बच्चों (14 + आयु से अधिक), तथा किशोरों एवं प्रौढ़ों के लिए ए, बी एवं सी स्तर पर मुक्त बुनियादी शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम प्रदान करता है जो औपचारिक स्कूल प्रणाली में कक्षा 3, 5 एवं 8 के समतुल्य हैं।
- माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम
- वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम
- व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम/कार्यक्रम
- जीवन संवर्धन कार्यक्रम

ओबीई कार्यक्रम बच्चों, नवसाक्षरों, पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले/स्कूल बाह्य बच्चों तथा 14 वर्ष से अधिक आयु के अनौपचारिक शिक्षा पूरा करने वालों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता का सुनिश्चय करते हुए ग्रेडिंग पाठ्यचर्या पर आधारित सतत शिक्षा प्रदान करके प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है। ओबीई कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एनआईओएस ने विभिन्न राज्यों में 684 एजेंसियों के साथ साझेदारी की है जो अपने अध्ययन केंद्रों पर सुविधाएं प्रदान करते हैं। एनआईओएस अपने ओबीई कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संसाधन सहायता प्रदान करता है जैसेकि एनआईओएस की मॉडल पाठ्यचर्या का परिवर्तन, अध्ययन सामग्री, संयुक्त प्रमाणन, संसाधन व्यक्तियों का प्रबोधन तथा स्वयंसेवी एजेंसियों, जन शिक्षण संस्थानों एवं जिला साक्षरता समितियों में ओबीई की लोकप्रियता।

माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर, एनआईओएस विषयों/पाठ्यक्रमों के चयन, अधिगम की गति तथा सीबीएसई, राज्य मुक्त विद्यालयों तथा कुछ राज्य स्कूल शिक्षा बोर्डों से क्रेडिट के अंतरण में लोच प्रदान करता है ताकि शिक्षु अपनी पढ़ाई जारी रख सके। शिक्षुओं को सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने के लिए 5 वर्ष की अवधि में 9 अवसर दिए जाते हैं।

एनआईओएस माध्यमिक स्तर पर 27 विषयों की पेशकश करता हैं जिसमें से गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गृह विज्ञान आदि जैसे विषय हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, तेलुगु, गुजराती, मलयालम एवं उड़िया माध्यमों में उपलब्ध हैं। एनआईओएस वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर भाषाओं समेत 21 विषयों की पेशकश करता है। भाषाओं के अलावा गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, लेखा शास्त्र, वाणिज्य, गृह विज्ञान आदि जैसे विषय तीन माध्यमों अर्थात हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू में उपलब्ध हैं।

विभाग ने वर्ष के दौरान विभिन्न नए अध्ययन केंद्र प्रत्यायित किए तथा 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार प्रत्यायित संस्थाओं की कुल संख्या 2307 है जो पूरे भारत में तथा नेपाल एवं मध्य–पूर्व के देशों (दुबई, आबूधाबी एवं कुवैत) में फैले हैं जिसमें पूरे देश में स्थित लाभवंचित वर्गों की शिक्षा के लिए 41 विशेष प्रत्यायित संस्थाएं शामिल हैं।

यह स्वीकार करते हुए कि युवा उद्यमी राष्ट्र की सम्पदा होंगे, एनआईओएस के शिक्षु अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षुओं को उत्कृष्ट संभावनाएं प्रदान करते हैं। यह कृषि, व्यवसाय एवं वाणिज्य, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं पैरामेडिकल, गृह विज्ञान एवं आतिथेय प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण, कंप्यूटर एवं आईटी संबद्ध क्षेत्रों में तकरीबन 80 व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम पूरे देश में फैले 1301 अध्ययन केंद्रों (जिन्हें प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थान यानी एवीआई कहा जाता है) के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

2009–10 में शैक्षिक दाखिले की स्थिति

श्रेणीवार नामांकन

क्रम सं.	श्रेणी	नामांकन	प्रतिशत
1	सामान्य	301936	71.94
2	अनुसूचित जाति	50991	12.15
3	अनुसूचित जनजाति	28545	6.80
4	भूतपूर्व कर्मचारी	468	0.11
5	विकलांग	2019	0.48
6	अपिव	35743	8.52
	योग	419702	100

धर्मवार नामांकन

धर्म	माध्यमिक	वरिष्ठ माध्यमिक	योग	प्रतिशत
हिंदू	165329	166517	331846	79.06
मुस्लिम	23463	18700	42163	10.04
इसाई	16916	13974	30980	7.38
सिख	5976	5708	11684	2.78
जैन	209	230	439	0.10
बौद्ध	1393	1204	2597	0.61
फारसी	37	30	67	0.02
यहूदी	14	02	16	0.01
योग	213337	206365	419702	100

लिंगवार नामांकन

	माध्यमिक	वरिष्ठ माध्यमिक	योग	प्रतिशत
लड़के	148329	145829	294158	70.09
लड़कियां	65008	60536	125544	29.91
योग	213337	206365	419702	100

परीक्षा प्रोफाइल

परीक्षा	माध्यमिक			वरिष्ठ माध्यमिक		
	परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या	प्रमाणित	प्रतिशत	परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या	प्रमाणित	प्रतिशत
अप्रैल / मई	204477	72520	36.93	189979	61081	32.15
अक्टूबर / नवंबर	93782	27158	28.96	93025	34132	36.69

माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर प्रयुक्त अधिगम सामग्री का विकास, संशोधन एवं अनुवाद

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान माध्यमिक अधिगम सामग्री के संशोधन का कार्य हाथ में लिया गया। विभिन्न विषयों में प्रारूप पाठ्यचर्या तैयार की गई तथा उनकी समीक्षा की गई। हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान एवं गृह विज्ञान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में अनुकरणीय पाठ जो तैयार किए गए उनमें एकीकृत किए गए जीवन कौशल के मुद्दों की समीक्षा की गई तथा इन सामग्रियों पर प्राप्त फीडबैक समाविष्ट किए गए।

माध्यमिक स्तर पर प्रिटिंग में पाठ्यक्रम जो 2009 में शुरू किया, का गुजराती, मराठी, उड़िया, तेलुगु एवं मलयालम माध्यमों में अनुवाद किया गया।

वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, पर्यावरण विज्ञान (अभी शुरू किया जाना है) तथा इतिहास के संशोधित पाठ्यक्रम में अध्ययन सामग्री को अंतिम रूप दिया गया तथा हिंदी में अनूदित किया गया तथा मुद्रण के लिए भेजा गया। इन दो उपर्युक्त विषयों का उर्दू माध्यम में अनुवाद भी कराया गया। जनसंचार पाठ्क्रम का उर्दू अनुवाद पूरा हो गया है तथा छपने के लिए भेजा गया है।

वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर बंगाली में नए पाठ्यक्रम के लिए स्वतः अनुदेशात्मक अध्ययन सामग्री तैयार की गई, समीक्षा की गई तथा छपने के लिए उसे अंतिम रूप दिया गया।

वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, एनआईओएस के विद्यमान पाठ्यक्रमों के साथ सीओबीएसई द्वारा प्रस्तावित गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र जैसे विषयों में पाठ्यचर्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर मांग पर परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक का विकास

संशोधित वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए मांग पर परीक्षा शुरू करने के निमित्त, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान, उर्दू, हिंदी, गणित, भौतिकी एवं अंग्रेजी जैसे विषयों में प्रश्न बैंक विकसित किए गए। उर्दू को छोड़कर सभी प्रश्न बैंकों का मई 2010 से वरिष्ठ माध्यमिक की मांग पर परीक्षा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन तथा लेखाशास्त्र जैसे विषयों में मदों को विकसित करने तथा उनकी समीक्षा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

शैक्षिक परिषद की 10वीं बैठक

शैक्षिक परिषद की 10वीं बैठक 17 मार्च 2010 को शैक्षिक विभाग द्वारा आयोजित की गई। परिषद ने विशेषरूप से शैक्षिक एवं व्यावसायिक विभाग की कार्य योजना तथा सामान्य रूप से अन्य विभागों द्वारा संपन्न शैक्षिक गतिविधियों को अनुमोदित किया।

पश्चिम बंगाल के पीटीटीआई प्रशिक्षणार्थियों के अंकों में सुधार की परियोजना

यह परियोजना शैक्षिक अर्हता में सुधार के लिए प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पीटीटीआई) के प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर शुरू की गई। इस परियोजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को एनआईओएस के वरिष्ठ माध्यमिक कार्यक्रम में दाखिला दिया गया जिनके वरिष्ठ माध्यमिक में अंक 50 प्रतिशत से कम थे तथा उनको भी दाखिला दिया गया जो वरिष्ठ माध्यमिक की परीक्षा पास नहीं कर सके थे। प्रशिक्षणार्थियों को अपनी पंसद के 5 विषयों में से एक या सभी में नामांकन कराने की अनुमति होगी। इस परियोजनार्थ क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता के माध्यम से शैक्षिक विभाग ने एनआईओएस की सामग्री का बंगाली माध्यम में अनुवाद कराया।

राज्य मुक्त विद्यालयों (एसओएस) को सहायता

एनआईओएस मुक्त शिक्षा कार्यक्रम स्थापित करने या उनका स्तर बढ़ाने में राज्य शिक्षा विभागों को सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।

14 राज्य (आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश) राज्य मुक्त विद्यालय स्थापित कर चुके हैं। भारत में मुक्त अध्ययन को बढ़ावा देने से संबंधित मामलों पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय परिसंघ (एनसीओएस) नामक एक मंच गठित किया गया है जिसका सचिवालय एनआईओएस में है।

नि–ऑन प्रोजेक्ट – ऑन लाइन दाखिला

शैक्षिक वर्ष 2007–08 से एनआईओएस ने ऑन लाइन दाखिले की सुविधा शुरू की है। इस शुरूआती चरण के दौरान 30000 दाखिले हुए। एनआईओएस शिक्षुओं को ऑन लाइन दाखिले के लिए भुगतान सुविधा प्रदान करने में भी समर्थ रहा तथा भारत में इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला यह स्कूल स्तर पर पहली शैक्षिक संस्था है।

शुरूआती परियोजना की सफलता को देखते हुए, एनआईओएस ने नि–ऑन परियोजना के दायरे का विस्तार किया जिसका उद्घाटन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 3 जुलाई 2008 को किया। वर्तमान शैक्षिक सत्र अर्थात 2009–10 में 419702 दाखिले हो चुके हैं। ऑन लाइन दाखिले के लिए प्रवेश शुल्क के भुगतान के अलावा एनआईओएस के साथ शिक्षुओं के सभी वित्तीय लेनदेन को शामिल करने के लिए भुगतान गेटवे की सुविधा का विस्तार किया गया है।

ऑन लाइन दाखिले की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. त्वरित एवं सरल दाखिला: एनआईओएस दाखिले तक सीधी पहुंच
2. 24 x 7 दाखिला खुला रहता है: माध्यमिक पाठ्यक्रम की मांग पर परीक्षा के लिए शिक्षुओं के लिए पूरे वर्ष दाखिला खुला रहता है।
3. बेहतर सहायता सेवाएं: एनआईओएस के साथ शिक्षुओं की सीधी वार्ता, सभी समस्याओं का तेजी निवारण।
4. आसान भुगतान: बैंक ड्राफ्ट के अलावा क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का ऑन लाइन भुगतान।
    - एनआईओएस की नि–ऑन परियोजना को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ई–अभिशासन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। यह परियोजना अंकीय अंतराल को पाटने के लिए किया जा रहा एक विशेष प्रयास है तथा सुनिश्चित करती है कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से आसान शैक्षिक पहुंच एनआईओएस के शिक्षुओं एवं साझेदारों को उपलब्ध हो।

व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए भी ऑन लाइन दाखिला शुरू किया गया है। 2008–09 के दौरान एनआईओएस ने 284960 छात्रों को ऑन लाइन दाखिला दिया तथा शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन केंद्रो के माध्यम से 134742 छात्रों को दाखिला दिया।

शैक्षिक सत्र 2010–11 तथा इसके आगे से पूरे वर्ष (24 X 7) धारा 1 के लिए ऑन लाइन दाखिला की तारीखें नीचे दी गई हैं:

ऑन लाइन दाखिले का ब्लॉक	दाखिले की तारीखें	परीक्षा जिसमें छात्र बैठ सकते हैं
पहला ब्लॉक	1 मार्च से 31 अगस्त	पहली बार परीक्षा अगले वर्ष अप्रैल/मई में
दूसरा ब्लॉक	1 सितम्बर से 28 फरवरी	पहली बार परीक्षा उसी वर्ष अक्टूबर/नवम्बर में

शिक्षुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए, एनआईओएस वर्ष 2010–11 से केवल ऑन लाइन माध्यम से दाखिला प्रदान करता है। सभी ऑफ लाइन आवेदन इस प्रयोजनार्थ स्थापित क्षेत्रीय केंद्रो एवं सुविधा केंद्रों के माध्यम से ऑन लाइन किए जाते हैं।

शिक्षु सहायता केंद्र

स्वयं नि–ऑन परियोजना के अंतर्गत, एनआईओएस के शिक्षुओं को सहायता प्रदान करने के लिए 24 x 7 कॉल सेंटर की भी संकल्पना की गई। इस कॉल सेंटर को शिक्षु सहायता केंद्र के नाम से जाना जाता है तथा कार्यालय समय के दौरान सभी कार्य दिवसों को प्रायोगिक आधार पर यह क्रियाशील हो गया हैं जिसमें 5 डेस्क है। यह दाखिला, परीक्षा, अध्ययन सामग्री की सुपुर्दगी आदि से संबंधित एनआईओएस के शिक्षुओं की सभी पूछताछ का उत्तर देता है। शिक्षु सहायता केंद्र अंततः 24 x 7 कॉल सेंटर में परिवर्तित होगा तथा एनआईओएस के कार्यकरण के सभी आयामों को शामिल करेगा तथा जेनेरिक एवं उद्योग विशिष्ट दोनों पूछताछ का समाधान करेगा।

शिक्षु/आम आदमी टोलफ्री नं. 1800–180–9393 पर टेलीफोन के माध्यम से एनआईओएस के शिक्षु सहायता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, जिन्हें आईवीआरएस एवं कार्यपालक दोनों द्वारा हैंडिल किया जाता है। शिक्षु ई–मेल से भी शिक्षु सहायता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

धार्मिक अल्पसंख्यक विशेषरूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय जैसे मुसलमान विशेषरूप से इन समुदायों की महिलाएं एवं लड़कियां एनआईओएस के लिए प्राथमिकतापूर्ण लक्षित समूह हैं।

- शैक्षिक रूप से पहुंच विहीन समूहों में एनआईओएस के एक महत्वपूर्ण लक्षित समूह में पर्याप्त मात्रा में अल्पसंख्यक आबादी शामिल है जो विभिन्न कारणों से किसी प्रकार के स्कूल तक पहुंच नहीं पाती है। मुसलमानों में शिक्षा की स्थिति के बारे में सच्चर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आलोक में, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के साथ सहलग्नता स्थापित करने के लिए सक्रिय पक्षसमर्थन कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों विशेष रूप से लड़कियों एवं महिलाओं में एनआईओएस के कार्यक्रमों एवं नीतियों की पहुंच एवं प्रभाव का विस्तार करने के लिए एनआईओएस ने एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन किया गया।
- परंपरागत रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक संस्थाओं (टीईबीएमआई) के प्रत्यायन के लिए मानदंडों में ढीलः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति (एनएमसीएमई) ने टीईबीएमआइ को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए एनआईओएस की एक अग्रणी संस्था के रूप में पहचान की है। अपनी बैठक में एनएमसीएमई ने मदरसों एवं मकतबों के प्रत्यायन के लिए एनआईओएस द्वारा मानदंडों की ढील देने की सिफारिश की। तदनुसार 18 मार्च 2008 को आयोजित 47वीं बैठक में एनआईओएस के कार्यपालक बोर्ड ने सिफारिश की कि कार्यान्वयन से पूर्व अनुशीलन एवं अनुमोदन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को शिथिलीकृत मानदंड प्रस्तुत किए जाएं।

अक्टूबर 2010 तक एआई, एवीआई एवं एए केंद्रों की समुदायवार सूची

समुदाय	एआई	एवीआई	एए/ओबीई
मुस्लिम	अल्पसंख्यक संस्थान – 165 मदरसा – 11	अल्पसंख्यक संस्थान – 43 मदरसा – 17	अल्पसंख्यक संस्थान – 14 मदरसा – 33
ईसाई	60	79	01
सिख	27	07	–
जैन	01	01	–
योग	264	147	48

ओडीएल मोड के माध्यम से अल्पसंख्यक आबादी में शैक्षिक अवसरों के विस्तार के लिए एनआईओएस द्वारा विभिन्न स्तरों पर की गई पहलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संवर्धन के लिए शैक्षिक पहलें; सभी माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रमों का उर्दू माध्यम में अनुवादः उर्दू शिक्षण के माध्यम के रूप में; माध्यमिक स्तर पर अरबी एवं फारसी भाषा के पाठ्यक्रम शुरू करना; उर्दू माध्यम में 17 दृश्य कार्यक्रम तथा 28 श्रव्य कार्यक्रम।
- अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान; उर्दू में 30 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनुवाद तथा कुछ अन्य पाठ्यक्रमों का अनुवाद प्रक्रियाधीन है।
- अल्पसंख्यकों एवं शैक्षिक संस्थाओं में एनआईओएस के शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अग्रसक्रिय पक्षसमर्थन कार्यक्रम शुरू करना;

अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सहलग्नताएं स्थापित करने के लिए परियोजना समन्वयकों की नियुक्ति; उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आदि जैसे विभिन्न राज्यों में पक्षसमर्थन कार्यक्रमों, बैठकों, सेमिनारों आदि का आयोजन।

- तृणमूल स्तर पर पक्षसमर्थन; अल्पसंख्यक संस्थाओं के मौलाना, मौलवी एवं मुफ्ती, शिक्षाविदों एवं समुदाय के स्थानीय नेताओं के साथ अंतःक्रिया।
- एनआईओएस के कार्यक्रमों तक अल्पसंख्यक समुदायों की पहुंच में सुधार के लिए पहले; उर्दू में प्रॉस्पेक्टस एवं दाखिला नोटिसों का मुद्रण तथा दाखिला फार्मों में संशोधन।

अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में नई पहलें

हुनर परियोजना

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीईपीसी) के साथ मिलकर एनआईओएस हुनर परियोजना की संकल्पना तैयार करने एवं शुरू करने में समर्थ हुआ। इस परियोजना का औपचारिक उद्घाटन 3 जुलाई 2008 को माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने किया तथा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं श्री एम ए ए फातमी विशेष आमंत्रिती थे। परियोजना का उद्देश्य किसी लागत के बिना 11–14/16 आयु वर्ग की मुस्लिम लड़कियों को पूरे बिहार में कौशल प्रशिक्षण/स्तरोन्नयन प्रदान करना है। इस मार्गदर्शी परियोजना के लिए सुपुर्दगी तंत्र परियोजना के वास्तविक कार्यान्वयन में किसी भी स्तर पर सरकार की ओर से किसी भागीदारी के बिना पूरे बिहार में मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित एवं नियंत्रित शैक्षिक संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं का एक नया नेटवर्क सृजित करके नई तर्ज पर विचारित किया गया। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एनआईओएस 3 नोडल एजेंसियों की पहचान करने में समर्थ रहा (इमारत–ए–शरिया, इदर–ए–शरिया, रहमानी फाउंडेशन)। लक्षित समूह में बीईपीसी की सहायता से उनके द्वारा चयनित सात ट्रेडों/कौशलों (ग्राम सखी, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, कताई एवं बुनाई, जूट उत्पादन, बेकरी एवं कांफेक्शनरी, ब्यूटी कल्चर, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल) में 13768 मुस्लिम लड़कियां शामिल हैं। एनआईओएस ने 3 नोडल एजेंसियों के तहत 298 एए का प्रत्यायन किया है।

हुनर चरण 2 – इस परियोजना की सफलता को देखते हुए बिहार सरकार ने एनआईओएस से चरण 2 के लिए इसे जारी रखने की पेशकश की है तथा सत्र 2010–11 के लिए मुसलमान, अजा, अजजा एवं सर्वाधिक पिछड़े समुदाय की 50000 और लड़कियां नामांकित की जा रही हैं। हुनर 1 की 298 प्रत्यायित संस्थाओं के अलावा चरण 2 के लिए 27 नोडल एजेंसियों के तहत 505 से अधिक नए केंद्रों का निरीक्षण किया गया है तथा प्रत्यायित किया गया है। ऐसी संस्थाओं की पहचान करने तथा सिफारिश करने में एनआईओएस के साथ सहयोग करने के लिए इन नोडल एजेंसियों के साथ त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं जिन्हें हुनर 2 परियोजना संचालित करने के लिए एनआईओएस द्वारा प्रत्यायित किया जा सकता है।

लक्षित समूह को प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण के लिए 9 ट्रेडों को चयन किया गया है। सभी अध्ययन अध्यापन सामग्री, शिक्षक हैंडबुक मॉडल सेम्पल पेपर आदि व्यावसायिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। चुने गए ट्रेड हैं: कताई एवं बुनाई, फलों एवं सब्जियों का परिरक्षण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, संगणना के बुनियादी कौशल, ग्राम सखी, हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी टंकण, ब्यूटी कल्चर।

मदरसों में स्तरीय शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम)

इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा विशेष रूप से माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से तुलनीय शिक्षा हासिल करने का अवसर प्रदान करके मदरसा जैसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है। एनआईओएस जैसी मुक्त अध्ययन की संस्थाओं की उपयुक्तता के मद्देनजर, योजना माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर एनआईओएस के माध्यम से पढ़ाई का विकल्प चुनने वाले प्रत्येक छात्र के लिए पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं अध्ययन सामग्री की लागत के संबंध में 100 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। यह योजना माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह द्वारा 26 फरवरी 2009 को शुरू की गई।

सचिव (एसईएंडएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में 21 सितम्बर 2010 को आयोजित वर्ष 2010–11 के लिए एसपीक्यूईएम की केंद्रीय सहायता अनुदान समिति की पहली बैठक में एसपीक्यूईएम कार्यक्रम पर एनआईओएस के हस्तक्षेपों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई तथा निम्नलिखित पर सिद्धांत रूप में सहमति हुई:

(i) एनआईओएस उन मदरसों को अपनी प्रत्यायित संस्था (एआई) के रूप में प्रत्यायन प्रदान करेगा अगर मदरसा राज्य मदरसा बोर्ड/राज्य के वक्फ बोर्ड से संबद्ध

है तथा कक्षा 10 एवं 12 के स्तर पर एनआईओएस के पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए निम्नतम आधारभूत सुविधाएं हैं। एनआईओएस द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उन मदरसों से कोई एकबारगी प्रत्यायन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(ii) एनआईओएस अपने मानदंडों के अनुसार इन मदरसों के माध्यम से नामांकित छात्रों से दाखिला शुल्क एवं एकबारगी परीक्षा लेगा, एनआईओएस की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से ऐसे छात्र परीक्षा के लिए चाहे जितनी बार प्रयास करे। एनआईओएस केवल इन छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क की एक नई संरचना तैयार करेगा जिसे बाद में एनआईओएस की वित्त समिति अनुमोदित करेगी। एनआईओएस वर्ष में दो बार दाखिले के दो भिन्न चक्रों में सीधे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से दाखिला एवं परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त करेगा।

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम

एनआईओएस के व्यावसायिक पाठ्यक्रम मुक्त बुनियादी शिक्षा स्तर, माध्यमिक पूर्व, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक पश्चात स्तरों पर प्रदान किए जाते हैं।

एनआईओएस के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का एक उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संगठित एवं असंगठित दोनों प्रकार के उभरते क्षेत्रों के लिए कुशल एवं मध्यम दर्जे की जनशक्ति संबंधी आवश्यकता को पूरा करना है। शिक्षु की आवश्यकताओं तथा बाजार की मांग के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों की रेंज वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। एनआईओएस के वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए हैं।

एनआईओएस अपने शिक्षुओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1300 से अधिक प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से काम करता हैं।

यूएनएफपीए – एमएचआरडी सहयोगः किशोर शिक्षा परियोजना (एईपी)

एनआईओएस किशोर शिक्षा परियोजना चला रहा है जिसका उद्देश्य किशोरों को ऐसे जीवन कौशलों से सुसज्जित करना है जो अपने व्यक्तित्व का विकास करने में उन्हें समर्थ बनाएंगे।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। यह 1929 में स्थापित देश का दूसरा सबसे पुराना बोर्ड है।

सीबीएसई के प्रमुख उद्देश्य

- देश के अंदर एवं बाहर संस्थाओं को संबद्ध करना
- कक्षा 10 एवं 12 के अंत में वार्षिक परीक्षाएं संचालित करना
- चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं संचालित करना
- पाठ्यचर्या अभिकल्पित करना एवं अपडेट करना
- शिक्षकों एवं संस्था प्रमुखों को अधिकार संपन्न बनाना

31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार 11500 विद्यालय सीबीएसई से संबद्ध हैं जिनमें भारत में तथा विश्व के 24 अन्य देशों में स्थित केंद्रीय विद्यालय, सरकारी, स्वतंत्र एवं जेएनवी विद्यालय शामिल हैं।

बोर्ड द्वारा निम्नलिखित परीक्षाएं संचालित की जाती हैं:

1. वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा 12)
2. माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा 10)
3. अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेंटल प्रवेश परीक्षा
4. अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा
5. जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा

वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र (कक्षा 12) परीक्षा 2010

- कक्षा 12 की परीक्षा के लिए 2010 में कुल 700983 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया।
- 2010 में अभ्यर्थियों का कुल उत्तीर्णता प्रतिशत 79.87 प्रतिशत था।

वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र (कक्षा 12) परीक्षा 2011

बोर्ड तकरीबन 769737 अभ्यर्थियों के लिए 1 मार्च से 13 अप्रैल 2011 तक वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र (कक्षा 12) परीक्षा 2011 का संचालन करेगा।

माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (कक्षा 10) परीक्षा 2010

- कक्षा 10 की परीक्षा के लिए 2010 में कुल 902747 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया।
- अभ्यर्थियों का कुल उत्तीर्णता प्रतिशत 89.28 प्रतिशत था।

सीसीई योजना के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (कक्षा 10) परीक्षा 2011

यह योजना 2009 से सीबीएसई से संबंधित सभी स्कूलों में कक्षा 9 एवं 10 के लिए लागू की गई। योजना के अनुसार शैक्षिक वर्ष में 4 फार्मेटिव मूल्यांकन तथा 2 समेटिव मूल्यांकन किए जाते हैं। कक्षा 9 एवं 10 के लिए इस टर्म के लिए पहला समेटिव मूल्यांकन (एसए 1) सितम्बर 2010 के उत्तरार्ध में संचालित किया गया है।

इस योजना के अंतर्गतः

- केवल उन्हीं छात्रों को कक्षा 10 की बोर्ड द्वारा संचालित बाह्य परीक्षा में बैठने की जरूरत होती है जो माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं या जो अन्य बोर्डों को अपनाना चाहते हैं।
- 2011 से बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 10 की परीक्षा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए वैकल्पिक कर दी गई है।
- तकरीबन 10.6 लाख पंजीकृत अभ्यर्थी हैं। इनमें से तकरीबन 6 लाख अभ्यर्थियों ने स्कूल आधारित परीक्षा का विकल्प चुना जबकि 4.6 लाख ने बोर्ड परीक्षा का विकल्प चुना।
- विद्यालय मार्च 2011 के पहली छमाही के दौरान कक्षा 9 के लिए एसए 2 का संचालन करेंगे; कक्षा 10 के लिए एसए 2 मार्च 2011 की दूसरी छमाही के दौरान संचालित किया जाएगा।

मार्च 2011 में आयोजित होने वाले स्कूल आधारित समेटिव मूल्यांकन 2 के अंतर्गत, निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर छात्रों का आंतरिक रूप से परीक्षण किया जाएगाः

- कक्षा 9 एवं 10 के समेटिव मूल्यांकन 2 के लिए विभिन्न विषयों में पाठ्य विवरण एवं परीक्षा प्रश्नपत्र बोर्ड द्वारा पहले ही परिचालित किए जा चुके हैं।
- समेटिव मूल्यांकन 2 स्कूलों द्वारा संचालित पेन–पेपर टेस्ट के रूप में होगा।
- मानकीकरण एवं एकरूपता का सुनिश्चय करने के निमित्त, विभिन्न विषयों में प्रश्नपत्र बैंक बोर्ड द्वारा स्कूलों को भेजे गए हैं।
- प्रश्नपत्र हल करने के लिए स्कूल छात्रों को लोचपूर्ण समय प्रदान करेंगे। इसकी अवधि 3 से 3.30 घंटे हो सकती है।
- बोर्ड द्वारा प्रदान की गई अंकन योजना के आधार पर स्कूल के शिक्षक ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे।
- स्कूलों द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन प्रणाली का बोर्ड के अधिकारी/बोर्ड द्वारा नियुक्त नामिती यादृच्छिक सत्यापन करेंगे।

अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेंटल परीक्षा 2010

राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानी में स्थित विभिन्न केंद्रो पर 3 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा तथा 16 मई 2010 को अंतिम परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में कुल 146230 उम्मीदवार बैठे। 14217 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त की तथा 4672 अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची घोषित की गई।

अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेंटल परीक्षा 2011

प्रारंभिक परीक्षा 3 अप्रैल 2011 को तथा अंतिम परीक्षा 15 मई 2011 को आयोजित की जाएगी।

अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 2010

पूरे देश में स्थित 1623 परीक्षा केंद्रों पर 25 अप्रैल 2010 को एआईईईई का आयोजन किया गया। इस परीक्षा के लिए कुल 1065100 अभ्यर्थी बैठे।

अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 2011

अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 2011 का आयोजन 1 मई 2011 को होगा।

2011 के लिए पहली बार ऑन लाइन अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा

इस वर्ष पहली बार बोर्ड ने प्रति शहर अधिकतम 5000 अभ्यर्थियों के लिए 20 चयनित शहरों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1 लाख अभ्यर्थियों के लिए ऑन लाइन परीक्षा बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई है।

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2010

ग्रीष्मावकाश, शीतावकाश तथा नव गठित जेएनवी के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए बोर्ड द्वारा 3 बार चयन परीक्षा आयोजित की गई।

सीबीएसई परामर्श 2010

सीबीएसई ने पहली बार 1998 में 13 साल पहले यह मार्गदर्शक सामुदायिक कार्य आरंभ किया। सीबीएसई की टेली–काउंसलिंग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- यह दो चरणों में अर्थात परीक्षा पूर्व एवं परिणाम पश्चात सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के अंदर प्रशिक्षित परामर्शदाताओं एवं प्रधानाचार्यों द्वारा प्रदान किया जाता है।
- यह प्रतिभागियों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वैच्छिक एवं निःशुल्क सेवा है।
- यह आईवीआरएस, राष्ट्रीय दैनिकों में प्रश्नोत्तर कॉलम, ऑनलाइन परामर्श आदि जैसे विभिन्न माध्यमों के जरिए प्रदान किया जाता है।

पहला चरण

2010 में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी एवं निजी स्कूलों के 52 प्रधानाचार्यों, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं, मनोविज्ञानियों तथा समाज विज्ञानियों ने इस हेल्पलाइन का संचालन किया। भारत में 20 केंद्र तथा भारत के बाहर कुवैत, दुबई एवं दोहा कतर में 3 हेल्पलाइन केंद्र थे।

विशेष रूप से समर्थ बच्चों के लिए परामर्श

दूसरी बार, सीबीएसई ने मुम्बई एवं दिल्ली स्थित केंद्रों से विशेष रूप से समर्थ बच्चों का ध्यान रखने के लिए विशेष प्रशिक्षकों को शामिल किया।

परिणाम पश्चात मनोवैज्ञानिक परामर्श के दूसरे चरण का संचालन 40 विशेषज्ञों ने जून 2010 में किया।

सीबीएसई परामर्श 2011

इस वर्ष सीबीएसई से संबद्ध सरकारी एवं निजी स्कूलों के 49 प्रधानाचार्यों, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं, मनोविज्ञानियों तथा समाजविज्ञानियों ने प्रातः 8 बजे से आधी रात तक इस हेल्पलाइन का संचालन किया। भारत के बाहर कुवैत, दुबई, दोहा कतर एवं जापान में भी 4 हेल्पलाइन केंद्र हैं।

दूसरी बार के लिए केंद्रीकृत एवं टोलफ्री हेल्पलाइन

इस वर्ष दूसरी बार के लिए सीबीएसई ने कॉल सेंटर की तरह केंद्रीकृत अक्सेस प्रणाली का प्रयोग किया। छात्रों की अधिक सुविधा के लिए, एक टोलफ्री नंबर चालू किया गया हैं।

आकलन एवं मूल्यांकन

- मार्च 2011 में होने वाली परीक्षा के लिए सभी विषयों में अंकन योजना के साथ नमूना प्रश्नपत्र संशोधित किए गए, मुद्रित किए गए, प्रकाशित किए गए तथा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।
- बोर्ड ने 2010 से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में केवल ग्रेड प्रदान करने का निर्णय लिया हैं।

प्रचालन के तौर तरीके

- संख्यात्मक अंकन की परम्परागत विधि का प्रयोग करके छात्रों के निष्पादन का आकलन किया जाता है।
- 9 सूत्री पैमाने पर विषयवार निष्पादन का उल्लेख करने के लिए ग्रेड प्रदान किए जाते हैं।
- सभी अभ्यर्थियों को जारी किए गए "विषयवार निष्पादन का विवरण" में केवल विषयवार ग्रेड दर्शाए जाते हैं।
- कंपार्टमेंट/फेल घोषित करने की प्रथा बंद कर दी गई है।
- जो अभ्यर्थी अध्ययन की योजना के अनुसार अतिरिक्त विषय को छोड़कर सभी विषयों में अर्हक ग्रेड (डी एवं इससे अधिक) प्राप्त करते हैं उन्हें अर्हता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
- जो अभ्यर्थी विषय में ग्रेड ई1 या ई2 प्राप्त करते हैं उनको परवर्ती 5 प्रयासों के माध्यम से अपने निष्पादन में सुधार करना होता है।
- जो अभ्यर्थी अर्हता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हैं वे अगली कक्षाओं में प्रवेश के लिए पात्र होते हैं।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई)

- बोर्ड ने अक्टूबर 2009 से कक्षा 9 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) की संकल्पना लागू की है जो वर्ष 2010–11 से कक्षा 10 में जारी रहेगी। इस प्रयोजनार्थ सिलेबस को 2 सत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सत्र में 10 प्रतिशत वेटेज के दो फार्मेटिव टेस्ट तथा क्रमशः 20 एवं 40 प्रतिशत वेटेज का एक समेटिव टेस्ट होगा।

सीसीई का उद्देश्य

- शिक्षण कक्ष में प्रायोगिक अधिगम के माध्यम से संकल्पना के स्पष्टीकरण पर बल में वृद्धि होगी क्योंकि पाठ्यचर्या के संपादन के लिए अधिक समय उपलब्ध होगा।

- इससे शिक्षुओं को अपने व्यक्तित्व का समग्र रूप में विकास करने तथा पाठ्यचर्या संबद्ध पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी जिसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के अंग के रूप में आंकलन किया जाएगा।
- यह छात्रों को जीवन कौशलों विशेष रूप से रचनात्मक एवं समालोचनात्मक चिंतन कौशल, सामाजिक कौशल तथा तालमेल स्थापित करने के कौशल से सुसज्जित करेगा जो उन्हें उस समय अच्छी स्थिति में रखेंगे जब वे आगे चलकर अत्यंत प्रतिस्पर्धी माहौल में कदम रखेंगे।

सीसीई पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं

सीबीएसई से सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तथा स्वतंत्र विद्यालय संबद्ध हैं। इसलिए सोपानिक विधि का प्रयोग करके सभी विद्यालयों को प्रशिक्षण दिया गयाः 2218 मास्टर प्रशिक्षक तैयार किए गए जिन्होंने 6 घंटे के प्रशिक्षण मॉड्यूल के दौरान प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों (प्रत्येक स्कूल से एक प्रधानाचार्य एवं 2 शिक्षक) को प्रशिक्षित किया तथा कार्यक्रम के लिए पक्षसमर्थन एवं प्रशिक्षण का संचालन किया जिसमें 6551 विद्यालयों ने भाग लिया।

सीसीई योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग एवं परामर्श कार्यक्रम

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विद्यालयों के अंदर क्षमता निर्माण के उद्देश्य से सीबीएसई द्वारा 'मॉनीटर–मेंटर रूपरेखा प्रशिक्षित करें' अपनाया गया। इन मॉनिटरों एवं मेंटरों ने समकक्ष मूल्यांकन कर्ताओं के रूप में काम किया। प्रधानाचार्यों को मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया तथा पड़ोस के 6 से 10 स्कूल आबंटित किए गए। मॉनिटरों ने विद्यालयों का दौरा किया तथा जांच सूचियों, शिक्षक प्रपत्रों के साथ अंतःक्रिया, शिक्षण कक्ष प्रेक्षण पैमाना, स्वतः समीक्षा प्रपत्र तथा सीसीई पर परामर्श प्रपत्र के माध्यम से टिप्पणियों को प्रलेखित किया। जहां जरूरत पड़ी, मॉनिटरों ने स्कूलों को परामर्श भी दिया।

अन्य शैक्षिक पहलें

- 2010–11 में शुरू करने के लिए कक्षा 9 तथा 11 के लिए अरबी में पाठगत सामग्रियां तैयार की गईं।
- सूचना विज्ञान के अभ्यास के लिए पाठगत सामग्री तैयार करने का कार्य भी शुरू किया गया।
- जीवन कौशलों, प्रश्नों के पैटर्न में परिवर्तनों तथा फारमेटिव मूल्यांकन शामिल करने के लिए इंट्रैक्ट इन इंगलिश लिट्रेचर, इंट्रैक्ट इन इंगलिश मेन कोर्स बुक, तथा इंट्रैक्ट इन इंगलिश वर्कशॉप के संबंध में संप्रेषण अंग्रेजी में पाठ्यक्रम के लिए कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तकों को पूर्णतया संशोधित किया गया।

मास मीडिया अध्ययन (शैक्षिक ऐच्छिक) तथा मास मीडिया अध्ययन एवं मीडिया प्रोडक्शन (व्यावसायिक पैकेज)

कक्षा 11 एवं 12 के छात्रों के लिए मास मीडिया अध्ययन एवं मीडिया प्रोडक्शन नामक शैक्षिक ऐच्छिक मास मीडिया अध्ययन तथा एक व्यावसायिक पैकेज इस शैक्षिक वर्ष से शुरू किया गया है। छात्रों के शैक्षिक प्रशिक्षण में शामिल पेशेवरों द्वारा अभिकल्पित किए गए इस पाठ्यक्रम में मास मीडिया को समझने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

स्वास्थ्य मैनुअल का संशोधन

स्वच्छता, साफ–सफाई, पर्यावरणीय संरक्षण, सुरक्षा, आपातकालीन चिकित्सा सेवा से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के लिए स्वास्थ्य मैनुअल के 4 खंड संशोधित किए गए। स्वास्थ्य मैनुअल में बालरोग से संबंधित चिकित्सा आपातकाल के मुद्दों को शामिल करने पर चर्चा करने के लिए एम्स के ट्रॉमा केंद्र के विशेषज्ञों के साथ बैठक की गई।

शारीरिक शिक्षा संसाधन का विकास

ब्रिटिश कांउसिल तथा भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के साथ मिलकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करने पर बल देने के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा नामक क्रीड़ा विकास पहल शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह पता लगाना है कि शारीरिक शिक्षा (पीई) तथा स्कूल क्रीड़ा का प्रयोग विद्यालयों एवं स्थानीय समुदाय में युवाओं को शामिल करने के लिए कैसे किया जा सकात है।

सीबीएसई की अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या

शैक्षिक सत्र 2010–11 से कक्षा 1 एवं 9 में शुरू की गई सीबीएसई–1 पाठ्यचर्या 9 देशों में 30 विद्यालयों द्वारा अपनाई गई है। इसका उद्देश्य विषयों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान करके समाज विज्ञान एवं भाषाओं में लोच को बढ़ावा देना तथा समालोचनात्मक चिंतन, जीवन कौशल आदि को बढ़ावा देना है।

व्यावसायिक शिक्षा

इस समय बोर्ड विद्यमान 32 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की समीक्षा का कार्य अपने हाथ में लिया है ताकि उनको संगत क्षेत्र में अद्यतन विकासों के अनुरूप बनाया जा सके।

- स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान, आथितेय एवं पर्यटन तथा मीडिया अध्ययन व मीडिया प्रोडक्शन में नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए गए।
- फैशन डिजाइन तथा परिधान प्रौद्योगिकी का सिलेबस एवं पाठ्यचर्या तैयार की गई।
- स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान में मैनुअल छपवाए गए।
- एफएमएम पाठ्यचर्या की समीक्षा की गई।
- एजुसैट कार्यक्रम संशोधित किए गए।

शारीरिक शिक्षा

कक्षा 11 एवं 12 के लिए शारीरिक शिक्षा की पाठ्यचर्या संशोधित की गई है। बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों से शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए मई एवं जून 2009 के दौरान एलएनयूपीई ग्वालियर के साथ मिलकर 2 प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्रीड़ा एवं खेलकूद की प्रतियोगिताएं

ये प्रतियोगिताएं बोर्ड से संबद्ध स्वतंत्र श्रेणी के विद्यालयों के लिए आयोजित की जाती हैं जिनकी संख्या लगभग 6300 है तथा पूरे भारत में स्थित होने के साथ–साथ खाड़ी के देशों में भी स्थित हैं। इस वर्ष 3 और खेल अर्थात स्केटिंग, ताइक्वांडों तथा फुटबाल (लड़कियां) शुरू किए गए। कुल मिलाकर 15 खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। पूरे भारत में लगभग 150 स्थानों पर क्लस्टर, अंचल एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों समेत तकरीबन 1 लाख छात्रों ने भाग लिया।

सीबीएसई का चाचा नेहरू क्रीड़ा पुरस्कार

राष्ट्रीय स्तर पर चयन समिति ने सीबीएसई के चाचा नेहरू क्रीड़ा पुरस्कार के लिए 130 एथेलीटों का चयन किया जिसमें उत्कृष्ट निष्पादन के लिए तथा एथेलेटिक्स एवं तैराकी में नए रिकार्ड बनाने वाले प्रत्येक छात्र को 6000 रूपए का ईनाम दिया जाता है।

सीबीएसई छात्र वैश्विक अभिवृत्ति सूचकांक (एसजीएआई) 2011

सीबीएसई ने एक छात्र वैश्विक सूचकांक तैयार किया है जिसका उद्देश्य एक व्यापक अभिवृत्ति एवं रूचि विश्लेषण प्रदान करना है। देश में अपनी तरह का पहला सीबीएसई छात्र वैश्विक अभिवृत्ति सूचकांक (एसजीएआई) को अनुकूलित किया गया ताकि यह भारतीय संदर्भ एवं सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के विविध प्रकार के छात्रों के अनुरूप हो सकें।

सीबीएसई का एसजीएआई मोटे तौर पर इन सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक, संख्यात्मक, सामाजिक अभिवृत्ति, आचरण विज्ञान तथा रूचि के साथ कला अभिवृत्ति का मापन करेगा।

तथापि, अन्य स्रोतों से छात्र मूल्यांकन के साथ एसजीएआई के परिणामों का मिलान अंततः विषयों का सूचित चयन करने में छात्रों एवं अभिभावकों की मदद करेगा।

- अभिवृत्ति आकलन का मुख्य बल स्कूली छात्रों के विषय अभिविन्यास पर है।
- यह केवल करियर मार्गदर्शन प्रदान करने के बजाय छात्रों की रूचि, अभिवृत्ति एवं विषयों के चयन को जोड़ता है।
- यह केवल करियर संबंधी निर्णय में सुविधा प्रदान करने के बजाय छात्र के जीवन में और करियर मैपिंग में सहायता प्रदान करने के लिए एक व्यापक सुगठित अभिविन्यास है।

बोर्ड ने अभिवृत्ति तथा मूल्यांकन के लाभों के बारे में छात्रों एवं अभिभावकों में जागरूकता पैदा करने के लिए टेस्ट बैटरी, मूल्यांकन उपकरण, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किया।

पहले सीबीएसई–एसजीएआई का आयोजन 22 जनवरी 2011 को हुआ। सीबीएसई–एसजीएआई 2011 के लिए 3240 विद्यालयों के लगभग 212466 छात्रों ने नामांकन कराया।

प्रवीणता परीक्षाएं

कक्षा 10 के अंत में छात्रों को बोर्ड द्वारा एक प्रवीणता परीक्षा की भी पेशकश की जाती है। यह परीक्षा संकल्पनाओं को समझने, विश्लेषण करने एवं लागू करने के लिए कौशलों के साथ किसी क्षेत्र या विषय में व्यक्ति की सामर्थ्य मापने के लिए अभिकल्पित की गई है। यह एक पेपर और पेंसिल टैस्ट है जो वैकल्पिक है। इच्छुक छात्र एक या अधिक विषयों में बैठ सकते हैं।

केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन

केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है।

इसका मुख्य उद्देश्य भारत में रह रहे तिब्बतियों को अपनी संस्कृति का परिरक्षण एवं संवर्धन करते हुए अपनी शिक्षा के लिए शैक्षिक संस्थाएं संचालित करना, प्रबंधित करना तथा सहायता करना है।

यह प्रशासन 67 विद्यालय चलाता है जिसमें 8 वरिष्ठ माध्यमिक, 6 माध्यमिक, 7 मिडिल, 6 प्राइमरी, 33 प्राथमिक पूर्व तथा 7 सहायता अनुदान विद्यालय हैं। ये विद्यालय मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में तिब्बतियों की बहुलता वाले स्थानों पर स्थित हैं।

वर्ष 2009–10 के दौरान 9974 छात्र नामांकित थे। प्रशासन ने 628 शिक्षण तथा 236 शिक्षणेतर स्टाफ संस्वीकृत किया है।

ये विद्यालय एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई पाठ्यचर्या अपनाते हैं तथा सीबीएसई, दिल्ली से संबद्ध हैं। विज्ञान, कला एवं वाणिज्य धाराओं के अलावा वित्तीय बाजार प्रबंधन तथा आतिथेय एवं बिवरेज पाठ्यक्रम समेत व्यावसायिक धारा की भी पेशकश की जाती है। विद्यालय सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ भी काम कर रहे हैं।

प्रशासन ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा–2010 में 93.45 प्रतिशत तथा कक्षा 12 में 79.25 प्रतिशत परिणाम प्राप्त किया। सीटीएसए के विद्यालयों के छात्रों ने विभिन्न स्तरों अर्थात विद्यालय, अंचल, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पाठ्येतर एवं सह पाठ्यचर्या गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया।

प्रशासन शिक्षण एवं शिक्षणेतर स्टाफ के लिए नियमित रूप से सेवाकालीन पाठ्यक्रम एवं कार्यशालाएं आयोजित करता हैं ताकि उनको अद्यतन घटनाक्रमों की जानकारी रहे।

मेधावी शिक्षण एवं शिक्षणेतर स्टाफ की सेवाओं को मान्यता देने एवं प्रोत्साहित करने के निमित्त, प्रशासन शिक्षण स्टाफ को 4 प्रोत्साहन पुरस्कार तथा शिक्षणेतर स्टाफ को 3 प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करता है। 2 शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए भी नामांकित किए जाते हैं।

तिब्बती बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए, सीटीएसए विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा में विद्यालय पश्चात पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है।

भारत सरकार ने भी तिब्बती बच्चों के लिए इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फार्मेसी एवं शिक्षा में डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों में कुछ सीटें आरक्षित की है।

उच्चतर शिक्षा

6

उच्चतर शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में नवम्बर, 1956 में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) को दो मुख्य उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं जिसमें पहला उच्चतर शिक्षा में मानकों के समन्वय, निर्धारण एवं अनुरक्षण का है और दूसरा उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु निधियां मुहैया कराना है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिदेश में विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार हेतु आवश्यक उपायों के बारे में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार को सलाह देना, संघ एवं राज्य सरकारों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच एवं सक्रिय कड़ी के रूप में कार्य करना तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयी शिक्षा आदि के क्षेत्र में विकास संबंधी गतिविधियों की निगरानी करना शामिल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के साथ–साथ बंगलौर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एवं पुणे स्थित अपने छह क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है।

उच्चतर शिक्षा प्रणाली: एक सांख्यिकीय परिदृश्य

उच्चतर शिक्षा प्रणाली का एक सांख्यिकीय परिदृश्य तालिका 6.1 में दिया गया है। भारत की स्वाधीनता के बाद में, जब कुल 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज हुआ करते थे, इसमें असाधारण वृद्धि हुई है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रकार और उनकी संख्या की पूरी रूपरेखा संक्षिप्त रूप में तालिका में दर्शायी गई है।

तालिका 6.1 : विश्वविद्यालय स्तर के शैक्षिक संस्थानों की सूची

क्रम सं.	सस्थानिक श्रेणी	संस्थानों की संख्या
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	42
2.	सम विश्वविद्यालय संस्थाएं	130
3.	राज्य विश्वविद्यालय	261
4.	निजी विश्वविद्यालय	73
5.	राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं	33
6.	राज्य विधायी अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित संस्थान	05
	संस्थानों की कुल संख्या	544
7.	महाविद्यालयों की कुल संख्या	31,324
	यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 12 (च) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त	7,678 (24.5%)
	यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 ट की धारा 12 (ख) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त	6257 (20.0%) 3432
महिला महाविद्यालय		
8.	औपचारिक पद्धति में नामांकन (शैक्षिक वर्ष 2010–11 के आरंभ में)	146.25 लाख
	विश्वविद्यालय विभागों में	19.19 लाख (13.1%)
	संबद्ध महाविद्यालयों में	127.06 लाख (86.9%)
	महिलाओं का नामांकन	60–80 लाख (41.6%)
	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं का नामांकन	18.45%
9.	विश्वविद्यालयों में संकाय संख्या (शैक्षिक वर्ष 2010–11 के आरंभ में)	6.99 लाख
	विश्वविद्यालयों में	1.0 लाख (14.1%)
	महाविद्यालयों में	5.99 लाख (14.1%)

- तीन विश्वविद्यालयों नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वद्यिालय (सी ए यू), इम्फाल, मणिपुर, (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली तथा (iii) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) चैन्नई यू.जी.सी. की सीमा में नहीं आते हैं तथा इसलिए इन विश्वविद्यालय को कोई योजनागत/योजनंतर अनुदान नहीं प्रदान किया जाता है।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू की स्थापना दिनांक 20.10.2009 को हुई थी। इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की गई है।
- दी गई प्रतिशतताएं, संबंधित श्रेणी में कुलयोग के सापेक्ष है।

वर्ष 2010–2011 के लिए बजट

यू.जी.सी. को वर्ष 2010–2011 के लिए 4390.00 करोड़ रूपए का सामान्य योजनागत बजट आबंटित किया गया है, जिसे निम्नलिखित आठ बड़े सेक्टरों के अंतर्गत वितरित किया गया हैं जिन पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में विचार किया गया था। (तालिका 6.2)।

तालिका 6.2 : वर्ष 2010–2011 के लिए यू.जी.सी. बजट

क्रम सं.	सेक्टर	आबंटन (करोड़ रू. में)	कुल आबंटन का प्रतिशत
1.	सकल प्राप्ति में वृद्धि करना	*3573.00	81.4
2.	समता	226.00	5.1
3.	गुणता एवं उत्कृष्टता	425.50	9.7
4.	अनुसंधान	73.50	1.7
5.	प्रासंगिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा	30.00	0.7
6.	आई.सी.टी. एकीकरण	36.00	0.8
7.	शासन एवं दक्षता पुरस्कार	18.00	0.4
8.	अन्य (नई योजनाएं एवं 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्रतिबद्ध देयता)	8.00	0.2

*मोइली समिति एवं एम.एम.शर्मा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्रमशः 770.00 करोड़ तथा 300.00 करोड़ रूपए शामिल हैं।

(क) उच्चतर शिक्षा हेतु प्राप्ति में वृद्धि करना तथा इसे कायम रखना

यू.जी.सी. 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों हेतु बजटीय योजना प्रावधानों के द्वारा उनके विकास के लिए सहायता जारी किए हुए है। केन्द्रीय तथा पात्र डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों को योजनागत एवं योजनेतर दोनों के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया करायी गयी थी। राज्य विश्वविद्यालयों एवं इनके संबद्ध कॉलेजों को सहायता केवल योजनागत व्यय के अंतर्गत मुहैया करायी गयी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007–2012) के दौरान वैयक्तिक विश्वविद्यालयों को यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित परिव्यय के आधार पर सामान्य विकास सहायता मुहैया करायी गई है।

यू.जी.सी. का सामान्य विकास सहायता कार्यक्रम का प्रावधान, प्राप्ति में वृद्धि करने, इक्विटी सुनिश्चित करने, प्रासंगिक शिक्षा देने, प्रबंधन को और अधिक प्रभावशाली एवं पारदर्शी बनाने, छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, विश्वविद्यालयों की अनुसंधान परक सुविधाओं अन्य योजनाओं को प्रवर्धित करने जैसे पहलुओं को शामिल करते हुए विश्वविद्यालयों के समग्र विकास के लिए अभिप्रेत है। बुनियादी सुविधाओं, स्टाफ का वेतन, भर्ती, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं, कैम्पस विकास, नवाचारी अनुसंधान गतिविधियों, छात्र–सुविधाओं, नई विस्तार गतिविधियों, आई.सी.टी. जरूरतों आदि के संदर्भ में विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु यू.जी.सी. द्वारा इस विकास सहायता के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया करायी गयी थी। लगभग 16 योजनाओं को विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों हेतु सामान्य विकास सहायता के साथ आमेलित किया गया है और इन योजनाओं के लिए पृथक आबंटन किए गए हैं जो निम्नवत् हैं।

सामान्य विकास सहायता योजनाएं

1. यात्रा अनुदान
2. सम्मेलन/सेमिनार/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं
3. प्रकाशन अनुदान

व्यावसायिक शिक्षा

इस समय बोर्ड विद्यमान 32 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की समीक्षा का कार्य अपने हाथ में लिया है ताकि उनको संगत क्षेत्र में अद्यतन विकासों के अनुरूप बनाया जा सके।

- स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान, आथितेय एवं पर्यटन तथा मीडिया अध्ययन व मीडिया प्रोडक्शन में नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए गए।
- फैशन डिजाइन तथा परिधान प्रौद्योगिकी का सिलेबस एवं पाठ्यचर्या तैयार की गई।
- स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान में मैनुअल छपवाए गए।
- एफएमएम पाठ्यचर्या की समीक्षा की गई।
- एजुसैट कार्यक्रम संशोधित किए गए।

शारीरिक शिक्षा

कक्षा 11 एवं 12 के लिए शारीरिक शिक्षा की पाठ्यचर्या संशोधित की गई हैं। बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों से शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए मई एवं जून 2009 के दौरान एलएनयूपीई ग्वालियर के साथ मिलकर 2 प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्रीड़ा एवं खेलकूद की प्रतियोगिताएं

ये प्रतियोगिताएं बोर्ड से संबद्ध स्वतंत्र श्रेणी के विद्यालयों के लिए आयोजित की जाती हैं जिनकी संख्या लगभग 6300 है तथा पूरे भारत में स्थित होने के साथ–साथ खाड़ी के देशों में भी स्थित हैं। इस वर्ष 3 और खेल अर्थात स्केटिंग, ताइक्वांडों तथा फुटबाल (लड़कियां) शुरू किए गए। कुल मिलाकर 15 खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। पूरे भारत में लगभग 150 स्थानों पर क्लस्टर, अंचल एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों समेत तकरीबन 1 लाख छात्रों ने भाग लिया।

सीबीएसई का चाचा नेहरू क्रीड़ा पुरस्कार

राष्ट्रीय स्तर पर चयन समिति ने सीबीएसई के चाचा नेहरू क्रीड़ा पुरस्कार के लिए 130 एथेलीटों का चयन किया जिसमें उत्कृष्ट निष्पादन के लिए तथा एथेलेटिक्स एवं तैराकी में नए रिकार्ड बनाने वाले प्रत्येक छात्र को 6000 रूपए का ईनाम दिया जाता है।

सीबीएसई छात्र वैश्विक अभिवृत्ति सूचकांक (एसजीएआई) 2011

सीबीएसई ने एक छात्र वैश्विक सूचकांक तैयार किया है जिसका उद्देश्य एक व्यापक अभिवृत्ति एवं रूचि विश्लेषण प्रदान करना है। देश में अपनी तरह का पहला सीबीएसई छात्र वैश्विक अभिवृत्ति सूचकांक (एसजीएआई) को अनुकूलित किया गया ताकि यह भारतीय संदर्भ एवं सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के विविध प्रकार के छात्रों के अनुरूप हो सकें।

सीबीएसई का एसजीएआई मोटे तौर पर इन सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक, संख्यात्मक, सामाजिक अभिवृत्ति, आचरण विज्ञान तथा रूचि के साथ कला अभिवृत्ति का मापन करेगा।

तथापि, अन्य स्रोतों से छात्र मूल्यांकन के साथ एसजीएआई के परिणामों का मिलान अंततः विषयों का सूचित चयन करने में छात्रों एवं अभिभावकों की मदद करेगा।

- अभिवृत्ति आकलन का मुख्य बल स्कूली छात्रों के विषय अभिविन्यास पर है।
- यह केवल करियर मार्गदर्शन प्रदान करने के बजाय छात्रों की रूचि, अभिवृत्ति एवं विषयों के चयन को जोड़ता है।
- यह केवल करियर संबंधी निर्णय में सुविधा प्रदान करने के बजाय छात्र के जीवन में और करियर मैपिंग में सहायता प्रदान करने के लिए एक व्यापक सुगठित अभिविन्यास है।

बोर्ड ने अभिवृत्ति तथा मूल्यांकन के लाभों के बारे में छात्रों एवं अभिभावकों में जागरूकता पैदा करने के लिए टेस्ट बैटरी, मूल्यांकन उपकरण, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किया।

पहले सीबीएसई–एसजीएआई का आयोजन 22 जनवरी 2011 को हुआ। सीबीएसई–एसजीएआई 2011 के लिए 3240 विद्यालयों के लगभग 212466 छात्रों ने नामांकन कराया।

प्रवीणता परीक्षाएं

कक्षा 10 के अंत में छात्रों को बोर्ड द्वारा एक प्रवीणता परीक्षा की भी पेशकश की जाती है। यह परीक्षा संकल्पनाओं को समझने, विश्लेषण करने एवं लागू करने के लिए कौशलों के साथ किसी क्षेत्र या विषय में व्यक्ति की सामर्थ्य मापने के लिए अभिकल्पित की गई है। यह एक पेपर और पेंसिल टैस्ट है जो वैकल्पिक है। इच्छुक छात्र एक या अधिक विषयों में बैठ सकते हैं।

केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन

केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है।

इसका मुख्य उद्देश्य भारत में रह रहे तिब्बतियों को अपनी संस्कृति का परिरक्षण एवं संवर्धन करते हुए अपनी शिक्षा के लिए शैक्षिक संस्थाएं संचालित करना, प्रबंधित करना तथा सहायता करना है।

यह प्रशासन 67 विद्यालय चलाता है जिसमें 8 वरिष्ठ माध्यमिक, 6 माध्यमिक, 7 मिडिल, 6 प्राइमरी, 33 प्राथमिक पूर्व तथा 7 सहायता अनुदान विद्यालय हैं। ये विद्यालय मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में तिब्बतियों की बहुलता वाले स्थानों पर स्थित हैं।

वर्ष 2009–10 के दौरान 9974 छात्र नामांकित थे। प्रशासन ने 628 शिक्षण तथा 236 शिक्षणेतर स्टाफ संस्वीकृत किया है।

ये विद्यालय एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई पाठ्यचर्या अपनाते हैं तथा सीबीएसई, दिल्ली से संबद्ध हैं। विज्ञान, कला एवं वाणिज्य धाराओं के अलावा वित्तीय बाजार प्रबंधन तथा आतिथेय एवं बिवरेज पाठ्यक्रम समेत व्यावसायिक धारा की भी पेशकश की जाती है। विद्यालय सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ भी काम कर रहे है।

प्रशासन ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा–2010 में 93.45 प्रतिशत तथा कक्षा 12 में 79.25 प्रतिशत परिणाम प्राप्त किया। सीटीएसए के विद्यालयों के छात्रों ने विभिन्न स्तरों अर्थात विद्यालय, अंचल, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पाठ्येतर एवं सह पाठ्यचर्या गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया।

प्रशासन शिक्षण एवं शिक्षणेतर स्टाफ के लिए नियमित रूप से सेवाकालीन पाठ्यक्रम एवं कार्यशालाएं आयोजित करता है ताकि उनको अद्यतन घटनाक्रमों की जानकारी रहे।

मेधावी शिक्षण एवं शिक्षणेतर स्टाफ की सेवाओं को मान्यता देने एवं प्रोत्साहित करने के निमित्त, प्रशासन शिक्षण स्टाफ को 4 प्रोत्साहन पुरस्कार तथा शिक्षणेतर स्टाफ को 3 प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करता है। 2 शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए भी नामांकित किए जाते हैं।

तिब्बती बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए, सीटीएसए विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा में विद्यालय पश्चात पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है।

भारत सरकार ने भी तिब्बती बच्चों के लिए इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फार्मेसी एवं शिक्षा में डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों में कुछ सीटें आरक्षित की है।

उच्चतर शिक्षा

6

उच्चतर शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में नवम्बर, 1956 में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) को दो मुख्य उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं जिसमें पहला उच्चतर शिक्षा में मानकों के समन्वय, निर्धारण एवं अनुरक्षण का है और दूसरा उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु निधियां मुहैया कराना है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिदेश में विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार हेतु आवश्यक उपायों के बारे में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार को सलाह देना, संघ एवं राज्य सरकारों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच एवं सक्रिय कड़ी के रूप में कार्य करना तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयी शिक्षा आदि के क्षेत्र में विकास संबंधी गतिविधियों की निगरानी करना शामिल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के साथ–साथ बंगलौर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एवं पुणे स्थित अपने छह क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है।

उच्चतर शिक्षा प्रणाली: एक सांख्यिकीय परिदृश्य

उच्चतर शिक्षा प्रणाली का एक सांख्यिकीय परिदृश्य तालिका 6.1 में दिया गया है। भारत की स्वाधीनता के बाद में, जब कुल 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज हुआ करते थे, इसमें असाधारण वृद्धि हुई है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रकार और उनकी संख्या की पूरी रूपरेखा संक्षिप्त रूप में तालिका में दर्शायी गई है।

तालिका 6.1 : विश्वविद्यालय स्तर के शैक्षिक संस्थानों की सूची

क्रम सं.	संस्थानिक श्रेणी	संस्थानों की संख्या
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	42
2.	सम विश्वविद्यालय संस्थाएं	130
3.	राज्य विश्वविद्यालय	261
4.	निजी विश्वविद्यालय	73
5.	राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं	33
6.	राज्य विधायी अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित संस्थान	05
	संस्थानों की कुल संख्या	544
7.	महाविद्यालयों की कुल संख्या	31,324
	यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 12 (च) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त	7,678 (24.5%)
	यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 ट की धारा 12 (ख) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त	6257 (20.0%) 3432
महिला महाविद्यालय		
8.	औपचारिक पद्धति में नामांकन (शैक्षिक वर्ष 2010–11 के आरंभ में)	146.25 लाख
	विश्वविद्यालय विभागों में	19.19 लाख (13.1%)
	संबद्ध महाविद्यालयों में	127.06 लाख (86.9%)
	महिलाओं का नामांकन	60–80 लाख (41.6%)
	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं का नामांकन	18.45%
9.	विश्वविद्यालयों में संकाय संख्या (शैक्षिक वर्ष 2010–11 के आरंभ में)	6.99 लाख
	विश्वविद्यालयों में	1.0 लाख (14.1%)
	महाविद्यालयों में	5.99 लाख (14.1%)

- तीन विश्वविद्यालयों नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वद्यिालय (सी ए यू), इम्फाल, मणिपुर, (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली तथा (iii) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) चैन्नई यू.जी.सी. की सीमा में नहीं आते हैं तथा इसलिए इन विश्वविद्यालय को कोई योजनागत/योजनंतर अनुदान नहीं प्रदान किया जाता है।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू की स्थापना दिनांक 20.10.2009 को हुई थी। इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की गई है।
- दी गई प्रतिशतताएं, संबंधित श्रेणी में कुलयोग के सापेक्ष है।

वर्ष 2010–2011 के लिए बजट

यू.जी.सी. को वर्ष 2010–2011 के लिए 4390.00 करोड़ रूपए का सामान्य योजनागत बजट आबंटित किया गया है, जिसे निम्नलिखित आठ बड़े सेक्टरों के अंतर्गत वितरित किया गया है जिन पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में विचार किया गया था। (तालिका 6.2)।

तालिका 6.2 : वर्ष 2010–2011 के लिए यू.जी.सी. बजट

क्रम सं.	सेक्टर	आबंटन (करोड़ रू. में)	कुल आबंटन का प्रतिशत
1.	सकल प्राप्ति में वृद्धि करना	*3573.00	81.4
2.	समता	226.00	5.1
3.	गुणता एवं उत्कृष्टता	425.50	9.7
4.	अनुसंधान	73.50	1.7
5.	प्रासंगिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा	30.00	0.7
6.	आई.सी.टी. एकीकरण	36.00	0.8
7.	शासन एवं दक्षता पुरस्कार	18.00	0.4
8.	अन्य (नई योजनाएं एवं 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्रतिबद्ध देयता)	8.00	0.2

*मोइली समिति एवं एम.एम.शर्मा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्रमशः 770.00 करोड़ तथा 300.00 करोड़ रूपए शामिल हैं।

(क) उच्चतर शिक्षा हेतु प्राप्ति में वृद्धि करना तथा इसे कायम रखना

यू.जी.सी. 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों हेतु बजटीय योजना प्रावधानों के द्वारा उनके विकास के लिए सहायता जारी किए हुए है। केन्द्रीय तथा पात्र डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों को योजनागत एवं योजनेतर दोनों के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया करायी गयी थी। राज्य विश्वविद्यालयों एवं इनके संबद्ध कॉलेजों को सहायता केवल योजनागत व्यय के अंतर्गत मुहैया करायी गयी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007–2012) के दौरान वैयक्तिक विश्वविद्यालयों को यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित परिव्यय के आधार पर सामान्य विकास सहायता मुहैया करायी गई है।

यू.जी.सी. का सामान्य विकास सहायता कार्यक्रम का प्रावधान, प्राप्ति में वृद्धि करने, इक्विटी सुनिश्चित करने, प्रासंगिक शिक्षा देने, प्रबंधन को और अधिक प्रभावशाली एवं पारदर्शी बनाने, छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, विश्वविद्यालयों की अनुसंधान परक सुविधाओं अन्य योजनाओं को प्रवर्धित करने जैसे पहलुओं को शामिल करते हुए विश्वविद्यालयों के समग्र विकास के लिए अभिप्रेत है। बुनियादी सुविधाओं, स्टाफ का वेतन, भर्ती, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं, कैम्पस विकास, नवाचारी अनुसंधान गतिविधियों, छात्र–सुविधाओं, नई विस्तार गतिविधियों, आई.सी.टी. जरूरतों आदि के संदर्भ में विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु यू.जी.सी. द्वारा इस विकास सहायता के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया करायी गयी थी। लगभग 16 योजनाओं को विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों हेतु सामान्य विकास सहायता के साथ आमेलित किया गया है और इन योजनाओं के लिए पृथक आबंटन किए गए हैं जो निम्नवत् हैं।

सामान्य विकास सहायता योजनाएं

1. यात्रा अनुदान
2. सम्मेलन/सेमिनार/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं
3. प्रकाशन अनुदान

4. विजिटिंग प्रोफेसर/विजिटिंग फेलो की नियुक्ति
5. दिवस परिचर्या केन्द्र
6. खेल संबंधी बुनियादी सुविधाओं एवं उपस्करों के विकास हेतु नई योजनाओं के साथ साहसिक खेल
7. पिछड़े/ग्रामीण/सुदूर/सीमा क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान
8. नवीन विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान तथा पुराने विश्वविद्यालयों के लिए नवीकरण अनुदान
9. सहायता अनुरक्षण सुविधा
10. महिला छात्रावासों का निर्माण
11. महिलाओं के लिए आधारभूत सुविधाएं
12. संकाय सुधार कार्यक्रम (एम.फिल/पी.एच.डी. करने के लिए अध्यापक शिक्षावृत्ति)
13. समान अवसर प्रकोष्ठ
14. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर क्रीमी लेयर) एवं अल्प संख्यकों के लिए कोचिंग योजनाएं
15. विश्वविद्यालयों में जीवनवृत्ति (कैरियर) एवं परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना
16. असमान सामर्थ्य वाले व्यक्तियों (शारीरिक रूप से अपंग) के लिए

42 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 38 को यू.जी.सी. द्वारा अनुरक्षण एवं विकास अनुदान प्रदान किया जाए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) नई दिल्ली, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सी.ए.यू.), इम्फाल तथा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आई.एम.यू.), चैन्नई का केन्द्रीय मंत्रालयों क्रमशः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय तथा पोत एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा वित्तपोषण किया जा रहा है। नव–स्थापित जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू अभी कार्यात्मक नहीं हुआ है।

यद्यपि, राज्य विश्वविद्यालयों का विकास मूलरूप से राज्य सरकारों से संबंधित है, फिर भी विशेष योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदानों सहित यू.जी.सी. द्वारा सभी पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे अनुदानों से बुनियादी सुविधाओं के सृजन, प्रवर्धन एवं स्तरोन्नयन में सुविधा होती है, जो सामान्तया राज्य सरकार अथवा निधियों के किसी अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध नहीं हो पाती है। यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 12 (ख) के अनुसार, 17 जून, 1972 के बाद स्थापित किए गए राज्य विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार, यू.जी.सी. अथवा किसी अन्य संगठन से, जो भारत सरकार से निधियां प्राप्त कर रहा हो, किसी तरह का अनुदान प्राप्त करने के हकदार न होंगे, जब तक कि निर्धारित मानकों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार यू.जी.सी. स्वयं इस बात से संतुष्ट न हो, कि ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने के योग्य है। कुल 334 राज्य विश्वविद्यालयों में से यू.जी.सी. मेडिकल तथा कृषि विश्वविद्यालयों, जिनका वित्तपोषण क्रमशः स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्रालयों द्वारा किया जाता है, को छोड़कर इनमें से केवल 133 को बजटीय योजना आबंटन कर रही है। अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभागों वाले कृषि विश्वविद्यालयों सहित अन्य राज्य विश्वविद्यालयों विशेष अनुदान मुहैया कराए जा रहे हैं।

कुल 130 सम विश्वविद्यालय संस्थाओं में से 10 अनुरक्षण (योजनेतर) तथा विकास अनुदान (योजनगत) दोनों और 25 केवल विकास अनुदान (योजनागत) प्राप्त कर रहें हैं।

यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) तथा 12 (ख) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त सभी कॉलेजों जिनकी कुल संख्या 31,324 है, को अवर स्नातक एवं स्नातकोतर शिक्षा के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, विकास सहायता कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :

- मूलभूत बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा समुचित संचालन के लिए अपेक्षित पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, विज्ञान संबंधी उपकरण, स्टाफ, कैम्पस विकास तथा अध्यापन सहायता जैसी उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना।
- सीमान्त समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कॉलेजों को विशेष सहायता प्रदान करना।
- असमानताओं एवं क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने अथवा कम करने के विचार से पिछड़े/ग्रामीण/पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों को विकसित करना।
- अरक्षित राज्य महाविद्यालयों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

आयोग ने विश्वविद्यालयों को प्रबंधन विभागों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पात्र विश्वविद्यालयों के प्रबंधन विभागों को यू.जी.सी. ने अब तक 2.28 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की है।

यू.जी.सी. ने शिक्षा की दृष्टि से 374 पिछड़े जिलों, जिनमें उच्चतर शिक्षा के लिए समग्र नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) राष्ट्रीय जी.ई.आर. की तुलना में कम है, की पहचान करते हुए प्रत्येक में एक मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है जिसका मुख्य उद्देश्य देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु

प्रवेश में वृद्धि करना है ताकि समावेशन, समता एवं गुणवत्ता के साथ उच्चतर शिक्षा में विस्तार पाया जा सके। मूलरूप से, राज्य सरकारों को, शिक्षा की दृष्टि से अल्प सेवा प्राप्त जिलों में उच्चतर शिक्षा हेतु पहुंच में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करना है। यू.जी.सी. ने प्रत्येक कॉलेज की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत की एक तिहाई सीमा, जो कि 2.67 करोड़ रूपए तक सीमित है, तक वित्तीय सहायता प्रदान की है। विशेष श्रेणी हैसियत के लिए यू.जी.सी. का हिस्सा पूंजी लागत का 50 प्रतिशत होगा तथा प्रत्येक कॉलेज के लिए 4.00 करोड़ रूपए तक सीमित होगा। ये मॉडल कॉलेज यू.जी.सी. सहायता को, यू.जी.सी. के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण/विस्तार के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यह योजना दो प्रकार से, एक यू.जी.सी. द्वारा, जो संबंधित सम्बद्ध विश्वविद्यालय को अपने घटक कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना के लिए निधियां जारी कर सकता है एवं दूसरे विकल्प के तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकार, जो या तो एक संबद्ध कॉलेज के रूप में अथवा एक घटक कॉलेज के रूप में कॉलेज स्थापित करना चाहे, को सीधे निधियां जारी करके कार्यान्वित की जा रहीं है।

यू.जी.सी. अधिनियम की धारा–12 (ख) के अंतर्गत पहले से ही शामिल विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को अपने यहां अध्यापन एवं शिक्षण विधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त सहायता मुहैया करायी जाती हैं। डिजिटल कैमरा, एलसीडी/टी.वी एवं अन्य शिक्षण सहायता, कम्पयूटर एवं सहायक उपकरण, सॉफ्टवेयर, रेप्रोग्रैफिक सुविधाओं आदि सहित जनरेटर, इन्वर्टर, प्रयोगशाला उपकरण, स्मार्ट बोर्ड्स, रेफ्रीजरेटर, दृश्य–श्रव्य उपकरणों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 160 विश्वविद्यालयों एवं 5,500 कॉलेजों को कवर करने का लक्ष्य है। विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा 1.00 करोड़ रूपए तथा कॉलेज के लिए 25.00 लाख रूपए है।

यह अनुदान अधोउल्लिखित प्राथमिकता के क्रम में प्रदान किया जाता है:

- ऐसे संस्थान जो अल्पसंख्यक संकेन्द्रित क्षेत्रों में अवस्थित हैं और जो कम से कम 20% अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा की जरूरतों को पूरा करते हैं।
- ऐसे संस्थान जो अ.जा/अ.ज.जा. संकेन्द्रित क्षेत्रों में अवस्थित हैं और जो कम से कम 20% अ.ज./अ.ज.जा. के पृथक–पृथक अथवा कुल मिलाकर छात्रों की शिक्षा की जरूरतों को पूरा करते हों।
- ऐसे संस्थान जो सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थित हों।
- ऐसे संस्थान जो कम से कम 50% महिला छात्रों की शिक्षा की जरूरतों को पूरा करते हों।
- अन्य शेष संस्थान।

देश में उच्चतर शिक्षा के एक संतुलित एवं न्यायसंगत विकास के व्यापक एवं दीर्घावधिक हित में, ऐसे विश्वविद्यालयों, जो धारा 12 (ख) (12 (ख) रहित) के अंतर्गत नहीं आते हैं, को सहायता देने की आवश्यकता हैं ताकि वे एक मानक स्तर तक आ सकें और अन्त में नियमित यू.जी.सी. विकास अनुदान के लिए हकदार बना सकें। इस संदर्भ में यू.जी.सी. ने राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित ऐसे अरक्षित (12 (ख) रहित) राज्य विश्वविद्यालयों को एक बारगी कैच–अप अनुदान मुहैया कराया है जो बुनियादी सुविधाओं एवं गुणवत्ता की कमी के कारण काफी समय से निवारण का सामना करते आए हैं। मूलतः यह योजना राज्य विश्वविद्यालयों को अपनी बुनियादी सुविधाओं एवं गुणवत्ता को उन्नत बनाने हेतु प्रेरित करने के लिए है ताकि वे यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (ख) के अंतर्गत नियमित वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए हकदार बना सकें।

इस योजना के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यूजीसी की सहायता प्रति विश्वविद्यालय अधिकतम 5.00 करोड़ रूपए तक सीमित है। संबंधित राज्य सरकार से आशा की जाती हैं कि वे बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा आवर्ती खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराएं। विश्वविद्यालय इस वित्तीय सहायता को, यूजीसी के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सभी प्रकार के भवनों के निर्माण/विस्तार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन संकाय स्थितियों सहित किसी आवर्ती व्यय के लिए नहीं। इस निधि को कैम्पस विकास के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

पूर्वोत्तर में कॉलेजों के लिए यूजीसी की सहायता अधिकतम 1.20 करोड़ रूपए (2.00 करोड़ रूपए के कुल अनुदान का 60%) तक सीमित है जबकि अन्य के लिए यह सीमा अधिकतम 1.00 करोड़ रूपए हैं। कॉलेज इस निधि को विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण/विस्तार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन संकाय स्थितियों सहित किसी आवर्ती खर्च के लिए नहीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कॉलेजों की लक्ष्य संख्या 6,000 है।

वर्ष 2010–11 के दौरान उच्चतर शिक्षा के ऊपर उल्लिखित संस्थानों को यूजीसी द्वारा किए गए वित्तीय आबंटन का सार तालिका 6.3 में दिया गया है।

तालिका 6.3 : उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु वित्तीय आबंटन

क्रम. सं.	सांस्थानिक श्रेणी	मुहैया कराया गया अनुदान	
		योजनागत के अंतर्गत (करोड़ रू. में)	योजनेतर के अंतर्गत (करोड़ रू. में)
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय (पूर्वोत्तर में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों हेतु 169.15 करोड़ रू. तथा अनरक्षित राज्यों के 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 287.50 करोड़ रू. सहित)	874.93*	1573.07
	• अ.पि.व. आरक्षण का कार्यान्वयन	203.75*	
	• सामान्य विकास सहायता योजना	7.50*	
2.	राज्य विश्वविद्यालय	175.96	
	• कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई विश्वविद्यालयों के लिए जुबिली ग्रांट	20.00	
3.	सम विश्वविद्यालय संस्था (योजनागत अनुदान के रूप में आमेलित योजनाओं के अंतर्गत आबंटित 9.49 करोड़ रू. सहित)	31.33	114.54
4.	कॉलेजों के लिए सामान्य विकास अनुदान		
	• राज्य कॉलेज (सामान्य विकास अनुदान कार्यक्रम के साथ जोड़ी गई योजनाओं के लिए 204.70 करोड़ रूपए सहित)	274.84	
	• दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज	637.97*	
	• दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों हेतु अनुरक्षण अनुदान	11.17*	
	• बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज	13.35*	
	• चिकित्सा विज्ञान के यूनिवर्सिटी कॉलेज	1.12	
	• जुबिली ग्रांट	2.28*	
5.	विश्वविद्यालय स्थित प्रबंधन शिक्षा के विभाग		
6.	शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज (पूंजीगत लागत के लिए 5.00 करोड़ रूपए का आबंटन, किसी भी विश्वविद्यालय को 31 दिसम्बर, 2010 तक कोई अनुदान जारी नहीं किया गया)		
7.	धारा 12 (ख) के अंतर्गत शामिल विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के लिए अतिरिक्त सहायता		
	• विश्वविद्यालय	65.00 (51.30*)	
	• कॉलेज	236.30 (114.80*)	
8.	धारा 12 (ख) के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए राज्य विश्वविद्यालय	5.00	
9.	धारा 12 (ख) के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए कॉलेज	6.15	

*31.12.2010 तक जारी किया गया अनुदान अथवा किया गया व्यय

(ख) उच्चतर शिक्षा में साम्य

लिंग साम्य

एक स्वतंत्र समूह के रूप में, भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 48% है, वे न केवल देश के कीमती मानव संसाधन का हिस्सा हैं अपितु सामाजिक आर्थिक जगत में उनका विकास, अर्थव्यवस्था की स्थायी प्रगति को गति प्रदान करता है। लिंग साम्यता का सिद्धांत भारतीय संविधान के आमुख, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है। रिपोर्टाधीन वर्ष के

दौरान यूजीसी ने कई एक मध्यस्थताओं में सहायता की।

महिलाओं के नामांकन में वृद्धि

स्वाधीनता के बाद से उच्चतर शिक्षा में नामांकित महिला छात्रों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। स्वाधीनता के समय महिलाओं का नामांकन कुल नामांकन के 10 प्रतिशत से भी कम था और शैक्षिक वर्ष 2010–11 की शुरूआत में यह प्रतिशत बढ़कर 41.6 प्रतिशत हो गया है। राज्यों के कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं का नामांकन सबसे अधिक गोवा में (59%) तथा सबसे कम बिहार (30%) में है। महिला नामांकन की निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में, राज्यों की सूची में 8.4 लाख की संख्या के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, इसके बाद 7.8 लाख के साथ महाराष्ट्र एवं 6.1 लाख के साथ आंध्र प्रदेश आदि आते हैं।

कार्यरत महिलाओं के लिए सुविधास्वरूप डे–केयर सेन्टर

यूजीसी तीन माह से छह साल के बच्चों के लिए मांग के आधार पर विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत डे–केयर की सुविधा मुहैया कराता हैं, जब बच्चों के माता–पिता (विश्वविद्यालय/कॉलेज कर्मचारी/विद्यार्थी/वृत्ति–छात्र) दिन के समय घर से बाहर होते हैं, साथ ही उनके बच्चों के लिए कार्य–घंटों के दौरान एक सुरक्षित स्थान एवं माहौल मुहैया कराता है।

इकलौती बालिका सन्तान के लिए इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति

यूजीसी ने ऐसी लड़कियों, (30 वर्ष उम्र होने पर परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते समय) जो अपने परिवारों में इकलौती संतान है, को 20 माह के लिए 2000/– ₹ प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करके उच्चतर शिक्षा में सहायता प्रदान की। छात्रवृत्तियों के लिए उपलब्ध कराए गए स्लाटों की संख्या 1200 प्रति वर्ष है। शैक्षिक सत्र 2009–11 के लिए दाखिल की गई 1538 छात्राओं को इस छात्रवृत्ति के लिए चुना गया हैं। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान छात्रवृत्ति पाने वालों को अब तक 2.00 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

महिला छात्रावास

अपनी वांछित शिक्षा को पाने के लिए बड़ी संख्या में छात्राओं के प्रवेश लेने के कारण छात्रवासों की मांग बढ़ गई है। महिलाओं के स्तर में वृद्धि करने के लक्ष्य को हासिल करने तथा व्यापक स्तर पर समाज के विकास हेतु संभावित उपलब्धता को सुसज्जित करने के साथ ही लिंग साम्य लाने एवं समान प्रतिनिधित्व देने के लिए यूजीसी छात्रावास एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा रहा है। इसने महिला छात्रावास के निर्माण हेतु सभी पात्र कॉलेजों को उनमें महिलाओं के नामांकन के आकार को देखते हुए छोटे शहरों में अवस्थित कॉलेजों के लिए 40–80 लाख रूपए तथा बड़े शहरों में अवस्थित कॉलेजों के लिए 80–120 लाख रूपए की सहायता प्रदान की।

महिला अध्ययन विभाग का विकास

यूजीसी ने नए महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना के साथ–साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना तक स्थापित विश्वविद्यालय महिला अध्ययन केन्द्रों का विश्वविद्यालय प्रणाली में सांविधिक विभागों के रूप में स्थापना के द्वारा उन्हें सुदृढ़ करने तथा बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की थी ताकि वे अन्य अंगीभूत कॉलेजों से जुड़ने की क्षमता को इस प्रकार से सुविधाजनक बना सकें कि वे आपस में एक दूसरे को मजबूत करें और एक–दूसरे के सहयोगी बने। वर्तमान में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 150 महिला अध्ययन केन्द्र कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय स्थित प्रत्येक केन्द्र 5.00 लाख रूपए प्रतिवर्ष (चरण–i), 8.00 लाख रूपए प्रतिवर्ष (चरण–ii) तथा 12.00 लाख रूपए प्रतिवर्ष (चरण–iii) की सहायता प्राप्त करने का हकदार है जबकि कॉलेज स्थित प्रत्येक केन्द्र को 3.00 लाख रूपए प्रतिवर्ष (चरण–i), 5.00 लाख प्रतिवर्ष (चरण–ii) तथा 6.00 लाख रूपए प्रतिवर्ष (चरण–iii) प्राप्त होंगे। इस बात पर भी विचार किया गया कि इस प्रकार के 30 नए केन्द्र विश्वविद्यालयों में और 20 नए केन्द्र कॉलेजों में 11वीं पंचवर्षीय योजना के हर एक वर्ष में कार्यात्मक हो जाएंगे।

महिला प्रबंधकों के लिए क्षमता विकास

उच्चतर शिक्षा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अन्दर महिला संकाय के चुनाव क्षेत्रों, प्रशासकों और स्टाफ को सुविधा प्रदान करने तथा बेहतर लिंग सायय का समग्र लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यूजीसी ने निम्नलिखित दृष्टिकोणों को अपनाया है:

- प्रबंधन बनने वाली महिलाओं से संबंधित मुददों के प्रति उनकी बढ़ती संवेदनशीलता पर संकेन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित करना।
- इसे किसी अन्य योजना की तरह कार्यान्वित करने के

बजाए एक महिला आंदोलन का स्वरूप देना।

- कार्यक्रम के विकास हेतु विश्वविद्यालयों के कुलपतियों अथवा संबंधित कालेजों के प्रधानाचार्यों को शामिल करना।

क्षमता विकास का कार्य सुग्रहीकरण/जागरूकता/अभिप्रेरण कार्यशालाओं, संसाधन सामग्री का विकास एवं वितरण, अनुसंधान प्रेरक कार्यशालाओं, प्रबंधन कौशल कार्यशालाओं आदि के माध्यम से किया गया । समस्त विश्वविद्यालय, कालेज तथा विभाग/केन्द्र यूजीसी को प्रस्ताव भेजने के पात्र थे। संपूर्ण योजना अवधि का वित्तीय सहायता का तरीका निम्नानुसार है:

कार्यशालाएं	– 40.74 करोड़
संसाधन सामग्री की तैयारी	– 6.50 लाख
अनुवाद के अंतर्गत प्रकाशन	– 30.00 लाख
नेटवर्किंग एवं सूचना प्रचार प्रकोष्ठ आदि	– 7.90 लाख

महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरेट शिक्षावृत्ति

महिलाओं को अपनी उन्नत शिक्षा एवं अनुसंधान के कार्यों को संपादित करने के लिए महिला अभ्यर्थियों में से प्रतिभाशाली महिलाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से डाक्टरेट (पीएचडी) की डिग्री हासिल कर चुकी बेरोजगार महिला अभ्यर्थियों को अपने संबंधित विषय के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जाता है। यूजीसी डाक्टरेट (पीएचडी) उपरांत छात्रवृत्तियों के प्रतिवर्ष 100 स्लॉट मुहैया कराता है। आगे बिना किसी विस्तार का प्रावधान किए इस आवार्ड की अवधि पॉच वर्ष है। अभ्यर्थी हेतु आवेदन की अधिकतम उम्र सीमा किसी वर्ष के जुलाई माह की 01 तारीख को 55 वर्ष होगी। चुने गए नए पीएचडी डिग्री धारक अभ्यर्थियों को ₹ 25000/– प्रतिमाह तथा पीएचडी डिग्री के बाद पॉच वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्थियों को ₹ 30000/– प्रतिमाह भुगतान किया जाता हैं। एसोसिएटशिप के साथ पूरे पॉच वर्षो की अवधि के लिए ₹ 50000/– प्रति वर्ष का आकस्मिकता अनुदान शामिल है।

सामाजिक रूप से असुविधाग्रस्त समूहों के लिए साम्यता

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर

यूजीसी ने कालेजों एवं विश्वविद्यालयों को असुविधाग्रस्त सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं एवं बाधाओं के प्रति अधिक से अधिक अनुक्रियाशील होने के लिए प्रोत्साहित किया है तथा इसने असुविधाग्रस्त समूहों के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावशाली कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए तथा शैक्षिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन एवं परामर्श देने के लिए संस्थानों को 'समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। ये प्रकोष्ठ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों द्वारा उच्चतर शिक्षा में सामना की जाने वाली समस्याओं पर विश्वविद्यालयों/कालेजों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। समान अवसर प्रकोष्ठों के कार्यालय की स्थापना के लिए 2.00 लाख रूपये का एकबारगी अनुदान प्रदान किया जाता है। इस समय विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग 128 समान अवसर प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।

अल्पसंख्यकों एवं अ.जा./अ.ज.जा./महिलाओं के लिए आवासी कोचिंग अकादमी

सामाजिक रूप से असुविधाग्रस्त समूहों को मुख्यधारा में लाने का यूजीसी का निरंतर प्रयास रहा है। इसने विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को अधो–स्नातक/परा स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों की कोचिंग, नेट की तैयारी के लिए छात्रों को कोचिंग केन्द्र एवं राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में भर्ती के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग, के लिए आवासी कोचिंग अकादमी की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया हैं। यूजीसी ने इन प्रयासों के लिए सामान्य विकास अनुदान योजना सहित आमंत्रित योजनाओं के अंतर्गत अनुदानों से सहायता प्रदान की। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा एक डीम्ड विश्वविद्यालय को आवासी कोचिंग अकादमी की स्थापना के लिए अनुमोदित किया गया था।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए पोस्ट डॉक्टरेट शिक्षा वृत्तियां

यूजीसी ने पूरी तरह से केवल अ.जा./अ.ज.जा. के उन अभ्यर्थियों जिन्होनें डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की हो और उनके पास प्रकाशित अनुसंधान कार्य हो, के लिए 100 डॉक्टरेट उपरांत शिक्षा वृत्तियों शुरू की हैं। इस शिक्षावृत्ति की अवधि दो वर्ष है। इस शिक्षावृत्ति के साथ 16000 रूपये प्रतिमाह की शिक्षावृत्ति राशि और दो वर्षो के लिए 30000 रूपये प्रतिवर्ष की आकस्मिकता राशि होती है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए परास्नातक छात्रवृत्तियां

समाज के दबे कुचले तबकों के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित

करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने 1000 अ.जा./अ.ज.जा. में अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में व्यावसायिक विषयों में परास्नातक स्तर के अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस परास्नातक छात्रवृत्ति के लिए पात्र अभ्यर्थी के हैं, जिन्होंने संगत विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो औरर किसी परास्नातक स्तर के व्यावसायिक विषय में प्रवेश लिया हो और उसकी उम्र 45 वर्ष से कम हो। उक्त छात्रवृत्तियों के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को 5000 रूपये प्रति माह (एमई/एमटेक) छात्रवृत्ति की धनराशि के साथ पाठ्यक्रम की अवधि के लिए 15000 रूपये प्रतिवर्ष की आकस्मिकता राशि प्रदान की गई थी।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए राजीवगांधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियां

यूजीसी ने भाषाओं, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान, साहित्य एवं सामाजिक विज्ञान में एम फिल/पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए उन्नत अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य आरंभ करने के लिए अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों (अ.जा. श्रेणी के लिए 1333 तथा अ.ज.जा. की श्रेणी के लिए 667) के लिए प्रतिवर्ष 2000 राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियां प्रदान की है। पहले दो वर्षो के लिए शिक्षावृत्ति की धनराशि 12000 रूपये प्रतिमाह है तथा शेष वर्षों के लिए 14000 रूपये प्रतिमाह है, अन्य लाभ शिक्षावृत्ति के प्रावधान के अनुसार है।

(ग) गुणवत्ता पहलू: उत्कृष्टता के फाउन्टेन शीर्षो के रूप में विश्वविद्यालय

उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय

अध्यापन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने हेतु यूजीसी ने कुछ अभिज्ञात किए गए विश्वविद्यालयों को 'यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सलेंस' की हैसियत प्रदान करने हेतु सहायता मुहैया करायी है। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच विश्वविद्यालयों नामतः जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू), हैदराबाद, मद्रास, पुणे तथा जादवपुर विश्वविद्यालयों को 'युनिवर्सिटीज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस' की हैसियत प्रदान की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चार और विश्वविद्यालयों, नामतः मदुरै कामकाज विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय (एनईएचयू) मुंबई तथा कोलकाता विश्वविद्यालय को यही हैसियत प्रदान की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छह विश्वविद्यालयों को यही हैसियत प्रदान करने के लिए पता लगाया जा रहा है।

उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कॉलेज

यूजीसी ने देशभर में 149 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कॉलेजों को उनके शैक्षिक/वास्तविक ढांचागत सुविधाओं को उन्नत बनाने अध्यापन में नवाचार अपनाने तथा एक लचीली साख आधारित मूल्यांकन पद्धति की शुरूआत करके शिक्षण और अध्यापन प्रक्रिया की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए सहायता देने हेतु अभिज्ञात किया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद (एनएएसी) द्वारा प्रत्यासित कॉलेज, जो 10 वर्ष या इससे अधिक पुराने हैं वे इस हैसियत के पात्र हैं। स्वायत्तता प्राप्त कॉलेजों को अधिमान दिया जाता है। आज तक, 246 कॉलेजों को यह हैसियत प्रदान की जा चुकी है। इस हैसियत के लिए 119 और कॉलेजों के चयन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों के माध्यम से कॉलेजों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं तथा ये विचाराधीन हैं।

क्षेत्र विशेष में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यूजीसी ने कुछ विशेष क्षेत्रों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले 12 केन्द्रों को अनुमोदित किया है। इन केन्द्रों ने 10वीं पंचवर्षीय योजना में कार्य करना आरंभ कर दिया था। अब तक, 12 में से दो केन्द्रों को 11वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रहने के लिए अनुमोदित किया गया है तथा 25 और ऐसे केन्द्रों पर विचार किया जा रहा है।

विशेष सहायता कार्यक्रम

यूजीसी का विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) ऐसे विश्वविद्यालय विभागों का पता लगाता है और सहायता प्रदान करता है जिनके पास संबद्ध विषयों सहित विभिन्न शैक्षिक विषयों में गुणवत्तापूर्ण अध्यापन एवं अनुसंधान शुरू करने, सामाजिक जरूरतों से संबंधित तथा सामाजिक एवं औद्योगिक बातचीत वाले कार्यक्रमों को शुरू करने, अच्दे अध्यापन हेतु प्रेरक अनुसंधान करने तथा अभिज्ञात ध्यानाकर्षी क्षेत्रों से जुडे नए पाठ्यक्रमों को चालू करने, अनुसंधान के परिणामों को राष्ट्र और समाज के विकास के लिए उपयोग करने हेतु बुनियादी सुविधाओं को बढाने, अभिज्ञात ध्यानाकर्षी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन प्रशिक्षित एवं सृजित करने की संभाव्यता है।

उक्त कार्यक्रम को तीन स्तरों नामतः डीआरएस, डीएसए तथा सीएएस पर कार्यान्वित किया जाता है। चुने गए विभाग डीएसए के लिए 100.00 से 150.00 लाख रूपये की सीमा तक तथा डीआरएस स्तर के विभाग 60.00 से 75.00

लाख रुपये की सीमा तक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। दिनांक 31.12.2010 तक, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 799 विभागों (डीआरएस–571, डीएसए –100, सीएएस–128) को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अकादमिक स्टाफ कॉलेज

यूजीसी ने अकादमिक स्टाफ कॉलेजों (एएससी) की स्थापना की है। वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में लगभग 66 अकादमिक स्टाफ कॉलेज कार्य कर रहे हैं। ये अकादमिक स्टाफ कॉलेज नवनियुक्त अध्यापकों के लिए चार सप्ताह की अवधि के विशेष रूप से डिजाइन किए गए अनुकूलन कार्यक्रम एवं सेवाकालीन अध्यापकों के लिए तीन सप्ताह की अवधि के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित कर रह हैं। अकादमिक स्टाफ कॉलेजों के तत्वावधान में चलाए जा रहे अनुकूलन कार्यक्रम, नवयुवक व्याख्याताओं के मन में सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक माहौल के साथ–साथ स्वयं की क्षमता एवं आत्म विश्वास खोजने संबंधी जागरूकता द्वारा आत्म निर्भरता की गुणवत्ता बैठाने से अभिप्रेत हैं। अकादमिक स्टाफ कालेजों द्वारा आयोजित पुनश्चर्या कार्यक्रम सेवारत अध्यापकों को अपने समकक्षों से अनुभवों का आदान प्रदान करने तथा एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। यह उनके लिए अपने विषयों में नवीनतम प्रगति के बराबर बनाए रखने के लिए एक मंच हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान अकादमिक स्टाफ कालेजो द्वारा लगभग 277 अनुकूलन कार्यक्रम, 814 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और 259 अल्पावधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

अन्तर–विश्वविद्यालय केन्द्र

यूजीसी ने यूजीसी अधिनियम के खण्ड–12 (गगग) के अंतर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली के दायरे में स्वायत्तता प्राप्त अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किए हैं। ये केन्द्र उन विश्वविद्यालयों जो ढांचागत सुविधाओं एवं अन्य लागतों पर भारी निवेश करने में समर्थ नहीं हैं, को सामान्य उन्नत केन्द्रीकृत सुविधाएं/सेवाएं मुहैया कराते हैं, देश भर के अध्यापकों एवं अनुसंधान कर्ताओं को प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोत्तम विशेषसता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा अनुसंधान एवं अध्यापक समुदाय को अत्याधुनिक उपकरणों तक इनकी पहुँच तथा उत्कृष्ट पुस्तकालय सुविधाएं मुहैया कराते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य होती हैं।

नई दिल्ली स्थित न्यूक्लियर साइंस सेंटर (अंतर विश्वविद्यालय त्वरित केन्द्र) पहला अनुसंधान केन्द्र है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। आप विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत छह अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र कार्य कर रहे हैं। एक और केन्द्र अर्थात उच्चतर शिक्षा नीति में अनुसंधान हेतु अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र का भी अुनसंधान किया जा चुका है।

राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र

यूजीसी ने राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों का भी सृजन किया है जो संसाधन केन्द्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा इन्हें नियमित रूप से यूजीसी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। वर्तमान में ऐसे चार केन्द्र, नामतः, 'वेस्टर्न रीजनल इन्स्ट्रूमेंटेशन सेन्टर, मुंबई (महाराष्ट्र)', 'एमएसटी राडार सेंटर, तिरूपति (एपी) 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला (हिमालय प्रदेश), ' एवं ' क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर, अन्ना यूनिवर्सिटी, चैन्नई, कार्य कर रहे हैं।

अभिनव/उभरने वाले क्षेत्रों में अध्यापन एवं अनुसंधान

यूजीसी शैक्षिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्राथमिकताओं से संबंधित विभिन्न विषयों में क्षेत्रों को अभिज्ञात करने में सहायता करता है, नवीन विचारों एवं अभिनव परिवर्तनों को प्रोत्साहित करता है, उभरते क्षेत्रों में अधो स्नातक एवं परा स्नातक स्तरों पर विशेषीकृत पाठ्यक्रमों को विकसित करने हेतु, संस्थानों का पता लगाता है और उन्हें सहायता प्रदान करता है तथा प्रतिभाशाली एवं अभिनव विचारों, जो अध्यापन, अनुसंधान, शैक्षिक उत्कृष्टता, प्रासंगिक सामाजिक विकास आदि को प्रभावित करते हों, को समाहित करता हैं। वित्तीय सहायता 100 प्रतिशत आधार पर दी जाती हैं तथा यह अंतर विषयों एवं उभरते क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए प्रयोगशाला उपकरणों की अत्याधिक जरूरी एवं महत्वपूर्ण आवश्यकताओं , आकस्मिकता, स्टाफ आदि के लिए प्रदान की जाती है। वित्तीय सीमा अनावर्ती एवं आवर्ती मदों एवं वास्तविक आधार पर स्टाफ के वेतन के लिए 60 लाख रुपये है। इस कार्यक्रम की अवधि 5 वर्ष हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एवं 31.12.2010 तक, 243 विभागों, जिसमें चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित 23 विभाग शामिल हैं, को वित्तीय सहायता का अनुमोदन प्रदान किया गया।

संकाय उन्नयन कार्यक्रम

यूजीसी के संकाय उन्नयन कार्यक्रम (एफआईपी) का उद्देश्य संकाय सदस्यों को अनुसंधान करने के लिए पर्याप्त अवसर देकर संस्थानों में शैक्षिक एवं बौद्धिक वातावरण में अभिवृद्धि करना तथा संकाय सदस्यों को अपनी अनुसंधान एवं अध्यापन संबंधी कौशलों को अद्यतन करने के लिए

सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर देना भी है। संकाय उन्नयन कार्यक्रम विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के अध्यापकों को एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने वाली उनकी शैक्षिक/अनुसंधान संबंधी गति विधियों को आगे बढाने के लिए एक अवसर प्रदान करता है, अध्यापकों को अकादमिक सम्मेलनों/सेमिनारों में पेपर प्रस्तुत करने अथवा कार्यशालाओं में भाग लेने एवं ज्ञान तथा विचारों का आदान–प्रदान करने का एक अवसर प्रदान करता है तथा नवयुवक संकाय सदस्यों को बेहतर अकादमिक प्रदर्शन के लिए अपनी पसंद के संस्थानों में दो सप्ताह से लेकर दो माह की अल्प अवधि व्यतित करने का एक अवसर प्रदान करता है।

संस्थान के केवल 20 प्रतिशत स्थायी अध्यापक किसी विशेष समय में अध्यापक शिक्षावृत्ति का लाभ लेने के हकदार हैं। किसी कालेज के लिए आबंटित शिक्षावृत्तियों में से अ.जा./अ.ज.जा. (गैर क्रीमी लेयर) अध्यापकों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत शिक्षावृत्तियों आरक्षित हैं। पीएचडी कार्यक्रम के लिए अध्यापक शिक्षावृत्ति दो वर्षों की अवधि के लिए है तथा पीएचडी अभ्यर्थियों के लिए पर्यवेक्षक/गाइड द्वारा दिए गए औचित्य एवं सिफारिश के आधार पर एक और वर्ष के लिए विस्तार स्वीकृत किया जा सकता है। एम फिल कार्यक्रम के लिए अध्यापक शिक्षावृत्ति एक वर्ष के लिए है तथा यदि आवय्यक हो एवं औचित्य सिद्ध हो तो अगले छह माह के लिए विस्तार अनुमेय हैं। यदि एवजी अध्यापक की नियुक्ति की जाती है, एवजी अध्यापक के वेतन की प्रतिपूर्ति यूजीसी द्वारा की जाएगी।

द्विपक्षीय आदान प्रदान कार्यक्रम

यूजीसी भारत और बाहरी देशों के बीच उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान–प्रदान कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। वर्ष 2010–11 के दौरान यूजीसी ने 44 देशों के साथ सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान प्रदान कार्यक्रम संपादित किए थे। दिनांक 31.12.2010 तक यूजीसी ने विभिन्न देशों से आए 18 विदेशी छात्रों के दौरे की मेजबानी की और भारत के विभिन्न संस्थानों में उनके कार्यक्रमों का आयोजन किया। चालू वर्ष के दौरान विभिन्न आदान–प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 74 भारतीय छात्रों को विदेश भेजा गया। 31 दिसम्बर, 2010 तक आस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड तथा जर्मनी से चार विदेशी प्रतिनिधि मंडलों ने उच्चतर शिक्षा से जुडे विभिन्न प्रयोजनों के लिए यूजीसी का दौरा किया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न सहयोगी कार्यक्रमों के तहत् अब तक विश्वविद्यालयों को 22 विदेशी भाषा शिक्षक उपलब्ध कराए गए हैं। 80 राष्ट्रकुल अकादमिक शिक्षावृत्तियों के मुकाबले 70 शिक्षकों को नामांकित किया जाता है और राष्ट्रकुल स्प्लिट–साइट छात्रवृत्तियों के तहत 14 स्थानों के मुकाबले 13 शिक्षकों एवं अनुसंधानकर्ता छात्रों को भी नामित किया जाता है। यूजीसी एवं डीएफजी जर्मनी के बीच छात्रों एवं अध्यापकों के आदान–प्रदान के लिए 20 अक्तूबर, 2010 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए भारत एवं यूके के विश्वविद्यालयों के बीच छात्रों, शिक्षकों एवं अकादमिक कार्यक्रमों के आदान–प्रदान हेतु भारत यूकेरी के एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त संयुक्त सिंह–ओबामा पहल ज्ञान कार्यक्रम यूजीसी के विचाराधीन है।

चयन समितियों के लिए यूजीसी प्रेक्षक

विश्वविद्यालयों में पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु यूजीसी सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में कैरियर उन्नयन योजना (सीएएस) के अंतर्गत रीडर से प्रोफेसर तक की प्रोन्नति पर, विश्वविद्यालयों की चयन समितियों पर एक यूजीसी प्रेक्षक की नियुक्ति करके चयन प्रक्रिया पर नजर रखती है। यह व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करने के लिए निर्मित की गई है कि विश्वविद्यालयों द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई क्रियाविधि का अनुपालन किया जा रहा है।

अध्यापन एवं अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा

यूजीसी अध्यापन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने हेतु व्याख्याता पद एवं जो आर एफ के लिए पात्रता निर्धारण हेतु देश भर में 66 केन्द्रों पर 77 विषयों के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा संचालित करता है। यूजीसी की ओर से सीएसआईआर विज्ञान विषयों में राष्ट्रीय स्तर की जांच परीक्षा संचालित करता है। वे अभ्यर्थी, जो जेआरएफ के लिए योग्य होते हैं, यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं केन्द्रों में अनुसंधान कर सकते हैं। यह शिक्षावृत्ति पांच वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है। साहित्य एवं सामाजिक विज्ञान के लिए स्लाटों की संख्या 600 से बढ़ाकर 1200 तथा विज्ञान विषयों के लिए 1000 से बढ़ाकर 2000 की गई है। यह परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है, कुछ एक राज्यों को यूजीसी द्वारा विधिवत् मान्य (प्रत्यायित) स्टेट इलेजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। एस.ई.टी. का पैटर्न यूजीसी द्वारा आयोजित एन.ई.टी. पैटर्न जैसा ही है।

विश्वविद्यालयों के संकाय संसाधनों को बढ़ाना

उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता को उन्नत बनाने के सम्मिलित प्रयासों में सहयोग प्रदान करने तथा यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (ज) में अन्तर्निहित दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के संकाय संसाधनों में वृद्धि के लिए एक नई पहल की है। इसका उद्देश्य उत्कृष्टता की तलाश में विश्वविद्यालय तथा कॉलेज की मुख्य धारा के बाहर से पेशेवरों एवं विशेषज्ञों की मदद एवं सहयोग को सूचीबद्ध करते हुए भारत स्थित विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रक्रिया को व्यापक एवं सुदृढ़ बनाना है। अनुसंधान संगठन, केन्द्र एवं राज्य, सार्वजनिक उपक्रम, औद्योगिक एवं व्यापारिक दोनों प्रकार के व्यावसायिक निगम आदि क्षेत्रों के पेशेवर एवं विशेषज्ञ, अनिवासी भारतीय तथा विदेशी शैक्षिक, अनुसंधान एवं व्यावसायिक संगठनों में कार्यरत भारतीय मूल के व्यक्ति तथा भारतीय शिक्षण में प्रदर्शकीय अभिरूचि रखने वाले विदेशी विज्ञान एवं अनुसंधान कर्ता ऐसे लक्ष्य समूह हैं जिनमें से ऐसे समृद्ध संसाधन अभिज्ञात किए जा सकते हैं। दो प्रकार की कोटियां हैं: अनुबंध संकाय एवं आवासी छात्र।

अनुबंध संकाय आवधिक आधार पर, एक शैक्षिक वर्ष/दो सत्रों के लिए नियुक्त की जाती है तथा इसे 1500 रूपए प्रति शिक्षण घंटा/सत्र, अधिकतम 30,000 प्रति माह तक एक सांकेतिक मानदेय प्रस्तावित किया जाता है। एक निश्चित समय के आधार पर इस समूह में 706 संकाय श्रेणी हैं। आबंटन का मापदंड, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए पांच, राज्य विश्वविद्यालय के लिए दो तथा डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए एक है। आवासी छात्रों को 6 से 24 माह के बीच के आवधिक आधार पर नियुक्त किया जाता है तथा 80,000 प्रतिमाह तक का समेकित पारिश्रमिक एवं 1.00 लाख रूपए का आकस्मिक अनुदान का प्रस्ताव दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मेजबान विश्वविद्यालय उन्हें उपयुक्त कार्यालय स्थान एवं रिहायशी आवास मुहैया कराएगा। एक निश्चित समय सीमा में, इस समूह में 512 संकाय श्रेणियां हैं, आबंटन मापदंड–केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए दो, राज्य विश्वविद्यालय के लिए एक तथा डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए एक हैं। धारा 12 (ख) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सभी केन्द्रीय, राज्य तथा डीम्ड विश्वविद्यालय उक्त योजना का कार्यान्वियन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ''अनएसाइन्ड ग्रान्ट टु यूनिवर्सिटिज'' बजट शीर्ष के अंतर्गत अनुदान का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुविधा विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वयन के भिन्न–भिन्न स्तरों के अंतर्गत हैं।

खेल की ढांचागत सुविधाओं एवं उपस्करों का विकास

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बुनियादी ढांचा एवं उपस्करों के उन्नयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विद्यार्थियों में खेल उपलब्धियों की स्वस्थ भागीदारी एवं सहयोग को साझा करने की भावना को पैदा करने एवं विकसित करने के लिए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में खेल संबंधी बुनियादी सुविधाओं एवं उपस्करों के विकास की पहल की है। यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (ख) के अंतर्गत यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज आवेदन के पात्र है। सहायता के पैटर्न में खेल मैदान, इन्डोर खेल प्रशिक्षण सुविधा का निर्माण, आउट–डोर स्टेडियम सुविधा, तरण–ताल, इन–डोर शूटिंग रेंज तथा वॉलीबाल/बास्केटबॉल कोर्टों की तेज रोशनी व्यवस्था शामिल है। संपूर्ण योजना अवधि के दौरान कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को अप्रसारणीय प्रकृति के मानक उपस्करों की खरीद के लिए कॉलेज को अधिकतम 5.00 लाख रूपए तथा विश्वविद्यालय को अधिकतम 10.00 लाख रूपए के अध्यधीन एकबारगी सहायता भी मुहैया करायी जाती है।

आंतरिक गुणवत्ता–आश्वासन प्रकोष्ठों की स्थापना

यूजीसी द्वारा आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों की स्थापना शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता आश्वासन एवं गुणवत्ता वृद्धिकारी गतिविधियों की आयोजना, मार्गदर्शन एवं निगरानी का एक तंत्र है। ये प्रकोष्ठ उच्चतर शिक्षा संस्थान के मुखिया की अध्यक्षता में गठित किया गए हैं। आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के शैक्षिक एवं प्रशासनिक निष्पादन को उन्नत करने हेतु, जागरूक, समरूपी एवं प्रेरक कार्यक्रम युक्त कार्रवाई के लिए गुणवत्ता प्रणाली विकसित करना तथा गुणवत्ता संस्कृति के स्वदेशीकरण के द्वारा गुणवत्ता अभिवृद्धि की सांस्थानिक कार्यशैली के लिए उपायों को प्रोत्साहित करना और सर्वोत्तम रीतियों का सांस्थानीकरण करना हैं। यूजीसी अधिनियम की धारा–2 (च) तथा 12 (ख) के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय एवं कॉलेज हैं वे सभी यूजीसी की सहायता लेने के हकदार हैं जो आई.क्यू.सी. की स्थापना एवं इसको सुदृढ़ करने संबंधी खर्च को पूरा करने के लिए एकबारगी अनुदान के रूप में प्रत्येक विश्वविद्यालय को 5.00 लाख रूपए की सीड–मनी तथा प्रत्येक कॉलेज को 3.00 लाख रूपए की सीड–मनी प्रदान करता है।

स्वायत्तता प्राप्त कॉलेज

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक यूजीसी का लक्ष्य 10 प्रतिशत पात्र कॉलेजों को स्वायत्तता प्राप्त कॉलेज बनाने का है। स्वायत्तता प्राप्त कॉलेज को अपने स्वयं के अध्ययन पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यविवरणों को निर्धारित एवं विहित करने तथा स्थानीय जरूरतों के अनुकूल पाठ्यक्रमों की पुनर्सरंचना एवं पुनः अभिकल्पन करने, आरक्षण नीति के अनुरूप प्रवेश के लिए नियम निर्धारित करने, विद्यार्थियों के निष्पादन के मूल्यांकन की विधियों को विकसति करने, परीक्षाओं का संचालन एवं परिणामों को अधिसूचित करने, उच्चतर मानक एवं व्यापक सृजनशीलता प्राप्त करने हेतु शैक्षिक प्रौद्योगिकी के आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करने आदि की स्वतंत्रता हासिल होती है। किसी संस्थान को दी गई स्वायत्तता में इस समय चलाए जा रहे तथा स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने के बाद चलाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रम शामिल है। धारा 2(च) के अंतर्गत सभी कॉलेज–सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, आंशिक रूप से सहायता प्राप्त एवं स्व–वित्त पोषित, जो यूजीसी अधिनियम की धारा 12–ख के अंतर्गत शामिल हैं अथवा शामिल नहीं है, सभी स्वायत्त हैसियत के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल हैं। सहायता का पैटर्न–एकल संकाय वाले अधो–स्नातक कॉलेजों के लिए 9.00 लाख रूपए तक, एक से अधिक संकाय वाले अधो–स्नातक कॉलेजों के लिए 15.00 लाख रूपए तक, एकल संकाय सहित अधो–स्नातक एवं परा–स्नातक दोनों पाठ्यक्रम चलाने वाले कॉलेजों के लिए 10.00 लाख रूपए तक तथा एक से अधिक संकाय वाले कॉलेजों के लिए 20.00 लाख रूपए की सीमा तक है। 31.12.2010 तक 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 70 विश्वविद्यालयों के 364 कॉलेजों को स्वायत्त हैसियत प्रदान की गई है।

यात्रा अनुदान

यूजीसी कॉलेज शिक्षकों, कुलपतियों तथा आयोग के सदस्यों को अपने ज्ञान संवर्धन तथा मेजबान देशों के उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में प्राकट्य के लिए विदेश स्थित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अनुसंधान पेपर प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता तीन वर्षों में एक बार मुहैया करायी जाती है। कॉलेज शिक्षकों के लिए यह सहायता स्वीकार्य व्यय के 50 प्रतिशत तक सीमित हैं तथा कुलपतियों एवं आयोग के सदस्यों को यह शत प्रतिशत आधार पर प्रदान की जाती है। वर्ष 2010–11 के दौरान 31.12.2010 तक इस योजना के अंतर्गत 310 कॉलेज–शिक्षकों तथा तीन कुलपतियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

विश्वविद्यालय/कॉलेज शिक्षकों को, शिक्षावृत्ति प्राप्त करते समय स्रोत सामग्री एकत्रित करने के लिए भी शत–प्रतिशत आधार पर यात्रा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह सहायता केवल उन्हीं छात्रों को प्रदान की जाती है जिन्हें मान्यता प्राप्त विदेशी मेजबान विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम दो माह के लिए निर्वाह आश्वासन प्राप्त हुआ हो। वर्ष 2010–11 के दौरान 31.12.2010 तक चार शिक्षकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

विदेशों में भारतीय उच्चतर शिक्षा का विकास

यूजीसी ने अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को आकर्षित करने तथा भारतीय संस्थानों को विदेशों में कार्यक्रमों का प्रस्ताव देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक संकेन्द्रीत राष्ट्रीय समन्वित कार्यक्रम आरंभ कर दिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यूजीसी ने मई 2004 में, विकासशील देशों में विद्यार्थियों के लिए अल्प अवधि के भारत केन्द्रित कार्यक्रमों के विकास हेतु, बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए में 'नाफ्सा' सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें विकासशील देशों से नियमित कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए 'फिक्की' की सहायता से जून, 2004 में पूर्वी अफ्रीका (इथोपिया, तंजानिया, केन्या) में शिक्षा मेलों का भी आयोजन किया। इसके अतिरिक्त यूजीसी शिष्टमंडल ने वर्ष 2006 के दौरान सीटल, यूएसए, वाशिंगटन डीसी, वर्ष 2008 के दौरान यूएसए तथा अप्रैल, 2009 में दुबई शिक्षा मेले में भी भाग लिया। इन घटनाओं ने यूजीसी को विदेशों में भारतीय शिक्षा के विकास में अमूल्य अनुभव दिया।

बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता का विकास एवं पेटेंट के लिए सुविधा

अधिकांश विश्वविद्यालयों के पास ऐसी विशेषज्ञता एवं विधानों की व्यवस्था नहीं है जिससे वे अपने अनुसंधानकर्ताओं के बौद्धिक संपदा अधिकारों (आई.पी.आर.) की रक्षा कर सकें। इसलिए जागरूकता पैदा करने, एक समर्थ नीति माहौल को व्यवस्थित करने, समुचित संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं तथा अनुसंधानकर्ताओं को अपने आई.पी.आर. को विकसित करने हेतु, वित्तीय सहायता भी मुहैया कराने की आवश्यकता है। यूजीसी की यह पहल सभी विद्यमान पहलों/विभिन्न एजेंसियों की मौजूदा गतिविधियों से जोड़ती है तथा पेटेंट/कॉपीराइट कार्यालयों से मजबूत संपर्क रखती है।

अनुसंधान पुरस्कार/परियोजनाएं/ शिक्षावृत्तियां/ छात्रवृत्तियां

यूजीसी विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों को सभी विषयों में उनके अनुसंधान कार्यक्रमों को सहायता देकर उच्चतर शिक्षा में हो रहे उत्कृष्ट अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करती है। ये अनुसंधान परियोजनाएं व्यक्तिगत शिक्षक अथवा शिक्षकों के समूह द्वारा शुरू की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष तक की उम्र के सेवानिवृत्त शिक्षक भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अनुसंधान परियोजना हेतु सहायता की राशि निम्नवत् है : इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, फार्मेसी, कृषि आदि सहित विज्ञान विषयों में बड़ी अनुसंधान परियोजना–12.00 लाख रूपए, मानविकी सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, कला, विधि एवं संबद्ध विषयों के लिए–10.00 लाख रूपए तथा लघु अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 2.00 लाख रूपए/ रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विज्ञान विषयों, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी आदि में 1029 अनुसंधान परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और 707 परियोजनाएं साहित्यिक विषयों एवं सामाजिक विज्ञान में अनुमोदित की गई हैं।

शिक्षकों को अनुसंधान प्रदायगियां

यूजीसी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के 45 वर्ष तक के स्थाई शिक्षकों को इस क्षेत्र में नवीनतम विकासात्मक कार्यों के संपर्क में बने रहने के लिए उन्हें उनमें विशेषज्ञता के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। चयन, एकान्तरण वर्षों में सभी विषयों के लिए 100 स्लाटों के लिए किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, यूजीसी का पूरा वेतन संबंधित संस्थानों को मुहैया कराता है तथा पुस्तकों, पत्रिकाओं, रसायनों एवं उपकरणों पर खर्च को वहन करने के लिए साहित्यिक विषयों एवं सामाजिक विज्ञान में 2.50 लाख रूपए तक एवं विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 4.00 लाख रूपए का अनुसंधान अनुदान मुहैया कराता है। प्रदायगी की अवधि तीन वर्ष हैं।

अवकाशप्राप्त शिक्षावृत्तियां

यूजीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली अवकाशप्राप्त शिक्षावृत्तियां विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (च) एवं 12 (ख) के अंतर्गत अनुमोदित अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अत्यधिक शिक्षित, अनुभव प्राप्त तथा अवकाश प्राप्त शिक्षकों को एक अवसर प्रदान करती है। यह शिक्षावृत्ति (फेलोशिप) शिक्षक द्वारा अपने सेवा काल में किए गए अनुसंधान एवं प्रकाशित कार्य की गुणवत्ता के आधार पर प्रदान की जाती हैं, इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष की उम्र तक अथवा प्रदायगी के दो वर्षों (अविस्तारणीय) तक, जो भी पहले हो, एक सुस्पष्ट समयबद्ध कार्रवाई योजना के साथ कार्य कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी समय उपलब्ध स्लाटों की संख्या 100 है। इन शिक्षावृत्तियों के तहत् अनुसंधानकर्ता को 20,000 रूपए प्रतिमाह का मानदेय तथा 50,000 प्रतिवर्ष का एक आकस्मिक अनुदान एवं अनुसंधान केन्द्र के संकाय सदस्यों को यथा उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं सहित अन्य ऐसी विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

अनुसंधान कार्यशालाएं, संगोष्ठियां एवं सम्मेलन

विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अनुसंधान कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों जैसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए यूजीसी द्वारा वित्तीय सहायता मुहैया करायी गई। यूजीसी भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस आदि के लिए भी वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

विदेशी राष्ट्रिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां

यूजीसी एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के विकासशील देशों के विदेशी छात्रों एवं शिक्षकों को भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल/पी.एच.डी. एवं डाक्टरेट उपरांत उपाधियों हेतु प्रेरक विज्ञान विषयों, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में प्रगत अध्ययनों एवं अनुसंधान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां (जेआरएफ) एवं 07 अनुसंधान एसोसिएशनशिप प्रदान करता है। वर्ष 2010–11 के दौरान, यूजीसी ने विदेशी छात्रों एवं शिक्षकों को 20 कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां (फेलोशिप) एवं 07 अनुसंधान एसोसिएटशिप प्रदान की हैं।

भारतीय राष्ट्रिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां

ऐसे छात्रों/अनुसंधान स्कालरों, जो यूजीसी/यूजीसी–सीएसआईआर/एसईटी द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं पास करते हैं, को विभिन्न विषयों में एम.फिल/पी.एच.डी. उपाधियों हेतु प्रेरक अनुसंधान कार्य करने के लिए शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 'नेट' योजना के अंतर्गत मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के मामले में जे.आर.एफ. की संख्या 600 से बढ़ाकर 1200 तथा विज्ञान

विषयों में 1000 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। शिक्षावृत्ति शुरूआत में चार वर्षों की अवधि के लिए धार्य है तथा यह आयोग के पूर्व–अनुमोदन के अध्याधीन एक और वर्ष के लिए विस्तारणीय हैं। पहले दो वर्षों के लिए शिक्षावृत्ति की राशि 12,000 रूपए प्रतिमाह तथा शेष वर्षों के लिए यह 14000 रूपए प्रतिमाह है।

इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्ति

यह शिक्षावृत्ति, अनुसंधान छात्रों को पी.एच.डी. के लिए प्रेरित करने वाली इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी तथा कृषि इंजीनियरी में प्रगत अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य करने के लिए है। इन क्षेत्रों मं यूजीसी/सीएसआईआर 'नेट' परीक्षाएं संचालित नहीं करता है। इसलिए एम.ई. एवं एम.टेक छात्रों को यह अवसर यूजीसी द्वारा सीधे साक्षात्कार विधि के द्वारा प्रदान किया जाता है। इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी विषयों में जे.आर.एफ. प्रदायगी के लिए यूजीसी सीधे साक्षात्कार द्वारा प्रत्येक वर्ष 50 उम्मीदवारों का चयन करता है। इन शोधकर्ताओं को पहले दो वर्षों के लिए 14000 प्रतिमाह तथा बाद के वर्षों के लिए 15,000 प्रतिमाह भुगतान किया जाता है।

प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विज्ञान में अनुसंधान शिक्षावृत्तियां

यूजीसी, विज्ञान विषयों में पी.एच.डी. उपाधियों हेतु, उच्च अध्ययनों एवं अनुसंधान करने के लिए प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करता है, ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्कृष्टता संभाव्य विश्वविद्यालयों/उत्कृष्टता संभाव्य कॉलेजों/ प्रगत अध्ययन केन्द्रों तथा एस.ए.पी. के अंतर्गत यूजीसी द्व ारा अभिज्ञात किए गए विशेष सहायता के विभागों में, विज्ञान विषयों में पी.एच.डी. के लिए पंजीकृत किए गए है, वे इसके पात्र हैं। आरंभ में शिक्षावृत्ति की अवधि दो वर्षो की है तथ कार्य की संतोषजनक प्रगति के अध्यधीन यह आगे तीन वर्षो के लिए विस्तारणीय है। इस शिक्षावृत्ति में पहले दो वर्षो के लिए 10,000 प्रतिमाह की धनराशि दी जाती है। अब तक एसएपी/नॉन–एस.ए.पी. के अंतर्गत इस प्रदायगी हेतु 4846 जे.आर.एफ. मंजूर की गई है तथा इनमें से 2699 कोटि में है।

एम.ई./एम.टेक छात्रों के लिए परास्नातक छात्रवृत्तियां

यूजीसी उच्चतर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु एम.ई./एम. टेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके छात्रों को परा–स्नातक छात्रवृत्तियां मुहैया कराता है, 'गेट' पास कर चुके छात्रों, जिन्होंने एम.ई./एम.टेक पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है, को 24 महीने की अवधि हेतु, 5,000 रूपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इन छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 1200 प्रतिवर्ष है।

विश्वविद्यालय रैंक–धारकों के लिए परा–स्नातक योग्यता छात्रवृत्तियां

यूजीसी शैक्षिक वर्ष 2005–2006 से विश्वविद्यालयों के रैंक–धारकों हेतु छात्रवृत्तियों की प्रदायगी को कार्यान्वित कर रहा है। 1538 छात्रों, जिन्होंने शैक्षिक वर्ष 2009–2010 में स्नातक परीक्षा पास की और शैक्षिक वर्ष 2010–2011 में परास्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में दाखिला लिया, को परा–स्नातक योग्यता छात्रवृत्ति देने के लिए विचार किया गया। इस अवार्ड का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को मूल विषयों में परा–स्नातक पढ़ाई के लिए आकर्षित करना है। इस छात्रवृत्ति की अवधि केवल दो वर्ष है तथा प्रतिवर्ष छात्रवृत्तियों की संख्या 2375 (1800 सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए तथा 575 ऑनर्स पाठ्यक्रमों के लिए) है। छात्रवृत्ति की दर 20 माह के लिए 2000 प्रतिमाह है।

डा0 डी.एस. कोठारी डाक्टरेट–उपरांत शिक्षावृत्ति

इस शिक्षावृत्ति का उद्देश्य नवयुवक अनुसंधानकर्ताओं को एक अकादमिक अथवा अनुसंधानिक कैरियर शुरू करने के लिए तैयार करना तथा दक्षता हासिल करना, अपने ज्ञान को विस्तारित करने के लिए एक अवसर प्रदान करना तथा क्रास–डिसिप्लिनरी क्षेत्रों मे अग्रसर करने हेतु एक प्लेटफार्म प्रदान करना है। हर वर्ष 500 शिक्षावृत्तियां दी जाती हैं जिसे बढ़ाकर लगभग 1000 किया जा रहा है। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने या तो पी. एच.डी. उपाधि प्राप्त की हो अथवा पी.एच.डी. थेसिस प्रस्तुत की हो, इस शिक्षावृत्ति हेतु आवेदन के पात्र हैं। जिन्होंने पी.एच.डी. की उपाधियां प्रस्तुत की है, उन्हें जब तक पी.एच.डी. उपाधि औपचारिक रूप से प्रदान नहीं की जाती है, को आंशिक रूप से घटे वजीफे सहित 'ब्रिजिंग फेलोशिप' प्रदान की जाएगी। शिक्षावृत्ति की अवधि केवल तीन वर्ष है। 1000 रूपए प्रतिवर्ष बढ़ोतरी के साथ शिक्षावृत्ति की राशि 28,000 रूपए से 30,000 रूपए तक प्रतिमाह है। ब्रिजिंग शिक्षावृत्ति की राशि 22,000 रूपए प्रतिमाह हैं।

मेधावी छात्रों के लिए मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विषयों में अनुसंधान शिक्षावृत्ति

यूजीसी मेधावी छात्रों को मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विषयों में पी.एच.डी. उपाधि हेतु प्रेरक प्रगत अध्ययनों एवं अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करता है। शिक्षावृत्ति के अंतर्गत पहले दो वर्षो के लिए 10,000 रूपए प्रतिमाह तथा शेष तीन वर्षो की अवधि के लिए 12,000 प्रतिमाह की राशि दी जाती है, शिक्षावृत्ति की अवधि पांच वर्ष है। अब तक इस श्रेणी में 44 शिक्षावृत्तियां प्रदान की जा चुकी हैं।

(घ) उच्चतर शिक्षा में मूल्य वर्धन

यूजीसी के क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम किसी क्षेत्र की उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं रणनीतिक विशेषताओं के साथ व्यापक समय को विकसित करता है, पश्च–औनिवेशिक वर्गो के दृष्टिकोण से क्षेत्र अध्ययनों के वैकल्पिक उदाहरण को विकसित करता है, संबंधित क्षेत्र एवं मुद्दों के भारतीय दृष्टिकोण को संपुष्ट करता है, नीति नियामकों विशेषकर भारत आर्थिक, सामयिक एवं राजनीतिक हित को महत्वपूर्ण निवेश प्रदान करता है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान को बौद्धिक शिक्षा के केन्द्र में लाता है तथा अन्तर–क्षेत्रीय तुलनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु अनुसंधान संचालित करता है। वर्तमान में, यूजीसी 25 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों के रूप में स्थापित 46 केन्द्रों (22 क्षेत्र अध्ययन केन्द्र प्रोजेक्ट–मोड पर तथा 24 केन्द्र नियमित आधार पर) को वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। प्रोजेक्ट–मोड के अंतर्गत विभागों को अधिकतम अनावर्ती वित्तीय सहायता 15.00 लाख रूपए तक है तथा आवर्ती सहायता एक संकाय एवं दो अनुसंधान कार्मिकों का वास्तविक वेतन है।

जीवन–वृत्ति मूलक शिक्षा

जीवन–वृत्तिक एवं बाजार–मूलक, दक्षता बढ़ाने वाले एड–ऑन पाठ्यक्रमों, जिनकी कार्य, स्व–रोजगार एवं छात्रों के सशक्तिकरण में उपयोगिता है, को शामिल करने के लिए यूजीसी द्वारा सहायता दी जाती है। पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर छात्रों को विज्ञान, कला एवं वाणिज्य की पारंपरिक उपाधि के साथ किसी एड–ऑन ओरियंटेशन पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/प्रगत डिप्लोमा प्राप्त होता है। यूजीसी, मानविकी एवं वाणिज्य विषयों में पांच वर्षों के लिए एकबारगी सीड–मनी के रूप में 7.00 लाख रूपए प्रति पाठ्यक्रम के हिसाब से तथा विज्ञान विषयों में पांच वर्षो के लिए एकबारगी सीड–मनी के रूप में 10.00 लाख रूपए प्रति पाठ्यक्रम के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान करता है, कॉलेज/विश्वविद्यालय अधिकतम तीन पाठ्यक्रम चुन सकते है। शैक्षिक वर्ष 2010–11 से विभिन्न जीवन–वृत्तिक पाठ्यक्रमों को चालू करने के लिए विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के 515 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशी नीति के अध्ययन केन्द्र

यूजीसी ने भेदभाव एवं समावेशन के प्रासंगिक पहलुओं को समझने के लिए सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशी नीति के अध्ययन केन्द्रों की स्थापना के लिए अब तक 35 विश्वविद्यालयों को चुना है।

युग प्रवर्तक सामाजिक विचारकों एवं नेताओं पर विशेष अध्ययन

विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के शिक्षकों एवं छात्रों को महान विचारकों एवं सामाजिक नेताओं के विचारों एवं कार्यकलापों से परिचित कराने एवं उन्हें अनुसंधानिक अध्ययनों में शामिल करने ताकि एक अहिंसक सामाजिक ताने–बाने के लिए आवश्यक व्यवहारिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक नींव पर आधारित समाज की पुनर्सरचना की जा सके, के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय प्रणाली में स्थापित अध्ययन केन्द्रों को अनावर्ती अनुदान के रूप में 3.00 लाख रूपए तथा 7.50 लाख रूपए प्रतिवर्ष आवर्ती अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता की जाती है। अब तक, 24 विभूतियों के नाम पर विश्वविद्यालय प्रणाली में 443 अध्ययन केन्द्रों को अनुमोदित किया गया तथा स्थापित किया गया है :

- गांधी अध्ययन केन्द्र – 148
- अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र – 93
- बौद्ध अध्ययन केन्द्र – 38
- अरविंद अध्ययन केन्द्र – 7
- नेहरू अध्ययन केन्द्र – 70
- गुरू नानक देव अध्ययन केन्द्र – 8
- स्वामी विवेकानन्द अध्ययन केन्द्र – 23
- डा.जाकिर हुसैन अध्ययन केन्द्र – 3
- के.आर.नारायणन अध्ययन केन्द्र – 2
- इंदिरा गांधी अध्ययन केन्द्र – 13
- आदि शंकराचार्य अध्ययन केन्द्र – 2
- लाला लाजपत राय अध्ययन केन्द्र – 1
- सर्वपल्ली राधाकृष्णन अध्ययन केन्द्र – 3

- राजीव गांधी अध्ययन केन्द्र – 1
- पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर अध्ययन केन्द्र – 1
- राजा राम मोहन राय अध्ययन केन्द्र – 3
- स्वामी दयानन्द अध्ययन केन्द्र – 2
- रामकृष्ण परमहंस अध्ययन केन्द्र – 1
- पंडित मदन मोहन मालवीय अध्ययन केन्द्र – 4
- सुकाफा अध्ययन केन्द्र – 1
- सुभाष चन्द्र बोस अध्ययन केन्द्र – 1
- रवीन्द्रनाथ अध्ययन केन्द्र – 8
- वल्लभ भाई पटेल अध्ययन केन्द्र – 7
- शंकर देव अध्ययन केन्द्र – 3

आजीवन शिक्षा एवं विस्तार

उभरते ज्ञानी समाज की मांगों को पूरा करने और एक शिक्षा अभिमुख समाज विकसित करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के विचार से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यूजीसी द्वारा आजीवन शिक्षा के प्रति ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। अब तक, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विश्वविद्यालय प्रणाली में यूजीसी द्वारा आजीवन शिक्षा के 86 विभागों में/केन्द्रों का अनुमोदित किया गया है। इन विभागों/केन्द्रों से, संस्थान के संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में आजीवन शिक्षा के दर्शन को प्रोत्साहित करने, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच एकीकरण एवं विद्यालय बाह्य शिक्षा पद्धतियों की ओर सम्मिलित प्रयास करने, समाज के बड़े वर्गों विशेषकर असुविधाग्रस्त समूहों तक पहुंच बनाने के लिए प्रयास करने की आशा की जाती है। ये विभाग/केन्द्र संकाय की विशेषज्ञता एवं अनुभव, स्थानीय जरूरतों तथा विश्वविद्यालय के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से एक अथवा एक से अधिक क्षेत्रों का चयन करते हैं। विश्वविद्यालय गहन कार्य के दो क्षेत्रों से ज्यादा के लिए विकल्प नहीं दे सकते ताकि वे चुने गए क्षेत्रों के प्रति उल्लेखनीय योगदान कर सकें तथा योजना अवधि की समाप्ति तक एक विशेषीकृत विभाग के रूप में स्थापित हो सकें।

- शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान
- आजीवन शिक्षण कार्यक्रम
- विस्तार (छात्रों एवं गैर–छात्र युवाओं का परामर्श, जीवनवृत्ति मार्गदर्शन एवं सेवायोजन सहायता सहित)
- प्रकाशन (ई–कान्टेन्ट विकास सहित)
- जनसंख्या शिक्षा

आजीवन शिक्षा कार्यक्रम तथा अन्य कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए आजीवन शिक्षा के विभागों/केन्द्रों को चालू योजना अवधि के दौरान वित्तीय सहायता के रूप में 2.10 लाख रूपए प्रति वर्ष का आवर्ती अनुदान एवं 5.00 लाख रूपए का अनावर्ती अनुदान दिया जा रहा है।

मानवाधिकार शिक्षा

मानवाधिकार शिक्षा कार्यक्रम के तीन संघटक हैं, नामतः (क) मानवाधिकार एवं कर्तव्य, (ख) मानवाधिकार एवं नैतिक मूल्य, (ग) मानवाधिकार एवं मानव विकास। फाउन्डेशन/सार्टीफिकेट/डिप्लोमा/अधो–स्नातक/परा–स्नातक पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए, सेमिनार/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के संचालन के लिए तथा मानवाधिकार शिक्षा पर आधारित पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। पाठ्यक्रमों पर निर्भर करते हुए, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, आवधिक पत्र/पत्रिकाओं, दृश्य–श्रव्य उपस्करों, कंप्यूटर आदि के लिए 1.00 लाख रूपए से 3.00 लाख रूपए तक (एक बार अनुदान), अतिथि/आगन्तुक संकाय हेतु 5 वर्षों के लिए 75,000 रूपए से 4.00 लाख रूपए तक और विस्तार क्रियाकलापों एवं क्षेत्र कार्य के लिए 5 वर्षों के लिए यह 1.00 लाख रूपए से 3.00 लाख रूपए तक तथा सेमिनार /संगोष्ठी /कार्यशालाओं के संचालन हेतु, विश्वविद्यालय के लिए 1.5 लाख रूपए से 2.5 लाख रूपए तक तथा कॉलेज को 0.75 लाख रूपए से 1.05 लाख रूपए तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2009–10 के दौरान 436 प्रस्तावों में से यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों से प्राप्त 317 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया था। चालू वर्ष के दौरान, अब तक 650 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ड.) उच्चतर शिक्षा हेतु डिजिटल ओरिएन्टेशन

विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में डिजिटल भंडार (ई–पत्रिका योजना)

यूजीसी–इंफोनेट डिजिटल पुस्तकालय संकाय नवीन एवं पुरालेखी 5500 से अधिक बीजकोष एवं अभिजात पुनरीक्षित पत्रिकाओं, वाणिज्यिक प्रकाशकों सहित 25 प्रकाशकों, विद्वतापूर्ण समितियों, विश्वविद्यालय मुद्रणालयों तथा विभिन्न शाखाओं के संचयकों से 10 ग्रंथ सूचकीय डाटाबेसों तक पहुंच मुहैया कराता है। अब तक यूजीसी के दायरे में आने वाले 180 विश्वविद्यालयों को पूर्व क्रीत ई–स्त्रोतों तक अंतरीय पहुंच मुहैया करायी जाती है। ई–संसाधनों, लाभार्थी विश्वविद्यालयों, अनुज्ञा करार, टुटोरियल्स ऑन

रिसोर्सेस डाउनलोड्स तथा सदस्यों को उपलब्ध पत्रिकाओं हेतु सर्च इंटरफेस ीजजचरूध्ध्ूपदसिपइदमजण्बण्पदध्मबवदध पर इंफ्लिबनेट के माध्यम से पहुंच के लिए उपलब्ध है। इन ई–स्त्रोतों में कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायनिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, गणित एवं सांख्यिकी आदि सहित लगभग सभी विषयों की शाखाएं शामिल हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालय एवं अन्य अनुसंधान संगठन ''एसोसिएट सदस्य'' के रूप में केन्द्र से जुड़कर संकाय का लाभ उठा सकते हैं। विश्वविद्यालयों को उच्चतर एवं मापीय इंटरनेट बैंडविथ मुहैया कराने हेतु, इसने 01.04.2010 से बीएसएनएल बैकबोन की ओर रूख किया है और इसे 'यूजीसी इंफोनेट 2.0' का नया नाम दिया है। नई योजना में 180 से अधिक विश्वविद्यालयों को इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने के लिए10 एमबीपीएस (1:1) फाइबर ऑप्टिक आधारित लाइन संस्थापित की जा रही है।

यूजीसी – इंफोनेट इंटरनेट संयोजन

वर्ष 2002 में यूजीसी–इंफोनेट इंटरनेट संयोजन कार्यक्रम शुरू किए जाने की तारीख से अब तक 157 विश्वद्यिालयों को 256 केबीपीएस से 2 एमबीपीएस तक की रेंज वाली बैंडविथ का इंटरनेट मुहैया कराया गया हैं। संपूर्ण नेट की स्थापना एवं अनुरक्षण का कार्य टर्न के आधार पर इंटरनेट इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक भागीदा विश्वविद्यालय ने यूजीसी, इंफ्लिबनेट, इर्नेट तथा विश्वविद्यालय के साथ चतुश्पक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए है। संपूर्ण परियोजना यूजीसी द्वारा पूंजीगत निवेश पर 90 प्रतिशत तथा आवर्ती बैंडविथ प्रभारों के 100 प्रतिशत के साथ वित्त पोषित की जाती है।

विश्वविद्यालयों के कंप्यूटर केन्द्रों की स्थापना अथवा स्तरोन्यन

विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में परिवर्धनों के साथ कदम–ताल मिलाने के उद्देश्य से कई एक सामान्य एंव विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से यूजीसी द्वारा मदद की जाती है। तदनुसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, सभी क्षेत्रों/विषयों एवं परीक्षाओं/प्रशासनिक कार्यों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए विश्वविद्यालयों के कंप्यूटर केन्द्रों के स्तरोन्यन के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। यह सहायता कैम्पस लैन नेटवर्किंग उपकरण, सॉफ्टवेयर, कार्यस्थल तैयारी आदि के लिए हैं। 70 लाख रूपए तक की अनावर्ती एवं वास्तविक व्यय के अनुसार आवर्ती वित्तीय सहायता उन विश्वविद्यालयों को मुहैया करायी जा रही हैं जिनके पास कोई कंप्यूटर केन्द्र नहीं है तथा 50 लाख रूपए का अनावर्ती अनुदान विश्वविद्यालयों के मौजूदा कंप्यूटर केन्द्रों के स्तरोन्नयन के लिए प्रदान किया जा रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों से प्राप्त 32 प्रस्तावों में से 16 (6 स्थापना के लिए एवं 10 कंप्यूटर केन्द्रों के स्तरोन्नयन के लिए) को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(च) शासन एवं दक्षता को उन्नत बनाना

विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधन गतिशीलन के लिए प्रोत्साहन

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, यूजीसी अधिनियम की धारा 12–ख के अंतर्गत शामिल विश्वविद्यालय, जो योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान प्राप्त कर रहें हैं, मानद (डीम्ड विश्वविद्यालय) विश्वविद्यालय तथा अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के हकदार हैं। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों को न केवल उद्योगों को बल्कि राष्ट्रीय महत्व के विशेष मुद्दों पर सरकार एवं अन्य निकायों और व्यापक स्तर पर समाज को भुगतान आधार पर परामर्श देने हेतु बढ़ावा देना है। यूजीसी का हिस्सा, विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त/संग्रहित अंशदान का 25 प्रतिशत, अधिकतम 50 लाख रूपए प्रतिवर्ष अध्याधीन है।

विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं यूजीसी कार्यालयों के अकादमिक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण

अकादमिक शासन में उत्कृष्टता हासिल करने के वृहत् लक्ष्य के साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्टाफ, प्रशासकों एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रशिक्षण एवं विकास के अवसर देने हेतु संरचना युक्त प्रणाली सृजित करके यूजीसी उन्नत शासित मुद्दे का समाधान करता है। वर्ष 2010–2011 के दौरान कोई कार्यक्रम संचालित नहीं किया गया, अतः 31.12.2010 तक कोई व्यय नहीं किया गया।

उच्चतर शिक्षा एवं यूजीसी कार्यालय का ई–शासन

ई–शासन, सूचना एवं सेवा सुपुर्दगी को उन्नत बनाने, नीति निर्धारण की प्रक्रिया में नागरिकों को बढ़ावा देने तथा सरकार को जवाबदेह, पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से आईसीटी के सार्वजनिक क्षेत्र का इस्तेमाल है। यूजीसी ने ई–शासन परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

(छ) यूजीसी की नई पहलें

ऑपरेशन 'फैकल्टी रीचार्ज'

ऑपरेशन 'फैकल्टी रीचार्ज' विज्ञान संबद्ध शाखाओं में उच्च गुणवत्ता अनुसंधान को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी स्तर पर सुदर करना तथा चुनिंदा विभागों/केन्द्रों के अकादमिक अनुक्रम के सभी स्तरों पर नवीन प्रतिभा के समावेश द्वारा विश्वविद्यालयों में नवाचारी शिक्षण को विकसित करना है। यह एक अत्यावश्यक अपेक्षा है जिसमें कोई विलंब सहनीय नहीं है क्योंकि हाल के वर्षो में विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक परिणामों में तेजी से गिरावट आई है और हमारे अधिकांश विश्वविद्यालयों ने काफी समय से उल्लेखनीय पैमाने पर फैकल्टी की भर्ती नहीं की है तथा वे शोधकर्ताओं की एक से अधिक पीढ़ी के गवाने के संकट से गुजर रहें हैं। फैकल्टी नियुक्त करने से संबद्ध अन्य स्थानीय समस्याओं के अतिरिक्त प्रायः फैकल्टी कोटियों की उपलब्धता की कमी जैसे कारक घटक इस गंभीर बीमारी के लिए उद्धृत किए जाते हैं। 'फैकल्टी रीचार्ज' पहल कुछ हद तक इस समस्या के समाधान हेतु एक प्रभावशाली तंत्र का प्रस्ताव करती है तथा अपने विज्ञान संबंधित विभागों के फैकल्टी संसाधनों को उन्नत करने एवं पुनः अनुप्रणाति करने हेतु इच्छुक विश्वविद्यालयों को एक अनोखा अवसर मुहैया कराएगी। इसे कार्यान्वित करने हेतु जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को फैकल्टी रीचार्ज प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए चुना गया है। यह प्रकोष्ठ 1000 फैकल्टी पदों को सृजित करेगा जिन्हें वैश्विक विज्ञापन के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर भरा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय समन्वयक तथा एक एसोशिएट समन्वयक की नियुक्ति की गयी है। वर्ष 2010–11 के दौरान प्रकोष्ठ का संचालन सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय को 25 लाख रूपए की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

वर्ष 2010–11 के दौरान, यूजीसी द्वारा (ख), (ग), (घ), (ड.) एवं (च) के अंतर्गत सूचीबद्ध विभिन्न पहलों के लिए किए गए वित्तीयी आबंटनों का सार तालिका 6.4 में दिया गया है।

क्रम. सं	मद	योजनागत के अंतर्गत मुहैया कराए गए अनुदान (करोड़ रूपए में)
1.	इकलौती बालिका शिशु के लिए इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति (अब तक 2.00 लाख रूपए खर्च किए गए हैं)	
2.	महिला छात्रावास	
	• राज्य कॉलेज	161.02*
3.	महिला अध्ययन विभाग	2.02
4.	महिला प्रबंधकों के लिए क्षमता विकास	3.00 (1.11)*
5	महिलाओं के लिए डॉक्टरेट–उपरांत शिक्षावृत्ति	3.73*
6	समान अवसर प्रकोष्ठ	2.00(1.16)*
7	आवासी कोचिंग अकादमी	7.50*
8	अ.ज/अ.ज.जा. के लिए डॉक्टरेट उपरांत शिक्षावृत्ति	0.40*
9	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अ.जा/अ.ज.जा. के लिए डॉक्टरेट–उपरांत छात्रवृत्ति	2.00(0.13)*
10	अ.ज./अ.ज.जा. के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति	123.16*
11	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय	
12	उत्कृष्टता संभाव्य कॉलेज	8.05
13	क्षेत्र विशेष में उत्कृष्टता संभाव्य केन्द्र	0.58
14	विशेष सहायता कार्यक्रम	28.09
15	अकादमिक स्टाफ कॉलेज	23.52
16	अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्र ''	18.25*
17	राष्ट्रीय सुविधाओं वाले केन्द्र	1.68*

18	अभिनव/उभरते क्षेत्रों में अध्यापन एवं अनुसंधान	9.30*
19	फैकल्टी सुधार कार्यक्रम	10.42*
20	द्विपक्षीय आदान–प्रदान कार्यक्रम	0.40*
21	विश्वविद्यालयों के फैकल्टी संसाधनों का परिवर्धन	0.20*
22	खेल सुविधाओं एवं उपस्करों का विकास	99.29*
23	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (कोई अनुदान जारी नहीं किया गया)	0.50
24	स्वायत्त कॉलेज	10.26
25	यात्रा अनुदान	1.63*
26	विदेशों में भारतीय उच्चतर शिक्षा का विकास	0.50
27	अनुसंधान प्रदायगी/परियोजनाएं/शिक्षावृत्तियां/छात्रवृत्तियां	
	• बड़ी अनुसंधान परियोजनाएं	11.75
	• लघु अनुसंधान परियोजनाएं	10.09
28	अनुसंधान प्रदायगी	6.00 (3.64)*
29	अवकाश प्राप्त शिक्षावृत्ति	1.75*
30	अनुसंधान कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन	9.49*
31	भारतीय राष्ट्रीकों के लिए कनिष्ठ अुनसंधान शिक्षावृत्तियां	16.48*
32	इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां	0.51*
33	मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान में अनुसंधान शिक्षावृत्ति	4.69*
34	एम.ई./एम.टेक छात्रों हेतु परा–स्नातक छात्रवृत्ति	2.64*
35	विश्वविद्यालय रैंक धारकों के लिए परा–स्नातक योग्यता छात्रवृत्ति	0.004*
36	डा.डी.एस.कोठारी डॉक्टरेट उपरांत शिक्षावृत्ति	7.38*
37	मेधावी छात्रों के लिए मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान शिक्षावृत्ति	8.40* (0.60)*
38	क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम	0.53*
39	जीवनवृत्ति मूलक शिक्षा	5.29*
40	सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशी नीति के अध्ययन केन्द्र	2.26*
41	युग प्रवर्तक सामाजिक विचारकों एवं नेताओं पर विशेष अध्ययन	15.09*
42	आजीवन शिक्षा एवं विस्तार	0.13*
43	मानवाधिकार शिक्षा	0.80*
44	विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में डिजिटल भंडार	10.00
45	यूजीसी इन्फोनेट इंटरनेट कनेक्टीविटी	10.00
46	विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर केन्द्र	3.99*
47	विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन	0.98
48	उच्चतर शिक्षा का ई–शासन	3.00
49	ऑपरेशन फैकल्टी रीचार्ज	0.25

* 31.12.2010 तक अनुदान जारी अथवा व्यय किया गया

** अंतर विश्वविद्यालय केन्द्रों के बारे में योजनेतर राशि के रूप में 39.58 करोड़ रूपए भी मुहैया कराए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एनसीआरआई), हैदराबाद

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एनसीआरआई), हैदराबाद (www.ncri-mhrd.org) एक पूर्ण वित्तपोषित स्वायत्ताप्राप्त निकाय है। जिसकी स्थापना 'नई तालीम' के गांधीवादी दर्शन पर आधारित ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु वर्ष 1995 में की गयी थी। एनसीआरआई ग्रामीण लोगों की संभाव्यता को सुसज्जित करता है, उनके स्वाभाविक कौशलों को विकसित करता है तथा गांधीवादी कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न ग्रामीण संस्थानों (आर.आई.) एवं संगठनों के प्रयासों को उत्प्रेरित करता है ताकि देसी कलाओं, शिल्पों एवं खेती की पद्धतियों का आत्मनिर्भर गांवों का कायाकल्प करने में प्रोत्साहन मिल सके। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान एनसीआरआई मुख्य जोर मौजूदा आरआई के साथ निकटता के साथ कार्य करने, संभाव्य आरआई का पता लगाने तथा जहां आवश्यक हो, नई आरआई सृजित करने पर था ताकि देश के सुदूर एवं अल्पविकसित क्षेत्रों तक इसके विस्तार में वृद्धि हो सके।

- कुल 1.72 करोड़ रूपए की धनराशि से नई तालीम (प्रारंभिक शिक्षा), व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, शांति एवं संघर्ष समाधान, युवा अनुकूलन कार्यक्रम एवं माइक्रो प्लानिंग पर संकेंद्रित 41 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
- दो राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन– 28 एवं 29 अगस्त, 2010 को नई दिल्ली में नई तालीम पर सम्मेलन तथा 19 एवं 20 अक्टूबर, 2010 को हैदराबाद में ग्रामीण संस्थानों पर आयोजित किए गए। अंतिम सम्मेलन के आयोजन के अवसर पर 125 ग्रामीण संस्थानों के ब्योरे वाली 'डायरेक्टरी ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट' नामक एक निदेशिका जारी की गयी थी।
- एनसीआरआई ने 'नई तालीम' अध्यापक प्रशिक्षण तथा शांति एवं संघर्ष प्रबंधन के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के साथ तथा अभिज्ञात विश्वविद्यालयों के गांधीवादी केन्द्रों मे सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, परा–स्नातक एवं अनुसंधान पाठ्यक्रमों के लिए शांति एवं संघर्ष समाधान तथा ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद् (आईसीपीआर) के साथ सहयोग के लिए करार किया है।
- एनसीआरआई ने विश्वविद्यालय स्तर के 12 संस्थानों से गांधीवादी अध्ययनों में परा–स्नातक छात्रों हेतु गांधीवादी शिक्षावृत्तियां एवं छात्रवृत्तियां प्रारंभ करने के लिए बातचीत की है– 4 संस्थान अर्थात्–जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, राजस्थान : गांधीग्राम ग्रमीण संस्थान, तमिलनाडु–गीतम विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात विद्यापीठ, गुजरात पहले ही एनसीआरआई के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।
- देश की युवा ऊर्जा की तलाश एवं दोहन की दिशा में अपनी विस्तारक गतिविधियों के एक भाग के रूप में तथा उन्हें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों, समस्याओं तथा विकासात्मक गतिविधियों से रूबरू कराने के लिए एनसीआरआई के स्वामी विवेकानन्द युवा कार्यक्रम केन्द्र ने व्यावसायिक संस्थानों, कॉलेजो एवं गैर–सरकारी संगठनों, जहां बड़ी संख्या में इंजीनियरी, मेडिसिन, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों की पढ़ाई करने वाले छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, के साथ अप्रैल से अक्टूबर 2010 के दौरान 7 युवा अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- एनसीआरआई के गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ग्राम सेवा केन्द्र (जीआरटीजीएसके) ने अम्रता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचर क्योर, गीतम विश्वविद्यालय, विशाखापटनम स्थित एक ग्रामीण ठेकेदारी विकास कार्यक्रम तथा गुरूनानक देव इंजीनियरी कॉलेज, बीदार, कर्नाटक के सहयोग से संगोष्ठियों का आयोजन किया।
- देश भर के ग्रामीण संस्थानों के साथ अभिसरण प्रोत्साहन के अपने प्रयासों में एनसीआरआई के ग्रामीण संस्थान मंच (आर.आई.एफ.) ने ग्रामीण संस्थानों की एक निदेशिका प्रकाशित की है। भवन सामग्री के रूप में, लोहा एवं लकड़ी के प्रतिस्थापक के रूप में बांस का इस्तेमाल, स्कूली छात्रों द्वारा 'ग्रम सभा' का आयोजन, वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन में गाय के मूत्र एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग, ग्रमीण लोहकारों के लिए औजारों का उन्नत सेट एवं भट्टी का विकास आदि जैसी सर्वोत्तम रीतियों का प्रस्तुतीकरण ग्रामीण संस्थानों के सम्मेलन (अक्टूबर 2010–हैदराबाद) का मुख्य आकर्षण था। उक्त सम्मेलन के दौरान एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गयी थी जिसमें लगभग 60 ग्रामीण संस्थानों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए थे।
- नई तालीम केन्द्र ने 28–29 अगस्त, 2010 को नई तालीम पर सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें देश भर के नई तालीम संस्थानों के लगभग 300

प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा नई तालीम संस्थानों को पुनर्जीवन देने में एनसीआरआई की भावी भूमिका पर चर्चा की। इसके अलावा, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रोफेसर यशपाल, डा. वाई.पी.आनंद एवं डा.कृष्ण कुमार जैसे प्रख्यात शिक्षाविदों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर एनसीआरआई द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकों– पर्सपेक्टिव्स ऑन नई तालीम (अंग्रेजी में) तथा नई तालीम–नया परिप्रेक्ष्य (हिंदी में) का विमोचन किया गया था।

- द व्हील सेंटर (गांधीवादी विचार एवं कार्यकलाप) एवं डा. आराम शिक्षण केन्द्र, जो कि अनेक गांधीवादी संस्थानों, केन्द्रों एवं आश्रमों के साथ बहुत निकटता से कार्य कर रहें हैं, ने अनुसंधान (एम.फिल/पीएचडी डिग्री के लिए) तथा परा–स्नातक अध्ययनों के लिए शिक्षावृत्तियां एवं छात्रवृत्तियां प्रारंभ की हैं।
- ग्रामीण संसाधन सूचना विज्ञान केन्द्र (आरआरआईसी) ग्रामीण संस्थानों के लिए एक केन्द्र बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान संयोजन के लिए निचले स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरआरआईसी के डिजाइन, विकास एवं कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु संगठन का पता लगाकर आरआरआईसी को पूरी तरह से प्रचालन की स्थिति में लाने के लिए मार्गस्थ योजना तैयार की गई है– डीपीआर के फरवरी 2011 तक प्राप्त होने की उम्मीद है।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

1969 में भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) (www.icssr.org) की स्थापना सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को विकसित करने, विभिन्न शाखाओं को सुदृढ़ करने, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की गुणवत्ता एवं मात्रा में सुधार लाने तथा राष्ट्रीय नीति निर्माण में इसका उपयोग करने के लिए की गयी थी। इन लक्ष्यों को साकार करने के लिए आईसीएसएसआर ने सांस्थानिक बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान प्रतिभाओं का पता लगाने, अनुसंधान कार्यक्रमों को तैयार करने, व्यावसायिक संगठनों को सहायता प्रदान करने तथा विदेशों में सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ संपर्क स्थापित करने पर विचार किया था। आईसीएसएसआर देश भर के 25 सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों तथा इसके 6 क्षेत्रीय केन्द्रों को रखरखाव एवं विकास अनुदान मुहैया कराता है।

- वित्तीय वर्ष 2010–11 में परिषद ने 187 अनुसंधान परियोजनाओं के साथ–साथ युवा सामाजिक वैज्ञानिकों खासकर उन्हें जो अनुभव मूलक सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में रूचि रखते हैं, के लिए डाटा विश्लेषण में अनुसंधान वर्गीकरण एवं कंप्यूटर अनुप्रयोगों में 25 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया है।
- शिक्षावृत्तिक कार्यक्रम के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 15 डॉक्टरी शिक्षावृत्तियों सहित विभिन्न श्रेणियों (राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति, वरिष्ठ शिक्षावृत्ति, सामान्य शिक्षावृत्ति, सांस्थानिक डॉक्टरी शिक्षावृत्ति एवं मुक्त डॉक्टरी शिक्षावृत्ति, अल्प आवधिक शिक्षावृत्ति एवं आकस्मिकता अनुदान) में 272 शिक्षावृत्तियाँ प्रदान की गयी थीं।
- वर्ष के दौरान परिषद ने 53 सेमिनार/सम्मेलन प्रायोजित किए थे।
- प्रकाशन कार्यक्रम के अंतर्गत, आईसीएसएसआर 1972 से सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान के सर्वेक्षण का कार्य कर रहा है। भूगोल, समाज–शास्त्र एवं सामाजिक नृ विज्ञान एवं मनोविज्ञान में 1998 से 2002 तक की अनुसंधान सर्वेक्षण से संबंधित रिपोर्टें पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है तथा मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं समाज शास्त्र तथा सामाजिक नृ विज्ञान की शाखाओं में अनुसंधान सर्वेक्षण का कार्य आरंभ हो चुका है। तिमाही पत्रिकाओं–लोक प्रशासन एवं विकल्प का प्रलेखन को प्रकाशन सहायता योजना के अंतर्गत प्रकाशित किया जा चुका है।
- राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र (एनएएसएसडीओसी) सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को पुस्तकालय एवं सूचना सहायता सेवाएं मुहैया कराता है। यह विनिबंध, मुख्य पत्रिकाएं एवं सामाजिक विज्ञान में ऑनलाइन डाटाबेस उपलब्ध कराता है, वृत्तिक छात्रों को ग्रंथ सूचियां, अनुसंधान सामग्री की फोटोप्रतियां उपलब्ध कराता है। यह ग्रंथ सूची संबंधी तथा प्रलेखन परियोजनाओं के लिए अनुदान देता है, सामाजिक विज्ञान समुदाय एवं सूचना बिचौलियों को नवीनतम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाए संचालित करता है।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य भारत तथा विदेश में सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच अकादमिक संबंधों को विकसित करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत चालू गतिविधियां फ्रांस, रूस (तत्समय यूएसएसआर) एवं चीन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान–प्रदान द्वारा की जा रहीं है। सीईपी द्वारा शामिल नहीं किए

गए देशों के साथ व्यावसायिक संपर्क स्थापित करना, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी हेतु डाटा संग्रहण के लिए विदेश जाने हेतु, अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे सांईस काउनसिल ऑफ एशिया (एससीए), यूनाईटेड नेशन्स एजुकेशनल सांईटिफिक एंड कल्चरल आर्गेनाइजेशन (यूनेस्को), अंतरराष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान परिषद (आईएसएससी), एशियाई सामाजिक अनुसंधान परिषदों का संघ (एएएसएसआरईसी) आदि संगठनों की गतिविधियों में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस क्षेत्र में नई पहलों में– राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद, थाइलैंड (एनआरसीटी), आर्थिक एवं सामाजिक अनुसंधान परिषद (ईएसआरसी), यू.के. तथा नीदरलैंड्स आर्गेनाइजेशन फॉर सांईटिफिक रीसर्च (एनडब्ल्यूओ) के साथ समझौता ज्ञापन शामिल हैं एवं वियतनाम सामाजिक विज्ञान अकादमी (वीएएसएस), राष्ट्रीय विज्ञान फाउनडेशन (एनएसएफ), श्रीलंका–राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ), दक्षिण अफ्रीका–जर्मन अनुसंधान फाउंडेशन (डीएफजी), जर्मनी तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान (आईआईएलएस), जेनेवा के साथ नई पहलें की जा रही हैं।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के विकास की दिशा में जोर देने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं, शिक्षावृत्तियों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं, अध्ययन अनुदानों तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के वित्त पोषण हेतु 280 लाख रूपए आबंटित किए गए हैं।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

भारत सरकार द्वारा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) (www.ichrindia.org) की स्थापना वर्ष 1972 में इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर वास्तविक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्तता प्राप्त निकाय के रूप में की गयी थी। परिषद का प्राथमिक उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान को सही दिशा देना है, इतिहास के उद्देश्य एवं वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देना तथा उसे पोषित करना है। यह सब न केवल राष्ट्रीय एकता के विचार से किया जाना है, अपितु ऐतिहासिक लेखन में रूढ़िवाद एवं पुनर्जागरणवाद की अंध–स्वीकार्यता को बढ़ावा दिए बिना अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए मन में आदर भाव लाना भी है।

परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की विभिन्न विशेष परियोजनाओं जैसे (i) आजादी परियोजना की ओर, (ii) भारत में अंग्रेजी शासन (1858 से 1947) के आर्थिक इतिहास पर दस्तावेज, (iii) भारतीय / दक्षिण एशियाई शिलालेखों का सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक शब्दों का शब्द–कोश, (iv) 1857 परियोजना तथा (v) शहीदों (1857–1947) के राष्ट्रीय रजिस्टर का निष्पादन कर रही है।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के विचार से, परिषद ने अनुसंधान परियोजनाओं (40), शिक्षावृत्तियों (270), विदेश यात्रा अनुदानों (32), आकस्मिकता अनुदान (72), प्रकाशन सहायता (30) एवं संगोष्ठियों / सम्मेलनों / सभाओं / कार्यशालाओं (95) के वित्त पोषण द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान वृत्तिक छात्रों / संस्थानों / इतिहासकारों के व्यावसायिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान आईसीएचआर ने तीन पुस्तकें [आजादी की ओर : भारत में स्वाधीनता आंदोलन संबंधी दस्तावेज, 1940–भाग दो, अंग्रेजी में के.एन.पणिक्कर द्वारा संपादित तथा एस.एन.सेन द्वारा लिखित 1857 एवं डी.एन.झा द्वारा मौर्य एवं गुप्त काल के बाद राजस्व प्रणाली, तमिल में] प्रकाशित कीं तथा भारतीय ऐतिहासिक समीक्षा, खंड 37 संख्या 1– इसके साथ ही, परिषद ने 1857 पर तीन माह तक चली प्रदर्शनी के लिए झांसी स्थित उत्तर प्रदेश सरकार संग्रहालय को सहायता प्रदान की। इसने प्रथम एशियाई दर्शन सभा (मार्च 2010) तथा 'इतिहास एवं स्मृति' (मई 2010) पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने के लिए भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली तथा भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला को वित्तीय सहायता प्रदान की।

परिषद के पास दिल्ली में एक पुस्तकालय–सह–प्रलेखन केन्द्र है जिसके पास एशिया तथा हमारे पड़ोसी देशों के इतिहास से संबंधित पुस्तकों सहित भारतीय इतिहास एंव संबद्ध शाखाओं पर पुस्तकें हैं। जेएसटीओआर तथा डेलनेट की सुविधाओं के अतिरिक्त पुस्तकालय ने पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के लिए 'न्यू एराइवल डिस्प्ले' सेवाएं, कान्फरेन्स एलर्ट सेवाएं, कान्टेंट एलर्ट सेवाएं, भारतीय इतिहास संबंधी सूची (छमाही), माइक्रो फिल्म एवं माइक्रोफिक अंकीकरण, शोध प्रबंधों / शोध निबंधों का कंप्यूटरीकरण तथा ऑनलाइन पत्रिकाओं तक पहुंच जैसी सेवाएं आरंभ की हैं तथा नाम मात्र दर पर वृत्तिक छात्रों को लगभग 16000 प्रदर्शन मुहैया कराए हैं। वर्ष के दौरान लगभग 1250 छात्रों और वृत्तिक छात्रों ने पुस्तकालय का दौरा किया।

परिषद के पास दो क्षेत्रीय केन्द्र–बंगलौर (कर्नाटक) स्थित दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र (एसआरसी) तथा गुवाहाटी (असम) स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र है। दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र सक्रियता पूर्वक परिषद की विभिन्न अनुसंधान योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है तथा कई नए शीर्षकों, पत्रिकाओं आदि के साथ पुस्तकालय–सह–प्रलेखन यूनिट का निर्माण कर रहा है तथा इस अवधि के दौरान स्त्रोत पुस्तकों के विकास एवं प्रकाशन के प्रयास भी किए है। पूर्वोत्तर केन्द्र ने व्याख्यानों, चित्रों की प्रदर्शनी (1857 पर) आयोजित की तथा पुस्तकालय–सह–प्रलेखन केन्द्र का निर्माण करने और दुर्लभ पुस्तकों (6) का अंकीकरण तथा भावी उपयोग के लिए इनका पुनरोत्पादन (3) करने के अतिरिक्त गुवाहाटी में स्थायी भवन के निर्माण की दिशा में प्रयास किए हैं।

डा. जाकिर हुसैन स्मारक कॉलेज न्यास, नई दिल्ली

(www.zakirhusaincollege.in) जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में से एक है। पूर्व में ये कॉलेज प्राचीर शहर के अजमेरी गेट स्थित एक पुरानी एवं जीर्ण–शीर्ण ऐतिहासिक इमारत में अवस्थित था। पुराना कैम्पस तीन सौ वर्ष से भी पुराना था। स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी, तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री ने स्व. डा. जाकिर हुसैन की यादगार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत वर्ष 1974 में डा. जाकिर हुसैन स्मारक कॉलेज न्यास का गठन किया। तब से यूजीसी इस कॉलेज का 95 प्रतिशत आवर्ती अनुदान (अनुरक्षण अनुदान) को वहन करता है और शेष 5 प्रतिशत डा. जाकिर हुसैन स्मारक कॉलेज न्यास द्वारा वहन किया जाता है। योजनागत व्ययों को न्यास एवं यूजीसी द्वारा 50:50 अनुपात के आधार पर वहन किया जाता है।

सभ्यताओं के अध्ययन के लिए केन्द्र (भारतीय विज्ञान, दर्शन एवं संस्कृति के इतिहास की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए)

भारतीय विज्ञान, दर्शन एवं संस्कृति के इतिहास की परियोजना (www.phispc.org) वर्ष 1990 में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर) के तत्वावधान में शुरू की गयी थी। जिसका मूलभूत उद्देश्य विस्तृत एवं अंतर–विषयक अध्ययन संचालित करना ताकि विज्ञान, दर्शन एवं संस्कृति के बीच अंतर संबंध को विस्तारपूर्वक प्रकाशित किया जा सके क्योंकि ये भारतीय सभ्यता के लंबे इतिहास में विकसित हुए। वर्ष 1996–97 में इस परियोजना को आईसीपीआर से स्वतंत्र कर दिया गया और सीधे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया। हालांकि, वर्ष 2006 के बाद से इस परियोजना को सरकार द्वारा सीएससी के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

वर्ष 2010–11 के दौरान दो अवधारणात्मक पुस्तकें एवं 15 विनिबंध सहित 7 पुस्तकें एवं 3 पुनर्मुद्रणों का प्रकाशन किया गया। जिससे मुख्य पुस्तकों की कुल संख्या 84 हो गई है। साथ ही, तीन पुस्तक केन्द्रिक सेमिनार–महाराष्ट्रः संस्कृति एवं भाषा, बौद्धवाद एवं जैनवाद आयोजित किए गए थे।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) (www.aiuweb.org) एक ऐसा निकाय है जो भारतीय विश्वविद्यालयों की सदस्यता के साथ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। यह प्रशासकों एवं सदस्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों के शिक्षाविदों के विचारों के आदान–प्रदान एवं सामान्य हितों के मामलों की चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। संघ, उच्चतर शिक्षा में एक सूचना आदान–प्रदान ब्यूरो के रूप में कार्य करता है तथा "यूनिवर्सिटी हैंडबुक", रीसर्च पेपर्स तथा "यूनिवर्सिटी न्यूज" नाम से एक साप्ताहिक पत्र सहित अनेक प्रकाशन प्रकाशित करता है। संघ की वर्तमान सदस्यता तीन एसोशिएट सदस्यों अर्थात् काठमांडू विश्वविद्यालय, नेपाल, मॉरीशस विश्वविद्यालय, मॉरीशस तथा भूटान रॉयल विश्वविद्यालय, भूटान को मिलाकर 375 है।

संघ मुख्य रूप से सदस्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त वार्षिक चंदे, प्रकाशनों, परामर्शी सेवा तथा लोक हितैषी संगठनों द्वारा दिए गए दान द्वारा वित्त पोषित होता है। सरकार उच्चतर शिक्षा से जुड़े सामयिकम मुद्दों संबंधी अनुसंधान पर व्यय सहित अनुरक्षण एवं विकास व्यय के एक भाग को पूरा करने के लिए अनुदान प्रदान करता है।

यह भारत में उच्चतर अकादमिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के प्रयोजनार्थ प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों द्वारा प्रदान की गयी उपाधियों (डिग्री) की शैक्षिक समतुल्यता मंजूर करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। वर्ष के दौरान, मूल्यांकन प्रभाग (डिवीजन) विश्वविद्यालयों, भारत सरकार के मंत्रालयों, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद तथा अन्य केन्द्र/राज्य सरकार की ऐजेंसियों, जो भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक भावी भारतीय/

विदेशी छात्रों के नामांकन/चयन का कार्य देखतीं हैं, को विदेशी शैक्षिक योग्यताओं की स्थिति पर निरंतर व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है (1135 समतुल्यता प्रमाणपत्र जारी किए)। इसी प्रकार, छात्र सूचना सेवा प्रभाग लगातार उच्चतर शिक्षा के भारतीय संस्थानों की स्थिति, व्यावसायिक निकायों आदि के साथ–साथ भारतीय विश्वविद्यालयों एवं एआईसीटीई, एनसीटीई एवं एमसीआई–जैसे सांविधिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों पर उन्हें सूचना उपलब्ध कराकर छात्रों, शिक्षाविदों, माता–पिता एवं अन्य पणधारकों को सेवा प्रदान कर रहा है।

वर्ष 2010–11 के दौरान एआईयू ने क) प्रारंभिक विज्ञानः भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, वनस्पति विज्ञान, जीव–विज्ञान एवं संबद्ध शाखाओं, ख) सहबद्ध विज्ञानः जैव रसायन, जैव भौतिकी, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, आनुवंशिकी, सूक्ष्म–जीवी विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो विज्ञान एवं संबद्ध शाखाओं एवं ग) इंजीनियरी एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध शाखाओं जैसे विषयों पर तीन आंचलिक एवं एक राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किए हैं। 17 विश्वविद्यालयों के 29 परास्नातक स्तर के छात्रों ने इन सम्मेलनों में भाग लिया और अपनी अनुसंधान परियोजनाएं प्रस्तुत की। साथ ही, इसने तीन राष्ट्रीय कार्यशालाएं [उच्चतर शिक्षा के संस्थानों का वित्तीय प्रबंधन, विश्वविद्यालय प्रशासन एवं परीक्षा के प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग एवं उच्चतर शिक्षा में सुधार तथा प्रारंभिक विज्ञान में अनुसंधान वर्गीकरण] आयोजित की तथा दो अनुसंधान परियोजनाएं (भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रारंभिक विज्ञान (रसायन विज्ञान) की स्थिति तथा भारतीय उच्चतर शिक्षा में विश्वविद्यालय –उद्योग की पारस्परिक प्रक्रिया) प्रकाशित की।

भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला

भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला (www.iias.org) मौलिक विषयों एवं जीवन की समस्याओं एवं विचार के संबंध में निःशुल्क एवं सृजनात्मक पूछताछ के लिए एक उन्नत आवासी अनुसंधान केन्द्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत हुई थी तथा ये राष्ट्रपति निवास, शिमला में अवस्थित है। संस्थान के प्रमुख उद्देश्य, उन क्षेत्रों, जिनमें गहरी मानव विशेषताएं हों, में सृजनात्मक विचार को प्रोत्साहित करना, शैक्षिक अनुसंधान के लिए उपयुक्त वातावरण मुहैया कराना तथा इसके अतिरिक्त मानविकी विषयों (उदाहरणार्थ–कला एवं सौंदर्य शास्त्रीय, साहित्य एवं कार्य का तुलनात्मक अध्ययन एवं दर्शन–शास्त्र), सामाजिक विज्ञान (उदाहरणार्थ–विकास अध्ययन, राजनीतिक संस्थानों का तुलनात्मक अध्ययन, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों में सामाजिक–आर्थिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक रचनाएं), विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं विकास, वर्गीकरण एवं तकनीकों में उन्नत अनुसंधान शुरू करना, आयोजित करना, मार्गदर्शन करना तथा प्रोत्साहित करना है।

वर्ष 2010–11 के दौरान 6 राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति भोगी तथा 29 शिक्षावृत्ति भोगी एवं 4 अतिथि शिक्षावृत्ति भोगी इस संस्थान में थे। 14 सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित की गयी थी। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 9 अतिथि प्रोफेसरों एवं 6 अतिथि वृत्तिक छात्रों ने संस्थान का दौरा किया। आईआईएएस भी सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विषयों के लिए यूजीसी का एक अंतरविश्वविद्यालय केन्द्र है और वर्ष के दौरान 110 वृत्तिक छात्रों ने आईयूसी एसोशिएट के रूप में आईआईएएस का दौरा किया। इसके अतिरिक्त आईआईएएस ने 10 पुस्तकें प्रकाशित कीं और अपने पुस्तकालय के लिए 898 पुस्तकें तथा 300 पत्र–पत्रिकाएं अधिगृहित कीं।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (www.icpr.org) की स्थापना भारत सरकार द्वारा मार्च 1977 में की गई थी तथा एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत की गयी थी। परिषद के उद्देश्य एवं लक्ष्य दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान एवं अपने प्रकाशन को आर्थिक मदद एवं सहायता करना तथा दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य–कलापों के विकास एवं प्रचार के लिए सेमिनार/कार्यशालाएं/सम्मेलन आयोजित करना है।

वर्ष 2010–11 के दौरान परिषद ने 56 शिक्षावृत्तियां प्रदान कीं, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सेमिनार (25) आयोजित किए, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सेमिनार (39) प्रायोजित किए, विश्वविद्यालयों में व्याख्यान (43) आयोजित किए, संस्थानों (27) के दर्शन शास्त्र विभागों को वित्तीय सहायता मुहैया करायी, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (3) तथा संस्थानों में समीक्षा बैठकें (2) आयोजित कीं। परिषद ने आईसीपीआर विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत बड़ी परियोजनाओं (6) के लिए अनुदान भी जारी किए। इसने 4 पुस्तकें प्रकाशित कीं तथा अपने पत्र, जेआईसीपीआर के आठ अंक तथा अपने न्यूज लेटर के तीन अंक निकाले। इसने अपने पुस्तकालय के लिए दैनन्दिन पत्रिकाओं सहित 300 पुस्तकों की खरीद की।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

संसद अधिनियमों के अंतर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, शिक्षण की ऐसी शाखाओं, जिन पर विश्वविद्यालयों द्वारा समुचित रूप से विचारण किया जाए, में अनुदेशात्मक एवं अनुसंधानात्मक सुविधाएं मुहैया कराते हुए ज्ञान का प्रचार एवं इसे उन्नत करने के विचार से की गई थी। विद्यार्थियों के नामांकन एवं संकाय भर्ती के संदर्भ में उनसे आशा की जाती हैं कि वे शिक्षण की गुणवत्ता में अखिल भारतीय प्रतिमान रखेंगे तथा शिक्षा का ऐसा उच्च मानदंड रखेंगे जो उस क्षेत्र, जहां पर ये अवस्थित हैं, में एक बेंचमार्क एवं गति निर्धारक बनेंगे। अब तक उच्चतर शिक्षा विभाग के दायरे में 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। वर्ष 2005 से "केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009" के छत्र (अम्ब्रेला) अधिनियम के अंतर्गत 16 विश्वविद्यालयों सहित 23 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 दिनांक 15.01.2009 से अस्तित्व में आया तथा इसके अंतर्गत 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रत्येक ऐसे राज्य में (गोवा को छोड़कर) स्थापित किए गए जहां कोई भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं था, जम्मू एवं कश्मीर में दो विश्वविद्यालय हैं– एक कश्मीर डिवीजन में तथा दूसरा जम्मू डिवीजन में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखंड राज्यों में, प्रत्येक में एक मौजूदा राज्य विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में तबदील किया गया। केन्द्रीय विश्वविद्यालय जम्मू को छोड़कर सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रथम कुलपति नियुक्त किए गए। केन्द्रीय विश्वविद्यालय जम्मू, जिसे अभी शामिल किया जाना बाकी है, को छोड़कर इन विश्वविद्यालयों के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा तीन वर्षों के लिए प्रथम कार्यकारी परिषद तथा अकादमिक परिषद का गठन किया गया है। अधिकांश राज्यों में सांविधिक कार्यालय अर्थात रजिस्ट्रार एवं वित्त अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं अथवा ये चयन के अंतिम के चरण में है।

13 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय

नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए संबंधित राज्य सरकारों से लगभग 500 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। भूमि की उपयुक्तता के बारे में साइट सेलेक्शन समितियों के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक विश्वविद्यालय की अवस्थिति को केन्द्र सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। जबकि 11 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए कार्यस्थलों के बारे में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। बिहार एवं केरल में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए संबंधित राज्य सरकारों से वैकल्पिक अवस्थिति/कार्यस्थलों का प्रस्ताव करने का अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय जम्मू को छोड़कर सभी नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने अपने स्थायी कैम्पसों के विकास के लंबित रहने तक वर्ष 2010–11 के अंत तक अस्थायी परिषदों से अपनी शैक्षिक गतिविधियां आरंभ कर दी हैं। इन सभी नए विश्वविद्यालयों ने अध्ययन विद्यालयों एव शिक्षण विभागों के स्थापना संबंधी अपने विधान/अध्यादेश या तो निर्मित कर लिए हैं या फिर निर्माण की प्रक्रिया में हैं। संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा अपेक्षित संकाय की नियुक्ति के बारे में, यूजीसी से पदों की अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर तथा अपनी वेबसाइटों पर इस संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर के प्रिंट माध्यम में विज्ञापन देकर कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है। इस बीच, ये विश्वविद्यालय अपने शैक्षिक कार्यक्रम, संविदा/अतिथि शिक्षकों एवं अतिथि संकाय की नियुक्ति करके चला रहें है। कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने अधिनियम के अंतर्गत अनुमेय भर्ती की विशेष रीति के तहत आमंत्रण द्वारा वरिष्ठ संकायों की नियुक्ति का भी प्रयास किया है। दिनांक 30. 11.2010 तक यूजीसी ने इन नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 398.50 करोड़ रुपए की कुल धनराशि जारी की है।

3 परिवर्तित केन्द्रीय विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत 13 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के अलावा तीन पूर्व राज्य विश्वविद्यालयों अर्थात् डा. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश– गुरू घासीदास

विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ तथा एच.एन. बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, उत्तराखंड को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किया गया हैं। जबकि, इन विश्वविद्यालयों के पास आवश्यक बुनियादी सुविधाएं एवं संकाय उपलब्ध हैं, यूजीसी ने इन विश्वविद्यालयों के लिए भवन, कैम्पस विकास, उपकरणों, पुस्तकों एवं पत्र/पत्रिकाओं, आईसीटी जरूरतों तथा शिक्षावृत्तियों आदि के प्रयोजनों के लिए योजनागत शीर्ष के अंतर्गत महत्वपूर्ण निधियों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है। एच.एन.बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर को 175.82 करोड़ रूपए की धनराशि आबंटित की गयी हैं, जिसमें से 30.11.2010 की स्थिति के अनुसार 66.61 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं। गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को 128.80 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं, जिसमें से नवम्बर 2010 के अंत तक 55.96 करोड़ रूपए जारी किए। इसी प्रकार डा. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर को यूजीसी द्वारा 125 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं, जिसमें से व्यय की गति को देखते हुए यूजीसी द्वारा 32.36 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

एच.एन.बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय –विभागों में 8388 छात्रों का नामांकन हुआ है। गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में 4378 एवं डा. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर में 10045 छात्रों का नामांकन हुआ है। विश्वविद्यालयों ने आगामी शैक्षिक सत्रों में कई एक नए पाठ्यक्रमों/विभागों का प्रस्ताव किया हैं, साथ ही, मौजूदा विभागों को सुदृढ़ करने के साथ नए विभागों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संकाय पदों को भरने की भी योजना बनाई है।

प्राचीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय

राजीव गांधी विश्वविद्यालय

राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर की स्थापना अरूणाचल प्रदेश विधान सभा के एक अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1984 में की गयी थी और राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया था जो 9 अप्रैल, 2007 को प्रभावी हुआ।

विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां इसके 8 संकायों, 15 विभागों, 2 संस्थानों तथा एक केन्द्र के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। इस विश्वविद्यालय के पास 15 संबद्ध कॉलेज भी हैं जो अरूणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अवस्थित हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय ने पहली बार दो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जिसमें दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, यूएसए, यूके एवं जापान से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया तथा स्पेन, जापान एवं ईरान के विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वर्ष 2009–10 में छह विभागों में एम.फिल कार्यक्रमों का भी शुभारंभ हुआ तथा एक महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गयी।

मणिपुर विश्वविद्यालय

मणिपुर विश्वविद्यालय की स्थापना, मणिपुर विधानसभा के अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1980 में हुई थी और मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इसे एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया जो 13 अक्टूबर, 2005 को प्रभावी हुआ।

मानव तथा पर्यावरणीय विज्ञान के विद्यालय के सृजन के साथ विश्वविद्यालय के अध्ययन–विद्यालयों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गयीं है। चालू शैक्षणिक सत्र से जैव प्रौद्योगिकी एवं शारीरिक शिक्षा तथा खेल विभाग ने छात्रों को चार वर्षीय बीपीएड और जैव प्रौद्योगिकी में पांच वर्ष के एमएससी छात्रों को प्रवेश दिया है। सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशी नीति का अध्ययन केन्द्र प्रारंभ हो गया है।

विश्वविद्यालय ने पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/पूर्वाभिमुखीकरण कार्यक्रमों के अतिरिक्त लगभग 45 सम्मेलन/सेमिनार आयोजित किए। संकाय सदस्यों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 10.00 करोड़ रूपए तक के अनुदान सहित भारी संख्या में अनुसंधान परियोजनाएं सौंपी गयीं थी। विश्वविद्यालय ने अपने सभी अधोस्नातक कार्यक्रमों में सत्र प्रणाली शरू की है। यूजीसी के विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए मणिपुरी, रसायन एवं भौतिकी के विभागों का चयन किया गया। पुस्तकालय में संग्रहीत पुस्तकों की संख्या 1,52,139 है। पुस्तकालय 255 मुद्रित पत्र/पत्रिकाओं एवं 23 दैनिक पत्र आदि की खरीद करता है। यह पुस्तकालय 5000 ई–पत्र/पत्रिकाओं तक पहुंच उपलब्ध कराता है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), जिसका उदय मोहम्मडन एंग्लो–ओरियंटल कॉलेज के रूप में हुआ था, को वर्ष 1920 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया था। यह देश के सर्वप्रथम संपूर्ण आवासी शैक्षिक संस्थानों में से एक है। ''राष्ट्रीय महत्व का संस्थान'' के रूप में स्वीकृत अलीगढ़

मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। 12 संकायों के समूह में बटे विश्वविद्यालय के पास 104 विभाग/संस्थान/केन्द्र हैं। जो एक साथ मिलकर 252 अधोस्नातक/ परास्नातक/ अनुसंधान/ डिप्लोमा /सर्टीफिकेट पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव देते हैं। विश्वविद्यालय के पास 1100 अत्यधिक योग्य शिक्षक हैं। विश्वविद्यालय में लगभग 21015 विद्यार्थी नामांकित है जो भारत के 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा 22 विदेशी देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह 4 अस्पतालों, 6 कॉलेजों (मेडिकल, डेंटल एवं इंजीनियरी कॉलेजों सहित) दो पॉलीटेनिक तथा आठ विद्यालय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पास नर्सरी से लेकर डॉक्टरी उपाधि के बाद के स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने की असाधारण योग्यता हैं।

विश्वविद्यालय ने चालू सत्र में 7 नए पाठ्यक्रम शरू किए हैं। ये विश्वविद्यालय हाई–टेक प्रयोगशालाओं की स्थापना करके नैनो–प्रौद्योगिकी के नए उभरते विषय में अपने आप को व्यस्त किए हुए है। दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए अहमदी विद्यालय इस देश के सबसे पुरान संस्थानों में से एक है, जिसे इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर के साथ एक प्रयोक्ता अनुकूल कंप्यूटर प्रयोगशाला से लैस किया गया है ताकि, दृष्टिहीन छात्र पढ़ाई में और सुधार कर सकें।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की एक और उल्लेखनीय उपलब्धि, कैम्पस को नेटवर्क से जोड़ने सहित आईसीटी में व्यापक विस्तार करना है।

मौलान आजाद पुस्तकालय को सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीकों की संस्थापना के साथ आधुनिक बनाया गया है, जो कैम्पस को ऑनलाइन पत्र/पत्रिकाओं एवं अन्य ई–संसाधनों तक पहुंच, पुस्तकों की स्वचालित चेक–इन तथा चेक–आउट सुविधा, सीसीटीवी एवं पुस्तकालयों के लिए स्वचालित द्वार सुरक्षा मुहैया करा रहा है।

इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय देश में अपने दो नए केन्द्र–मल्लापुरम (केरल) एवं मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल) में स्थापित करने में व्यस्त है, जहां अस्थायी परिसरों से 6 अप्रैल, 2011 से शैक्षिक कार्यक्रम आरंभ किए जा चुके हैं। मुर्शीदाबाद केन्द्र का शिलान्यास 20.11.2010 को किया गया।

जामिया मिलिया इस्लामिया

जामिया मिलिया इस्लामिया को दिसम्बर 1988 में संसद के अधिनियम द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। यह विश्वविद्यालय नर्सरी से लेकर परा–स्नातक एवं डॉक्टरेट स्तरों तक शिक्षा प्रदान करता हैं। इसमें नौ संकायों के अंतर्गत 37 विभाग हैं। इसके 9 संकायों के अतिरिक्त जामिया के पास अनवर जमाल किदवई जनसंचार अनुसंधान केन्द्र जैसे कई एक शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र हैं। विश्वविद्यालय में कुल शिक्षण स्टाफ की नफरी 756 है तथा 26 देशों के 188 विदेशी छात्रों सहित 19000 से अधिक छात्र विश्वविद्यालय की नामावली में शामिल हैं। वर्तमान में, विश्वविद्यालय 36 विषयों में पीएचडी कार्यक्रमों के अलावा अधोस्नातक एवं परा–स्नातक स्तर पर कुल मिलाकर 166 पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न वित्तपोषीय एजेंसियों (अर्थात एआईसीटीई, यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएसएसआर, यूएनडीपी, यूनेस्को तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय) द्वारा प्रायोजित कुल 123 अनुसंधान परियोजनाएं प्रारंभ की गयी थी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य 62 परामर्शी कार्यों में व्यस्त रहे। 23 नवम्बर, 2010 को हुए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय ने बौद्ध संत दलाई लामा को 'ओनोरिस काजा'' से विभूषित किया।

भिन्न–भिन्न विषयों की पृष्ठभूमि वाले छात्रों की बड़ी संख्या में नियोजन के साथ इस विश्वविद्यालय के पास एक बहुत ही प्रभावी नियोजन प्रकोष्ठ है। विभिन्न देशों के छात्र आदान–प्रदान कार्यक्रमों में अनेक छात्रों एवं संकाय सदस्यों ने भाग लिया। छात्रों ने विभिन्न स्तरों पर खेल गतिविधियों में भी भाग लिया।

असम विश्वविद्यालय

असम विश्वविद्यालय, सिल्चर की स्थापना वर्ष 1994 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गयी थी। दक्षिणी असम की बराक घाटी में स्थित इस विश्वविद्यालय के दरगाकोना में व्यापक विस्तार सहित 600 एकड़ का कैम्पस है जो सिल्चर से लगभग 23 कि.मी. दूर है। 1994 से इसने अपने आकार एवं प्रसिद्धि दोनों में विस्तार किया है। आज 34 परा–स्नातक विभागों में अध्ययन एवं अनुसंधान तथा 9 विद्यालयों के अंतर्गत, प्रस्ताव पर एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए 3500 से भी अधिक छात्र नामांकित हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी असम के 5 जिलों के 56 संबद्ध एवं अनुमत कॉलेजों में 20000 से अधिक छात्र हैं। देश के विभिन्न भागों से आए विश्वविद्यालय के 300 से ऊपर संकाय सदस्य कैम्पस के शैक्षिक माहौल को एक विश्व–व्यापी परिवेश मुहैया कराते हैं।

मिजोरम विश्वविद्यालय

वर्ष 2000 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित मिजोरम विश्वविद्यालय

ने एज्वाल में 2 जुलाई, 2001 से कार्य करना आरंभ किया। वर्तमान में, विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां 28 परा–स्नातक तथा 19 अधोस्नातक विभागों के अंतर्गत संगठित इसके 9 विद्यालयों के द्वारा चलाई जाती हैं। विश्वविद्यालय के पास 26 संबद्ध कॉलेज तथा एक अंगीभूत कॉलेज अर्थात् पाछुंगा विश्वविद्यालय–कॉलेज है। विश्वविद्यालय विभागों में नामांकित छात्रों की संख्या 1600 तथा इसके संबद्ध कॉलेजों में 7368 है। इसके पास 337 शिक्षण स्टाफ तथा 504 गैर शिक्षण स्टाफ की स्वीकृत नफरी है। कैम्पस का ढांचागत विकास कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है तथा शैक्षिक एवं छात्रावासों सहित अधिकांश स्थायी इमारतें शीघ्र पूरी हो जाने की आशा है। विश्वविद्यालय के पास एक अनुपम कृषि उद्यान, सुगंधित एवं चिकित्सकीय पादप विभाग (एचएएमपी) है, जो कि देश में अपनी तरह का अकेला विभाग है। यह विश्वविद्यालय इस मामले में भी अकेला है जो पूरे पूर्वोत्तर में सामाजिक कार्य में परा–स्नातक कार्यक्रम की शिक्षा देता हैं। अंग्रेजी विभाग में अत्याधुनिक भाषा प्रयोगशाला है। इस शैक्षिक वर्ष से आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है। अत्याधुनिक सुविधाओं सहित परिष्कृत इंस्ट्रुमेन्टेशन प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है तथा ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय 1 मेगावाट सौर्य ऊर्जा के उत्पादन हेतु भी कार्रवाई कर रहा है।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय

पांडिचेरी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा पांडिचेरी तथा अंडमान एवं निकोबार के संघ राज्य क्षेत्रों पर इसके क्षेत्राधिकार तथा इसे लक्ष्यद्वीप तक विस्तारित करने के प्रावधान सहित एक शिक्षण–सह–संबद्धता विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी।

इस विश्वविद्यालय के पास 9 विद्यालय, 32 विभाग, 7 केन्द्र तथा नियमित अध्यापन एवं अनुसंधान के दो पीठ हैं। यह 45 विषयों में परा–स्नातक कार्यक्रम, 24 विषयों में एम.फिल कार्यक्रम, 33 विषयों में पी.एच.डी. कार्यक्रम तथा 22 विषयों में परा–स्नातक डिप्लोमा प्रस्तावित करता है। इसके पास एक सामूदायिक कॉलेज, एक अकादमिक स्टाफ कॉलेज तथा पत्राचार शिक्षा निदेशालय है। विश्वविद्यालय के पास 80 संबद्ध संस्थान है जिनमें से 54 पांडिचेरी में अवस्थित हैं, 13 करईकल, 5 माहे, 3 यनम में तथा 5 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हैं। विश्वविद्यालय विभागों में कुल छात्रों की संख्या 3561 है जिनमें से 761 छात्र अ.ज/अ.ज.जा. के हैं। इसमें 1360 महिला छात्र हैं। विश्वविद्यालय के पास 259 संकाय नफरी है। वर्तमान में, विश्वविद्यालय में निष्पादन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत विभिन्न प्रायोजित अनुसंधान परियोजनओं से, विभिन्न एजेंसियों से अतिरिक्त भित्ति वित्त पोषण के द्वारा 50 करोड़ रूपए से अधिक की धनराशि उपार्जित करने की आशा की जाती है। विश्वविद्यालय के पास अत्याधिक सुविधाओं से लैस बहुत ही आधुनिक प्रयोगशालाएं है तथा 1.6 लाख पुस्तकों एवं 18000 पत्र/पत्रिकाओं तक पहुंच और ई–संसाधन युक्त एक पुस्तकालय है। 800 एकड़ का हरा–भरा कैम्पस, वाई–फाई सक्षम है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग के लिए मदनजीत सिंह संस्थान की स्थापना, मेस तथा पुस्तकालय खंडों में विकलांग छात्रों के लिए मोटर युक्त वाहन कुर्सियां, महिला छात्रों के साथ अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों (पुरूष एवं महिला दोनों के लिए) के लिए भी निःशुल्क छात्रावास की सुविधा शामिल है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमर कंटक (मध्य प्रदेश) की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गयी थी। इसने अपनी शैक्षिक गतिविधियां शैक्षिक सत्र 2008–09 से आरंभ की। मध्य प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय के लिए 150.144 हैक्टेयर भूमि आबंटित की है जहां कार्यालयवास, 32 क्लास–रूम, 11 प्रयोगशालाओं, कैन्टीन, 12 अतिथि कक्षों सहित पोर्टल फ्रेम संरचना भवन 6 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित हो चुक हैं। मणिपुर सरकार ने मणिपुर में क्षेत्रीय कैम्पस की स्थापना के लिए 301.85 एकड़ भूमि आबंटित की है जहां विकास कार्य प्रगति पर हैं।

अमरकंटक स्थित मुख्यालय में 19 अधोस्नातक पाठ्यक्रम चलाए जा रहें है तथा वर्ष 2010–11 के दौरान इसमें जनजातीय कला, म्यूजियोलॉजी तथा प्रायोगिक मनोविज्ञान के तीन और कार्यक्रम जोड़े गए हैं। क्षेत्रीय कैम्पस मणिपुर में परा–स्नातक स्तर कार्यक्रम राजनीति विज्ञान, मानवाधिकार तथा सामाजिक कार्य में संचालित किए जा रहें हैं– वर्तमान में, अमरकंटक में 26 सहायक प्रोफेसर तथा क्षेत्रीय कैम्पस मणिपुर में 4 सहायक प्रोफेसर संविदा आधार पर कार्य कर रहें हैं। हालांकि प्रोफेसर, एसोशिएट प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर के स्तर के 50 संकाय पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं तथा इनके भरने की प्रक्रिया चल रही है।

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

हरे–भरे अर्धशहरी बसावट के बीच शहर की राजधानी से दक्षिण दिशा में 12 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित त्रिपुरा विश्वविद्यालय को 2 जुलाई, 2007 को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में तब्दील किया गया था। वर्तमान में, इसके पास 24 स्नातकोत्तर विभाग हैं, दूरस्थ शिक्षा मोड में 5000 छात्रों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों की संख्या 2949 है। इस समय विश्वविद्यालय के पास 106 स्थायी शिक्षकों (संविदा आधार पर नियुक्त शिक्षकों के अलावा) की संकाय क्षमता है। सामाजिक समावेशन एवं समावेशी नीति केन्द्र के अंतर्गत 2010–11 के शैक्षिक सत्र से जनजातीय एवं नृ–जातीय अध्ययन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल किया गया है।

सिक्किम विश्वविद्यालय

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सिक्किम विश्वविद्यालय 2 जुलाई, 2007 को अस्तित्व में आया। आरंभ से ही सिक्किम विश्वविद्यालय ने क्रेडिट आधारित सत्र प्रणाली तथा इसके 10 संबद्ध कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय विभागों दोनों में अनिवार्य आवधिक प्रश्न–पत्र एवं संपूर्ण आंतरिक मूल्यांकन सहित अंतर–विषयक पाठ्यक्रम चालू किए है। शैक्षिक वर्ष 2010–11 में सिक्किम गवर्नमेंट बीएड कॉलेज, सोरेंग (पश्चिम सिक्किम) भी सिक्किम विद्यालय से संबद्ध हो गया है। विश्वविद्यालय विभागों में 292 विद्यार्थी नामांकित हुए हैं तथा इसकी संकाय क्षमता 50 है। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय मनोविज्ञान में बीएससी–एमएससी, चीनी में बीए–एमए में पांच वर्ष के एकीकृत कार्यक्रम तथा विधि एवं विधायी न्याय शास्त्र अध्ययनों एवं पुष्प कृषि तथा उद्यान कृषि प्रबंधन में एकीकृत कार्यक्रमों के अतिरिक्त 9 विषयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम तथा 4 विषयों में एम.फिल/पीएचडी कार्यक्रम प्रस्तावित करता है।

पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग

पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र के संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के शिक्षा प्रापण में वृद्धि करके सामाजिक–आर्थिक प्रगति को सुकर बनाने हेतु संसद के एक अधिनियम के द्वारा वर्ष 1973 में पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय (एनईएचयू), शिलांग की स्थापना की गयी थी। इस विद्यालय का क्षेत्राधिकार शिलांग एवं तूरा के कैम्पसों एवं 66 संबद्ध कॉलेजों सहित मेघालय राज्य तक सीमित है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने वर्ष 2009 में विश्वविद्यालय को 'ए' ग्रेड का दर्जा प्रदान किया। इस विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित दर्जा भी हासिल हुआ है। 36 शैक्षिक विभागों एवं दो केन्द्रों को विभिन्न विषयों के आठ विद्यालयों के अंतर्गत मिलाया गया है। शैक्षिक वर्ष 2010–11 के दौरान स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतर्गत कुल नामांकन संख्या 37150 है।

नागालैंड विश्वविद्यालय

लुमानी स्थित मुख्यालय सहित नागालैंड विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1994 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गयी थी। वर्ष 2010 के दौरान विश्वविद्यालय कोहिमा स्थित अस्थायी मुख्यालय से स्थानांतरित होकर अपने निर्दिष्ट मुख्यालय लुमानी आ गया। विश्वविद्यालय के पास लुमानी मुख्यालय तथा दीमापुर, मेदजीफेमा, मोरिमा स्थित 4 कैम्पसों में फैले 6 विद्यालयों के अंतर्गत 31 अकादमिक विभाग हैं। विश्वविद्यालय कैम्पसों में लगभग 1700 छात्र एवं 150 अध्यापक हैं तथा 53 संबद्ध कॉलेजों में 20000 से अधिक छात्र एवं 950 शिक्षक हैं। अनुसंधान के भाग के रूप में, आर्किड की एक नई प्रजाति की खोज की गयी थी तथा इसे कीरोस्टाइलिश मोहन रामजी प्रजाति का नाम दिया गया। विश्वविद्यालय ने "व्यक्ति की सेवा में विज्ञान" विषय के अंतर्गत प्रेरित अनुसंधान कार्यक्रम के लिए विज्ञान खोज में डीएसटी प्रायोजित नवाचारी कार्यक्रम संचालित किए।

हैदराबाद विश्वविद्यालय

वर्ष 1974 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित हैदराबाद विश्वविद्यालय कुछ वर्षों में देश के स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान का एक अग्रणी संस्थान बनकर उभरा है। विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम 10 अध्ययन विद्यालयों में चलाए जाते हैं। शैक्षिक वर्ष 2010–11 में छात्रों की नामांकन संख्या 4734 थी। इस वर्ष के दौरान 127 पीएचडी, 186 एम.फिल तथा 102 एमटेक उपाधियों सहित 1022 अभ्यर्थियों ने उपाधियों को प्राप्त करने की योग्यता हासिल की। विश्वविद्यालय के 665 छात्रों ने चालू वर्ष के लिए यूजीसी–सीएसआईआर शिक्षावृत्तियां प्राप्त की। विश्वविद्यालय ने एमएससी स्वास्थ्य मनोविज्ञान, एकीकृत एमटेक/पीएचडी नैनो–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा पीएचडी बौद्ध अनुयायी अध्ययन जैसे कई नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र कुल 1515 छात्रों के साथ दूरस्थ मोड के माध्यम से 20 स्नातकोत्तर एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम प्रस्तावित करता है।

विश्वविद्यालय के पास 154 प्रोफेसर, 108 रीडर्स एवं 118 व्याख्याताओं को मिलाकर कुल 380 संकाय सदस्य हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों की कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, संगोष्ठियां एवं कार्यशालाएं संचालित की गयी। देश एवं विदेश से आए कई एक विशिष्ट विद्वानों ने विश्वविद्यालय का दौरा किया और व्याख्यान दिए तथा संकाय एवं छात्रों के साथ बातचीत की। दिनांक 22 जून, 2010 को आयोजित हुए 12वें दीक्षांत समारोह में भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी मुख्य अतिथि थे। संकाय ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कई एक पत्रिकाओं में पुस्तिकाओं एवं पत्रों सहित 958 से अधिक अनुसंधान प्रकाशन प्रकाशित किए। राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों जैसे सीएसआईआर, डीएई, आईसीएमआर, डीआरडीओ, डीएसटी, डीबीटी आदि द्वारा वित्त पोषित 132 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ अनुसंधान/परियोजना गतिविधियां इस समय प्रचालन में हैं। विश्वविद्यालय के कई एक संकायों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मानों के लिए भी चयनित किया गया है।

तेजपुर विश्वविद्यालय

वर्ष 1994 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक आवासी शिक्षण एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है।

विश्वविद्यालय के पास चार विद्यालयों नामतः इंजीनियरी विद्यालय, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यालय, प्रबंधन अध्ययन विद्यालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय के अंतर्गत 17 विभाग हैं। वर्तमान में, संकाय क्षमता 172 है तथा नामांकित छात्रों की संख्या 1963 है। विश्वविद्यालय ने हाल ही में, कुछ नए पाठ्यक्रम जैसे–खाद्य अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी में एम.टेक खाद्य अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी में बी टेक तथा भौतिकी, रसायन, आण्विक जीव विज्ञान तथा जैव प्रौद्योगिकी और गणित में एकीकृत एम.एस.सी कार्यक्रम शुरू किए हैं।

शैक्षिक कार्यक्रमों का विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला विषयों पर विशेष फोकस रहता है, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्य को दर्शाता है। इसके पास पहले से ही विकसित उत्कृष्ट वास्तविक ढांचागत सुविधाएं, कुछेक अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, गणक सुविधाएं, इंटरनेट कनेक्टिविटी समर्पित विद्युत आपूर्ति प्रणाली एवं कई एक डिजीटल पुस्तकालयों की कनेक्टिविटी के साथ एक समृद्ध पुस्तकालय है। विश्वविद्यालय के पास छात्रों के लिए 8 सुअभिकल्पित छात्रावास तथा शिक्षकों एवं गैर शिक्षण स्टाफ के लिए पर्याप्त संख्या में रिहायशी आवास हैं। विश्वविद्यालय ने द्विपक्षीय शैक्षिक गतिविधियों के लिए कई संगठनों के साथ करार किया है। जिनमें नाटिंघम विश्वविद्यालय, यूके विश्वविद्यालय, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता, जैव प्रौद्योगिकीय विभाग, भारत सरकार आदि शामिल हैं। इसने "श्रीमंत शंकर देव इन्डोमेंट लेक्चर" की स्थापना की है।

दिल्ली विश्वविद्यालय

देश के अग्रणी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय, कई एक अनुप्रयोगमूलक विषयों में अल्प एवं दीर्घ अवधि के सर्टीफिकेट/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त विभिन्न विषयों की व्यापक रेंज में अधोस्नातक, परा–स्नातक तथा एम फिल/पी एच डी कार्यक्रम प्रस्तावित करता है।

इस विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां 16 संकायों, 87 विभागों, 82 कॉलेजों तथा 63 अन्य केन्द्रों/यूनिटों के माध्यम से चलाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के पास 5 अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान हैं।

विश्वविद्यालय के पास 273 प्रोफेसर, 263 एसोशिएट प्रोफेसर, 231 सहायक प्रोफेसर तथा 10 यूजीसी अनुसंधान वैज्ञानिकों को मिलाकर संकाय की कुल क्षमता 777 है। वर्ष 2009–10 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या 382344 थी, जिनमें से 130988 छात्र कॉलेजों में नामांकित हुए, 14971 विश्वविद्यालय विभागों में, 217469 मुक्त शिक्षण विश्वविद्यालय में, 11300 नॉन कॉलिजियट महिला शिक्षा बोर्ड में एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठ के पास 7616 छात्र थे। शैक्षिक वर्ष 2010–11 से बी एस सी पाठ्यक्रम में सत्र प्रणाली कार्यान्वित की गयी है। संकाय एवं विभागों द्वारा विभिन्न विषयों पर कई एक सम्मेलन, कार्यशालाएं, सेमिनार, संगोष्ठियां एवं व्याख्यान आयोजित किए गए। संकाय सदस्यों को कई एक राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय अकादमियों के अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों/शिक्षावृत्तियों से भी नवाजा गया। कई एक विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों/करारों पर भी हस्ताक्षर हुए।

बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) लखनऊ की स्थापना वर्ष 1996 में संसद के एक अधिनियम

द्वारा की गयी थी जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय एवं जीवन का लोकशाही अंदाज आदि के सिद्ध ांतों, जिनके लिए डा. अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन भर कार्य किया, को प्रोत्साहित करने एवं पढ़ाने के अलावा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विकास के लिए प्रासंगिक कृषि प्रौद्योगिकी तथा ग्रामीण सिल्क सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण एवं सीमांत क्षेत्रों में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए प्रावधान करना एवं शिक्षा की ऐसी शाखाओं में अनुदेशात्मक एवं अनुसंधानात्मक सुविधाओं को मुहैया कराते हुए उन्नत ज्ञान को विकसित करना है।

इन्हीं उद्देश्यों की दिशा में विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए हैं जो रोजगारपरक होने के साथ–साथ सामान्य रूप से भारतीय समाज एवं विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए प्रासंगिक हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास 8 अध्ययन विद्यालयों के अंतर्गत 21 विभाग तथा दो केन्द्र हैं। ये विद्यालय, विश्वविद्यालय के सभी विभागों में स्नातकोत्तर एवं पी एच डी दोनों कार्यक्रम प्रस्तावित करते है।

इस समय विश्वविद्यालय के पास 130 स्वीकृत संकाय पद है, जिनमें से 75 पद पहले ही भर लिए गए हैं और शेष रह रहे खाली पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। विश्वविद्यालय के पास 1144 परा–स्नातक छात्र तथा 218 पी एच डी छात्र हैं, इसे सम्मिलित कर शैक्षिक सत्र 2010–11 में कुल 1362 छात्र नामांकित हुए हैं।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में शिक्षण एवं आवासी विश्वविद्यालय के रूप में की गयी थी, जो देश का सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। इसमें 3 संस्थान, 16 संकाय, 131 विभाग, 5 अंतरविषयक विद्यालय, 1 अंगीभूत कॉलेज, 4 संबद्ध कॉलेज तथा 3 विद्यालय हैं।

वर्तमान मे, यह विश्वविद्यालय 65 अधोस्नातक, 161 परा–स्नातक, 86 डिप्लोमा तथा 18 सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम प्रस्तावित कर रहा है। इस वर्ष के दौरान, नर्सिंग में एक नया अधोस्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। विश्वविद्यालय 185 विभिन्न विषयों में पी एच डी वृत्तिक छात्रों का पंजीकरण करता है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/केन्द्रों में 16 विशेष सहायता कार्यक्रम (सीएएस–7, डीएसए–1 तथा डीआरएस–8), 8 डीएसटी–एफआईएसटी (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास हेतु निधि) कार्यक्रम एवं 7 अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहें हैं। शैक्षिक सत्र 2010–11 में, विश्वविद्यालय ने अधोस्नातक, परा–स्नातक एवं पी एच डी कार्यक्रमों क्रमशः 6863, 4445 तथा 867 की बढ़ी हुई क्षमता के साथ केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2007 के उपबंधों का पूर्ण कार्यान्वयन पूरा कर लिया हैं। वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय के रोल पर कुल 26000 छात्र हैं तथा शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ की संख्या क्रमशः 1486 एवं 5111 है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की स्थापना वर्ष 1969 में की गयी थी। विश्वविद्यालय के पास 36 अध्ययन केन्द्रों वाले 10 विद्यालय हैं तथा इसके अतिरिक्त 3 अन्य स्वतंत्र अध्ययन केन्द्र हैं। इसके शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ की क्षमता क्रमशः 485 तथा 1325 है। अ.जा/अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग छात्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ विश्वविद्यालय में छात्रों की कुल नामांकन संख्या 6153 हैं। यह विश्वविद्यालय भारत तथा विदेश स्थित 68 केन्द्रों पर प्रवेश परीक्षा संचालित कर रहा हैं।

वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय के संकाय ने कई एक पुस्तकों तथा भारत एवं विदेश के प्रमुख शैक्षिक एवं अनुसंधान पत्रिकाओं में अनुसंधान पत्र/लेख प्रकाशित किए तथा संकाय के कई सदस्यों ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों से सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त किए। वर्ष 2009–11 के दौरान अकादमिक स्टाफ कॉलेज ने 9 पुनश्चर्या एवं 5 प्रबोधन पाठ्यक्रम संचालित किए। समीक्षाधीन अवधि के दौरान विश्वविद्यालय ने 3443 नई पुस्तकें अधिगृहीत कीं, इसके साथ ही पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का कुल संग्रह 5,55,933 हो गया है। विश्वविद्यालय ने अब तक विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ 114 समझौता ज्ञापनों तथा 39 सहयोग के करारों तथा 5 छात्र आदान–प्रदान कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए हैं।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत के सबसे प्राचीन विद्यालयों में से एक है, जिसकी स्थापना गर्वनर जनरल की परीषद के एक अधिनियम XVIII द्वारा 1887 में हुई थी। इस विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया है तथा जून 2005 में पारित संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया है। इसके पास कला, विज्ञान, विधि एवं वाणिज्य के संकाय, 11 अंगीभूत कॉलेज तथा एक संस्थान है। विश्वविद्यालय विभागों के रौल में 27000 छात्र

हैं तथा मौजूदा संकाय क्षमता 354 एवं गैर शिक्षण स्टाफ की संख्या 1158 है।

हाल ही में, विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थान एवं केन्द्र शुरू किए है। ये संस्थान हैं – अंतर–विषयक अध्ययन संस्थान (आईआईडीएस) तथा व्यावसायिक अध्ययन संस्थान (आईपीएस), वायुमंडलीय एवं समुद्र अध्ययन केन्द्र तथा कई अन्य।

केन्द्रीय पुस्तकालय के पास छह लाख से भी अधिक पुस्तकों का संग्रह है तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति के 500 अनुसंधान पत्र/पत्रिकाएं हैं। इसे इंफ्लिबनेट एवं भारत के विभिन्न पुस्तकालयों से जोड़ा गया है तथा इसने ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय पत्र/पत्रिकाओं से चंदा अधिगृहित किया है। इसके पास प्रयोक्ता अनुकूल कंप्यूटरीकृत सर्च प्रणाली है और 600 सीटों की क्षमता वाले वाचन कक्ष हैं। ये विश्वविद्यालय शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए पहल कर रहा है तथा सामाजिक विकास में भारी योगदान कर रहा है।

विश्व भारती

विश्व भारती, स्व. गुरूदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1901 में संस्थापित एक शैक्षिक संस्थान है जिसे वर्ष 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया था। यह विश्वविद्यालय प्राथमिक विद्यालय स्तर से स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट स्तर तक की शिक्षा प्रदान करता है।

विश्वविद्यालय के पास 13 संस्थानो–9 शांति निकेतन में, 3 श्रीनिकेतन में तथा एक कोलकाता में, के अंतर्गत समूह रूप में अध्ययन केन्द्रों सहित 40 विभाग हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान, अनुदेश एवं अन्य गतिविधियों के लिए 8 विशेष केन्द्र हैं। विश्वविद्यालय के पास अपने रौल में कुल 7278 छात्र हैं। शिक्षण स्टाफ की क्षमता 598 है।

विश्वविद्यालय ने नए पाठ्यक्रम नामतः शारीरिक विज्ञान में 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम, संथाली में अवर स्नातक पाठ्यक्रम, प्राचीन भारतीय इतिहास में एम फिल पाठ्यक्रम संस्कृति एवं पुरातत्व, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास एवं उड़िया पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। विश्वविद्यालय ने सभी परा–स्नातक तथा लगभग सभी अवर–स्नातक पाठ्यक्रमों में सत्र प्रणाली शुरू की है। अवरस्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय सामान्य परिवेश समीक्षा एवं पी एच डी कार्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए अनुसंधान योग्यता परीक्षा शुरू की है।

अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (ईएफएलयू) , हैदराबाद की स्थापना एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में वर्ष 2007 में हुई थी। केन्द्रीय विश्वविद्यालय की हैसियत प्राप्त करने के उपरांत यह विश्वविद्यालय कार्यकलापों को समेकित करने हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही वर्ष 2010–11 के दौरान विभागों का विस्तार जारी है। विशेषीकृत क्षेत्रों में गतिविधियों को फोकस करने के लिए विश्वविद्यालय ने 5 और विभाग जोड़े है। देश भर के 20 केन्द्रों पर 30 मई, 2010 को पहली एआईईएलटीए की परीक्षा भी संचालित की गयी थी।

विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के तीसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। विश्वविद्यालय ने 2010–11 के दौरान 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिया है। शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों के संबंध में भी सभी श्रेणियों में आरक्षण नीति को कार्यान्वित किया गया है।

उच्चतर शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण

उच्चतर शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बाद आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत विदेश मंत्रालय के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के अतिरिक्त उक्त विश्वविद्यालय ने विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश में विस्तार किया हैं।

आईटीपी (आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत)	– 159
आईईएलओ, यूएसए कार्यक्रम	– 25

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

विश्वविद्यालय ने संकाय एवं छात्र आदान–प्रदान, संयुक्त प्रकाशन, सेमिनार/सम्मेलनों सहित आपसी हित के क्षेत्रों में पूरे विश्व भर के अंतरविश्वविद्यालयों से कई समझौता ज्ञापनों एवं सहायता ज्ञापनों पर करार किए हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय, ड्रेसडेन, जर्मनी के साथ हुए करारों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है और दोनों ओर से प्रत्येक वर्ष छात्रों एवं संकाय का आदान–प्रदान हो रहा है। कैंडी, श्रीलंका में स्थापित अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण केन्द्र उत्पादकीय रूप से कार्य कर रहा है। वहां विश्वविद्यालय के दो संकाय कार्य कर रहें हैं। चालू वर्ष के दौरान यूएसए, फ्रांस एवं मास्को के संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के साथ कई करार किए गए हैं।

सेमिनार, कार्यशालाएं :

क) अक्टूबर, 2010 के दौरान " अल्फ्रेड कोजिब्स्की एवं उनका भाषा संचार, संस्कृति एवं समाज पर प्रभाव" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। (शिलांग कैम्पस)

ख) अगस्त, 2010 में "अन्तदृष्टि : दृश्य संचार का बोध एवं अभ्यास" शीर्षक पर तीन दिन की कार्यशाला आयोजित की गई (फिल्म अध्ययन एवं दृश्य संचार विभाग)।

ग) दिनांक 30.09.2010 एवं 01.10.2010 को "ट्रांसलेटिंग चेखोव" पर एक सेमिनार–सह–कार्यशाला आयोजित की गई (रशियन विभाग)।

घ) "सामाजिक बहिष्करण को समझनाः अवधारणाएं एवं प्रसंग" पर 29 अक्टूबर, 2010 को एक दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गयी (सामाजिक बहिष्करण अध्ययन विभाग)।

प्रकाशन

विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित तीन प्रकाशन शुरू किए हैं –

(1) भाषाकरण, भाषा शिक्षण एवं भाषा विषयों के प्रोत्साहन के लिए एक पत्रिका

(2) ताना–बाना, साहित्य एवं संस्कृति की एक पत्रिका

(3) स्मकाय, हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रोत्साहन के लिए पत्रिका

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। विश्वविद्यालय के उद्देश्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य को सामान्य रूप से इसके उददेश्य के लिए प्रोत्साहित करना, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययन एवं अनुसंधान के सक्रिय सुविधा मुहैया कराना, अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रस्तावित करना, हिंदी की कार्यात्मक प्रभावकारिता को उन्नत करने के लिए अनुवाद, निर्वचन एवं भाषा विषयों जैस क्षेत्रों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, विदेश में हिंदी में रूचि रखने वाल हिंदी छात्रों एवं समूहों तक संपर्क स्थापित करना तथा दूरस्थ शिक्षा–प्रणाली के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाना है।

विश्वविद्यालय के पास चार विद्यालय नामतः भाषा विद्यालय, साहित्य विद्यालय, संस्कृति विद्यालय, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यालय हैं। इसके पास दस विभाग नामतः हिंदी (भाषा प्रौद्योगिकी), गणितीय भाषा विषय, सूचना विज्ञान एवं भाषा इंजीनियरी, हिंदी (तुलनात्मक साहित्य), नाटक शास्त्र एवं फिल्म अध्ययन, महिला अध्ययन, अहिंसा एवं शांति अध्ययन, जन माध्यम एवं संचार, नृविज्ञान, दलित एवं जनजातीय अध्ययन तथा एक बौद्ध अध्ययन केन्द्र है। इस समय विश्वविद्यालय 13 परा–स्नातक (एम ए) पाठ्यक्रम, 07 एम फिल तथा 8 पी एच डी और फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, विधि विज्ञान तथा बौद्ध अध्ययन में पांच डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहा है। विश्वविद्यालय में 41 संकाय एवं 324 छात्र हैं।

विश्वविद्यालय ने अपने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से एमबीए, बीबीए, हिंदी में एमए, ग्रामीण विकास में एमए तथा छह डिप्लोमा/सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने नया पाठ्यक्रम डिजाइन करने हेतु छह कार्यशालाएं तथा 9 सेमिनार आयोजित किए।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद

मौलान आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय वर्ष 1998 में संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार के साथ एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय का अधिदेश एवं लक्ष्य उर्दू भाषा को प्रोत्साहित एवं विकसित करना, उर्दू माध्यम में उच्चतर शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना तथा महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना है।

यह विश्वविद्यालय पूरे देश में 169 अध्ययन केन्द्रों तथा जेद्दा (केएसए) में एक परीक्षा केन्द्र पर दूरस्थ शिक्षा के द्व ारा चार अवरस्नातक, चार स्नातकोत्तर, तीन सर्टीफिकेट दो डिप्लोमा कार्यक्रम प्रस्तावित करता है। लगभग 1.60 लाख (जिनमें से 60000 सक्रिय पंजीकरण में है) कुल छात्रों की क्षमता के साथ विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा के प्रयास को उर्दू भाषियों द्वारा अच्छी तरह स्वीकार किया गया है। विश्वविद्यालय लंदन तथा यूएसए के विभिन्न स्थानों पर परीक्षा केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

विश्वविद्यालय के पास नौ क्षेत्रीय केन्द्र (दिल्ली, पटना, बंगलौर, भोपाल, दरभंगा, कोलकाता, श्रीनगर, मुंबई तथा रांची प्रत्येक में एक) तथा सात उप–क्षेत्रीय केन्द्र (लखनऊ, मेवात, जम्मू, संबल, हैदराबाद, अमरावती तथा पुरानी दिल्ली) हैं। इसके पास छह अध्ययन विद्यालय तथा 14 विभाग हैं। विश्वविद्यालय विभाग विभिन्न विषयों में पीएचडी/एम फिल तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित करता है तथा कैम्पस पर डिप्लोमा, परा–स्नातक डिप्लोमा, अध्यापक प्रशिक्षण, पॉलिटेकनीक एवं आई टी आई व्यवसायी प्रशिक्षण

भी प्रदान करता है। इसके पास लगभग 460 शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ हैं जो मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों आदि पर कार्यरत हैं।

विश्वविद्यालय ने पहले ही तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (दरभंगा, बंगलौर, हैदराबाद प्रत्येक में एक) स्थापित किए हैं जो प्रत्येक व्यवसाय में 40 छात्रों की क्षमता के साथ (इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिानिक मैकेनिक, एसी एवं रेफ्रीजरेशन एवं सिविल ड्रॉफ्ट्समैन) व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय ने हैदराबाद, बंगलौर एवं दरभंगा में पॉलिटेक्निक कॉलेज भी आरंभ किए हैं।

मुख्यालय में एक स्नातकोत्तर अध्यापक शिक्षा विभाग के अलावा श्रीनगर, भोपाल तथा दरभंगा में तीन अध्यापक शिक्षा कॉलेज स्थापित किए हैं।

विश्वविद्यालय के पास उर्दू माध्यम के अध्यापकों का व्यावसायिक विकास केन्द्र, उर्दू भाषा साहित्य एवं संस्कृति केन्द्र, अकादमिक स्टाफ कॉलेज, अनुदेशात्मक मीडिया केन्द्र, सामाजिक समावेशन एवं बहिष्करण नीति केन्द्र तथा महिला अध्ययन केन्द्र और सिविल सेवाओं के लिए आवासी कोचिंग केन्द्र जैसे विशेष केन्द्र हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से केन्द्रीय एवं अन्य सेवाओं में जाने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों एवं महिला छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु यूजीसी योजनाओं के अंतर्गत विश्वविद्यालय ने अल्प संख्यकों एवं महिलाओं के लिए कोचिंग अकादमी स्थापित की है।

यह विश्वविद्यालय मौलान आजाद अध्ययन अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। मौलान आजाद के नाम से एक व्यावसायिक पीठ की मंजूरी प्रदान की गयी है।

विश्वविद्यालय ने आगामी शैक्षिक वर्ष से विज्ञान विषयों के विद्यालय में परा–स्नातक कार्यक्रमों की शुरूआत करने की प्रक्रिया आरंभ की है।

लखनऊ में एक सेटलाइट कैम्पस स्थापित किया गया हैं जो उर्दू, अंग्रेजी, अरबी तथा पारसी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रस्तावित कर रहा है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 1962 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गयी थीः

- शास्त्रीय परंपरा को बचाना।
- शास्त्रों के निर्वचन का कार्य शुरू करना।
- शास्त्रों की प्रासंगिकता को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समस्याओं से संबद्ध करना।
- शिक्षकों के लिए आधुनिक विद्या के साथ–साथ शास्त्रीय विद्या में गहन प्रशिक्षण देने के लिए साधन मुहैया कराना।
- इसके स्वयं के विशिष्ट लक्षण को प्राप्त करने के लिए इसकी शाखाओं में उत्कृष्टता हासिल करना।

इस संस्थान को वर्ष 1987 में मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। संस्थान को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए यूजीसी से वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है।

अप्रैल से दिसम्बर 2010 की अवधि के दौरान शैक्षणिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- आधुनिक ज्ञान–विज्ञान का संकाय : आधुनिक ज्ञान–विज्ञान के संकाय ने 23.11.2010 को आचार्य रमाकांत शास्त्री स्मारक की व्याख्यान माला का आयोजन किया। संकाय ने ज्ञान और अनुसंधान प्राप्तियों को सुदृढ़ करने हेतु पाठ्यक्रमों के परिवर्तन/समीक्षा पर विचार–विमर्श शरू किया।
- साहित्य एवं संस्कृत का संकाय : साहित्य एवं संस्कृत के संकाय ने नवम्बर 2010 में साप्ताहिक सेमिनार एवं व्याख्यान माला आयोजित की, विशेष व्याख्यान माला पदमश्री मंडन मिश्र पर आयोजित की गयी थी। संकाय के पुराण इतिहास विभाग ने भी एक विभागीय पत्रिका 'वैशारदी' का प्रकाशन किया।
- दर्शन संकाय : दर्शन संकाय ने अपने संकाय सदस्यों को विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों में भागीदारी करने के लिए प्रतिनियुक्त किया। संकाय सदस्यों में से एक प्रोफेसर पी.के.दीक्षित को डालमियां पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।
- वेद–वेदांग संकाय : संकाय ने अपने सदस्यों को विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया। ज्योतिष विभाग ने विभागीय पत्रिका 'पंचांग' प्रकाशित की।
- अनुसंधान एवं प्रकाशन विभाग : इस विभाग ने अपनी अनुसंधान पत्रिका 'शोध प्रभा' प्रकाशित की। इस पत्रिका में अनुसंधान संबंधी लेख, विद्यापीठ एवं अन्य संस्थानों के वृत्तिक छात्रों एवं विद्वान अध्यापकों द्वारा प्रकाशित नई पुस्तकों एवं व्याख्यानों की समालोचनाओं

के साथ-साथ प्राचीन प्रकाशित पांडुलिपियों का समावेश होता है।

विद्यापीठ में निम्नलिखित कार्यकलाप भी आयोजित किए गए:

- दिनांक 26.11.2010 को विद्यापीठ का 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ।
- विद्यापीठ के महिला अध्ययन केन्द्र ने "लिंग एवं पाठ्यक्रम" पर एक विस्तार व्याख्यान आयोजित किया। इस केन्द्र ने दिनांक 19.11.2010 को कार्य स्थलों पर यौन शोषण तथा महिलाओं के अधिकारों पर जोर देने के साथ एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 1961 में केन्द्रीय संस्कृत आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक रजिस्टर्ड सोसायटी के रूप में हुई थी तथा तिरूपति में स्थापित की गयी थी। विद्यापीठ ने वर्ष 1991 से एक मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करना आरंभ किया।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ संस्कृत के माध्यम से शास्त्रीय विषयों नामतः साहित्य, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, पुराण इतिहास, मीमांसा, समक्ष्य योग, धर्म शास्त्र एवं आगमास में शिक्षा प्रदान करती है। इन विषयों एवं इससे संबद्ध विषयों में प्रस्तावित पाठ्यक्रम छात्रों को उपाधिपूर्व स्तर, स्नातक, परा-स्नातक से पी एच डी तक शिक्षा हासिल करने के लिए हैं।

सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं

- राष्ट्रीय वैदिक सेमिनार : एआईओसी के 45 वें सत्र के दौरान महर्षि संदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन एवं श्री वेंकेटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय, तिरूपति द्वारा संयुक्त रूप से एक वैदिक सेमिनार विद्यापीठ में आयोजित की गयी।
- संस्कृत कवियों का सम्मेलन: एआईओसी के 45वें सत्र के दौरान विद्यापीठ में दिनांक 3.6.2010 को सांयकाल एक संस्कृत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
- स्वयं शिक्षा किट पर कार्यशाला: दिनांक 9.9.2010 से 13.09.2010 तक विद्यापीठ द्वारा जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी में स्वयं शिक्षा किटों पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी थी।
- पसंद आधारित केडिट प्रणाली पर कार्यशाला: दिनांक 13 एवं 14 अगस्त, 2010 को विद्यापीठ में सीबीसीएस पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी थी।
- वैदिक गणित एवं ज्योतिष के विशेष संदर्भ सहित प्राचीन भारतीय गणित पर राष्ट्रीय कार्यशाला: भारत गणितीय वर्ष योजना के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला 20 से 24 सितम्बर 2010 को आयोजित की गयी थी।
- गैर-शिक्षण स्टाफ के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला: विद्यापीठ के सभी स्टाफ सदस्यों के लिए 17 से 24 दिसम्बर, 2010 तक प्रशासन एवं वित्त पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी थी।
- परामर्शी कार्यशाला: दिनांक 23 से 25 जनवरी, 2011 तक विद्यापीठ में संस्कृत छात्रों के लिए कार्य (नौकरी) अवसरों पर एक तीन दिन की कार्यशाला संचालित की गयी थी।

वर्ष 2010-11 के दौरान विद्यापीठ की अन्य गतिविधियां

- 5वां अखिल भारतीय संस्कृत छात्रों का प्रतिभा पर्व : यह पर्व 22 से 25 जनवरी, 2011 तक आयोजित किया गया था। माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, डा. डी.पुरदेश्वरी ने दिनांक 22.1.2011 को मंडी दिखाकर रैली की शुरूआत की। प्रो. सत्यवृत शास्त्री, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता एवं प्रख्यात संस्कृत विद्वान ने पर्व का उद्घाटन किया। पूरे देश से 18 संस्थानो तथा 165 छात्रों ने इस पर्व में भाग लिया।
- संस्कृत सप्ताह समारोह: 20 से 26 अगस्त, 2010 के दौरान विद्यापीठ में संस्कृत सप्ताह मनाया गया था।

शिक्षा योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए)

राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय एक स्वायत्तता प्राप्त संगठन है जो पूरी तरह से उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इस विश्वविद्यालय के उद्देश्य शिक्षा योजना एवं प्रशासन में अनुसंधान को शुरू करना, प्रोत्साहित करना एवं समन्वित करना है। यह शिक्षा संबंधी योजना एवं प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं परामर्श सेवाएं भी मुहैया कराता हैं। विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्तर पर कार्यरत पदाधिकारियों के साथ-साथ केन्द्र एवं राज्यों के वरिष्ठ स्तर के प्रशासकों को प्रशिक्षित एवं अनुकूलित करता है।

यह अन्य एजेंसियों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा संगठनों के साथ सहयोग करता है तथा उन्हें प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधाएं मुहैया कराता है। यह विश्वविद्यालय, सहृदय शिक्षा उन्मुख समाज के विकास के समग्र उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अध्ययन संचालित करने के

अतिरिक्त शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव साझा करने के विचार से पत्र/पत्रिकाएं एवं पुस्तकें तैयार करता है, मुद्रित कराता है तथा प्रकाशित करता है।

विश्वविद्यालय ने वर्ष 2007 से एक वृहत अन्तर–विषयक सामाजिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य के साथ शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में एम.फिल तथा पी एच डी कार्यक्रम की शुरूआत की है। वर्तमान में 25 छात्र पूर्ण–कालिक पी एच डी एवं 07 अंशकालिक पी एच डी के लिए शोध कर रहें है तथा 21 छात्र एम.फिल कार्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण करता है।

वर्ष 2010–2011 के दौरान बड़ी संख्या में अनुसंधान अध्ययन शरू करने के अलावा 52 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

हाल ही में, एनयूईपीए ने शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में अपना 26वां अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा संचालित किया तथा श्रीमती अंशु बैश, सचिव, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विभाग मंत्रालय, भारत सरकार ने 28 अप्रैल, 2010 को उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

एनयूईपीए ने 10 नवम्बर, 2010 को एक और बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जब प्रो. के.एन. पाणिकर ने नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय के सभागार में शिक्षा, आधुनिकीकरण एवं विकास पर मौलान आजाद स्मारक व्याख्यान दिया एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर एक पुस्तक का विमोचन किया (चित्र सलंग्न)।

यह संकाय, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं उप राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों, जिनमें मानव संसाधन विभाग मंत्रालय, राज्य शिक्षा विभाग, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों, एससीईआरटी, एसआईईएमएटी, यूनेस्को, यूनीसेफ, विश्व बैंक तथा सीडा आदि शामिल है को परामर्शी एवं व्यावसायिक सहायता प्रदान की।

एनयूईपीए शिक्षा योजना एवं प्रशासन तथा अन्तर–विषयक विषयों पर एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय/प्रलेखन केन्द्र का अनुरक्षण करता है। एशियाई क्षेत्र में, शिक्षा योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में यह सबसे समृद्धशाली पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है और यह उन सभी की जरूरतों को पूरा करता है जो विश्व के कोने–कोने से आते हैं।

यह संकाय, अनुसंधान छात्रों तथा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रतिभागियों के साथ–साथ अन्य संगठनों को अंतर –पुस्तकालय ऋण प्रणाली के माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है। शैक्षिक योजना एंव प्रबंधन पर 65000 से अधिक पुस्तकों एवं आवधिक पत्रिकाओं सहित पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र 320 भारतीय एवं विदेशी पत्रिकाओं की खरीद करता है। पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत एवं नेटवर्क से संयोजित यह पुस्तकालय वर्चुअल पुस्तकालय मोड पर आधारित इंटरनेट, ईआरआईसी एवं डेलनेट के माध्यम से विभिन्न संदर्भगत सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच मुहैया कराता है। यह पुस्तकालय ई–जर्नल डाटाबेस में भी योगदान करता है। इसके पास अंतर–पुस्तकालय ऋण सेवाओं की सुविधा है।

इसके अतिरिक्त, एनयूईपीए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्मित नीति के अनुसार शिक्षा पर कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों तथा अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सरकारी/गैर सरकारी संगठनों हेतु सहायता अनुदान की स्वीकृति के मामलों पर भी कार्रवाई करता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान एनयूईपीए को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए 109 प्रस्ताव (अक्टूबर 2010 तक) प्राप्त हुए थे जिनमें से 24 प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे।

तकनीकी शिक्षा

7

तकनीकी शिक्षा

सिंहावलोकन

तकनीकी शिक्षा कुशल जनशक्ति का सृजन करके औद्योगिक उत्पादन बढ़ाकर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके मानव संसाधन का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, अनुप्रायोगिक कला एवं शिल्प, होटल प्रबंधन तथा खान–पान प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रम और कार्यक्रम शामिल हैं।

देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली को विस्तृत रूप से तीन श्रेणियों अर्थात केन्द्र सरकार द्वारा वित्त–पोषित संस्था, राज्य सरकार/राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्था एवं स्वयं वित्त पोषित संस्था में विभाजित किया जा सकता है। 2009–10 में देश में केन्द्र द्वारा वित्त–पोषित 79 संस्थान थे।

तकनीकी और विज्ञान शिक्षा के केन्द्र सरकार द्वारा वित्त–पोषित 79 संस्थान निम्नानुसार हैं:

केन्द्र द्वारा वित्त पोषित संस्थान	संस्थाओं की संख्या
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)	15
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)	11
भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस)	1
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान (आईआईएसआईआर)	5
भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी (एनआईटी)	30
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)	4
राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर)	4
अन्य	9
आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एसपी–3), भारतीय खान विद्यालय (आईएसएम), पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (एनआईटीआई), राष्ट्रीय गढ़ाई और ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएलआईईटी), केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी)	
कुल	79

चार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (बींओटी) हैं।

केन्द्र सरकार निम्नलिखित स्कीमें/कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है:

(i) विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी)

(ii) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु डिजिटल लाइब्रेरी (आईएनडीईएसटी)

तकनीकी शिक्षा प्रणाली के समक्ष प्रमुख चुनौती में से एक एक्ससे, इक्विटी और समावेशन है। चिंता का एक अन्य क्षेत्र, गुणवत्ता और संख्या दोनों में फैकल्टी की अपर्याप्त उपलब्धता हैं। आर एण्ड डी प्रयासों का संवर्धन, तकनीकी संस्थानों से निकलने वाले प्रशिक्षित स्नातकों तथा परास्नातकों के रोजगार के अवसर में सुधार कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

11बीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र प्रायोजित तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में बड़े पैमाने पर विस्तार करने की परिकल्पना की गई है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

क्र. सं.	संस्था का प्रकार	संख्या	
		दसवीं योजना के अंत में मौजूद	11वीं योजना के दौरान स्थापित
1.	आईआईटी	7	8
2.	एनआईटी	20	10
3.	आईआईआईटी	4	20*
4.	आईआईएसईआर	2	3
5.	आईआईएम	6	7
6.	एसपीए	1	2

*प्रस्तावित

1. पहुंचः साम्यता और उत्कृष्टता की पहुंच बढ़ाकर उसे उपलब्ध कराने की सरकार के विजन को कार्यान्वित करने के लिए अनेक नए कदम उठाए गए हैं। आठ (8) नए आई.आई.टी., चार (4) नए आईआईएम और 10

(दस) नए एनआईटी स्थापित किए गए है जो प्रचालन में है। उदयपुर और कश्मीर स्थित आईआईएम वर्ष 2011–12 से प्रचालित हो जाएंगे।

2. गुणवत्ताः तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम में संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया है ताकि बेहतर रोजगारपरकता के लिए उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियर बनाए जा सकें, केन्द्रित अनुप्रयोजनीय अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित किए जा सके, कारगर शिक्षण के लिए संकाय को प्रशिक्षण दिया जा सके तथा संस्थागत और प्रणाली प्रबंधन कारगरता को बढ़ाया जा सके।

3. समावेशनः केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं ने वर्ष 2007–08 को केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन किया है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए दाखिले में 15 प्रतिशत 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पॉलिटेक्निकियों के माध्यम से सामुदायिक विकास की योजना में ग्रामीण युवाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों, अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है और इसमें उन्हें जरूरत आधारित लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलती है। महिला छात्रावासों के लिए 343 पॉलिटेक्निकों को 20 लाख रूपए प्रति पॉलिटेक्निक की राशि मंजूर की गई है। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को समैकिक करने के लिए मौजूदा पॉलिटेक्निकों के स्तर के उन्नयन की योजना तैयार की गई हैं जिसका उद्देश्य तकनीकी और व्यवसाय शिक्षा के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में लाना है।

4. कौशल विकास के लिए समन्वित कार्यवाही के तहत पॉलिटेक्निकों के संबंध में सबमिशनः इस योजना का उद्देश्य पॉलिटेक्निक के माध्यम से रोजगार उन्मुक्त कुशल जनशक्ति बढ़ाना है। इसे योजना के तहत देश के उन हिस्सों में जहां पॉलिटेक्निकों की संख्या शून्य है या जहां संख्या कम है, वहां 300 नए पॉलिटेक्निक स्थापित करने के लिए राज्य/संघ राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जाती है। 300 पॉलिटेक्निकों में से 252 जिलों में नए पॉलिटेक्निक स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त अधारिक सुविधा को सुदृढ़ बनाने तथा महिला छात्रावास बनाने के लिए मौजूदा सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. पूर्वात्तर क्षेत्र में तकनीकी संस्था की स्थापनाः पूर्वोत्तर क्षेत्र में तकनीकी संस्थाएं जैसे (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी (असम), (ii) राजीव गांधी भारतीय प्रबंध संस्थान (आरजीआईआईएम), शिलांग (मेघालय), (iii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), सिलचर (असम), (iv) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी),, अगरतला (त्रिपुरा), (v) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान (एसईआरआईएसटी), इटानगर, अरुणाचल प्रदेश और (vi) केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी) कोकराझार (असम) आदि पूर्वात्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों में निर्माण की योजना के अंतर्गत जम्मू–कश्मीर राज्य तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूदा सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक को वित्तीय सहायता दी गई है। इसके साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर के पूर्वात्तर क्षेत्र के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक की आधारिक सुविधाओं का स्तर बढ़ाने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। देश के जिन जिलों में पॉलिटेक्निक नहीं है या जहां उनकी संख्या कम है वहां नए पॉलिटेक्निक स्थापित करने की योजना के तहत नए पॉलिटेक्निक स्थापित करने के लिए जम्मू कश्मीर के 18 जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 27 जिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

6. अभिशासनः 15.8.2007 से राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम 2007 लागू होने के बाद 20 एनआईटी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किए गए है। अधिनियम के तहत आईआईएसईआर को शामिल करने के लिए एनआईटी (संशोधन) विधेयक 2010, 15 अप्रैल 2010 को लोकसभा में पेश किया गया। 8 नए आईआईटी को इसके दायरे में लाने के लिए तथा आईटीबीएचयू को परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक 1961 में संशोधन के लिए इसे लोक सभा में पेश किया गया है। आईआईटी अधिनियम 1961 की धारा 31 और धारा 30 (2) के तहत राष्ट्रीय

प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) का गठन किया गया हैं। आईआईटी परिषद की धारा–33 और एनआईटी परिषद की धारा–32 के तहत परिषदों को गतिविधियों का समन्वय करने, मामलों में सलाह देने, नीतियां निर्धारित करने, विकास योजनाओं की जांच पड़ताल करने और आगंतुकों को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

7. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के सुधारः चूंकि तकनीकी शिक्षा देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाने में प्रमुख भूमिका निभाता है इसलिए एआईसीटीई को तकनीकी शिक्षा को सुगम वहनीय और जवाबदेह बनाने के लिए सुसाध्य दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। निधियां प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी आमंत्रित कर, प्रणाली में लचीलापन और गतिशीलता लाने की आवश्यकता महसूस की गई। एआईसीटीई ने बेहतर पारदर्शिता लाने, संपूर्ण पारिस्थितिकीय प्रणाली को संस्थान से शिक्षार्थी, शिक्षार्थी से प्रशासक और प्रशासक से नीति तक समेकित करने के लिए सुधार लाने के लिए नए कदम उठाए हैं। इन सुधारों का लक्ष्य इस सांविधिक निकाय को मॉनिटरिंग प्राधिकरण से बदलकर सुविधादाता निकाय बनाना है जो ऐसे नियमों पर आधारित हो, प्रक्रियाओं के जरिए प्रचलित किया जाए और जहां जांच पड़ताल की जा सके तथा सूचना के अधिकार संबंधी शिकायत पर कार्यवाही की जाए। एआईसीटीई का बल अब विकेंद्रीकृत निर्णय लेने पर है। प्रशासनिक प्रतिक्रिया में विभिन्न सुधारों को शुरू करने में शामिल हैः सुरक्षा उपायों में कार्यालय पद्धति में सुधार तथा पारदर्शिता, स्पष्टता, सुझाव और सुनिश्चित संचार बढ़ाने के लिए ई–गवर्नेंस की शुरुआत।

सुधारों की दिशा में प्रमुख पहल के रूप में वर्ष 2010–11 से नई संस्थाओं की स्थापना के अनुमोदन मामलों या अनुमोदन बढ़ाने या अतिरिक्त संख्या के अनुमोदन या नए पाठ्यक्रम आदि पर कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर दी गई है जिसमें आवेदनकर्ता को अपने आवेदन पर नजर रखने की सुविधा प्राप्त हो गई है और इसमें संस्थाओं द्वारा निरीक्षण की बजाय स्वतः–घोषणा की अपेक्षा की जाती है।

एआईसीटीई कार्यरत वर्ग और आर्थिक स्तर की दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लाभ के लिए व्यावसायिक छात्रों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के लिए व्यापक योजना विकसित करने पर विचार कर रही है। इसमें चालू सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) बढ़ाने की क्षमता है।

राष्ट्रीय स्तर की परिषदें

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की स्थापना नवंबर, 1945 में राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में तकनीकी शिक्षा के संबंध में जुड़ी सुविधाओं का सर्वेक्षण करने तथा समन्वित और समेकित रीति से देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में किए गए उल्लेख के अनुसार मानक और स्तर की योजना बनाने, उन्हें तैयार करने और उन्हें बनाए रखने, प्रत्यायन द्वारा गुणवत्ता आश्वासन, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को निधियां प्रदान करने, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन, प्रमाणन और अवार्ड में समानता बनाए रखने तथा देश में तकनीकी शिक्षा के प्रबंधन समन्वित और समेकित विकास के लिए एआईसीटीई को सांविधिक प्राधिकार दिया जाना चाहिए।

भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने तकनीकी संस्थाओं में वृद्धि करने मानकों तथा अन्य संबद्ध मामलों को बनाए रखने के संदर्भ में एआईसीटीई की भूमिका पर नजर रखने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यदल का गठन भी किया है। कार्यदल ने सिफारिश की थी कि एआईसीटीई को अधिक कारगर बनाने के लिए इसे अधिक सांविधिक प्राधिकार दिए जाएं। इसके लिए पुनर्गठन और आवश्यक अवसंरचना तथा प्रचालन तंत्र सहित सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय कार्यदल की उपर्युक्त सिफारिशों के फलस्वरूप संसद के दोनों सदनों में एआईसीटीई विधेयक पुनःस्थापित किया गया और इसे 1987 के एआईसीटीई सं.52 के रूप में पारित किया गया। यह अधिनियम 28 मार्च, 1988 को लागू हुआ। देश भर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना तथा नियोजित मात्रात्मक वृद्धि की तुलना में ऐसी शिक्षा के मात्रात्मक सुधार में वृद्धि तथा तकनीकी शिक्षा प्रणाली तथा उसे संबद्ध मामलों में मानकों और स्तरों के विनियमन तथा रख–रखाव के लिए 12 मई, 1988 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। एआईसीटीई अधिनियम, परिषद को ऐसे सभी कदम उठाने की शक्ति प्रदान करता है जिन्हें वह तकनीकी शिक्षा के समन्वित तथा समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे। परिषद राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डों, व्यावसायिक निकायों और विशेषज्ञों आदि से परामर्श कर अपने कार्य संपन्न करता है।

एआईसीटीई (परिषद) के विस्तार क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम आते हैं जिनमें विभिन्न स्तरों पर इंजीनियरी और

प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण और अनुसंधान, स्थापत्य और नगर योजना, प्रबंधन, फार्मेसी, अनुप्रयुक्त कला और शिल्प, होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी) आदि आते हैं।

एआईसीटीई के बोर्ड और समितियां, कार्यकारी समिति, अखिल भारतीय अध्ययन बोर्ड और आठ क्षेत्रीय समितियां सांविधिक स्वरूप की हैं।

परिषद में 51 सदस्य होते हैं। इस परिषद में अन्य लोगों के साथ–साथ भारत सरकार के विभिन्न विभागों, लोक सभा और राज्य सभा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, परिषद के सांविधिक निकायों की समितियों, तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के संबद्ध क्षेत्रों के व्यावसायिक निकायों और संगठनों की ओर के उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र के संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

कार्यकारी समिति, परिषद द्वारा गठित एक सदस्य निकाय है और यह परिषद द्वारा सौंपे गए सभी कार्य संपन्न करती हैं। कार्यकारी समिति की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष करते हैं और इसमें परिषद के उपाध्यक्ष, भारत सरकार के सचिव, परिषद की क्षेत्रीय समितियों के दो अध्यक्ष; भी शामिल होते हैं। परिषद के अखिल भारतीय अध्ययन बोर्ड के तीन अध्यक्ष; भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में परिषद का एक सदस्य; राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले परिषद के चार सदस्य; तकनीकी शिक्षा के लिए सुसंगत क्षेत्रों में विशेषज्ञता और उत्कृष्टता रखने वाले चार सदस्य; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष; अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान के निदेशक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शामिल होते हैं। एआईसीटीई के सदस्य सचिव कार्यकारी समिति के भी सदस्य सचिव होते हैं।

अखिल भारतीय अध्ययन बोर्ड अपने विषय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शैक्षिक मामलों जिनमें मानक और स्तर, आदर्श पाठ्यचर्या और आदर्श सुविधाएं और पाठ्यक्रम का ढांचा आदि शामिल होते हैं, पर कार्यकारी समिति को सलाह देता हैं। अध्ययन बोर्ड के महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र, संरचना, कार्यकरण और शक्तियां ऐसी होती हैं, जिन्हें परिषद द्वारा उपयुक्त विनियमन के माध्यम से दिया जाता है। आरंभ में, एआईसीटीई अधिनियम में पांच अध्ययन बोर्डों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। बाद में परिषद ने चार और अध्ययन बोर्ड जोड़े, इसके बाद एक और अध्ययन बोर्ड जोड़ा गया है। अध्ययन बोर्डों में 10–15 सदस्य होते हैं और इनकी अध्यक्षता विख्यात विषय विशेषज्ञ द्वारा की जाती हैं। आठ सांविधिक क्षेत्रीय समितियां, जो अलग–अलग भौगोलिक क्षेत्रों से संबंध रखती हैं, परिषद की सहायता करती हैं। ये समितियां, अपने–अपने क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के नियोजन, उन्नयन और विनियमन के सभी पक्षों में परिषद की सहायता करती हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय समिति में 15–20 सदस्य होते हैं, जिनकी अध्यक्षता एक विख्यात इंजीनियर/प्रौद्योगिकीविद करता है।

एआईसीटीई, अधिनियम के खण्ड 10 (ट) अंतर्गत इसे सौंपे गए कार्यों के अनुसार, परिसर नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने को अनुमोदन प्रदान करती है तथा पहले से अनुमोदित संस्थाओं में नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करने को अनुमोदन देती है। संबंधित राज्य सरकारों और संबद्ध विश्वविद्यालयों के परामर्श से अनुमोदन दिए जाते हैं। 2010–2011 के अकादमिक वर्ष के लिए एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित डिग्री स्तर और डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं का ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	कार्यक्रम	डिग्री		डिप्लोमा	
		संस्थाओं की संख्या (एनओआई)	अंतर्ग्रहण	संस्थाओं की संख्या (एनओआई)	अंतर्ग्रहण
1.	इंजीनियरिंग एवं तकनीकी	2686	1050604	1860	550654
2.	वास्तुकला	94	320	00	00
3.	एमसीए	1032	70512	00	00
4.	फार्मेसी	944	60718	292	18365
5.	अप्लाइड आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट	10	575	02	380
6.	एमबीए	1418	132190	00	00
7.	पीजीडीएम	280	36082	00	00
8.	होटल प्रबंधन	69	3585	60	3500
कुल		6533	1357467	2214	572899
	सकल योग	संस्थाएं			8747
		अंतर्ग्रहण			1930376

अवर स्नातक तथा परास्नातक स्तर पर, संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों के परामर्श से एआईसीटीई नए तकनीकी संस्थान आरंभ करने, नए पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम लागू करने और तकनीकी संस्थानाओं में इनटेक क्षमता में अंतर के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। एआईसीटीई ने नए संस्थाओं को चलाने तथा अनुमोदन प्रदान करने, नए पाठ्यक्रम आरंभ करने और डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी संस्थाओं के लिए इनटेक क्षमता में अंतर के लिए संबंधित राज्य सरकारों को शक्तियां प्रत्योजित किया है। संबंधित एजेंसियां अर्थात राज्य सरकारों एवं विश्वविद्यालयों से निर्णय लेने के सभी महत्वपूर्ण स्तरों पर परामर्श किया जा रहा है। स्टेक होल्डरों की कठिनाइयों को कम करने के लिए नए संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया को सुसाध्य बनाया गया है।

केवल महिलाओं के लिए नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने के लिए मानदण्डों में कुछ ढील दी गई है जो इस प्रकार है:

क. भूमि: केवल महिलाओं के लिए स्थापित तकनीकी संस्थाओं के लिए अन्य तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्धारित भूमि मानदण्डों में ग्रामीण श्रेणी में 50 प्रतिशत तक और मेट्रो तथा राज्य की राजधानी श्रेणी में 20 प्रतिशत और महानगरों की श्रेणी में 10 प्रतिशत की ढील दील गई है।

ख. एफडीआर और संसाधन शुल्क: केवल महिलाओं के लिए स्थापित नई तकनीकी संस्थाओं के लिए एफडीआर राशि और संसाधन शुल्क में 20 प्रतिशत ढील की अनुमति है।

महिलाओं, विकलांगों और समाज के कमजोर वर्गों की तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एआईसीटी ने तकनीकी संस्थाओं में महिलाओं, आर्थिक रूप से पिछड़े और विकलांग मेधावी छात्रों का शिक्षण शुल्क माफ करने की योजना शुरू की है। प्रस्तावित याजना सभी एआईसीटीई अनुमोदित तकनीकी संस्थानों के छात्रों पर लागू होती है जो ये कार्यक्रम चलाते हैं: (क) इंजीनियरी, फार्मेसी, होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी), स्थापत्य और अनुप्रयुक्त कला तथा शिल्प (ख) सभी विषयों में तीन वर्ष की अवधि का डिप्लोमा कार्यक्रम। संस्थाएं संस्वीकृत छात्र इनटेक के 10 प्रतिशत छात्रों को फीस माफी प्रदान करेंगी। इसके अतिरिक्त परिसर ने संसाधनों के इष्टतम उपयोग की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है। इस संबंध में परिषद ने निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं:

अनुसंधान और संस्थात्मक विकास (आरआईडी) ब्यूरो परिषद का महत्वपूर्ण स्कंध है जो मूल अनुसंधान, उद्योग संबंधी पारस्परिक बातचीत में वृद्धि के लिए तकनीकी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देता है और युवा अध्यापकों में उत्साह भरता है। इस बड़े मिशन को प्राप्त करने के लिए परिषद के पास अनेक योजनाएं हैं ताकि सभी प्रकार के स्टेक होल्डरों को आकर्षित किया जा सके। इस वर्ष के दौरान परिषद को निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनका मूल्यांकन किया गया और निधियां प्रदान करने के लिए जिन पर विचार किया गया। इनका ब्योरा निम्नानुसार है:

स्कीम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों और संस्वीकृत अनुदान की संख्या	
		प्रस्तावों की संख्या	अनुदान (लाख रू.)
अनुसंधान प्रोत्साहन स्कीम (आरपीएस)	2385	177	1490.46
आधुनिकीकरण और अप्रचलित को हटाना (एमओडीआरओवीएस)	2345	904	9007.34
उद्यमशीलता विकास केन्द्र (ईडीसी)	144	10	114.07
उद्योग संस्थान साझेदारी सेल (आईआईपीएस)	120	47	373.50

संकाय विकास के लिए अनेक योजनाएं हैं नामत: गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी), युवा शिक्षकों के लिए कैरियर अवार्ड (सीएवाईटी), इमेरिटस फेलोशिप, विजिटिंग प्रोफेसरशिप, सेमिनार अनुदान, यात्रा अनुमोदन, स्टाफ विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय डॉक्टरल फेलोशिप, एआईसीटीई–आईएनएई विशिष्ट विजिटिंग प्रोफेसरशिप और प्रोफेशनल सोसाइटी/निकायों को वित्तीय सहायता। गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी) के तहत डिग्री स्तर की संस्थाओं के संकाय सदस्यों को अपनी योग्यता मास्टर स्तर और पीएचडी स्तर तक बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाता है। क्यूआईपी (पोलिटेक्निक) योजना के अंतर्गत पोलिटेक्निक के अध्यापक मास्टर डिग्री कार्यक्रमों के लिए अध्ययन कर सकते हैं। क्यूआईपी योजना के अंतर्गत विकास तथा अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए

जाते हैं। इमेरिटस फेलोशिप योजनाओं में अधिवर्षिता प्राप्त सदस्यों को फेलोशिप और आकस्मिक अनुदान देकर उन्हें दो वर्ष तक अनुसंधान जारी रखने के लिए सहायता दी जाती हैं। विजिटिंग प्रोफेसर योजना के अंतर्गत विख्यात शिक्षाविद और प्रौद्योगिकीविद अपनी मेजबान संस्थाओं को आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। युवा अध्यापकों के लिए करियर अवार्ड योजना, यात्रा अनुदान और सेमिनार अनुदान के माध्यम से नियमित संकाय को वित्तीय सहायता दी जाती है। स्टाफ विकास कार्यक्रमों को नए अध्यापकों को अपने शिक्षण कौशल बढ़ाने में मदद मिलती है। व्यावसायिक सोसाइटियों/निकायों को भी विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनावर्ती अनुदान दिए जाते हैं। एआईसीटीई और भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी (आईएनएई) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एआईसीटीई–आईएनएई विशिष्ट विजिटिंग प्रोफेसरशिप से संस्थाओं को उद्योग जगत के अनुभवी पेशेवरों की विशेषज्ञता प्राप्त करने में मदद मिलती है। वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत समर्थित कार्यक्रमों/गतिविधियों तथा प्रदान की गई फेलोशिप की संख्या नीचे दी गई है:

स्कीम	अनुमोदित प्रस्तावों और संस्वीकृत अनुदान की संख्या	
	प्रस्तावों की संख्या	अनुदान (लाख रू.)
(लाख रू.)		
युवा अध्यापकों को करियर अवार्ड	30	138
सेमिनार अनुदान	257	253.42
यात्रा अनुदान	161	38.95
कर्मचारी विकास कार्यक्रम	209	798.25
राष्ट्रीय डॉक्टरल फेलोशिप	38	99.18

कौशल विकास तथा ज्ञान के आदान–प्रदान का अवसर उपलब्ध कराने के लिए एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा में अध्यापकों के करियर विकास के लिए अनेक कार्यक्रम जैसे गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी), पाठ्यक्रम सामग्री मॉड्यूल की तैयारी, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, युवा अध्यापकों के लिए करियर अवार्ड, यात्रा अनुदान और सेमिनार अनुदान आदि प्रदान करने जैसी योजनाएं चलाता है। एआईसीटीई ने अब क्यूआईपी स्कीम को तकनीकी शिक्षा के अन्य क्षेत्र जैसे फार्मेसी, स्थापत्य और नगर आयोजना, प्रबंधन और अनुप्रयुक्त कला तथा शिल्प में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी लागू कर दिया है, ताकि वे मास्टर/पीएचडी डिग्री प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त क्यूआईपी स्कीम पोलिटेक्निक अध्यापकों पर भी लागू कर दी गई है। इमेरिटस फेलोशिप स्कीम के तहत फेलोशिप और आकस्मिक अनुदान प्रदान कर एआईसीटीआई अधिवर्षिता प्राप्त संकाय सदस्यों को दो वर्ष के लिए अनुसंधान कार्य जारी रखने का अवसर प्रदान करती है।

एआईसीटीई विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी जनशक्ति की अल्पकालिक और दीर्घकालिक आवश्यकता का आकलन करने तथा मांग और पूर्ति में अनुमानित अंतराल का आकलन करने तथा मॉडल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण करने हेतु राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली (एनटीएमआईएस) नामक स्कीम को निधियां प्रदान करती है। एनटीएमआईएस नामक यह योजना वर्तमान में 20 नोडल केन्द्रों से देश भर में चलाई जा रही है।

तकनीकी शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाने के प्रयास के भाग के रूप में एआईसीटीई मॉडल पाठ्यचर्या के विकास के लिए प्रयास जारी रखे हुए है।

एकीकृत कैम्पस विकास

परिषद तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्र इकाई के रूप में तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। निर्धारित मानदंडों तथा मानकों से समझौता किए बिना अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के साथ तकनीकी संस्थाओं का विकास सुनिश्चित करने के लिए परिषद ने बहुविद्या वाले एकीकृत कैम्पस के विकास को अनुमति दी है, जिनमें विभिन्न कार्यक्रम अर्थात इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी तथा तकनीकी शिक्षा के कुछ अन्य क्षेत्रों को उसी कैम्पस में कार्यान्वित किया जा सकता है, जो जनशक्ति के इष्टतम उपयोग, नेटवर्क की सुविधा, लैब, वर्कशॉप, लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करेंगे तथा अंतर–अनुशासनिक बातचीत तथा बेहतर शिक्षा के वातावरण के साथ शैक्षणिक एकीकरण की गुंजाइश भी प्रदान करेंगे। यह एक ऐसे एकीकृत संस्थाओं को सिनर्जी विकसित करने और सामान्य सुविधाओं का उपयोग तथा बदले में शिक्षा की लागत को कम करने में समर्थ बनाएगी। ऐसे संस्थान प्रबंधन तथा कंप्यूटर अनुप्रयोग पाठ्यक्रमों में एकीकृत अवर स्नातक तथा परास्नातक स्तरों पर इंजीनियरिंग कार्यक्रमों की मुख्य धारा के साथ अनुसंधान कार्यक्रम भी प्रदान कर सकते हैं।

ई–गवर्नेंस

एआईसीटीई और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन (एनबीए) के वेब पोर्टल क्रमशः url:www.aicteindia.org और URI: www.nba-india.org जनवरी, 2010 में प्रारंभ किए गए। यह पहल एआईसीटीई को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यकुशलता और तेजी लाने के प्रयास का भाग हैं। इस पोर्टल से लोगों को परस्पर विचार करने का अवसर प्राप्त होगा जिसमें उत्तरदायी सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र होगा। एआईसीटीई द्वारा की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलें इस प्रकार हैं:

- जनवरी, 2010 से अनुमोदन/नवीकरण और इनटेक में वृद्धि के लिए आवेदन पत्रों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुरू कर दी गई है।
- आशय पत्र (एलओआई) हटा दिया गया है। केवल अनुमोदन पत्र (एलओए) जारी किया जाएगा।
- इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों में सीटें बढ़ाकर क्रमशः 240 से 300 और 60 से 120 कर दी गई हैं।
- मेट्रो और मेगा शहरों में भूमि आवश्यकता संबंधी मानदंडों में कमी।
- पढ़ाई के लिए बढ़ाए घंटों में क्रेडिट ट्रांसफर के प्रावधान सहित मॉड्यूलर शैक्षिक कोर्स की पेशकश करने के लिए तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमति प्रदान करना तथा दूसरी पाली में इन कार्यक्रमों की पेशकश करने की अनुमति देना ताकि उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सके।
- दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की शैक्षिक संस्थाओं के लाभ के लिए गुड़गांव में तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की शैक्षिक संस्थाओं के लाभ के लिए गुवाहाटी में नए कैम्पस ऑफिस खोलना।
- वाशिंगटन अवार्ड की पूरी सदस्यता के लिए अर्हक बनने हेतु एआईसीटीई के स्वतंत्र निकाय के रूप में नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन (एनबीए) की स्थापना।
- निरंतर परिवर्तनशील जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजीडीएम) को विभिन्न क्षेत्रों में सीटों के बंटवारे में प्रबंधन संस्थाओं को 25 प्रतिशत लचीलापन प्रदान करना।
- शैक्षिक बोर्डों में विदेशी विशेषज्ञों को सहयोजित करना।
- एमएस विश्वविद्यालय, बड़ौदा के माध्यम से फार्मेसी स्नातकों के लिए प्रथम ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूट टेस्ट (जीपीएटी) का आयोजन करना।
- एक संसाधन चक्र में केवल एक अपील

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)

बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की स्थापना 'प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961' के अधीन राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हैः इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना, सुसंगत क्षेत्र में अनुसंधान करना तथा अध्ययन में उन्नत और ज्ञान का प्रसार करना। ये संस्थान मूल विज्ञानों और मानविकी में शिक्षा और अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

आईआईटी विभिन्न इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी शाखाओं और स्नातक; विशिष्टता सहित स्नातकोत्तर कार्यक्रम और विभिन्न इंजीनियरिंग विज्ञान विषयों तथा अंतर–विषयी क्षेत्रों में पीएचडी कार्यक्रम चलाते हैं तथा मौलिक, अनुप्रयुक्त और प्रायोजित अनुसंधान करते हैं। संप्रति आईआईटी, बीटेक, एमएससी, एम डिजाइन, एमफिल, एमटेक तथा पीएचडी डिग्रियां देते हैं। आईआईटी अध्यापन की गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसंधान बनाए रखे हुए हैं। संस्थान, उद्योग जगत में उभरती हुई प्रवृत्तियों के अनुरूप पाठ्यचर्या का निर्धारण और संशोधन करते रहते हैं। वे गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों के संकाय का ज्ञानवर्धन करने में भी सहयोग देते हैं। प्रारंभिक संकाय विकास कार्यक्रम (ईएफडीपी) के मेजबान के रूप में आईआईटी संबंधित क्षेत्रों की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बिंदु की तरह काम करता है।

आईआईटी देश की तकनीकी–आर्थिक शक्ति में वृद्धि करने और प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में प्रभावी रहे है। आईआईटी ने अपने शैक्षिक कार्यकलापों और अनुसंधान कार्यक्रमों की उत्कृष्टता के जरिए अपनी पहचान बनाई है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में अनुसंधान, औद्योगिक परामर्श तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम भी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आईआईटी ने महत्वपूर्ण योगदान किया है।

बड़ी संख्या में छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में मौजूदा आईआईटी की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा रही है। नई प्रौद्योगिकियों में हो रहे परिवर्तनों के साथ गति बनाए रखने के लिए चिह्नित क्षेत्रों जैसे नई सामग्री, गैर विनाशक मूल्यांकन प्रौद्योगिकी, हाई स्पीड नेटवर्किंग और वायरलेस प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और बायो–इनफॉर्मेटिक, लघु सामग्री, पर्यावरणात्मक ऊर्जा, चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मेडिकल इंस्ट्रूमेंशन,

इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी आदि में नए कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।

मौजूदा सात आईआईटी के अलावा सरकार ने 2008–09 में हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), पटना (बिहार), जोधपुर (राजस्थान), गांधीनगर (गुजरात), भुवनेश्वर (उड़ीसा) रोपड़ (पंजाब) में छः नए आईआईटी तथा मध्य प्रदेश के इंदौर और हिमाचल प्रदेश के मंडी में दो नए आईआईटी स्थापित किए। जबकि पहले छः नए आईआईटी में प्रवेश शैक्षिक सत्र 2008–09 से शुरू हो गया, मध्य प्रदेश (इंदौर) और हिमाचल प्रदेश (मंडी) स्थित शेष दो आईआईटी में प्रवेश शैक्षिक सत्र 2009–10 से शुरू हुआ।

आईआईटी के यूजी कार्यक्रमों में छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईआईटी–जेईई) के आधार पर तथा पीजी कार्यक्रमों में इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता (गेट) परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (आईआईटी) केजीपी की स्थापना 1951 में 2100 एकड़ क्षेत्र में फैले हरे–भरे परिसर में की गई और इसे आईआईटी सिस्टम का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के जरिए राष्ट्र निर्माण और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान की वृद्धि और प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए उदीयमान दिशाओं में नए प्रयास करना जारी रखा। इस संस्थान में 19 शैक्षिक विभागों के अतिरिक्त 15 बहुविषयी केन्द्र और स्कूल तथा अनेक उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास इकाइयां तथा प्रयोगशालाएं एवं केन्द्रीय अनुसंधान संकाय हैं। संस्थान में लगभग 530 संकाय सदस्य, लगभग 8000 छात्र तथा लगभग 1250 सहायक स्टाफ हैं जा श्रेष्ठ तथा उत्कृष्ट वैज्ञानिक, इंजीनियर और प्रबंधन तैयार करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करते हैं।

शैक्षिक कार्यक्रम

संस्थान इस समय इंजीनियरिंग की 15 विभिन्न शाखाओं में बीटेक (ऑनर्स) पाठ्यक्रम, वास्तु कला में एक बी आर्क (ऑनर्स) पाठ्यक्रम, पैंतीस दोहरा डिग्री कार्यक्रम, सात एकीकृत एमएससी कार्यक्रम, छह दो वर्षीय एमएससी कार्यक्रम, एमटेक, एमसीपी, एमबीएम और एमएमएसटी डिग्री वाले 52 परास्नातक डिग्री कार्यक्रम के अलावा एक एलएलबी डिग्री और एक परास्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता हैं। परिवर्तनशील जगत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर बल देते हुए इन कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में लगातार संशोधन किया जाता है। हाल ही में अवर स्नातक पाठ्यचर्या संशोधन में जैव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के महत्व को देखते हुए इन्हें अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। 17 जुलाई, 2010 को 56वें दीक्षांत समारोह में 1671 डिग्रियां प्रदान की गई, जिनमें 150 पीएचडी, 28 एमएस, 571 एमटेक, 24 एमसीपी, 79 एमबीए, 190 दोहरी डिग्री, 8 एमएमएसटी, 17 एलएलबी, 13 पीजीडीएसटी, 198 एमएससी, 375 बीटेक (ऑनर्स) और 18 बीआर (आनर्स) डिग्रियां शामिल हैं।

पिछले शैक्षिक वर्ष में आईआईटी, खड़गपुर ने अनेक नए शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये हैं: भूमि और जल संसाधन इंजीनियरिंग में एमटेक, खाद्य संसाधन इंजीनियरिंग में एमटेक तथा मानव संसाधन प्रबंधन में दो वर्षीय मास्टर कार्यक्रम। दो नए पांच वर्षीय दोहरी डिग्री के कार्यक्रम, एक इंजीनियरिंग उद्यमशीलता में और दूसरा वित्तीय इंजीनियरिंग में शुरू किए गए। साथ ही दोहरी डिग्री के कार्यक्रमों की शुरुआत का व्यापक स्वागत हुआ है।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां

वर्षों से आईआईटी, खड़गपुर ने सभी प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठतापूर्वक कार्य करके वीएलएसआई और एमईएमएस के लिए उन्नत चिप डिजाइन और सीएडी, सॉफ्टवेयर विकास, आयोजना, प्रबंधन और ईआरपी में विशेषज्ञता हासिल की है। आरएफ अनुप्रयोग के लिए एमईएमएस आधारित घटकों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के संबंध में अनुसंधान शुरू किया गया है। रिलायबिलिटी इंजीनियरी में अनुसंधान के लिए उन्नत सुविधा स्थापित की गई है। विशिष्टीकृत सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों के विस्तृत दायरे में शामिल हैं: पावर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर (वर्तमान में अनेक राज्यों के अनेक दूरस्थ स्थलों पर प्रयोग में लाया जा रहा है), शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए कम्युनिकेशन एम्पावरमेंट सॉफ्टवेयर, मेडिकल माप के लिए सॉफ्टवेयर तथा सुरक्षा और बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन के लिए उपकरण। विकसित किए गए अन्य महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर में शामिल हैं: विशिष्टीकृत बॉण्ड ग्राफ आधारित प्रौद्योगिकी, बायोमकेनिक्स के लिए साइमलटेटर्स, तथा स्टॉर्म सर्ज मेजरमेंट के लिए फ्लूइड मेकेनिक्स और ओशन डायनेमिक्स आधारित सॉफ्टवेयर। वर्चुअल लैब और ई–लर्निंग शिक्षा शास्त्र के विकास के लिए दो मिशन संस्थान द्वारा समन्वित किए जा रहे हैं। देश के सभी प्रमुख संस्थान इन परियोजनाओं में भागीदार हैं।

जीवन विज्ञान के क्षेत्र में संस्थान का एक कृत्रिम हृदय विकास कार्यक्रम है जो दूसरे चरण के परीक्षण से गुजर रहा है। एक अद्वितीय पुरुष कंट्रासेप्टिव, आरआईएसयूजी परीक्षण के तीसरे दौर से गुजर रहा है। अंतर–विषयी अनुसंधान क्षेत्रों में शामिल हैं: नॉन इनवैसिव मेजरमेंट, एडवांस इमेज प्रोसेसिंग, मेडिकल इम्प्लांट, प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस, ड्रग डिजाइन और ऑर्थोपैडिक बायोमेकेनिक्स। हरित प्रौद्योगिकी रूट ने इन्सेक्ट रेसिस्टेंट कॉटन, जूट के लिए बायो हाइड्रोजन, चाय की हरी पत्ती से एंटी–कार्सिनोजेनिक घटक के पृथक्करण और शुद्धीकरण के संबंध में अद्वितीय प्रोटोकॉल तैयार किए है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान से अनेक खाद्य प्रौद्योगिकियों के लिए उच्च कोटि की अनेक एंजाइम संबंधी प्रक्रियाएं प्रकाश में आई है। उच्च मूल्य वाली नष्ट होने वाले पदार्थों के संसाधन के लिए उच्च दबाव पर अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। इसी प्रकार सेल आधारित बोन टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए नैनो बायोकंपोजिट ओस्टेजेनिक मैट्रिक्स, इनबर्टोकल्चर तकनीक के माध्यम से बीमारी रहित शुद्ध आलू की किस्म के उत्पादन, एलोविरा संसाधन और लो ग्रेड लिग्नाइट के जैव डिपोलीमेराइजेशन में भी अनुसंधान कार्य किए जाते है।

नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो सामग्री में मुख्य अनुसंधान पहलों में शामिल हैं: नैनो कंपोजिट, नैनो वायर, सेमी कंडक्टर और मेटल एलॉय के संबंध में कार्य। एमबीई क्लस्टर टूल नैनो–सेमी कंडक्टर और नैनो डिवाइसेज को विकसित करने के लिए प्रमुख अनुसंधान पहल शुरू की गई है। माइक्रो फ्लूइड और बायो नैनो–मेम्स के क्षेत्र में डीएनए हाईब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और डिजिटल माइक्रो फ्लूइड्स के माइक्रो स्केल कूलिंग के लिए नई तकनीकें विकसित की गई हैं।

प्रायोजित अनुसंधान और औद्योगिक परामर्श

आईआईटी, खड़गपुर, उद्योग–शिक्षा जगत की भागीदारी में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं में भागीदारी स्थापित कर, संस्थान में विकसित प्रौद्योगिकियों को प्राप्त कर और संस्थान से परामर्शदात्री सहायता प्राप्त कर उद्योगों के साथ समन्वय कर रहा है। हाल के वर्षों में अनुसंधान संबंधी की गई प्रमुख पहलों में शामिल हैं: रेल अनुसंधान, इस्पात प्रौद्योगिकी केन्द्र, जीवीसी के सहयोग से ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास केन्द्र, टी इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, वोडाफोन–ईएसएसएआर–आईआईटी खड़गपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टेलीकम्युनिकेशन, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इनफॉर्मेशन एश्योरेंस, नेशनल फेसिलिटीज फॉर ईपीएमए, जनरेल मोटर कोलोबोरिटी रिसर्च लैबोरेटरी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एण्ड सॉफ्टवेयर (ईसीएस) एण्ड ए रिजनल सेंटर फॉर रूरल टेक्नोलॉजी ऐक्शन ग्रुप (आरयूटीएजी)।

वर्ष 2009–10 के दौरान संस्थान को सरकार, निजी और अंतर्राष्ट्रीय निधि प्रदान करने वाली एजेंसियों और उद्यमों से 141.92 करोड़ रूपए (31.56 मिलियन अमेरिकी डालर) की 194 अनुसंधान परियोजनाएं और 10.12 करोड़ रूपए (2.25 मिलियन अमेरिकी डालर) की 125 परामर्शी परियोजनाएं इस प्रकार कुल 152.04 करोड़ रूपए (31.81 मिलियन अमेरिकी डालर) की 323 परियोजनाएं प्राप्त हुई।

भारतीय प्रौद्योगकी संस्थान, बम्बई

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई की गणना विश्व के शीर्षस्थ तकनीकी विश्वविद्यालयों में की जाती है। संस्थान, औद्योगिक डिजाइन, मानविकी, समाज विज्ञान और प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। यह सतत शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के जरिए अपने अभिनव अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के लिए भी स्थान बनाता रहा है। आईआईटी मुम्बई से निकले छात्रों ने भारत और विदेशों में प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता, प्रबंधन और शैक्षिक कार्यक्रमों में उल्लेखनीय योगदान किया है।

जुलाई, 2009 में संस्थान ने 726 अवर स्नातक (जेईई के माध्यम से) कार्यक्रम 168 को दो वर्षीय एमएससी, 676 को एमटेक और 289 छात्रों को पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश दिया। निम्नलिखित कार्यक्रमों में भी छात्रों को प्रवेश दिया गया: एमडेस–57, एमफिल–15, एमएमजीटी–101 और एमएससी तथा पीएचडी दोहरी डिग्री–29 ।

वर्तमान में आईआईटी मुम्बई में विभिन्न यूजी, पीजी और पीएचडी कार्यक्रमों में छात्रों की संख्या 6366 है। शैक्षिक कार्यक्रमों से सभी स्तरों पर सर्वोत्तम छात्र आकर्षित हो रहे हैं। अनुसंधान और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी जनशक्ति के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने की महत्वाकांक्षा से इस संस्थान में अपने पीएचडी कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया है। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए छात्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह तथ्य कि उनमें से अधिकांश (60 प्रतिशत) ने इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि देश में तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकता बढ़ी है।

वर्ष 2009–10 के दौरान छह भारतीय पेटेंट दाखिल किए गए। दो टीसीटी आवेदन पत्र और एक यूएस आवेदन पत्र भी दाखिल किया गया। पहले दाखिल किए गए

दो भारतीय पेटेंट आवेदन पत्रों को स्वीकार किया गया। इस अवधि के दौरान अंतरित की गई कुछ प्रौद्योगिकियां हैं– मृदा जैव प्रौद्योगिकी, हिंदी वर्ड नेट और कोरोजन सिमुलशन सॉफ्टवेयर सतत शिक्षा और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत सीईपी ने 48 कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें 940 उम्मीदवारों ने भाग लिया तथा 141.80 लाख रू. की आय हुई। इनमें से एक कार्यक्रम गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत दुबई में आयोजित किया गया, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 11 छात्रों को एमटेक तथा 18 को पीएचडी कार्यक्रमों में दाखिला दिया गया। इसी प्रकार पीएचडी संपर्क कार्यक्रमों में 20 छात्रों को प्रवेश दिया गया। चार अल्पकालिक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें कॉलेज के 77 अध्यापकों ने भाग लिया। पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पुस्तक लेखन के लिए चार प्रस्ताव अनुमोदित किए गए।

संस्थान के संकाय सदस्य अनेक प्रकार से योगदान करते हैं। शैक्षिक और अनुसंधार कार्यों के अतिरिक्त वे विभिन्न राष्ट्रीय समितियों में सदस्यता के माध्यम से राष्ट्रीय और वैश्विक जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। वे पत्रिकाओं के और पेपरों के संपादक और समीक्षक के रूप में भी काम करते हैं।

इस अवधि के दौरान अंतरित मुख्य प्रौद्योगिकियां/डिजाइन हैं– मृदा जैव प्रौद्योगिकी, हिंदी वर्ड नेट, एजूकेशनल रोबोट, वी–ट्रफ कंसट्रेटेड मॉड्यूल, कोरोजन सिम्युलेशन साफ्टवेयर और मांड गेम्स/सीईपी ने 160 कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 4500 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से दो कार्यक्रम दुबई में और छह गुजरात के गांधी नगर स्थित आईआईटी विस्तार केंद्र में आयोजित किए गए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (आईआईटीएम) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1959 में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य उच्च तकनीकी शैक्षिक अनुसंधान और परामर्श को बढ़ावा देना था। इस संस्थान में 16 विभाग और 5 अनुसंधान केंद्र हैं। परिसर 256 हेक्टेअर वन भूमि में फैला हुआ है और इसमें 13000 लोग रहते हैं। आईआईटीएम एरो स्पेस इंजीनियरिंग (एई), जैव प्रौद्योगिकी (बीटी), रासायनिक इंजीनियरिंग (सीएच), सिविल इंजीनियरिंग (सीई), कंप्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग (सीएस), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (ईई), इंजीनियरिंग डिजाइन (ईडी), मकेनिकल इंजीनियरिंग (एमई), मेटालर्जिकल और मेटेरियल इंजीनियरिंग (एमएम) और ओशन इंजीनियरिंग (ओई) में यूजी, दोहरी डिग्री और पीएफ कार्यक्रम की पेशकश करता है। इसी प्रकार मानविकी और सामान्य विज्ञान (एचएच) में समेकित मास्टर कार्यक्रम चलाता है। जैव प्रौद्योगिकी, सिविल इंजीनियरिंग, मकेनिकल इंजीनियरिंग तथा ओशन इंजीनियरिंग में इस समय प्रयोक्ता के अनुकूल एमटेक कार्यक्रमों की पेशकश की जाती है। श्रीचित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी, त्रिवेंद्रम और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लूर के सहयोग से नैदानिक इंजीनियरी (क्लीनिकल इंजीनियरिंग) में न्यू मल्टी इंस्टीट्यूट एमटेक और बायोमेडिकल डिवाइसेज एण्ड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में पीएचडी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। एमएस औरपीएचडी कार्यक्रमों में अनुसंधान उत्कृष्टता पर बल दिया जाता है और एमटेक क्लीनिकल इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में अस्पतालों में से तथा देश की चिकित्सीय प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंधन पर बल दिया जाता है। यह संस्थान सभी 16 विभागों में पीएचडी कार्यक्रम, 12 विभागों में एमएस कार्यक्रम, 24 क्षेत्रों/विशिष्ट क्षेत्रों में एमटेक कार्यक्रम, 3 शाखाओं में एमएस कार्यक्रम, 10 शाखाओं में बीटेक कार्यक्रम, 14 शाखाओं में दोहरी डिग्री (बीटेक) और एमटेक) कार्यक्रम, एमबीए कार्यक्रम और एमए समेकित कार्यक्रम तथा अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के तैयारी पाठ्यक्रमों की पेशकश करता हैं।

वर्ष 2009–10 के दौरान 173 पीएचडी थीसिस और 99 एमएस थीसिस पूरे किए गए। 1012 शोध पत्रों में से 791 संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में और 221 राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए। 617 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए जिनमें से 415 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में और 202 राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2009–10 में दो पेटेंट दाखिल किए गए हैं और 3 पेटेंट प्रदान किए गए। आईआईटी मद्रास राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी वर्धित शिक्षण (एनपीटीईएल) के लिए समन्वयकर्ता संस्थान है, जो 7 आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल को आगे बढ़ा रहा है। प्रथम चरण में 120 वीडियो आधारित पाठ्यक्रम और 129 वेब आधारित कार्यक्रम विकसित किए गए हैं जो वेबसाइटः http:èènptel.iit.ac.in और यूट्यूब के जरिए http:èèwww.youtube.comèiit पर आसानी से उपलब्ध हैं। एनपीटीईएल के अंतर्गत इंजीनियरी, भौतिक विज्ञान, मानविकी, समाज विज्ञान और प्रबंधन में संभावित आन लाइन प्रमाणन कार्यक्रम के साथ 900 से अधिक अतिरिक्त अवर स्नातक स्तर के वेब तथा वीडियो पाठ्यक्रमों के सृजन के लिए चरण–।। और चरण–।।। की तैयारी चल रही है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की स्थापना 1959 में की गई थी। आईआईटी, कानपुर भारत के शीर्षस्थ प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक के रूप में विकसित हो चुका है जिसका प्रमुख बल इंजीनियरिंग और विज्ञान में अनुसंधान तथा अवर स्नातकों और परास्नातकों को पढ़ाने पर है। आईआईटी, कानपुर का परिसर 4.3 वर्ग किलोमीटर में फैला है जो शहर के उत्तर–पश्चिम में स्थित है। सभी भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों (आईआईटी) में कानपुर आईआईटी का परिसर दूसरा सबसे बड़ा परिसर (1055 एकड़) है। सबसे बड़ा परिसर खड़गपुर का हैं।

इस परिसर में आत्म–संतुष्ट लोग जैसे छात्र संकाय सदस्य और और कर्मचारी रहते हैं। यहां एक अस्पताल, खेल का मैदान और तरणताल है। स्कूलों को परिसर बच्चों के लिए अवसर दिया जाता है और पूर्व छात्रों द्वारा समर्थित 'अवसर स्कूल' स्थानीय बच्चे के स्थानीय दिवस और यदा–कदा कामगारों की जरूरत पूरी करता है।

इंजीनियरिंग के अवर स्नातक पाठ्यक्रम हैः चार वर्षीय बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बीटेक) और पांच वर्षीय दोहरी डिग्री के कार्यक्रम/संस्थान शुद्ध और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में 5 वर्षीय समेकित मास्टर ऑफ साइंस डिग्री तथा अर्थशास्त्र में कार्यक्रम की पेशकश करता है। अर्थशास्त्र से जुड़े कार्यक्रम के जरिए इंजीनियरिंग और मानविकी के छात्रों के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है क्योंकि कार्यक्रम के छात्रों को गणित, कंप्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग और शुद्ध विज्ञान पाठ्यक्रमों तथा शुद्ध अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रमों में शिक्षा दी जाती है।

इंजीनियरिंग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एमटेक) और पीएचडी डिग्री की पेशकश की जाती है। संस्थान एमबीए (दो वर्ष), एमएससी (दो वर्ष) और एमडेस डिग्री की भी पेशकश करता है। इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से एम.टेक. में एक बार प्रवेश दिया जाता है। एमबीए में प्रवेश, संयुक्त प्रबंधन प्रवेश परीक्षा द्वारा दिया जाता है। यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष ली जाती है और इसमें परीक्षा के बाद सामूहिक विचार–विमर्श/व्यक्तिगत साक्षात्कार भी लिया जाता है।

संस्थान के पुस्तकालय में 3,00000 से अधिक पुस्तकें हैं और यहां 1000 से अधिक आवधिक पत्रिकाएं मंगाई जाती हैं। यह तिमंजिले भवन में स्थित है जिसका कुल फ्लोर एरिया 6973 वर्ग मीटर हैं। एब्सट्रेक्टिंग और इनडेक्सिंग पीरियोडिकल, माइक्रोफार्म और सीडी–रोम डेटाबेस तकनीकी रिपोर्टें, स्टेंडर्ड और थीसिस संग्रह के अंग हैं। प्रतिवर्ष संग्रह में लगभग 4500 पुस्तकें और पत्रिकाएं शामिल की जाती हैं।

कंप्यूटर सेंटर में पीएआरएएम 10000 सुपर कंप्यूटर द्वारा समर्थित लगभग 100–150 लिनक्स टर्मिनल तथा 100 से अधिक विंडोज–एनटी टर्मिनल हैं जो छात्रों के शैक्षिक कार्य तथा मनोरंजन के लिए उन्हें हमेशा उपलब्ध रहता है। यह लगभग 50 'सन' वर्क स्टेशनों की मेजबानी करता है। आईआईटी (विशेषकर आईआईटी, कानपुर) और बीआईटीएस पिलानी भारत के पहले बड़े शैक्षिक संस्थान है जो पूरे संस्थान में फैले एलएएन और इथरनेट एक्सेस के जरिए आवासी हाल के प्रत्येक छात्र से जुड़े हुए हैं।

वर्ष 2010 के दौरान संस्थान में छात्रों की संख्या 4912 (जिसमें 7 विदेशी छात्र शामिल थे) थी। वर्ष 2010 के दौरान संस्थान ने अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में 967 छात्रों को और परास्नातक पाठ्यक्रमों में 967 छात्रों को प्रवेश दिया। संस्थान ने वर्ष 2010 में 131 पीएचडी डिग्री प्रदान की। वर्ष 2009–10 के दौरान संस्थान को 45 पेटेंट प्रदान किए गए और संस्थान के अध्यापकों तथा छात्रों ने 581 जर्नल पेपर तथा 247 सम्मेलन पत्र कांफ्रेस पेपर प्रस्तुत किए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

1963 में इंजीनियरिंग कालेज के रूप में स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रौद्योगिकीय जनशक्ति के विकास में प्रमुख भूमिका निभाने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है और यहां किए जाने वाले अनुसंधान विश्व स्तर के होते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता के जरिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान करना और उद्योग तथा समाज के लिए मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करना है। इसमें 13 विभाग, 11 केंद्र और 3 स्कूल है। विभाग से जुड़ी सुविधाओं के अतिरिक्त संस्थान में 11 अंतर्विषयी केंद्रीय सुविधाएं हैं।

आईआईटी, दिल्ली के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग में कंप्यूटर साइंस के लिए एक इंडो–जर्मन मैक्स प्लैंक सेंटर स्थापित किया गया। यह केंद्र भारतीय और जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा कंप्यूटर साइंस में गुणवत्ता आधारित अनुसंधान के विजन के साथ खोला गया है। अनुसंधान और शिक्षा के लिए आईआईटी दिल्ली में एक लेमनट्री–आईआईटीडी गोल्डन जुबली रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है

संस्थान को उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान में संयुक्त करने के लिए संस्थान द्वारा नई पहल की गई है जिसके अंतर्गत

तीन सक्रिय अन्तर–विषयी अनुसंधान समूहों को उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई है और विशेष निधियों के लिए उनकी पहचान की गई है। ये निम्नलिखित क्षेत्र में हैं:–

- कम शक्ति के नैनो स्कूल डिवाइस और सिस्टम डिजाइन (एमएचआरडी)
- नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी (एमएचआरडी) तथा
- शहरी परिवहन (शहरी विकास मंत्रालय)

वर्ष 2009–10 के दौरान 138 पीएचडी डिग्रियां प्रदान की गई। पिछले स्थापन सत्र में 365 प्रोफाइल के लिए 226 कंपनियां आई जिसके परिणामस्वरूप 659 छात्रों को स्थापन मिला।

अनुसंधान और विकास गतिविधियां:

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 2,97,98,184 रू. की 10 नई प्रायोजित और परामर्शदात्री परियोजनाएं प्रायोजित की गई हैं। राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 1,17,99,09,264 रू. की 475 नई प्रायोजित और परामर्शदात्री परियोजनाएं प्रायोजित की गई हैं। 1 अप्रैल, 2010 से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ अनेक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

केन्द्रीय सुविधाएं

केन्द्रीय पुस्तकालय, आईआईटी, दिल्ली में 'इनडेस्ट–एआईसीटीई' कंसोर्टियम के माध्यम से 10,000 इलेक्ट्रॉनिक जर्नल और 6 पुस्तक सूची डेटाबेस तक पहुंचने की सुविधा प्रदान की गई है। आईआईटी, दिल्ली का केंद्रीय पुस्तकालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से इनडेस्ट का मुख्यालय बना हुआ है।

आईआईटी दिल्ली का नेटवर्क पावरग्रिड और रेल टेल के जीबीपीएस के डूएल कनेक्टिविटी से नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन) से जुड़ा हुआ है। यह कनेक्टिविटी गरुण नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी और एनकेएन बैकबोन से जुड़े अन्य संस्थानों को भी वर्चुअल रूटिंग सर्विस प्रदान करती है।

वर्ष 2010 के दौरान संस्थान के छात्रों की संख्या 6494 (2937 अवर स्नातक, 3557 परास्नातक और 18 विदेशी छात्र) थी। वर्ष 2010 के दौरान संस्थान अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में 849 छात्रों को और परास्नातक पाठ्क्रमों में 1429 छात्रों को प्रवेश दिया। संस्थान ने वर्ष 2010 मे 138 पीएचडी डिग्रियां प्रदान की। पिछले तीन वर्ष के दौरान संस्थान को 8 पेटेंट प्रदान किए गए। वर्ष 2010 के दौरान संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा 1200 पत्रिकाएं/कांफ्रेंस पेपर प्रस्तुत किए गए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी (आईआईटीजी)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी की स्थापना 1 सितंबर, 1994 को प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक 1994 के अंतर्गत की गई थी। यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर 285 हेक्टेयर क्षेत्रफल में दर्शनीय हरे–भरे क्षेत्र में स्थित है।

संस्थान ने 11 शैक्षिक विभागों अर्थात जैव प्रौद्योगिकी, रासायनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी (इन सब में बीटेक, एमटेक एवं पीएचडी कार्यक्रमोंकी पेशकश की जाती है), डिजाइन (बी डेस की पेशकश की, एम डेस और पीएचडी कार्यक्रम), रसायन, गणित और भौतिकी (बी टेक, एमएससी और पीएचडी कार्यक्रमों की पेशकश) और मानविकी और सोशल साइंसेज (एमए और पीएचडी कार्यक्रम की पेशकश)। इसमें 3 अंतर विद्या शैक्षणिक केन्द्र हैं नामतः ऊर्जा, पर्यावरण तथा नौनो टेक्नोलॉजी (जो पीएच कार्यक्रमों की पेशकश करते है)। संस्थान में 4 सेवा केंद्र भी हैं जिनके नाम हैं: कंप्यूटर तथा संचार केंद्र, केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला, शैक्षणिक टेक्नोलॉजी केंद्र और जन संचार केंद्र।

जुलाई 2010 में संस्थान द्वारा पिछले वर्ष की 994 की तुलना में 1211 छात्रों को दाखिला दिया गया। मई, 2010 में आयोजित 12वें दीक्षांत समारोह में 653 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। पिछले वर्ष की 3006 की तुलना में नवंबर 2010 में कुल छात्रों की संख्या 3307 थी। पिछले वर्ष की तुलना में संकाय सदस्यों की संख्या 238 से बढ़कर 264 और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या 320 की तुलना में 318 हो गई।

वित्त वर्ष 2009–2010 के दौरान संस्थान को पिछले वर्ष के 27.75 करोड़ रू. की तुलना में 39 करोड़ रू. की प्रायोजित अनुसंधान और परामर्शी परियोजनाएं प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान 265 से अधिक सतत और नई परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

बायो प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने आईआईटी गुवाहाटी को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों

में जैव प्रौद्योगिकी पढ़ाने, प्रशिक्षण देने और अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने के कार्यक्रम का समन्वय करने की जिम्मेदारी सौंपी है। कुल स्वीकृत 14.87 करोड़ रूपए की धनराशि में से 12 करोड़ रूपए प्राप्त हो गए हैं।

पिछले वर्ष के दौरान आईआईटी गुवाहाटी में कैम्पस प्लेसमेंट का परिदृश्य संतोषजनक रहा हैं, हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का प्रभाव महसूस किया जाता रहा। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों की 79 कंपनियों ने भर्ती में भाग लिया। बीटेक/बीडी के छात्रों को 263 नौकरियों की पेशकश की गई और 243 छात्रों को अंत में रोजगार दिया गया (75 प्रतिशत)।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की

रुड़की विश्वविद्यालय को सितंबर 2001 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की (आईआईटीआर) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस संस्थान का अपना मुख्य कैंपस रुड़की में (865 एकड़ है और एक छोटा कैंपस रुड़की से 50 किलोमीटर दूर सहारनपुर (25 एकड़) में है।

इस समय यह संस्थान 11 बीटेक/बी आर्क कार्यक्रम 5 दोहरी डिग्री (बीटेक/एमटेक) कार्यक्रम, 58 परास्नातक कार्यक्रम (एमटेक/एमबीए/एमसीए/एमएससी समेकित एमएससी तथा एमटेक सहित) और अपने सभी 18 अकादमिक विभागों में पीएचडी कार्यक्रम, एक अकादमी केन्द्र (एचएचईसी) और तीन उत्कृष्ट केन्द्र (सूक्ष्म प्रौद्योगिकी आपदा प्रशमन तथा प्रबंधन और परिवहन प्रणाली) चालाता है। अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया गया है और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का यह तीसरा वर्ष हैं। संस्थान 2008–2009 के शिक्षा सत्र से सूक्ष्म प्रौद्योगिकी में एक नया मल्टीडिस्क्लेनरी एमटेक कार्यक्रम आरंभ किया। चालू शिक्षण सत्र में छात्रों की कुल संख्या 6143 है जिसमें 3388 अवर स्नातक, 1827 परास्नातक तथा 928 शोध छात्र हैं। इनमें 826 लड़कियां तथा 34 विदेशी छात्र हैं।

13 नवंबर 2010 को आयोजित दसवें वार्षिक दीक्षांत समारोह में कई सफल अभ्यर्थियों को प्रदान की गई डिग्रियों में 531 बीटेक/बी आर्क/आईडीडी 668 एमटेक/एमएससी/एमबीए तथा 142 पीएचडी थे। इस संस्थान ने अपने चार उत्कृष्ट छात्र को प्रतिष्ठित एल्युमनस अवार्ड से भी सम्मानित किया।

शैक्षिक सत्र 2008–2009 के दौरान कैंपस भीर्ती के लिए 150 कंपनियों ने संस्थान का दौरा किया और 861 छात्रों (454 अवर स्नातक 36 आईडीडी, 356 स्नातकोत्तर और 15 पीएचडी) को प्लेसमेंट की पेशकश की।

इस समय संस्थान में 373 संकाय सदस्य तथा 7 इमेरिटस फेलो तथा 7 वैज्ञानिक हैं। संकाय आर एण्ड डी गतिविधियों में सक्रियता से संलग्न है। आलोच्य अवधि के दौरान इसने 30 सितंबर 2010 तक पीअर रिव्यूड पत्रिकाओं में 673 शोध पत्र और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 605 शोध पत्र प्रकाशित किए। इसके अतिरिक्त आर एण्ड डी परियोजनाओं के जरिए संस्थान ने राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाना जारी रखा। वर्ष 2009–2010 के दौरान प्रायोजित अनुसंधान और परामर्शी परियोजनाओं पर क्रमशः 5555.71 और 2982.31 का परिव्यय हुआ। तीन वर्ष के दौरान 21 पेटेंट प्रदान किए गए और 4454 पेपर प्रस्तुत किए गए।

संस्थान के महात्मा गांधी केंद्रीय पुस्तकालय के संग्रह में लगभग 20,000 ई–पुस्तक, 12000 ई–पत्रिकाएं, 54446 जिल्दबंद जेआई वॉल्यूम और 3,69,499 से अधिक पुस्तकें हैं। यहां 981 से अधिक मुद्रित पत्रिकाएं मंगाई जाती हैं।

तीन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थाओं के साथ नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

क्षमता विस्तार कार्यक्रम पर ध्यान देने के लिए अनेक निर्माण कार्य पूरे किए गए हैं जिनके नाम हैं: डीपीटी सहारनपुर के न्यू ब्वॉयज होस्टल (400 सीटें), मालवीय भवन, फेज–II, राजीव भवन, बहुमंजिला पुरुष छात्रावास (660 सीटें), व्याख्यान कक्ष परिसर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और उत्कृष्टता केंद्र परिसर, कस्तूरबा भवन बहुमंजिली महिला छात्रावास (800 सीटें) 'डी' श्रेणी के निवास स्थान (संख्या में 64) सामुदायिक केंद्र का विस्तार, जी पी छात्रावास का विस्तार (72 सीटें) और सिविल इंजीनियरिंग तथा वास्तुकला का विस्तार चल रहे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हैं: कैनाल व्यू अपार्टमेंट्स एक बहुमंजिला 'ए' श्रेणी का आवास स्थल है (संख्या में 54)।

नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

सरकार ने आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में आठ नए आईआईटी स्थापित किए हैं जिसमें से 6 नए आईआईटी ने शैक्षिक सत्र 2008–2009 के शिक्षण वर्ष से कार्य करना आरंभ कर दिया है और मंडी (हिमाचल प्रदेश) और इंदौर (मध्य प्रदेश) स्थित 2 आईआईटी ने शैक्षिक सत्र 2009–2010 से कार्य आरंभ कर दिया। जबकि भुवनेश्वर, राजस्थान,

हिमाचल प्रदेश और पंजाब आईआईटी ने क्रमशः कानपुर रुड़की और दिल्ली के अपने मेंटर आईआईटी के कैम्पसों में बीटेक छात्रों के प्रथम बैच का दाखिला लिया गया है। 2009–2010 के द्वितीय शैक्षणिक सत्र में आईआईटी, भुवनेश्वर और आईआईटी रोपड़ क्रमशः भुवनेश्वर और रोपड़ स्थित अपने अस्थायी परिसर में चले गए हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात स्थित आईआईटी क्रमशः अपने हैदराबाद, पटना, इंदौर, गांधी नगर स्थित परिसर से चलाए जा रहे हैं। आईआईटी मंडी ने अपने मेंटर संस्थान आईआईटी, रुड़की से काम करना शुरू कर दिया है। जहां तक स्टाफ का संबंध है, प्रत्येक आईआईटी को तीन वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 30 संकाय पदों को मंजूरी दी गई है। प्रत्येक नए आईआईटी को मौजूदा आईआईटी द्वारा परामर्श दिया रहा है। इन नए आईआईटी को बजट अनुमान 2010–2011 में 400,00 करोड़ रू. की राशि प्रदान की गई है, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 250. 00 करोड़ रू. कर दिया गया था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद

आईआईटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ने आयुध कारखाना मेडक, हैदराबाद में अपने अस्थायी कैम्पस के माध्यम से शिक्षण वर्ष 2008–2009 से काम करना शुरू कर दिया। वर्ष 2008–2009 से तीन शाखाओं में बीटेक पाठ्यक्रमों में 111 छात्रों ने प्रवेश लिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने आईआईटी, हैदराबाद को इसके स्थायी कैंपस के लिए मेडक में 523 एकड़ भूमि प्रदान कर दिया है। आईआईटी, मद्रास इस संस्थान की परामर्शदाता आईआईटी है। संस्थान ने तीन शाखाओं में बीटेक प्रोग्राम आरंभ किया है– (i) कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग (ii) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और (iii) मेकेनिकल इंजीनियरिंग। वर्ष 2009–2010 के दौरान संस्थान के छात्रों की संख्या 165 थी जिसमें बीटेक के 112, एमटेक के 31 और पीएचडी के 22 छात्र शामिल है।

वर्ष 2010 के दौरान संस्थान में छात्रों की संख्या 245 थी जिनमें (बीटेक–123, एमटेक 49, पीएचडी–64, एमएससी–7) छात्र थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान 29 पत्रिकाएं/सम्मेलन पत्र प्रस्तुत किए गए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर

2008–2009 शिक्षण सत्र के लिए आईआईटी, जोधपुर की कक्षाएं आईआईटी कानपुर कैंपस में आरंभ हो गई है। 2008–2009 में तीन शाखाओं (I) कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग (II) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और (III) मेकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक पाठ्क्रमों में कुल 112 छात्रों को प्रवेश दिया गया। वर्ष 2009–2010 तथा 2010–2011 में इसमें 240 छात्रों को दाखिला दिया गया। आईआईटी, कानुपर इस संस्थान की परामर्शदाता आईआईटी है। राजस्थान सरकान ने आईआईटी, जोधपुर के स्थायी कैंपस के लिए खरवार पंचायत में 700 एकड़ जमीन देने की पेशकश की है। सत्र 2010–2011 से आईआईटी, जोधपुर को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के एम एण्ड एम इंजीनियरिंग कॉलेज के अस्थायी कैंपस में चलाया जा रहा है। वर्ष 2009–2010 में आईआईटी, जोधपुर के छात्रों की संख्या 348 है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना

आईआईटी पटना, बिहार ने सरकारी पॉलिटेक्निक, पाटलिपुत्र, पटना के अस्थायी कैंपस से शिक्षण वर्ष 2008–2009 में काम करना शुरू किया है। शिक्षण वर्ष 2008–2009 में कुल 109 छात्र दाखिल किए गए हैं। बिहार सरकार ने बिहटा, पटना में संस्थान को 500 एकड़ भूमि देने की पेशकश की है। 500 एकड़ भूमि में से 463.33 एकड़ भूमि 10.6.2010 से सौंपी जा चुकी है। 19 एकड़ कैसरे–हिंदी भूमि शीघ्र सौंप दी जाएगी। संस्थान को 2013 में स्थायी परिसर में चले जाने की संभावना है। आईआईटी, गुवाहाटी संस्थान का परामर्शदात्री संस्थान है। संस्थान ने तीन शाखाओं– (i) कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग (ii) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और (iii) मेकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कार्यक्रम शुरू किया है। इंजीनियरिंग, विज्ञान मानविकी और समाज विज्ञान में जुलाई 2009 से पीएचडी कार्यक्रम शुरू किए गए है। इंजीनियरिंग विज्ञान मानविकी और समाज विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम वर्ष 2009–2010 से शुरू किए गए हैं। आईआईटी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और इसकी वृद्धि को गति देने के लिए संस्थान ने पहले ही 30 उत्कृष्ट युवा, उर्जावान और प्रगतिशी संकाय सदस्य भर्ती किए हैं।

आईआईटी, पटना की कक्षाओं की शिक्षण सुविधाएं देश की किसी भी ऐसी संस्था की कक्षा की सुविधा के समकक्ष है। प्रत्येक कक्षा में एलसीडी, ह्वाइट स्क्रीन, ह्वाइट बोर्ड और श्रव्य–दृश्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ प्रथम और द्वितीय वर्ष की प्रयोगशालाओं पर काम चल रहा है। संस्थान में एक कंप्यूटर सेंटर है जिसमें 4 एमबीपीएस की इंटरनेट सुविधा लगी है।

आईआईटी पटना का अपना केंद्रीय पुस्तकालय है जहां बीटेक के छात्रों और शोध छात्रों के लिए बड़ी संख्या में पाठ्य पुस्तकें हैं जिनमें ई–बुक और रेफरेंस बुक भी शामिल है और इन्हें बड़ी संख्या में प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थापित आईआईटी के समान पटना आईआईटी में भी प्रत्येक विभाग के लिए ऑन लाइन पत्रिकाएं आती हैं। संस्थान समय–समय पर राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के जरिए व्याख्यान आयोजित करता है। संस्थान नेशनल नॉलेज नेटवर्क का हिस्सा भी है और यह समय–समय पर अपने नेटवर्क के जरिए व्याख्या आयोजित करता है।

वर्ष 2010 के दौरान संस्थान के छात्रों की संख्या 362 (320 अवर स्नातक और 60 परास्नातक) थी। वर्ष 2010 के दौरान, संस्थान में छात्रों की संख्या अवर स्नातक में 117 और परास्नातक में 32 थी। पिछले तीन वर्ष के दौरान 172 जर्नल/कांफ्रेस पेपर प्रस्तुत किए गए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर

आईआईटी, गांधी नगर, गुजरात ने बीटेक के तीन क्षेत्रों (डिसिप्लीन) अर्थात केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मेकेनिकल इंजीनियरिंग में 120 छात्रों को प्रवेश देकर शिक्षण वर्ष 2008–09 से काम करना शुरू कर दिया है। नए आईआईटी का परिसर स्थापित होने तक आईआईटी, गांधी नगर की गतिविधियां विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज (बीजीईसी) चंदखेड़ा, अहमदाबाद से चलाई जाएगी। 2009–10 के दौरान बीटेक पाठ्यक्रम की तीन शाखाओं में 90 छात्रों को दाखिला दिया गया। आईआईटी, बम्बई, आईआईटी, गांधी नगरकी परामर्शदात्री संस्था है। पलाज गांव, गांधी नगर के समीप स्थायी परिसर के लिए स्थान को अंतिम रूप दे दिया गया है।

वर्ष 2010 के दौरान संस्थान के छात्रों की संख्या 346 (324 अवर स्नातक और 22 परास्नातक छात्र) थी। वर्ष 2010 के दौरान संस्थान ने अवर स्नातक स्तर पर 127 छात्रों और पीएचडी स्तर पर 8 छात्रों को प्रवेश दिया। पिछले तीन वर्षों के दौरान संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा 4 पुस्तकें, पत्रिकाओं में 24 पेपर और कांफ्रेंस प्रोसीडिंग जर्नल में 19 पेपर/कांफ्रेंस पेपर प्रस्तुत किए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर

आईआईटी, भुवनेश्वर ने 23 जुलाई, 2009 से खड़गपुर स्थित आईआईटी कैंपस के माध्यम से शिक्षण वर्ष 2008–09 से काम करना शुरू कर दिया है। तथापि, शिक्षण वर्ष 2009–10 से कैंपस आईआईटी, खड़गपुर के भुवनेश्वर विस्तार कैंपस, भुवनेश्वर में चला गया है। संस्थान ने तीन शाखाओं (i) सिविल इंजीनियरिंग (ii) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (iii) मेकेनिकल इंजीनियर में बीटेक पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2010–11 के दौरान बीटेक पाठ्यक्रमों में 126 छात्रों, तैयारी पाठ्यक्रम में 3 छात्रों और परास्नातक पाठ्यक्रमों में 14 छात्रों को प्रवेश दिया गया हैं। आईआईटी, भुवनेश्वर की कुल छात्र संख्या 354 थी। उड़ीसा सरकार ने 936 एकड़ भूमि देने की पेशकश की है जिसमें से 517 एकड़ भूमि आरुगुल, जाटनी नामक स्थान पर संस्थान को सौंपी जा चुकी है।

वर्ष 2010 के दौरान संस्थान में छात्रों की संख्या 354 थी। वर्ष 2010 के दौरान संस्थान में अवर स्नातक पाठ्यक्रम में 129 छात्र तथा परास्नातक पाठ्यक्रम में 14 छात्र लिए गए। पिछले तीन वर्षों के दौरान संकाय तथा छात्रों द्वारा संदर्भित पत्रिकाओं में 55 और सम्मेलन कार्यवाहियों में 79 प्रस्तुत किए गए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़

आईआईटी, मंडी ने आईआईटी, दिल्ली कैंपस, दिल्ली के माध्यम से शिक्षण वर्ष 2008–09 से कार्य करना आरंभ कर दिया है। 2009–10 के दौरान बीटेक पाठ्यक्रमों की तीन शाखाओं में 104 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। पंजाब सरकार ने संस्थान को उसके स्थायी कैंपस के लिए रोपड़ में 501 एकड़ भूमि प्रदान की है, जो चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर दूर है। आईआईटी, रोपड़ के छात्रों के पहले बैच ने आईआईटी, दिल्ली कैंपस में दाखिला लिया जो आईआईटी, रोपड़ परामर्शदाता भी है। यह बैच और 2009 में दाखिला प्राप्त करने वाले बैच के छात्र इस समय आईआईटी, रोपड़ पंजाब के अस्थायी आवास में रह रहे है। संस्थान के तीन शाखाओं (i) कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (ii) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा (iii) मेकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कार्यक्रम शुरू किया है।

यह संस्थान इस समय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर

गर्ल्स (रोपड़) से चलाया जा रहा है, जिसका पूरी तरह से जीर्णोद्धार कर दिया गया है। कुछ वर्षों में यह संस्थान सतलज नदी के तट पर फूल कला गांव, रोपड़, पंजाब स्थित मूल स्थान पर चला जाएगा।

वर्ष 2010 के दौरान संस्थान के छात्रों की संख्या 353 (326 अवर स्नातक, 22 पीएचडी एवं 5 तैयारी कोर्स) थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में 619 जर्नल और 254 सम्मेलन, 34 अंतर्राष्ट्रीय और 7 राष्ट्रीय पेटेंट प्रौद्योगिकी के 8 लाइसेंस तथा 26 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रस्तुत किए गए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी

आईआईटी, मंडी ने शिक्षण वर्ष 2009–10 में आईआईटी, रुड़की से काम करना आरंभ कर दिया है। आईआईटी, मंडी के स्थायी स्थल के रूप में मंडी शहर से 15 किलोमीटर दूर पर्वतीय क्षेत्र में कमंद गांव में 530 एकड़ भूमि की पहचान की गई है। आईआईटी, रुड़की, आईआईटी, मंडी की परामर्शदात्री संस्था है।

आईआईटी, मंडी की आधारशिला 24 फरवरी, 2009 को रखी गई थी। 20 जून, 2009 को इसे सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार, इस जमीन को आईआईटी, मंडी को अंतरित करने के अग्रिम चरण में है।

आईआईटी, मंडी के छात्रों के पहले बैच को जेईई के माध्यम से जुलाई, 2009 में दाखिला दिया गया और उनकी कक्षाएं आईआईटी, रुड़की में चल रही है। कुल 99 छात्रों को दाखिला दिया गयाः 36 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 36 कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में 27 मेकेनिकल इंजीनियरिंग में।

शैक्षणिक सत्र 2010–11 से आईआइटी, मंडी का प्रचालन मंडी शहर के एक ट्रांजिट कैंपस से चलाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2010 के दौरान संस्थान में छात्रों की संख्या 235 (216 अवर स्नातक, 6 परास्नातक और 13 पीएचडी थी। 2010 के दौरान संस्थान में अवर स्नातक पाठ्यक्रम में 118 छात्र लिए गए। पिछले दो वर्षों के दौरान संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा 4 पेपर प्रस्तुत किए गए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर स्थित अपने अस्थायी परिसर के जरिए काम करना शुरू कर दिया है। वर्ष 2010 के दौरान छात्रों की संख्या 242 थी जिसमें 227 छात्र अवर स्नातक पाठ्यक्रम में और 15 छात्र पीएचडी पाठ्यक्रम में थे।

मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने इंदौर के सिमरोल गांव में 500 एकड़ जमीन देने की पेशकश की है जो मऊ रेलवे स्टेशन से 11 किमी. की दूरी पर और हवाई अड्डे से 32 किमी. की दूरी पर स्थित है।

आईआईटी, इंदौर की परामर्शदात्री संस्थान, आईआईटी, बम्बई है। वर्तमान में यह संस्थान आईआईटी, डीएवीवी विश्वविद्यालय, खंडवा रोड, इंदौर से चलाया जा रहा है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)

ज्ञान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर उभर रहा है। 1990 के दशक से भारत ने सॉफ्टवेयर और आईटी में तेजी से वृद्धि की है, चूंकि आईटी उद्योग तीव्र गति से बढ़ रहा है इसलिए जनशक्ति की आवश्यकता भी तीव्र गति से बढ़ रही है। ज्ञान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जनशक्ति को विकसित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ने प्रशिक्षण महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम में 4 आईआईआईटी की स्थापना की है। ये संस्थाएं स्नातक और परास्नातक शिक्षा प्रदान करती है। ग्वालियर का आईआईआईटी, आईटी प्रबंधन के लिए है। जबलपुर और कांचीपुरम के आईआईआईटी, आईटी और विनिर्माण के लिए है। आईआईआईटी, इलाहाबाद के इस संस्थान के कार्यकलापों के आधार पर आईटी और पुस्तकालय विज्ञान अथवा इन्फोटिक्स के लिए माना जा सकता है। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)पद्धति से दस से बीस और आईआईटी की स्थापन करने की परिकल्पना की है।

आईआईटी में अवर स्नातक में प्रवेश अखिल भारतीय इंजीनियरिंग वास्तुकला प्रवेश परीक्षा (एआईईई) के माध्यम से दिया जाता है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद की स्थापना 1999 में की गई और मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालय का दर्जा 2000 में प्रदान किया गया। आईआईटी, इलाहाबाद का एक विस्तार कैंपस अमेठी में है।

इस संस्थान में अवर स्नातक कार्यक्रम (सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना बीटेक) परास्नातक कार्यक्रम (बायो–इनफार्मेटिक्स, इंटेलीजेंस सिस्टम, वायरलेस सूचना एवं परिगणन तथा साफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मानव कंप्यूटर विचार–विमर्श, रोबोटिक्स और माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स) एमबीए (आईटी) साइबर कानून और सूचना सुरक्षा में मास्टर ऑफ साइंस, [एमएस (सीएलआईएस,)] सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीएचडी कार्यक्रम है।

वर्ष 2010 के दौरान संस्थान के छात्रों की संख्या 1684 (1184 अवर स्नातक, 500 परास्नातक और 15 विदेश छात्र) थी। 2010 के दौरान संस्थान में अवर स्नातक पाठ्यक्रम में 351 छात्रों और परास्नातक पाठ्यक्रम में 284 छात्रों को प्रवेश दिया गया। संस्थान ने वर्ष 2010 में 4 पीएचडी डिग्रियां प्रदान की। पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थान को 2 पेटेंट प्रदान किए गए। वर्ष 2010 के दौरान संकाय सदस्यों तथा छात्रों द्वारा 207 पत्रिकाएं/सम्मेलन पत्र और 9 पुस्तकें प्रस्तुत की गई/प्रकाशित की गई।

वर्तमान में संस्थान ने दूरगामी परिणाम देने वाली 26 अनुसंधान और विकास परियोजनाएं चल रही हैं जिनका प्रभाव नवीनतम परिवर्तनों, आविष्कारों और अन्य शैक्षिक संकल्पनाओं पर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त संस्थान ने 18 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे सीएमयू पिट्सवर्ग एमआईटी–यूएसए, जीआईएसटी, कोरिया, ईपीएफएल ल्यूसीयाना, रोस्नोऊ मॉस्को, कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए, अलबर्ग विश्वविद्यालय, डेनमार्क, विश्वविद्यालय एबरटे डुंडी, एआईटी थाईलैंड आदि।

आठ औद्योगिक संबंध जैसे कोरीनेक्स, कनाडा, टीसीएस, इसरो, जेनसार, पुणे, मैपल, लीफ, एएलआईएमसीओ आदि के साथ सहयोग स्थापित किए गए हैं। साथ ही संस्थान के 8 उत्कृष्ट केंद्रों जैसे आईआरसीबी, इंडो–यूएस सेंटर फॉर लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, इंडो–डैनिश सेंटर फॉर वायरलेस सेंसर्स एंड सेंसेज पेटेंट रेफरल सेंटर और एस एण्ड टी डिस्कवरी पार्क आदि के साथ सहयोग स्थापित किए गए हैं।

संस्थान के शिक्षण कर्मचारियों ने 1511 पुस्तकें और पेपर प्रकाशित किए हैं जिनका काफी प्रभाव पड़ा है और प्रशंसा मिली है। दिए गए पेटेंट की संख्या 2 है और 10 पेटेंट दाखिल किए गए हैं तथा 07 कॉपी राइट है तथा आयोजित/शामिल हुए सम्मेलनों की संख्या 385 हैं।

उच्च कोटि के अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा सामान्य विज्ञान में मंदी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आईआईटी आईआईआईटी–ए ने नोबल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों तथा अन्य प्रख्यात वैज्ञानिकों और विज्ञान के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को आमंत्रित कर अनेक विज्ञान सम्मेलन आयोजित किए ताकि देश भर से चुने गए हमारे युवा वैज्ञानिकों में उनके ज्ञान और विद्या का प्रसार किया जा सके तथा उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क बनाकर परस्पर विचार–विमर्श किया जा सके।

संस्थान ने क्रमशः 14–21 दिसंबर, 2008 तक, 08–14 दिसंबर, 2009 तक और 08–14 दिसंबर, 2010 तक प्रथम, द्वितीय और तृतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित किए जिसमें लगभग 1500 चुनिंदा युवा वैज्ञानिकों, अध्यापकों और अनुसंधानकर्ताओं ने सक्रियतापूर्वक भाग लेकर लगभग एक दर्जन सुविख्यात नोबल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और भारत तथा विश्व के लगभग 150 प्रख्यात शिक्षाविदों से विचार–विमर्श किया। संस्थान के इन प्रयासों से युवा मस्तिष्क में चिनगारी प्रज्ज्वलित होने तथा विज्ञान की पढ़ाई करने तथा ज्ञान का ध्वज ऊंचा उठाने में मदद मिली है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कुछ प्राथमिक और हाई–स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से आईआईआईटी–ए को उत्तर प्रदेश के लिए इंसपायर अवार्ड प्रोग्राम, 2010 के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है जिसमें राज्य में 60,000 स्कूलों के दो लाख विद्यार्थी भाग लेंगे। अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 10,000 चुनिंदा छात्र इन प्रयासों के माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रयास करेंगे।

आईटी और आईसीटी के लाभों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आईआईआईटी–ए ने अमेठी, सुल्तानपुर में आरजीआईआईटी– अमेठी कैंपस स्थापित किया है जहां इसरो की सहायता से वी.आर. सी. स्थापित करने, मेडिको–डाइग्नोस्टिक प्रोग्राम, नैदानिक स्वास्थ्य केन्द्र, किसानों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम, अलग–अलग योग्यता वाले लोगों के लिए प्रोग्राम, ग्रामीण लोगों के लिए आईसीटी से जुड़ी हेल्पलाइन जैसे अनेक सामाजिक कार्यक्रम लोगों में जागरूकता लाने और ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए शुरू किए गए हैं।

इस प्रकार संस्थान ने न केवल सूचना प्रौद्योगिकी की संकल्पना प्रचार और विस्तार में उत्कृष्ट निष्पादन किया है ताकि सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का पूरा लाभ उठाकर जीवन के स्तर में सुधार लाया जा सके, बल्कि देश में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में विश्वसनीय योगदान किया है।

अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर

अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर जो मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालय के दर्जे के साथ स्वायत्त संस्थान है, की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1996 में की गई थी। इस संस्थान की ग्वालियर के किले के नीचे पहाड़ियों पर एक सुपरिभाषित कैंपस है। यह अनुसंधान तथा शिक्षा के प्रति योगदान करने और प्रौद्योगिकी तथा बिजनेस लीडर उत्पन्न करने के लिए विश्वस्तरीय संस्थान बनने का प्रयास कर रहा है। यहां शिक्षा के अनुसंधान पर बल दिया जाता है। उद्योग के साथ इसके व्यापक सक्रिय संबंध हैं। इसमें उद्योग संबंधी पाठ्यक्रम डिजाइन विकास एवं डिलीवरी, ग्रीष्म इन्टर्नशिप प्रोजेक्ट्स, सीईओ तथा वरिष्ठ व्यावसायिक द्वारा छात्रों को परामर्श आदि शामिल है।

एबीवी–आईआईआईटीएम, आईसीटी और प्रबंधन में परास्नातक तथा डॉक्टोरल कार्यक्रम चलाते हैं।

इस संस्थान ने यूएसए, फ्रांस और जापान के विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान सहयोग स्थापित किया है। छात्र बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में योगदान करते है। छात्र ग्रीष्म इन्टर्नशिप के लिए विदेश जाते हैं। उनमें से कुछ ने इन्टेल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएं जीती हैं तथा टीसीएस, विप्रो, अमडोक्स, माइक्रोसॉफ्ट, कनेक्सैंट आदि जैसी विख्यात कंपनियों में प्लेसमेंट पा रहे है।

संस्थान को बिजनेस इंडिया 2010 सर्वेक्षण द्वारा 'क' श्रेणी में रखा गया है।

वर्ष 2010 के दौरान संस्थान में छात्रों की संख्या 738 थी। वर्ष 2010 के दौरान संस्थान ने अवर स्नातक पाठ्यक्रम में 118 छात्र तथा परास्नातक पाठ्यक्रम में 115 छात्र लिए गए थे। संस्थान ने 23 पीएचडी डिग्रियां प्रदान की। पिछले तीन वर्षों के दौरान संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा 35 पेपर प्रस्तुत किए गए।

पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन विनिर्माण संस्थान (पीडीपीआईआईटीडीएम), जबलपुर

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर की स्थापना 2005 में की गई थी। इस संस्थान की परिकल्पना एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप में की गई जो वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों और विनिर्माणों के प्रतियोगी लाभ को सुकर बनाता है और बढ़ावा देता है। यह आटोमोबाइल एरोस्पेस, रक्षा, औद्योगिक मशीनरी इंजीनियरिंग सेवा, उच्च तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स उपभोक्ता वस्तुओं आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों की नई श्रेणी के तहत संस्थान को 'सम विश्वविद्यालय' घोषित किया है।

संस्थान के दो भवनों (1) कोर लैब कॉम्पलेक्स (2) सर्विस ब्लाक का निर्माण पूरा हो गया है और शिक्षण सत्र 2009–10 से संस्थान ने अपने ही परिसर से काम करना शुरू कर दिया है। निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

वर्ष 2010 के दौरान संस्थान के छात्रों की संख्या 637 (595 अवर स्नातक और 42 परास्नातक) थी। वर्ष 2010 के दौरान अवर स्नातक पाठ्यक्रम में 261 छात्र और परास्नातक पाठ्यक्रम में 60 छात्र दाखिल किए गए। पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थान को एक पेटेंट प्रदान किया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा 53 पत्रिकाएं/सम्मेलन पत्र प्रस्तुत किए गए।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान (आईआईटीडी एण्ड एम), कांचीपुरम

आईआईटीडी एण्ड एम कांचीपुरम उत्कृष्ट केंद्र है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्थापित किया और जो आईआईटी–मद्रास के अस्थायी परिसर में 2007 से कार्यरत है। तमिलनाडु सरकार ने संस्थान स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की है। परिसर के विकास के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2010 के दौरान संस्थान के छात्रों की संख्या 228 (203 अवर स्नातक 16 परास्नातक और 9 पीएचडी छात्र) थी। वर्ष 2010 के दौरान संस्थान में अवर स्नातक पाठ्यक्रम में 58 छात्र और परास्नातक पाठ्यक्रम में 16 छात्रों को प्रवेश दिया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा 60 पेपर प्रस्तुत किए गए।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)

भूमिका

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान केन्द्र द्वारा धन प्राप्त स्वायत्त तकनीकी संस्थाएं हैं और इन्हें एनआईटी अधिनियम, 2007

के अंतर्गत 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' घोषित किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2009–10 तक बीस एनआईटी थे जो अगरतला (त्रिपुरा), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), कालीकट (केरल), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), जालंधर (पंजाब), जमशेदपुर (झारखंड), कुरुक्षेत्र (हरियाण ा), नागपुर (महाराष्ट्र), पटना (बिहार), रायपुर (छत्तीसगढ़), राउरकेला (उड़ीसा) सिलचर (असम), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), सूरत (गुजरात), सूरतकल (कर्नाटक), त्रिचरापल्ली (तमिलनाडु) और वारंगल (आंध्र प्रदेश) में स्थित हैं।

भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम (गोवा, दमण और दीव, दादर और नगर हवेली और लक्षद्वीप की जरूरतों को पूरा करने वाला) दिल्ली चंडीगढ़ की जरूरतों को भी पूरा करने वाला, उत्तराखंड और पुड्डुचेरी (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आवश्यकताओं को भी पूरा करने वाला) में दस नए एनआईटी स्थापित किए हैं। भलीभांति निगरानी रखने तथा दस नए एनआईटी की स्थापना के कार्य को सुकर बनाने के लिए निर्णय किया गया कि मौजूदा एनआईटी नए एनआईटी को पहले 2–3 वर्षों तक या नए एनआईटी के भलीभांति स्थापित हो जाने तक उन्हें परामर्श देंगे। नए एनआईटी को निर्बाध गति से चलाने के लिए उचित मार्गदर्शी तंत्र सुनिश्चित करना आवश्यक था। इन सभी एनआईटी ने शैक्षणिक सत्र 2010–11 से शैक्षणिक प्रचालन शुरू कर दिया है। वर्तमान में यह दसों नए एनआईटी सर्वाधिक राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों जहां यह स्थित हैं, के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत समझौता ज्ञापनों द्वारा अभिशासित होते है। इस मंत्रालय ने इन दसों नए एनआईटी को यथाशीघ्र एनआईटी अधिनियम 2007 के तहत लाने के लिए कदम उठाए हैं। ये सभी एनआईटी इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धीरे–धीरे 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' के रूप में विकसित हो जाएंगे।

इन दस नए एनआईटी में से चार ने अपने परामर्शदाता एनआईटी के परिसर से काम करना शुरू कर दिया है और ये हैं: एनआईटी– दिल्ली, एनआईटी–मेघालय, एनआईटी–नागालैंड और एनआईटी– मिजोरम। शेष छह एनआईटी (अर्थात एनआईटी–सिक्किम, एनआईटी–अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी– मणिपुर, एनआईटी–पुड्डूचेरी, एनआईटी, गोवा और एनआईटी–उत्तराखंड) ने अपने–अपने अस्थायी परिसर से काम करना शुरू कर दिया है। 31.3.2010 तक इन प्रत्येक नए एनआईटी के पक्ष में 1.4 करोड़ रूपए जारी किए गए थे ताकि शैक्षिक सत्र सुचारु रूप से चल सके। वर्ष 2010–11 के दौरान 31.1.2011 तक इन प्रत्येक एनआईटी के पक्ष में 2.5 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार (जहां एनआईटी स्थापित किया जा रहा है), इस प्रयोजन से 300 एकड़ भूमि निःशुल्क देगी। अधिकांश राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन जहां ये नए एनआईटी स्थापित किए जा रहे हैं, ने स्थायी परिसर के लिए भूमि की पहचान कर ली है और इस मंत्रालय ने उनसे अनुरोध किया है कि कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद वे संबंधित एनआईटी के नाम जमीन अंतरित कर दें।

छात्रों के प्रवेश की वर्तमान नीति के अनुसार एनआईटी में 50 प्रतिशत दाखिला उस राज्य के छात्रों को दिया जाता है जहां एनआईटी स्थित है। शेष 50 प्रतिशत सीटों पर दाखिला अखिल भारतीय रैंक के आधार पर दिए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक एनआईटी में राज्य कोटा और अखिल भारतीय कोटा के छात्र पढ़ते हैं। इस प्रणाली के कारण देश के मेधावी छात्रों को उच्च कोटि की तकनीकी शिक्षा देना संभव हो सका है। देश के दूर–दराज के क्षेत्रों में इंजीनियरिंग की शिक्षा के समान अवसर का प्रचार करते हुए एनआईटी गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने में देश के प्रमुख तकनीकी संस्थाओं में महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए उच्च कोटि की तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दस नए एनआईटी स्थापित होने के बाद देश भर के छात्रों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे।

इसलिए एनआईटी ने आमूल–चूल परिवर्तन लाते हुए देश भर के मेधावी छात्रों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। इन एनआईटी में शैक्षणिक पाठ्चर्या, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि हमेशा व्यवस्थित और प्रोत्साहित की जाती है ताकि छात्रों में अंतर वैयक्तिक संबंध हमेशा उचित दिशा में विकसित हों, जहां प्रत्येक व्यक्ति क्षेत्रीय माहौल को पर्याप्त महत्व देते हुए संघीय सम्मान के माध्यम से इस विशाल देश को सामाजिक सांस्कृतिक और समृद्ध विरासत के आलोक में व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, पृष्ठभूमि का आदर करना सीखता है। इस प्रकार का उचित शैक्षिक माहौल और शैक्षिक परिवेश धैर्य, सबके प्रति सद्भावना और राष्ट्रीय एकीकरण के पाठों के माध्यम से छात्रों को देश का सर्वोत्तम नागरिक बनाता है।

बीस पुराने एनआईटी के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला केन्द्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थान हैं। मूल रूप में यह त्रिपुरा सरकार के नियंत्रण के अधीन 1965–66 में त्रिपुरा इंजीनियरिंग कालेज के रूप में स्थापित किया गया था। दिनांक 1.4. 2006 को यह राष्ट्रीय प्रौद्यिगिकी संस्थान अगरतला के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। संस्थान की शैक्षिक नीति शासी बोर्ड के अनुमोदन से सिनेट द्वारा तय की जाती है यह एनआईटी अधिनियम, 2007 के तहत 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' हैं। एनआईटी–अगरतला में 12 विभाग है। यहां 8 परास्नातक पाठ्यक्रम और 8 स्नातक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

संस्थान के कार्य निष्पादन

- जिरानिया से एनआईटी– अगरतला तक 33 केवी क्षमतायुक्त डेडीकेटेड पावर लाइन का प्रावधान
- 33 केवी के डेडिकेटेड सब–स्टेशन का प्रावधान
- कार्यशाला भवन, शैक्षिक भवन और कैंटीन भवन का निर्माण
- निदेशक के बंगलों, प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों के क्वार्टरों का निर्माण
- अतिथि गृह का निर्माण
- आंतरिक सड़कों का निर्माण

विशेष उपलब्धियां

- भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित में एम.एस. सी. पाठ्यक्रम शुरू करना
- सात विशेषज्ञताओं में एमटेक पाठ्यक्रम शुरू करना
- नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना

मोतीलाल नेहरू, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

मोतीलाल नेहरू, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद को पहले मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज इलाहाबाद कहा जाता था। यह ऐसा संस्थान है जो शैक्षिक मामलों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता के प्रति पूर्णतः समर्पित है। यह भारत के प्रमुख संस्थानों में से एक है और इसकी स्थापना क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (आरईसी) की स्थापना की स्कीम के अनुसार भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में 1961 में की गई थी। तथापि 26 जून, 2002 से संस्थान को मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद कहा जाता है।

इस कालेज की आधारशिला 3 मई 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गंगा नदी के तट पर फैले 222 एकड़ के स्थल पर रखी थी। कालेज में दूसरे भवन का उद्घाटन भारत के दूसरे महान सपूत प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने 18 अप्रैल 1965 को किया था।

इस संस्थान के छात्रों को भांति–भांति के सांस्कृतिक माहौल से वास्ता पड़ता है क्योंकि श्रीलंका, नेपाल, बंगला देश, भूटान, मॉरिशस, मलेशिया, ईरान, यमन, ईराक, फिलिस्तीन और थाईलैंड जैसे अन्य देशों के छात्रगण इस संस्थान के विभिन्न अवर स्नातक तथा परास्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। यह संस्थान पूरी तरह से आवासीय संस्था हैं जहां लड़कों के लिए 7 छात्रावास तथा लड़कियों के लिए 2 छात्रावास हैं। एक छात्रावास केवल परास्नातक छात्रों के लिए हैं। मोतीलाल नेहरू, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद में 11 विभाग (एक सेल सहित) हैं। यहां 27 परास्नातक पाठ्यक्रम और 9 अवर स्नातक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

विशेष उपलब्धियां

सीडेक–यूनिवर्सिटी, क्वींस यूनिवर्सिटी, कनाडा, फेंग चिया यूनिवर्सिटी, ताइवान, एआईटी बैंकाक और बीईएससीओ इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड सीओएसी, पुणे के साथ समझौता ज्ञापन।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल

मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व का एक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 'उत्कृष्ट केंद्र' विकसित करने और अन्य संस्थाओं के मानक हेतु इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1960 में संयुक्त रूप से इसे प्रायोजित किया ताकि देश भर से मेधावी युवा छात्रों को आकर्षित किया जा सके। इसे पहले मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी (एमसीटी) के नाम से जाना जाता था जो भारत के प्रथम आठ क्षेत्रीय कालेजों में से एक था। इसे महान अध्येता, शिक्षाविद और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डा. अबुल कलाम आजाद के नाम पर रखा गया है। इसका उद्‌घाटन 4 सितंबर, 1960 को स्व. प्रो0 हुमायूं कबीर, तत्कालीन विज्ञान, अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री ने किया था। इसकी आधारशिला भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 23 अप्रैल, 1961 को रखी।

वर्ष 2002 में संस्थान का नाम बदल कर मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल रखा गया। संस्थान

को पूरा धन केंद्र सरकार से प्राप्त होता है तथा इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की संस्था का स्तर प्राप्त है। अगस्त, 1968 में संस्थान पूर्णकालिक एमटेक और अगस्त 1969 से अंशकालिक एमटेक उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। इसके बाद अनेक परास्नातक पाठ्यक्रम अर्थात 1981 में स्ट्रेस एंड वाइब्रेशन एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड मशीन, जुलाई 1987 में कंप्यूटर एप्लीकेशन, 1990 में पर्यावरण इंजीनियरिंग और प्लानिंग सहित पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और डिजिटल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 1992 में अर्बन डेवलपमेंट, 1995 में मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड माइक्रोवेव एंड मिलीमीटर वेब और 1997 में एनर्जी इंजीनियरिंग शुरू किए।

भारत सरकार ने इस संस्थान में दो प्रतिष्ठित समस्या उन्मुख अनुसंधान प्रयोगशाला (एक फ्लूइड मेकेनिक्स और हाइड्रोलिक मेकेनिक्स में तथा दूसरा हैवी इलेक्ट्रिकल मेकेनिक्स में) स्थापित किए हैं। संस्थान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और मानविकी में बैचलर, मास्टर और डाक्टरल कार्यक्रमों में 13 बैचलर, 23 मास्टर कार्यक्रम, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए) डाक्टरल कार्यक्रमों सहित मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) शामिल है। संस्थान में 18 विभाग है जिनके सुयोग्य संकाय सदस्य शिक्षेत्तर (कर्मचारी) 4000 से अधिक छात्र तथा 50 वर्ष का अनुभव और मेधावी नेतृत्व है।

संस्थान का निष्पादन

संस्थान के शिक्षा स्तर में सुधार लाने तथा छात्रों की बढ़ी हुई संख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थान ने नए संकाय सदस्य भर्ती किए हैं। संस्थान ने 10 सम्मेलन आयोजित किए और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 251 विनिबंधों (पेपरों) का योगदान किया। संस्थान के संकाय सदस्यों ने भारत और विदेशों में 62 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया। विभिन्न विषयों पर 7 पुस्तकें प्रकाशित की और 28 अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की। इस वर्ष 124 छात्रों ने पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत कराया तथा 21 छात्रों को पीएचडी डिग्री प्रदान की गई। छात्रों के साथ पारस्परिक चर्चा के लिए सुविख्यात वैज्ञानिकों ने संस्थान का दौरा किया।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम ने संस्थान के 7वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की थी। संस्थान ने 500 लड़कियों की क्षमता वाले और लड़कों के लिए 1536 की क्षमता वाले छात्रावासों का निर्माण शुरू किया है जो परिसर के भीतर ही डिजाइन किए गए है। इसके अतिरिक्त शिक्षा और प्रयोगशाला के स्थान सहित विभागीय ब्लाकों का निर्माण भी शुरू किया गया है। पूरे परिसर के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। संस्थान ने अपने शैक्षिक निष्पादन को सुदृढ़ करने तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक तक पहुंचाने तथा अनुकूल अनुसंधान माहौल तैयार करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए हैं। छात्रों के लिए एक इनक्यूवेशन/इनोवेशन कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 18 विभाग हैं। यहां 23 परास्नातक और 13 अवर स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट (1961 में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज के रूप में स्थापित) अब एनआईटी अधिनियम, 2007 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं में से एक है। इसे अब केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित किया जाता है। पश्चिमी घाट के पहाड़ियों पर इसे सुरम्य वातावरण में बसाया गया है। यह संस्थान केरल के उत्तरी हिस्से में कोजीकाड (कालीकट) शहर से 22 किमी. उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका परिसर लगभग 120 हेक्टेअर क्षेत्र में फैला हुआ है। एनआईटी कालीकट विभिन्न विषयों में अवर स्नातक, परास्नातक और पीएचडी स्तर के कार्यक्रमों की पेशकश करता है और यहां अनेक शैक्षिक विभाग तथा प्रभाग है जहां इंजीनियरिंग, वास्तुकला, विज्ञान और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। अन्तर–विषयी स्कूल और अनुसंधान केन्द्रों में हाल ही में प्रायोजित अनुसंधान और परामर्शी गतिविधियों में वृद्धि की है। वर्तमान में छात्रों की कुल संख्या 4300 है। संस्थान उपलब्ध होने पर छात्रों और कर्मचारियों को आवास स्थल प्रदान करता है। शैक्षिक और आवासीय दोनों पक्षों में बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए सुविधाएं बढ़ाने हेतु संगठित प्रयास किए जा रहे हैं।

संस्थान का निष्पादन

वर्ष 2009–10 और 2010–11 के दौरान संस्थान ने अनेक अवसंरचना विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। आरईसी व्यवस्था की मौजूदा अवसंरचनात्मक सुविधाओं में भवनों के 45000 वर्ग मीटर कुरसी क्षेत्र का विस्तार किया गया। वर्ष 2009 में नए विभाग/स्कूल तैयार किए गए हैं और ये हैं: भौतिक शास्त्र विभाग, रसायन शास्त्र विभाग, जैव प्रौद्योगिकी स्कूल, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन अध्ययन स्कूल। संकाय सदस्यों और शोध छात्रों की गतिविधियों के माध्यम से लगभग 432 प्रकाशन निकाले गए। संकाय के

सदस्यों ने विदेशी निधि प्रदायी एजेंसियों से लगभग 25 मिलियन की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं प्राप्त की। विभिन्न प्रतिष्ठित फर्मों द्वारा आयोजित किए गए परिसर भर्ती के माध्यम से लगभग 95 प्रतिशत छात्रों को प्लेसमेंट मिला। एनआईटी–कालीकट में 13 विभाग है। यहां 25 परास्नातक पाठ्यक्रम (और सभी विषयों में पीएचडी) और 10 अवर स्नातक पाठ्यक्रम हैं।

विशेष उपलब्धियां

संस्थान ने 16 अक्टूबर, 2010 को छठे दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इस दीक्षांत समारोह में 782 डिग्रियां प्रदान की गईं। इनमें 25 पीएचडी डिग्रियां थीं।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापर

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जहां नौ बीटेक कार्यक्रमों, तीन एमएस कार्यक्रमों, पंद्रह एमबीए एमसीए और डाक्टरल अनुसंधान कार्यक्रमों की पेशकश की जाती है। इसका परिसर 187 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें शैक्षणिक ब्लाक, अतिथि गृह, संकाय सदस्यों के क्वार्टर और सभी छात्रों के छात्रावास स्थित हैं जो फाइबर आप्टिक केबल तथा वायरलेस के जरिए 95 एमबीबीएस के बैंडविथ से जुड़े हुए हैं।

संस्थान का निष्पादन

अ.पि.वर्ग के छात्रों के आरक्षण के लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी अवर स्नातक तथा परा स्नातक पाठ्यक्रमों में वार्षिक दाखिले में वृद्धि की अंतिम किस्त वर्ष 2010–11 में कार्यान्वित की गई। वर्ष 2009–10 में दो नए एमटेक कार्यक्रम अर्थात (i) पर्यावरणात्मक विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा (ii) जैव प्रौद्योगिकी शुरू किए गए तथा 2010–2011 में एक एम.एस.सी. कार्यक्रम कंप्यूटर अनुप्रयोग सहित गणित में शुरू किया गया।

वर्ष 2009–10 में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित/प्रकाशन के लिए स्वीकृत संकाय सदस्यों के पेपरों की संख्या 205 और 34 थी। सम्मेलन कार्यवाही में प्रकाशित पेपरों की संख्या 205 थी और संकाय के सदस्यों ने 2009–10 में 91 पांडुलिपियों का पुनरीक्षण किया। इस समय डाक्टरल कार्यक्रम के लिए 212 शोध छात्र पंजीकृत किए गए हैं।

इस समय 90 मिलियन रूपए की कीमत की चौंतीस प्रायोजित योजनाएं संस्थान द्वारा सचालित की जा रही हैं। डीएसटी– एफआईएसटी कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रोनिकी और संचार इंजीनियरी तथा कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग को अनुदान मिला। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा मेटालर्जिकल और मेटिरियल इंजीनियरिंग विभागों को पहले ही अनुदान मिल रहे हैं।

एनआईटी, दुर्गापुर ने विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित टीईक्यूआईपी–। में प्रमुख संस्थान के रूप में सफलतापूर्वक भाग लिया। सेंटर इंस्ट्रूमेंटल फेसिलिटी, एडी प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला और अलग विभागों में 17 नई प्रयोगशालाएं विकसित की गई। विभिन्न विभागों में मौजूदा केन्द्रीय सुविधाएं और 49 प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण किया गया। इस संस्थान को टी.ई.क्यूआईपी–2 में भी चुना गया है।

सी.ई.आरएन, जेनेवा गैलेडोनियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्लासगो (मस्कट परिसर) के साथ एक सहयोगात्मक उद्यम शुरू किया गया जिसमें संकाय के सदस्यों के दौरे, संयुक्त अनुसंधान और छात्रों के इन्टर्नशिप शामिल थी। विश्व भर के 25 विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान प्रगति पर है। वर्ष 2009–10 और 2010–11 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अनुसंधान योजनाएं चलाने और पेपर प्रस्तुत करने के लिए 17 छात्रों और 33 छात्राओं ने विदेशों में स्थित प्रमुख संस्थाओं का दौरा किया। एनआईटी, दुर्गापुर को इण्डो, यूएस कोलेबरेशन फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन (आईयूसीईई) के डब्ल्यू. वी. क्षेत्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में चुना गया। आईओटीए के साथ सहयोग से पॉश संसाधन केन्द्र स्थापित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि सहयोग अनुसंधान और प्रशिक्षण दिया जा सके तथा चार परियोजनाएं शुरू की गई। हाल ही में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा लगाई गई है जिससे सहयोगात्मक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

छात्रों की बढ़ी हुई संख्या से निपटने के लिए अवसंरचना में व्यापक विस्तार किया गया। अनेक शैक्षिक और प्रशासनिक ब्लाकों, लड़कों और लड़कियों के लिए नवीन छात्र–छात्रावास और संकाय सदस्यों के आवास ब्लाकों का निर्माण जारशोर से चल रहा है। सड़कों और जल निकासी व्यवस्था का विस्तार, चिकित्सा इकाई और छात्र गतिविधि केन्द्र का जीर्णोद्धार तथा मौजूदा छात्रावासों का विस्तार भी प्रगति पर हैं। छात्रों के खेलकूद सुविधाओं सहित मौजूदा अवसंरचना में वृद्धि की गई हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइट गलियों और बागों में लगाई गई है तथा छात्रावासों में सौर हीटर लगाए गए हैं।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर (जिसे पहले क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज हमरीरपुर कहा जाता था) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1985 में भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार के संयुक्त और सरकारी उद्यम के रूप में की गई थी। इसे वर्ष 2002 में देश के अन्य क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। संस्थान को एनआईटी अधिनियम 2007 के तहत 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' का स्तर प्राप्त है। संस्थान का परिसर धौलधर पहाड़ी श्रृंखला के बर्फ से ढके माहौल में 220 एकड़ में फैला हुआ है। यह परिसर हमीरपुर शहर के चौहद्दी में स्थित हमीरपुर बस स्टैंड से चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। हमीरपुर शहर, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का मुख्यालय भी हैं और यह देश के दूसरे हिस्सों से सभी मौसम में चलने वाली सड़कों से जुड़ा हुआ है। उना (हिमाचल प्रदेश का निकटतम ब्रॉडगेज लेन 80 किमी. की दूरी पर स्थित है जहां हमीरपुर के लिए अच्छी बस सेवा उपलब्ध है। इस स्थान की जलवायु मनोरम है जहां का तापमान सामान्य रहता है जो 900 मीटर की ऊंचाई पर 4 से 40 सेल्सियस के बीच रहता है।

वर्तमान में संस्थान 4 वर्षीय बीटेक डिग्री की पेशकश करता है जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, कंप्यूटर विज्ञान और मेकेनिकल इंजीनियरिंग में 92 छात्र लिए जाते हैं। संस्थान बी.आर्क में 5 वर्षीय डिग्री भी संचालित करता है जिसमें 46 छात्र लिए जाते हैं। संस्थान में इस समय 12 एमटेक कार्यक्रम तथा 15 अनुमोदित परास्नातक कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें प्रत्येक में 25 छात्र लिए जाते हैं। संस्थान में इस समय 12 एमटेक कार्यक्रम तथा 15 अनुमोदित परास्नातक कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें प्रत्येक में 25–25 छात्र लिए जाते हैं और जो इस समय (i) इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग (क) पावर सिस्टम (ख) सिग्नल प्रोसेसिंग और कंट्रोल (ग) कंडीशन मॉनिटरिंग कंट्रोल एण्ड प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अपरेटस (ii) मेकेनिकल इंजीनियरिंग (क) थर्मल इंजीनियरिंग (कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनामिक्स और हेड ट्रांसफर (ख) कैड–कैम (iii) इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (क) वीएलएस डिजाइन (ख) संचार प्रणाली और नेटवर्क (iv) कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (ख) मोबाइल कंप्यूटिंग (v) सेंटर फॉर मेटेरियल साइंस (क) मेटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग (vi) सेंटर फार एनर्जी एंड एनवायर्नमेंट (क) ऊर्जा प्रौद्योगिकी (vii) वास्तुकला (क) एम. आर्क और आयोजना (viii) प्रबंधन और समाज विज्ञानः एमबीए (स्व–वित्त पोषण) संख्या 5, अधिक परा स्नातक पाठ्यक्रम/3 विषयों में एमएससी और एमएससी 5 वर्षीय समेकित कार्यक्रम भविष्य में शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग, विज्ञान, मानविकी और वास्तुकला विभाग के सभी विषयों में जनवरी, 2006 में पीएचडी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

संस्थान का निष्पादन

शैक्षिक

- तीसरे चरण में अवर स्नातक और परा स्नातक इनटेक 54 प्रतिशत की दर से बढ़ाई गई और अ.पि.व. के लिए पूरी तरह से आरक्षण लागू किया गया है।
- मोबाइल कंप्यूटिंग, मेटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग एनर्जी टेक्नोलॉजी और एम.आर्क में 4 पीजी (एमटेक) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

सिविल अवसंरचना

- आवासीय भवनों का क्षेत्र (11/2010) 4850.00
- छात्रावासों का क्षेत्र 11713.00 वर्ग मीटर
- गैर आवासीय भवनों का क्षेत्र 22562.00 वर्ग मीटर
- लड़कों के लिए नए छात्रावास (नीलकंठ) का क्षेत्र जिसमें 450 छात्रों की क्षमताः 9729.00 वर्ग मीटर

अनुसंधान और विकास

- संकाय द्वारा प्रस्तुत पेपर:60

लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तियों का दौरा

- 10.7.2010 को आयोजित दीक्षांत समारोह में प्रो. डी. पी. अग्रवाल अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग एवं डा. पीजी पेरीस्वामी, अध्यक्ष, धरानी उद्योग समूह को मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- आयोजित कार्यशालाएंः 8
- अल्पकालिक पाठ्यक्रमः 28
- सामुदायिक पाठ्यक्रमः 16
- स्थापन (प्लेसमेंट): 66: बीटेक आर्क और 4 एमटेक

पाठ्येत्तर गतिविधियां

आयोजित टूर्नामेंटः इंटर–इंजी. डीम्ड यूनिवर्सिटी बास्केट बाल टूर्नामेंट और आल इंडिया इंटर एनआईटी, फुटबाल टूर्नामेंट।

एनआईटी, हमीरपुर में 10 विभाग और 3 केंद्र हैं। 12 परास्नातक और 6 अवर स्नातक पाठ्यक्रम हैं।

मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर

पहले मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज जयपुर के नाम से विख्यात (1963 में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित) भारत के 7 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों में से एक था। संस्थान को वर्तमान में मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी–जयपुर के नाम से जाना जाता है। इंजीनियरिंग, विज्ञान और मानविकी में 9 अवर स्नातक, 19 परास्नातक और पीएचडी कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) का हिस्सा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी शिक्षा देने के लिए अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए 110 करोड़ रू. की मंजूरी दी गई थी।

संस्थान का निष्पादन

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्लेसमेंट सेल ने 2007–10 के लिए 100 प्रतिशत प्लेसमेंट प्राप्त किया जिसमें 100 से अधिक छात्रों को एक से अधिक प्लेसमेंट की पेशकश प्राप्त हुई। रिकार्ड संख्या में 98 कंपनियाँ परिसर में आईं। औसत वेतन पैकेज 3.93 लाख रू. प्रति वर्ष था।

150 से अधिक प्रायोजित अनुसंधान परियोजना जिसकी कीमत 150 लाख से ऊपर थी इस समय संस्थान में प्रगति पर हैं। 158 लाख से अधिक की परामर्शी परियोजनाएं वर्ष के दौरान शुरू की गई।

शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विभाग ने एमएसटी 09 (अखिल भारतीय आमंत्रित खेलकूद टूर्नामेंट) आयोजित किए और अलग–अलग खेलों में 4 स्वर्ण पदक तथा 3 रजत पदक मिलने पर चैंपियन घोषित किया गया। छात्रों ने बीओएसएम (पिलानी), नामक राष्ट्रीय स्तरीय टूर्नामेंटों में भाग लिया और तीनों में चैंपियन घोषित किए गए। एनआईटी जयपुर में 14 विभाग है। यहां 17 परास्नातक और अवर स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

डा. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान– जालंधर

डा. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1987 में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज जालंधर के रूप में की गई थी और भारत सरकार ने 17 अक्टूबर, 2002 को इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया। अब एनआईटी अधिनियम 2007 में संस्थान को 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित किया गया है। एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में संस्थान की जिम्मेदारी इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान में उच्च कोटि की शिक्षा देना है, ताकि देश के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक जनशक्ति तैयार की जा सके। संस्थान में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक बीटेक, एमटेक, एमएससी और पीएचडी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

संस्थान का परिसर 154 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी अनेक टोपोग्राफिक विशेषताएं हैं। अलग–अलग प्रकृति के इसके विभिन्न भवन और साफ–सुथरी तथा चौड़ी सड़कें हरित पट्टी से घिरी हुई हैं। परिसर क्षेत्र 10 अलग–अलग कार्यात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है जैसे (I) शिक्षण विभागों/केंद्रों/प्रशासन के लिए संस्था जोन (II) संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के लिए आवासीय जोन (III) छात्रावास जोन। परिसर में अन्य सुविधाओं में शामिल हैं: एक अतिथि गृह, सामुदायिक केंद्र, औषधालय, बाजार, बैंक, डाकखाना, क्रीड़ा परिसर, खेल के मैदान, नया टेनिस कोर्ट, बास्केट बाल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, खुले थिएटर, केंद्रीय सेमिनार हाल और रैन बसेरा आदि। एनआईटी, जालंधर में 14 विभाग हैं। यहां 16 परास्नातक (एमटेक/(एफटी/पीटी)(13 पीएचडी कार्यक्रम) और 9 अवर स्नातक पाठक्रम चलाए जाते हैं।

विशेष उपलब्धियां

बड़ी संख्या में देश के औद्योगिक घराने संस्थान में आकर अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले बच्चों को इंजीनियरिंग/प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में चुनते हैं। बीटेक छात्रों (2005–09) को दिया जाने वाला उच्चतम वेतन पैकेज 11.2 लाख रू. प्रति वर्ष था जो मैसर्स पावरग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा दिया गया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमेशदपुर (जिसे पहले 31 मार्च, 2003 तक क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आरआईटी) कहा जाता था, देश के 30 संस्थानों में से एक है। आरआईटी, जमेशदपुर के रूप में इसे केन्द्र सरकार और बिहार राज्य सरकार के 50:50 के बजटीय खर्च के अनुपात में स्वायत्त शिक्षा संगठन के रूप में 1960–61 में स्थापित किया गया था, परंतु इसे राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की निगरानी में रखा गया था। आरआईटी, जमशेदपुर को 1.4. 2003 से एनआईटी, जमशेदपुर के रूप में परिवर्तित कर

दिया गया, परंतु एनआईटी अधिनियम, 2007 पारित हो जाने के बाद अब एनआईटी, जमेशदपुर 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' है।

संस्थान सौंपी गई सभी जिम्मेदारियों अर्थात अध्ययन अनुसंधान, कर्मचारी और छात्र कल्याण, परिसर विकास, छात्रों की सह–पाठ्यचर्या गतिविधियों में संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है और संकाय सदस्यों की राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लेने तथा अपने अनुसंधान निष्कर्षों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने के लिए प्रोत्साहित करता है। वर्ष 2008–09 के दौरान यहां से निकलने वाले 93 प्रतिशत स्नातकों को विभिन्न प्रमुख कंपनियों ने परिसर में आकर उनका चयन किया जो एक रिकार्ड है। एनआईटी जमशेदपुर में 12 विभाग है। यहां 4 परास्नातक पाठ्यक्रम (एमटेक)1 (एमसीए) तथा 7 यूजी पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र देश के तीस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक है। संस्थान को भारत सरकार द्वारा 26.6.2002 को सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। एनआईटी, कुरुक्षेत्र, सम विश्वविद्यालय घोषित किए जाने से पूर्व इस संस्थान को क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र कहा जाता था जिसकी स्थापना युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने तथा राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए भारत सरकार और हरियाणा सरकार के संयुक्त और सहकारी उद्यम के रूप में की गई थी। भारत सरकार 14.5.2003 से इस संस्थान का पूरा प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 द्वारा एनआईटी, कुरुक्षेत्र को 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र ने रचानात्मक प्रवृत्ति, जोशीले और सकारात्मक दृष्टिकोण वाले पेशेवरों को बनाना जारी रखा है। संस्थान, अवर और परा स्नातक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में इंजीनियरिंग की शिक्षा देता है। यह इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। वर्ष 2006 में संस्थान व्यावसायिक प्रबंधन में भी मास्टर डिग्री प्रदान करता है। अनेक वर्गों में संस्थान के आकार और गतिविधियों में वृद्धि हुई है। देश के प्रमुख इंजीनियरिंग कालेजों में इसे अद्वितीय स्थान प्राप्त है तथा यह शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता के प्रति वचनबद्ध है।

यह संस्थान दिल्ली से 160 किमी. की दूरी पर है। 300 एकड़ में फैला इसका प्रदूषण मुक्त और हरा–भरा परिसर एक रमणीक स्थल पर स्थित है। यह वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य में सद्भाव का दृश्य प्रस्तुत करता है। संस्थान में अच्छा पुस्तकालय, आधुनिक उपस्करों से सुसज्जित प्रयोगशाला, वर्कशॉप तथा कंप्यूटर केंद्र हैं। यहां सुयोग्य डाक्टरों द्वारा चलाया जा रहा स्वास्थ्य केंद्र, डाकखाना (पोस्ट ऑफिस), इंटरनेट सुविधा सहित छात्रावास, अतिथि गृह, भारतीय स्टेट बैंक की एक शखा, बाजार, व्यायामशाला पूर्णतः सुसज्जित क्रीड़ा परिसर, सिनेट हाल और जुबली हाल परिसर के सुविधाजनक स्थानों पर स्थित है।

संस्थान का निष्पादन

अवसंरचना विकासः निम्नलिखित कार्य प्रगति पर हैः

(i) अतिथि गृह भवन का विस्तार
(ii) एमबीए और एमसीए ब्लाक–ए, दो मंजिला फ्रेमयुक्त संरचना भवन का निर्माण
(iii) 1000 की क्षमता वाले मेगा पुरुष छात्रावास का निर्माण
(iv) मौजूदा गर्म पानी की खुली नालियों के लिए आरसीसी एनपी–2 ह्यूम पाइप प्रदान करना और उसका निर्माण करना तथा 300 की क्षमता वाले महिला छात्रावास की चारदीवारी का निर्माण
(v) अतिरिक्त महिला छात्रावास का निर्माण (300 की क्षमता वाले)
(vi) अतिरिक्त महिला छात्रावास (300 की क्षमता) में 11 केवी सब–स्टेशन लगाने के लिए कमरे का निर्माण (आकार–22x16, आरसीसी छत सहित)
(vii) अतिरिक्त महिला छात्रावास (300 की क्षमता) में 11 केवी सब स्टेशन लगाना

संकाय सदस्यों के कार्य

संकाय सदस्यों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, सम्मेलनों/सेमिनारों/संगोष्ठियों आदि में भाग लिया, अनेक अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनेक पेपर प्रस्तुत किए। एनआईटी–कुरुक्षेत्र में 13 विभाग है, यहां 16 परा स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर

विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर देश के तीस प्रौद्योगिक संस्थानों में से एक है। इस संस्थान की स्थापना 1960 में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज के रूप में हुई थी तथा इसका नाम देश के प्रख्यात इंजीनियरिंग, आयोजना निर्माता

तथा राजनेता भारत रत्न स्वर्गीय एम. विश्वसरैया के नाम पर रखा गया। अनेक वर्षों में इस संस्थान में तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में कई गुना वृद्धि हुई है। संस्थान में 13 विभाग हैं जो अवर स्नातक, परा स्नातक तथा डाक्टरल स्तर पर शिक्षा प्रदान करते है। संस्थान सभी विभागों में 9 अवर स्नातक, 13 परास्नातक और डाक्टरल अनुसंधान कार्यक्रम की पेशकश करता है। संस्थान के सभी विभागों में सुसज्जित पुस्तकालय है तथा यहां उत्कृष्ट अनुसंधान और परीक्षण सुविधाएं हैं। यहां विभिन्न विषयों के उच्च कोटि की योग्यता वाले तथा प्रशिक्षित तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले और सिद्ध योग्यता वाले संकाय सदस्य पर्याप्त संख्या में हैं। ये संकाय सदस्य विभिन्न गतिविधियों जैसे सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अतिथि व्याख्यानों आदि में भाग लेकर देश और विदेशों में होने वाले नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकासों से स्वयं को अवगत रखते हैं। संकाय सदस्य शैक्षिक दृष्टि से प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में नियमित रूप से पेपर छपने के लिए देते हैं। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) के तहत विश्व बैंक परियोजना की स्कीम के अंतर्गत दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए वीएनआईटी को चुना गया है। एनआईटी, नागपुर में 13 विभाग हैं। ये हैं: 13 परास्नातक पाठ्यक्रम और 9 अवर स्नातक पाठ्यक्रम ।

संस्थान का निष्पादन वर्ष 2010–11 के दौरान प्रदान की गई डिग्रियां (कार्यक्रमवार) 470 (अवर स्नातक) और 145 (परा स्नातक) 34 (पीएचडी) थी।

विशेष उपलब्धियां:

संस्थान में उत्कृष्ट परिसर प्लेसमेंट है। परिसर में आने वाली कंपनियां हैं– टाटा मोटर्स, माइक्रोसॉफ्ट, एल एण्ड टी, बजाज ऑटो लि., बार्कलेज सॉफ्टवेयर्स, जेडएस एसोसिएशन लि., मीकॉन लि. आदि। परिसर प्लेंसमेंट के जरिए अधिकतम पेशकश किया गया वार्षिक वेतन 11 लाख रू. प्रतिवर्ष तथा औसत वार्षिक वेतन 3.5 लाख रू. है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना, भारत सरकार द्वारा स्थापित अठारहवां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसे पूर्ववर्ती बिहार कालेज ऑफ इंजीनियरिंग से 28.1.2004 को परिवर्तित किया गया। संस्थान एनआईटी अधिनियम, 2007 से अभिशासित होता हैं। इसकी छोटी शुरुआत प्लीडर सर्वे ट्रेनिंग स्कूल स्थापित कर 1886 में हुई जिसका स्तर बढ़ाकर 1924 में बिहार कालेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया जो आज वर्तमान स्थल पर स्थित है और यहां स्नातक स्तर की पाठ्यचर्या शुरू की गई। संस्थान में एमएससी (इंजीनियरिंग) 1978 में शुरू किया गया तथा अब शैक्षिक सत्र 2009–10 से डाक्टरल कार्यक्रम शुरू किया गया है। एनआईटी, पटना गांधी घाट (पटना के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में से एक) के पीछे गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। संस्थान का परिसर पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से 8 किमी. की दूरी पर तथा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 15 किमी. की दूरी पर स्थित है। संस्थान में अशोक राजपथ की ओर से दाखिल हुआ जाता है तथा यह शहर के मध्य स्थित गांधी मैदान से 5 किमी. की दूसरी पर स्थित है। एनआईटी, पटना में 11 विभाग हैं। यहां 7 परा स्नातक और 7 अवर स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

संस्थान का निष्पादन

(i) संस्थान का दीक्षांत समारोह जून, 2010 में आयोजित किया गया और बिहार के राज्य पाल इसमें प्रमुख अतिथि थे।

(ii) संस्थान के प्रयोगशालाओं में नए उपस्कर लाकर स्तर में सुधार किया गया।

(iii) संस्थान के कंप्यूटर केन्द्र को मार्च के प्रथम सप्ताह में पूरा करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान–रायपुर

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, रायपुर जो पहले जीईसी रायपुर था, का भारत सरकार ने 1.12.2005 से स्तरोन्नयन किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर को एनआईटी अधिनियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। संस्थान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की अति उन्नत क्षेत्र में सामयिक स्नातक तैयार कर तकनीकी शिक्षा के विकास के चुनौतीपूर्ण कार्य के प्रति समर्पित है। वर्तमान में संस्थान बारह विषयों में अवर स्नातक कार्यक्रमों और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में डाक्टरल कार्यक्रमों की पेशकश भी करता है। नाम बदले जाने के बाद से ही एनआईटी, रायपुर का तेजी से विकास हुआ है और इसमें अनेक सुधार आए हैं जिसके कारण प्लेसमेंट के रिकार्ड में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है क्योंकि प्लेसमेंट का ग्राफ तेजी से बढ़ा है।

संस्थान का निष्पादन

संस्थान लगभग 50 वर्षों से योगदान कर रहा है। अपने विधान के प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक

नीतिगत पहले (जैसा कि नीचे दिया गया है) शैक्षणिक और प्रशासनिक दोनों ओर शुरू की गई है। शैक्षणिक पहलों में शामिल हैः पाठ्यचर्या में सुधार, शैक्षणिक गतिविधियों की आवधिक समीक्षा, टीईक्यूआईपी प्रस्ताव, प्रयोगशाला के स्तर में सुधार, कर्मचारियों के करियर विकास में अवसरों और सुविधाओं की उपलब्धता। प्रशासनिक पहलों में शामिल हैः नए शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती, अवसंरचना का विकास, कर्मचारियों के कल्याण के लिए विभिन्न नियम बनाना।

अ.पि. व हेतु आरक्षण के कार्यान्वयन के कारण क्रमशः 2009–10 और 2010–11 में छात्रों की संख्या (अवर स्नातक और परा स्नातक) बढ़कर 1017 और 1148 हो गई है। संस्थान के विभिन्न विभागों में पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें 16 पूर्णकालिक पीएचडी छात्र लिए गए हैं। इस समय लगभग 40 अंशकालिक और पूर्णकालिक शोध छात्र संस्थान में पीएचडी कर रहे हैं। कुछ गैर संकाय पद की भर्ती पूरी कर ली गई है और 152 संकायों की स्थिति पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। एनआईटी, रायपुर में बीस विभाग है। इनमें 6 परास्नातक कार्यक्रम और 12 अवर स्नातक कार्यक्रम हैं।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला के रूप में संस्थान की स्थापना 15 अगस्त, 1961 को की गई थी और 26 जून 2002 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला कर दिया गया तथा एनआईटी अधिनियम 2007 द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। परिसर 675 एकड़ में फैला हुआ है और हरा–भरा है तथा यह राउरकेला की पहाड़ियों के मिलन बिंदु की दाहिनी ओर स्थित है। परिसर में सुरुचिपूर्ण ढंग से बनाए गए सुंदर भवन हैं जिनसे कई पीढ़ी के छात्र उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित हुए हैं। परिसर का नए सिरे से विस्तार करने पर इसमें 400 एकड़ और जुड़ जाएंगे। परिसर एक छोटा–मोटा शहर है जहां सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। यहां आठ आवासीय हाल हैं, 7 लड़कों के लिए एक लड़कियों के लिए। इस प्रकार यहां कुल 3000 बोर्डरों के रहने की व्यवस्था है। पूरा परिसर एक उन्नत नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जिसमें लगभग 4000 नोड है। प्रत्येक छात्र और संकाय सदस्य के लिए एक व्यक्तिगत कंप्यूटर है, जो 32 एमबीपीएस, इंटरनेट बैंडविड्थ सहित एनआईटी, राउरकेला में देश के सबसे उन्नत कंप्यूटर नेटवर्क में से एक है।

संस्थान का निष्पादन

वर्ष दर वर्ष, एनआईटी राउरकेला का प्लेसमेंट बेहतर होता जा रहा है। यहां तक कि जब शेष देश के लोग आर्थिक संकट का सामना करने के कारण कठिनाई का अनुभव कर रहे थे, एनआईटी, राउरकेला के छात्रों को देश में सर्वोत्तम संगठनों में नौकरी मिलती रही। प्लेसमेंट रिकार्डों से एनआईटी, राउरकेला के छात्रों की योग्यता और क्षमता क्षमता स्वयं सिद्ध है। विश्व की बड़ी फर्मों द्वारा एनआईटी राउरकेला से निकले स्नातकों को की गई पेशकशों से छात्रों की योग्यता सिद्ध होती है तथा एनआईटी, राउरकेला द्वारा दी गई डिग्री का महत्व बढ़ता है। इन संगठनों द्वारा एनआईटी, राउरकेला की डिग्री में दर्शाए गए भरोसे और विश्वास से इसके बढ़ते महत्व का पता चलता है। इस प्रक्रिया में 50 फर्मों ने भाग लिया जिसमें उल्लेखनीय हिस्से (65 प्रतिशत से अधिक) को प्लेसमेंट अनुसूची के पहले दो महीनों में ही प्लेसमेंट मिल गया। बाजार की ढुलमुल परिस्थितियों के बावजूद, एनआईटी, राउरकेला ने पेशकश की गई नौकरियों की संख्या में नई ऊंचाई हासिल की। रोजगार की पेशकश 586 से बढ़कर 600 हो गई।

एनआईटी, राउरकेला में 17 विभाग हैं। यहां 22 परा स्नातक और 12 अवर स्नातक पाठ्यक्रम चल रहे हैं।

विशेष उपलब्धियां

(i) औषधालय में दवा की एक दुकान खोली गई। कर्मचारियों के लिए नए निर्माण कार्यों को पूरा किया गया। 3.3.2010 को एक नए तरनताल का उद्घाटन किया गया। मैदान की चारदीवारी का निर्माण कार्य पूरा किया गया। परिसर में बसाई गई बस्ती से 176 लोगों को शांतिपूर्वक हटाया गया। जी टाइप के क्वार्टरों का जीर्णोद्धार किया गया तथा अन्य क्वार्टरों का जीर्णोद्धार प्रगति पर है।

(ii) उत्कृष्टता के चार केन्द्रः गणित, विज्ञान और इंजीनियरिंग केन्द्र, नैनो मेटेरियल विकास केन्द्र औद्योगिक रेफ्रिजरेशन और क्रायोजीन केन्द्र तथा औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी और रोबोटिक केन्द्र

(iii) देश में सभी संस्थाओं में इस संस्थान का 18वां स्थान है (इंडिया टुडे ने एनआईटी, राउरकेला को देश भर में स्थित सभी एनआईटी में तीसरे स्थान पर और सभी तकनीकी संस्थाओं में 18वें स्थान पर रखा है।

(iv) संस्थान में 236 पीएचडी छात्र अनुसंधान कर रहे है। दीक्षांत समारोह 2010 में 11 पीएचडी प्रदान की गई।

(v) अवर स्नातक छात्रों का 100 प्रतिशत प्लेसमेंट हुआ है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर

वर्ष 2002 में आरईसी, सिल्चर से परिवर्तित करके राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिल्चर बनाया गया जिसने वर्ष 1977 से शैक्षिक गतिविधियां शुरू की। इन 35 वर्षों में संस्थान की दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हुई है और यह आम तौर पर देश की तथा खास तौर पर उत्तर–पूर्व की जरूरतों को पूरा कर रहा है। एनआईटी अधिनियम 2007 के अनुसार 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' होने के कारण एनआईटी, सिल्चर में प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में उच्च कोटि के मानव और ज्ञान संस्थान के विकास द्वारा अद्वितीय पहचान स्थापित करने की अभिकल्पना है ताकि स्थानीय राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक जरूरतों तथा मानवसमाज की जरूरतों को स्वयं पूरा किया जा सके। वर्तमान में यह 6 अवर स्नातक पाठ्यक्रमों (अर्थात सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एरिया, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग) तथा नौ एमटेक और एमएससी कायक्रमों (भूकंप इंजीनियरिंग) जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जल संसाधन इंजीनियरिंग, परिवहन इंजीनियरिंग, विद्युत और ऊर्जा प्रणाली इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, डिजाइन और विनिर्माण इंजीनियरिंग, माइक्रोइलेक्ट्रोनिक्स और वीएलएसआई इंजीनियरिंग, अनुप्रयुक्त (रसायन शास्त्र) की पेशकश करता है तथा इंजीनियरिंग बुनियादी विज्ञान और मानविकी सभी शाखाओं में पीएचडी कार्यक्रमों की पेशकश भी करता है। एनआईटी, सिल्चर का प्लेसमेंट रिकार्ड काफी उत्साहवर्धक है तथा यह लगभग 95 प्रतिशत है। अनुसंधान सहित अवर स्नातक और परा स्नातक दोनों स्तरों के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की चुनौती से निपटने के लिए विभिन्न और संरचनात्मक विकास किए जा रहे हैं। यहां 9 परा स्नातक कार्यक्रम और 6 अवर स्नातक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

विशेष उपलब्धियां

एनआईटी, सिल्चर ने आज तक 8 पीएचडी (4 भौतिक शास्त्र में, 2 सिविल इंजीनीयरी में, एक मेकेनिकल इंजीनियरी और एक मानविकी तथा समाज विज्ञान) प्रदान की है तथा कुछ और पीएचडी डिग्रियां प्रदान की जाएंगी।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर ने विशेषकर पिछले 5 वर्षों के दौरान छात्रों को लेने में लगातार ऊर्ध्वमुखी वृद्धि अपनाई है। पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरिंग विभाग, केमिकल इंजीनियरिंग विभाग, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, मेटालर्जी और मेटेरियल विभाग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के अतिरिक्त दो नए विभाग नामतः कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्थापित किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग विभाग तथा मेकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग विभाग में परास्नातक पाठ्यक्रम चल रहे हैं। संस्थान में विभिन्न विभागों में पीएचडी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान लड़कियों की संख्या बढ़ी है। एनआईटी, श्रीनगर में बारह विभाग हैं। इनमें से चार परास्नातक पाठ्यक्रम से संबंधित हैं।

संस्थान का कार्य निष्पादन

(i) 16 मई, 2009 को संस्थान में विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस आयोजित किया गया।

(ii) संस्थान का प्रत्यायनः राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न बीटेक कार्यक्रमों के प्रत्यायन के लिए 24–26 अप्रैल 2009 तक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर का दौरा किया। बाद में एनबीए में (2009 में विभिन्न बीटेक कार्यक्रमों के लिए 3 से 5 वर्ष और अवधि के लिए प्रत्यायन स्थिति की सूचना दी।

(iii) टेक वैगेंजा– 09: संस्थान ने 9–11 अप्रैल, 2009 तक अपना पहला राष्ट्रीय तकनीकी उत्सव टेकवैगेंजा–09'' आयोजित किया। इस समारोह का उदघाटन अध्यक्ष (बीओजी) श्री वजाहत हबीबुल्ला, मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रय सूचना आयोग, भारत सरकार ने किया।

(iv) भवन और निर्माण कार्य समिति की बैठक (10.11. 2009) में आयोजित संस्थान में सीवरेज और ड्रेनेज प्रणाली का संकल्प लिया गया ताकि माननीय जम्मू उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार डल लेक के प्रदूषण को दूर किया जा सके।

(v) एनआईटी, श्रीनगर परिसर में 14–16 नवंबर, 2009 को एक राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिनमें राज्य और राज्य से बाहर में 26 प्रकाशकों ने भाग लिया।

(vi) प्रो. विजय साजवाल, प्रो., न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी, संयुक्त राज्य ने 4 दिसंबर 2009 को संस्थान के संकाय सदस्यों और छात्रों के समक्ष ('एडवांसेज इन द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल) पर सूचनाप्रद व्याख्यान दिया।

(vii) सुश्री सकीना ईटू, माननीय समाज कल्याण विभाग मंत्री, जम्मू और कश्मीर सरकार ने वर्ष 2008–09

के लिए एनआईटी श्रीनगर के 152 योग्य छात्रों को संस्थान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (योग्यता सह साधन) चेक प्रदान किए जिसकी कीमत 26,52,410 रू. थी।

(viii) संस्थान के बाहर अलग–अलग स्थानों पर संस्थान के संकाय सदस्यों द्वारा 12 विशेषज्ञ व्याख्यान दिए गए।

(ix) मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग विभाग ने 21 नवंबर 2009 को 47वें राष्ट्रीय मेटालॉर्जिस्ट दिवस समारोह के अवसर पर छात्रों और अध्यापकों को शामिल कर मेटालार्जिकल पेशेवर कांग्रेस द्वारा 'मेटल्स और मेटेरियल–09' आयोजित किया।

(x) उपर्युक्त कार्यक्रम के भाग के रूप में 'रोल आफ मेटालर्जिस्ट इन दि प्रजेंट इंडस्ट्रियल एज' विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। विभाग के संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा मौखिक तथा पोस्टर पेपर प्रजेंटेशन सत्र में कुल 26 स्टूडेंट पेपर प्रस्तुत किए गए।

(xi) संस्थान के संकाय सदस्यों द्वारा लिखित में 65 अनुसंधान पेपर भिन्न–भिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए।

(xii) संस्थान के संकाय सदस्यों ने विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं में 53 सेमिनारों/वर्कशापों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत

सिविल, मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तकनीकी शिक्षा देने के लिए एक आरईसी के रूप में वर्ष 1961 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी। वर्ष 1983–84 में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में अवर स्नातक कार्यक्रम शुरू किया गया और वर्ष 1988–89 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और अवर स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया गया। 1995–96 में केमिकल इंजीनियरिंग उच्च स्नातक कार्यक्रम शुरू किया गया। केन्द्र सरकार ने 2002 से सरदार वल्लभ भाई कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (एसबीआरसी), सूरत को सरदार बल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत में परिवर्तित कर दिया और इसे 'सम विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान किया। संस्थान को एनआईटी अधिनियम 2007 के अनुसार 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' का स्तर प्रदान किया गया है। वर्तमान में संस्थान छह अवर स्नातक कार्यक्रमों, 15 परास्नातक कार्यक्रमों तथा एमएससी पंचवर्षीय समेकित कार्यक्रम की पेशकश कर रहा है।

संस्थान का कार्य निष्पादन

वर्ष 2009–10 में सातवें दीक्षांत समारोह में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रदान की गई डिग्रियां हैं–अवर स्नातक–128 परास्नातक–156 और पीएचडी–9 । संस्थान के संकाय सदस्यों ने वर्ष 2009–10 के दौरान प्रतिष्ठित ईयर रिव्यूज जनरल और सम्मेलन कार्यवाहियों में 230 से अधिक पेपर प्रकाशित किए हैं। संस्थान में देश के भिन्न–भिन्न तकनीकी संस्थाओं के संकाय सदस्यों के लिए 67 प्रशिक्षण कार्यक्रम और पांच सम्मेलन आयोजित किए हैं। वर्तमान में संस्थान डीएसटी, एआईसीटीई, वीएनआरसी, डीआरडीओ आदि निधि प्रदायी एजेंसियों के माध्यम से अनुबंधन के लिए 5.36 करोड़ अनुसंधान निधियां प्रदान कर रहा है। संस्थान के संकाय सदस्यों ने वर्ष 2009–10 के दौरान देश के विभिन्न उद्योगों को परामर्शी सेवाएं देकर 2.1 करोड़ रूपए अर्जित किए हैं। एनआईटी सूरत में 10 विभाग है। यहां 15 परा स्नातक पाठ्यक्रम और 6 अवर स्नातक पठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

संस्थान का कार्य निष्पादन

वर्ष	बीटेक	एमटेक	एमसीए	एमबीए	एमएससी		पीएचडी		कुल
					भौतिक शास्त्र	रसायन शास्त्र	फुल टाइम	पार्ट टाइम	
2010–11	818	496	90	37	23	22	36	52	1574

बीटेक, के अंतर्गत विदेश मंत्रालय (शिक्षा) और कल्याण के नामांकन कोटा तथा डीएएसए स्कीम के जरिए प्रवेश किए गए हैं। एमटेक में आईसीसीआर के माध्यम से क्यूआईपी उम्मीदवारों और विदेशी नागरिकों को प्रवेश दिए गए हैं। एनआईटी, सूरत में 14 विभाग हैं। यहां 28 परास्नातक पाठ्यक्रम और 9 अवर स्नातक पाठ्यक्रम हैं।

विशेष उपलब्धियां

सभी अवर स्नातक, परास्नातक कार्यक्रमों को प्रत्यायित किया गया और उनमें से अधिकांश को उच्चतम रेटिंग प्रदान की गई अर्थात 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्यायन दिया गया। संस्थान को क्यूआईपी (इंजीनियरिंग) स्कीम के

लिए पूरी तरह से मान्यता दी गई।

विशेष उपलब्धियां

संस्थान ने इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए भारत–अमेरिका सहयोग (आईयूसीईई) किया है। 2 आईयूसीईई आयोजित किया और वर्तमान में यह आईयूसीईई के जरिए अमरीकी सहगाइड पीएचडी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरथकल

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरथकल की स्थापना क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों की श्रंखला में दूसरे तथा भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। वर्ष 2002 में इसे परिवर्तित कर राष्ट्रीय औद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरथकल कर दिया गया और इसे सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया। इसके बाद एनआईटी, सूरथकल को एनआईटी अधिनियम, 2007 के तहत (राष्ट्रीय महत्व के संस्थान) दर्जा दिया गया है।

एनआईटी के सूरथकल में अगस्त 2009 से अगस्त, 2010 तक अपना स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। स्वर्ण जयंती समारोह के भाग के रूप में संस्थान ने पांच अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए। 5 मई, 2010 को आयोजित 7वें वार्षिक दीक्षांत समारोह के दौरान 50 पीएचडी अध्येता को भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में डिग्री प्रदान की गई है। वर्ष 2009–10 और 2010–11 के दौरान अनुसंधान अनुदान के रूप में क्रमशः ₹3,30,48,744.00 और ₹ 4,79,79,100.00 की राशि प्राप्त की गई जो क्यूआईपी केन्द्र के रूप में इसके पहले के मौजूदा मान्यता के अतिरिक्त है।

एनआईटी सूरथकल में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे ह्यूलेट पैकर्ड, ड्यूबलिन सिटी यूनिवर्सिटी, स्विस यूनिवर्सिटी, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, पेंसिलवानिया स्टेट यूनिवर्सिटी (2008) यूएसए चोन्नम नेशनल यूनिवर्सिटी (2008), दक्षिण कोरिया डेकन यूनिवर्सिटी (2009), मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी (2009), यूनिवर्सिडेड पोलिटेकिका डी मैड्रिड (2009) स्पेन, कुमामोटो यूनिवर्सिटी (2009), आईआरडी, फ्रांस (2010), हेग–वीडी, स्कूल ऑफ बिजिनेस एण्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, वेस्टर्न स्विटजरलैंड (2010) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों और छात्रों के आदान–प्रदान के लिए (क) फिनलैंड (ख) स्पेन के विश्वविद्यालय संघ के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संस्थान आत्मनिर्भर केन्द्र जैसे एनआईटी के एसटीईपी, आरएनडी सेंटर, नेशनल टेक्निकल मेन पावर इनफॉरमेशन सिस्टम (एमटीएनएस)–नोडल सेंटर फॉर कर्नाटक स्टेट, इंडस्ट्री–इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप सैल, सेंटर फॉर कांटीन्यू एजूकेशन, टीआईएफएसी–सीओआरई और दक्षिण कन्नड़ निर्मिथी केन्द्र के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों और सुविधाओं को समर्थन देता है। एनआईटी के एसटीईपी में आईटी उद्यमियों में इन्क्यूबेशन सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्ववर्ती क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज तिरुचिरापल्ली) की स्थापना भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में 1964 में की गई थी ताकि विश्व स्तरीय इंजीनियर तैयार किया जा सके जो राष्ट्र की बढ़ती प्रौद्योगिकी की जरूरतों को पूरा कर सके। वर्ष 2003 में संस्थान को सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया तथा इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और उसके बाद इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2007 के अंतर्गत 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित किया गया। 1964 में अपनी स्थापना के समय से ही यह संस्था तेजी से प्रगति करती रही है और वर्तमान में दस अवर स्नातक तथा तेइस परा स्नातक कार्यक्रम, सभी इंजीनियरिंग विभागों में एमएससी अनुसंधान द्वारा तय सभी विभागों में पीएचडी कार्यक्रमों की पेशकश करता है। संस्थान में उत्कृष्ट संकाय सदस्य हैं तथा उन्नत अनुसंधान के लिए सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं तथा एक आधुनिक पुस्तकालय भी है। देश भर से आए 3000 से अधिक अवर स्नातक छात्र 1500 परास्नातक छात्र और 200 पीएचडी छात्र एनआईटी, तिरुचिरापल्ली को जीवंत परिसर बनाते हैं।

संस्थान का कार्य निष्पादन

शैक्षिकः 9 अक्टूबर, 2010 को दीक्षांत समारोह में कुल 1166 डिग्रियां प्रदान की गई जिनमें 38 पीएचडी, 3 एमएस (अनुसंधान द्वारा), 357 एमटेक, 60 एमसी, 68 एमबीए, 62 एमएससी, 548 बीटेक, 30 बी.आर्क शामिल है।

प्लेसमेंटः अवर स्नातकों के लिए कुल प्लेसमेंट 94.3 प्रतिशत और परा स्नातकों के लिए 71.5 प्रतिशत था।

प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएंः संस्थान को वर्ष 2009–10 के दौरान ₹4.3 करोड़ की 23 प्रायोजित अनुसंधान परियाजनाएं सौंपी गई हैं।

अनुसंधान

सभी विभागों में विभिन्न क्षेत्रों में 220 से अधिक नियमित शोध छात्र अपना अनुसंधान कार्यक्रम चला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय

और प्रतिष्ठा वाले संदर्भित पत्रिकाओं में संकाय सदस्यों और शोध छात्रों द्वारा 425 अनुसंधान पेपर प्रकाशित कराए गए। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित सम्मेलन सेमिनारों और संगोष्ठियों में 350 तकनीकी पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। एनआईटी तिरुचिरापल्ली में 16 विभाग हैं यहां 23 परास्नातक पाठ्यक्रम और 10 अवर स्नातक पाठ्यक्रम तथा 9 पीएचडी/एमएस (अनुसंधान द्वारा) कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

विशेष उपलब्धियां

आईआईटीएम के समान सतत् मूल्यांकन और आकलन शुरू किया गया है। पठन और पाठन की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। छात्रों को सेमेस्टर परीक्षाओं में जांची गई उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई जाती हैं। आईआईटी और आईआईएस से लिए प्रख्यात संकाय सदस्यों द्वारा शैक्षिक लेखापरीक्षा की जाती है। आईआईएस और आईआईटी के वरिष्ठ प्रोफेशरों द्वारा नए संकाय सदस्यों को परामर्श दिया गया। आईआईटी–मद्रास के वरिष्ठ संकाय सदस्यों द्वारा अवर स्नातक तथा परा स्नातक पाठ्यक्रमों की शैक्षिक लेखापरीक्षा पूरी की गई।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल (पूर्ववर्ती क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज) उच्च प्रौद्योगिकी शिक्षा में 'राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं में प्रमुख स्थान रखता है। इस प्रकार यह तकनीकी उत्कृष्टता का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है और गुणवत्तायुक्त तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान इस समय एमबीए और एमसीए सहित इंजीनियरिंग तथा बुनियादी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में आठ अवर स्नातक कार्यक्रम तथा उन्नीस परा स्नातक कार्यक्रमों की पेशकश कर रहा है। यह इंजीनियरिंग, विज्ञान और मानविकी विषयों में पीएचडी, कार्यक्रमों की पेशकश भी करता है। संस्थान में अच्छी बुनियादी सुविधाएं हैं तथा विश्व बैंक से प्राप्त धन से तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) के अंतर्गत इसमें और सुधार लाया जा रहा है।

संस्थान का निष्पादन:

संस्थान ने 2010 तक 12022 स्नातक 7042 अवर स्नातक और 331 डाक्टरल तैयार किए हैं। संस्थान ने विदेशों में स्थित अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से भागीदारी स्थापित की। वर्ष 2009–10 के दौरान परिसर में प्लेसमेंट उत्कृष्ट रहा है। 130 संगठनों ने परिसर का दौरा किया और 963 छात्रों (कुल क्षमता का 62 प्रतिशत) को प्लेसमेंट मिला है। संस्थान में 12 छात्र क्लब और 12 विभागीय एसोसिएशन हैं जो छात्रों में पूर्ण व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां आयोजित करते हैं। एनआईटी, वारंगल में 13 विभाग हैं। यहां 29 परा स्नातक पाठ्यक्रमों और आठ अवर स्नातक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं (सारणी सं.7.1)

छात्र दाखिला क्षमता 2010–11 कुल छात्रों की संख्या (सारणी 7.1)

क्र. सं.	संस्थान	अवर स्नातक		परा स्नातक		अन्य		कुल	
		लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
1.	एनआईटी–अगरतला	1385	250	89	54	10	01	1484	305
2.	एनआईटी–इलाहाबाद	2469	338	1272	235	257	3741	573	
3.	एनआईटी–भोपाल	941		375		184		1500	
4.	एनआईटी–कालीकट	826	160	287	149	30	25	1143	334
5.	एनआईटी–दुर्गापुर	2245	375	580	190	24	10	2849	575
6.	एनआईटी–हमीरपुर	508		375		एमबीए (एसएफ) 30			
7.	एनआईटी–जयपुर	802	558	40	1400				
8.	एनआईटी–जालंधर								
9.	एनआईटी–जमशेदपुर	601	175 (एमटेक –83 एवं एमसीए–92)	परिमापित नहीं किया गया है					

10.	एनआईटी–कुरुक्षेत्र	832							
	284	184							
	1300								
11.	एनआईटी–नागपुर	2051	470	325	70	171	51	2547	591
12.	एनआईटी–पटना	546	48	73	09	शून्य	शून्य	619	57
13.	एनआईटी–रायपुर	955	193	40	1188				
14.	एनआईटी–राउरकेला	1934	280	528	290	237	131	2699	701
15.	एनआईटी–सिल्चर	1505	177	107	30	60	27	1695	210
16.	एनआईटी–श्रीनगर	514	49	27	11			541	60
17.	एनआईटी–सूरत	611 / 2003	97 / 337	280 / 569	45 / 89	101 / 407	50 / 172	992 / 2979	192 / 598
18.	एनआईटी–सूरथकल	2384	415	981	375	262	78	3627	868
19.	एनआईटी–तिरुचिरापल्ली	748	140	466	126	67	13	1281	279
20.	एनआईटी–वारंगल	675	157	391	95	42	12	1108	264

2010—11 में कुल छात्रों की संख्या (सभी शाखाओं को मिलाकर)

क्र. सं.	संस्थान	अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.व.		सामान्य		कुल	
		लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
1.	एनआईटी–अगरतला	275	41	176	38	154	07		605	86	
2.	एनआईटी–इलाहाबाद	473	69	185	32	604	73	2141	399	3403	573
3.	एनआईटी–भोपाल	460	96	203	41	589	76	2280	518	3532	713
4.	एनआईटी–कालीकट	432	137	186	34	626	794	1681	443	2925	1408
5.	एनआईटी–दुर्गापुर	401	73	166	37	468	60	1814	405	2849	575
6.	एनआईटी–हमीरपुर	307	138	345	1375	2165					
7.	एनआईटी–जयपुर	350	71	159	32	512	95	1589	451	2610	649
8.	एनआईटी–जालंधर	336	96	190	30	401	76	1377	391	2304	593
9.	एनआईटी–जमशेदपुर	292	19	160	37	350	31	1170	146	1972	233
10.	एनआईटी–कुरुक्षेत्र	154	36	52	14	261	46	498	147	965	243
11.	एनआईटी–नागपुर	335	96	185	35	480	78	1547	382	2547	591
12.	एनआईटी–पटना	95	08	44	01	194	18	286	30	619	57
13.	एनआईटी–रायपुर	412	82	197	47	586	73	1381	368	2576	570
14.	एनआईटी–राउरकेला	346	72	185	56	494	94	1674	479	2699	701
15.	एनआईटी–सिल्चर	234	36	120	26	426	44	892	128	1672	234
16.	एनआईटी–श्रीनगर	223	24	122	12	138	15	1199	108	1682	159
17.	एनआईटी–सूरत	293	67	226	45	489	66	1971	420	2979	598

18.	एनआईटी–सूरतकल	468	88	207	39	705	129	2247	612	3627	868
19.	एनआईटी–तिरुचिरापल्ली	181	36	71	15	411	84	618	144	1281	279
20.	एनआईटी–वारंगल	442	102	229	36	875	148	1556	340	305	81

भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलौर

अपने स्थापना काल से ही भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर ने विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी ज्ञान तथा औद्योगिक और सामाजिक लाभ में लिए अपने अनुसंधान निष्कर्षों के अनुप्रयोग पर संतुलित बल दिया है।

भारतीय विज्ञान संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दहलीज पर उच्च शिक्षा और उन्नत अध्ययन में संलग्न है। संस्थान में उच्च योग्यता प्राप्त और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 423 सदस्य हैं। छात्रों की 2264 की संख्या को देखते हुए यहां विश्व का सबसे अच्छा संकाय सदस्य छात्र अनुपात है। संस्थान ने अध्ययन और अनुसंधान में अनेक ऐसी नई बातें जोड़ी हैं जिससे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वृद्धि में योगदान हुआ है। परंपरागत कार्यक्रम हैः एमई, एमटेक, एमडेस, एमबीए, एमएससी (इंजी.) और पीएचडी डिग्रियां/जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान गणित विज्ञान में समेकित पीएचडी (उत्तर–बीएससी) की ओर देश के मेधावी छात्र आकर्षित होते हैं तथा अति लोकप्रिय है। दूसरे लोकप्रिय कार्यक्रम हैः विज्ञान में यंग फेलोशिप कार्यक्रम और यंग इंजीनियरिंग फेलोशिप कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, सतत शिक्षा और 'प्रोफिसिएंशी' कार्यक्रम के तहत पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है। एक वर्ष में संस्थान लगभग 150 पीएचडी डिग्रियां, 75 एमएससी (इंजी.) तथा 300 मास्टर डिग्री नामतः एमई/एमटेक/एमडेस/एमबीए प्रदान करता है।

संस्थान के संकाय सदस्य अनुसंधान में काफी सक्रिय रहते हैं और 1727 अनुसंधान पत्रों का वार्षिक प्रकाशन निकालते है। यह 4:1 का उत्पादकता अनुपात दर्शाता है जो देश में सर्वाधिक है। अनुसंधान के निष्कर्षों में व्यापक पैमाने पर वैज्ञानिक अन्वेषण आते है। विगत की भांति संस्थान के अनेक सदस्यों को विज्ञान और इंजीनियरिंग में ज्ञान की वृद्धि में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले है।

संस्थान के संकाय सदस्य, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न एजेंसियों/संगठनों द्वारा वित्तपोषित बड़ी संख्या में अनुसंधान परियोजनाएं चलाते हैं। संस्थान और उद्योग में विचार–विमर्श, वैज्ञानिक और औद्योगिक परामर्श केन्द्र (सीएआईसी), नवाचार और विकास सोसाइटी (एसआईडी) और उन्नत जैव अवशिष्ट ऊर्जा प्रौद्योगिकी सोसाइटी (एबीईटीएस) के माध्यम से होता है।

संस्थान में देश की किसी भी शैक्षिक संस्था में उपलब्ध कंप्यूटिंग सुविधा है तथा यहां विज्ञान और इंजीनियरी के क्षेत्र में सर्वोत्तम पुस्तकालय संकलन है। संस्थान ने अपनी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की है तथा परिसर में रहने वाले लोग ई–जर्नल और ई–संसाधनों के बड़े संकलनों को पढ़ सकते है।

इसके अतिरिक्त अति उन्नत प्रौद्योगिकी वाले पांच नए भवनों का निर्माण, जिसमें मौजूदा तथा अनुसंधान क्षेत्रों की सुविधाएं होंगी, शुरु किया गया है।

उपलब्धियां

संस्थान में आधुनिकीकरण के भाग के रूप में अनेक नई प्रयोगशालाओं और सुविधाओं का निर्माण पूरा होने वाला है। एक नया शताब्दी आगंतुक गृह, जिसमें विभिन्न संकाय सदस्यों के लिए अवसर होगा, शुरू किया गया है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग और फिजिक्स विभाग के लिए भवनों के उद्घाटन किए गए। इनमें से पहले का उद्घाटन श्री आर. रतन टाटा, कोर्ट अध्यक्ष द्वारा तथा दूसरे का उद्घाटन श्री कपिल सिब्बल, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा किया गया। दो नए छात्रावास ब्लाकों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है जिससे 600 पुरुष छात्रों और 600 महिला छात्रों को आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस परियोजना के जुलाई 2011 तक पूरा हो जाने की आशा है।

संस्थान ने कर्नाटक सरकार द्वारा चित्रदुर्ग जिले में स्वीकृत की गई भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है। यह नई सुविधाएं स्थापित करने का स्थल बनेगा तथा संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों का पूरक बनेगा।

विज्ञान और इंजीनियरिंग घटकों पर बल देते हुए लचीली पाठ्यचर्या सहित 4 वर्षीय अवर स्नातक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है तथा इसके अगस्त, 2011 में प्रारंभ होने की आशा है। शैक्षणिक वर्ष 2010–11 में प्रवेश देने का कार्य हाल ही में पूरा हुआ है, जिससे संस्थान में 100वें बैच के छात्रों को प्रवेश मिला।

संस्थान को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से काफी सक्रिय सहयोग मिल रहा है। संस्थान के संकाय सदस्य बड़ी संख्या में अनुसंधान परियोजनाएं चलाते हैं जिन्हें भिन्न–भिन्न एजेंसियां धन उपलब्ध कराती हैं। इन एजेंसियों में शामिल हैं: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सार्वजिनक एवं निजी क्षेत्र के अनेक अन्य संगठन/संस्थान और उद्योग में पारस्परिक अंतर्क्रिया को वैज्ञानिक और औद्योगिक परामर्श (सीएसआईसी), नवाचार और विकास सोसाइटी (एसआईडी) तथा उन्नत जैव अपशिष्ट ऊर्जा प्रौद्योगिकी सोसाइटी (एबीईटीएस) के माध्यम से मजबूत बनाया जाता है।

संस्थान वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए और पहलें करना जारी रखे हुए है। संस्थान देश और विदेशों की संस्थाओं के सहयोग से अनुसंधान के नए क्षेत्र ढूंढना जारी रखे हुए है। संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रकोष्ठ ने विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के साथ विचार–विमर्श और करारों को सुकर बनाया था।

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआरएस)

प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद (एसएसी–पीएम) की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने पुणे, कोलाकाता, मोहाली, भोपाल और तिरुवनंतरपुरम में पांच भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआरएस) स्थापित किए। परिकल्पना की गई हैं कि ये संस्थान विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान चलाएंगे और अवर स्नातक, परास्नातक, डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल स्तर पर गुणवत्तायुक्त विज्ञान शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। इन पांच संस्थानों में से पुणे और कोलकाता स्थित संस्थानों ने 2006 में अपनी शैक्षिक गतिविधियां शुरू कर दीं और मोहाली स्थित संस्थान ने 2007 में अपनी गतिविधियां शुरू कीं। भोपाल और तिरुवनंतपुरम स्थित दो अन्य आईआईएसईआरएस ने अगस्त, 2008 से अपने सत्र शुरू किए। ये सभी आईआईएसईआरएस स्वायत्त संस्थाएं और पंजीकृत सोसाइटियां हैं जो अपने–अपने शासी बोर्ड द्वारा अभिशासित होती हैं। पुणे और कोलकाता में दाखिल हुए छात्रों का पहला बैच मार्च, 2011 में स्नातक डिग्री प्राप्त करेगा।

आईआईएसईआरएस का केन्द्रीय विषय शिक्षा को अनुसंधान में समेकित करना है ताकि अवर स्नातक का शिक्षण तथा डॉक्टरल और उत्तर–डॉक्टरल का अनुसंधान कार्य साथ–साथ चल सके। आईआईएसईआरएस के बाहर के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में अपने मास्टर कार्यक्रम के पहले चार वर्षों की अवकाश अवधि में छात्रों को अनुसंधान परियोजनाएं पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पांचवें वर्ष में छात्रों से अनुसंधान सेमिनार में भाग लेने तथा एक अनुसंधान परियोजना पूरी करने की अपेक्षा की जाती है जिस पर थीसिस लिखनी होती है।

अन्य बातों के साथ–साथ संस्थान के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- आधार विज्ञानों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा और अनुसंधान करना।
- उच्च कोटि के शैक्षिक संकाय को आकर्षित कर उनका पोषण करना।
- .2 पाठ्यचर्या के बाद विज्ञान में समेकित मास्टर कार्यक्रम तैयार करना ताकि कम आयु में अनुसंधान कार्य में शामिल हुआ जा सके। इसके अतिरिक्त संस्थान में ऐसे समेकित कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनसे विज्ञान में स्नातक डिग्रीधारी बच्चे मास्टर डिग्री और पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर पाते हैं।
- विज्ञान में एक लचीला सीमा रहित पाठ्यक्रम संभव बनाना।
- मौजूदा विश्वविद्यालयों और कालेजों के साथ दृढ़ संबंध तथा प्रयोगशालाओं और संस्थाओं के साथ नेटवर्क स्थापित करना।

सभी आईआईएसईआर में वर्ष 2010–11 में छात्रों का कुल अंतर्ग्रहण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

संस्थान का नाम	सामान्य	अ.पि.व.	अ.ज.	अ.ज.ज.	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल
आईआईएसईआर, कोलकाता	42	28	17	6	–	93
आईआईएसईआर, पुणे	41	34	15	5	–	94
आईआईएसईआर, मोहाली	50	33	11	2	–	96
आईआईएसईआर, भोपाल	80	38	15	4	–	137
आईआईएसईआर, तिरुवनंतपुरम	32	19	8	3	–	62

20.12.2010 तक आईआईएसईआर में छात्रों की संख्या नीचे दी गई है:

संस्थान का नाम	छात्रों की संख्या (बीएस–एमएस एवं पीएचडी)
आईआईएसईआर, भोपाल	204
आईआईएसईआर, कोलकाता	466
आईआईएसईआर, मोहाली	315
आईआईएसईआर, पुणे	448
आईआईएसईआर, तिरुवनंतपुरम	152

पिछले तीन वर्षों के दौरान आईआईएसईआर को निर्मुक्त किए गए अनुदान

(करोड़ रू.)

संस्थान का नाम	2008–09	2009–10	2010–11*
आईआईएसईआर, भोपाल	8.00	25.00	45.00
आईआईएसईआर, कोलकाता	77.00	55.00	60.00
आईआईएसईआर, मोहाली	32.75	55.00	60.00
आईआईएसईआर, पुणे	48.75	55.00	45.00
आईआईएसईआर, तिरुवनंतपुरम	8.50	25.00	45.00
कुल	175.00	215.00	255.00

*आज तक अर्थात 20.12.2010 तक

- उन्नत अनुसंधान प्रयोगशालाएं और केन्द्रीय सुविधाएं स्थापित करना।

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), भोपाल

आईआईएसईआर, भोपाल की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। संस्थान में कुल संकाय सदस्यों की संख्या 32 और कुल छात्रों की संख्या 204 हैं जिसमें इस समय 48 पीएचडी छात्र भी शामिल हैं। आईआईएसईआर, भोपाल का स्थायी परिसर इन्दौर बाईपास रोड पर भौरी गांव के निकट लगभग 200 एकड़ के भूखण्ड में स्थापित किया जा रहा है। इस परिसर में शैक्षिक क्षेत्र तथा आवासीय क्षेत्र शामिल होंगे।

डॉक्टर महेन्द्र अग्रवाल, एन. रामाराव चेयर प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी, कानपुर और अवैतनिक प्रोफेसर, आईआईएसईआर, भोपाल को वर्ष 2010 के लिए गणित में तृतीय विश्व विज्ञान अकादमी (टीडब्ल्यूएएस) में पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर संदीप वर्मा, प्रोफेसर, रसायनशास्त्र विभाग, आईआईटी, कानपुर और एडजंक्ट प्रोफेसर, आईआईएसईआर, भोपाल को मेटल मेडियेटेड प्रणाली के माध्यम से एन्जाइम का अनुकरण करने तथा न्यूरोडिजेनेरेटिव प्रोटीन अग्रीगेशन के कृत्रिम मॉडल के रूप में ऑर्डर्ड पेप्टाइड असेम्बलीज के अध्ययन में उनके योगदान के लिए उन्हें चेन्नई विज्ञान में वर्ष 2010 में प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया। संकाय के सदस्यों ने अब तक प्रतिष्ठित 60 जर्नल प्रकाशन प्रकाशित किए हैं।

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), कोलकाता

आईआईएसईआर, कोलकाता की स्थापना वर्ष 2006 में की गई। जुलाई, 2008 में संस्थान को मोहनपुर ले जाया गया जो हरिनघाटा के नजदीक 200 एकड़ भूमि में बनाए जा रहे स्थायी परिसर से सटा हुआ है। संस्थान में संकाय सदस्यों की कुल संख्या 64 और छात्रों की कुल संख्या 466 हैं जिसमें पीएचडी छात्र भी शामिल हैं। संस्थान के पुस्तकालय को आधार विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में प्रमुख संसाधन केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसने अपने कार्यकरण में पूरी तरह से स्वचालित आरएफआईडी प्रणाली को कार्यान्वित किया है। वर्ष 2009 में मोहनपुर परिसर में एक नए पुस्तकालय की स्थापना की गई।

इस समेकित परिसर में एक ही छत के नीचे उन्नत अध्ययन प्रयोगशालाएं और केन्द्रीय सुविधाएं रखने की परिकल्पना

की गई है, ताकि अंतर–विषयी और सहयोगात्मक अनुसंधान विषयों को प्रोत्साहित किया जा सके।

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), मोहाली

आईआईएसईआर, मोहाली की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी जो आधार विज्ञान शिक्षण और पाठन को उन्नत अनुसंधान के साथ समेकित करने के लक्ष्य को पूरा करता है।

अनुसंधान में संकाय सदस्यों की कुल संख्या 51 और छात्रों की संख्या 315 है जिसमें 53 पीएचडी छात्र भी शामिल हैं। संस्थान में एक अत्याधुनिक पुस्तकालय है जिसे पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर (एलएमएस) का प्रयोग कर कंप्यूटरीकृत किया जा रहा हैं।

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), पुणे

आईआईएसईआर, पुणे की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी जो विज्ञान के पठन–पाठन और उच्च कोटि के अनुसंधान के प्रति समर्पित है। इसमें छात्रों का पहला बैच वर्ष 2008 में शामिल हुआ।

इसका स्थायी परिसर सीएसआईआर/एनसीएल के परिसर में 58 एकड़ में स्थापित किया जा रहा है।

संस्थान के संकाय सदस्यों की कुल संख्या 54 और छात्रों की कुल संख्या 448 है जिसमें 88 पीएचडी के छात्र भी शामिल हैं।

संस्थान, उन्नत अध्ययन और अनुसंधान प्रयोगशालाएं विकसित करने की योजना बना रहा है जहां छात्रों को विश्वस्तरीय संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन में प्रयोग और उन्नत अनुसंधान करने का अवसर मिलेगा।

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), तिरुवनंतपुरम

आईआईएसईआर, तिरुवनंतपुरम की स्थापना वर्ष 2008 में हुई और इसने कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, त्रिवेंद्रम के परिसर से काम करना शुरू किया। संस्थान में संकाय सदस्यों की कुल संख्या 22 और छात्रों की कुल संख्या 152 है जिसमें 27 पीएचडी के छात्र हैं।

केरल सरकार ने संस्थान के स्थायी परिसर की स्थापना के लिए तिरुवनंतपुरम से 45 किलोमीटर दूर विथुरा में 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जहां संकाय और गैर संकाय की भर्ती, प्रयोगशाला के विकास, प्रयोगशाला उपस्करों के प्रापण के लिए निर्माण गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग का कार्य जारी रहा।

संकाय सदस्यों और शोध छात्रों ने संदर्भित पत्रिकाओं में अनेक अनुसंधान पेपर प्रकाशित कराए हैं।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम):

अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, कोजीकोड और शिलांग में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्कृष्ट संस्थाएं हैं, जिनकी स्थापना उच्च कोटि की प्रबंधन शिक्षा और प्रशिक्षण देने, अनुसंधान करने और भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थीं। इन संस्थाओं को प्रमुख प्रबंधन संस्थान की मान्यता दी जाती हैं जहां का शिक्षण, अनुसंधान और उद्योगों के साथ समेकन विश्व में सर्वोत्तम के साथ तुलनीय हैं। सभी आईआईएम पंजीकृत सोसाइटियां हैं, जो अपने–अपने शासी बोर्ड से अभिशासित होती हैं। आईआईएम प्रबंधन में परा–स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एमबीए के समकक्ष), प्रबंधन में फेलोशिप कार्यक्रम (पीएचडी) के समकक्ष, अल्पकालिक प्रबंधन विकास और संगठन आधारित कार्यक्रम चलाते हैं तथा उद्योग जगत के लिए अनुसंधान और परामर्श देते हैं। ये संस्थाएं गैर कारपोरेट और सामाजिक तथा विकासात्मक सेक्टरों अर्थात कृषि, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन, ऊर्जा, स्वास्थ्य शिक्षा, अधिवास आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुसंधान भी करती हैं। आईआईएम ने अन्य प्रबंधन संस्थानों के साथ अपने ज्ञान और विशेषज्ञता की साझेदारी की है, ताकि प्रबंधन शिक्षा में उनकी गुणवत्ता और स्तर को बढ़ाया जा सके। आईआईएम के छात्रों की गुणवत्ता के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है।

शैक्षणिक सत्र 2010–11 के दौरान परास्नातक कार्यक्रम (पीजीपी) और समकक्ष पाठ्यक्रमों में दाखिल किए गए छात्रों का ब्योरा

संस्थान का नाम	सामान्य	अनु. जाति	अनु.ज. जाति	शारीरिक रूप से विकलांग	अ. पिछड़ा वर्ग	पुरुष	कुल महिला	जोड़
आईआईएम– अहमदाबाद	221	56	21	11	111	367	53	420*
आईआईएम–बंगलौर	179	56	28	11	101	297	78	375
आईआईएम–कलकत्ता	229	52	27	11	43	319	43	362#
आईआईएम–लखनऊ	214	57	25	7	111	356	58	414
आईआईएम–इंदौर	215	68	35	14	122	411	43	454
आईआईएम–कोजीकोड	169	51	22	6	71	228	91	319
आईआईएम–शिलांग	92	02	0	0	0	70	24	94
आईआईएम–रोहतक	30	9	0	0	11	47	3	50
आईआईएम–रांची	23	5	4	1	12	44	1	45
आईआईएम–रायपुर	33	12	5	2	18	57	13	70

*शारीरिक रूप से विकलांग 'इसमें पीजीपी (एबीएम) के 40 छात्र भी शामिल हैं

#इसमें पीजीडीसीएम के 53 छात्र भी शामिल हैं।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद

भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद की स्थाना 1961 में की गई थी। संस्थान ने 5 लंबी अवधि के कार्यक्रमों की पेशकश करके प्रबंधन शिक्षा के सभी प्रमुख घटकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये 5 कार्यक्रम हैं: सामान्य प्रबंधन पर बल सहित दो वर्षीय पीजीपी, कृषि–व्यापार प्रबंधन (पीजीपी–एबीएम) पर बल सहित दो वर्षीय पीजीपी, पर्याप्त कार्य अनुभव वाले कार्यकारियों के लिए एक वर्षीय पीजीपी (पीजीपीएक्स), सार्वजनिक प्रबंधन और नीति (पीजीपी–पीएमपी) पर बल सहित सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक उद्यम प्रबंधकों के लिए एक वर्षीय पीजीपी

और प्रबंधन में चार वर्षीय डॉक्टरल कार्यक्रम (एफपीएम)। जबकि पहले दो कार्यक्रमों में युवा पुरुषों और महिलाओं को प्रवेश स्तरीय स्थितियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, दो एक वर्षीय कार्यक्रमों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों तथा सार्वजनिक प्रबंधन में विभिन्न क्षेत्रों के लिए वरिष्ठ हैसियत हेतु पर्याप्त अनुभव वाले कार्यकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान में अनुसंधान और परामर्शी परियोजनाएं भी शुरू की जाती हैं। कृषि व्यापार प्रबंधन में परास्नातक कार्यक्रम (पीजीपी एबीएम) एक नवाचारी कार्यक्रम है जो खाद्य और कृषि व्यापार के क्षेत्र में प्रबंधक, निर्णयकर्ता, अगुआ और उद्यमी तैयार करता है। आईआईएम, अहमदाबाद सशस्त्र सेना के अधिकारियों के लिए नियमित तौर पर छह माह का प्रबंधन कार्यक्रम भी आयोजित करता है, ताकि सेना से सेवानिवृत्त होने पर असैनिक जीवन में उनके पुनर्स्थापन को सुकर बनाया जा सके। संस्थान 11 दिसंबर, 2010 से अपना स्वर्णजयंती वर्ष मना रहा है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कलकत्ता:

भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता की स्थापना नवंबर 1961 में की गई थी। संस्थान इस समय प्रबंधन शिक्षा के विभिन्न घटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पांच डिप्लोमा कार्यक्रमों की पेशकश कर रहा है। ये कार्यक्रम हैं: (i) प्रबंधन में पूर्णकालिक दो वर्षीय परास्नातक डिप्लोमा (पीजीडीएम);

(ii) कंप्यूटर सहायता प्राप्त प्रबंधन में दो वर्षीय पूर्णकालिक परास्नातक डिप्लोमा; (iii) प्रबंधन और संबंधी क्षेत्रों में फेलो कार्यक्रम (भारतीय विश्वविद्यालयों के पीएचडी के समकक्ष); ((iv) कार्यकारियों के लिए एक वर्षीय पूर्णकालिक परास्नातक कार्यक्रम (पीजीपीईएक्स); और (v) विनिर्माण में संभावित नेतृत्व के लिए कार्यकारियों के लिए एक वर्षीय पूर्णकालिक परास्नातक कार्यक्रम (पीजीपीईएक्स–वीएलएम) जो भारत सरकार के राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद के तत्वाधान में चलाया जाता है और जापान सरकार से सहायता प्राप्त है। यह अद्वितीय कार्यक्रम है, जिसकी पेशकश पहली बार संयुक्त रूप से आईआईएम, कलकत्ता, आईआईटी, कानपुर और आईआईटी, मद्रास के सहयोग से कर रहा है। डिप्लोमा कार्यक्रमों के अतिरिक्त, संस्थान बड़ी संख्या में खुले नामांकन अल्पकालिक प्रबंधन विकास कार्यक्रमों और परंपरागत संगठन विशिष्ट कार्यक्रमों की पेशकश करता है। इसके अतिरिक्त संस्थान छह माह से एक वर्ष की अवधि के बीस खुले नामांकन प्रमाण पत्र कार्यक्रमों की पेशकश करता है। ये कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत बड़ी संख्या में कार्यकारियों की जरूरतों को पूरा करते हैं, जो पूर्णकालिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाते परंतु जिन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए उच्चस्तरीय प्रबंधन ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की जरूरत होती है। इन कार्यक्रमों की पेशकश सेटेलाइट संचार प्रौद्योगिकी द्वारा की जाती है ताकि अधिक से अधिक स्थानों पर पहुंचा जा सके। संस्थान ने अनेक केन्द्र स्थापित किए हैं, जो अंतर–विषयी अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण और परामर्शी सेवाओं जैसे (क) मानव मूल्य प्रबंधन केन्द्र, (ख) कारपोरेट अभिशासन केन्द्र (ग) उद्यमशीलता और नवाचारी केन्द्र; और (घ) विकास और पर्यावरण नीति केन्द्र में संलग्न हैं। हाल ही में संस्थान ने अपने छात्रों को वित्त क्षेत्र में उन्नत इष्टतमीकरण उपकरणो और तकनीकों की जानकारी देने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु वित्तीय अनुसंधान और व्यापारिक प्रयोगशाला की स्थापना की है। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को असैनिक जीवन में पुनर्स्थापन के लिए संस्थान छह माह का प्रबंधन विकास कार्यक्रम भी चलाता हैं।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बंगलौर

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बंगलौर की स्थापना नवंबर 1973 में की गई थी। यह संस्थान प्रबंधन में फेलोशिप कार्यक्रम (एफपीएम), प्रबंधन में परास्नातक कार्यक्रम (पीजीपी), सॉफ्टवेयर उद्यम प्रबंधन में परास्नातक कार्यक्रम (पीजीएसईएम) कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम और अनुसंधान तथा परामर्शी सेवाओं की पेशकश करता है। छात्र विनिमय कार्यक्रम के तहत पीजीपी छात्रों को भारत से बाहर के प्रतिष्ठित व्यावसायिक स्कूलों में भेजा जाता है और बदले में विदेशों में स्थित व्यापारिक स्कूलों के छात्र इस संस्थान में कुछ अवधि के लिए अध्ययन करते हैं। कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सेवारत प्रबंधकों के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम जैसे खुले कार्यक्रम, नेमी प्रकार के कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आईआईएम, बंगलौर में विशेषज्ञता वाले पांच केन्द्र हैं जिनके नाम है– सार्वजनिक नीति केन्द्र (सीपीपी), बीमा अनुसंधान और शिक्षा केन्द्र (सीआईआरई), उद्यमशीलता शिक्षण के लिए एनएस राघवन केन्द्र (एनएसआरसीईएल) मामला और शिक्षण सहायता विकास केन्द्र (सी–डीओसीटीए) और साफ्टवेयर प्रबंधन केन्द्र (सीएसएम)

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), लखनऊ

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), लखनऊ की स्थापना नवंबर 1984 में की गई थी। यह संस्थान प्रबंधन में परास्नातक कार्यक्रम (पीजीपी), कृषि व्यापार प्रबंधन में परास्नातक कार्यक्रम (पीजीपी–एबीएम) और प्रबंधन में फेलो कार्यक्रम (एफपीएम) की पेशकश करता है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के संगठनों, बैंकों, सरकारी संगठनों आदि के मध्य/वरिष्ठ स्तर के कार्यकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। शैक्षणिक अनुसंधान, परामर्श और प्रशिक्षण संस्थान की प्रमुख गतिविधियां हैं। संस्थान ने संकाय सदस्यों/छात्रों के विनिमय के लिए अनेक देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईएम, लखनऊ का एक पूर्णतः समेकित और आत्मनिर्भर परिसर 2005 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अति महत्वपूर्ण स्थल नोएडा में स्थापित किया गया। नोएडा परिसर पूरी तरह से कार्यरत है और कार्यकारियों, उद्यमियों तथा पेशेवर व्यक्तियों के लिए कार्यरत प्रबंधक व्यापारिक प्रबंधन परास्नातक कार्यक्रम के लिए तीन वर्षीय परास्नातक कार्यक्रम पिछले चार वर्षो से चलाया जा रहा है। कार्यकारियों के लिए प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीएमएक्स) अप्रैल, 2008 में शुरू किया गया। यह पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम है जिसे मध्य/वरिष्ठ स्तर के पेशेवर तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे उन पेशेवरों को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा सके। इस कार्यक्रम का प्रमुख घटक मैनेजमेंट एमसी गिल यूनिवर्सिटी, मोंट्रियल,

कनाडा के संकाय में चार–पांच सप्ताह का अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल है। इसके अतिरिक्त आईआईएमएल नोएडा परिसर में अनेक ऑनलाइन कार्यक्रम तथा अल्पकालिक प्रबंधन विकास कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। संस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर प्रबंधन प्रयोगशाला है, जिसमें अत्याधुनिक साफ्टवेयर विकास प्रणाली से युक्त सुविधाएं हैं।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), इंदौर

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), इंदौर की स्थापना नवंबर 1996 में की गई थी तथा प्रबंधन में दो वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम (पीजीपी) के इसके पहले बैच की शुरुआत 1998 में हुई। इसके अतिरिक्त आईआईएमआई इस समय निम्नलिखित दीर्घावधि के कार्यक्रमों की पेशकश करता है: प्रबंधन में चार/पांच वर्षीय फेलो कार्यक्रम (एफपीएम), प्रबंधन में एक वर्षीय कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा (ईपीजीपी) और सेना के अधिकारियों के लिए व्यापारिक प्रबंधन में छह माह का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (सीसीबीएमडीओ)। यह संस्थान तीन माह के संकाय विकास कार्यक्रम और कार्यरत कार्यपालकों के लिए ब्रॉड बैंड प्लेटफार्म में प्रबंधन में एक वर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम की पेशकश भी करता है।

आईआईएम, इंदौर तीन दिन से तीन माह तक की अवधि के बहुत से अल्पकालिक प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित करता है जो या तो खुली प्रकृति के होते हैं या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। अन्य प्रस्तावित कार्यक्रमों में शामिल हैं–कार्यरत पेशेवर व्यक्तियों के लिए एफपीएम (उद्योग), बम्बई के कार्यरत कार्यपालकों के लिए प्रबंधन में परास्नातक कार्यक्रम (पीजीपीएमएक्स) और एनआईएसजी के सहयोग से ई–गवर्नेंस में एक वर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कोजीकोड

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कोजीकोड की स्थापना 1997 में की गई थी। संस्थान प्रबंधन में परास्नातक डिप्लोमा (पीजीडीएम) (एमबीए के समकक्ष) तथा प्रबंधन में फेलो कार्यक्रम (एफपीएम) चलाता है। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त, संस्थान कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम चलाता है और परामर्शी कार्य और अनुसंधान परियोजनाएं चलाता है। आईआईएम, कोजीकोड विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के अध्यापकों के लिए एक से दो सप्ताह की अवधि का कस्टम द्वारा तैयार किया गया संकाय विकास कार्यक्रम भी चलाता हैं। संस्थान कार्यकारी प्रबंधन शिक्षा कार्यक्रम (ईएमईपी) की पेशकश भी करता है जो पारस्परिक रूप में दूरस्थ शिक्षा पद्धति (आईडीएल) के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में पेशकश किया जाने वाला अपने तरह का पहला कार्यक्रम है। इसकी परिकल्पना वर्ष 2001 में की गई थी और यह ऐसे कार्यरत कार्यपालकों के लिए प्रबंधन शिक्षा का नया मॉडल है जो लंबी अवधि के आवासीय कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकते।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए आईआईएम की स्थापना:

उच्च कोटि की प्रबंधन शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता को महसूस करते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश में सात नए आईआईएम स्थापित किए गए हैं। राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान (आरजीआईआईएम) की स्थापना शिलांग (मेघालय) में की गई थी जिसका पहला शैक्षणिक सत्र 2008–2009 में शुरू हुआ। सभी नए आईआईएम की सोसाइटियां संबंधित राज्य में पंजीकृत की गई हैं और शासी बोर्ड गठित किए गए हैं। रोहतक, रांची तथा रायपुर स्थित आईआईएम के शैक्षणिक सत्र 2010–11 से शुरू हुए। तिरुचिरापल्ली स्थित आईआईएम 2010–11 से प्रचालनरत हो जाएगा और यहां कार्यकारी कार्यक्रम चलने लगेंगे तथा उदयपुर और काशीपुर स्थित आईआईएम 2010–11 से कार्यरत हो जाएंगे। रोहतक (हरियाणा), रांची (झारखंड), रायपुर (छत्तीसगढ़) और तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) स्थित आईआईएम के निदेशकों की नियुक्ति एसीसी के अनुमोदन से की जा चुकी है। काशीपुर (उत्तराखंड) और उदयपुर (राजस्थान) स्थित आईआईएम के निदेशकों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर कार्रवाई चल रही हैं। तथापि आईआईएम, लखनऊ और आईआईएम, अहमदाबाद के निदेशक क्रमशः आईआईएम, काशीपुर और

आईआईएम, उदयपुर के परामर्शदाता निदेशक नियुक्त किए गए हैं।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रोहतक:

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 1 अक्टूबर, 2010 को आईआईएम, रोहतक का आधारशिला समारोह

राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान (आरजीआईआईएम), शिलांग

राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान (आरजीआईआईएम) ने मयूरभंज परिसर, नोघटीमाय, शिलांग (मेघालय) के अस्थायी परिसर से अपने पहले शैक्षिक सत्र 2008–10 की शुरुआत की। मंत्रालय ने उम्सावाली, माडियांगडियांग, शिलांग स्थित 120 एकड़ भूमि के क्षेत्र को आरजीआईआईएम के स्थायी परिसर के स्थल के लिए अनुमोदित कर दिया है। स्थायी परिसर की चारदीवारी के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

आरजीआईआईएम, शिलांग में शैक्षिक कार्यक्रम

i. प्रबंधन में परास्नातक कार्यक्रम:–
संस्थान प्रबंधन में परास्नातक कार्यक्रम (पीजीपी), प्रबंधन में करियर चुनने के अभिलाषी सभी विषयों के स्नातक छात्रों के लिए दो वर्षीय पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम की पेशकश करता है।

ii. प्रबंधन में फेलो कार्यक्रम:– संस्थान शीघ्र ही फेलो कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करेगा।

iii. प्रबंधन विकास कार्यक्रम: आईआईएम, शिलांग का अल्पकालिक प्रबंधन विकास कार्यक्रम विशेष रूप से भारतीय उद्योग, शिक्षा और सरकारी क्षेत्रों के व्यस्त कार्यपालकों की ज्ञान की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इन कार्यक्रमों की अवधि शामिल किए गए विषयों की विविधता, मात्रा और जटिलता के आधार पर दो दिन से छह माह तक की होती है। इन–कंपनी कार्यक्रम (आईसीपी) संस्थान में तथा लाभ प्राप्तकर्ता संगठनों के परिसर में आयोजित किए जाते हैं।

iv. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास केन्द्र:– पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास केन्द्र (सीईडीएनईआर) जिसे पहले भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलांग का त्वरित शिक्षण केन्द्र (एएलसी) कहा जाता था, संस्थान की स्थापना काल से ही गठित है और राज्य तथा क्षेत्र के स्थानीय समुदाय और समाज के लिए संगत अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन में शामिल रहता है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रायपुर:

आईआईएम, रायपुर के वर्ष 2010–11 के पीजीपी के पहले बैच के छात्र

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (एनआईटीआईई), मुम्बई

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (एनआईटीआईई), मुम्बई एक राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सहायता से 1963 में की थी। भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एनआईटीआईई एक स्वायत्त निकाय हैं, जो शासी बोर्ड से अभिशासित होता है जिसमें सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के प्रख्यात व्यक्ति शामिल होते हैं। अपने स्थापना काल से ही राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (एनआईटीआईई) उद्योग और व्यापार की जटिल समस्याओं का समाधान करता रहा है।

एनआईटीआईई, मुम्बई सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों से लिए वरिष्ठ और मध्य स्तर के कार्यपालकों के लाभ के लिए औद्योगिक इंजीनियरिंग में परास्नातक डिप्लोमा (पीजीडीआईई), औद्योगिक प्रबंधन में परास्नातक डिप्लोमा (पीजीडीआईएम) औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण

प्रबंधन में परास्नातक डिप्लोमा (पीजीडीआईएसईएम), सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन में परास्नातक डिप्लोमा (पीजीडीआईएम) और उत्पादकता विज्ञान और प्रबंधन में अनेक प्रबंधन विभाग कार्यक्रम (एमडीपी) चलाता है। यह औद्योगिक इंजीनियरिंग, ऊर्जा, सुरक्षा, पर्यावरण, विपणन, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवहार विज्ञान आदि के विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के क्षेत्र में फेलोशिप कार्यक्रम चलाता हैं जो पीएचडी के समकक्ष होता है। संस्थान इकाई आधारित कार्यक्रम (यूबीपी) भी चलाता है जो उद्योग के विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए या तो उनके परिसर में या संस्थान में उपयुक्तता की दृष्टि से तैयार किए गए होते हैं।

एनआईटीआईई, मुम्बई में शैक्षणिक सत्र 2010–11 के दौरान परास्नातक कार्यक्रमों और समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों का ब्यौराः

वर्ष	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	पीडब्ल्यूडी	अ.पि.व.	कुल
2010–11	250	59	16	2	109	436

तकनीकी शिक्षा के अन्य केन्द्रीय संस्थान

भारतीय खान विद्यालय (आईएसएम), धनबाद

खनन और इससे जुड़े क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने और अनुसंधान करने के लिए 1926 में भारतीय खान स्कूल धनबाद की स्थापना की गई थी। 1967 में आईएसएम को सम विश्वविद्यालय के रूप में एक स्वायत्त संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। भारतीय खान स्कूल कार्यकारी विकास कार्यक्रम की पेशकश करता है जिससे खनन, खनिज, तेल, इस्पात, इंजीनियरिंग, विनिर्माण क्षेत्र तथा उदीयमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की जरूरतें पूरी होती हैं।

भारतीय खान विद्यालय धनबाद खनन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, खनन मशीनरी, खनिज इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पर्यावरण इंजीनियरिंग प्रबंधन में चार वर्षीय बीटेक कार्यक्रम, पांच वर्षीय दोहरी डिग्री के कार्यक्रम, रसायनशास्त्र, गणित और संगणना में पांच वर्षीय समेकित एमएससी, पांच वर्षीय समेकित एमएससी तकनीकी अनुप्रयुक्त भौमिकी और अनुप्रयुक्त भू–भौतिकी, तीन वर्षीय एमएससी टेक्निकल, दो वर्षीय एमएससी और दो वर्षीय एमबीए तथा दो वर्षीय एमटेक, एक वर्षीय एमफिल कार्यक्रम की पेशकश करता है, इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सभी विषयों में पीएचडी कार्यक्रम की पेशकश करता है। स्कूल ने इस अवधि के दौरान केमिकल इंजीनियरिंग के लिए एक नए विभाग की स्थापना की है। वर्ष 2010–11 के शैक्षणिक सत्र के दौरान छात्रों की कुल संख्या बढ़कर 3304 हो गई।

राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफएफटी), रांची

राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफएफटी), रांची की स्थापना देश में कोर सेक्टर के विकास में फाउंड्री और फोर्ज इंडस्ट्रीज की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यूनेस्को–यूएनडीपी के सहयोग से 1966 में की गई थी।

एनआईएफएफटी, रांची एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसका पूर्ण वित्तपोषण भारत सरकार करती है तथा यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। संस्थान का मिशन उद्योग के प्रचालन और प्रबंधन के लिए कार्मिकों को उच्च विशेषज्ञतायुक्त प्रशिक्षण देना हैं।

संस्थान पीडीएफ, पीएचडी, एमटेक (एफएफटी), एमटेक (एमई), एमटेक (एमएसई), एमटेक (एनवाय. इंजीनियरिंग), बीटेक (एमई), बीटेक (एमएमई), एडीसी (फाउंड्री टेक) और एडीसी (फोर्ज टेक) कार्यक्रम चलाता है जिसे राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए), एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित किया गया है और ये रांची विश्वविद्यालय, रांची से संबद्ध हैं। एमटेक (एमएसई) और एमटेक (एनवाय. इंजीनियरिंग) कार्यक्रम के प्रत्यायन की प्रक्रिया, जो 2007–08 में शुरू हुई थी शीघ्र शुरू की जाएगी। संस्थान के सभी अवर स्नातक और परास्नातक कार्यक्रम रांची विश्वविद्यालय, रांची से संबद्ध हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम टीईक्यूआईपी के अंतर्गत आयोजित किए गए थे और संस्थान के 48 संकाय सदस्य तथा कर्मचारी भारत और विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी संकाय सदस्यों और कर्मचारियों ने अपने प्रशिक्षण और अनुभव के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, एआईसीटीई, नई दिल्ली ने हाल ही में फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी और मैन्यूफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के दो एमटेक पाठ्यक्रमों को प्रत्यायित किया। इन एमटेक पाठ्यक्रमों और चल रहे बीटेक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त रांची विश्वविद्यालय ने एमटेक (एमएसई) और एमटेक (एनवाय. इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रमों को संबंधन प्रदान किया।

वर्ष 2010 में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के प्लेसमेंट का प्रतिशत 100 था और उन्हें 1.5 लाख से 6 लाख के बीच वेतनमान पैकेज मिला। वर्ष 2011 में उत्तीर्ण होने वाले लगभग 25 प्रतिशत छात्रों को प्लेसमेंट मिल चुका है और वे 1.8 लाख से 6.5 लाख के बीच वेतनमान पैकेज प्राप्त कर रहे हैं।

वास्तुकला परिषद

वास्तुकला परिषद (सीओए) का गठन भारत सरकार द्वारा भारत की संसद द्वारा अधिनियमित वास्तुकला अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था जो 1 सितंबर, 1972 से लागू हुआ। अधिनियम में वास्तुविदों और उनसे जुड़े मामलों के पंजीकरण का प्रावधान है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किसी भी वास्तुकला संबंधी योग्यता को अधिसूचित करने से पूर्व सीएओ से परामर्श किया जाता हैं। संस्थान में केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से वास्तुकला शिक्षा विनियमन, 1983 के न्यूनतम मानकों के संबंध में वास्तुकला परिषद द्वारा मानकों को अधिसूचित करके मान्यता प्राप्त अर्हताएं प्रदान करने के लिए वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित किए हैं।

केन्द्र सरकार ने वास्तुकला अधिनियम 1972 की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीएओ नियम 1973 बनाए जो 20.2.1973 को भारत के असाधारण राजपत्र भाग–।। खंड–3, उप–खंड (i) में प्रकाशित हुए। विगत में इन नियमों में अनेक बार संशोधन किए गए हैं। 1 जुलाई, 2009 को वास्तुकला परिषद (संशोधन) नियम अधिसूचित करके वास्तुकला परिषद नियम, 1973 में हाल ही में संशोधन किए गए हैं।

आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली

आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, भारत सरकार की प्रमुख संस्था है जो 1942 से वास्तुकला और आयोजना के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण दे रही है। वास्तुकला विभाग की स्थापना 1942 में दिल्ली पॉलिटेक्निक के भाग के रूप में की गई थी तथा इसे 1959 में टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग स्कूल में विलय कर इसे पुनः आयोजना और वास्तुकला विद्यालय (एसपीए) का नाम दिया गया। विद्यालय को सम विश्वविद्यालय का दर्जा 1979 में प्राप्त हुआ।

एसपीए दो अवर स्नातक पाठ्यक्रम, एक वास्तुकला में और दूसरा आयोजना में तथा डिजाइन आयोजना और वास्तुकला से जुड़े विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में 10 परास्नातक कार्यक्रम तथा अवर स्नातक और 10 परास्नातक पाठ्यक्रमों के जरिए निर्मित और प्राकृतिक माहौल तथा मानव अधिवास के विभिन्न पहलुओं पर परास्नातक शिक्षा और प्रशिक्षण देता है। सत्र 2010–11 के लिए छात्रों की कुल संख्या 321 है। इसमें 179 स्नातक छात्र और 142 अवर स्नातक छात्र लिए गए हैं जिनमें विदेशी राष्ट्रिक भी शामिल हैं।

शैक्षिक उत्कृष्टता लाने तथा अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए स्कूल ने 12 विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

स्कूल ने वसंतकुंज स्थित अपने नए प्रस्तावित परिसर के लिए शहरी डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें एक सौ से अधिक प्रविष्टियां आईं जिनमें से छह विदेशों से थीं। स्कूल ने माननीय जर्मन संघीय गणराज्य के विकास मंत्री के दौरे के अवसर पर जीटीजेड के सहयोग से एक प्रदर्शनी तथा अमेरिकी दूतावास के सहयोग से न्यूयार्क की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। एसपीए ने राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र की स्थापना भी की है जिसे आवास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा धन प्रदान किया जाता है। इसे शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मास्टर प्लान के विकल्प के संबंध में एक अनुसंधान परियोजना दी गई।

स्कूल ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोग्ने, जर्मनी के सहयोग से "मेगा सिटी गवर्नेंस" पर एक सप्ताह की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। भारत के क्षेत्रीय विज्ञान एसोसिएशन के सहयोग से "रीजनल डेवलपमेंट थ्रू इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोविजंस" पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। स्कूल ने "क्लाइमेट चेंज" पर कार्यशाला के आयोजन में क्वींस यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट के साथ सहयोग किया। स्कूल ने कोलोग्ने यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर "मेगासिटी रिस्क्स एण्ड मिटिगेशन इन बॉम्बे" पर तथा क्योटो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर आपदा कम करने के संबंध में चल रही अनुसंधान परियोजना पर प्रदर्शनी लगाई।

आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, भोपाल

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वायत्त संस्थान के रूप में आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, भोपाल अगस्त, 2008 में शुरू किया गया। 2010–11 के चालू सत्र में यह स्कूल एमएएनआईटी के खेल परिसर से चलाया जा रहा है जिसमें अवर स्नातक के तीन बैच तथा परास्नातक और पीएचडी का पहला बैच संचालित किया जा रहा है। स्कूल ने जुलाई, 2010 से डॉक्टरल और दो परास्नातक कार्यक्रम शुरू किए हैं। 2010–11 के तीसरे बैच में प्रवेश दिया जाना सितंबर में बंद कर दिया गया। उस समय छात्रों की संख्या 103 थी। स्कूल में अवर स्नातक, परा स्नातक और पीएचडी

कार्यक्रमों में लगभग 320 छात्र हैं। अक्टूबर 2010 तक की स्थिति के अनुसार स्कूल में 18 संकाय सदस्य और 16 कर्मचारी हैं। स्कूल ने हाल ही में संकाय सदस्यों के 14 पदों और गैर संकाय सदस्यों के 15 पदों की मंजूरी प्राप्त की है जिन्हें भरने की प्रक्रिया चल रही है।

एसपीए, भोपाल के चार्टर के अनुसार संस्थान को अनुसंधान के लिए प्लेटफार्म विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसलिए इसने अंतर्राष्ट्रीय रूप से संदर्भित अनुसंधान पत्रिका शुरू की है। 'स्पैंडरेल' के उद्घाटन अंक का विमोचन मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर द्वारा किया गया।

आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा

एसपीए विजयवाड़ा वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था। इसने शैक्षिक वर्ष 2008–09 से आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय (एएनयू), गुंटूर के अस्थायी आवास से काम करना शुरू कर दिया हैं।

एसपीए, विजयवाड़ा आयोजना और वास्तुकला में दो अवर स्नातक पाठ्यक्रम चलाता है और वास्तुकला और नगर आयोजना के भिन्न क्षेत्रों में ग्यारह परास्नातक पाठ्यक्रम चलाएगा। अन्य उद्देश्यों में वर्ष 2011–12 में परास्नातक और डॉक्टरल कार्यक्रम शुरू करने के लिए नियोजित किए गए हैं। एसपीए, विजयवाड़ा वर्तमान में वास्तुकला में बैचलर डिग्री पाठ्यक्रम और आयोजना में बैचलर डिग्री पाठ्यक्रम चलाता है जिनकी संस्वीकृत अंतर्ग्रहण क्षमता प्रति वर्ष क्रमशः 75 और 30 है। अक्टूबर 2010 तक की स्थिति के अनुसार छात्रों की कुल संख्या 262 है (बी. आर्क में 205 और बी. प्लान में 57)।

स्कूल का स्थापना दिवस 19 अप्रैल 2010 को डा. श्रीमती डी.पुरंदेश्वरी, माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री की उपस्थिति में मनाया गया जिन्होंने आईटीआई रोड (राजकीय पॉलिटेक्निक से सटा हुआ), विजयवाड़ा शहर के सात एकड़ पार्सल भूमि पर प्रस्तावित–एसपीएबी परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया।

अक्टूबर 2010 के दौरान नार्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी तथा एसएपीवी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। निदेशक एसएपी एबी और कुछ संकाय सदसयों को टर्की, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने और पेपर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर)

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल, चण्डीगढ़, चेन्नई एवं कोलकाता की स्थापना 60 के दशक के मध्य के दौरान देश में पॉलिटेक्निक के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। पिछले कुछ वर्षों से एनआईटीटीटीआर इंजीनियरिंग कालेजों के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दे रहा है। सरकार ने तकनीकी शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता के विकास में इसके योगदान को देखते हुए 2003 में पूर्ववर्ती टीटीटीआई को राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया तथा इसका नाम बदलकर एनआईटीटीटीआर कर दिया। एनआईटीटीटीआर का मुख्य उद्देश्य अपने–अपने क्षेत्र में पॉलिटेक्निक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। शुरू–शुरू में शिक्षक प्रशिक्षण पर बल देने के बाद परवर्ती वर्षों में इन संस्थानों ने इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी, पाठ्यचर्या विकास, अनुदेशात्मक सामग्री विकास, ग्रामीण विकास तथा उद्यमशीलता के क्षेत्र में आवश्यकताओं का समाधान करने पर महत्वपूर्ण रूप से पहल की हैं।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षक तथा अनुसंधान संस्थान, (भोपाल)

संस्थान मानव संसाधन विकास में पाठ्यचर्या विकास, शिक्षण संसाधनों के डिजाइन और विकास, शैक्षिक प्रबंधन, नीति निर्माण, सतत् शिक्षा, छात्र मूल्यांकन, बहुमीडिया विकास, सामुदायिक नेटवर्किंग और औद्योगिक संपर्क तथा तकनीकी सक्षम संस्थान के क्षेत्र में सतत् अनुसंधान और विकास के जरिए विशेषज्ञता बनाए रखता है।

संस्थान ने 150 अल्पकालिक शिक्षण कार्यक्रम, 6 राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार कार्यशालाएं आयोजित की, जिनमें 11 हजार सहभागी देशों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस अवधि में एमटेक (एड) का 19वां बैच आरंभ किया गया जिसमें 7 छात्रों को इनरोल किया गया। टाटा मोटर उद्योग स्नातक प्रशिक्षणों के लिए तीन माह का परंपरागत प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। संस्थान ने उद्यमशीलता विकास, व्यापारिक शिक्षा और प्रशिक्षण, कारपोरेट अभिशासन, संचार कौशल और इग्नू, नई दिल्ली के साथ पीएचडी–सीएमए व्यवसायिक और कौशल विकास प्रमाण पत्र डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा शुरू किया।

संस्थान राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की कौशल विकास परियोजना में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। संस्थान चार

सेक्टरों और छह सब सेक्टरों में लगभग 250 पाठ्यचर्या विकसित कर रहा है। पणजी, गोवा में आयोजित समारोह में संस्थान को 'भारतीय भाषा' एवं संस्कृति केन्द्र द्वारा 'राजभाषा' शिरोमणि प्रदान किया गया। इस अवधि में संस्थान में चार संकाय सदस्यों को पीएचडी प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षक तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर), चंडीगढ़

संस्थान, पीएचडी के अतिरिक्त अल्पकालिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है। दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में एम.ई. तथा एम.टेक पाठ्यक्रम शामिल है, जबकि अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत उद्योग जगत के कार्यरत पेशेवरों के लिए उन्हें और तकनीकी संस्थाओं के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं: आप्टीकल फाइबर तथा इसका अनुप्रयोग, जीआईएस सॉफ्टवेयर पाइ टोटल स्टेशन का मापन, कंप्यूटर सहायित संरचनात्मक विश्लेषण और डिजाइन मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, मोबाइल कंप्यूटिंग, ओपेन सोर्स टेक्नोलॉजी, विकलांगों के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी टीसीपी/आईपी आधारित कंप्यूटर नेटवर्क, वीएलएस आई डिजाइन एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सैंसिंग और फोटोग्रामेटरी, मेकैट्रॉनिक्स, सीएडी/सीएएमआर रोबोटिक्स सामुदायिक विकास के लिए प्रौद्योगिकीय विकल्प, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार और पेटेंट, शिक्षण के उपकरण के रूप में वीडियो, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी और बायो केमिकल इंजीनियरिंग, रणनीतिक प्रबंधन, सक्षमता आधारित पाठ्यचर्या विकास, तकनीकी उद्यमशीलता विकास, नए शिक्षकों के लिए प्रवेश के समय प्रशिक्षण।

संस्थान गतिविधियों के पांच क्षेत्रों में शामिल है: (1) कर्मचारी विकास (2) पाठ्यचर्या विकास (3) शिक्षण सामग्री विकास (4) अनुसंधान और विकास और (5) विस्तार सेवाएं और परामर्श।

संस्थान द्वारा की जाने वाली नई पहले हैं: कौशल विकास पर बल बढ़ाना, भारत सरकार का मिशन, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुविषयी पाठ्यक्रमों पर बल/संस्थान द्वारा आंतरिक संसाधन उत्पादन बढ़ाना।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षक तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर), चेन्नई

वर्ष 2009–2010 के दौरान एनआईटीटीआईआर, चेन्नई ने पांच प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यक्रम, परियोजनाएं और गतिविधियां शुरू की जिनके नाम हैं: (प) संकाय विकास (पप) पाठ्यचर्या विकास (पपप) शिक्षण संसाधन विकास (पअ) अनुसंधान और विकास परिषद (अ) विस्तार और परामर्श सेवाएं।

संकाय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सस्थान के 680 सहभागियों को शामिल कर 240 पाठ्यक्रम (अल्पकालिक) आयोजित किए। कुल 22 उम्मीदवारों (जिनमें 9 पूर्णकालिक डाक्टरल रिसर्च फेलो शामिल हैं) पीएचडी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ कुल 52 उम्मीदवार रोल पर पीएचडी कार्यक्रम के लिए संस्थान में हैं। सात उम्मीदवार एमटेक (एचआरडी) कार्यक्रम में शामिल हुए। इस वर्ष कुल 18 उम्मीदवार इस कार्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं। विदेशों के अध्यापकों के लिए सात प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए तथा 32 देशों के कुल 96 सहभागियों ने पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

कर्नाटक राज्य के पॉलिटेक्निकों के लिए 50 कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या विकसित की गई। संस्थान द्वारा दो परियोजनाएं प्रारंभ की गई। मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा इंजीनियरिंग शिक्षा में छह शोध छात्रों को पीएचडी डिग्री प्रदान की गई तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रायोजित 13 परियोजनाएं संकाय सदस्यों द्वारा शुरू की गई जिनमें से तीन पूरी की गईं।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षक तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर), कोलकाता

कोलकाता संस्थान ने पूर्वोत्तर और उड़ीसा के अपने लाभग्राहियों तक और कारगर ढंग से पहुंचने के लिए क्रमशः 1999 और 2000 में गुवाहाटी और भुवनेश्वर में दो विस्तार केंद्र स्थापित किए।

आरंभ से संस्थान को सौंपी गई गतिविधियों में शामिल थीं: (1) शिक्षा और प्रशिक्षण (2) पाठ्यचर्या विकास (3) शिक्षण संसाधन विकास (4) अनुसंधान और विकास तथा विस्तार सेवा एवं परामर्श। संस्थान, संकाय सदस्यों तथा तकनीकी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए तकनीकी और प्रबंधन विषयों की विषय सामग्री को अद्यतन बनता है तथा शिक्षा कौशल के विकास के लिए देश भर में अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

तकनीकी संस्थाओं में सुयोग्य संकाय सदस्यों की कमी को दूर करने के लिए संस्थान ने विनिर्माण प्रौद्योगिकी, मल्टी मीडिया, सॉफ्टवेयर सिस्टम तथा मेकाट्रॉनिक्स

इंजीनियरिंग में तीन पूर्णकालिक 2 वर्षीय एमटेक पाठ्यक्रम चलाने के लिए सुविधाएं प्रदान की है। संस्थान, दूरदर्शन के ज्ञानदर्शन चैनल पर प्रसारण के लिए तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर वीडियो फिल्में भी बनाता है। संस्थान पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के पॉलिटेक्निकों और इंजीनियरिंग कॉलेजों के विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में संशोधन और पाठ्यचर्या विकास का प्रमुख स्रोत है। हाल ही में संस्थान ने पश्चिम बंगाल राज्य के लिए 3 नए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या का विकास किया तथा उड़ीसा राज्य के 18 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की पाठ्चर्या में संशोधन किया। संस्थान पॉलिटेक्निक (सीडीआईपी) और विकलांग व्यक्तियों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा (पीडब्ल्यूडी) की मुख्य धाराओं में लाकर एमएचआरडी की स्कीम–सामुदायिक विकास की भी मॉनिटरिंग करता है। संस्थान को हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के भाग के रूप में संस्थान की हाल ही में विभिन्न ट्रेडों के लिए पाठ्यचर्या विकास का कार्य सौंपा गया है।

संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल

संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएलआईईटी) लोंगोवाल, जिला संगरूर, पंजाब की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1989 में इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के उदीयमान क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। संस्थान ने 1991 में प्रमाणपत्र और डिप्लोमा कार्यक्रम आरंभ किया और इसके पश्चात 1993 में डिग्री कार्यक्रम आरंभ किया गया। चार विधाओं में परास्नातक पाठ्यक्रम 2003 में आरंभ हुआ। आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रम विभिन्न मॉड्यूलों की प्रकृति के हैं जिसमें विभिन्न मॉड्यूलों में क्षैतिज और पाश्विक प्रवेश का प्रावधान है। ये पाठ्यक्रम आमतौर पर स्व–रोजगार पर उद्यमशीलता के विकास तथा जोर देने के लिए निर्मित इनपुट वाला और परंपरागत लागत–प्रभावी, लचीला तथा क्रेडिट आधारित है। संस्थान विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पीएचडी कार्यक्रम भी चलाता है। एसएलआईईटी भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित और सोसाइटी पंजीकरण अधनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एसएलआईईटी सोसाइटी द्वारा प्रबंधित एक स्वायत्त संस्थान है। संस्थान को 2007–08 के दौरान मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया तथा वर्तमान दाखिला 1769 है। डिग्री और परास्नातक कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय आधार पर देश के सभी भागों के छात्रों के लिए प्रवेश खुला है। तथापि, पंजाब के भीतर रहने वाले छात्रों के लिए बड़ा प्रतिशत आरक्षित है। संस्थान ने विकलांगता अध्ययन के लिए एक नया विभाग खोला है।

संस्थान ने छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति देने और उनकी फीस माफी के लिए विशेष कदम उठाए हैं। संस्थान ने भारत सरकार की नीति के अनुसार अ.जा. और अ.ज.जा. के सामान्य आरक्षण (अर्थात 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत) तथा अ.पि.वर्ग (27 प्रतिशत) के अतिरिक्त शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए 3 प्रतिशत दाखिले आरक्षित किए हैं। भारत सरकार के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार संस्वीकृत सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों का 10 प्रतिशत अप्रवासी भारतीयों को दिया जाता है। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त विज्ञान में नियमित पाठ्यक्रम आयोजित करने के अतिरिक्त संस्थान अपने अध्यापकों के लिए विभिन्न सेमिनार/सम्मेलन/वर्कशॉप आयोजित करने तथा छात्रों के लिए शिक्षण दौरा आयोजित करने जैसी गतिविधियां तथा राज्य सरकार के विभागों के अनेक अनुसंधान और विकास कार्य शुरू करता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी) ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी) ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1986 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी ताकि मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए इंजीनियरी आर प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान की शाखाओं में तकनीकी और कौशलयुक्त जनशक्ति तैयार की जा सके। इस संस्था को 31.5.2005 से सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। इसके लिए पूरे धन की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

संस्थान का उद्देश्य मॉड्यूल पाठ्यक्रमों के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तकनीकी और कौशलयुक्त जनशक्ति तैयार करना है। संस्थान प्राकार बाहय अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम और क्षेत्र से बाहर पहुंच वाली गतिविधियां भी शुरू करता है ताकि स्थानीय समुदाय के विकास में योगदान किया जा सके।

एनईआरआईएसटी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में दो वर्षीय मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों की पेशकश भी करता है। संस्थान उन्नीय पाठ्यक्रमों (छह प्रमाण पत्र, छह डिप्लोमा और सात डिग्री स्तर) की पेशकश करता है।

इसके अतिरिक्त एमटेक एमएससी, एमबीए और पीएचडी कार्यक्रमों की पेशकश भी करता है। ये मॉड्यूलर कार्यक्रम तकनीशियन, पर्यवेक्षक और इंजीनियर के व्यवसायों के अवसर प्रदान करते हैं। प्रमाण–पत्र, डिप्लोमा और डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम से अगले ऊंचे मॉड्यूल में प्रवेश मिलता है बशर्ते कि निचले स्तर के मॉड्यूलों में छात्रों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा हो तथा आवश्यकता पड़ने पर वे सेतु कार्यक्रम में भाग ले सकें। इस मॉड्यूलर और अभिनव प्रणाली में छात्रों को या तो उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम में भाग लेकर या अवसर के अनुसार नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रणाली से क्षैतिज रूप से बाहर जाकर आपवादिक रूप से अच्छा निष्पादन करना पड़ता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम का इस संस्थान में सीटों का समान कोटा है। कुल सीटों में से 80 प्रतिशत सीटें बराबर–बराबर आठ राज्यों को आवंटित कर दी गई है। शेष 7 प्रतिशत सीटें इन आठ राज्यों के स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (पीआरसी) धारण करने वाले अर्थात अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निवासी परंतु स्थायी तौर पर इन आठ राज्यों में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती है। शेष 10 प्रतिशत सीटें शेष देश के लिए निर्धारित होती है जिन्हें संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर भरा जाता है। 3 प्रतिशत सीटें सभी श्रेणियों के विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं। इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुत विज्ञान में नियमित पाठ्यक्रम आयोजित करने के अतिरिक्त संस्थान अपने छात्रों के लिए विभिन्न सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाओं जैसी गतिविधियां आयोजित करता है। छात्रों के लिए अध्ययन दौरे आयोजित करता है तथा राज्य सरकार के विभागों और केंद्रीय एजेंसियों के विभिन्न अनुसंधान और विकास कार्यों की जिम्मेदारी लेता है।

केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), कोकराझार

केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), कोकराझार की स्थापना, भारत सरकार, असम सरकार और बीएलटी के बीच 10 फरवरी, 2003 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार केन्द्र सरकार के एक स्वायत्त निकाय के रूप में वर्ष 2006 में की गई थी। इस संस्थान का मुख्य उद्‌देश्य क्षेत्र के बोडो लोगों के उत्थान के अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा देश के अन्य क्षेत्रों के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करना है।

ऑफर किए गए कोर्स

संस्थान वर्तमान में डिप्लोमा स्तर के छह कार्यक्रम चलाता है:

(i) कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (ii) इलेक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरिंग (iii) खाद्य संसाधन प्रौद्योगिकी (iv) नियंत्रण और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रौद्योगिकी (v) निर्माण प्रौद्योगिकी और (vi) एनीमेशन और मल्टीमीडिया जिसमें प्रत्येक में 30 छात्र लिए जाते है। इन सभी पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा प्रत्यायित किया गया है।

प्रवेश नीति

सीआईटी, कोकराझार में विभिन्न श्रेणी के छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार :

i. बीटीसी से 60 प्रतिशत (60 प्रतिशत अ.ज.जा., 5 प्रतिशत अ.जा. 15 प्रतिशत अ.पि.व. और 20 प्रतिशत सामान्य)
ii. बीटीसी को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र 20 प्रतिशत
iii. पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत से 17 प्रतिशत
iv. 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए

शैक्षणिक सत्र 2010–11, के दौरान सीआईटी, कोकराझार में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त छात्रों का ब्यौरा

क्षेत्र	श्रेणी				
	सामान्य	अ.पि.व.	अ.ज.जा.	अ.जा.	कुल
बीटीसी	17	18	60	02	97
एनईआर	13	20	11	04	48
अखिल भारत	09	06	0	02	17
				सकल योग	162

स्कीमें:

कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के अंतर्गत पॉलिटेक्निकों के संबंध में सब–मिशन

कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के अंतर्गत पॉलिटेक्निकों के संबंध में सब–मिशन, माननीय प्रधानमंत्री के 15 अगस्त, 2007 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के अनुसरण में शुरू किया गया था जिसमें उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के संबंध में एक मिशन शुरू

करने की घोषणा की थी। स्कीम में निम्नलिखित घटक होंगे:

1. नए पॉलिटेक्निकों की स्थापना
2. मौजूदा पॉलिटेक्निकों को सुदृढ़ करना
3. पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास
4. पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों का निर्माण

नए पॉलिटेक्निकों की स्थापना

असेवित जिलों अर्थात जिन जिलों में कोई राजकीय पॉलिटेक्निक नहीं है तथा कम सेवित जिलों में एक पॉलिटेक्निक स्थापित करने की पूंजी लागत को पूरा करने के लिए प्रति पॉलिटेक्निक 12.3 करोड़ रू. तक सीमित भारत सरकार की सहायता से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 300 पॉलिटेक्निक स्थापित किए जाने हैं।

12.30 करोड़ की वित्तीय सहायता दिए जाने वाले 300 जिलों में से 252 जिलों को अब तक आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

मौजूदा पॉलिटेक्निकों को सुदृढ़ बनाना

स्कीम के इस घटक के अंतर्गत मौजूदा डिप्लोमा स्तर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त की अवसंरचना सुविधाओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता इसलिए प्रदान की जाती है कि आधुनिक उपस्करों को प्राप्त कर, अप्रचलित उपस्करों के स्थान पर नए उपस्कर लाकर, पठन–पाठन और परीक्षण प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर, शिक्षण संसाधन के प्रावधान के माध्यम से शिक्षण संसाधन उपयोग कौशल को सुदृढ़ बनाकर अवसरंचना सुविधाएं उपलब्ध करा कर तथा नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत कर प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं को आधुनिक बनाया जा सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ 500 पॉलिटेक्निकों पर विचार करने का प्रस्ताव है जिसमें प्रत्येक के लिए अधिकतम सीमा 2.00 करोड़ रू. होगी। इस घटक के अंतर्गत 378 पॉलिटेक्निकों को अब तक आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों का निर्माण

पॉलिटेक्निक शिक्षा में महिलाओं का नामांकन बढ़ाने के निमित्त, पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए एकबारगी वित्तीय सहायता दी जाती है। एआईसीटीई अनुमोदित 500 विद्यमान सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निकों को प्रति पॉलिटेक्निक 1 करोड़ रूपए की अधिकतम राशि के अधीन वित्तीय सहायता दी जानी है। अब तक योजना के तहत 470 पॉलिटेक्निकों को आंशिक वित्तीय सहायता दी गई है।

पॉलिटेक्निकों के माध्यम से सामुदायिक विकास

इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, अजा/अजजा, अल्पसंख्यकों, पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों तथा समाज के अन्य वंचित वर्गों को आवश्यकता आधारित, गैर औपचारिक कौशलों, ट्रेडों में जनशक्ति प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि उनको लाभप्रद रोजगार/स्व–रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके। प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतया 3 से 6 माह होती है। यह योजना विद्यमान एआईसीटीई अनुमोदित पॉलिटेक्निकों के माध्यम से चलाई जा रही है तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए 703 पॉलिटेक्निकों का चयन किया गया है।

तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की मुख्यधारा में विकलांगों को समेकित करने के लिए मौजूदा पॉलिटेक्निक्स को उन्नत करने की योजना

इस योजना को तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा में समेकित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत उन्नयन के लिए देश के विभिन्न स्थानों में 50 मौजूदा पॉलिटेक्निक्स का चयन किया गया है ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा तथा शिक्षण कार्यक्रम को जारी रखने के लिए उन्हें समर्थ बनाया जा सके। इस स्कीम का लक्ष्य औपचारिक डिप्लोमा स्तरों के पाठ्यक्रमों में प्रत्येक वर्ष लगभग 1250 विकलांग छात्रों तथा 5000 छात्रों को अल्पावधि तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लाभान्वित करने का लक्ष्य है। चुने गए पॉलिटेक्निक्स शिक्षा तथा प्रशिक्षण उपयोग, विकलांग छात्रों के रोजगार तथा संस्थागत वातावरण को विकसित करने के संबंध में अनुसंधान तथा अध्ययन करेंगे जो धीरे–धीरे असमानता तथा विषमता को दूर करती है तथा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्यधारा में विकलांग छात्रों को समेकित करता है। आरंभिक चरण में औपचारिक तथा अनौपचारिक पाठ्यक्रमों को चलाने में कतिपय पॉलिटेक्निक्स को कुछ अड़चनें हुई।

अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण स्कीम

अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण स्कीम का कार्यान्वयन अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के अंतर्गत एक सांविधिक आवश्यकता है। अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण की योजना, केंद्रीय अप्रेंटिसशिप परिषद (सीएसी), जो अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अंतर्गत एक शीर्ष सांविधिक निकाय है, द्वारा निर्धारित नीतियों तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार लगभग 10,000 औद्योगिक प्रतिष्ठानों/संगठनों में स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों (तकनीशियनों) और 10+2 व्यावसायिक पास के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण अवसर प्रदान करता है।

इस स्कीम का मूल उद्देश्य जहां तक नए स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों तथा 10+2 व्यावसायिक पास के व्यावहारिक/तुरंत अनुभव का संबंध है, किसी अंतर को पाटकर मेल करना है, ताकि उद्योग की आवश्यकता के अनुसार नौकरी के लिए उपयुक्तता हेतु उनका तकनीकी कौशल बढ़ाया जा सके।

मुम्बई/कोलकाता, कानपुर तथा चेन्नई स्थित अप्रेंटिसशिप/प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के चार क्षेत्रीय बोर्ड (बीओएटी/बीओपीटी) है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) के पूर्ण रूप से वित्त पोषित स्वायत्त संगठन है, को समय–समय पर यथासंशोधित अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित करने के लिए उनके संबंधित क्षेत्रों में प्राधिकृत किया गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है। प्रशिक्षुओं को मासिक तौर पर स्टाइपेंड दिया जाता है जिसकी केन्द्र सरकार तथा नियोजक द्वारा 50:50 आधार पर साझेदारी की जाती है। इंजीनियरिंग, स्नातकों, तकनीशियनों द्वारा 10+2 व्यावसायिक पास को अप्रेंटिस के रूप में दिए जा रहे स्टाइपेंड की मौजूदा दर क्रमशः 2600/–रू., 1850/–रू. तथा 1440/–रू. प्रतिमाह है। औद्योगिक प्रतिष्ठान/संगठन अप्रेंटिस प्रशिक्षण ले रहे अप्रेंटिसों को पहले पूर्ण स्टाइपेंड का भुगतान कर देते हैं और बाद में वे संबंधित बीओएटी/बीओपीटी के माध्यम से केन्द्र सरकार से 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का दावा करते हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अप्रेंटिसों की तैनाती का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

योजना अवधि	मंत्रालय द्वारा निर्धाति लक्ष्य	उपलब्धियां
दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–03 से 2006–07)	300000	274043
11वीं पंचवर्षीय योजना		
i. 2007–08 एवं 2008–09	350000	180475
ii. 2009–10 (नवंबर, 2009 तक)		39306

इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय (आई.एन.डी.ई.एस.टी.–ए.आई.सी.टी.ई.) कंसोर्टियम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय (आई.एन.डी.ई.एस.टी.–ए.आई.सी.टी.ई.) कंसोर्टियम की स्थापना की है। मंत्रालय केंदीय रूप से वित्तपोषित संसाधनों को इलेक्ट्रॉनिक संसाधन तथा डाटाबेस तक पहुंच के लिए निधियां मुहैया कराता है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की कंसोर्टियम आधारित सदस्यता का लाभ सभी शैक्षिक संस्थानों को भी दिया जाता है। एआईसीटीई अनुमोदित सहायता से चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। एक तंत्र स्थापित किया गया है जिसमें कंसोर्टियम सामूहिक मोल–तोल का लाभ उठाता है और ई–जर्नल के लाभों को अंशदान करने वाले सदस्यों को प्रदान कर देता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2010–11 के दौरान कंसोर्टियम को 25.00 करोड़ रूपए निर्मुक्त किए है तथा वर्ष 2010–11 के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर अंशदान के नवीकरण के लिए 42.75 करोड़ रू. की राशि अनुमोदित की गई है।

एजूकेशनल कंसलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (एडसिल)

एडसिल की स्थापना 1981 में शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, पाठ्यक्रम के विकास, जनशक्ति आवश्यकता का आकलन, सर्वेक्षण करना आदि जैसे तकनीकी सहायता कार्यकलापों पर जोर देते हुए विभिन्न शैक्षिक परियोजनाएं आरंभ करने के लिए की गई थी। इस फोकस को बाद में विस्तृत कर दिया गया ताकि विदेश में तथा भारत में ईडीसीआईएल ग्राहकों के भिन्न क्षेत्रों में भारतीय शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने, भारतीय संस्थाओं में विदेशी छात्रों का प्रतिस्थापन तथा विशेषज्ञों की सेकंडमेंट/भर्ती की जा सके। पिछले कुछ वर्षों के दौरान एडसिल ने प्रचालन के अपने क्षेत्रों को और बढ़ाया है तथा शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश और भर्ती के लिए टर्नकी निर्माण एवं खरीद परियोजनाएं (शैक्षिक संस्थाओं पर जोर देते हुए) तथा प्रवेश परीक्षा कार्यकलाप आरंभ किया है।

ईडीसीआईएल एक लाभ कमाने वाला पीएसयू है और यह पिछले 15 वर्षों से लाभ कमा रहा है तथा भारत सरकार को नियमित रूप से लाभांश का भुगतान कर रहा है। 2008–09 के लाभांश के रूप में इस वर्ष के दौरान एक करोड़ सतावन लाख रूपए का भुगतान किया गया है।

बाह्य समर्थित परियोजनाएं/अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी)

टीईक्यूआईपी चरण–।। का कार्यान्वयन विश्व बैंक की 2430 करोड़ की सहायता से केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में किया जा रहा है। केन्द्रीय अंशदान 1895.50 करोड़ रूपए होगा जिसमें 1395.50 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा की जाएगी। राज्य का हिस्सा 518.50 करोड़ ₹ और गैर सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं का 16 करोड़ रूपए होगा। केन्द्र और सहभागी राज्यों में धन प्रदान करने का अनुपात 75:25 होगा और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह 90:10 होगा। बुनियादी तौर पर इसमें दो घटक होंगे: (1) चुने गए संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना (2) प्रणाली प्रबंधन में सुधार लाना।

टीईक्यूआईपी परियोजना 4 वर्ष की अवधि के लिए है जिसमें प्रतिस्पर्धी फंडिंग के आधार पर 200 संस्थाएं शामिल होंगी। मंत्रिमंडल ने 10 जून, 2010 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चुना गया है। उपघटक 1.1 के तहत कुल 361 संस्थात्मक अर्हता प्राप्त (97 सरकारी धन प्राप्त/सहायता प्राप्त संस्थाओं तथा 264 निजी गैर सरकारी संस्थाओं से) उप. घटक 1.1 और 130 संस्थागत विकास प्रस्ताव (95 सरकारी धन प्राप्त/सहायता प्राप्त संस्थान और 35 निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थान) और उप घटक 1.2 के अंतर्गत सरकारी धन प्राप्त/सहायता प्राप्त संस्थाओं से 95 तथा निजी गैर सरकारी संस्थाओं से 35 प्राप्त हुए। राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा उनका मूल्यांकन किया गया है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन वर्ष 2010–11 से किया जाएगा।

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईटी), बैंकाक

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईटी), बैंकाक की स्थापना 1959 में एसईएटीओ सदस्य राज्यों की विकसित तकनीकी शिक्षा आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से एसईएटीओ स्नातक इंजीनियरिंग विद्यालय के रूप में की गई थी। 1967 में एसईएटीओ ने अपना नियंत्रण त्याग दिया और संस्थान का नाम एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान रख दिया गया और यह अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड को सौंपे जा रहे, प्रबंधन के साथ एक स्वायत्त संस्थान हो गया। इस समय बैंकाक में भारत के राजदूत एआईटी बैंकाक के न्यासी बोर्ड के सदस्य हैं।

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईटी), बैंकाक एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय परास्नातक संस्थान है जो इंजीनियरिंग, विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित शिक्षा प्रदान कर रहा है। एआईटी शिक्षण वर्ष दो अवधि का होता है जो जनवरी तथा अगस्त से आरंभ होता है। भारत सरकार विशेषीकरण के चुने गए क्षेत्रों में 16 सप्ताह की अवधि के लिए भारतीय संकाय के सेकंडमेंट द्वारा एआईटी को सहायता प्रदान करती है और प्रत्येक वर्ष सेकंडमेंट की गई फैकल्टी को 33 लाख रूपए की प्रतिपूर्ति करती है। मंत्रालय अगस्त 2010 की अवधि के लिए 8 अभ्यर्थियों को तथा जनवरी 2011 की अवधि के लिए भी 8 अभ्यर्थियों को तैनात किया है। इसके अलावा भारत सरकार प्रत्येक वर्ष भारतीय उपकरण, पुस्तकें तथा पत्रिकाएं खरीदने के लिए 3 लाख रूपए की निधि प्रदान करती है।

तकनीकी शिक्षा हेतु कोलंबो योजनागत स्टाफ कालेज (सीपीएससी), मनीला

कोलंबो योजनागत स्टाफ कालेज (सीपीएससी), मनीला की स्थापना कोलंबो योजना की एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी है। इसकी स्थापना कोलंबो योजना के सदस्य देशों की सहायता करने के लिए वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में आयोजित कोलंबो योजना की परामर्शदात्री समिति की 23वीं बैठक में 5 दिसंबर, 1973 को की गई थी। बारह वर्षों के लिए प्रथम मेजबान सरकार के रूप में कार्य कर रहे सिंगापुर गणराज्य के साथ यह 1974 में प्रचालनशील हुआ। 1986 में सीपीएससी मनीला, फिलीपींस चला गया।

कोलंबो योजना स्टाफ कालेज एशिया प्रशांत क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने वाला एकमात्र क्षेत्रीय संस्थान है। स्टाफ कालेज का उद्देश्य तकनीशियन शिक्षक प्रशिक्षकों तथा तकनीकी शिक्षा में प्रशिक्षकों और वरिष्ठ स्टाफ, जो सेवारत प्रशिक्षण तथा स्टाफ विकास कार्यक्रम में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता है, की आवश्यकता को पूरा करके कोलंबो योजना क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है।

"एमर्जिंग ट्रेंड्स इन टीचिंग एण्ड लर्निंग इन आईसीटी एरा" विषय पर एक सहयोगात्मक क्षेत्रीय कार्यक्रम मार्च, 2010 के दौरान एनआईटीटीटीआर, कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2009–10 के दौरान सीपीएससी, मनीला द्वारा आयोजित छह क्षेत्रीय कार्यक्रमों में आठ सहभागियों को इस मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था।

प्रौढ़ शिक्षा

8

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य ऐसे प्रौढ़ों को शिक्षा के विकल्प प्रदान करना है जिन्होंने अवसर गंवा दिया है तथा औपचारिक शिक्षा की आयु पार कर गये हैं किन्तु अब बुनियादी शिक्षा (साक्षरता), कौशल विकास (व्यावसायिक शिक्षा) तथा समतुल्यता समेत किसी प्रकार के अधिगम के लिए आवश्यकता महसूस करते हैं। साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली पंचवर्षीय योजना के समय से ही कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें सबसे प्रमुख राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) है जिसे समयबद्ध ढंग से 15–35 आयु वर्ग के गैर–साक्षरों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करने के लिए 1988 में शुरू किया गया। 10वीं योजनावधि के अंत तक, एनएलएम ने 127.45 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाया जिसमें से 60 प्रतिशत महिलाएं, 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) तथा 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (एसटी) हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान के तहत 597 जिले शामिल किए गए जिसमें से 502 जिले साक्षरता पश्चात चरण पर तथा 328 ज़िले सतत शिक्षा चरण पर पहुंचे। कार्यक्रम के अंत में 95 ज़िले संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत, 174 जिले उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत तथा 328 जिले सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत थे। इससे साक्षरता में 12.63 प्रतिशत वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ जो किसी दशक में सर्वाधिक वृद्धि है। महिला साक्षरता में 14.38 प्रतिशत, एससी साक्षरता में 17.28 प्रतिशत तथा एसटी साक्षरता में 17.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद निरक्षरता गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। 2001 की जनगणना में पुरूष साक्षरता 75.26 प्रतिशत दर्ज की गयी जबकि महिला साक्षरता 53.67 प्रतिशत के अस्वीकार्य स्तर पर बनी रही। 2001 की जनगणना में यह भी पता चला कि साक्षरता में लैंगिक एवं क्षेत्रीय विषमताएं बनी हुई है इसलिए प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने साक्षर भारत तथा प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए स्वयंसेवी एंजेसियों को सहायता नामक दो नई योजनाएं 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की।

साक्षर भारत

4 जून 2009 को संसद को संबोधित करते समय राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में, जो 2009–2014 की अवधि के लिए सरकार की कार्यसूची को अभिव्यक्त करता है, में कहा: था.. ''अगले पांच वर्षों में सभी महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए मेरी सरकार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन के रूप में प्रारंभ करेगी..''। महिला अधिकारिता पर केंद्रित, सरकार की समग्र नीति के संदर्भ में तथा यह स्वीकार करते हुए कि साक्षरता, विशेष रूप से महिला साक्षरता सामाजिक–आर्थिक विकास की एक पूर्वापेक्षा है, एनएलएम को महिला साक्षरता पर नवीकृत बल के साथ परिवर्तित किया गया तथा इसका नया रुपांतर साक्षर भारत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अर्थात् 8 सितम्बर 2009 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य विशेष रूप से 15 वर्ष तथा इससे अधिक आयु की महिलाओं में प्रौढ़ शिक्षा की गति तेज करना

है। इसका लक्ष्य 2012 तक साक्षरता दर बढ़ाकर 80 प्रतिशत करना तथा लैंगिक अंतराल को घटाकर आधा करना है। साक्षर भारत को सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मिशन

''प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता की गुणवत्ता एवं मानक में सुधार के माध्यम से पूर्णतः साक्षर समाज का निर्माण करना''

उद्देश्य

- सतत शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करके अध्ययनशील समाज को बढ़ावा देना।
- नवसाक्षर प्रौढ़ों को बुनियादी साक्षरता के आगे अपना अध्ययन जारी रखने एवं औपचारिक शिक्षा प्रणाली के समतुल्य साक्षरता प्राप्त करने में समर्थ बनाना।
- निरक्षरों एवं नवसाक्षरों को अपनी आय एवं जीवनयापन की स्थितियों में सुधार के लिए संगत व्यावसायिक कौशल प्रदान करना।

- निरक्षरों एवं गैर–संख्यात्मक प्रौढ़ों को कार्यसाधक साक्षरता एवं अंक ज्ञान प्रदान करना।

लक्ष्य

मिशन का प्रमुख लक्ष्य 2012 तक 15 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वर्ग के 70 मिलियन प्रौढ़ों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करना है। मिशन का गौण लक्ष्य बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत 1. 5 मिलियन प्रौढ़ों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण (कौशल विकास) कार्यक्रम के अंतर्गत इतने ही प्रौढ़ों को शामिल करना है।

साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत श्रेणीवार लक्ष्य

(मिलियन में)

श्रेणी	पुरूष	महिला	कुल
अजा	4	10	14
अजजा	2	6	8
मुस्लिम	2	10	12
अन्य	2	34	36
कुल	10	60	70

अध्ययन–अध्यापन घटक

साक्षरता के लिए मांग का प्रत्युत्तर देने तथा निरक्षर एवं नवसाक्षर प्रौढ़ों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए, साक्षर भारत शिक्ष्यों को निम्नलिखित अवसरों की पेशकश करता है:

- सतत शिक्षा कार्यक्रम
- समतुल्यता कार्यक्रम
- व्यावसायिक शिक्षा (कौशल विकास) कार्यक्रम
- कार्यसाधक साक्षरता कार्यक्रम

मिशन की प्रमुख विशेषताएं

पहुंच में सुधार

इस कार्यक्रम को लाभग्राहियों के दहलीज पर ले जाने के लिए, मिशन ने तृणमूल स्तर पर साक्षरता एवं जीवन पर्यन्त शिक्षा के लिए संस्थानिक, प्रबंधकीय एवं संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सुसज्जित बहुकार्यात्मक लोक शिक्षा केंद्र (एईसी) स्थापित करने की परिकल्पना की है। कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जिलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक लोक शिक्षा केंद्र स्थापित किया जाना है।

समता में वृद्धि – लैंगिक, सामाजिक एवं क्षेत्रीय विषमताओं में कमी

महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अल्पसंख्यक

मिशन मुख्य रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों पर बल देता हैं, कम साक्षरता वाले राज्यों में अन्य लाभवंचित समूह तथा ग्रामीण क्षेत्रों के किशोर अन्य फोकस समूह हैं।

भौगोलिक क्षेत्र कवरेज

मिशन का उद्देश्य क्षेत्रों/राज्यों में तथा स्वयं इनके भीतर विषमताएं न्यूनतम करना है। क्षेत्रीय विषमताएं न्यूनतम करने के लिए, पहले चरण में अर्थात 11वीं योजनावधि (31 मार्च 2012 तक) के दौरान यह कार्यक्रम ऐसे जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा जहां प्रौढ़ महिला साक्षरता की दर 2001 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत या कम है। इसके अलावा, वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 35 जिलों को भी मिशन के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है चाहे, उन जिलों की वर्तमान साक्षरता दर जो भी हो।

मूल्यांकन एवं प्रमाणन

एक सुव्यस्थित मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई है तथा स्कूल शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आवधिक आधार पर संचालित की जा रही है।

संसाधन सहायता

राज्य संसाधन केंद्र (एसआरसी), प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम को शैक्षिक एवं तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करते हैं। एसआरसी के अलावा, संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अनुभवी एवं प्रतिबद्ध स्वयंसेवकों/कार्यकर्ताओं, स्थानीय प्रशिक्षण संस्थाओं आदि के समुचित प्रतिनिधित्व से राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत के स्तरों पर संसाधन सहायता समूह गठित किए जाने हैं।

विकेंद्रीकरण

खुलापन, पारदर्शिता, सहभागितापूर्ण प्रबंधन, भूमिकाओं एवं जबावदेही का स्पष्ट प्रतिपादन आयोजना प्रक्रिया एवं प्रबंधन की आवश्यक विशेषताएं हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुपालन

में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) ने जिला एवं उप जिला स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त की है।

प्रबंधन संरचना

कार्यक्रम मिशन स्वरूप में कार्यान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त प्रकोष्ठ है, राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है।

राज्य स्तर पर, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, मिशन को तैयार करने /कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए जिम्मेदार है। जिला एवं उप जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के तत्वावधान में मिशन कार्यान्वित किया जाता है। समुदायों के साथ, ग्राम पंचायतें प्रचालन स्तर अर्थात ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी गांवों के स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी हैं।

साक्षर भारत – 2010–11 के दौरान प्रगति

कवरेज

साक्षर भारत मिशन 2012 को आधिकारिक तौर पर आरंभ करने के लिए आवश्यक तैयारियां इसके प्रभावी होने की तारीख से तीन माह के अंदर पूरी कर ली गई। दिसम्बर 2009 तक, एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई तथा कार्यक्रम 81000 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए 19 राज्यों के 167 जिलों में पहुंच गया। इन जिलों में बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 3.83 करोड़ प्रौढ़ शिक्षु लाभांवित होंगे।

वर्ष 2010–11 के लिए साक्षर भारत कार्यक्रम हेतु बजट आबंटन के अनुरूप, बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 11996 से अधिक ग्राम पंचायतों में 49.86 लाख निरक्षरों को शामिल करने के लिए तथा सतत शिक्षा (सीई) घटक के अंतर्गत 11996 एईसी स्थापित करने के लिए कार्यक्रम में 43 और जिलों को संस्वीकृत किया गया है। बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 21000 से अधिक ग्राम पंचायतों के लगभग 150 लाख निरक्षरों को शामिल करने तथा सीई घटक के अंतर्गत 21000 एईसी स्थापित करने के लिए वर्ष 2010–11 के दौरान भारत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 75 और जिले संस्वीकृत किए गए हैं।

मेघालय, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा संघ राज्य क्षेत्र दादर व नागर हवेली के शामिल होने के साथ यह कार्यक्रम अब 25 राज्यों एवं 1 संघ राज्य क्षेत्र तक पहुंच गया है।

जन संचेतना

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने राष्ट्रीय, राज्य एवं उप राज्य स्तर पर साक्षर भारत के लिए आयोजित होने वाले जन संचेतना एवं वातावरण सृजन अभियानों के लिए साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध किया है।

माननीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री श्रीमती डी पूरनदेश्वरी की दक्ष अध्यक्षता में मार्च 2010 में रणनीतिक संचार समूह की बैठक आयोजित हुई तथा जन संचेतना अभियान की रूपरेखा अनुमोदित की गई।

कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री ने 7 अगस्त 2010 को डोड्डाबल्लापुर, बंगलौर देहात जिले में राज्य स्तर पर साक्षर भारत कार्यक्रम शुरू किया। उदघाटन समारोह में माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री डा. एम वीरप्पा मोइली तथा माननीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री श्रीमती डी पूंरदेश्वरी मुख्य अतिथियों में शामिल थे।

प्रचालन के स्तर पर साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने तथा ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करने के लिए अंतर व्यैक्तिक मीडिया कार्यकलाप के अंग के रूप में वातावरण सृजन के परिप्रेक्ष्य में 'जीपी–बीपी प्रधान अभियान से मिलिए' नामक एक मीडिया अभियान शुरू किया गया। 873 ब्लॉकों को शामिल करते हुए जीपी/बीपी प्रधान बैठकें पूरी की गई। जीपी/बीपी प्रधानों की 1000 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में साक्षर भारत के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका पर लगभग 26000 प्रधानों को प्रबोधन प्रदान किया गया। इन बैठकों के दौरान 12000 से अधिक अन्य पणधारियों को भी सूक्ष्मग्राही बनाया गया।

अभिसरण एवं साझेदारियां

एनएलएमए, शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, महिला एवं बालविकास, कृषि, पंचायती राज तथा सामाजिक कल्याण जैसे अन्य मंत्रालयों के विकास कार्यक्रमों के साथ मिशन के घटकों के अभिसरण को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रियता से काम कर रहा है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने साक्षर भारत कार्यक्रम की सफलता में सहयोग करने के लिए संबंधित मंत्रियों से अनुरोध किया है।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 19 मई 2010 को प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के सीईओ के साथ एक अंतःक्रियात्मक बैठक की तथा

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंग के रूप में उनसे साक्षर भारत को बढ़ावा देने में सहयोग करने का अनुरोध किया। पीएसयू तथा बैंकों में साक्षर भारत की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में भागीदारी एवं सहयोग की पेशकश की है जिसमें मॉडल प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का अंगीकरण या निर्माण और/या एईसी को कौशल विकास प्रशिक्षण, आईसीटी आदि के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस करना शामिल है। इस अंतःक्रियात्मक बैठक को मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्रीमती डी. पुरदेंश्वरी, सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) श्रीमती अंशु वैश तथा सचिव लोक उद्यम विभाग श्री भास्कर चटर्जी ने भी संबोधित किया।

एनएलएमए ने जिन 19 राज्यों में साक्षर भारत कार्यक्रम चालू हो गया है उनके अभिज्ञात जिलों में प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों को जल्दी से बिजली के कनेक्शन प्रदान करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को अनुरोध किया है।

साक्षर भारत कार्यक्रम में सुझाई गई प्रक्रियाओं की तर्ज पर, एनएलएमए ने दान एवं सहायता अनुदान के माध्यम से गैर बजट संसाधनों में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय साक्षरता कोष स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस कोष की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

मानव एवं वित्तीय संसाधनों तथा आधारभूत सुविधाओं में साझेदारी सर्वशिक्षा अभियान, पंचायती राज मंत्रालय जैसे लाइन विभागों के साथ तैयार की गई हैं।

"अमर्त्य सेन ने "साक्षरता की केंद्रीयता" को उजागर किया है"

3 अगस्त 2010 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "साक्षरता की केंद्रीयता" पर एनएलएमए द्वारा आयोजित एक विशेष व्याख्यान में नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन ने विकसित देशों का उदाहरण देकर साक्षरता के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत में समुचित शिक्षा का अभाव कई समस्याओं का मुख्य कारण है तथा शिक्षा के अधिकार को बहुत महत्वपूर्ण कदम के रूप में सराहा। इसलिए देश के विकास में साक्षरता की महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय भूमिका है। इस अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री भी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि साक्षरता दर कम होने के कारण अर्थव्यवस्था के विकास के लाभ अवरूद्ध हो जाते हैं तथा आश्वासन दिया कि सरकार भारत में शिक्षा के परिदृश्य में सुधार के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगी।

प्रचालनात्मक घटनाक्रम

प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं प्रबोधन

एनएलएमए प्रशिक्षण के लिए एक नया परिप्रेक्ष्य एवं रणनीति लेकर आया है जो अधिक प्रत्यक्ष है तथा प्रसार, अपवंचन एवं अंतरण क्षति को कम करती है। नये प्रशिक्षण मॉडल के अंतर्गत, स्वयंसेवी शिक्षकों (वीटी) को प्रशिक्षण देने के लिए तथा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में निरंतर मार्गदर्शन के लिए मास्टर प्रशिक्षक (एमटी) बनने के लिए एईसी के प्रेरकों को प्रशिक्षित किया जाता है। संसाधन व्यक्ति एसआरसी की संस्थानिक छत्रछाया के अंतर्गत लिए जाने होते हैं जिससे कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान उनकी उपलब्धता का सुनिश्चय हो।

प्रौढ़ शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के दृष्टिकोण एवं डिज़ाइन में कमियों की पहचान करने के लिए अप्रैल 2010 में बंगलौर में आयोजित कार्यशाला में आमंत्रित किया गया। इस कार्यशाला की सिफारिशों के आधार पर एक नई रणनीति तैयार की गई। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा वीटी के प्रशिक्षण के लिए एक स्रोत पुस्तक विकसित की गई। तदनुसार वीटी, एमटी एवं आरपी के लिए प्रशिक्षण मैनुअल विकसित किए गए तथा राज्य संसाधन केंद्रों (एसआरसी) द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए। बंगलौर कार्यशाला के अनुवर्तन के रूप में, प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण के निर्णायक महत्व को देखते हुए एनएलएमए ने 500–1000 प्रमाणित एवं अर्हताधारी प्रशिक्षकों का एक प्रबुद्ध समूह प्रशिक्षित करने के लिए सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) तथा प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) से संपर्क किया, जो बदले में एमटी एवं वीटी को प्रशिक्षित कर सकते हैं। एनएलएमए के अनुरोध पर एटीआई मैसूर ने प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए संसाधन व्यक्तियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया तथा एटीआई के प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रबुद्ध प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्लॉट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

शिक्षा सचिवों, एसएलएमए के निदेशकों एवं स्टाफ तथा साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल जिला स्तरीय पदाधिकारियों के लिए एक राष्ट्रीय प्रबोधन कार्यशाला आयोजित की गई। साक्षर भारत के अंतर्गत शामिल राज्यों के शिक्षा सचिवों के प्रबोधन के लिए जनवरी 2010 में चेन्नई में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। विषय विशेषज्ञों द्वारा

विभिन्न प्रशासनिक, प्रबंधकीय एवं कार्यान्वयन की रणनीतियों पर विशिष्ट सत्र संचालित किए गए तथा कार्यक्रम के पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए इस प्रबोधन बैठक में एक रोडमैप तैयार किया गया।

समान उद्देश्यों के साथ, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात के लिए जनवरी 2010 में तथा झारखंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के लिए फरवरी 2010 में राज्य स्तरीय प्रबोधन कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। कर्नाटक एवं राजस्थान के लिए प्रबोधन कार्यशालाएं मार्च 2010 में आयोजित की गई। अगस्त 2010 में उड़ीसा के लिए प्रबोधन कार्यशाला आयोजित की गई। अक्टूबर 2010 में हरियाणा एवं पंजाब के लिए, तथा मध्य प्रदेश के लिए नवंबर 2010 में प्रबोधन कार्यशाला आयोजित की गई।

पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रबोधन के लिए रणनीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी), हैदराबाद से संपर्क किया गया। एनआईआरडी, हैदराबाद तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों ने संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रबोधन कार्यशाला की एक श्रृंखला का आयोजन किया जिन्होंने बदले में जमीनी स्तर पर पीआरआई के पदाधिकारियो के प्रशिक्षण का आयोजन किया है।

अध्ययन अध्यापन सामग्री

संबंधित एसएलएमए से परामर्श करके एसआरसी द्वारा 26 भाषाओं में बुनियादी साक्षरता बालपोथियां विकसित की गईं हैं तथा केंद्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली की गुणवत्ता आश्वासन समिति द्वारा उनको मंजूरी प्रदान की गई हैं। 26 भाषाओं में सेतु बालपोथियां भी विकसित की गई हैं तथा अनुमोदित की गई हैं।

मॉनिटरिंग और मूल्यांकन

भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक साक्षर भारत के लिए, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में एक डिलीवरी मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित की गई है।

मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा साक्षर भारत के परिणाम रूपरेखा प्रलेख (आरएफडी) की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा साक्षर भारत की प्रगति की कठोर एवं विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने निदेश दिया है कि प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र के कुछ सदस्यों को स्वयंसेवी शिक्षकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के निमित्त रणनीतियां विकसित करने के लिए तात्कालिक आवश्यकता पर गोलमेज विचार--विमर्श में सहयोजित किया जाए। यह निदेश दिया गया है कि सार्वजनिक निजी साझेदारी की योजना के प्रावधानों के अनुसार साक्षर भारत के लिए एक अलग निधि स्थापित की जाए। प्रौढ़ शिक्षा में आईसीटी की अपरिहार्य भूमिका पर बल दिया गया तथा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने साक्षर भारत के तात्कालिक कार्यान्वयन में आईसीटी के प्रयोग के महत्व एवं दायरे को दोहराया।

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्रीमती डी. पुरदेंश्वरी साक्षर भारत कार्यक्रम का सीधे पर्यवेक्षण करती हैं तथा रणनीतिक संचार समूह की अध्यक्ष हैं जो साक्षर भारत के लिए वातावरण सृजन के लिए नीतिगत दिशानिर्देश एवं रणनीतियां विहित करता है। साक्षर भारत कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों में उनकी निजी भागीदारी तथा समवेत प्रयास एवं जेएसएस की योजना की समीक्षा के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों का दौरा एसएलएमए/एनएलएमए तथा क्षेत्र पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने में सहायक रहा है।

विशेषरूप से पूर्वोत्तर राज्यों, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में साक्षर भारत की प्रगति की समीक्षा के लिए मई 2010 में गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई। साक्षर भारत की तैयारी गतिविधियों की प्रगति एवं पूर्णता पर मार्च 2010 में नई दिल्ली में समीक्षा बैठक आयोजित की गई तथा तदनंतर राज्यवार समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गई।

18 जून 2010 को नई दिल्ली में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान साक्षर भारत का महत्वपूर्ण ढंग से उल्लेख किया गया। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने डिलीवरी रूपरेखा, प्राप्त किए गए प्रमुख मील पत्थरों एवं साक्षर भारत के कार्यान्वयन की गति और बढ़ाने के लिए अपेक्षित तात्कालिक हस्तक्षेपों समेत कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की।

नवाचार एवं तकनीकी विकास

वेब आधारित आयोजना एवं मॉनिटरिंग

एनआईसी द्वारा विकसित वेब आधारित आयोजना एवं प्राधिकार अनुप्रयोग के मॉड्यूल 1 को प्रचालनात्मक किया गया है। इस परियोजना आयोजना प्रणाली में एक तरफ राज्यों को अपनी जिलावार अंतरिम कार्य योजनाएं बनाने तथा उनको ऑनलाइन प्रस्तुत करने में समर्थ बनाया तथा साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय संस्वीकृतियों की गणना को समर्थ बनाया। इसके अलावा, यह मॉड्यूल परिवार सर्वे के माध्यम से संग्रहीत शिक्षुओं, प्रेरकों एवं स्वयंसेवी शिक्षकों पर सूचना को अपलोड करने में भी सुविधा प्रदान करेगा। प्राधिकार मॉड्यूल के प्रचालन तथा सर्वे के ब्यौरों को अपलोड करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए "व्यावहारिक प्रशिक्षण" की एक श्रृंखला आयोजित की गई। 2009–10 के दौरान शामिल सभी 19 राज्यों के प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।

निधि प्रवाह तंत्र तथा लेखाकरण प्रणाली

साक्षर भारत कार्यक्रम के लिए एक निधि प्रवाह तंत्र तथा प्रबंधन प्रणाली विशेष रूप से नियोजित की गई है। यह निधि प्रवाह तंत्र तथा प्रबंधन प्रणाली निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार की गई है: निधियों के अभीष्ट उपयोग के लिए ग्राम स्तर तक कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों तक पहुंच प्रदान करना; सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय ब्यौरों को डालकर पारदर्शिता एवं जबावदेही में वृद्धि करना; और वित्तीय स्वायत्तता अनुमत करके पीआरआई को अधिकार संपन्न बनाना।

साक्षर भारत कार्यक्रम के लिए निधि प्रवाह तंत्र हेतु कोर बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने के वास्ते एनएलएमए तथा चार अनुसूचित बैंकों अर्थात भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा भारतीय यूनियन बैंक के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कोर बैंकिंग की सुविधा को मुख्य धारा में लाने के लिए एनएलएमए, एसएलएमए तथा साझेदार बैंकों के बीच त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारतीय सार्वजनिक लेखा परीक्षक संस्थान, नई दिल्ली ने साक्षर भारत के लिए एक लेखा मैनुअल तैयार किया है जिसे मुद्रण के बाद संबंधित एजेंसियों को वितरित किया जा रहा है। यह कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लेखा के अनुरक्षण में सुविधा प्रदान करेगा। एसएलएमए, जिला एवं उप जिला स्तरीय एजेंसियों को निधियां प्राधिकृत करने के लिए बैंक प्राधिकार मॉड्यूल एनआईसी द्वारा अभिकल्पित किया गया है तथा प्रचालन के चरण में है।

साक्षरता शिविर

बुनियादी साक्षरता प्रदान करने के एक वैकल्पिक मॉडल के रूप में आईसीटी निवेश के साथ शिविर आधारित साक्षरता अभियान प्रायोगिक आधार पर 6 राज्यों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के साथ मिलकर आयोजित किया गया है। आंध्र प्रदेश में 3 कैंप तथा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व झारखंड में 1–1 कैंप आयोजित किए गए।

जन शिक्षण संस्थानों के लिए वेब पोर्टल

एनआईसी की सहायता से एनएलएमए ने जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2010 को लांच किया गया।

संस्थानिक सुदृढ़ीकरण तथा सहायता कार्यबल

महिला साक्षरता पर विशेष बल देते हुए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्निर्मित करने के लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए गए अधिदेश को पूरा करने के लिए, साक्षर भारत को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के वास्ते मिशन के विभिन्न पहलुओं पर कार्यबल गठित किए गए। निम्नलिखित पर कार्यबल की रिपोर्टें प्रस्तुत की गई तथा साक्षर भारत कार्यक्रम की डिजाइन में सहायक हैं – संचेतना एवं माहौल सृजन, जिला आयोजना, प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, मूल्यांकन, अभिसरण, मॉनिटरिंग, नरेगा, आईसीटी, अनुसंधान, वैकल्पिक दृष्टिकोण, समतुल्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम अल्पसंख्यक, आयोजना प्रक्रिया, बुनियादी साक्षरता एवं सतत शिक्षा के लिए दिशानिर्देश, पूर्वोत्तर राज्य, शिक्षुओं के मूल्यांकन के लिए रणनीतियां, महिलाएं, किशोर तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी का निर्माण।

बजट आबंटन में वृद्धि

प्रौढ़ शिक्षा योजनाओं के लिए 6000 करोड़ रूपए के 11वें योजना परिव्यय में से 5257 करोड़ रूपए साक्षर भारत के लिए आबंटित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय बजट में प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास योजना (साक्षर भारत) के लिए

1167 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई है जो 2009–10 संशोधित अनुमानों के 345 करोड़ रूपए के पिछले साल के आबंटन से तीन गुना अधिक है। कार्यक्रम जिन चुनौतियों का सामना कर रहा हैं उनमें से एक बजट के सर्वाधिक प्रभावी एवं दक्ष उपयोग के लिए विशेष रूप से तृणमूल स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों की क्षमता का निर्माण था। निधियों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, साक्षर भारत के लिए वर्ष 2010–11 में आबंटन संशोधित करके 388.50 करोड़ रूपए किया गया।

राष्ट्रीय कोर पाठ्यचर्या रूपरेखा

साक्षर भारत के प्रलेख में प्रौढ़ों के लिए अधिगम के विजन एवं सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते हुए प्रौढ़ शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या रूपरेखा अभिव्यक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके मद्देनजर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डा. शांता सिन्हा की अध्यक्षता में प्रौढ़ साक्षरता के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है जिसके डीजी, एनएलएमए सदस्य सचिव हैं तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र के 19 अन्य प्रख्यात विशेषज्ञ सदस्य हैं। विशेषज्ञ समिति ने प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

एसआरसी पर कार्यबल

साक्षर भारत के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा के महत्वाकांक्षी एवं समयबद्ध कार्यक्रम – 11वीं पंचवर्षीय योजना में मिशन 2012 तथा सहायक भूमिका को ध्यान में रखते हुए राज्य संसाधन केंद्रों से न केवल वर्तमान योजनावधि में अपितु इसके बाद भी भूमिका निभाने की उम्मीद है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इन संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा के लिए भारत सरकार के प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की पूर्व सचिव श्रीमती कुमुद बंसल, आईएएस की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल की सिफारिशें साक्षर भारत मिशन 2012 की उपलब्धि के लिए तथा मिशन के बाद भी राज्य संसाधन केंद्रों की सुपुर्दगी क्षमता सुदृढ़ करने के लिए बहुमूल्य एवं वैध हैं।

नए एसआरसी की संस्वीकृति

विशेष प्रयोजन वाहन अर्थात राज्य संसाधन केंद्र सामग्री एवं प्रशिक्षण मॉड्यूलों के विकास एवं निर्माण के माध्यम से प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा को शैक्षिक एवं तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करते हैं। नवीकृत मांग को पूरा करने के लिए विद्यमान एसआरसी की संख्या और बढ़ाई जाएगी। 11वीं योजना अवधि में 14 नए एसआरसी संस्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव था। इस वित्त वर्ष के दौरान 4 नए एसआरसी गठित किए गए हैं। इस समय देश में कुल 29 एसआरसी हैं।

जेएसएस – एनआईएफटी मानकीकरण

जन शिक्षण संस्थानों के कामकाज में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें एनआईएफटी एवं अन्य प्रसिद्ध एजेंसियों के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या का मानकीकरण शामिल है। इन प्रयासों का प्रमुख उद्देश्य प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाना है जो ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपलब्ध पाठ्यचर्या, अनुदेशकों की गुणवत्ता तथा अवसंरचना पर निर्भर होती है। वस्त्र प्रौद्योगिकी, बुनाई एवं कसीदाकारी, दस्तकारी एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), नई दिल्ली द्वारा अब तक 22 व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। सभी जेएसएस, एनआईएफटी द्वारा विकसित पाठ्यचर्या अपनाएंगे।

एनआईओएस का शिक्षु मूल्यांकन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वायत्त संगठन एनआईओएस को बुनियादी साक्षरता के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन कार्यविधियों की रणनीतियां एवं वैधीकरण के विकास का कार्य सौंपा गया है। तदनुसार 20 अगस्त 2010 को एक मार्गदर्शी मूल्यांकन टेस्ट संचालित किया गया। मूल्यांकन टेस्ट खुले स्वरूप का था तथा सभी नवसाक्षरों एवं पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को साक्षरता कौशलों में अपनी दक्षता के प्रमाणन के लिए टेस्ट में बैठने का अवसर प्रदान किया गया। इस टेस्ट में देश के 16 राज्यों से कुल 5,18,385 शिक्षु बैठे तथा 3,34,507 ने सफलतापूर्वक टेस्ट पूरा किया। एनआईओएस द्वारा संचालित टेस्ट के फीडबैक के आधार पर पूरे देश में मूल्यांकन प्रणाली के विस्तार के लिए विशिष्ट रणनीतियां अपनाई जाएंगी। मार्च 2011 में संचालित मूल्यांकन में लगभग 5 मिलियन शिक्षुओं के भाग लेने की उम्मीद हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय मंच, अधिगम प्रणालियां एवं सोसायटियां स्थापित करने के लिए सदस्य राज्यों में सर्वोत्तम प्रथाओं के

आदान–प्रदान में सुविधा प्रदान करते हैं। साक्षर भारत कार्यक्रम ने पूरे विश्व के लोगों की रूचि जगाई है तथा 2012 में आयोजित होने वाले ई–9 की अगली शिखर बैठक कार्यक्रम के अनुभव एवं सफलता को साझा करने का उपयुक्त अवसर होगा। भारत ई–9 देशों की अगली शिखर बैठक की अध्यक्षता करेगा। यह साक्षर भारत मिशन 2012 एवं विभिन्न मॉडलों की सफलता एवं अनुभवों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच होगा जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति, तथा अन्य देशों में इसकी संभावित पुनरावृत्ति की संभावना उत्पन्न हो सकती हैं।

जीवन पर्यंत अधिगम पर यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय मंच

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में संयुक्त निदेशक श्री रामकृष्ण सुरा ने शंघाई, चीन में विश्व एक्सपो 2010 में 19 से 21 मई 2010 तक यूनेस्को सप्ताह के दौरान आयोजित जीवन पर्यंत अधिगम के लिए शंघाई अतर्राष्ट्रीय मंच में भाग लिया। इस मंच ने जीवन पर्यंत अधिगम प्रणालियों के निर्माण के लिए वार्ता को मूर्तरूप देने पर बल दिया जिसमें जीवन पर्यंत अधिगम को बढ़ावा देने, जीवन पर्यंत अधिगम प्रणालियां स्थापित करने में अनुभवों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा यूनेस्को के सदस्य देशों में जीवन पर्यंत अधिगम में नीति निर्माण एवं अनुसंधान के लिए क्षमता विकसित करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों के विकास में प्रगति एवं चुनौतियों की समीक्षा शामिल है।

आठवीं ई–9 मंत्री स्तरीय समीक्षा बैठक, अबूजा

यूनेस्को तथा नाइजीरिया सरकार ने 21 से 24 जून 2010 तक अबूजा, नाइजीरिया में आठवीं ई–9 मंत्री स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक का विषय "विकास के लिए साक्षरता" था। माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्रीमती डी. पुरदेंश्वरी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने समीक्षा बैठक में भाग लिया। श्री जगमोहन सिंह राजू, जेएस (एई) तथा डीजी (एनएलएम) तथा मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव श्री कमला वर्धन राव शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों में शामिल थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य साक्षरता एवं विकास के बीच संबंध को बेहतर समझने के लिए अनुभव एवं ज्ञान के आदान–प्रदान में सुविधा प्रदान करना; स्कूल वाह्य बच्चों, युवाओं एवं प्रौढ़ों के लिए साक्षरता प्रदान करने में मुद्दों, रूझानों एवं चुनौतियां तथा इन बाधाओं से निजात पाने के तरीकों की पहचान करना तथा साक्षरता कार्यक्रमों के स्तर में सुधार करने के लिए रणनीतियों का पता लगाना, समयबद्ध राष्ट्रीय एवं सामुहिक प्रतिबद्धता को साझा करने तथा साक्षरता के क्षेत्र में ई–9 देशों में विशेष रूप में दक्षिण–दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मंच प्रदान करना था।

साक्षर भारत पर भारत द्वारा एक प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति की खूब सराहना हुई तथा विकसित किए गए नए कार्यक्रम को महिला साक्षरता पर विशेष बल के साथ भारत में प्रौढ़ शिक्षा की गुणवत्ता में उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना गया। भारत ने कार्रवाई एवं सहयोग के लिए अबूजा रूपरेखा के अनुवर्तन के रूप में विभिन्न सदस्य देशों द्वारा संपन्न की जाने वाली विभिन्न विशिष्ट गतिविधियों का उल्लेख करते हुए एक गतिविधि सारणी के निर्माण में भी सक्रियता से योगदान दिया।

एशिया एवं अफ्रीका में अनौपचारिक शिक्षा के शिक्षण कार्मिकों के क्षमता निर्माण में अच्छी प्रथाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

श्रीमती कुसुम वीर, प्रभारी निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 19–21 जुलाई 2010 तक ढाका में आयोजित एशिया एवं अफ्रीका में एनएफई शिक्षण कार्मिकों के क्षमता निर्माण में अच्छी प्रथाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला का मुख्य प्रयोजन संश्लेषण रिपोर्ट के साथ चार एशियाई देशों में संचालित चार अध्ययनों के प्रमुख निष्कर्षों एवं सिफारिशों को साझा करना तथा इथोपिया, नाइजीरिया एवं तंजानियां के अनुभवों से क्षमता निर्माण रूपरेखा को समृद्ध करना था।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए आईसीटी के प्रयोग पर सेमिनार, काहिरा

31 अक्टूबर 2010 से 3 नवम्बर 2010 तक काहिरा, मिस्र में आयोजित प्रौढ़ शिक्षा के लिए आईसीटी के प्रयोग पर क्षेत्रीय सेमिनार में संसाधन व्यक्ति एवं साक्षरता विशेषज्ञ के रूप में भाग लेने के लिए यूनेस्को द्वारा श्री जगमोहन सिंह राजू, संयुक्त सचिव (एई) तथा डीजी (एनएलएमए) को आमंत्रित किया गया। उन्होंने भारत के फ्लैगशिप कार्यक्रम साक्षर भारत तथा इसके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर सेमिनार के दौरान एक प्रस्तुति दी तथा 2012 तक 70 मिलियन निरक्षरों को साक्षर बनाने संबंधी भारत के लक्ष्य पर बल दिया। प्रस्तुति को खूब सराहा गया तथा साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भारत

की पहलों को वैश्विक रूपरेखा के समकक्ष स्वीकार किया गया।

एशिया प्रशांत में एलआईएफई के मध्यावधि मूल्यांकन पर कार्यशाला, बैंकाक

श्रीमती बी बी कावेरी, आयुक्त (जन शिक्षा), कर्नाटक सरकार तथा श्री वी के शर्मा, अवर सचिव (राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण), स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 13–15 दिसंबर 2010 तक बैंकाक, थाइलैंड में यूनेस्को द्वारा आयोजित एशिया प्रशांत में एलआईएफई के मध्यावधि मूल्यांकन पर क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

भारतीय शिष्टमंडल ने इस तथ्य पर बल दिया कि भारत के साक्षर भारत का लक्ष्य यूनेस्को के एलआईएफई पहल के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना है तथा साक्षर भारत के उद्देश्यों तथा कार्यान्वयन के प्रारूप को स्पष्ट करते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी।

प्रौढ़ प्रवीणताओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम (पीआईएएसी) का दूसरा चक्र, पेरिस

श्री ए एम राजशेखर, संयुक्त निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रौढ़ प्रवीणताओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन के कार्यक्रम (पीआईएएसी) के दूसरे चक्र में भाग लिया जिसकी बैठक 27–28 जनवरी 2011 को पेरिस में ओईसीडी के मुख्यालय में आयोजित की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य प्रतिभागियों को पीआईएएसी के उद्देश्यों एवं डिजाइन का सिंहावलोकन प्रदान करना था।

कार्रवाई के लिए बेलेम रूपरेखा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बैठक, हैम्बर्ग

श्री जगमोहन सिंह राजू, संयुक्त सचिव (एई) एवं डीजी (एनएलएमए) ने हैम्बर्ग, जर्मनी में 25–27 जनवरी 2011 तक यूनेस्को जीवन पर्यंत अधिगम संस्थान (यूआईएल) में आयोजित कार्रवाई के लिए बेलेम रूपरेखा के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह बैठक कार्रवाई के लिए बेलेम रूपरेखा की निगरानी के लिए प्रमुख उपकरणों पर चर्चा करने एवं अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी। बैठक के विशिष्ट उद्देश्य प्रस्तावित समग्र निगरानी रणनीति को संशोधित करना, निगरानी मैट्रिक्स को अंतिम रूप देना, ऐसे संकेतकों का एक कोर सेट विकसित करना जो तकनीकी दृष्टि से स्वस्थ एवं व्यवहार्य हैं तथा संदर्भों की विविधता में प्रयुक्त किए जा सकते हैं और निगरानी प्रक्रिया के लिए सूचना सीमित करने हेतु अनुसंधान के क्षेत्रों का सुझाव देना था। बैठक का प्रमुख परिणाम यह था कि कार्रवाई के लिए बेलेम रूपरेखा पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य देशों को कार्रवाई के लिए बेलेम रूपरेखा के कार्यान्वयन के लिए पहलें एवं उपाय करने चाहिए।

प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना

स्वैच्छिक क्षेत्र के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, "प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना" नामक एक संशोधित योजना 1 अप्रैल 2009 से लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य साक्षर भारत की समग्र छत्रछाया में प्रौढ़ों में कार्यसाधक साक्षरता, कौशल विकास एवं सतत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों में स्वैच्छिक क्षेत्र की व्यापक एवं गहन भागीदारी प्राप्त करना है। योजना के अंतर्गत तीन घटक अर्थात राज्य संसाधन केंद्र, जन शिक्षण संस्थान तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता शामिल हैं।

राज्य संसाधन केंद्र (एसआरसी)

वर्ष के दौरान, टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज तथा विकास विकल्प (तारा अक्षर) के साथ मिलकर एसआरसी ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आईसीटी समर्थित शिविर आधारित साक्षरता कार्यक्रमों के आयोजन एवं सफल पूर्णता में प्रमुख भूमिका निभाई। एसआरसी ने साक्षर भारत कार्यक्रम की ओर उन्मुख करने के लिए "जीपी बैठक तथा बीपी प्रधान अभियान" का भी आयोजन किया। एसआरसी ने एनआईओएस के माध्यम से शिक्षु मूल्यांकन का भी संचालन किया।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)

जन शिक्षण संस्थान ऐसे कौशलों की पहचान करके निरक्षरों, नवसाक्षरों एवं पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिनका उस क्षेत्र के बाजार में महत्व है। लगभग 394 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिनमें कटाई एवं सिलाई, ब्यूटी कल्चर एवं स्वास्थ्य देखभाल, फैशन डिजाइन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल रिपेयर, साफ्ट ट्वाय निर्माण,

कृषि संबद्ध पाठ्यक्रम, कुटीर उद्योग पाठ्यक्रम, दस्तकारी, बेकरी एवं कंफेक्शनरी, वस्त्र प्रौद्योगिकी, चमड़ा प्रौद्योगिकी एवं भवन प्रौद्योगिकी शामिल हैं। लाभग्राहियों के चयन में महिलाओं, अजा, अजजा, अपिब, अल्पसंख्यकों तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। जेएसएस के कामकाज में सुधार के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या के मानकीकरण का कार्य एनआईएफटी तथा अन्य प्रख्यात एजेंसियों के माध्यम से शुरू किया गया है। इन प्रयासों का प्रमुख उद्देश्य प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है जो उपलब्ध पाठ्यचर्या, अनुदेशकों की गुणवत्ता तथा अवसंरचना पर निर्भर है। सभी जेएसएस एनआईएफटी द्वारा विकसित पाठ्यचर्या अपनाएंगे।

स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना के लिए वेब पोर्टल का विकास

एनआईसी के माध्यम से जेएसएस/एसआरसी के लिए एक वेब आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है। जेएसएस के लिए वेब आधारित प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली, जो प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना का एक प्रमुख घटक है, विकसित एवं क्रियाशील की गई है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की विविध भूमिका में शैक्षिक एजेंसियों एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों को सहायता, प्रौद्योगिकी विकास, नेतृत्व प्रशिक्षण, संसाधन विकास, मीडिया एवं सामग्री, अनुसंधान एवं विकास तथा मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन सहित नीति एवं आयोजना, विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक गतिविधियां, प्रचालनात्मक कार्य शामिल हैं।

वर्ष 2010–11 में एनएलएमए की परिषद, कार्यकारिणी समिति तथा जीआईएसी का पुनर्गठन किया गया। 22 सितम्बर 2010 को जीआईएसी की बैठक हुई। कार्यकारिणी समिति की बैठकें 20 जुलाई 2010 तथा 8 फरवरी 2011 को हुई। इन बैठकों में साक्षर भारत योजना तथा एनजीओ नवाचारी योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया।

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में रणनीतिक संचार समूह की बैठक हुई तथा साक्षर भारत के लिए संचेतना एवं माहौल सृजन की रणनीति की रूपरेखा अनुमोदित की गई। साक्षरता कार्यक्रमों में जान फूंकने के लिए प्रारूप मीडिया अभियान तथा साक्षरता कार्यक्रमों को भी अंतिम रूप दिया गया।

योजना के कार्यान्वयन में सहायता के लिए एनएलएमए के तहत एक तकनीकी सहायता समूह गठित किया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, जो स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, साक्षर भारत के विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण को शैक्षिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की विज्ञापन एवं प्रचार यूनिट ने वर्ष के दौरान रणनीतिक संचार समूह तथा रणनीतिक संचार कार्यान्वयन समूह दोनों की बैठकों के आयोजन में सहायता की। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और झारखंड जैसे उत्तरी राज्यों में साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भावी शिक्षुओं का मिजाज जानने के लिए लोक सभा टीवी के माध्यम से एक वृत्तचित्र निर्मित किया गया। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। रेडियो माध्यम के विभिन्न प्रारूपों का प्रयोग करने तथा रेडियो कार्यक्रमों के लिए रेडियो जिंगल्स एवं स्क्रिप्ट के प्रयोग के बारे में चर्चा करने के लिए भोपाल में एक दो दिवसीय लेखक कार्यशाला आयोजित की गई। प्रचालन के स्तर पर साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने तथा ग्राम पंचायत की भागीदारी सक्रिय करने के लिए 'जीपी बैठक – बीपी प्रधान अभियान'' नामक एक मीडिया अभियान शुरू किया गया। इग्नू द्वारा मेजबानीकृत शैक्षिक चैनल के माध्यम से ज्ञानदर्शन एवं ज्ञानवाणी के जरिए साक्षरता पर श्रव्य दृश्य कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया।

एनएलएमए द्वारा शुरू की पहलों में से एक प्रौढ़ शिक्षा में प्रशिक्षकों के एक प्रबुद्ध वर्ग को प्रशिक्षित करने के लिए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) तथा इसके राज्य स्तरीय समकक्षों, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसी अग्रणी राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं से संपर्क किया गया। अपने यहां तथा अपने राज्य स्तरीय समकक्षों अर्थात एसआईआरडी के माध्यम से पीआरआई के क्षमता निर्माण का

कार्य करने के लिए एनआईआरडी से संपर्क किया गया क्योंकि अधिकांश राज्यों में साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पीआरआई के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने आरपी, एमटी तथा प्रेरकों के प्रशिक्षण के लिए अलग मैनुअल भी विकसित किया है।

प्रौढ़ शिक्षा में प्रशिक्षण को पेशेवर रूप देने के लिए इग्नू के साथ संस्थानिक सहयोग मांगा गया है तथा रूप–रेखा तैयार की जा रही है। क्षेत्र स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा पदाधिकारियों तथा अन्य पणधारियों के स्तरीय प्रशिक्षण का सुनिश्चय करने के लिए एसआरसी कार्मिकों की क्षमता निर्माण के केंद्रीय महत्व को देखते हुए एसआरसी को इस प्रयोजनार्थ शीर्ष प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया हैं।

हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2010 को मनाया जाना

हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 2010 के लिए राष्ट्र स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। एसएलएमए तथा एसआरसी, आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर एनएलएमए में 8 सितम्बर 2010 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया। आंध्र प्रदेश राज्य ने भी इस अवसर पर साक्षर भारत कार्यक्रम आरम्भ लांच किया।

इस अवसर पर सत्येन मित्रा स्मारक साक्षरता पुरस्कार तथा यूनेस्को–एनएलएम पुरस्कार भी प्रदान किए गए। सत्येन मित्रा पुरस्कार सबसे उत्कृष्ट निष्पादन वाले राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों, जिला एवं ग्राम पंचायतों को दिए गए। साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन चरण में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन के लिए आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के एसएलएमए ने यह पुरस्कार जीता। जिला पुरस्कार, गडक (कर्नाटक) तथा जशपुर (छत्तीसगढ़) को दिए गए तथा ग्राम पंचायत पुरस्कार डोक्काबोंडाहल्ली (धर्मपुरी जिला), कोयलरी (सरगुजा जिला) तथा सिरली (कोरबा जिला) द्वारा जीते गए। एनएलएम–यूनेस्को पुरस्कार 2010 एसआरसी, हैदराबाद तथा जन शिक्षण संस्थान, कटक, गुंटूर एवं शिमोगा द्वारा साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए जीता गया।

सार्वजनिक निजी साझेदारी के अंतर्गत साक्षर भारत कार्यक्रम की सहायता के लिए एनएलएमए तथा कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इस एमओयू के तहत कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. चयनित एईसी को सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करेगा तथा उन्हें मॉडल एईसी के रूप में संचालित करेगा। साक्षर भारत कार्यक्रम का एक लेखा मैनुअल, जो एक नवाचारी निधि प्रवाह एवं प्रबंधन प्रणाली है, भी इस अवसर पर जारी किया। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश के चयनित जीपी अध्यक्षों को अनुकूलित चेकबुक सौंपी गई। इस समारोह में पूरे भारतवर्ष से कई सौ पणधारियों, विशेष रूप से नवसाक्षरों, साक्षरता प्रशिक्षकों तथा प्रबंधकों ने भाग लिया।

हैदराबाद में आयोजित अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं:

(i) पैनल चर्चा (साक्षरता चौपाल)

(ii) साक्षरता प्रदर्शनी–कृति

(iii) साक्षरता गीत संगीत कार्यक्रम

(iv) साक्षरता गेम्स एवं स्पोर्ट्स

(v) साक्षरता मार्च

(vi) मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्रीमती डी. पुरदेंश्वरी द्वारा मॉडल प्रौढ़ शिक्षा केंद्र का दौरा।

प्रौद्योगिक समर्थित अधिगम तथा दूरस्थ शिक्षा

9

प्रौद्योगिक समर्थित अधिगम तथा दूरस्थ शिक्षा

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की परिकल्पना कभी भी तथा कहीं भी उच्च शिक्षा संस्थाओं में सभी शिक्षुओं के लाभार्थ अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का उपयोग करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई है।

इसका उद्देश्य प्रतिभाओं की पहचान एवं पोषण तथा जीवन पर्यत अध्ययन के उद्देश्य से आईसीटी का सर्वोत्तम उपयोग करना तथा समाज के बड़े हिस्से को शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना है। योजना के प्रमुख उद्देश्यों में देश में उच्च शिक्षा संस्थाओं में तथा उनके अंदर संयोजकता एवं ज्ञान नेटवर्क का निर्माण तथा शिक्षकों की अधिकारिता के लिए डिजीटल साक्षरता का विस्तार करना शामिल है। योजना के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

(क) संस्थाओं एवं शिक्षुओं को अक्सेस डिवाइसों के साथ ब्रॉड बैंड की संयोजकता प्रदान करना;

(ख) ई–अंतर्वस्तु सृजन।

मिशन का उद्देश्य आखिरी मील तक संयोजकता प्रदान करने के अपने ध्येय के अंग के रूप में देश में 18000 से अधिक कॉलेजों को कंप्यूटर अवसंरचना एवं संयोजकता प्रदान करना है जिसमें लगभग 400 विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के प्रत्येक विभाग शामिल हैं।

मिशन अध्ययन और अध्यापन के प्रयोजनार्थ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण शिक्षकों/शिक्षुओं के बीच डिजीटल अंतराल अर्थात कप्यूटिंग डिवाइसों के प्रयोग संबंधी कौशलों में अंतर को भी पाटने का प्रयास करता हैं तथा उन लोगों को अधिकार संपन्न बनाना चाहता है जो अभी तक डिजीटल क्रांति से अछूते हैं तथा ज्ञान अर्थव्यस्था की मुख्यधारा में शामिल होने में समर्थ नहीं हुए हैं ताकि वे अध्ययन एवं अध्यापन के लिए आईसीटी का सर्वोत्तम प्रयोग कर सकें।

मिशन लक्षित समूहों के लिए उच्च स्तर की ई–अंतर्वस्तु सृजित करेगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम कार्यक्रम (एनपीटीईएल) चरण–2 एवं 3 अंतर्वस्तु सृजन संबंधी गतिविधि का अंग होगा। समकक्ष समूह सहायताप्राप्त अंतर्वस्तु विकास अंतर्वस्तु की विधिक्षा के लिए जिम्मेदार अंतर्वस्तु सलाहकार समिति के पर्यवेक्षण में विकिपीडिया जैसे सहयोगात्मक मंच का उपयोग करेगा। "शिक्षक से बात करिए" घटक के माध्यम से अंतःक्रिया एवं समस्या समाधान का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जहां शिक्षुओं के प्रश्नों को लेने के लिए शिक्षकों की उपलब्धता उपयुक्त ढंग से सुनिश्चित की जाएगी।

ऑनलाइन अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में और सुविधा प्रदान करने के लिए आईसीटी के नए एवं नवाचारी उपकरण विकसित करने के उद्देश्य से मिशन से अनुसंधान को बढ़ावा देने की भी परिकल्पना की है। ई–लर्निंग, आभासिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रयोग करने की सुविधाएं प्रदान करने, ऑनलाइन टेस्टिंग एवं प्रमाणन, उपलब्ध शैक्षिक उपग्रह (एजुसैट) तथा डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) प्लेटफार्म के उपयोग, अध्ययन अध्यापन की नई विधि के प्रभावी प्रयोग में शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं अधिकारिता के लिए उपयुक्त शिक्षाशास्त्र पर बल देने की इसकी योजना है।

प्रशासनिक ढांचा एवं कार्य

अपने कार्यकरण की मॉनिटरिंग एवं मार्गदर्शन के लिए मिशन में तीन चरणीय समिति प्रणाली है। मिशन की राष्ट्रीय शीर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, तथा यह समिति सभी नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेती है एवं समितियों के दो समुच्चयों अर्थात 'अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ

नीति' (जिसे परियोजना अनुमोदन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है) तथा 'क्षेत्र विशेषज्ञों की कोर समिति' के कामकाज के लिए दिशानिर्देश विहित करती है। इसमें एक मिशन निदेशक हैं जो मिशन सचिवालय के प्रमुख हैं तथा राष्ट्रीय शीर्ष समिति एवं परियोजना अनुमोदन बोर्ड के सचिव के रूप में भी काम करते हैं।

मिशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों को संपन्न करने वाली विभिन्न एजेंसियों/व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मिशन को प्रस्तुत प्रस्तावों की क्षेत्र विशेषज्ञों की संबंधित कोर समिति की सहायता से स्थायी समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। यह समिति परियोजनाएं संस्वीकृत करने पर विचार करने एवं निर्णय लेने के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड को अपनी सिफारिशें करती है। अनुमोदित परियोजना गतिविधियों की समग्र प्रगति की मॉनिटरिंग विभिन्न समकक्ष समीक्षाओं एवं सहवर्ती मूल्यांकन के माध्यम से करनी होती है।

साक्षात : एक वन स्टाप शिक्षा पोर्टल

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मार्गदर्शी परियोजना साक्षातः एक वन स्टाप शिक्षा पोर्टल भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 30 अक्टूबर 2006 को छात्रों, शिक्षकों एवं रोजगार में लगे या ज्ञान की तलाश में लगे लोगों की सुविधा के लिए लांच किया गया जो निःशुल्क है। साक्षात पोर्टल आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत विकसित अंतर्वस्तुओं के लिए मुख्य सुपुर्दगी पोर्टल होगा। यह पोर्टल मिशन से संबंधित सूचनाएं भी प्रदान करेगा तथा मिशन द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक संवीक्षा, फीडबैक एवं पारदर्शिता में सुविधा प्रदान करेगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 'साक्षात' को एनएमईआईसीटी में मिला दिया गया है।

शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों अर्थात पहुंच, समता एवं गुणवत्ता को सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को संयोजकता प्रदान करके, छात्रों एवं शिक्षकों को कम लागत की तथा सस्ती पहुंच सह कंप्यूटिंग डिवाइसें प्रदान करके और देश में सभी शिक्षुओं को उच्च गुणवत्ता की ई–अंतर्वस्तु निःशुल्क प्रदान करके अच्छी तरह पूरा कर सकता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत तीनों घटक शामिल हैं। विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को संयोजकता प्रदान करने का कार्य शुरू हो चुका है। देश में लगभग 10000 कॉलेजों एवं 180 से अधिक विश्वविद्यालयों को जोड़ा जा चुका हैं, विभिन्न विषयों में उच्च गुणवत्ता की ई–अंतर्वस्तु सृजित की जा रही है तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 250 वेब आधारित तथा वीडियो पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं एवं साक्षात पोर्टल, यू–ट्यूब व एनपीटीईएल पर अपलोड किए गए हैं तथा इंजीनियरिंग एवं विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में 1000 और पाठ्यक्रम 4 चतुर्थ भाग दृष्टिकोण के तहत सृजित किए जा रहें है।

उद्देश्य कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों को कम लागत की पहुंच सह कंप्यूटिंग डिवाइसें प्रदान करना तथा निकट भविष्य में इन संस्थाओं को लगभग ₹ 1500 (35 डालर) या इससे कम कीमत वाली कम लागत की अक्सेस डिवाइसों का प्रचुर विकल्प प्रदान करना है। ऐसी डिवाइसें खरीदने के लिए संस्थाओं को प्रदान की जा रही 50 प्रतिशत सब्सिडी से, शैक्षिक संस्थाओं को प्रति डिवाइस लागत केवल 17.5 डालर या ₹ 750 आएगी। मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्थान को ₹ 25 करोड़ की राशि जारी की गई है। भविष्य में इन डिवाइसों की कीमत और कम करने के लिए प्रयास जारी हैं।

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली

देश की मध्यमवर्गीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच एक प्रमुख चुनौती है। पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा प्रणाली में काफी वृद्धि हुई है फिर भी सकल नामांकन अनुपात विकासशील देशों के औसत का केवल दो–तिहाई है। यद्यपि भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली बहुत व्यापक है, यह नए शिक्षुओं की बढ़ती संख्या को समाहित करने में असमर्थ है। परंपरागत उच्च शिक्षा प्रणाली में लोच का अभाव, शिक्षण स्टाफ की कमी तथा वित्तीय संसाधनों की किल्लत इच्छुक शिक्षुओं के लिए उच्च शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए परंपरागत प्रणाली में अपेक्षित विस्तार की अनुमति नहीं देती हैं। व्यक्ति एवं राष्ट्र के समग्र विकास में शिक्षा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसे स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने निम्नलिखित उद्देश्यों से दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें की हैं:

- अपनी गति से सीखने के लिए छात्र केंद्रित प्रणाली प्रदान करना;
- लोचपूर्ण, विविधापूर्ण एवं खुली शिक्षा प्रणाली प्रदान करना;
- सभी आयु एवं लिंग के व्यक्तियों को, विशेषरूप से कामकाजी व्यक्तियों को तथा आर्थिक दृष्टि से या

अन्यथा विकलांग व्यक्तियों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को उच्च शिक्षा तक व्यापक पहुंच का विकास करना;

- कौशलों एवं अर्हताओं के उन्नयन के लिए अवसर प्रदान करना; और
- शिक्षा को जीवन पर्यंत गतिविधि के रूप में विकसित करना ताकि किसी विद्यमान विषय क्षेत्र में व्यक्ति अपने ज्ञान को ताजा कर सकें या नए क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित कर सकें।

दूरस्थ शिक्षा परिषद – नियामक

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 5(2) के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई जो देश में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों के संवर्धन, समन्वय एवं मानकों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। दूरस्थ शिक्षा परिषद की जिम्मेदारियों एवं भूमिकाओं में समय के साथ विस्तार हुआ है तथा विविधता आई है।

कुछ प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं: (क) दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का संवर्धन; (ख) प्रणाली में मानकों का अनुरक्षण; (ग) संस्थाओं एवं उनके कार्यक्रमों की मान्यता; (घ) मूल्यांकन एवं प्रत्यायन; (ङ) ओडीएल प्रणाली के लिए गुणवत्ता आश्वासन रूपरेखा का विकास; और (च) अनुसंधान एवं विकास।

देश में दूरस्थ शिक्षा के विकास के लिए डीईसी अवसंरचना विकास, संस्थानिक सुधार, शैक्षिक सुधार, स्टाफ विकास एवं प्रशिक्षण, छात्र सहायक सेवाओं, संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग तथा सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं का आयोजन समेत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दूरस्थ शिक्षा निदेशालय दोहरी विधि में राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देता है।

भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या 44 दिनांक 1 मार्च 1995 के अनुसार भारत सरकार एवं इसके निकायों में रोजगार के लिए संस्थाओं तथा उनके मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम (ओडीएल) कार्यक्रमों की डीईसी द्वारा मान्यता अनिवार्य है। आज की तिथि के अनुसार 200 से अधिक संस्थाओं ने अपनी संस्थाओं एवं कार्यक्रमों की मान्यता के लिए डीईसी के पास आवेदन किया है। परंपरागत दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से कार्यक्रम प्रदान करने वाली तथा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाली ओडीएल संस्थाओं की स्थापना एवं प्रचालन को विनियमित करने के लिए डीईसी ने दिशानिर्देश विकसित किया हैं जिसे गुणवत्ता एवं अभीष्ठ मानक सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर संशोधित किया जाता है। विहित मानकों एवं मानदंडों को पूरा करने वाली संस्थाओं के प्रत्यायन की प्रणाली शुरू की गई है जिसका उद्देश्य ओडीएल प्रणाली में गुणवत्ता बनाए रखना है। इसके अलावा मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए डीईसी द्वारा आंतरिक गणुवत्ता आश्वासन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की एक योजना शुरू की गई है।

राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं का विकास

हमारे देश में 1962 के बाद पिछले 4 दशकों में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में घातांकी विस्तार हुआ है। 1982 में हैदराबाद में डा. बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में एक नई शुरूआत हुई जब दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के अधिदेश के साथ से एक पूर्ण विकसित मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्तर पर 1985 में भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार वाले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा इसका निकटता से अनुसरण किया गया। वर्ष 1987 में दो और मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार तथा वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान खुले। तदनंतर यशवंत राव चव्हाण मुक्त विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र; एमपी भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल; बाबा साहेब मुक्त विश्वविद्यालय, गुजरात; कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर; तथा नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, पश्चिमी बंगाल क्रमशः वर्ष 1989, 1999, 1994, 1996 और 1997 में स्थापित किए गए। वर्ष 1999 में उत्तर प्रदेश राजर्षी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद स्थापित किया गया। 21वीं शताब्दी के पहले दशक में तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय (2002), पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (2005), उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (2005) और के के हांडीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, असम (2006) की स्थापना हुई। आज की तिथि के अनुसार विश्वविद्यालय एवं संस्था के दोहरे प्रारूप में 200 से अधिक दूरस्थ शिक्षा संस्थाएं हैं जो दूरस्थ विधि से शिक्षा प्रदान कर रही हैं या दूरस्थ विधि से कार्यक्रम प्रदान करना शुरू करने के लिए दूरस्थ शिक्षा परिषद

का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। वर्ष 2009 में मुक्त विश्वविद्यालयों में तकरीबन 16.5 लाख नए छात्र पंजीकृत हुए जिनका छात्रों की अध्ययन संबंधी जरूरतों में सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 11000 अध्ययन केंद्रों तथा 70000 शैक्षिक परामर्शदाताओं का मजबूत नेटवर्क है। कुल पंजीकृत शिक्षुओं में से लगभग 38 प्रतिशत महिलाएं थी। डीईसी के पास उपलब्ध डेटा के अनुसार, दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं ने वर्ष 2009–10 के दौरान लगभग 21 लाख छात्रों का नामांकन दर्ज किया जिनमें से 43 प्रतिशत महिलाएं थीं। उच्च शिक्षा प्रणाली में कुल नामांकन का लगभग 22 प्रतिशत नामांकन ओडीएल प्रणाली में है। मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे कार्यक्रमों को छोड़कर व्यावसायिक, सामान्य एवं पेशेवर कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला की पेशकश करते हैं जो देश में संबंधित सांविधिक परिषदों जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी आदि द्वारा अनुमत नहीं हैं। नीचे दी सारणी वर्ष 2009–10 में मुक्त विश्वविद्यालयों एवं डीईआई में पंजीकृत छात्रों का ब्यौरा प्रदान करती है:

मुक्त विश्वविद्यालयों तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं में नामांकन का ब्यौरा (2009–10)

क्र.सं.	क. मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थान	नामांकन
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	652286
2.	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, बिहार	30432
3.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	106861
4.	वाईसीएमओयू, महाराष्ट्र	311408
5.	डा. बी आर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	179868
6.	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, राजस्थान	55879
7.	डा. बाबासाहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, गुजरात	89465
8.	उत्तर प्रदेश राजर्षी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	22653
9.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, पश्चिमी बंगाल	40214
10.	एम पी भोज मुक्त विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश	93178
11.	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	57150
12.	पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़	16927
13.	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखंड	625
14.	कृष्णकांत हांडीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, असम	22452
	उप जोड़	**1679398**
ख.	दोहरी विधि वाले विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा संस्थान	2107012
	कुल जोड़	**3786410**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

संसद के एक अधिनियम (1985 का 50) द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) 1985 में स्थापित किया गया। तब से इग्नू में तेजी से विस्तार हुआ है तथा मुक्त – दूरस्थ अधिगम के क्षेत्र में यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में उभरा है। इग्नू अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय निम्नलिखित के लिए काम करता है:

(क) देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यकतानुसार रोजगार की जरूरतों से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रम प्रदान करना, सुदृढ़ करना और विविधता लाना;

(ख) हमारी आबादी के एक बड़े भाग को, विशेष रूप से समाज के लाभवंचित हिस्से को उच्च शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना;

(ग) ज्ञान के अर्जन एवं उन्नयन को बढ़ावा देना तथा नवाचार एवं अनुसंधान के संदर्भ में प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करना;

(घ) उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विधियों एवं अधिगम की गति, पाठ्यक्रमों के संयोजन, नामांकन के लिए पात्रता, प्रवेश की आयु, परीक्षा संचालन तथा कार्यक्रमों की सुपुर्दगी के संबंध में महत्वपूर्ण एवं खुले विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की नवाचारी प्रणाली को प्रोत्साहित करना;

(ड.) शीर्ष के निकाय के रूप में देश में दूरस्थ शिक्षा में मानकों का समन्वय, प्रत्यायन, निर्धारण और अनुरक्षण; और

(च) सभी शिक्षा प्रणालियों के अभिसरण के माध्यम से राष्ट्रीय एकता तथा मानव व्यक्तित्व के एकीकृत विकास को बढ़ावा देना।

आज इग्नू के छात्रों की संख्या कई गुना बढ़कर संचयी रूप में 3 मिलियन हो गई है। ग्रामीण विकास, पत्रकारिता, बौद्धिक संपदा अधिकार, आथितेय प्रबंधन, आईटी प्रबंधन, क्लीनिकल कार्डियोलॉजी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में बाजार उन्मुख विभिन्न स्तर के कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं जिसमें कंप्यूटर साक्षरता, ग्रामीण कारीगर, एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। विश्वविद्यालय अपने छात्रों को लागत प्रभावी शिक्षा प्रदान कर रहा है।

विश्वविद्यालय एक नेटवर्क के माध्यम से काम करता है जिसमें एक मुख्यालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय केंद्र, देश के अंदर तथा 40 विदेशी राष्ट्रों में अध्ययन केंद्र एवं साझेदार संस्थाएं शामिल हैं। आज यह पूरे विश्व में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली अगुआ के रूप में बड़े पैमाने पर स्वीकृत है। विश्वविद्यालय इस समय 424 शिक्षकों एवं शिक्षाविदों तथा 1219 प्रशासनिक स्टाफ की सहायता से 40 देशों में फैले 21 अध्ययन विद्यालयों, 12 प्रभागों, 14 केंद्रों तथा 61 क्षेत्रीय केंद्रों, 3000 अध्ययन केंद्रों एवं 67 साझेदार संस्थाओं के माध्यम से 430 प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। परंपरागत विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं के तकरीबन 6000 विशेषज्ञों तथा लगभग 39000 अंशकालिक शैक्षिक परामर्शदाताओं से अतिरिक्त सहायता भी ली जाती है।

विश्वविद्यालय क्रेडिट सिस्टम का अनुसरण करता है जिसके द्वारा प्रत्ये पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम में क्रेडिट की निर्दिष्ट संख्या होती है। प्रत्येक क्रेडिट में 30 घंटे का शिक्षु अध्ययन समय शामिल होता है। शिक्षु अपनी सुविधानुसार क्रेडिट का संचय करना जारी रख सकते हैं। विश्वविद्यालय ने मॉड्यूलर दृष्टिकोण भी अपनाया है जो छोटे मॉड्यूलों के माध्यम से उच्च स्तर के अध्ययन की दिशा में शिक्षुओं को धीरे–धीरे आगे बढ़ने में सहायता करता है।

विश्वविद्यालय मल्टीमीडिया अध्ययन प्रणाली प्रदान करता है जिसमें प्रिंट, आडियो, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन, टेलीकांफ्रेसिंग, अंतःक्रियात्मक रेडियो परामर्श, इंटरनेट आधारित अध्ययन तथा फेस–टू–फेस अंतःक्रियाएं तथा आईसीटी के माध्यम से अधिगम, परामर्श एवं प्रैक्टिकल शामिल हैं। बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंचना एवं मुद्रित अध्ययन सामग्री को और समृद्ध/विस्तृत करना ऊपर सूचीबद्ध मल्टी मीडिया के प्रमुख उद्देश्य हैं। विश्वविद्यालय में एक अधुनातन इलैक्ट्रानिक मीडिया निर्माण केंद्र (ईएमपीसी) हैं। विश्वविद्यालय में निम्नलिखित मीडिया संसाधन उपलब्ध हैं:

- **नियमित दो दिवसीय आडियो एवं एक दिवसीय वीडियो टेलीकांफ्रेसिंग:** पूरे देश में फैले तकरीबन 250 अंतःक्रियात्मक नोड दोतरफा अंतःक्रियात्मक टेली काउंसलिंग, टेली टीचिंग, टेली ट्रेनिंग, टेली डिसक्शन एवं विस्तारित संपर्क कार्यक्रम प्रदान करते हैं। यह सुविधा अब डिजीटल हो गई है तथा इनसैट 3सी के माध्यम से उपलब्ध है।

- **अंतःक्रियात्मक रेडियो काउंसलिंग:** तुरंत प्रत्युत्तर के माध्यम से उनके शैक्षिक एवं प्रशासनिक प्रश्नों के लिए संस्था एवं शिक्षुओं के बीच अंतराल को पाटना। इस समय पूरे देश में 184 रेडियो स्टेशन हर रविवार (सांय 4 बजे से 5 बजे तक) अंतःक्रियात्मक फोन–इन काउंसलिंग का प्रसारण करते हैं। छात्र विभिन्न रेडियो स्टेशनों पर मौजूद विशेषज्ञों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए टोलफ्री टेलीफोन के माध्यम से अपने घर से हिस्सा लेते हैं।

- **ज्ञान दर्शन:** यह शिक्षा के लिए एक पूर्णकालिक टेलीविजन चैनल है जो 24 घंटे कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। कार्यक्रम स्थानीय केबल आपरेटरों के केबल नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध हैं तथा इसमें इग्नू, यूजीसी–सीईसी, एनसीईआरटी, सीआईईटी,

एनआईओएस, एनएलएम जैसी शिक्षा संस्थाएं तथा कुछ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन योगदान करते हैं।

- **ज्ञान वाणी**: यह 37 एफएम रेडियो स्टेशनों के माध्यम से रेडियो कार्यक्रम है जो अनन्य रूप से शिक्षा एवं विकास के लिए समर्पित है जिसका पूरे देश में क्षेत्रीय निर्माण एवं प्रसारण होता है।

- **एडुसैट या शैक्षिक उपग्रह**: एजुसैट अनन्य रूप से शिक्षा क्षेत्र की सेवा के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित पहला भारतीय उपग्रह है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के लिए अंतःक्रियात्मक उपग्रह आधारित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की मांग को पूरा करना है। यह एमएचआरडी, इसरो, अंतरिक्ष विभाग तथा इग्नू की एक सहयोगात्मक परियोजना है।

- **अखिल अफ्रीका उपग्रह केंद्र**: यह नए चयनित अफ्रीकी देशों को शिक्षा के प्रसार के लिए सृजित किया गया है, जहां इग्नू अपनी पहुंच का विस्तार करने में सफल रहा है। विनिमय या छात्रवृत्ति पर छात्र सर्वश्रेष्ठ लाभग्राही है, हालांकि पहुंच में और विस्तार का कार्य किया जा रहा है।

चालू वर्ष के दौरान 92 नए शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं तथा विश्वविद्यालय के जनवरी और जुलाई 2010 के सत्रों के दौरान लगभग 610000 छात्र दाखिल किए गए है। क्षेत्रीय नेटवर्क सेवा को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालय ने 210 नए अध्ययन केंद्रों की स्थापना की है जिससे अध्ययन केंद्रों की कुल संख्या 3107 तथा क्षेत्रीय केंद्रों की संख्या 61 हो गई है।

इग्नू मुख्यतः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के शिक्षुओं, विकलांगता समूहों, जेल एवं पुनर्वास केंद्रों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, अभिभावकों एवं गृह निर्माताओं, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करता है। विश्वविद्यालय ने ग्रामीण क्षेत्रों, अजा/अजजा, इनमेट, महिलाओं, नेत्रहीनों, अल्पसंख्यकों, शारीरिक विकलांगों, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभवंचित समूहों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों तथा देश के अन्य सर्वाधिक पिछड़े जिलों पर विशेष बल देने की नीति अपनाई हैं। इन लाभवंचित समूहों की जरूरतें पूरा करने के लिए, विश्वविद्यालय ने इनके लिए 101 विशेष अध्ययन केंद्रों की स्थापना की है।

अतीत में स्थापित राष्ट्रीय विकलांगता अध्ययन केंद्र (एनसीडीएस) ने भिन्न रूप से समर्थ बच्चों अर्थात मानसिक पश्चता, श्रव्य/दृश्य विकलांग बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम विकसित किया है। केंद्र ने भिन्न रूप से समर्थ बच्चों के लिए शैक्षिक, व्यावसायिक एवं जागरूकता कार्यक्रम विकसित किया है तथा विकलांगता के क्षेत्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा साफ्टवेयर प्रदान किया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का शैक्षिक विकास फोकस का एक अन्य क्षेत्र है। वार्षिक योजना का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए निर्धारित किया गया। पिछले साल जोरहट में स्थापित एक नए क्षेत्रीय केंद्र समेत 9 क्षेत्रीय केंद्र अनन्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में काम करते हैं। इग्नू के महत्वपूर्ण फोकस में से एक समाज एवं क्षेत्रों के लाभवंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देना है। महिलाओं को ध्यान में रखकर अनेक कार्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं। पिछड़े क्षेत्रों तथा कम महिला साक्षरता दर वाले जिलों में विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षु सहायता केंद्रों का व्यापक नेटवर्क स्थापित करके, शिक्षु सहायता केंद्रों की संख्या 552 करके (210 नए) अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय निरंतर प्रयासरत है। विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में तकरीबन 40000 छात्र नामांकित किए गए हैं। वर्ष के दौरान शैक्षिक परामर्शदाताओं के लिए विभिन्न प्रबोधन कार्यक्रम, अधिकारियों एवं सहायक स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा छात्रों के लिए प्रवेश कार्यक्रम संचालित किए गए। इग्नू ने अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र शैक्षिक विकास यूनिट के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुक्त एवं दूरस्थ अध्ययन (ओडीएल) संस्थाओं, केंद्रों एवं क्षेत्रीय केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया है।

छात्रवृत्तियां

10

छात्रवृत्तियां

राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय योजना

वर्ष 2008–09 से कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की एक नई केंद्रीय योजना लागू की जा रही है। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्च अध्ययन करते हुए अपने रोजमर्रा के खर्चों का कुछ भाग पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये छात्रवृत्तियां वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के आधार पर प्रदान की जाएंगी। चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि जैसे पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए कालेजों एवं विश्वविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष 82000 नई छात्रवृत्तियां (41000 लड़कों के लिए तथा 41000 लड़कियों के लिए) प्रदान की जा सकती हैं। देश में विभिन्न बोर्डों से पास होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) तथा भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (आईसीएसई) के हिस्से को अलग करने के बाद, 18–25 आयुवर्ग में राज्य की आबादी के आधार पर छात्रवृत्तियों की कुल संख्या, राज्य बोर्डों के बीच विभाजित की गई है। सीबीएसई/आईसीएसई/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छात्रवृत्तियों के वितरण का ब्यौरा अगले पैराओं में दिया गया है। बोर्डों को आबंटित छात्रवृत्तियां, बोर्ड की विज्ञान, वाणिज्य एवं मानविकी धाराओं से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में 3:2:1 के अनुपात में वितरित की जाएंगी। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए विचार करने हेतु ऐसे छात्र पात्र होंगे जिनके कक्षा 12 या 10+2 पैटर्न या समकक्ष में संगत विषयों में बोर्ड की परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक हैं तथा क्रीमी लेयर से नहीं हैं तथा किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्था से नियमित पाठ्यक्रम (न कि पत्राचार या दूरस्थ विधि से) कर रहे हैं तथा किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। ये शर्तें 'सामान्य' एवं 'आरक्षित' दोनों श्रेणी के छात्रों पर लागू हैं।

छात्रवृत्ति की राशि पहले तीन वर्ष के लिए वर्ष में 10 महीने के लिए 1000 रूपए प्रतिमाह तथा इसके बाद वर्ष में 10 महीनों के लिए 2000 रूपए प्रतिमाह है। यह कठोर मानदंडों के आधार पर वार्षिक नवीकरण की शर्त पर है।

हिंदी में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए गैर हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना

गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने तथा इन राज्यों की सरकारों को शिक्षण एवं अन्य पदों (जहां हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है) को भरने के लिए उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना 1955–56 में शुरू की गई थी। योजना को 2004–05 से संशोधित किया गया। संशोधित योजना के तहत, किसी शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय या स्वैच्छिक हिंदी संगठन द्वारा संचालित "ठीक नीचे परीक्षाएं" के परिणामों के आधार पर एक विषय के रूप में हिंदी की पढ़ाई के लिए मान्यताप्राप्त पूर्णकालिक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए मैट्रिकोत्तर से लेकर पीएचडी स्तर तक के मेधावी छात्रों को 2500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्ययन के पाठ्यक्रम/चरण के आधार पर छात्रवृत्ति की दर 300 से 1000 रूपए प्रतिमाह है। यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

विश्वविद्यालय/कालेज छात्रों को छात्रवृत्ति की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छात्रवृत्तियों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटित छात्रवृत्तियों की संख्या
1	सीबीएसई	5413
2	आईसीएसई	577
3	आंध्र प्रदेश	6097
4	अरूणाचल प्रदेश	77
5	असम	2002
6	बिहार	5624
7	छत्तीसगढ़	1387
8	दिल्ली	1162
9	गोवा	113

10	गुजरात	3944
11	हरियाणा	1591
12	हिमाचल प्रदेश	461
13	जम्मू एवं कश्मीर	768
14	झारखंड	1878
15	कर्नाटक	4237
16	केरल	2324
17	महाराष्ट्र	7417
18	मध्य प्रदेश	4299
19	मणिपुर	181
20	मेघालय	166
21	मिजोरम	75
22	नागालैंड	176
23	उड़ीसा	2736
24	पंजाब	1902
25	राजस्थान	3978
26	सिक्किम	44
27	तमिलनाडु	4883
28	त्रिपुरा	236
29	उत्तर प्रदेश	11460
30	उत्तरांचल	616
31	पश्चिम बंगाल	5941
32	अंडमान और निकोबार	31
33	चंडीगढ़	82
34	दादर और नागर हवेली	21
35	दमन और द्वीव	19
36	लक्षद्वीप	4
37	पांडिचेरी	78

विदेशी छात्रवृत्तियां

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेशों में पढ़ाई करने तथा वहां हो रहे विकास का ज्ञान प्राप्त करने में उनको समर्थ बनाने के लिए छात्रों एवं विद्वानों को विदेशी छात्रवृत्तियां प्राप्त करने में सूत्रधार के रूप में काम करता है। मंत्रालय का विदेश छात्रवृत्ति प्रभाग संबंधित देशों में स्नातकोत्तर/पीएचडी/पोस्ट–डाक्टोरल अनुसंधान स्तर पर पढ़ाई करने के लिए भारत के छात्रों के लिए सांस्कृतिक/शिक्षा विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न देशों द्वारा प्रस्तुत छात्रवृत्तियों पर कार्रवाई करता है।

राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में विषय–क्षेत्र है; जैसे दूर संवेदी प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी/जैव–रसायन प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, सस्य विज्ञान/वानिकी, समाज विज्ञान, शारीरिक/जीवन शिक्षा, प्रबंधन अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन आदि। शैक्षिक वर्ष 2010–11 के लिए राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति आयोग (यूके) ने मंत्रालय द्वारा भेजे गए 57 नामांकन के विरूद्ध 26 छात्रवृत्तियां प्रदान की है। मंत्रालय ने शैक्षिक वर्ष 2011–12 के लिए 64 नामांकन भेजा है।

भारत सरकार ने समय–समय पर विदेशी राष्ट्रों अर्थात जापान, चीन, मेक्सिको, इजराइल, नार्वे, बेल्जियम, इटली, मलेशिया, चेक, पुर्तगाल एवं स्लोवाक गणराज्य के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (सीईपी) या शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम (ईईपी) किया है। इन कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ उनकी संस्थाओं में अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान होता है। वर्ष 2010–11 के दौरान छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए इन देशों को अभ्यर्थी नामांकित किए गए।

भारत के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत यूरोपीय संघ विभिन्न यूरोपीय देशों में पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की पेशकश करता है। अरासमस मुंडस कार्यक्रम केवल भारतीय छात्रों के लिए एक अलग भारतीय खिड़की प्रदान करता है।

अगाथा हैरिसन स्मारक अध्येतावृत्ति, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है। यह एक अनुसंधान–सह–शिक्षण अध्येतावृत्ति है तथा ऐसे विद्वानों के लिए हैं जिन्होंने इतिहास, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के क्षेत्रों में आधुनिक भारतीय अध्ययनों में विशेषज्ञता प्राप्त की है। सेंट अंटोनी कालेज, आक्सफोर्ड (यूके) में स्थापित चयनित विद्वानों को भारत सरकार द्वारा 27603 पाउंड प्रतिवर्ष का समेकित स्टाइपेंड दिया जाता है। अंतिम अध्येता ने शैक्षिक वर्ष 2010–11 के लिए अक्टूबर 2010 में कालेज ज्वाइन किया।

जो व्यक्ति जे1 एवं जे2 बीजा पर यूएसए जाते हैं तथा यूएसए में बसने या लाभप्रद रोजगार के लिए इनको एच1 या

एच2 में परिवर्तित करना चाहते हैं उनको 'भारत लौटने की बाध यता नहीं प्रमाणपत्र' (एनओआरआई) की जरूरत होती है। यह प्रमाणपत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद यूएसए में भारतीय दूतावास/भारत के कांसुलेट जनरल (सीजीआई) द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2010 के दौरान मंत्रालय द्वारा 981 एनओआरआई प्रमाणपत्र जारी किए गए।

बजट प्रावधान

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान, विभिन्न देशों द्वारा प्रस्तुत छात्रवृत्तियों हेतु विद्वानों के चयन के लिए गठित चयन समितियों की बैठकों के आयोजन से संबंधित व्यय चीन में अध्ययन के लिए विद्वानों को हवाई किराया एवं पूरक स्टाइपेंड देने तथा अगाथा हैरिसन अध्येतावृत्ति पर पूरा व्यय वहन करने के लिए 80.00 लाख रुपए का बजट प्रावधन किया गया।

उपलब्धियां

चालू वर्ष के दौरान, 31 दिसंबर 2010 तक 226 नामांकन के बदले में 75 भारतीय राष्ट्रिकों ने विभिन्न सीईपी/ईईपी एवं राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त की है। विभिन्न देशों से और छात्रवृत्तियां प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विभिन्न देशों में भेजे गए भारतीय विद्वानों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	देश	2010–11 (दिसंबर 2010 तक)		
		नामांकित	दाता देश द्वारा स्वीकृत	प्रयुक्त
1	जापान	58	33	33
2	चीन	18	18	15
3	इजराइल	11	6	5
4	मैक्सिको	09	01	01
5	कोरिया	23	09	09
6	यूके	64	प्रक्रियाधीन	–
7	बेल्जियम	03	03	02
8	इटली	32	13	10
9	मलेशिया	01	–	–
10	तुर्की	07	06	प्रक्रियाधीन
	कुल योग	**226**	**89**	**75**

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों की शिक्षा

11

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों की शिक्षा

संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि "राज्य समुचित ध्यान देते हुए समाज के कमजोर वर्गों तथा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, तथा सामाजिक अन्याय एवं हर तरह के सामाजिक शोषण से उनकी रक्षा करेगा।" संविधान के अनुच्छेद 330, 332, 335, 338 से 342 तथा संपूर्ण पांचवीं एवं दसवीं अनुसूचियां अनुच्छेद 46 में निर्धारित लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित हैं। केंद्रीय शैक्षिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में अजा, अजजा एवं अपिव के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।

स्कूल शिक्षा क्षेत्र में, निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) हस्तक्षेप

एसएसए विविध कार्यनीतियों को बढ़ावा देता है जो अजा/अजजा के बच्चों पर केंद्रित हैं। अजा/अजजा के बच्चों की शिक्षा के लिए एसएसए संदर्भ विशिष्ट उपाय विकसित करने का प्रयास करता है। एसएसए के कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

अजा के बच्चों के लिए कार्यनीतियां

- अजा की बहुलता वाले 61 जिलों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए पर्याप्त अवसंरचना का प्रावधान।
- दूरस्थ, बिखरी आबादी वाले क्षेत्रों, स्कूलों के लिए अन्यथा अपात्र क्षेत्रों में शिक्षा गारंटी योजना।
- यायावर परिवारों के बच्चों, पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों, उम्रदराज एवं कभी न नामांकित बच्चों तथा कामकाजी बच्चों के लिए स्कूल वापसी शिविर सेतु पाठ्यक्रम तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा पहलें।
- कक्षा 1 से 8 तक अजा के छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें।
- अजा के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष नवाचारी कार्यकलापों के लिए प्रति जिला ₹ 50 लाख का प्रावधान।
- साम्यपूर्ण अधिगम अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम तथा कक्षा में भेदभाव का निराकरण।
- ग्राम शिक्षा समिति/एसएमसी आदि में सांविधिक प्रतिनिधित्व।

आदिवासी क्षेत्रों में अजजा के बच्चों के लिए कार्यनीतियां

- आदिवासी क्षेत्रों में मानदंडों में ढ़ील के साथ (10–15 बच्चों के साथ) ईजीएस एवं एआईई (एनआरबीसी, आरबीसी, मानव विकास केंद्र, यायावर बच्चों के लिए मौसमी छात्रावास आदि) खोलना।
- यायावर परिवारों के बच्चों, पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों, उम्रदराज एवं कभी न नामांकित बच्चों तथा कामकाजी बच्चों के लिए स्कूल वापसी शिविर सेतु पाठ्यक्रम तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा पहलें।
- कक्षा 1 से 8 तक अजजा के छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें।
- अजा के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष नवाचारी कार्यकलापों के लिए प्रति जिला ₹ 50 लाख का प्रावधान है।
- बच्चों के अध्ययन परिणामों में सुधार के लिए विशेष कोचिंग/उपचारी कक्षाएं।
- स्थानीय आदिवासी शिक्षकों की नियुक्ति।
- एसएसए की गतिविधियों की निगरानी तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के समन्वय में सहायता के लिए राज्य स्तर पर तथा जनजाति बहुल जिलों में जनजाति समन्वयकों की तैनाती।
- वीईसी/एसएमसी/एसडीएमसी/एसईसी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का प्रावधान।

अजा और अजजा में साक्षरता दर में 1980–81 से 2008–09 के बीच काफी वृद्धि हुई है। स्कूल शिक्षा के प्राथमिक (1–5), उच्च प्राथमिक (6–8) तथा माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक (9–12) स्तर पर अजा के नामांकन में क्रमशः 2.4, 4.7 और 5.7 गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान अजा की

लड़कियों के नामांकन में 3.4 8.1 तथा 11.7 गुना वृद्धि हुई है। जहां तक अजजा का संबंध है, 1980–81 तथा 2008–09 की अवधि के दौरान प्राथमिक (1–5), उच्च प्राथमिक (6–8) तथा माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (9–12) पर उनके नामांकन में क्रमशः 3.3, 6.8 और 8.3 गुना वृद्धि हुई है जबकि लड़कियों के नामांकन में क्रमशः 4.4, 10.0 तथा 11.5 गुना वृद्धि हुई है।

स्कूल शिक्षा में नामांकन की तुलना

(आंकडे लाख में)

वर्ष	कक्षा 1 से 12 तक नामांकन								
	अन्य छात्र*			अजा छात्र			अजजा छात्र		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2004–05	867	737	1604	221	166	387	111	89	200
2005–06	876	743	1619	227	173	400	114	94	208
2006–07	886	762	1648	236	182	418	117	98	215
2007–08	928	879	1807	227	199	426	118	101	219
2008–09	897	793	1690	232	204	436	123	108	231

* अजा एवं अजजा छात्रों को शामिल नहीं किया गया है।

* **स्रोतः** वर्ष 2004–05, 2005–06 के लिए चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी तथा 2006–07, 2007–08 के लिए स्कूल शिक्षा साख्यिकी और स्कूल शिक्षा की सांख्यिकी का सारांश 2008–09.

स्कूल शिक्षा में, अन्यों, अजा एवं अजजा के छात्रों के नामांकन में वर्ष 2004–05 से 2008–09 के बीच क्रमशः 5.36 प्रतिशत, 12.66 प्रतिशत और 15.50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 2004–05 से 2008–09 की अवधि के दौरान अजा के लड़कों का नामांकन 4.98 प्रतिशत बढ़ा है जबकि लड़कियों (अजा) के नामांकन में 22.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां तक अजजा (लड़कों) का संबंध है, इस अवधि के दौरान उनका नामांकन 10.81 प्रतिशत बढ़ा है जबकि लड़कियों (अजजा) के नामांकन में 21.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर की तुलना

वर्ष		प्राथमिक (1–5)			प्रारंभिक (1–8)			माध्यमिक (1–10)		
	छात्रों की श्रेणी	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2004–05	अनुसूचित जाति	32.70	36.10	34.20	55.20	60.00	57.30	69.10	74.20	71.30
	अनुसूचित जनजाति	42.60	42.00	42.30	65.00	67.10	65.90	77.80	80.70	79.00
	सभी श्रेणी	31.81	25.42	29.00	50.49	51.28	50.84	60.41	63.88	61.92
2005–06	अनुसूचित जाति	32.11	33.81	32.86	53.68	57.12	55.17	68.16	73.76	70.57
	अनुसूचित जनजाति	40.21	39.29	39.79	62.88	62.86	62.87	78.02	79.21	78.52
	सभी श्रेणी	28.71	21.77	25.67	48.67	48.98	48.80	60.10	63.56	61.62

2006–07	अनुसूचित जाति	32.33	39.89	35.91	51.56	54.98	53.05	66.58	72.17	69.10
	अनुसूचित जनजाति	30.57	35.82	33.09	62.78	62.22	62.54	77.32	79.08	78.07
	सभी श्रेणी	24.57	26.75	25.60	46.44	45.22	45.90	58.61	61.50	59.88
2007–08	अनुसूचित जाति	34.37	24.52	30.09	53.56	51.12	52.47	68.05	68.90	68.42
	अनुसूचित जनजाति	31.04	31.68	31.34	62.62	62.31	62.48	76.02	77.97	76.85
	सभी श्रेणी	25.70	24.41	25.09	43.72	41.34	42.68	56.55	57.33	56.71
2008–09	अनुसूचित जाति	30.05	22.69	26.71	50.85	43.94	47.89	66.53	66.60	66.56
	अनुसूचित जनजाति	32.17	30.23	31.26	57.66	58.99	58.26	75.63	76.90	76.18
	सभी श्रेणी	26.68	22.90	24.93	44.89	38.86	42.25	55.82	55.95	55.88

स्रोतः वर्ष 2004–05, 2005–06 के लिए चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी तथा, 2006–07, 2007–08 के लिए स्कूल शिक्षा सांख्यिकी और स्कूल शिक्षा की सांख्यिकी का सारांश 2008–09.

2008–09 में अजा के लड़कों एवं लड़कियों के संबंध में स्कूल शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर 2004–05 के 71.30 प्रतिशत से घटकर 2008–09 में 66.56 प्रतिशत हो गई जबकि यह अजजा के लड़कों एवं लड़कियों के संबंध में 2004–05 के 79.00 प्रतिशत से घटकर 2008–09 में 76.18 प्रतिशत हो गई है।

विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा

उच्चतर शिक्षा में अजा/अजजा के छात्रों के नामांकन में 2004–05 से 2007–08 तक जो वृद्धि हुई है उसे नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

उच्चतर शिक्षा में नामांकन

(आंकडे लाख में)

वर्ष	अन्य छात्र*			अजा छात्र			अजजा छात्र		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2004–05	60.67	40.16	100.83	7.92	4.69	12.61	2.77	1.57	4.34
2005–06	74.13	46.90	121.03	10.29	5.82	16.11	3.9	2.2	6.1
2006–07	79.70	50.47	130.17	11.85	6.5	18.35	4.39	2.62	7.01
2007–08	84.12	53.65	137.77	14.55	8.69	23.24	6.1	3.36	9.46

* अजा एवं अजजा छात्रों को शामिल नहीं किया गया है।

स्रोतः वर्ष 2004–05, 2005–06 के लिए चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी तथा वार्षिक रिपोर्ट 2008–09, उच्च–तकनीकी शिक्षा की सांख्यिकी का सारांश 2007–08

उच्चतर शिक्षा में, वर्ष 2004–05 से 2007–08 के बीच अन्यों, अजा एवं अजजा छात्रों के नामांकन में क्रमशः 36.64 प्रतिशत, 84.30 प्रतिशत और 117.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2004–05 से 2007–08 की अवधि के दौरान अजा लड़कों का नामांकन

83.71 प्रतिशत बढ़ा है जबकि लड़कियों (अजा) के नामांकन में 2 प्रतिशत अधिक यानी 85.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां तक अजजा के लड़कों का संबंध है, इस अवधि के दौरान उनका नामांकन 120.22 प्रतिशत बढ़ा है जबकि लड़कियों (अजजा) के नामांकन में तकरीबन 6 प्रतिशत कम यानी 114. 01 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जीईआर में अंतर – सामाजिक समूह

				कालम 2 की तुलना में अंतर	
वर्ष	सभी श्रेणियां	अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
2004–05	9.97	6.72	4.86	3.25	5.11
2005–06	11.55	8.37	6.6	3.18	4.95
2006–07	12.39	9.35	7.45	3.04	4.94
2007–08	13.58	11.62	9.86	1.96	3.72

स्रोतः चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी 2004–05, 2005–06, 2006–07 तथा उच्चतर शिक्षा एवं तकनीकी सांख्यिकी 2007–08

पिछले वर्षों मे अजा एवं अजजा के जीईआर में दोगुना से अधिक वृद्धि हुई, जिसके बाद जीईआर में अंतर घटा है। साथ ही, इन सामाजिक समूहों के लिए जीईआर में अंतर भी घटा है, जैसाकि नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

जीईआर में अंतर – बालक–बालिका

				कालम 2 की तुलना में अंतर	
वर्ष	सभी श्रेणियां	अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
2004–05	8.17	5.20	3.45	2.97	4.72
2005–06	9.35	6.4	4.7	2.95	4.65
2006–07	10.02	6.96	5.51	3.06	4.51
2007–08	11.05	9.08	6.92	1.97	4.13

स्रोतः चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी 2004–05, 2005–06, 2006–07 तथा उच्चतर शिक्षा एवं तकनीकी सांख्यिकी 2007–08

अजा/अजजा की उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने निम्नलिखित कदम उठाया है:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) भारत सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने के लिए समय–समय पर दिशानिर्देश/निदेश/अनुदेश जारी करता है।
- अजा/अजजा/अपिव के अभ्यर्थियों के दाखिला के लिए न्यूनतम अर्हता अंक में छूट है।
- यूजीसी अजा/अजजा/अपिव समेत सबके लिए लाभप्रद रोजगार के लिए स्नातकों के लिए करियर प्रबोधन कार्यक्रम संचालित करता है।

- यूजीसी अजा/अजजा/अपिव के विस्तार कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता देता है।
- यूजीसी ने अजा/अजजा/अपिव के पात्र अभ्यर्थियों का एक केंद्रीय पूल डेटाबेस बनाया है तथा विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में शिक्षण पदों के लिए उनकी उम्मीदवारी की सिफारिश करता है।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर स्थाई समिति

विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए, यूजीसी द्वारा 1997 में अजा/अजजा पर एक स्थाई समिति गठित की गई। 2007 में यूजीसी ने इस समिति का पुनर्गठन किया। समिति में शैक्षिक विशेषज्ञों, पूर्व कुलपतियों एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति शामिल किए जाते हैं।

विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए इस समिति की पहली बैठक 24 जून 2008 को यूजीसी के कार्यालय में तथा दूसरी बैठक 20 जनवरी 2009 को योजना आयोग (योजना भवन) में हुई।

स्थायी समिति की उप समिति ने शिक्षण, शिक्षणेतर, दाखिला, छात्रावास एवं स्टाफ क्वाटर में अजा/अजजा के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद एवं इसके संबद्ध कालेजों तथा बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (यूजीसी से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले) का दौरा किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित योजनाएं

अजा/अजजा छात्रों के लिए यूजी/पीजी स्तर पर उपचारी कोचिंग

यूजीसी विशेष योजनाओं के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों में सामाजिक क्षमता एवं सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता की दिशा में योगदान कर रहा है। आयोग ने 1994 में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी कोचिंग नामक ऐसी एक विशेष योजना शुरू की। योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- विभिन्न विषयों में छात्रों के शैक्षिक कौशलों एवं भाषायी प्रवीणता में सुधार करना।
- बुनियादी विषयों की समझ का स्तर ऊपर उठाना ताकि आगे शैक्षिक कार्य के लिए नींव मजबूत हो सके।
- ऐसे विषयों में उनके ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना जहां मात्रात्मक एवं गुणात्मक तकनीकी तथा प्रयोगशाला कार्य शामिल होता है ताकि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त अपेक्षित मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण से छात्र दक्षतापूर्वक उच्च अध्ययन करने के लिए अपेक्षित स्तर प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।
- परीक्षाओं में इन छात्रों के समग्र निष्पादन में सुधार लाना।

विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को सहायता की अवधि पांच वर्ष है किन्तु शुरू में सहायता पहले चरण अर्थात तीन वर्ष के लिए दी जाती है। उच्च शिक्षा में अजा/अजजा/अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए उपचारी कोचिंग की योजना के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए, चार केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं केंद्र से सहायता प्राप्त करने वाले सम विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ यूजीसी द्वारा योजना की समीक्षा की गई है। चार विश्वविद्यालयों अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द तथा बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की सहायता के लिए पहचान की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द तथा बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने उक्त उपचारी कोचिंग केंन्द्र शुरू कर दिया है। उपर्युक्त चार विश्वविद्यालय में से प्रत्येक को 5 करोड़ रूपए की राशि संस्वीकृत की गई है।

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के लिए तैयारी के लिए अजा/अजजा के अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग कक्षाएं

विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में व्याख्याता के रूप में भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या के लिए अजा/अजजा के योग्य अभ्यर्थी प्रदान करने के निमित्त, 2004–05 के दौरान आयोग ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट), जो विश्वविद्यालयों या कालेजों में व्याख्याता बनने के लिए पात्रता की आवश्यक शर्त हैं, के लिए उनको तैयार करने के लिए अजा/अजजा के लिए कोचिंग कक्षाओं की एक योजना शुरू की।

इस योजना के तहत चुनिंदा विश्वविद्यालयों में कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिसके लिए 100 प्रतिशत आधार पर अनुदान उपलब्ध है। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केंद्र अनुमोदित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो नेट की कोचिंग की जिम्मेदारी स्वीकार कर सकें तथा कोचिंग प्रदान

करने के लिए वहां पर्याप्त संख्या में इच्छुक संकाय सदस्य हों। कोचिंग केंद्रों में कक्षाएं मानदेय आधार पर शिक्षकों की व्यवस्था करके चलाई जाएंगी।

सेवाओं में प्रवेश के लिए अजा/अजजा के लिए कोचिंग कक्षाएं

अखिल भारतीय एवं प्रांतीय सेवाओं समेत समूह–क, ख एवं ग में उपयोगी रोजगार प्राप्त करने के लिए, सेवाओं में प्रवेश के लिए अजा/अजजा के लिए कोचिंग कक्षाओं की योजना यूजीसी द्वारा 2004–05 से चुनिंदा विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में शुरू की गई हैं। कोचिंग केंद्रों में कक्षाएं मानदेय आधार पर शिक्षकों की व्यवस्था करके चलाई जाएंगी।

अजा/अजजा/अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

समाज के वंचित वर्गों से अभ्यर्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर तथा स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई का अवसर प्रदान करने के लिए अजा/अजजा/अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए यह योजना शुरू की गई है। छात्रवृत्ति की राशि एमटेक पाठ्यक्रमों के लिए ₹ 5000 प्रतिमाह तथा मास्टर ऑफ फार्मेसी एवं प्रबंधन पाठ्यक्रमों के लिए ₹ 3000 प्रतिमाह है। उपर्युक्त योजना के लिए आकस्मिक व्यय की राशि क्रमशः ₹ 15000 एवं ₹ 10500 प्रतिवर्ष है।

कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय योजना के लिए आरक्षित श्रेणी/कमजोर वर्गों/अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र केंद्रीय आरक्षण नीति एवं आंतरिक आबंटन के अधीन योग्यता के आधार पर पात्र हैं। छात्रवृत्ति नॉन क्रीमी लेयर के छात्रों को उपलब्ध होगी। इस समय सभी कालेजों में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण अजा–15 प्रतिशत अजजा–7.5 प्रतिशत, अपिव–27 प्रतिशत तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए क्षैतिज रूप से 3 प्रतिशत है।

विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना

भारतीय समाज के सर्वाधिक वंचित समूहों अर्थात अजा एवं अजजा के हितों की रक्षा के लिए, संविधान में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान हैं। मुख्य उद्देश्य सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए केवल नौकरी प्रदान करना नहीं है अपितु उनका सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर भी बढ़ाना है ताकि ये समाज की मुख्य धारा में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 7 प्रतिशत है तथा राज्यों में आरक्षण संबंधित राज्य में उनकी आबादी के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसके लिए यूजीसी में अजा/अजजा प्रकोष्ठ गठित किया गया तथा उच्च शिक्षा में उनके लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए अजा/अजजा पर एक स्थाई समिति भी गठित की गई है।

11वीं योजना में, 1983 में शुरू की गई विश्वविद्यालयों में अजा/अजजा प्रकोष्ठ की स्थापना की योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में भारत सरकार एवं यूजीसी के कार्यक्रमों में अजा/अजजा के लिए आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी का सुनिश्चय करना,
- दाखिला, शिक्षण एवं शिक्षेणतर पदों पर नियुक्ति आदि में आरक्षण नीति से संबंधित आंकड़े एकत्र करना, और
- ऐसे अनुवर्ती कदम उठाना जो इस प्रयोजनार्थ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकें।

योजना के तहत, अजा/अजजा प्रकोष्ठ की स्थापना की तारीख से पहले पांच वर्ष की अवधि के दौरान या योजना अवधि जिसके दौरान प्रकोष्ठ स्थापित किया जाता है, की समाप्ति तक स्टाफ के वेतन पर वास्तविक व्यय के लिए स्टाफ के लिए सहायता 100 प्रतिशत आधार पर है।

यूजीसी द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं सम विश्वविद्यालय योजनेतर निधियों से आवर्ती व्यय वहन कर सकते हैं। आवर्ती अनुदान की देयता ग्रहण करने के लिए राज्य सरकारों से अनुमोदन प्राप्त करने वाले राज्य विश्वविद्यालय योजना अवधि के पूरा हो जाने के बाद राज्य वित्त से जारी रख सकते हैं। तथापि वे अनावर्ती व्यय के लिए यूजीसी की निधियां प्राप्त करेंगे। यदि राज्य सरकार आवर्ती अनुदान की देयता नहीं ग्रहण करती है तो राज्य विश्वविद्यालय आवर्ती व्यय वहन करने के लिए यूजीसी के उनको उपलब्ध विकास अनुदान का उपयोग करके अजा/अजजा प्रकोष्ठ का संचालन जारी रख सकते हैं।

31 मार्च 2010 तक विश्वविद्यालयों में 128 अजा/अजजा प्रकोष्ठ स्थापित किए गए थे।

ऐसे सभी विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओसी) गठित करने के लिए यूजीसी द्वारा निर्णय लिया गया है जिन्हें यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12–ख के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है। 167 पात्र

विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को प्रति विश्वविद्यालय ₹ 3 लाख की राशि संस्वीकृत की गई है।

अजा/अजजा के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजाति कार्य मंत्रालय ने प्रतिवर्ष 2000 स्लॉट अर्थात अजा के लिए 1333 तथा अजजा के लिए 667 स्लॉट प्रदान करके अजा एवं अजजा के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना कार्यान्वित करने के लिए यूजीसी को जिम्मेदारी सौंपी है तथा निधियां प्रदान की हैं।

मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करना है। यूजीसी के माध्यम से केंद्र सरकार भाषा एवं इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी समेत विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान में उन्नत अध्ययन तथा पीएचडी/एमफिल की डिग्री प्रदान करने वाले अनुसंधान कार्य करने के लिए अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए 2000 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्रदान करती है।

अध्येतावृत्ति सहायता का पैर्टन निम्नानुसार है:

विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान में अध्येतावृत्ति	शुरूआती 2 वर्षों के लिए ₹ 12000 प्रतिमाह की दर से	आरजीएनएसआरएफ
	शेष अवधि के लिए ₹ 14000 प्रतिमाह की दर से	आरजीएनजेआरएफ
इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में अध्येतावृत्ति	शुरूआती 2 वर्षों के लिए ₹ 14000 प्रतिमाह की दर से	आरजीएनजेआरएफ
	शेष अवधि के लिए ₹ 15000 प्रतिमाह की दर से	आरजीएनजेआरएफ
आकस्मिक व्यय–क	शुरूआती 2 वर्षों के लिए ₹ 10000 प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान
	शेष अवधि के लिए ₹ 20500 प्रतिवर्ष की दर से	
आकस्मिक व्यय–ख	शुरूआती 2 वर्षों के लिए ₹ 12000 प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी
	शेष अवधि के लिए ₹ 25000 प्रतिवर्ष की दर से	
विभागीय सहायता	शोधकर्ता को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए मेजबान संस्थान को प्रति छात्र ₹ 3000 प्रतिमाह की दर से	सभी विषय क्षेत्र
हमराही/वाचक सहायता	शारीरिक रूप से विकलांग एवं दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामले में ₹ 2000 प्रतिमाह की दर से	सभी विषय क्षेत्र
एचआरए	विश्वविद्यालय/संस्था के नियमों के अनुसर	सभी विषय क्षेत्र

अजा/अजजा के लिए पोस्ट–डाक्टोरल अध्येतावृत्ति

यूजीसी ने अजा/अजजा के ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट–डाक्टोरल अध्येतावृत्ति की योजना शुरू की है जिन्होंने डाक्ट्रेट की डिग्री प्राप्त की है तथा अपने नाम से अनुसंधान कार्य प्रकाशित किया है।

अध्येतावृत्ति का पैर्टन इस प्रकार है:

स्लाटों के संख्या–प्रतिवर्ष 100 (अजा/अजजा के लिए)

अध्येतावृत्ति	दो वर्षों के लिए ₹ 16000 प्रतिमाह (नियत) की दर से
आकस्मिक व्यय	दो वर्षों के लिए ₹ 30000 प्रतिवर्ष की दर से
विभागीय सहायता	मेजबान संस्था को पोस्ट–डाक्टोरल अध्येतावृत्ति का 10 प्रतिशत
हमराही/वाचक सहायता	शारीरिक रूप से विकलांग एवं दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामले में ₹ 2000 प्रतिमाह (नियत) की दर से
एचआरए	विश्वविद्यालय/संस्था के नियमों के अनुसार

वर्ष 2008–09 के लिए चुने गए अध्येताओं को भुगतान के मद में वर्ष 2009–10 के दौरान ₹ 379.82 लाख का व्यय किया गया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश

भारत में जनजाति आबादी के लिए उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के अवसरों को बढ़ावा देने एवं सुविधा प्रदान करने तथा उनसे संबंधित मामलों के संबंध में प्रावधान करने के लिए यह विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 नामक एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग की ओर से निधियन के माध्यम से मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने से समृद्ध जनजाति कला, संस्कृति, भाषा, रीति–रिवाजों तथा उनकी चिकित्सा प्रणालियों को काफी प्रोत्साहन मिला है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू), अमरकंटक के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन 9 सितम्बर 2009 को मणिपुर में आईजीएनटीयू द्वारा राजनीति विज्ञान में एमफिल कार्यक्रम की शुरूआत के साथ हुआ।

विश्वविद्यालय के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

(i) मुख्य रूप से भारत की आदिवासी आबादी के लिए उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करना;

(ii) आदिवासी कला, संस्कृति, परंपरा, भाषा, औषधि प्रणाली, रीति–रिवाज, वन आधारित आर्थिक गतिविधि, जीव–जंतु एवं वनस्पति में अनुदेशात्मक एवं अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करके तथा आदिवासी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित प्रौद्योगिकी में उन्नति के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करना तथा तरक्की करना;

(iii) विशेष रूप से जनजाति आबादी पर सांस्कृतिक अध्ययन एवं अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों एवं संगठनों के साथ सहयोग करना;

(iv) जनजातियों से संबंधित मुद्दों पर सेमिनार, सम्मेलन आयोजित करना; जनजाति केंद्रित विकास माडल तैयार करना, रिपोर्ट एवं मोनोग्राफ प्रकाशित करना; और विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत मामलों में सूचनाएं प्रदान करना;

(v) अपने खुद के विश्वविद्यालय के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने, प्रबंधन करने एवं अभिशासित करने में सक्षम जनजातीय समुदाय के सदस्यों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कदम उठाना;

(vi) यथा उपयुक्त अध्ययन की अन्य शाखाओं में अनुदेशात्मक अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार करना एवं उन्नति करना;

(vii) अंतर्विषयक अध्ययनों एवं अनुसंधान में अध्ययन अध्यापन प्रक्रियाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कदम उठाना; और

(viii) भारत संघ के अंदर अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक स्थितियों में सुधार पर विशेष ध्यान देना।

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

समाज एवं आर्थिक रूप से दलित वर्गों के विकास के लिए संगत पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए तथा जिन सिद्धांतों के लिए बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवनकाल के दौरान काम किया उनके अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी के प्रमुख अग्रणी क्षेत्रों तथा अन्य संबद्ध विषयों में अनुदेशात्मक एवं अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके उन्नत ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 10 जनवरी 1996 को लखनऊ में बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

इस समय, विश्वविद्यालय में 15 विभाग तथा 6 विद्यालयों अर्थात अंबेडकर अध्ययन विद्यालय, जैव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विद्यालय, पर्यावरण अध्ययन विद्यालय, सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय, विधि अध्ययन विद्यालय तथा गृहविज्ञान विद्यालय के अंतर्गत एक केंद्र हैं। ये विद्यालय स्नातकोत्तर एवं पीएचडी पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

आज की तिथि में विश्वविद्यालय में 130 संस्वीकृत संकाय पद हैं जिसमें से विश्वविद्यालय द्वारा 75 पद भरे जा चुके हैं तथा शेष खाली पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। विश्वविद्यालय में 1066 स्नातकोत्तर छात्र तथा 264 पीएचडी के छात्र हैं। इस प्रकार शैक्षिक सत्र 2009–10 में छात्रों की कुल संख्या 1330 है। विश्वविद्यालय की आधारभूत सुविधाओं में स्कूल

भवन, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर केंद्र, जिम, कंप्यूटर लैब, छात्रावास, अतिथि गृह आदि शामिल हैं।

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान

यह संस्थान राज्य भाषा संस्थानों, जनजाति अनुसंधान संस्थान ब्यूरो, विश्वविद्यालयों के भाषा एवं भाषा विज्ञान विभागों तथा अन्य शैक्षिक निकायों/संगठनों के कार्य का समन्वय करता है। यह अनुसूचित जनजातियों की भाषा के विकास, विकास की विधियों, भारतीय भाषाएं पढ़ाने के लिए सामग्रियों के विकास को बढ़ावा देता है। यह भारत एवं विदेश में भाषा पाठ्यक्रम भी संचालित करता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए)

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास एनयूईपीए के सरोकार का एक प्रमुख क्षेत्र है। यह अध्ययन, सेमिनार, संगोष्ठी आदि का संचालन करता है तथा सतत कार्यक्रमों/विद्यमान शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है। यह अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यक्रम एवं योजनाएं कवर करता है। यह शैक्षिक संस्थाओं के लिए सामग्री भी तैयार करता है।

सीईआई अधिनियम 2006 के अनुसार केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश की स्थिति

क्रम सं.	केंद्रीय शिक्षा संस्था का नाम	सीटों की कुल संख्या	आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत सीटों की कुल संख्या			आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत कुल दाखिला			कुल दाखिला
			अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद (2009)	1348	203	105	240	209	109	191	–
2	आईआईटी, खड़गपुर (2009)	3008	448	224	801	422	132	660	2771
3.	आईआईटी, रूड़की (2009)	1548	297	148	528	221	112	467	1740
4.	आईआईटी, मद्रास (2009)	1983	285	147	420	221	67	396	
5.	आईआईटी, गौहाटी (2010)	1432	214	108	388	175	70	284	1265
6.	आईआईटी, हैदराबाद (2010)	219	32	15	57	32	8	63	215
7.	आईआईआईटी, इलाहाबाद (2010)	650	96	50	172	85	26	158	488
8.	आईआईआईटी, जबलपुर (2010)	261	38	19	68	36	19	66	246
9.	एनआईटी, जालंधर (2010)	786	114	57	206	104	48	194	674
10.	एनआईटी, त्रिचिरापल्ली (2010)	1544	236	115	404	200	82	414	1339
11.	आईआईएम, कलकत्ता (2010)	362	52	27	43	52	27	43	362
12.	आईआईएम, अहमदाबाद (2010)	431	65	32	116	59	21	114	426
13.	एनआईटीआईई, मुम्बई (2010)	464	65	33	111	59	16	109	436
14.	आईआईएसईआर, कोलकाता (2010)	103	15	8	27	17	6	28	93
15.	आईआईएसईआर पुणे (2010).	100	15	7.5	27	15	5	34	95

1	2	3	अजा 4	अजजा 5	अपिव 6	अजा 7	अजजा 8	अपिव 9	10
16.	नेरिस्ट, इटानगर (2010–11)	374	–	–	–	22	158	43	310
17.	एनआईटी, सूरतकल (2010–11)	1564	221	111	397	189	86	365	1414
18.	आयोजना एवं वास्तुशिल्प विद्यालय	396	59	29	103	36	16	72	321
19.	आईआईएसईआर, तिरूअनंतपुरम	62	9	5	16	8	3	19	62
20.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर	802	117	59	213	106	58	212	788
21.	राजीव गांधी एनआईटी, अमेठी	92	14	7	24	14	6	23	78

तकनीकी शिक्षा

सीईआई अधिनियम 2006 के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायताप्राप्त कतिपय केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में दाखिले में सभी कार्यक्रमों में अजा, अजजा, अपवि के छात्रों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

चुनिंदा केंद्रीय संस्थाओं में केंद्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006 के अनुपालन में दाखिला का ब्यौराः

पॉलिटेक्निकों के माध्यम से सामुदायिक विकास (सीडीटीपी)

पॉलिटेक्निकों के माध्यम से सामुदायिक विकास (सीडीटीपी) योजना ग्रामीण जनता/स्थानीय समुदायों तक उपयुक्त प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण के लिए मंच प्रदान करती है। ग्रामीण युवाओं, अजा, अजजा, महिलाओं, पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों तथा अन्य लाभवंचित समूहों को प्रशिक्षण में वरीयता दी जाती है तथा आवश्यकता आधारित उपयोगी रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता की जाती है। यह कौशल उन्मुख अनौपचारिक प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी अंतरण तथा तकनीकी सहायता सेवाओं के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है।

एससीएसपी एवं टीएसपी

अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) एवं आदिवासी उप योजना (टीएसपी): अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) एवं आदिवासी उप योजना (टीएसपी) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सांकेतिक रूप से योजनागत आबंटन का क्रमशः 16.20 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत आबंटित किया जाता है।

अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग (एनसीएमईआई)

अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने तथा संचालित करने संबंधी अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा तथा अन्य संबद्ध मामलों पर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देने के लिए 11 नवंबर 2004 को एनसीएमईआई की स्थापना की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था (संशोधन) अधिनियम 2006 के माध्यम से आयोग के अधिकारों में और वृद्धि की गई है। यह आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है तथा इसे सिविल न्यायालय के अधिकार दिए गए हैं। आयोग ने नवंबर 2010 तक 3598 शिक्षा संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था का प्रमाणपत्र जारी किया है।

अल्पसंख्यक शिक्षा पर राष्ट्रीय निगरानी समिति (एनएमसीएमई)

अल्पसंख्यक शिक्षा पर राष्ट्रीय निगरानी समिति (एनएमसीएमई) को 7 अगस्त 2004 को फिर से जिंदा किया गया तथा 23 अगस्त 2007 से इसके कार्यकाल के समाप्त होने पर इसे पुनर्गठित किया गया। समिति का कार्यकाल 22 अगस्त 2010 को समाप्त हो गया है तथा इसका पुनर्गठन किया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं तथा प्रख्यात शिक्षाविदों, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों, शैक्षिक संस्थाओं एवं

अन्य स्टेकहोल्डरों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा की निगरानी के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति की एक स्थायी समिति भी गठित की गई है। स्थायी समिति ने अल्पसंख्यक समुदायों, शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंधन एवं अन्य पणधारियों से अंतःक्रियाएं करने के लिए 16 राज्यों को दौरा किया है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम

अल्पसंख्यकों के लिए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित करने में समर्थ योजनाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किया गया है कि सर्वशिक्षा अभियान एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जैसे ही अल्पसंख्यक समुदायों को लाभ 15 प्रतिशत से अधिक हो, जहां अल्पसंख्यकों की आबादी 20 प्रतिशत तक है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने के निमित्त विभिन्न पहलें की गई हैं– 9071 नए प्राथमिक विद्यालय तथा 1475 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलकर स्कूल तक पहुंच अधिकतम करने एवं अवसंरचना अंतराल पाटने के लिए मुसलमानो की आबादी वाले जिलों को विशेष रूप से चुना जाता है; 21559 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण तथा 29180 शिक्षकों की भर्ती भी की गई है। इसके अलावा संस्वीकृत किए गए 2573 केजीबीवी में से 427 केजीबीवी अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले 121 जिलों में संस्वीकृत किए गए हैं।

राज्यों से मदरसों/मकतबों में जाने वाले स्कूल बाह्य बच्चों को शामिल करन के लिए आग्रह किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा के तहत 7828 मान्यताप्राप्त मदरसा/मकतब 10.1 लाख मुस्लिम बच्चों को कवर कर रहे हैं तथा 4040 गैर मान्यताप्राप्त मदरसा/मकतब 1.6 लाख मुस्लिम बच्चों को कवर कर रहे हैं। इन हस्तक्षेपों के कारण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकित मुस्लिम बच्चों का अनुपात बढ़ा है तथा स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या घटी है। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) के अनुसार, वर्ष 2008–09 के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों का नामांकन क्रमशः 11.03 प्रतिशत और 9.13 प्रतिशत था जो 2007–08 के 10.49 प्रतिशत एवं 8.54 प्रतिशत से अधिक है। इसी तरह, 2009 में एमएचआई द्वारा संचालित एसआरआई–आईएमआरबी के अनुसार 6–14 आयु वर्ग में स्कूल बाह्य मुस्लिम बच्चों की अनुमानित संख्या 2005 के 21 लाख से घटकर 2009 में 10.69 लाख अर्थात 9.97 से घटकर 7.67 प्रतिशत हो गयी है।

शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कम नामांकन के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा एक अध्ययन पूरा किया जा रहा है।

मदरसों में स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (एसपीक्यूईएम)

एसपीक्यूईएम मदरसों में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास करता हैं ताकि मुस्लिम बच्चे शिक्षा के औपचारिक विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। एसपीक्यूईएम योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के माध्यम से विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक अध्ययन आदि जैसे औपचारिक पाठ्यचर्या के विषयों को पढ़ाने के लिए मदरसों में क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना।

(ii) नई शिक्षाशास्त्रीय पद्धतियों में हर दूसरे वर्ष ऐसे शिक्षकों का प्रशिक्षण।

(iii) माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के मदरसों में वार्षिक अनुरक्षण लागत के साथ विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब आदि का प्रावधान।

(iv) पुस्तकालयों/पुस्तक बैंकों का सुदृढ़ीकरण तथा सभी स्तर के मदरसों को अध्ययन अध्यापन सामग्री प्रदान करना।

(v) संशोधित योजना की अनोखी विशेषता यह है कि यह औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्यायित

केंद्रों के रूप में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के साथ मदरसों की सहलग्नता को प्रोत्साहित करती है, जो ऐसे मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को कक्षा 5, 8 एवं 12 के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने में समर्थ बनाएगी। इससे वे उच्च अध्ययनों में जाने तथा यह सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे कि उनकी गुणवत्ता का स्तर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के समान हो। एनआईओएस को प्रदान किया जाने वाला पंजीकरण एवं परीक्षा शुल्क इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा तथा अध्ययन एवं अध्यापन सामग्रियों का भी प्रयोग किया जाएगा।

(vi) माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए इस योजना के अंतर्गत एनआईओएस सहलग्नता प्रदान की जाएगी।

(vii) योजना की लोकप्रियता तथा मॉनिटरिंग के लिए, राज्य मदरसा बोर्ड निधियां प्रदान करेंगे। भारत सरकार भी पहली बार दो वर्ष के अंदर आवधिक मूल्यांकन संचालित करेगी।

11वीं योजनावधि के लिए एसपीक्यूईएम की संशोधित योजना के लिए 325 करोड़ रूपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष अर्थात 2010–11 में 50 करोड़ रूपए की राशि रखी गई है। 2010–11 के दौरान 854 मदरसों में आधुनिक विषयों के अध्ययन अध्यापन के लिए शिक्षकों के मानदेय, पुस्तक बैंक/विज्ञान किट, कंप्यूटर लैब एवं शिक्षक प्रशिक्षण आदि के लिए राज्यों को 25.02 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास की योजना (आईडीएमआई)

अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के निमित्त निजी सहायताप्राप्त/गैर सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों/संस्थाओं में अवसंरचना में वृद्धि के लिए आईडीएमआई की योजना चालू की गई है। आईडीएमआई योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को औपचारिक शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के निमित्त अल्पसंख्यक संस्थाओं में स्कूल अवसरंचना के सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन के माध्यम से यह योजना अल्पसंख्यकों की शिक्षा में सुविधा प्रदान करेगी।

(ii) योजना के अंतर्गत पूरा देश शामिल होगा किन्तु 20 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों, ब्लॉकों एवं कस्बों में स्थित अल्पसंख्यक संस्थाओं (निजी सहायताप्राप्त/गैर सहायताप्राप्त स्कूल) को वरीयता दी जाएगी।

(iii) अन्य बातों के साथ यह योजना लड़कियों, विशेष जरूरत वाले बच्चों तथा शैक्षिक दृष्टि से अल्पसंख्यकों में सबसे वंचित वर्गों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रोत्साहित करेगी।

(iv) विद्यमान विद्यालय में शैक्षिक अवसंरचना एवं भौतिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना प्रति संस्था अधिकतम 50 लाख रूपए के अधीन 75 प्रतिशत तक निजी सहायताप्राप्त/गैर सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं के अवसंरचना विकास के लिए निधि प्रदान करेगी जिसमें शामिल हैं: (1) अतिरिक्त शिक्षण कक्ष (2) विज्ञान/कंप्यूटर लैब कक्ष (3) पुस्तकालय कक्ष (4) शौचालय (5) पेयजल सुविधाएं और (6) बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों के लिए छात्रावास भवन।

11वीं योजना अवधि के लिए आईडीएमआई की संशोधित योजना के लिए 125 करोड़ रूपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष अर्थात 2010–11 के लिए 10.75 करोड़ रूपए की राशि रखी गई है। 21 अल्पसंख्यक संस्थाओं को प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को 4.97 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है।

उच्चतर शिक्षा

उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय औसत से कम सकल नामांकन अनुपात वाले जिलों में नए उत्कृष्टता संभाव्य कालेज, पॉलिटेक्निक और सामुदायिक पॉलिटेक्निक स्थापित किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय जीईआर से कम जीईआर (सकल नामांकन अनुपात) वाले उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभिचिन्हित 374 पिछड़े जिलों में से प्रत्येक में एक माडल डिग्री कॉलेज खोलने के लिए राज्यों को सहायता की नई योजना के अंतर्गत 11वीं योजना में केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में 782 करोड़ रूपए की राशि रखी गई है। 11वीं योजना की शेष अवधि के दौरान 200 कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

11वीं योजना के अपने प्रस्ताव में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने 11 मॉडल विद्यालयों, 7 पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों, 3 शिक्षक शिक्षा कॉलेजों, 1 फार्मेसी कॉलेज तथा अनुसंधान केंद्र, 1 यूनानी चिकित्सा एवं अनुसंधान तथा अस्पताल कालेज और 1 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल विज्ञान कालेज की परिकल्पना की है।

अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिका छात्रावास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 90 एमसीडी में 11वीं योजना के दौरान 233 महिला छात्रावास संस्वीकृत किया है। 122.78 करोड़ रूपए के आबंटन में से 64.65 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

सामाजिक वहिष्करण एवं समावेशी नीति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक वहिष्करण एवं समावेशी नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केंद्रों की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया है तथा 35 विश्वविद्यालयों में इन केंद्रों को संस्वीकृत किया है। इस प्रयोजनार्थ 11वीं योजना के दौरान 19.12 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय तथा जामिया हमदर्द में "अल्पसंख्यकों, महिलाओं/अजा/अजजा के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी" की स्थापना के लिए 46.31 करोड़ रूपए संस्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान इन अकादमियों को 23.16 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

उर्दू माध्यम के शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए अकादमी

3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद में उर्दू माध्यम के शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए अकादमी स्थापित की गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया स्थित अकादमी ने 1336 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने 2571 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है। एएमयू ने प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए 12 पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं का संचालन किया है जिसमें 230 शिक्षक शामिल हुए। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित स्कूलों एवं कालेजों के प्रधानाचार्यों के पेशेवर विकास के लिए कार्यशाला संचालित करता रहता है।

पॉलिटेक्निक

कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत 'पॉलिटेक्निकों पर उप मिशन' की योजना के तहत, 300 असेवित एवं कम सेवित जिलों में नए पॉलिटेक्निक स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति पॉलिटेक्निक 12.3 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक बहुल 57 जिलों में से 36 जिले पहले ही शामिल किए जा चुके हैं तथा पॉलिटेक्निक स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को 108.66 करोड़ रूपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर का विकास

12

पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर का विकास

पूर्वोत्तर क्षेत्र

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारत सरकार की नीति

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना और बजटीय सहयोग के समर्थन से विशेष जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार के आदेशानुसार, उच्च शिक्षा विभाग ने अपने कुल बजटीय समर्थन (जीबीएस) का 10 प्रतिशत इस क्षेत्र के विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किया है। इसके इस्तेमाल के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत निधि का उपयोग न होने की स्थिति में पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्रालय द्वारा शासित, इस क्षेत्र में विशिष्ट बुनियादी विकास की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए इस निधि को संसाधनों के नान–लैप्सेबल केन्द्रीय पूल (एनएलसीपी) में स्वतः ही स्थानांतरित करने का प्रावधान है।

वर्ष 2007–08 के दौरान राज्यवार कुल संस्थानों की संख्या, नामांकन, कुल नामांकन अनुपात, लिंग समता सूचकांक और शिक्षा पर हुए व्यय का जीडीपी में प्रतिशत (%) पर आधारित वर्णन को नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य	संस्थानों की संख्या		नामांकन		कुल नामांकन अनुपात		लिंग समता सूचकांक		जीडीपी में शिक्षा पर व्यय:
		स्कूली शिक्षा XI-XII	उच्चतर शिक्षा (पी)	स्कूली शिक्षा XI-XII	उच्चतर शिक्षा (पी)	कक्षाएं I-XIII (6–17 (वर्ष)	उच्चतर शिक्षा (18–23 (वर्ष) (पी)	उच्चतर शिक्षा (6–17 (वर्ष)	उच्चतर शिक्षा (18–23 (वर्ष) (पी)	
1.	अरूणाचल प्रदेश	97	25	17577	15397	101.25	12.42	0.90	0.75	8.93
2.	असम	748	563	139140	230735	76.11	7.04	0.99	0.51	5.90
3.	मणिपुर	103	77	24804	24489	111.34	8.00	0.96	0.59	6.49
4.	मेघालय	98	64	11171	36112	116.35	12.90	1.01	0.97	5.23
5.	मिजोरम	82	31	12816	11255	103.84	8.86	0.96	0.99	9.55
6.	नागालैंड	69	72	20634	23002	58.80	7.44	1.02	0.95	लागू नहीं
7	सिक्किम	53	21	6945	10297	86.27	13.55	1.04	.79	11.04
8.	त्रिपुरा	290	32	46993	26808	95.09	6.67	0.98	0.80	5.06
9.	जम्मू एवं कश्मीर	473	251	144225	117897	69.85	9.08	0.89	0.92	3.57

स्रोतः 1. स्कूली शिक्षा के आंकड़े 2007–08 2. उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के आंकड़ों का सार 2007–08 3. बजटीय व्यय का विश्लेषण 2006–07 से 2008–09 तक (पी) अनंतिम

स्कूली शिक्षा

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के विकास को बनाए रखने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का कार्यान्वयन, केन्द्र–राज्य के 90:10 के अनुपात पर आधारित निधियों द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए ₹1797. ₹ 90 करोड़ का बजटीय समर्थन प्रदान किया गया।

सितम्बर, 2010 तक एसएसए की उपलब्धियों में 7198 प्राथमिक स्कूलों का उद्घाटन, 3413 उच्च माध्यमिक स्कूल, 13767 प्राथमिक स्कूली भवनो, 3605 उच्च प्राथमिक स्कूली भवनों, 67475 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण एवं 30765 शौचालयों का निर्माण, 10814 पीने के पानी की सुविधाओं के प्रबंध और 51855 अध्यापकों की नियुक्ति शामिल है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) को साझा आदर्श 90:10 के अनुपात के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2009–10 और 2010–11 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत कुल 302 नए स्कूलों और 1910 स्कूलों के सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	20109–10		20110–11	
		नए स्कूल	सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृत स्कूल	नए स्कूल	सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृत स्कूल
1.	अरुणांचल प्रदेश	0	0	11	100
2.	असम	0	0	0	1158
3.	मणिपुर	44	24	23	0
4.	मेघालय	0	20	25	9
5.	मिजोरम	23	154	32	45
6.	नागालैंड	35	126	67	0
7	सिक्किम	0	61	0	71
8.	त्रिपुरा	0	97	42	45
	योग	**102**	**482**	**200**	**1428**

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में, वर्ष 2009–10 के वार्षिक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 72.75 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई है। 25.03.2011 की स्थिति के अनुसार, 2010–11 के वार्षिक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधियों के लिए ₹ 114.80 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई है।

मॉडल स्कूल योजना

पूर्वोत्तर में इस योजना को भी साझा आदर्श 90:10 के अनुपात के आधार पर लागू किया गया है। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में अब तक 36 मॉडल स्कूलों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, इन स्कूलों में 24 स्कूल असम के, 11 स्कूल नागालैंड के और 1 स्कूल मिजोरम का शामिल है। 25.03.2011 की स्थिति के अनुसार 3 राज्यों को ₹ 47.92 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई है।

जम्मू एवं कश्मीर में सर्व शिक्षा अभियान

जम्मू एवं कश्मीर राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विकास को बल प्रदान करने की दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) को लागू किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में स.शि.अ. कार्यक्रम को लागू करने के लिए (31.12. 2010 तक) बजटीय समर्थन के लिए ₹ 283.48 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई है।

सितम्बर, 2010 तक जम्मू एवं कश्मीर में स.शि.अ. की उपलब्धियों में 7767 प्राथमिक स्कूलों का उद्घाटन, 4271 उच्च प्राथमिक स्कूल, 7679 प्राथमिक स्कूल भवन, 1029 उच्च प्राथमिक स्कूल भवन, 12166 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण और 1928 प्रसाधनों का निर्माण, 1727 पीने के पानी की सुविधाओं का प्रबंध और 30421 अध्यापकों की नियुक्ति शामिल है।

जम्मू एवं कश्मीर

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)

वर्ष 2009–10 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत जम्मू एवं कश्मीर में जिन गतिविधियों को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- 1791 स्कूलों का वार्षिक स्कूल अनुदान
- 1791 स्कूलों का मामूली मरम्मत अनुदान
- 14136 अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण
- 69 नए माध्यमिक स्कूलों की स्थापना
- 79 सरकारी माध्यमिक स्कूलों का सुदृढ़ीकरण

वर्ष 2009–10 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को स्वीकृत गतिविधियों को लागू करने के लिए ₹ 27.13 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई है।

जनवरी 2011 में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा 2010–11 के वार्षिक योजना प्रस्ताव पर विचार किया गया था और निम्नलिखित गतिविधियों को स्वीकृत किया गया था:

(i) 182 नए स्कूल
(ii) 20 भवन रहित स्कूलों का सुदृढ़ीकरण
(iii) अध्यापकों के 2008 पद
(iv) 13555 अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण
(v) 1850 स्कूलों का वार्षिक स्कूल अनुदान
(vi) 1718 स्कूलों का मामूली मरम्मत अनुदान
(vii) सरकारी स्कूलों के दसवीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए स्थानीय भ्रमण यात्रा।

वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत ₹ 7.88 करोड़ की धनराशि गतिविधियों को लागू करने के लिए प्रदान की गई है।

मॉडल स्कूल

वर्तमान में, राज्य सरकार के माध्यम से शैक्षणिक रूप से पिछड़े खण्डों में (ईबीबी) में 35,00 स्कूलों के संघटक की स्थापना प्रचालन में है। जम्मू एवं कश्मीर में 97 ईबीबी हैं। अब तक राज्य में 19 मॉडल स्कूलों को मंजूरी प्रदान की गई है और केन्द्रीय अंश की पहली किश्त ₹ 25.82 करोड़ की धनराशि प्रदान की जा चुकी है।

प्रौढ़ शिक्षा / साक्षर भारत कार्यक्रम वर्ष 2010–11 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता के ब्यौरे

(₹ लाख में)

	साक्षर भारत कार्यक्रम				गैर सरकारी संगठनों को सहायता देने वाली योजनाएं			
राज्य	साक्षरता दर	जिलों की कुल संख्या	साक्षर भारत के अन्तर्गत आने वाले जिलों की संख्या	2010–11 के दौरान केन्द्रीय सहायता राशि	राज्य में जन शिक्षण संस्थानों की संख्या	2010–11 के दौरान केन्द्रीय सहायता राशि	राज्य में राज्य संसाधन केंद्रों की संख्या	2010–11 के दौरान केन्द्रीय सहायता राशि
असम	63.3	23	12	858.08	5	149.85	1	98.35
अरूणाचल प्रदेश	54.3	15	12	487.03	1	30.00	1	55.00
मणिपुर	70.5	9	4	0.00	3	90.00	0	0.00
मेघालय	62.6	7	2	362.02	0	0	1	28.84
मिजोरम	88.8	8	–	0.00	1	0.15	0	0.00
नागालैंड	66.6	8	2	196.26	1	30.00	0	0.00
सिक्किम	68.8	4	2	0.00				
त्रिपुरा	73.2	4	1	0.00	1	27.23	1	22.57
योग		**78**	**36**	**1903.39**	**12**	**327.23**	**4**	**204.76**

II. उपलब्धियाँ

साक्षर भारत कार्यक्रम

अरूणाचल प्रदेश

- इस कार्यक्रम का विस्तार कुल 12 जिलों में है और पूर्वी कामेंग, चांगलंग, पूर्वी सियांग, तावंग, ऊपरी सुबनसीरी तीरप, निचला सुबनसीरी, ऊपरी सियांग, लोहिट, पश्चिमी कामेंग, दीबंग घाटी और पश्चिमी सियांग जिले इस कार्यक्रम के पात्र हैं।
- वर्ष 2009–10 के दौरान इस कार्यक्रम का विस्तार 5 जिलों में रहा, जिनके नाम पूर्वी केमांग, चांगलांग, पूर्वी सियांग, तावंग, ऊपरी सुबनसीरी हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान केन्द्रीय अंश से निर्गत राशि ₹ 403.68 लाख थी।
- वर्ष 2009–10 के दौरान इस कार्यक्रम कर विस्तार 7 जिलों में रहा, जिनके नाम तीरप, निचला सुबनसीरी, ऊपरी सियांग, लोहिट, पश्चिमी केमंग, दीबंग घाटी और पश्चिमी सियांग हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान केन्द्रीय अंश से निर्गत राशि ₹ 487.03 लाख थी।
- राज्य में साक्षर भारत कार्यक्रम को लागू करने के संबंध में इसके कार्यक्षेत्र के कार्मिकों को बैंक के ऑन–लाईन प्राधिकृत प्रारूपों में विभिन्न जानकारी अपलोड करने के साथ–साथ वित्त प्रवाह मैकेनिज्म सहायता प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है और राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की आवधिक समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया है।

- आज की तारीख से मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान ₹ 15 लाख और ₹ 55 लाख की राशि राज्य के एक जन शिक्षण संस्थान और एक राज्य संसाधन केन्द्र को निर्गत की गई है।

असम

- कार्यक्रम का विस्तार कुल 12 जिलों में है और दराम धीमजी, सोनितपुर, कार्बी, अंगलोंग, बोगईगांव, धूर्बी, कोकराझार, बरपेटा, मैरीगांव, हेलाकांडी, गोलपारा और तिनसुखिया जिले इस कार्य के पात्र हैं।
- वर्ष 2009–10 के दौरान इस कार्यक्रम का विस्तार दारांग धीमजी, सोनितपुर, कार्बी, अंगलौंग और बोंगाइगांव में था। वर्ष 2009–10 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय अंश से निर्गत राशि ₹ 144.75 लाख थी।
- वर्ष 2010–11 के दौरान इस कार्यक्रम का विस्तार 7 जिलों में रहा, जिनके नाम तिनसुखिया, कोकराझार, हेलाकांडी, धूर्बी, बारपेटा, गैरीगांव और गोलपारा हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान केन्द्रीय अंश से निर्गत होने वाली ₹ 858.08 लाख की राशि का प्रस्ताव है।
- राज्य में साक्षर भारत कार्यक्रम को लागू करने के संबंध में इसके कार्यक्षेत्र के कार्मिकों को बैंक के ऑन–लाईन प्राधिकृत प्रारूपों में विभिन्न जानकारी अपलोड करने के साथ–साथ वित्त प्रवाह मैकेनिज्म सहायता प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया हैं और राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की आवधिक समीक्षा बैठकों का भी आयोजन किया गया है।
- असम, अरूणांचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम राज्यों में साक्षर भारत कार्यक्रम में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 20 मई, 2010 को गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है।

गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सहायता से संबंधित योजना

- वर्ष 2010–11 के दौरान, राज्य में स्थित 5 जन संस्थानों के लिए ₹ 1.49 करोड़ की राशि निर्गत की गई है और गुवाहाटी में स्थित राज्य संसाधन केंद्र के लिए ₹ 98 लाख की राशि निर्गत की गई हैं।
- गुवाहाटी स्थित राज्य संसाधन केंद्र की श्रेणी का उन्नयन ख से क में किया गया है। इसके बाद, रा.सं.के. की सहायता अनुदान की पात्रता की सीमा में ₹ 70 लाख से ₹ 1 करोड़ की बढ़ोत्तरी हो गई हैं जो 1.04.2010 से लागू मानी जाती है।

मणिपुर

- इस कार्यक्रम का विस्तार कुल 4 जिलों में हैं, जिनके नाम थाउबल, तामेंगलंग, सेनापति, चंडेल है। वर्ष 2009–10 के दौरान मणिपुर के सभी चार जिलों में साक्षर भारत कार्यक्रम की स्थापना की गई थी और वर्ष 2009–10 के दौरान केन्द्रीय अंश से निर्गत राशि ₹ 262.25 लाख थी। वर्ष 2010–11 के दौरान, अभी तक कोई भी राशि निर्गत नहीं की गई है।
- राज्य में साक्षर भारत कार्यक्रम को लागू करने के संबंध में इसके कार्यक्षेत्र के कार्मिकों को बैंक के ऑन–लाईन प्राधिकृत प्रारूपों में विभिन्न जानकारी अपलोड करने के साथ–साथ वित्त प्रवाह मैकेनिज्म सहायता प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है और राज्य में कार्यक्रम में हुई प्रगति की आवधिक समीक्षा बैठकों का भी आयोजन किया गया है।
- वर्ष 2010–11 के दौरान, राज्य में स्थित 3 जन शिक्षण संस्थानों को ₹ 90 लाख की राशि मुहैया कराई गई है। राज्य में कोई भी राज्य संसाधन केन्द्र नहीं है।

मेघालय

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले कुल जिलों की संख्या 2 हैं, जिनके नाम पश्चिमी गारो हिल्स और दक्षिणी गारो हिल्स हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान इन दो जिलों में इस कार्यक्रम का विस्तार रहा है। वर्ष 2010–11 के दौरान केन्द्रीय अंश से निर्गत होने वाली अनुमोदित राशि ₹ 362.02 लाख है।
- मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की साक्षर भारत कार्यक्रम में लगे कार्मिकों को सहायता प्रदान करने के लिए मेघालय के शिलांग में 31 जनवरी– 1 फरवरी, 2011 के दौरान एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- मेघालय के शिलांग में एक राज्य संसाधन केन्द्र है और वर्ष 2010–11 के दौरान इस राज्य संसाधन केन्द्र के लिए ₹ 28.84 लाख की राशि मुहैया कराई गई है। मेघालय में कोई भी जन शिक्षण संस्थान नहीं है।

मिजोरम

- 2010–11 के दौरान, आईजवाल में स्थित जन शिक्षण संस्थान के लिए ₹ 29.96 लाख की राशि मुहैया कराई गई है। राज्य में कोई भी राज्य संसाधन केन्द्र नहीं है।

नागालैंड

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले कुल जिलों की संख्या 2 है, जिनके नाम मॉन और यूनसांग है। 2010–11

में इन दोनों जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया। वर्ष 2010–11 के दौरान केन्द्रीय अंश से निर्गत होने वाली अनुमोदित राशि ₹ 1.96 करोड़ है।

- वर्ष 2010–11 के दौरान दीमापुर के जन शिक्षण संस्थान के लिए ₹ 30 लाख की राशि मुहैया कराई गई है। नागालैंड में कोई भी राज्य संसाधन केन्द्र नहीं है।

त्रिपुरा

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य का केवल ढलाई नामक जिला ही पात्र है और वर्ष 2009–10 के दौरान केन्द्रीय अंश से ₹ 82.68 लाख की राशि निर्गत की गई है। वर्ष 2010–11 में चूंकि राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम को लागू करने के संबध में जानकारी न देने के कारण कोई भी अनुदान प्रदान नहीं किया गया।
- वर्ष 2010–11 के दौरान, अगरतला स्थित जन शिक्षण संस्थान के लिए ₹ 27.23 लाख की राशि मुहैया कराई गई है और त्रिपुरा के अगरतला में स्थित राज्य संसाधन केन्द्र के लिए ₹ 22.57 लाख की राशि निर्गत की गई है।

सिक्किम

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले कुल जिलों की संख्या 2 है, जिनके नाम उत्तरी जिला और पश्चिमी जिला हैं। वर्ष 2009–10 में इस कार्यक्रम का विस्तार इन दोनों जिलों में किया गया है और 2009–10 के दौरान केन्द्रीय अंश से ₹ 62.63 लाख की राशि निर्गत की गई है। चूंकि राज्य सरकार ने वर्ष 2009–10 के दौरान अनुदान के व्यय से संबंधित ब्यौरे का विवरण नहीं दिया है इसलिए वर्ष 2010–11 में कोई अनुदान नहीं दिया गया है।
- राज्य में साक्षर भारत कार्यक्रम को लागू करने के संबध में इसके कार्यक्षेत्र के कार्मिकों को बैंक के ऑन–लाईन प्राधिकृत प्रारूपों में विभिन्न जानकारी अपलोड करने के साथ–साथ वित्त प्रवाह मैकेनिज्म सहायता प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और राज्य में कार्यक्रम में हुई प्रगति की आवधिक समीक्षा बैठकों का भी आयोजन किया गया है।
- सिक्किम राज्य में न तो कोई जन शिक्षण संस्थान है और न ही कोई राज्य संसाधन केन्द्र है।

जम्मू एवं कश्मीर

- 2001 की जनगणना के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 22 जिले हैं। राज्य के 13 जिलों में प्रौढ़ महिला साक्षरता दर 50% या उससे कम है। वर्ष 2010–11 के दूसरे चरण में सभी 13 जिले अनंतनाग, बडगाम, बारामुला, डोडा, कारगिल, कठुआ, कुपवाड़ा, लेह (लद्दाख), पुलवामा, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर और उधमपुर में साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है। इन 13 जिलों के 11,17,347 अनपढ़ों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम की कुल लागत ₹ 73.74 करोड़ है, जिसमें से केन्द्रीय अंश (75:25 के अनुपात से) ₹ 55.31 करोड़ का होगा। ₹ 16.59 करोड़ (30% केन्द्रीय अंश) की राशि की पहली किश्त का मंजूरी पत्र जारी किया जा चुका है।

उच्चतर शिक्षा

योजना आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग को वर्ष 2010–2011 के लिए योजना की कुल लागत ₹ 10996.00 करोड़ को मंजूरी प्रदान की है। इसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ₹ 1078.00 करोड़ की राशि को निर्धारित किया गया है और 23 फरवरी, 2011 को ₹ 706.59 करोड़ की राशि को मुहैया कराने के लिए प्रमाणित किया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतिम छः वर्षों में निधियों के आबंटन/निर्मुक्त का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूर्वोत्तर क्षेत्र (आरई) को आवंटित राशि	निर्मुक्त राशि
2004–05	212.42	212.30
2005–06	250.00	250.40
2006–07	353.93	279.10
2007–08	320.30	298.58
2008–09	679.99	577.50
2009–10	796.00	721.35

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

पूर्वोत्तर क्षेत्र में नौ केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनके नाम असम विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, मिजोरम विश्वविद्यालय, नार्थ–ईस्ट हिल विश्वविद्यालय (नेहु), मणिपुर विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय, राजीव गाँधी विश्वविद्यालय (अरूणाचल प्रदेश), त्रिपुरा विश्वविद्यालय और सिक्किम विश्वविद्यालय हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को नए आयाम देने के लिए एक इंजीनियरिंग और एक प्रबंधन स्कूल की स्थापना की गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को नए आयाम देने के लिए 5 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग

की संकाय और 3 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रबंधन संकाय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा तीन राज्यों में जहाँ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की व्यवस्था नहीं है, वहां भी इंजीनियरिंग संकाय के साथ–साथ प्रबंधन संकाय की भी व्यवस्था की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामान्यतः आयोजित/गैर आयोजित अनुदान नए विश्वविद्यालयों की शुरूवात से या इन विश्वविद्यालयों के विशेष विकास के लिए यूजीसी के उपलब्ध दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रदान किए जा रहे हैं।

30.11.2010 की यथास्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदान और उसके व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	11वीं योजना में प्रदत्त अनुदान					11वीं योजना में प्रदत्त अनुदान से किए खर्च				
		सामान्य विकास अनुदान	सविलयन योजना	गैर पीएच.डी., नेट और एम.फिल के लिए फैलोशिप	अ.पि.व.	कुल	सामान्य विकास अनुदान	संविलयन योजना	गैर पीएच डी., नेट और एम. फिल के लिए फैलोशिप	अ.पि.व.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	नार्थ–ईस्टर्न हिल्स विश्वविद्यालय	8390.85	517.50	474.36	0.00	9382.71	7733.23	96.65	311.32	0.00	8141.20
2.	असम विश्वविद्यालय	5231.90	200.00	765.00	5111.00	11007.90	4475.59	125.27	468.12	4084.77	9193.75
3.	तेजपुर विश्वविद्यालय	9794.47	350.00	220.00	5957.00	16321.47	5811.34	273.03	141.41	5347.92	15573.70
4.	नागालैंड विश्वविद्यालय	4400.00	275.00	25.00	0.00	4700.00	2221.46	29.94	15.99	0.00	2268.39
5.	मिजोरम विश्वविद्यालय	13607.13	400.00	87.00	0.00	14094.13	10916.84	308.39	53.38	0.00	11278.61
6.	मणिपुर विश्वविद्यालय	7007.72	272.35	532.75	500.00	8312.82	7422.13	219.30	607.52	543.60	8792.55
7.	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय	2500.00	250.00	50.00	0.00	2800.00	1274.30	96.17	57.71	0.00	1428.18
8.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	5883.80	300.00	100.00	0.00	6283.80	4560.83	132.71	79.46	0.00	4773.00
9.	सिक्किम विश्वविद्यालय	4275.00	183.00	0.00	0.00	4458.00	1815.07	0.00	0.00	0.00	1815.07
	योग	**61090.87**	**2747.85**	**1954.11**	**11568.00**	**77360.83**	**50230.79**	**1281.46**	**1734.91**	**9976.29**	**63223.45**

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 44 मॉडल डिग्री कालेजों की स्थापना

संपूर्ण देश में 374 नए डिग्री कालेजों की स्थापना की जानी है और जिन जिलों में कुल नामांकन अनुपात (जीईआर) राष्ट्रीय अनुपात से नीचे हैं, वहां पर एक कालेज खोला जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसे 44 कालेजों की स्थापना की जाएगी बशर्ते कि उसे सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त हो, राज्य नियंत्रित विशेष श्रेणियों की 1/2 लागत जो कि ₹ 4.00 करोड़ है, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और शेष राशि की व्यवस्था संबंधित राज्य अपने दूसरे साझीदारों के साथ मिलकर करेगा।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में इग्नू ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षण (ओडीएल) संस्थाओं के केन्द्रों और क्षेत्रीय केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित कर दिया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) इग्नू व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (आईआईवीईटी), शिलांग

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न योग्यता वाले साक्षर नौजवानों के प्रशिक्षण के लिए लाभ वाले रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी करने और आवश्यकता आधारित व्यावसायिक कार्यक्रमों की पहचान और विकास के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई हैं। यह संस्थान व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण के साथ देशी और तकनीकी ज्ञान के कार्यक्रम चलाता है। तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा के ये कार्यक्रम राजमिस्त्री, प्लास्टिक इंजिनीयरिंग और तकनीक, घरेलू सामान की मरम्मत, स्वयं ही कंप्यूटर तैयार करना, बिजली के तार बिछाना, फैशन डिजाइनिंग और अन्तः सज्जा के क्षेत्र में चलाए जाते हैं। सामान्य व्यावसायिक कार्यक्रमों में संचारण, कंप्यूटर साक्षरता और बहुमुखी विकास के कार्यक्रम शामिल हैं। मेघालय की जैंतिया पहाड़ियों के किसानों के लिए लकदोंग हल्दी की फसल के उत्पादन की तकनीक और ज्ञान के कार्यक्रम, श्रवण अक्षमता के क्षेत्र में जमीनी स्तर से श्रवण तकनीकों के कार्यक्रम, असम की बुनकर महिलाओं के लिए प्राकृतिक डाई का प्रयोग, शिक्षण और कला क्षेत्र में रंगमंच और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को निश्चित करना, स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेदिक उपचार और जीवन यापन के लिए देशी संगीत के कार्यक्रम इस संस्था द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

(ii) पूर्वोत्तर अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एनईसीआरडी), गुवाहाटी

इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र की स्थापना की गई है। केन्द्र का दायित्व स्थानीय नीति, शिक्षण एवं विकास केन्द्रों, गैर सरकारी संगठनों व अन्य अनुसंधान संगठनों और विश्वविद्यालय के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विश्वविद्यालय की गतिविधियों के प्रचार में सहायता करने की दृष्टि से सभाओं/कार्यशाला और अनुसंधान कार्यक्रमों का आयोजन करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधानकर्ता चाहे वो किसी दूसरे प्रदेश से ही क्यों न हों, अध्यापन और अनुसंधान कार्य में सहायता देने के लिए पूर्णकालिक सहचर्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़े अनुसंधानकर्ताओं को उन्नत अध्ययन और शिक्षण के अवसरों को प्रदान करने वाले सभी छोटी–बड़ी योजनाओं को केन्द्र धन मुहैया कराता है। इस केन्द्र को भौतिकी अनुसंधान के लिए खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र के साथ साझा किया गया है। केन्द्र अनुसंधान कार्यप्रणाली और सामाजिक विज्ञान की सांख्यिकीय पद्धति के कार्यक्रम और कार्यशाला के प्राथमिक क्षेत्रों के आधार पर 'सी' प्रोग्रामिंग और अनुवादी की परामर्शी बैठकों द्वारा विकास को सुदृढ़ करना है। यह केन्द्र तेजपुर विश्वविद्यालय, ऊर्जा विभाग के सहयोग से नवीकरणीय ऊर्जा और शासन के विकास में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना है। अन्य कार्यक्रमों में आजीविका का चुनाव एवं आवासीय उपेयाग, विकास के संकल्प और परिप्रक्ष्य और आरटीए बैठक के साथ देशी तकनीक पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना है।

(iii) ओडीएल (आईआईपीसीएटी), गुवाहाटी के माध्यम से शिक्षकों की व्यावसायिक सक्षमता उन्नति के लिए इग्नू संस्थान

पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ओडीएल के माध्यम से बहु–मीडिया तकनीक का प्रयोग करते हुए अप्रशिक्षित और सेवाकालीन अध्यापकों को लगातार प्रशिक्षित करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई है। यह संस्थान यूनिसेफ द्वारा समर्थित शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के संदर्भ में ओडीएल मॉड्यूल के माध्यम से असम के मदरसों के अध्यापकों के लिए अभिविन्यासमुखी कार्यक्रमों और प्राथमिक स्तर की प्रशिक्षण की रणनीति की कार्यशालाओं का आयोजन करती है।

(iv) कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण ओडीएल इग्नू केन्द्र (आईसीआरटीए), अगरतला

इस केन्द्र की स्थापना विभिन्न स्थानों के अन्तर्गत कृषि उत्पादन और अनुसंधान कार्यों के प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि के विभिन्न क्षेत्रों की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए की गई है। इस केन्द्र के अन्य कार्यों में सामाजिक–आर्थिक पहलुओं का अध्ययन, किसानों के ज्ञान वर्धन के लिए चुनौतियों को दूर करना, कृषि क्षेत्र में दूरसंचार तकनीक का प्रयोग कर कार्ययोजना तैयार करना, अनुसंधान प्रगति के लिए योग्यता की क्षमता तैयार करना, कृषि और प्रायोगिक सेक्टरों में ओडीएल व्यवस्था के माध्यम से पेशेवर लोगों तक पहुंच बनाना है। वर्तमान में आईसीआरटीए असम, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा के किसानों, इन प्रदेशों के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन

केन्द्रीय सरकार ने शिक्षण और सूचना एवं संचार तकनीक से सीखने की प्रक्रिया को समर्थ बनाने के लिए "सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन" नामक योजना को मंजूरी प्रदान की है। मिशन ने इंटरनेट के माध्यम से संस्थानों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए कभी भी कहीं भी के आधार पर उच्च शिक्षा मुहैया कराने की परिकल्पना की है। इसका उद्देश्य ब्राडबैंड की सम्बद्धता सभी संस्थानों में यहां तक कि दूरस्थ संस्थानों तक कराने की है, जिससे कि उच्च शिक्षा में इसके प्रयोग से अध्यापकों को बल मिल सके साथ ही उच्च शिक्षा के अनुसंधानों में नए आयामों की खोज को बढ़ावा मिल सके।

इस योजना के तहत ₹ 130 लाख की अनुदान सहायता को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। यह राशि राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, गुवाहाटी को उसके द्वारा चलाई जा रही महायोजना "भारतीय श्रवण अक्षम छात्रों की भारतीय चिह्नित भाषा का विकास" के लिए प्रदान की गई है। वर्ष 2010–11 के वित्त वर्ष के दौरान ₹ 65.00 लाख की दूसरी किश्त को राष्ट्रीय तकनीक संस्थान, गुवाहाटी को प्रदान की गई है।

नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी)

वर्ष 2010–11 के दौरान, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत ने अपनी विशेष योजना जिसका नाम है "पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजना का विकास (डीपीएनईआर)" के तहत अनेक पुस्तकों को बढ़ावा दिया है। पुस्तक प्रकाशन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और पुस्तकों के विमोचन द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुस्तकों को बढ़ावा दिया गया है। इस योजना में उत्तरी लखीमपुर का पुस्तक महोत्सव और धुब्री, बरपेटा, नौगांव, गोलाघाट और उत्तरी लखीमपुर की मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनी, इम्फाल का अध्ययन महोत्सव, गंगटोक और अगरतला का पुस्तक प्रकाशन का प्रशिक्षण कार्यक्रम और शिलांग में रमणिक गुप्ता द्वारा संकलित और संपादित 'पूर्वोत्तर की आदिवासी कहानियाँ' शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन शामिल हैं।

पुस्तक संवर्धन एवं प्रतिलिप्याधिकार

इस खंड के तहत बौद्धिक सम्पदा शिक्षा, अनुसंधान और सार्वजनिक पहुंच (आईपीईआरपीओ) योजना को प्रचालित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत आंवटित ब.अ. एवं सं.अ. कुल ₹ 3 करोड़ की राशि में से कुल बजट का 10% है, जो कि लगभग ₹ 29 लाख है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है।

₹ 29 लाख की राशि को पूर्णतः तेजपुर विश्वविद्यालय को वितरित किया गया है। उपर्युक्त योजना के अधीन आईपीआर गतिविधियों के अनुपालन के लिए नाप्पम, असम में प्रधान कार्यालय की स्थापना की गई है।

तकनीकी शिक्षा

पूर्वोत्तर क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा का ध्यान रखने के लिए अनेकों केन्द्रीय तकनीकी संस्थान हैं, जैसे (i) भारतीय तकनीकी संस्थान, गुवाहाटी, असम; (ii) राजीव गाँधी भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आरजीआईआईएम), शिलांग, मेघालय; (iii) राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान (एनआईटी), सिलचर, असम; (iv) राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान (एनआईटी), अगरतला, त्रिपुरा; (v) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश; और (vi) केन्द्रीय तकनीकी संस्थान (सीआईटी), कोकराझार, असम।

पूर्वोत्तर में नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) की स्थापना

सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से देश में 20 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का निर्णय लिया है। इन संस्थानों की स्थापना पर होने वाले पूंजीगत खर्च का वहन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा उद्योग द्वारा 50 : 35 : 15 अनुपात में किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु अनुपात 57.5 : 35 : 7.5 होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)

11वीं पंचवर्षीय योजना में 10 नए एनआईटी स्थापित करने का प्रावधान है ताकि सभी प्रमुख राज्यों / संघ राज्यों क्षेत्रों में एक–एक एनआईटी हो सके। तदनुसार (1) अरूणाचल प्रदेश (2) मणिपुर (3) मेघालय (4) मिजोरम (5) नागालैंड (6) सिक्किम और (7) गोवा (जो संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्ष्यद्वीप की भी आवश्यकताएं पूरा करेगा), (8) पुड्डुचेरी (जो संघ राज्य क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की भी आवश्यकता पूरी करेगा), (9) दिल्ली (जो संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की भी आवश्यकता पूरी करेगा) और (10) उत्तराखंड के लिए नए एनआईटी चालू किए गए हैं। इन 10 नए एनआईटी का पहला शैक्षिक सत्र प्रत्येक एनआईटी के लिए 90 छात्रों की

अनुमोदित वार्षिक दाखिला क्षमता के साथ चालू शैक्षिक वर्ष से शुरू हो गया है। इन 10 नए एनआईटी के लिए वित्त वर्ष के दौरान 60 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया है।

नए पॉलिटेक्निकों की स्थापना

देश के लाभांवित और कम लाभांवित जिलों में 1000 पॉलिटेक्निकों की स्थापना का प्रस्ताव है। 1000 पॉलिटेक्निकों में 300 पॉलिटेक्निकों की स्थापना केन्द्रीय सरकार के ₹ 12.30 करोड़ की वित्तीय सहायता से 300 जिलों में की जाएगी। इन सभी जिलों को ₹ 12.30 करोड़ की वित्तीय सहायता इस शर्त पर प्रदान की जाएगी कि राज्य सरकार निःशुल्क भूमि प्रदान करे और साथ ही 100% आवर्ती खर्चों का वहन करे। 300 पॉलिटेक्निकों में से 66 पॉलिटेक्निकों की स्थापना पू0क्षे0 में की जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के 27 जिलों में नए पॉलिटेक्निकों की स्थापना के लिए ₹ 60 करोड़ की वित्तीय सहायता पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

भाषा विकास

पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा और हिन्दी के विकास की विभिन्न योजनाओं के विकास के लिए मंत्रालय और उसके भाषा संस्थाओं द्वारा विशेष कदम उठाए गए हैं।

महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा जनवरी, 1987 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी, जो कि संस्थाओं के पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत है। इसके उद्देश्य हैं: (क) वैदिक अध्ययनों की मौखिक परम्परा का परिरक्षण, संरक्षण और विकास करना, (ख) वेदों का अध्यन पाठ्यशालाओं और संस्थाओं के माध्यम से किया जाना, (ग) समकालीन आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए वेदों के अपार ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए अनुसंधान की सुविधाओं का सृजन और बढ़ोतरी करना और संबंद्ध विषयवस्तु की जानकारी का संग्रहण करना, दूसरे माध्यमों के द्वारा प्रकाशन और प्रचार करने के लिए आधारभूत सुविधाओं का सृजन करना। वर्ष 2010–11 के दौरान पू0 क्षेत्र में संस्थान द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रम और गतिविधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वैदिक ज्ञान का प्रचार

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषकर असम राज्य में वैदिक अध्ययन के व्यापक प्रसार के लिए गोलाघाट (असम) में एक क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन का गठन किया गया है। उपर्युक्त क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रतिष्ठान के नियमानुसार सभी संगठनों को प्रदान, उसमें बढ़ोत्तरी की जा रही है।

असम, सिक्किम और त्रिपुरा में वेद विद्यालयों और गुरूकुलों की स्थापना

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निम्नलिखित वेद विद्यालय और गुरू शिष्य परम्परा यूनिटें कार्यरत हैं, जिनको वित्तीय सहायत म.सं.रा.वे.प्र. के नियमानुसार प्रदान की गई है–

(i) गुवाहाटी (असम) में एक वैदिक पाठशाला

(ii) अगरतला (त्रिपुरा) में एक वैदिक पाठशाला

(iii) सोनितपुर (असम) में एक वैदिक पाठशाला

(iv) सिक्किम में एक गुरूशिष्य परम्परा

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (आरएसकेएस), नई दिल्ली

देश और विदेश में संस्कृत भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देने की दृष्टि से संस्कृत भाषा के साहित्य और शास्त्रों की परम्परा का प्रचार और परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना अक्टूबर, 1970 में की गई थी। इसका प्रमुख कार्यालय दिल्ली में स्थित है। यह एक स्वायत्त संगठन है जो कि संस्था अधिनियम के अंर्तगत पंजीकृत है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का मुख्य उद्देश्य संस्कृत के अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ इसका प्रचार और विकास करना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में संस्थान, संस्कृत संगठनों के स्वैच्छिक अध्यापकों को वेतन प्रदान करने के साथ ही छात्रवृत्ति, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों को भुगतान, विभिन्न सेमीनारों का आयोजन, राष्ट्रीय संस्कृत ड्रामा/उत्सवों के लिए भी वित्त सहायता प्रदान कर रहा है। अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण के 105 केन्द्रों के लिए ₹ 24.88 लाख की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 994 छात्रों में ₹ 30.18 लाख की राशि का वितरण किया गया है। संस्कृत शिक्षण के विकास की योजनाओं के अर्न्तगत संस्कृत के 91 अध्यापकों और 34 आधुनिक अध्यापकों को ₹ 90 लाख की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। राधा माधव संस्कृत महाविद्यालय, नांबोल, मणिपुर ने जयदेव पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया गया था, जिसका खर्च राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा वहन किया गया था। इस उद्देश्य के लिए ₹ 10.00 लाख की राशि को मंजूरी प्रदान की गई है।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केएचएस), आगरा

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान प्रायोगिक हिन्दी भाषा विज्ञान और क्रियात्मक हिन्दी के शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त एक विकसित केन्द्र है। पूर्वोत्तर राज्यों में इसके आठ मुख्यालयों सहित गुवाहाटी, शिलांग, दीमापुर सहित आठ क्षेत्रीय केन्द्र हैं। पोषक क्षेत्रों में, ये केन्द्र अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ ही हिन्दी के प्रशिक्षुओं के लिए आवश्यकतानुसार भाषाविज्ञान के तुलनात्मक अनुसंधान की अनुदेशात्मक विषयवस्तु तैयार करते है। इसके अतिरिक्त संस्थान ने चार महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की है, जिसका संचालन क्रमशः नागालैंड, मिजोरम, असम, कर्नाटक द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2010–11 के सत्र के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में संस्थान का योजनावार निष्पादन नीचे दिया गया है–

1. दीमापुर में हिन्दी शिक्षण प्रवीन (बीटीसी के समकक्ष) कार्यक्रम का आयोजन – कुल 11 छात्र
2. दीमापुर केन्द्र में हिन्दी शिक्षण विशेष गहन (पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के प्राथमिक विद्यालयों में गैर अर्हता प्राप्त लोगों के लिए) कार्यक्रम का आयोजन – कुल 15 छात्र
3. नागालैड में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्सः नागालैंड से कुल 40 छात्र
4. नागालैंड, मिजोरम, असम और कर्नाटक के सम्बद्ध महाविद्यालय जहां संस्थान के कुछ पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जा रहा है।

हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, आईजवाल, मिजोरम (एमएचटीटीआई) संस्थान के तीन कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है (i) हिन्दी शिक्षण पारंगत (ii) हिन्दी शिक्षण प्रवीण (iii) हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, दो वर्षीय डिप्लोमा (एचटीटीआई) दीमापुर में दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। सम्बद्ध राज्यों के छात्रों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सरकारी हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय (एचटीटीसी), गुवाहाटी हिन्दी शिक्षण पारंगत पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन गुवाहाटी में और एक क्षेत्रीय सेमीनार, जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन शिलांग में किया जाना है।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीआईआईएल मैसूर विभिन्न आदिवासी भाषाओं के लिए कार्यरत है। यह संस्थान आदिवासी समूहों के सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्प है। स्थानीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए, यह संस्था मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। पू.क्षे. और जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में इस संस्था के क्षेत्रीय भाषा कार्यालय ने निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया है:–

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय भाषा केन्द्र (एनईआरएलसी), गुवाहाटी में क्षेत्र की चार अनुसूचित असमिया, बोडो, गणिपुरी और नेपाली भाषाओं को विभिन्न राज्यों के प्रतिनियुक्त अध्यापकों, अनुसंधानकर्ताओं और विद्यालयों के संभावित अध्यापकों को सिखायी जा रही है। प्रत्येक वर्ष जुलाई से अप्रैल तक 10 महीने का अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसे भाषा का प्रशिक्षण कार्यक्रम कहते हैं। वर्ष 2010–11 में एनईआरएलसी ने 47 अध्यापकों और अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जिसमें 8 संसाधन व्यक्तियों की सेवाएं ली गई। (असमिया में 5 प्रशिक्षु, बोडो में 15, मणिपुरी में 14 और नेपाली में 13 प्रशिक्षु)।

डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के सहयोग से असम में चाय बगानों की जनजाति द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भाषा के विभिन्न पहलुओं पर केन्द्र ने एक सेमीनार का आयोजन करने के साथ ही बोडो भाषा में एक अभिविन्यास कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। ₹ 1.05 करोड़ के वार्षिक बजट (केन्द्र से) से ₹ 0.61 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भाषा विकास कार्यक्रम (एनईएलडी) के अन्तर्गत समुदायों की सक्रिय भूमिका शामिल रही है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में पूर्वोत्तर की 32 मातृभाषाओं में 36 जनजाति संसाधन व्यक्ति कार्यरत हैं। कार्यक्रम में शामिल कुछ भाषाएं हैं– अदि, आइमोल, अंगायी, ओ, अपतनि, बेट, चिरू, दिमासा, गालो, मार, खम्पटी, लियांगमे, माओ, मिसिंग, मोनसैंग, नोक्टे, निशि, फोम, रोंगमेई, सुते, टेंगहुल, थांगल, जो, कोरो, खेजा, जीमे, यिमचुंगरे, पोचुरी, चोकटी, खेमनुगम, संगटन, चांग, कुकी, सुमी (सीमा), लोधा, कोन्यक।

- इस वर्ष पूर्वोत्तर की 25 भाषाओं वाली शब्दावली के निर्माण (नागालैंड की 16 भाषाएं) के लिए कार्यशाला को शुरू किया गया था।
- हिन्दी – अंग्रेजी – लेपचा, नेपाली – हिन्दी – अंग्रेजी त्रिभाषिक शब्दावली का कार्य पूर्ण हो गया है। नेपाली एकभाषिक शब्दावली और हिन्दी–अंग्रेजी–तामंग शब्दावली का कार्य प्रगति पर है।

- पूर्वोत्तर भारत की पांच जनजातियों की सामजिक–सांस्कृतिक अनुसंधान के लिए समुदायों की अका, खेजा, चोकरी, मार, मारिंग पांच भाषाओं को शामिल किया गया है।
- लिंग आधारित अध्ययनों के लिए चखेसंग में स्त्री परम्परा को जानने के लिए एक अध्ययन किया और इसे इस वर्ष भी जारी रखा जाएगा।

पिछले वर्ष लाई और हाराओबा की उत्पत्ति से संबंधित एक अनुसंधान परियोजना (मणिपुर की मेटिस और जनजातियों के मध्य संबंध) शुरू की गई, जो इस वर्ष भी जारी रहेगी।

- इस वर्ष मणिपुरी उपनाम (मणिपुर) के संबंध में एक अध्ययन किया गया है।

भाषा मंदाकिनीः पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्साहजनक अनुक्रिया के परिणामस्वरूप आइजवाल, मिजोरम में कहानी लेखन और सृजन के 4 अभिविन्यास कार्यक्रमों का इस वर्ष आयोजन किया गया था।

बोली विज्ञान केन्द्रः वर्ष 2001 में तत्कालीन स्वनिक प्रयोगशाला को सेवा देने वाली एक यूनिट के रूप में बोली विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई थी। यह केन्द्र बोली विज्ञान आंकड़ों के एकत्रीकरण, विश्लेषण और वर्णन के क्षेत्र में कार्यरत है। यह केन्द्र सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के बहुत से लोगों को उनके आग्रह पर प्रशिक्षण प्रदान करता हैं। यह केन्द्र फोरेनसिक विज्ञान के संबंध में जैसे वाणी का मिलान, वाणी की पहचान इत्यादि से संबंधित विभिन्न सरकारी अन्वेषण अभिकरणों को परामर्श प्रदान करता है। इस यूनिट ने निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

जनजातीय भाषाओं के आंकड़ों का एकत्रीकरण

मणिपुर : कूकी समूह – पुरम, कोम, एमोल एवं चीरू

नागा समूह : मेरिंग, खोइबू, छोटे, मेरिंग, लैमकंग, मोनसंग, मोएन, काबुइ, अनल, ताराओ एवं इनपुइ और अन्य –सेनमई एन्द्रो, मोएरंग एवं हाऐंग

त्रिपुरा : कोकबोर्क के बोली विज्ञान और लय के विश्लेषण के लिए आंकड़ों को एकत्र किया गया है।

मेघालय : खासी उपभाषा सर्वेक्षण – चरण–1 में एकत्र किए गए वाणी विज्ञान के अभ्यंतर भिन्नता की पहचान के आंकड़ों से संबंधित सर्वेक्षण का चरण–2 भी शुरू किया गया है। खासी के वाणी विज्ञान और लय के आंकड़ों को विश्लेषण के लिए एकत्र किया गया है।

असम : निम्नलिखित भाषाओं के वाणी विज्ञान और लय के विश्लेषण के लिए आंकड़ों को इमने एकत्र किया हैं– एमोल, रोंगमे, रियांग, दिमासा एवं रभा।

संतुलित वाणी विज्ञान के मेल से ही ध्वनि व्यवस्था को स्पष्ट करता है।

मणिपुर : निम्नलिखित भाषाओं की विस्तृत रिकोर्डिंग उनके पूर्ण वाणी विज्ञान विश्लेषण के लिए की गई – चिरू, इमपूई, काबूई, लैमंग, मैरिंग, मोनसैंग, मोयोन, पूरूम।

नागालैंड : 1. मात्रभाषा शिक्षण राज्य की सभी 17 भाषाओं में 3 महीने की अवधि का प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया

2. केएचएस प्रशिक्षुओं के लिए बहुभाषिक शिक्षण प्रशिक्षण।

जनजातीय एवं समाप्तप्रायः भाषा केन्द्र

यह केन्द्र भारत में जनजातीय भाषाओं सहित समाप्त प्रायः भाषाओं/मातृ भाषाओं के प्रलेखन उनके विवरण अनुरक्षण और विकास के क्षेत्र में कार्यरत है। जनजातीय भाषाओं/मातृ भाषाओं की स्थिति से संबंधित स्वेत पत्र तैयार करने के लिए निम्नलिखित राज्यों का सर्वेक्षण किया गया है–

त्रिपुरा : इस कार्यक्रम के अर्न्तगत निम्नलिखित मुख्य रूप से 8 कोकबोरक समूह और हालम समूह–(केरबोंग, बोंगचेर, रंगखुआल, मोलसोम) – मोग, रियांग/ब्रु, उचा और चायमल को शामिल किया गया है। कोकबोरक साहित्य सभा, अगरतला के सहयोग से कोकबोरक/अंग्रेजी/हिन्दी/ बंगाली शब्दावली का संकलन किया जा रहा है। लगभग 7500 प्रविष्टियां शब्दावली में समाहित कर दी गई हैं। 31 मार्च, 2011 की समाप्ति तक इस शब्दावली के पूर्ण होने की आशा है। बोंगचेर और कोरबोंग की दोनों भाषाएं जो कि लगभग मृत प्रायः हैं, का अध्ययन किया गया। बोंगचेर भाषा के वाणी विज्ञान का मसौदा तैयार कर लिया गया है।

मणिपुर : इस कार्यक्रम के अर्न्तगत उन भाषाओं/मातृ भाषाओं पर जोर दिया गया है जो कि यूनेस्कों की विलोपन सूची में शामिल हैं–आइमोल, ताराओ, आन्द्रो एवं सैंगामाए और कुछ भाषाएं जो कि एटलस में भी नहीं हैं, उनके नाम मैरिंग, मोयोन, लैमकैंग, खोएबू हैं। मैरिंग, पूरूम, इनपुई एवं काबूई की चित्रित शब्दावली का निर्माण निम्नलिखित भाषाओं में किया गया है– चिरू।

मिजोरम : जनजातिय भाषाओं/मातृ भाषाओं की स्थिति से संबंधित स्वेत पत्र तैयार करने के लिए मिजोरम राज्य का सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के अर्न्तगत आने वाले

निम्नलिखित बोली समुदाय शामिल हैं– चकमा, दिमासा (कचारी), गारो, हजोंग, मार, खासी और जैनतिया (खासी, सिनतैंग, यानार, वार, भी, या लिंगनाम सहित)।

अन्य कूकी जनजातियों सहित बेट या बेटे, चैंगसेन, चोनलोए, दाऊंगेल, गामलहू, गैंगटे, गाइट, हानेंग, हाऊंकिप या हाओपिट, हाओले, हैंगना, हांगशुंग, रैंगख्वाल या रंगखोल, जोंगबे, नावचुंग, नाथलैंग या खोथालौंग, खेलमा, खोलहाऊ, किपजेन, कुकि, लैंथैंग, लैंगम, लाऊजिम, हाऊवम, यूफेंग, मेंगजल, मिस्साओ, रियांग, सियारहेम, सैलनेम, सिंगसौन, सिटहाऊ, सूक्ते, थाडो, घैंगनू, यूबू, वाइफे, लाखेर, मन (ताई बोलने वाले), अन्य मिजो (लुशाई) जनजाति, मिकिर, अन्य नागा जनजाति, पावी, सितैंग, पैटे।

मेघालयः मेघालय में, पूर्वोत्तर राज्यों की मात्र भाषाओं से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, इस कार्यशाला में खासी और जैतिया बोलने वालों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता प्रदान की।

अक्टूबर, 2010 को शिलांग में भारत–तिब्बत मिलाप के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित 23 भाषाओं के वाणी विज्ञान के मेल का विश्लेषण किया गया – खोयबु, छोथे, खरम, इनपुई, दिमासा, थाडु, रबहा, मोनसेंग, मोयोन, रोंगमई/काबुई, चिरू, ताराओ, पुरुम, कोयरंग, लैमकंग, नियांगमई, आओ, टेडिमचिन, वाइफे, थंगल, मैरिंग, कोम मैटेई। अक्टूबर, 2010 को, शिलांग में प्राकृतिक भाषाओं के स्थानिक और अल्पकालिक उच्चारण से संबंधित एक राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 12 लेख प्रस्तुत किए गए।

कोष रचना, मौलिक लेखन एवं लोक साहित्य अध्ययन केन्द्र

(क) कोष रचनाः भारतीय भाषाओं में शब्दावली, हिन्दी–अंग्रेजी–लेप्चा भाषाओं में कार्यशाला को पूरा किया गया। नेपाली–अंग्रेजी–हिन्दी शब्दावली का कार्य पूरा किया गया। एक भाषिक नेपाली कार्य एवं हिन्दी–अंग्रेजी–तामंग का कार्य जारी है।

(ख) लोक साहित्य यूनिट : लोक साहित्य किसी भी साहित्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोक साहित्य के द्वारा ही किसी भी भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं का पता चलता है। यह यूनिट इन क्षेत्रों में प्रयासरत है। सीआईआईएल के समर्थन से कोहिमा, नागालैंड में इस वर्ष दिसम्बर, 2010 को लोक साहित्य महा सम्मेलन का आयोजन किया गया।

योजनाएं

भारतीय भाषाओं के लिए भाषाई आंकड़ा परिसंघ (एलडीसी–आईएल)

क : पूर्वोत्तर की निम्नलिखित भाषाओं का शब्दों की भाषा तकनीक के उद्देश्य से एक–भाषिक पाठ का एलडीसी–आईएल तैयार कर लिया गया है।

क्र.सं.	भाषाएं	2010–11 की 31.12.10 की यथास्थिति	कुल योग
1.	असमी	2,348,131	3,869,289
2.	बोडो	23,814	535,159
3.	मणिपुरी	407,429	1,789,843
4.	नेपाली	3,977,924	6,542,666

ख : तुलनात्मक कारपोरा पाठ

अंग्रेजी–नेपाली	गिने गए शब्द –2,63,256 – 2,02,157

ग. लैक्स टैग सेट (लिखे गए शब्द)				घ. पोस टैगिंग संपादित			
1.	असमी	शब्द	7,253	1	असमी	कुल शब्द	85,390
2.	बोडो	शब्द	6,822	2	बोडो	कुल शब्द	83,453
3.	मणिपुरी	शब्द	2,754	3	मणिपुरी	कुल शब्द	83,439
4.	नेपाली	शब्द	7,719				86,616

	ङ अक्सर प्रकाशित शब्दावली		द. संपादित बोली आंकड़ा कार्यक्षेत्र–पूर्ण	
1	असमी	1	असमी	450
2	बोडो	2	बोडो	411
3	मणिपुरी	3	मणिपुरी	443
4	नेपाली	4	नेपाली	450

2010–11 के दौरान आयोजित किए गए/होने वाले कार्यक्रमों की सूची

(दिसम्बर 2010 तक संचालित चालू वर्श के कार्यक्रम तथा 31 मार्च 2010 तक प्रस्तावित कार्यक्रम)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	आयोजन	
		दिनांक	स्थल/ राज्य
1.	भाषाओं के वाड्मय परिमार्जन, कार्यषाला – नेपाली एवं असम	जून–जुलाई, 2010	सीआईआईएल, मैसूर
2.	4 भाषाओं के वाड्मय परिमार्जन, कार्यषाला – मणिपुरी	जुलाई, 2010	सीआईआईएल, मैसूर
3.	भाषाओं/बोली के कार्यक्षेत्रों का आंकड़ा/पाठ संचयन – मणिपुरी, नेपाली	जुलाई–अगस्त, 2010	मणिपुर, दार्जिलिंग
4.	मणिपुरी धुन पर कार्यषाला	2–6 अगस्त, 2010	इम्फाल, मणिपुर, असम
5.	4 भाषाओं / बोली के कार्यक्षेत्रों के आंकड़े/ पाठ संचयन – बोडो, असमिया और मणिपुरी	अगस्त–सितम्बर, 2010	मणिपुर
6.	विससैप – 2011 का प्रायोजन	8–11 जनवरी, 2011	गुवाहाटी
	संचालित होने वाले		
1.	भारतीय अंग्रेजी के लिए क्षेत्रकार्य– उच्चारण	फरवरी, 2011	मणिपुर
2.	एनएलपी कार्यशाला – असमिया एवं बोडो	2–5 फरवरी	डिब्रुगढ़, असम
3.	एनएलपी कार्यशाला –नेपाली	7–11, फरवरी	एनबीयू, सिलीगुड़ी, प0ब0

अन्य – 2010–11

II. वाड्मय परिमार्जन पर कार्यशाला

जुलाई, 2010 के दौरान पहला चरण पूरा किया गया – मणिपुरी

III. बोली/मूल पाठ आंकड़ा संचयन

संचयन की भाषा : नेपाली

III. नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया की कार्यशाला/ जागरूकता कार्यक्रम

अगस्त 2010 को इम्फाल, मणिपुर में मणिपुरी टोन वर्कशॉप का आयोजन किया गया – मणिपुरी

IV. एलडीसीआईएल – 31 दिसम्बर, 2010 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुए खर्चे का ब्यौरा

उप–शीर्ष	बजट अनुदान (₹)	खर्च (₹)
वेतन	2,000,000	2,159,023
अन्य चार्ज	4,00,000	469,597
योग	2,400,000	2,628,620

राष्ट्रीय अनुवाद मिशन

सीआईआईएल, मैसूर में माओ–नागा व्याकरण से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ अनुयायी,

भाषा विशेषज्ञ और सम्पादकों ने परस्पर अनुवादकों के साथ बैठक की, इसके साथ ही एक कार्यशाला असमिया भाषा के विशेषज्ञ, अनुयायिओं और सम्पादकों के साथ गुवाहाटी में सम्पन्न हुई। ऐसी ही कार्यशालाएं मणिपुर विश्वविद्यालय और एनवीयू दार्जिलिंग में सम्पन्न हुई। मणिपुरी अनुवाद पर एक राष्ट्रीय सेमिनार मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर में सम्पन्न हुई। गुवाहाटी, असम में बोडो, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं के – आधुनिक भारत में सामाजिक बदलाव के तीन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका पुनरीक्षण और सम्पादन एम.एन.श्रीनिवास द्वारा किया गया। जम्मू एवं कश्मीर में एन.टी.एम. द्वारा ऐसा कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुवाद से जुड़ी गतिविधियों में कुल ₹ 15,39,000 खर्च किए गये।

राष्ट्रीय परीक्षण सेवाएं

पूर्वोत्तर क्षेत्र में इम्फाल, मणिपुर में राष्ट्रीय परीक्षण सेवा ने भाषाओं के शिक्षण, परीक्षण और मूल्यांकन की दृष्टि से अध्यापकों के लिए "प्रशिक्षण सह कार्यशाला" का आयोजन किया। जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर एक भाषा परीक्षण का जिम्मा उठाया गया।

सहायता अनुदान योजना: 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान (2007–08 से 2011–12) वैयक्तिक लेखकों, स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं और धर्मार्थ ट्रस्टों को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

1. भारतीय भाषाओं (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, सिंधी और उर्दू से इतर) भारतीय भाषाओं की थोक पुस्तकों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।
2. भारतीय भाषाओं (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, सिंधी और उर्दू से इतर) पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता।
3. भारतीय भाषाओं (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, सिंधी और उर्दू से इतर) छोटी वैज्ञानिक पुस्तकें जिनका कम से कम एक साल में दो बार प्रकाशन होता हो को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
4. भारतीय भाषाओं (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, सिंधी और उर्दू से इतर) के उन्नयन की गतिविधियों के लिए चयनित स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(i) भाषा साहित्य और संस्कृति पर आधारित सभाओं/सेमिनारों/कार्यशालाओं/अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए सहयता प्रदान करना (प्रत्येक प्रकरण के लिए अधिकतम सीमा ₹ 30,000 है)।

(ii) अल्प कालिक अध्ययनों के लिए सहायता प्रदान करना।

(iii) भारतीय भाषाओं के शिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्था द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, सिंधी और उर्दू से इतर भाषाओं के वैयक्तिक लेखकों/स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं और धमार्थ ट्रस्टों को विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर के थोक पुस्तक खरीद के 30 मामलों, पांडुलिपियों के प्रकाशन के 23 मामलों, वैज्ञानिक पुस्तकों के प्रकाशन के तीन मामलों, स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के 2 मामलों में अनुमति प्रदान कर दी गई है।

2010–11 के दौरान सीआईआईएल–जीआईए के अर्न्तगत–पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किया गया खर्चा

क्र.सं.	राज्य	योजना–1 थोक पुस्तक खरीद वित्तीय सहायता	योजना–2 पांडुलिपि प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता	योजना–3 छोटी पुस्तकों को वित्तीय सहायता	योजना–4 स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता	अन्य कार्यक्रम (यात्रा भत्ता/म.भत्ता और जीआईएसी सदस्यों को प्रदत्त मानदेय)	कुल
1	असम	2,69,626	83,997	20000	–	44694	418317
2	मणिपुर	3,82,565	141808	10000	–	–	534373
3	मेघालय	–	39991	–	–	24582	64573
4	त्रिपुरा	–	–	10000	–	–	10000
5	नागालैंड	–	42721	–	15000	–	57721
6	सिक्किम	59,025		–	–	–	59025
	योग	7,11,216	308517	40000	15000	69276	1144009

राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) शैक्षणिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में सक्रिम है। इसका महत्वपूर्ण कार्य केन्द्र और राज्य सरकार की शैक्षणिक नीतियों और योजनाओं में तकनीकी सहयोग करना है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर मध्य स्तर के शैक्षणिक पेशेवरों के लिए व्यावसायिक विकास के कार्यक्रमों को आयोजित करना है। इस कार्यक्रम में एम.फिल/पीएच.डी. कार्यक्रम के साथ ही शैक्षणिक योजना और प्रशासन का दो डिप्लोमा के कार्यक्रम भी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान नूएपा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर में विद्यालयों और उच्च शिक्षा के संबंध में प्रस्तावित छः प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन किया गया। वर्ष 2010–11 में छः प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से दो प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तथा दो सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जम्मू एवं कश्मीर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो कार्यक्रमों में 86 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान विश्वविद्यालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ₹ 4.94 लाख खर्च किए है।

इसके अतिरिक्त नूएपा संकाय ने क्रमशः मिजोरम और नागालैंड में "एसएसए के संदर्भ में विद्यालयी प्रबंधन और पर्यवेक्षण में बीईसी की भूमिका" से संबंधित दो अनुसंधापन अध्ययनों को पूर्ण कराया है। इसके अतिरिक्त, इस विश्वविद्यालय से बहुत से छात्र एम.फिल/पीएच.डी कर रहे हैं, जिनमें से कुछ छात्र पूर्वोत्तर और जम्मू एवं कश्मीर से भी हैं।

- जून 7 से 11, 2010 को भुवनेश्वर में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों के माध्यमिक शिक्षा योजना (पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पर) का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 33 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
- अकादमिक कर्मचारी महाविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के सहयोग से नवम्बर, 1–3, 2010 तक गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए महाविद्यालय विकास योजना, अभिविन्यासमुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 53 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
- जम्मू एवं कश्मीर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए दिसम्बर 6–7, 2010 तक नूएपा ने अभिविन्यासमुखी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 38 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

वर्ष 2010–11 में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम

- गंगटोक, सिक्किम में जनवरी, 2011 शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए विद्यालय सुधार योजना पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला
- मार्च, 2011 में "पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च शिक्षा के उप–कुलपतियों का सम्मेलन" जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के उप–कुलपतियों और पूर्व उप–कुलपतियों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के उच्च शिक्षा के सचिव भाग लेंगे।
- मार्च 2011 में "पूर्वोत्तर राज्यों के संस्थागत विद्यालयों की सुरक्षा प्रबंधन और योजना" पर कार्यशाला का आयोजन

पूर्वोत्तर क्षेत्र में मार्च 2010–11 में पूरे किए गए अनुसंधान अध्ययन

- नागालैंड के कोहिमा में एसएसए के संदर्भ में विद्यालयी प्रबंधन और पर्यवेक्षण में बीईसी की भूमिका। परियोजना रिपोर्ट, समन्वयक प्राध्यापक अविनाश कु0 सिंह (एमएचआरडी और नूएपा, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित) शिक्षा विभाग, नागालैंड, 2010
- मिजोरम के आइजवाल में शिक्षा विभाग, मिजोरम के सहयोग से एसएसए के संदर्भ में विद्यालयी प्रबंधन और पर्यवेक्षण में वीईसी की भूमिका। समन्वयक : प्राध्यापक अविनाश कु0 सिंह (शैक्षिक योजना और प्रशासन, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित) मिजोरम, 2010।

अकादमिक समर्थन

राज्य में सीमैट की संस्थागत योजना की तैयारी के लिए नागालैंड सरकार को अकादमिक और तकनीकी समर्थन दिया गया है। नएपा संकाय ने एससीआरटी नागालैंड के सहयोग से 17–21 नवम्बर, 2010 को संस्थागत योजना का प्रारम्भिक

मसौदा तैयार कर लिया गया है। राज्य योजना लागू करने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दे रहा है।

जम्मू एवं कश्मीर

- माननीय प्रधानमंत्री ने 17 और 18 नवम्बर, 2004 को अपने जम्मू एवं कश्मीर दौरे के दौरान पुनर्गठन योजना की घोषणा की जिसके तहत जम्मू क्षेत्र में 8 नए महाविद्यालयों को खेले जाने का प्रावधान है, जिसमें महिला महाविद्यालय भी शामिल हैं और कश्मीर क्षेत्र में महिला महाविद्यालय सहित 6 नए डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान है।
- प्रधानमंत्री की पुर्नगठन योजना के आधीन घोषित सभी 14 डिग्री महाविद्यालय अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
- प्रधानमंत्री ने 8.11.2006 को जम्मू एवं कश्मीर में पुर्नगठन योजना को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा की थी और इस योजना के तहत जम्मू एवं कश्मीर में 10 नए महाविद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया गया। ये सभी 10 महाविद्यालय शुरू हो चुके है और कर्मचारियों को आंतरिक समायोजन की वैकल्पिक अस्थाई आवास प्रदान किया गया है।
- राज्य सरकार ने तत्कालीन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा घोषित 4 नए डिग्री महाविद्यालयों को शुरू कर दिया गया है।

वर्श 2007–08 के दौरान राज्यवार कुल संस्थानों की संख्या, नामांकन, सकल नामांकन अनुपात, लिंग समता सूचकांक और शिक्षा पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	संस्थानों की संख्या		नामांकन		कुल नामांकन अनुपात		लिंग समता सूचकांक		जीडीपी में शिक्षा पर व्यय
		स्कूली शिक्षा XI-XII	उच्च शिक्षा (पी)	स्कूली शिक्षा XI-XII	उच्च शिक्षा (पी)	कक्षाएं I -XIII (6–17 वर्श)	उच्च शिक्षा (18–23 वर्श) (पी)	उच्च शिक्षा (6–17 वर्श)	उच्च शिक्षा (18–23 वर्श) (पी)	
1.	जम्मू एवं कश्मीर	473	251	144225	117897	69.85	9.08	0.89	0.92	3.57

स्रोतः 1. स्कूल शिक्षा सांख्यिकी 2007–08
2. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सांख्यिकी का सारांश 2007–08
3. बजटीय व्यय 2006–07 से 2008–09 का विश्लेषण (पी) त्र अनंतिम

प्रवासी कश्मीरियों के वार्डो में छूट

वर्ष 2010–11 के शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रवासी कश्मीरियों को देश के अन्य भागों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में कुछ विशेष छूट प्रदान की गई है। जैसा कि विदित हैं कि प्रवासी कश्मीरी कठिनाईयों का सामना करते हैं। 2011–12 के शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रवासी कश्मीरियों को देश के अन्य भागों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में निम्नलिखित छूट प्रदान की गई है:

(i) प्रवेश की तारीख को 30 दिन तक आगे बढ़ाना

(ii) न्यूनतम अर्हता अपेक्षाओं के अनुसार 10% की छूट

(iii) न्यूनतम के अनुसार छात्रों की संख्या में 5% की बढ़ोत्तरी करना

(iv) तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों में मैरिट कोटा के आधार पर कम से कम 1 सीट का आरक्षण

(v) अधिवास की अपेक्षाओं का त्याग

(vi) प्रवासन को दूसरे और उत्तरवर्ती सालों में सरल बनाना

केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अर्न्तगत जम्मू एवं कश्मीर के पूरे राज्य में क्षेत्रीय अधिकार के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो 15.01.2009 से लागू माना जाता है। 20.10.2009 को राष्ट्रपति की घोषणा जो कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संसोधन) अधिनियम, 2009 के अर्न्तगत की गई थी। इसके बाद, इस विश्वविद्यालय का नाम कश्मीर क्षेत्र में अधिकार होने के नाते केन्द्रीय विश्वविद्यालय,

कश्मीर रखा गया और एक नए विश्वविद्यालय, जिसका अधिकार जम्मू क्षेत्र में होने के नाते केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू रखा गया है।

केन्द्रीय स्थल चयन समिति ने 28 से 30 जनवरी, 2010 को अंतिम स्थलों के चयन के लिए राज्य का दौरा किया। दो स्थलों में एक स्थल, जिला सम्बा, जम्मू का बागला गांव और दूसरा स्थल कश्मीर का गांडरबल का चयन किया था। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुल 4292 नहरों से 3000 नहरों की भूमि जिस पर वन विभाग का अधिकार था। राज्य कैबिनेट ने वन विभाग भूमि के अर्न्तगत आने वाली 3000 नहरों के रास्ता बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदार कर दी है, जिससे कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू की स्थापना की जा सके। वन विभाग के पक्ष ने योजना और विकास विभाग ने वन भूमि/जंगलों के मुवावजे के लिए ₹ 16.21 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। इस भूमि को अब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू की स्थापना के लिए हस्तांतरित कर दिया गया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर की स्थापना के लिए गांदरबल की 4582 नहरों वाली भूमि को हस्तांतरित किया गया है। 4 गांवों के प्रमाणित कानूनी दस्तावेजों को प्रमाणित कर भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव राजस्व विभाग के माध्यम से राज्य कैबिनेट को भेजा गया है। राज्य सरकार ने ₹ 46 करोड़ मुवावजे की एवज में ₹ 20 करोड़ की पहली किश्त गांदरबल के उपायुक्त के पक्ष में जारी कर दी है। दूसरी किश्त को जारी करने के संबंध में मामला योजना एवं विकास विभाग के विचाराधीन है और शेष राषि को शीघ्र ही जारी किया जा रहा है।

राष्ट्रीय औसत से कम सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वाले जिलों में 11 नए मॉडल डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना

संपूर्ण भारत में 374 नए मॉडल डिग्री महाविद्यालय स्थापित किए जाने हैं। ऐसे प्रत्येक जिले में एक महाविद्यालय खोजा जाएगा, जहां सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) राष्ट्रीय औसत से कम है। इन महाविद्यालयों की स्थापना पर आने वाली कुल लागत का एक तिहाही हिस्सा ₹ 2.67 करोड़ तक और विशेष श्रेणी के अर्न्तगत आने वाले राज्यों में इन महाविद्यालयों की कुल लागत का 1/2 हिस्सा ₹ 4.00 करोड़ तक केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा और शेष राशि के लिए संबंधित राज्य दूसरे साझीदारों से प्रयास के माध्यम से प्राप्त करेगा। जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्रीय औसत से कम सकल नामंकन अनुपात (जीईआर) वाले जिलों में 11 नए डिग्री महाविद्यालय खोले जाने हैं।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर

सन् 1960 में केन्द्र सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार के संयुक्त उद्यम से श्रीनगर में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय (आरईसी) की स्थापना की गई थी। वित्त वर्ष 2003–04 से केन्द्र सरकार ने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का प्रबंधन और नियंत्रण अपने अधिकार में ले लिया और अब यह केन्द्र सरकार का पूर्ण पोषित संस्थान है। 7.08.2003 से यह संस्थान एक राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान है, जिसे मान्यता प्राप्त महाविद्यालय का दर्जा हासिल है।

पॉलिटेक्निकों की स्थापना

देश के उपयुक्त जिलों में 1000 नए पॉलिटेक्निकों को खोले जाने का प्रस्ताव है। 1000 पॉलिटेक्निकों में से 300 जिलों में 300 पॉलिटेक्निकों को ₹ 12.30 करोड़ प्रत्येक पॉलिटेक्निक, वित्तीय सहायता से शुरू किया जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर के 18 जिलों को नए पॉलिटेक्निकों की स्थापना के लिए चुना गया है। प्रत्येक पॉलिटेक्निक की स्थापना के लिए ₹ 2.00 करोड़ की राशि की पहली किश्त राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावास का निर्माण

पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावास के निर्माण योजना के अर्न्तगत देश के 500 पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावास के निर्माण के लिए ₹ 1.00 करोड़ की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव है। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 6 पॉलिटेक्निकों के लिए प्रस्ताव भेजा है और चालू वित्त वर्ष में प्रत्येक पॉलिटेक्निक के लिए ₹ 20 लाख की राशि प्रदान की गई है।

सामुदायिक पॉलिटेक्निक

''पॉलिटेक्निकों के माध्यम से समुदाय विकास योजना'' जिसे पहले सामुदायिक पॉलिटेक्निक के नाम से जाना जाता था और जिसने 669 सामुदायिक पॉलिटेक्निक के माध्यम से सन् 1978 से जुलाई 2007 तक कार्य किया था। योजना के

पुनर्विलोकन के लिए जिस मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था, उस समिति ने 1000 पॉलिटेक्निकों के लिए संशोधित योजना आरम्भ करने की सिफारिश की हैं। इस संशोधित योजना के अर्न्तगत जम्मू एवं कश्मीर के 11 पॉलिटेक्निकों को, प्रत्येक पॉलिटेक्निक के लिए ₹ 10.35 लाख (₹ 6.00 लाख अनावर्ती और ₹ 4.25 लाख आवर्ती) की राशि को मंजूरी भी प्रदान की जा चुकी है।

मौजूदा पॉलिटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण

इस योजना के तहत सरकार द्वारा पोषित मौजूदा पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा स्तर के हैं, वहां की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए (i) पुराने उपकरणों को हटाकर आधुनिक उपकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना (ii) सूचना प्रौद्योगिकी अध्ययन परीक्षण के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना (iii) शामिल किए गए नए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए बुनियादी सुविधाओं का सर्जन। इस योजना के तहत जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा है। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 6 पॉलिटेक्निकों के लिए प्रस्ताव भेजा है और सभी छः पॉलिटेक्निकों को मंजूरी प्रदान की गई है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

इग्नू ने जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में मुक्त और दूरस्थ शिक्षण केन्द्रों और क्षेत्रीय केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

इग्नू ने जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में इसके सीमावर्ती क्षेत्रों और दूरस्थ स्थलों तक शिक्षण को पहुंचाने के लिए छात्रों के नामांकन की सुहिधा के लिए दो क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए हैं। क्षेत्रीय केन्द्र, जम्मू में छात्रों का नामांकन 2009 में 7821 की तुलना में 2010 में 10839 था। क्षेत्रीय केन्द्र श्रीनगर के मामले में छात्रों का नामांकन 2009 में 9582 की तुलना में 2010 में 12519 था। वर्ष 2010–11 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने राज्य में बहुत से अध्ययन केन्द्रो/विशेष अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की, जिसमें – करनाह, कुपवाड़ा का सरकारी डिग्री महाविद्यालय (नियंत्रण रेखा के समीप दूरस्थ स्थलों में से एक), कंप्यूटर साक्षरता के लिए इग्नू के सीएनआरआई (ग्रामीण भारत में एनजीओ संघ) योजना के तहत विशेष अध्ययन केन्द्र की स्थापना। मौजूदा अध्ययन केन्द्रों में बहुत से नए पाठ्यक्रम जैसे एम.ए. (सीएफटी) इत्यादि को शुरू किया गया है। स्थानीय भाषा में शिक्षा द्वारा अवसरों को प्रदान और वृद्धि करने की दृष्टि से बीपीपी और सीएफएन का अनुवाद कार्य उर्दू और डोगरी में किया जा रहा हैं, जिसके कारण राज्य के बहुत से छात्र लाभान्वित होंगे।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल)

1. **एनआरएलसी:** पटियाला स्थित, भाषा केन्द्र– उत्तरी क्षेत्र में 10 महीने का भाषा शिक्षण कार्यक्रम किया जाता है, इस कार्यक्रम में 18 अध्यापक/अनुसंधाकर्ता जम्मू एवं कश्मीर की दो अनुसूचित भाषाओं डोगरी–9 कश्मरी–9 का अध्ययन कर रहे हैं। चार संसाधन व्यक्तियों (प्रत्येक भाषा के दो) ने इन भाषाओं के शिक्षण कराया था। इस केन्द्र ने जम्मू एवं कश्मीर में डोगरी भाषा की निम्नलिखित कार्यशालाओं का आयोजन कराया:

   (i) कार्यशाला–डोगरी भाषा के पाठ्यक्रम को तीव्रता से पूरा करना (10 अगस्त)

   (ii) कार्यशाला– डोगरी भाषा की संस्कृति, साहित्य और भूमि से जुड़े विषयों की पुस्तकें

2. **यूटीआरसी (लखनऊ):** उर्दू शिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र लखनऊ ने उर्दू उच्चारण से संबंधित निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया है– कश्मीरी सर्वेक्षण के पहले चरण की समीक्षा बैठक अक्टूबर, 2010 को सम्पन्न हुई। इस बैठक की रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए भेजा गया है। लेह और नोखा (जम्मू एवं कश्मीर) के उर्दू अध्यापकों के लिए वाणी विज्ञान के अभिमुखीविन्यास कार्यक्रम आयोहित किया गया। फरवरी, 2011 में कश्मीरी धार्मिक शब्दों की शब्दावली निर्माण के लिए, श्रीनगर में कार्यशाला का आयोजन किया जाना है।

3. **यूटीआरसी (सोलन):** उर्दू शिक्षण और अनुसंधान केन्द्र सोलन ने उर्दू के संबंध में निम्नलिखित कार्यों का आयोजन किया है– बहुभाषी उर्दू–पंजाबी, कश्मीरी–डोगरी बहुभाषी उपयोज्य शब्दावली के फीडबैक पर कार्यशाला और उपर्युक्त कार्यशाला में शब्दावली की अंतिम प्रूफ रीडिंग, पुनरीक्षण और जांच के लिए उच्च कार्यशाला का आयोजन।

गौण एवं अल्पसंख्यक भाषा केन्द्रः जम्मू एवं कश्मीर में कश्मीरी संस्कृति की शब्दावली का निर्माण और बुरूशाकी एवं वेताली भाषाओं के परातात्विक भाषिक अध्ययन सम्पन्न किए गए।

आदिवासी और मृतप्रायः भाषा केन्द्र

जम्मू एवं कश्मीर – जम्मू एवं कश्मीर में भाषाओं की स्थिति से संबंधित श्वेत पत्र निर्माण हेतु जम्मू एवं कश्मीर की भाषाओं/मातृभाषाओं/आदिवासी भाषाओं की बुनियादी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

योजनाएं

भारतीय भाषाओं का भाशिक आंकड़ा संघ (एलडीसी–आईएल)

तैयार किया गया एलडीसी–आईएल

क. भाषा तकनीक के उद्देश्य से निम्नलिखित भाषाओं का एक भाषिक कारपोरा (शब्द) पाठ			
क्र.सं.	भाषाएं	2010–11 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार	कुल योग
1.	डोगरी	प्रक्रिया में**	1071603
2.	कश्मीरी	69269	128036

ख. तुल्यात्मक कारपोरा पाठ			ग. लैक्स टैगसेट (लीखे गए शब्द)		
अंग्रेजी–डोगरी	गिने गए शब्द	88025–92293	1	डोगरी	9257

घ. अक्सर प्रकाशित शब्दावली		ढ. संपादित बोली आंकड़ा कार्यक्षेत्र		
1	डोगरी	1	डोगरी	बोलने वालों की सं0 – 300
		2	कश्मीरी	बोलने वालों की सं0 – 150

2010–11 के दौरान आयोजित किए गए/होने वाले कार्यक्रमों की सूची

(दिसम्बर तक आयोजित किए गए कार्यक्रम और 31 मार्च, 2011 तक के प्रस्तावित कार्यक्रम)

क्र. सं.			
1	2 भाषाओं के कार्यक्षेत्रों के बोली आंकड़े/शब्द पाठ संचयन, गुजराती एवं कश्मीरी	जून–जूलाई, 2010	गुजरात एवं श्रीनगर
2.	4 भाषाओं के वाड्मय परिमार्जन – कार्यशाला–डोगरी (कोंकणी, पंजाबी और मणिपुरी)	जुलाई, 2010	सीआईआईएल, मैसूर
3.	3 भाषाओं के कार्यक्षेत्रों के बोली/पाठ आंकड़े संचयन : डोगरी (पंजाबी एवं तेलगू)	सितम्बर–अक्टूबर, 2010	जम्मू, पंजाब एवं आन्ध्र प्रदेश

2010–11 की अन्य योजनाएं

I. जुलाई, 2010 के दौरान वाड्मय परिमार्जन की कार्यशाला का पहला चरण सम्पन्न हुआ।

II. बोली/पाठ आंकड़ों का संचयनः

1. संग्रहित भाषाएं : डोगरी, कश्मीरी, उर्दू
2. राष्ट्रीय परीक्षण सेवाएं

जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू में एक राष्ट्रीय स्तर के एक भाषा परीक्षण का आयोजन किया गया था।

जीआईए – योजना

आंकड़े ₹ में

क्र.सं.	राज्य	योजना–1 थोक खरीद	योजना–2 पांडुलिपि प्रकाशन में वित्तीय सहायता	योजना–3 छोटी पुस्तकों को प्रदत्त वित्तीय सहायता	योजना–4 स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता	अन्य कार्यक्रमों के खर्च	कुल लागत
1	जम्मू एवं कश्मीर						
	कुल	425985	284681	–	30000	41420	782086

राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिशद (एनसीपीयूएल)

जम्मू एवं कश्मीर राज्य में, एनसीपीयूएल द्वारा स्थापित 53 कंप्यूटर केन्द्रों में कंप्यूटर एप्लीकेशन और बहुभाषित डीटीपी का एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम, सुलेखन और ग्राफिक डिजाइन पाठ्यक्रम के लिए 3 केन्द्र, 56 'उर्दू अध्ययन केन्द्रों' में उर्दू का एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम, 19 'अरबी अध्ययन केन्द्रों' में क्रियात्मक अरबी का दो वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम और अरबी भाषा में एक वर्षीय प्रमाण–पत्र कार्यक्रम। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 2225 छात्र एनसीपीयूएल द्वारा प्रायोजित इन अध्ययन केन्द्रों में इन पाठ्यक्रमों को पूरा कर रहे हैं।

जम्मू एवं कश्मीर में उर्दू भाषा के विकास के लिए एनसीपीयूएल ने गैर–सरकारी संगठनों को विभिन्न योजनाओं जैसे– थोक पुस्तक खरीद, पुस्तकालयों को मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध कराना, सेमिनारों, प्रकाशनों को अनुदान मुहैया कराने के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

भाषा एवं संबद्ध क्षेत्र

13

भाषा एवं संबद्ध क्षेत्र

भाषा के संचार एवं शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होने के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कार्य योजना में उनके विकास पर काफी बल दिया गया है। इसलिए भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध हिंदी एवं अन्य 21 भाषाओं के साथ--साथ अंग्रेजी एवं कुछ अन्य विदेशी भाषाओं के संवर्धन एवं विकास पर उचित ध्यान दिया गया हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गैर अनुसूचित भाषाओं का भी विकास एवं संवर्धन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 3 अधीनस्थ कार्यलयों अर्थात केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग तथा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, हैदराबाद एवं 6 स्वायत्त संगठनों नामतः केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई; केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा; राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, दिल्ली; राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, दिल्ली; राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली तथा महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय (सीएचडी)

हिंदी का प्रचार–प्रसार करने तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसरण में संपर्क भाषा के रूप में इसका विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 मार्च 1960 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद एवं गौहाटी में 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अस्तित्व में आने के समय से ही निदेशालय हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने की अपनी योजना के तहत, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग अनेक पाठ्यक्रम चला रहा है जैसे हिंदी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, हिंदी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रबोध पाठ्यक्रम, प्रवीण एवं प्राज्ञ कार्यक्रम तथा पूर्वोत्तर छात्रों के लिए सिविल सेवा हिंदी पाठ्यक्रम ताकि वे यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में अनिवार्य भारतीय भाषा प्रश्नपत्र के लिए हिंदी चुन सकें। यह निदेशालय अंग्रेजी, तमिल, मलयालम एवं बंग्ला भाषाओं के माध्यम से गैर हिंदी भाषी भारतीयों एवं विदेशियों को दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ा रहा है। आज की तारीख तक तकरीबन 4.54 लाख भारतीय एवं विदेशी छात्र इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से लाभांवित हो चुके हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में 10000 छात्र नामांकित किए गए हैं तथा विभिन्न स्थानों पर 20 वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए है। निदेशालय ने वर्ष के दौरान वार्ता गाइड, हिंदी तेलगू स्व–शिक्षण तथा हिंदी कोंकणी में स्व–शिक्षण पुस्तकें निकालीं हैं।

द्विभाषी वार्तालाप सीडी तैयार करना

हिंदी योजना के तहत निदेशालय द्वारा निम्नलिखित सीडी तैयार की जा रही हैं:

1. मैथिली–हिंदी–मैथिली वार्तालाप
2. उर्दू–हिंदी–उर्दू वार्तालाप
3. अंग्रेजी--हिंदी वार्तालाप गाइड
4. हिंदी–कश्मीरी हिंदी वार्तालाप

स्टूडियो यूनिट के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं:

- तकनीकी शब्द– बुनियादी संकल्पनाएं (लगभग 30 मिनट)
- तकनीकी शब्द–तकनीकी शब्दों का मूल्यांकन (लगभग 30 मिनट)
- तकनीकी शब्द – व्यक्तिगत एवं संस्थानिक प्रयास (लगभग 30 मिनट)
- सिंटैक्स – बुनियादी संकल्पनाएं (लगभग 30 मिनट)
- सिंटैक्स – वाक्य रचना (लगभग 30 मिनट)
- सिंटैक्स – वाक्यों का वर्गीकरण (लगभग 30 मिनट)
- आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां (भाग–1) (लगभग 30 मिनट)
- आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां (भाग–2) (लगभग 30 मिनट)
- आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां (भाग--3) (लगभग 30 मिनट)

प्रकाशन

निदेशालय के प्रकाशन एवं तैयारी योजना के तहत, वार्तालाप गाइड एवं स्व–शिक्षण, अभिनव हिंदी–हिंदी कोश, हिंदी–बोडो–अंग्रेजी कोश, नेपाली–हिंदी कोश प्रकाशन के लिए भेजे जा चुके हैं। हिंदी–तिब्बत कोश तथा हिंदी–पश्तो कोश प्रकाशन के अधीन हैं। दो वार्तालाप गाइड अर्थात हिंदी–संस्कृत और हिंदी–बोडो प्रकाशित किए हैं। एक बुनियादी आधुनिक हिंदी व्याकरण तैयार किया जा रहा है। हिंदी लेखक संदर्भिका तथा भारतीय भाषा परिचय जैसी अन्य कृतियां प्रकाशित की गई हैं। द्विभाषी वेबसाइट भी शुरू की गई है।

प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता

हिंदी में प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता की योजना के तहत, पांडुलिपियों के साहित्यिक मूल्य को ध्यान में रखकर लेखकों/संगठनों को सहायता अनुदान समिति की सिफारिश पर कुल अनुमोदित व्यय के 80 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाती है। पांडुलिपियों की प्रकाशन लागत की 3 सदस्यीय समिति द्वारा जांच की जाती है जिसमें नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी), एनसीईआरटी तथा साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

कार्यशालाओं का आयोजन

विस्तार कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के तहत गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के हिंदी के नए लेखकों के लिए 8 दिवसीय 8 कार्यशालाएं हर वर्ष आयोजित की जाती हैं। 5 कार्यशालाएं अगरतला (त्रिपुरा), बारासाट (पश्चिमी बंगाल), कुरनूल (आंध्र प्रदेश), विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) तथा त्रिरूचुरापल्ली (तमिलनाडु) में आयोजित की गई। 3 कार्यशालाएं कोडिमगलूर (केरल), तेजपुर (असम) तथा 1 हिंदी भाषी राज्य में आयोजित करने का प्रस्ताव है। प्राध्यापक व्याख्यानमाला की योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों से 8 व्याख्याता चुने गए जिनके नाम इस प्रकार हैं: (1) डा. लीला चौहान, हाथरस (उत्तर प्रदेश) (2) डा. मृत्युंजय उपाध्याय, धनबाद (3) डा. धर्मपाल मैनी, गुड़गांव (हरियाणा) (4) डा. भरत सिंह, गया (बिहार) (5) डा. अशोक सालुंकी, शोलापुर (महाराष्ट्र) (6) डा. रवीन्द्र नाथ मिश्रा, गोवा (7) डा. अरूण कुमार होता, कोलकाता (8) डा. हरदीप सिंह, लुधियाना (पंजाब)। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर गैर हिंदी भाषी राज्यों के हिंदी छात्रों का अध्ययन दौरा भिलाई, राजनंदगांव एवं डुंगरगढ़ (छत्तीसगढ़) और मध्य प्रदेश में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

शोध छात्रों को अनुदान

शोध छात्रों के लिए यात्रा अनुदान की योजना, विस्तार योजना के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में पीएचडी डिग्री दिलाने वाले शोध कार्य करने वाले गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के छात्रों को यात्रा अनुदान दिया जाता है। हर वर्ष 20 शोध छात्रों का चयन होता है तथा अनुदान दिया जाता है। 2010–11 के दौरान 17 छात्रों के लिए संस्वीकृति जारी की गई है।

पुस्तक वितरण एवं प्रदर्शनी

हिंदी पुस्तकों के निःशुल्क वितरण की योजना के तहत वर्ष के दौरान 1062 संस्थाओं को हिंदी पुस्तकें पहले ही भेजी जा चुकी हैं।

निदेशालय के प्रकाशनों की प्रदर्शनी की योजना के तहत 12 स्थानों अर्थात कोटा, राजस्थान; फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, देहरादून, उत्तर प्रदेश; भुवनेश्वर, उड़ीसा; जयपुर राजस्थान; कोच्चि, केरल; जयपुर, राजस्थान; नोएडा उत्तर प्रदेश; प्रदर्शनी मैदान, दिल्ली; देवगढ़, झारखंड; औरंगाबाद, महाराष्ट्र; और जबलपुर, मध्य प्रदेश में प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

भाषा (द्विमासिक पत्रिका) के 6 अंक तथा 1 वार्षिकी प्रकाशित किए गए हैं।

स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए तथा गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा के पक्ष में माहौल सृजित करने के लिए निदेशालय स्वैच्छिक हिंदी संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना भी चलाता हैं। योजना के तहत हिंदी कक्षाएं आयोजित करने तथा हिंदी पुस्तकालय/वाचनालय आदि चलाने के लिए स्वैच्छिक हिंदी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित 247 स्वैच्छिक हिंदी संगठनों की वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया गया हैं तथा ₹ 684.81 लाख का अनुदान जारी किया गया।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी), दिल्ली

संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के प्रावधानों के तहत गठित एक समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेश के

अनुसार वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, दिल्ली का गठन किया गया। सीएसटीटी मोटेतौर पर हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों के विकास एवं प्रचार–प्रसार से संबंधित काम करता है। ऐसे मामलों में शुरूआती एवं परिवर्ती राष्ट्रपति आदेशों से प्रतिबद्धता ग्रहण करके आयोग इस समय निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में काम कर रहा है:

(i) अंग्रेजी–हिंदी, अंग्रेजी–क्षेत्रीय भाषा एवं त्रिभाषी तकनीकी शब्दकोश/शब्दावली तैयार करना।

(ii) राष्ट्रीय शब्दावली तैयार करना।

(iii) अखिल भारतीय शब्दों की पहचान करना।

(iv) पारिभाषिक शब्दकोश एवं विश्वकोश तैयार करना।

(v) छात्रों के लिए शिक्षु शब्दावली (स्कूल स्तरीय) तथा मौलिक शब्दावली निःशुल्क वितरण के लिए तैयार करना।

(vi) विभिन्न सरकारी यूनिटों, वैज्ञानिक संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए विभागीय शब्दावली तैयार करना एवं अनुमोदित करना।

(vii) सेमिनार, कार्यशाला, प्रशिक्षण/प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से गढ़े गए एवं परिभाषित किए गए शब्दों का प्रचार–प्रसार करना तथा आलोचनात्मक समीक्षा करना।

(viii) ग्रंथ अकादमियों, पाठ्यपुस्तक बोर्डों एवं विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यपुस्तक निर्माण के लिए सहायता अनुदान।

(ix) तकनीकी साहित्य के माध्यम से तकनीकी शब्दावली के प्रचार–प्रसार के लिए पत्रिकाओं, मोनोग्राफ, डाइजेस्ट आदि का प्रकाशन।

(x) गतिविधियां जैसे प्रदर्शनी का आयोजन, शब्दावली क्लब की स्थापना को बढ़ावा देना आदि।

2010–11 के दौरान आयोग की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

(i) व्यापक विज्ञान शब्दावली (खंड 1 का अद्यतनीकरण पूरा हो गया)

(ii) समाज विज्ञान की व्यापक शब्दावली (खंड 1 एवं 2 का अद्यतनीकरण पूरा हो गया)

(iii) व्यापक चिकित्सा शब्दावली (अद्यतनीकृत संस्करण पूरा हो गया)

(iv) वास्तुशिल्प पर पारिभाषिक शब्दावली का काम पूरा हो गया।

(v) राष्ट्रीय प्रशासनिक शब्दावली का काम पूरा हो गया जिसमें 18 भाषाएं शामिल हैं।

(vi) राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर सेमिनारों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण/प्रबोधन कार्यक्रमों के माध्यम से गढ़े गए एवं परिभाषित किए शब्दों का प्रचार–प्रसार एवं आलोचनात्मक समीक्षा।

(vii) वर्ष के दौरान 20 से अधिक सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

(viii) शब्दावली के प्रयोग पर 1200 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

(ix) बंधित राज्य एजेंसियों/पाठ्यपुस्तक बोर्डों/विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तक निर्माण योजना के तहत ग्रंथ अकादमियों के माध्यम से हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में 200 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की गई।

(x) संगठन द्वारा देश के विभिन्न भागों में 12 प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

प्रकाशन

वर्ष के दौरान निम्नलिखित हिंदी–अंग्रेजी शिक्षु तकनीकी शब्दावली/कोश प्रकाशित किए गए/प्रकाशन के अधीन हैं:

(i) आयुर्वेद पर पारिभाषिक शब्दकोश

(ii) क्लीनिकल डाइग्नोस्टिक एवं पैथोलॉजी शब्दावली

(iii) मेडिसीन पर मौलिक शब्दावली

(iv) चिकित्सा शब्दावली

(v) औषधि प्रतिकूल प्रभाव शब्दावली

(vi) प्रशासनिक शब्दावली (अद्यतनीकृत) (अंग्रेजी–हिंदी)

(vii) प्रशासनिक शब्दावली (अद्यतनीकृत) (हिंदी–अंग्रेजी)

विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं सरकारी संगठनों के निम्नलिखित शब्दकोश प्रकाशित किए गए हैं:

(i) इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र के साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा शब्दावली

(ii) नारियल विकास बोर्ड के साथ मिलकर बागवानी की शब्दावली

2010–11 से पूर्व जिन शब्दावलियों पर काम शुरू किया गया उनमें आगे और प्रगति हुई। निम्नलिखित शब्दावलियों/

शब्दकोशों का काम पूरा किया गया:

(i) प्लाज्मा फिजिक्स
(ii) फिशरी
(iii) विकृति विज्ञान
(iv) मेडिसीन
(v) आयुर्वेद
(vi) इतिहास
(vii) प्रशासनिक

पारिभाषिक शब्दकोश

निम्नलिखेत पारिभाषिक शब्दकोशों पर 2010–11 से पूर्व काम शुरू किया गया तथा अब वर्ष के दौरान पूरा हो गया हैं तथा पुस्तकें प्रेस में हैं:

(i) पर्यावरण विज्ञान
(ii) आयुर्वेद

वर्ष के दौरान तीन एनसाइलोपिडिया प्रकाशित किए जाने है। वर्ष के दौरान तीन मोनोग्राफ प्रकाशित किए गए हैं। क्षेत्रीय भाषायी शब्दकोश तैयार कर लिए गए हैं और इन्हें मलयालम और कोनकनी में प्रकाशित किया जाना है। मलयालम कतहत दस शब्दकोश प्रकाशित किए जा रहे हैं। एक शब्द कोश प्रैस में है और तीन प्रक्रियाधीन हैं और आलोच्य वर्ष के दौरान इनके पूरे होने की आशा है।

प्रकाशित जरनल

वर्ष के दौरान निम्नलिखित दो जरनलों के चार प्रकरण प्रकाशित किए गए हैं:

- ज्ञान गरिमा सिंधु
- विज्ञान गरिमा सिंधु

सहायता अनुदान

उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ग्रंथ अकादमियों/पाठ्यपुस्तक प्रकाशन बोर्डों/विश्वविद्यालय प्रकाशन प्रकोष्ठों को 1.50 करोड़ रूपए से अधिक का सहायता अनुदान दिया गया है।

शब्दकोश कार्यक्रम के प्रसार के लिए, देश के विभिन्न भागों में आयोग द्वारा 20 सेमीनार/कार्यशालाओं इत्यादि का आयोजन किया गया था।

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर

जुलाई 1969 में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय मैसूर में है तथा इसके 7 क्षेत्रीय भाषा केंद्र हैं। यह उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह भारत सरकार की भाषा नीति तैयार करने एवं कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करने तथा भाषा के मामले पर राज्य सरकारों की सहायता करने एवं सलाह देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित किया गया। यह अंतर्वस्तु एवं पाठ्यक्रम का सृजन करके, भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षाशास्त्र, भाषा शब्दावली तथा समाज में भाषा के प्रयोग के क्षेत्र में अंतर्विषयक अनुसंधान संचालित करके भारतीय भाषाओं के विकास का समन्वय करता है। नोडल एजेंसी के रूप में यह अल्पसंख्यक एवं आदिवासी भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के माध्यम से भाषायी विरासत की सुरक्षा करने का प्रयास करता हैं तथा उनके बहुभाषी परिवेश को सुदृढ़ करता है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में अनिवार्य एकरूपता लाना तथा भाषाओं के पारस्परिक संवर्धन में योगदान करना और इस प्रकार भारत के लोगों में भावनात्मक एकता को बढ़ावा देना है। यह अपने क्षेत्रीय भाषा केंद्रों (आरएलसी) के माध्यम से गैर देशज शिक्षुओं को 20 भारतीय भाषाओं के शिक्षण के माध्यम से भाषायी सामंजस्य को बढ़ावा देता है।

2010–11 के दौरान सीआईआईएल तथा इसके आरएलसी की शैक्षिक गतिविधियों में कुल 176 कार्यक्रम शामिल हैं – 132 कार्यशालाएं, 19 सेमिनार/सम्मेलन, 13 प्रबोधन पाठ्यक्रम, 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम/विशेष व्याख्यान, 4 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और 1 संपर्क कार्यक्रम। 100 और कार्यक्रम आयोजित होने की उम्मीद है।

सांस्कृतिक प्रलेखन केंद्र एवं भाषा मंदाकिनी

भाषा मंदाकिनी: भारत में गैर देशज वक्ताओं तथा विदेश में डायसपोरा आबादी को भारतीय भाषाएं पढ़ाने में प्रयोग करने के लिए प्रसारण की गुणवत्ता वाली, देखने में आकर्षक सामग्री सृजित करने के उद्देश्य से भारत के भाषायी लैंडस्केप की दृश्यात्मक आंथ्रोपोलॉजी तैयार करने के लिए 2005–06 से कार्यरत है। 4 भाषाओं अर्थात बंग्ला, कन्नड़, तमिल एवं मराठी में आधे घंटे के वृत्तचित्र तैयार किए गए हैं। समय, स्थान, भूमि एवं लोग तथा वाचन एवं लेखन जैसे विषयों पर अब तक बंग्ला में 144, कन्नड़ में 180, तमिल में 144 तथा मराठी में 13 फिल्में निर्मित की गई हैं। कुछ अग्रणी फिल्म निर्माताओं के निर्देशन में बनी इनमें से कई फिल्में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में दिखाई गई हैं। वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय

मुक्त विश्वविद्यालय के ज्ञान दर्शन चैनल के तहत सार्वजनिक प्रसारण के लिए उपलब्ध होंगी तथा बाद में क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय चैनलों से इनका प्रसारण किया जाएगा। भाषा मंदाकिनी कार्यक्रम के तहत बंग्ला के लिए 3, कन्नड़ के लिए 11 तथा तमिल के लिए 10 एपिसोड निर्मित किए गए हैं। पूर्वोत्तर से उत्साहवर्धक प्रत्युत्तर के कारण आइजोल, मिजोरम में स्क्रिप्ट लेखन एवं निर्माण पर 4 प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

जम्मू एवं कश्मीर में बुरुशाकी एवं वटाली का नश्जातीय–भाषायी अध्ययन तथा कश्मीरी के लिए सांस्कृतिक शब्दावली बनाने पर कार्य किया गया। इस वर्ष पूर्वोत्तर में मणिपुर में उपनामों के सर्वे एवं अध्ययन का कार्य हाथ में लिया गया।

पूर्वोत्तर भाषा विकास (एनईएलडी)

सभी पूर्वोत्तर राज्यों की अल्पसंख्यक एवं आदिवासी भाषाओं पर निम्नलिखित कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे है। वर्ष के दौरान कुल 31 परियोजना कार्यशालाएं तथा 28 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

वाक विज्ञान केंद्र: इस यूनिट द्वारा कुल 11 कार्यक्रम आयोजित किए गए (2 जम्मू एवं कश्मीर में तथा 9 पूर्वोत्तर क्षेत्र में)।

आदिवासी एवं जोखिमग्रस्त भाषा केंद्र: पूर्वोत्तर क्षेत्र में 13 समेत कुल 29 कार्यक्रम संचालित किए गए।

शब्दकोश विज्ञान, रचनात्मक लेखन एवं लोकगीत अध्ययन केंद्र

(क) **शब्दकोश विज्ञान:** हिन्दी–अंग्रेजी–लेप्चा, हिंदी–अंग्रेजी–कुरमाली तथा हिंदी–अंग्रेजी–पंचपरगनिया, छत्तीसगढ़ी–अंग्रेजी–हिंदी, अंग्रेजी–हिंदी–कोडावा तथा नेपाली–अंग्रेजी–हिंदी पर कार्यशालाएं आयोजित करके भारतीय भाषाओं में शब्दाकोश निर्माण की दिशा में काम किया गया। नेपाली एकल भाषा कृति तथा हिंदी–अंग्रेजी–तमांग पर कार्य प्रगति पर है। हिंदी–अंग्रेजी–अल्बा, छोटानागपुरी–हिंदी–अंग्रेजी, हिंदी–अंग्रेजी–कोरवा पर कार्य इस वर्ष हाथ में लिया गया। हिंदी–अंग्रेजी–कोंकणी–कन्नड़ पर कार्य पूरा हो गया है। तेलगू में पदावली शब्दाकोश का कार्य शुरू किया गया।

(ख) **लोकगीत यूनिट:** लोक साहित्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई अन्य साहित्य तथा यह भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषायी पहलुओं में रूझानों की अनुभूति प्रदान करता है। यह यूनिट ऐसे प्रयासों पर काम करती है। भारतीय लोकगीत कांग्रेस का आयोजन दिसम्बर 2010 में कोहिमा, नागालैंड में हुआ। कोनासीमा लोक परिरक्षण (तेलुगू) लोकगीत का व्यापक अपील तथा लैंगिक मुद्दों के विषय पर 3 सेमिनार आयोजित किए गए। लोक कला एवं संस्कृति के परिरक्षण के लिए डीवीडी के रूप में कार्यक्रम एकत्र किए गए (3 मलयालम में और 1 तेलगू में)।

सामग्री उत्पादन केंद्र

यह यूनिट प्रौढ़ों एवं स्कूल जाने वाले बच्चों को मातृभाषा, दूसरी भाषा एवं अन्य भाषा के रूप में प्रमुख भारतीय भाषाएं पढ़ाने के लिए बुनियादी अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करती है। यह मातृभाषा एवं दूसरी/अन्य भाषा शिक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों का विकास करती है। यह इंटरमीडिएट के लिए भाषाओं में एमटी शिक्षण सामग्री, विस्तृत एवं गैर विस्तृत पाठ्यपुस्तकें, मलयालम माध्यम के स्कूली बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें एवं कार्यशालाएं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के स्कूली बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें तथा एमटी रीडर एवं डोंगरवर्ली एवं वगडी का उत्पादन किया है। इस यूनिट ने इस वर्ष 4 सेमिनारों, 1 परियोजना, 4 कार्यशालाओं तथा 7 प्रकाशनों का भी संचालन किया।

योजनाएं

परियोजना 1: परीक्षण एवं मूल्यांकन केंद्र/राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (एनटीएस):

इस यूनिट ने एनएलएलटी (मार्गदर्शी अध्ययन) संचालित करने के लिए क्षेत्रीय फील्ड यूनिटों (आरएसयू) के टीम दौरों का आयोजन किया जो इस प्रकार है – हुबली (कर्नाटक), दिल्ली, डिंडूगल, टूटीकोरिन, तंजावुर, रामनाथपुरम, इरोडे तथा चेन्नई (तमिलनाडु) और पांडिचेरी। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए एनएलएलटी (मार्गदर्शी योजना अध्ययन) का हिंदी में आयोजन दरभंगा, ग्वालियर एवं कांगड़ा में तथा तमिल में चेन्नई, डिंडूगल, इरोडे, ऊटी, रामनाथपुरम, तंजावुर एवं टूटीकोरिन तथा पांडिचेरी में किया गया, तथा उर्दू भाषा के लिए इसका आयोजन अंबिकापुर, हुबली, काजीपेट, लखनऊ, मालेगांव एवं श्रीनगर में किया गया। स्नातक स्तर के लिए एनएलएलटी का संचालन हिंदी, तमिल एवं उर्दू के लिए पूरे देश में 11 राज्यों में किया गया। इस यूनिट द्वारा 45 सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण सह कार्यशालाओं/विशेष व्याख्यानों एवं बैठकों का आयोजन किया गया। आरएफयू के दौरों का भी आयोजन किया गया।

एनटीएस की वेबसाइट का जुलाई 2010 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया।

परियोजना 2: भारतीय भाषाओं के लिए भाषायी डेटा परिसंघ (एलडीसी–आईएल): भारतीय भाषाओं के लिए भाषायी डेटा परिसंघ (एलडीसी–आईएल) परियोजना 1 अप्रैल 2007 को अस्तित्व में आई। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार देश में 22 अनुसूचित भाषाएं तथा 100 गैर अनुसूचित भाषाएं हैं। एलडीसी–आईएल का अधिदेश प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने तथा आधुनिक चिंतन का वाहन बनने के लिए भारतीय भाषाओं की सहायता करने के अपने प्रयास में अधिक से अधिक भाषाओं को शामिल करना है। आज की तिथि में, एलडीसी–आईएल ने 20 अनुसूचित भाषाओं – असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, संस्कृत में एकल भाषा पाठ्य कारपोरा तैयार किया है। इसने एक गैर अनुसूचित भाषा अर्थात कर्नाटक में कोडावा समुदाय की कोडागू/कुरगी तथा आदिवासी समुदाय से संबंधित मलयालम के अंतर्गत सूचीबद्ध एक मातृभाषा यरवा पर भी काम शुरू किया है। अंग्रेजी–बंगाली, अंग्रेजी–डोंगरी, अंग्रेजी–हिंदी, अंग्रेजी–कोंकणी, अंग्रेजी–मैथिली तथा अंग्रेजी–नेपाली के लिए 6 तुलनीय पाठ्य कारपोरा तैयार किए गए हैं। 15 अनुसूचित भाषाओं अर्थात असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकणी, हिंदी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, एवं उर्दू में शब्दों की टीकाएं लिखी गईं। 12 भाषाओं अर्थात असमी, बंगाली, बोडो, गुजराती, हिंदी, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, एवं उर्दू के लिए टैगिंग का कार्य पूरा किया गया। 7 भाषाओं अर्थात असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, अंग्रेजी, गुजराती एवं कन्नड़ में बारंबारता शब्दकोश प्रकाशित किए गए। बारंबारता, कांउटर (शब्द, स्वराघात, स्वर आदि) बारंबारता संपादक, एन–ग्राम अक्षर स्तरीय एवं शब्द स्तरीय, स्वतः प्रत्यलिप्यंतरण (आईएल स्क्रिप्ट से रोमन में और रोमन से आईएल स्क्रिप्ट में) केडब्ल्यूआईसी एवं केडब्ल्यूओसी रिट्रीवर, वाक डेटा के लिए भंडारण इंटरफेस, आईएससीआईआई का यूनीकोड में परिवर्तन, मैनुअल पीओएस एनोटेशन उपकरण तैयार किए गए तथा इस समय मोनोग्राफिक एनालाइजर/पार्ट्स ऑफ स्पीच, विभिन्न भारतीय भाषाओं में टैगर तथा वेब कारपस एनालाइजर एकीकृत उपकरण पर काम चल रहा है। 20 भाषाओं अर्थात असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, संस्कृत के लिए स्पीच डेटा एकत्र किया गया हैं। 15 भाषाओं अर्थात असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, एवं उर्दू, में सबसे अधिक बारंबारता वाले 5000 शब्द पर आधारित उच्चारण शब्दकोश तैयार किए गए। 34 कार्यशालाएं/बैठकें/क्षेत्रकार्य/प्रायोजित कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा वर्ष के दौरान एलडीसी–आईएल परियोजना के लिए ₹ 163.53 लाख खर्च किए गए। बजट आबंटन ₹ 255.50 लाख है जबकि व्यय ₹ 165.53 लाख है।

परियोजना 3: राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम): भारत के संविधान में सूचीबद्ध भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से ज्ञान आधारित पाठ्यपुस्तकें सुगम्य बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुवाद मिशन ने शुरूआती चरण में अनुवाद एवं प्रकाशन के लिए 15 विषयों से 45 पाठ्यपुस्तकों का चयन किया है। यह सूची तैयार करने के लिए एनटीएम द्वारा पूरे देश में 15 भाषाओं में ज्ञान आधारित पाठ्यपुस्तकों का पता लगाने एवं भारतीय भाषाओं में ज्ञान आधारित पाठ्यपुस्तकों की मांग एवं आश्यकता जानने के लिए सर्वे का आयोजन किया गया। तकरीबन 110 भारतीय विश्वविद्यालयों में 130000 से अधिक ज्ञान पाठ्यपुस्तक शीर्षक का विशाल डेटाबेस विकसित किया गया तथा पहले चरण में शुरू करने के लिए विषयों के डेटाबेस से शीर्ष 100 अवर स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यपुस्तकों की सूची तैयार की गई। इन परिणामों को एनटीएम की परियोजना सलाहकार समिति एवं अनूदित की जाने वाली ज्ञान पुस्तकों पर उपसमिति को भेजा गया जिसने अंत में 47 पुस्तकों (खंड समेत 56 पुस्तकें) का चयन किया। मोतीलाल बनारसीदास, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस, पेंग्विन, पीयर्सन एजुकेशन, टाटा मैग्रा हिल, एएसएम प्रेस तथा वीले आदि जैसे प्रकाशकों से अनुवाद कार्य कराने के लिए वार्ता चल रही है।

एनटीएम ने अनुवाद में तकनीकी शब्दों के प्रयोग के संबंध में अपनी नीति का निर्णय करने की दिशा में भी प्रगति की है। एनटीएम ने तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली आयोग के अध्यक्ष तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में शब्दकोश निर्माण में लगे अन्य विशेषज्ञों को शामिल करके इस प्रयोजनार्थ एक विचार परिवर्तन सत्र का आयोजन किया। जिन भाषाओं में स्थापित शब्दावली उपलब्ध हो सकती है तथा जिन भाषाओं में अभी तैयार की जानी है उनके लिए रणनीति तैयार की गई। यूनाइटेड किंगडम आधारित लांगमैन पीयर्सन समूह के साथ

मिलकर एनटीएम ने 8 भाषाओं अर्थात बंगाली, हिंदी कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तमिल, पंजाबी और गुजराती में बुनियादी शब्दकोश पूरा कर लिया है तथा शीघ्र ही मराठी एवं तेलुगू में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। एनटीएम ने 8 अन्य भारतीय भाषाओं अर्थात असमी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, संस्कृत, संथाली एवं उर्दू पर काम शुरू कर दिया है। एनटीएम अनुवाद की गुणवत्ता एवं प्रगति की निगरानी के लिए प्रत्येक भाषा में संपादक समिति गठित करने के लिए भारत के विभिन्न भागों में शिक्षाविदों एवं अन्य विशेषज्ञों के साथ बैठक करना भी शुरू कर दिया है।

अपना लोगो डिजाइन करने के लिए एनटीएम ने राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसके लिए 1000 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं जिन्हें छांटा जा रहा है। एनटीएम द्वारा विकसित राष्ट्रीय अनुवाद रजिस्टर 4580 से अधिक अनुवादकों का आधान है। अनुवादकों की संवीक्षा एवं छंटनी की प्रक्रिया चल रही है। मीडिया प्रभाग ने 'अनुवाद का इतिहास' तथा 'अनुवाद के सिद्धांत' जैसे विषयों पर फिल्मों का निर्माण किया है। एनटीएम ने अपनी द्विवार्षिक पत्रिका ट्रांसलेशन टुडे का अद्यतन अंक (खंड 6) निकाला है। एनटीएम हैंडबुक तैयार करने का काम चल रहा है तथा हर महीने एक ई–न्यूज लेटर प्रकाशित किया जा रहा है। एनटीएम ने वर्ष के दौरान 45 सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं/एपिसोड, 4 परियोजना सलाहकार समिति एवं उप समिति बैठकों तथा 1 अंतःक्रियात्मक बैठक का आयोजन किया है।

अधिकृत की गई परियोजनाए तथा अन्य परियोजनाएं

अंडमान (अधिकृत) परियोजनाः अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के साथ मिलकर संस्थान इन द्वीप समूहों की भाषाओं पर काम कर रहा है। निकोबारी–हिंदी–अंग्रेजी त्रिभाषी शब्दकोश को अंतिम रूप दिया गया है। नानकोवरी भाषा (निकोबारीज के अंतर्गत) का व्याकरण तैयार करने का काम चल रहा है। इस वर्ष आखिरी तिमाही के दौरान अंडमान द्वीप समूह का एक फील्ड कार्य किया जा रहा है।

सहायता अनुदान

इस कार्यक्रम के तहत, संस्थान ने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सिंधी एवं उर्दू से भिन्न भाषाओं के लिए योजनाओं के तहत व्यक्तिगत लेखकों, शैक्षिक संगठनों, सोसायटियों एवं धर्मस्व न्यासों को वित्तीय सहायता प्रदान की। थोक प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता के 220 मामले (जिसमें से 30 एनईआर से हैं), पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए 80 मामले (23 एनईआर), विद्वत शीर्षकों के प्रकाशन के लिए 35 मामले (4 एनईआर) तथा स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता के 8 मामले (2 एनईआर) स्वीकृत किए गए है। इस योजना के तहत कुल 84 लाख रूपए का वितरण किया गया है।

स्थापना दिवस

जुलाई 2010 में स्थापना दिवस समारोह के दौरान सीआईआईएल द्वारा अनेक व्याख्यान आयोजित किए गए। भारत में भाषा शिक्षा पर तथा नीति, योजना एवं प्रथाएं, भाषायी विविधता एवं बहु भाषावाद, सहस्राब्दि लक्ष्य, चुनौती एवं नीति, एनसीएफ परिप्रेक्ष्य जैसे विषयों पर प्रख्यात विद्वान श्री गणेशदेवी तथा अनेक अन्य विद्वानों द्वारा व्याख्यान दिया गया। भारत में भाषा शिक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2 बैठकें भी आयोजित की गई।

प्रेस और प्रकाशन

संस्थान इस वर्ष 15 पुस्तकें निकाल रहा है।

क्षेत्रीय भाषा केंद्र (आरएलसी)ः मैसूर, पुणे, पटियाला, सोलन, लखनऊ, गौहाटी एवं भुवनेश्वर में स्थित 7 क्षेत्रीय भाषा केंद्रों का मुख्य उद्देश्य त्रिभाषा सूत्र को लागू करने में देश के सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना है ताकि बहुभाषी शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। आरएलसी ने 8वीं अनुसूची की 20 भाषाओं में 10 महीने का शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (जुलाई 2010 से अप्रैल 2011) शुरू किया। 2010–11 के दौरान सभी आरएलसी में प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या 280 है। आरएलसी ने 39 कार्यक्रमों (7 प्रबोधन पाठ्यक्रम, 3 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, 4 सेमिनार/सम्मेलन, 21 परियोजना कार्यशालाएं, 2राष्ट्रीय एकता शिविर तथा 2 अन्य कार्यक्रम) का अयोजन किया है। एनईआरएलसी, गौहाटी न केवल पूर्वोत्तर की असमी, बोडो, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं का शिक्षण करता है अपितु अनुसंधान कार्य भी करता हैं। जम्मू काश्मीर राज्य की डोंगरी एनआरएलसी पटियाला में पढ़ाई जाती है।

केंद्रीय हिंदी संस्थान (केएचएस), आगरा

केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है। यह मंडल अपने तत्वावधान में केंद्रीय हिंदी संस्थान चलाता है। संस्थान को अनुप्रयुक्त हिंदी भाषा विज्ञान एवं कार्यात्मक हिंदी में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए उन्नत केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके मुख्यालय में 8 विभाग हैं तथा इसके 8 क्षेत्रीय केंद्र है जो दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद, गौहाटी, शिलांग, दीमापुर, भुवनेश्वर एवं अहमदाबाद में स्थित हैं। ये केंद्र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, तुलनात्मक एवं विपर्यात्मक भाषा विज्ञान में अनुसंधान तथा फीडर क्षेत्र के हिंदी शिक्षुओं की आवश्यकतानुसार अनुदेशात्मक सामग्री की तैयारी में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा, संस्थान के चार संबद्ध कालेज हैं जो क्रमशः नागालैंड, मिजोरम, असम एवं कर्नाटक की सरकारों द्वारा अभिशासित किए जाते हैं।

संस्थान 17 से अधिक प्रकार के हिंदी शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता हैं। आज की तिथि तक संस्थान द्वारा 63334 से अधिक भारतीय एवं विदेशी छात्र/शिक्षक/छात्र–सह शिक्षक/सेवाकालीन शिक्षक तथा अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। 'विदेशों में हिंदी का प्रचार–प्रसार' कार्यक्रम के तहत संस्थान से 71 से अधिक देशों के 3612 विदेशी छात्र हिंदी सीख चुके हैं। मिजोरम हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, आइजोल संस्थान के 3 कार्यक्रम चला रहा हैः (1) हिंदी शिक्षण पारंगत (2) हिंदी शिक्षण प्रवीण (3) दो वर्षीय डिप्लोमा। हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, दीमापुर दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहा है। हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कालेज, मैसूर हिंदी शिक्षण पारंगत कार्यक्रम चला रहा है तथा हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज, गौहाटी संबंधित राज्यों के छात्रों के लाभ के लिए पारंगत पाठ्यक्रम चला रहा है। यह केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा द्वारा संचालित है तथा प्रशासनिक, वित्त एवं शैक्षिक मामले देखने के लिए इसकी अपनी शासी परिषद, वित्त समिति एवं विद्वत परिषद है।

श्रव्य दृश्य अनुदेशात्मक सामग्री (भाषा एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

(क) सीडी तैयारी योजनाः

चालू सत्र के दौरान, कुल 16 श्रव्य दृश्य एवं मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के निर्माण का प्रस्ताव है जिसमें से 9 कार्यक्रम विभाग खुद ही चलाएगा। नजीर अकबरवादी के जीवन एवं कृतियों पर एक शैक्षिक वीडियो वृत्तचित्र के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

(ख) शब्द–विषयक संसाधनों का विकासः

बुनियादी हिंदी शब्दावली के आधार पर शब्दकोश तैयार करने की परियोजना चल रही है। कारपोरा योजना के माध्यम से संग्रहीत डेटा को धीरे–धीरे सूचीबद्ध किया जाना है ताकि हिंदी प्रयोग का शब्दकोश तैयार किया जा सके।

(ग) हिंदी लोक शब्दकोश योजना (अनुसंधान एवं भाषा विकास विभाग):

	पूरी की गई प्रविष्टियां
ब्रजभाषा–हिंदी–अंग्रेजी लोकशब्द कोश	8840
राजस्थानी (मारवाड़ी)–हिंदी–अंग्रेजी–लोकशब्द कोश	8387
अवधि–हिंदी–अंग्रेजी–लोकशब्द कोश	6920
बुंदेली–हिंदी–अंग्रेजी–लोकशब्द कोश	6215

ब्रजभाषा एवं राजस्थानी (मारवाड़ी) शब्दकोश के लिए व्याकरण, संस्कृति एवं साहित्य पर सूचना से युक्त वृहद परिशिष्ट तैयार किया गया है।

प्रकाशन

संस्थान ने निम्नलिखित पुस्तकें एवं पत्रिकाएं तैयार की हैः

(i) व्यावहारिक हिंदी संरचना एवं प्रथा (5वां अंक)

(ii) समन्वय पूर्वोत्तर (7वां अंक)

(iii) गवेषणा

(iv) समन्वय

(v) मीडिया

(vi) विश्व भारती

(vii) संस्थान समाचार

संस्थान की गतिविधियों का महत्व यह है कि यह देश के हर भाग के प्रतिभागियों से जुड़ा है। प्रवेश में संस्थान सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। इन गतिविधियों में समाज का हर वर्ग भाग लेता है। कुल मिलाकर संस्थान के कार्यक्रमों में महिला छात्रों की भागीदारी पुरूष छात्रों की तुलना में अधिक है।

केंद्रीय शास्त्रीय तमिल भाषा संस्थान (सीआईसीटी), चेन्नई

शास्त्रीय तमिल को बढ़ावा देने संबंधी अपने प्रयासों को जारी रखते हुए सीआईसीटी ने चेन्नई स्थित अपने कार्यालय से एक स्वायत्त संगठन के रूप में 19 मई 2008 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संगठन के रूप में काम करना शुरू किया। सीआईसीटी की स्थापना से तमिल के विकास की केंद्रीय योजना का सीआईसीटी में विलय हो गया है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य तमिल के शास्त्रीय चरण (शुरूआती अवधि से लेकर 600 ईस्वी सन) से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना है। सीआईसीटी के शासी मंडल का गठन किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से विभिन्न पद (शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक) सृजित किए गए हैं। पदों के लिए भर्ती नियमावली बनाई जा रही है।

प्रमुख योजनाएं

10 प्रमुख परियोजनाएं, पुरस्कार, अध्येतावृत्तियां, अल्पावधिक परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान, कार्यक्रम (बैठक, कार्यशाला, प्रशिक्षण एवं सेमिनार), पुस्तकालय, प्रकाशन (सूचना पत्र, पुस्तकें एवं सीडी), वेबसाइट आदि हैं। 3 वर्ष अर्थात 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 के लिए भारत के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा शास्त्रीय तमिल के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के 17 अवार्डों की सूची अनुमोदित की गई है तथा उसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। 2008–09 के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इसके अलावा, शास्त्रीय तमिल पर अनुसंधान में लगे योग्य युवा शोधकर्ताओं को 20 डाक्टोरल एवं 3 पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्तियां भी प्रदान की गई हैं। प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं से संबद्ध 47 प्रख्यात विद्वानों को अल्पावधिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। 31 प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं 31 सेमिनारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तमिलनाडु के केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरूवरूर में शास्त्रीय तमिल अध्ययन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सीआईसीटी के साथ मिलकर शुरू करने का प्रस्ताव आरंभ किया गया है।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद देश में उर्दू भाषा के संवर्धन का काम देखता है तथा भारत सरकार को उर्दू भाषा एवं इसकी शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर सलाह देता है।

कंप्यूटर अनुप्रयोग एवं बहुभाषायी डीटीपी केंद्रों की स्थापना

वर्ष के दौरान कंप्यूटर अनुप्रयोग, व्यवसाय लेखाकरण एवं बहुभाषायी डीटीपी में संशोधित एवं स्तरोन्नत ओ–लेवल के एकवर्षीय डिप्लोमा के तहत पंजीकृत एनजीओ के माध्यम से 30 नए एनसीपीयूएल सहायता प्राप्त कंप्यूटर अध्ययन केंद्र खोले गए जिनका कार्यान्वयन सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन डीओईएसीसी के माध्यम से किया जा रहा है। इसकी वजह से विद्यमान 328 केंद्रों की संख्या बढ़कर 358 हो गई है जिनमें 8000 लड़कियों समेत 21000 छात्रों को दाखिला दिया गया ताकि उर्दू भाषी लड़कों एवं लड़कियों को तकनीकी शिक्षा दी जा सके और वे नियोज्य प्रौद्योगिकी कार्यबल में शामिल हो सकें। आज की तिथि तक लड़कियों समेत 60 प्रतिशत छात्रों ने निजी एवं स्थानीय संस्थाओं में रोजगार प्राप्त किया है।

सुलेखन एवं ग्राफिक डिजाइन केंद्र

परंपरागत सुलेखन के परिरक्षण एवं संवर्धन के प्रयोजनार्थ विद्यमान 38 सुलेखन एवं ग्राफिक डिजाइन केंद्रों को जारी रखा जा रहा है। लगभग 950 छात्र यह पाठ्यक्रम कर रहे हैं।

सहायता अनुदान (उर्दू)

126 सेमिनार, 20 व्याख्यानमाला, 5 अल्पावधिक अध्ययन, 4 शोध परियोजनाएं, प्रमाणित लेखकों की 232 पुस्तकों के लिए चुनिंदा उर्दू संवर्धन गतिविधियों की सहायता के लिए 235 एनजीओ/एजेंसियों को वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई जिसमें देश के उर्दू पुस्तकालयों को निःशुल्क वितरण के लिए खरीदी गई 57 पत्रिकाएं शामिल हैं तथा मुद्रण सहायता प्रदान करने के लिए 80 लेखकों की पांडुलिपियां चुनी गई। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की उर्दू सेवा लेने के लिए 71 छोटे एवं मझोले समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता दी गई।

प्रकाशन संबंधी गतिविधियां

एनसीपीयूएल भारत सरकार के अधीन प्रधान प्रकाशन गृह है। 10 नए शीर्षक, 48 पुनर्मुद्रण, उर्दू दुनिया के 12 अंक तथा तिमाही पत्रिका फिकर–ओ–तहकीक के 4 अंक प्रकाशित किए गए।

पुस्तक संवर्धन

उर्दू पुस्तक मेला का आयोजन करके उर्दू पुस्तकों की बिक्री एवं प्रदर्शनी का कार्य किया जाता है। आज की तिथि तक देश के विभिन्न स्थानों में 11 पुस्तक मेले आयोजित किए गए। एनबीटी समेत अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित 5 पुस्तक मेलों

में एनसीपीयूएल ने भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में उर्दू प्रकाशन उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के विभिन्न जिलों को कवर करने के लिए प्रदर्शनी वैन के 4 दौरों का आयोजन किया गया।

शैक्षिक परियोजनाएं/सहयोग

एनसीपीयूएल ने शब्दकोशों, विश्वकोशों, बाल साहित्य एवं संदर्भ पुस्तकों के निर्माण की विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं को जारी रखा। आईटीआई की 10 पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद कराया गया तथा उर्दू से कन्नड़ में शब्दकोश के अनुवाद एवं संकलन का कार्य पूरा किया गया। एनसीपीयूएल उर्दू पत्रकारिता, रचनात्मक लेखन, उर्दू माध्यम के शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण साफ्टवेयर आधारित एनीमेशन के विकास तथा टीवी में उत्पादन एवं प्रसारण पर अल्पावधि पाठ्यक्रम पर नई परियोजनाएं चला रहा है।

दूरस्थ शिक्षा (उर्दू)

एनसीपीयूएल प्रत्यायित केंद्रों एवं डायरेक्ट शिक्षु के माध्यम से उर्दू पत्राचार पाठ्यक्रम चलाता है। विद्यमान 616 केंद्रों के अलावा 318 नए उर्दू अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए जिससे इनकी कुल संख्या 934 हो गई जिसमें कंप्यूटर केंद्र शामिल हैं जिनके लिए कंप्यूटर कार्यक्रम करने वाले शिक्षुओं के संबंध में उर्दू डिप्लोमा अनिवार्य है। लगभग 1458 अंशकालिक उर्दू शिक्षकों को रोजगार दिया गया तथा 60072 छात्र दाखिल हुए जिनमें 25817 लड़कियां शामिल हैं। आनलाइन कार्यक्रम की पाठ्यक्रम सामग्री भी सीआईआईएल के साथ मिलकर तैयार की जा रही है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर उर्दू सीखा जा सकता है।

अरबी एवं फारसी का संवर्धन

उपर्युक्त के अलावा एनसीपीयूएल को भारत की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण के लिए शास्त्रीय भाषा अरबी एवं फारसी को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कार्यात्मक अरबी में विद्यमान तथा एकवर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रत्यायित केंद्रों एवं डायरेक्ट शिक्षु के माध्यम से चलाए जाते हैं। विद्यमान 265 केंद्रों के अलावा 231 नए केंद्र स्थापित किए गए हैं जिससे केंद्रों की कुल संख्या 496 हो गई है। दोनों पाठ्यक्रमों में दाखिल 25698 शिक्षुओं का पढ़ाने के लिए 779 अंशकालिक उर्दू शिक्षको को रोजगार दिया गया। अरबी एवं फारसी की पुस्तकों की थोक में खरीद तथा सेमिनार, व्याख्यानमाला आयोजित करने के लिए पांडुलिपि प्रकाशन के लिए 18 स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई।

कार्यालय भवन का निर्माण

एनसीपीयूएल का कार्यालय जसोला, नई दिल्ली में नव निर्मित भवन में स्थानांतरित किया गया जिसने 1 अप्रैल 2010 से काम करना शुरू किया।

राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीएसएल)

राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन पूर्णतया वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका उद्देश्य सिंधी भाषा का विकास करना एवं प्रचार–प्रसार करना तथा सिंधी में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास के ज्ञान तथा आधुनिक संदर्भ में विकसित विचारों के ज्ञान को उपलब्ध कराना तथा सिंधी भाषा से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देना है।

सिंधी भाषा के प्रसार–प्रचार एवं विकास के लिए, संगठन निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करता है:

- (i) सिंधी भाषा से संबंधित चयनित संवर्धनात्मक गतिविधियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता;
- (ii) साहित्यिक कृतियों के लिए सिंधी लेखकों को अवार्ड;
- (iii) शैक्षिक संस्थाओं/विद्यालयों/कालेजों/सार्वजनिक पुस्तकालयों आदि को निःशुल्क वितरण के लिए संबंधित वित्त वर्ष के दौरान प्रकाशित/निर्मित सिंधी भाषा से संबंधित श्रव्य/दृश्य कैसेटों/पुस्तकों/पत्रिकाओं की थोक में खरीद;
- (iv) सिंधी भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन एवं क्रय के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती हैं; और
- (v) सिंधी भाषा अध्ययन कक्षाओं का संचालन।

लेखकों को वित्तीय सहायता

27 लेखकों/व्यक्तियों को अपनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता दी गई। एनसीपीएसएल द्वारा सिंधी कहानी – 'तबसारा अइन जैजा' नामक पुस्तक प्रकाशित की गई।

पुरस्कार

साहित्यकार सम्मान अवार्ड और साहित्य रचना सम्मान अवार्ड के तहत सिंधी साहित्य में आजीवन योगदान के लिए ₹ 50000 का आजीवन उपलब्धि पुरस्कार तथा योग्य व्यक्तियों को ₹ 30000 के 7 मेरिट अवार्ड सिंधी साहित्य एवं भाषा में उनके योगदान की पहचान में दिया जाता है।

सेमिनार / कार्यशालाएं

देश के विभिन्न भागों में सिंधी परिवार नं. 1 पर 4 सेमिनार, 1 राष्ट्रीय कार्यशालाएं तथा 15 कार्यक्रम तथा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता योजना के तहत असनजी विरासत कार्यक्रम संचालित किए गए। सेमिनार / सम्मेलन आयोजित करने के लिए 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी गई।

असजनी विरासत कार्यक्रम के तहत 19 व्यक्तियों (14 पुरूष एवं 5 महिलाएं) का साक्षात्कार लिया गया है तथा डीवीडी पर रिकार्ड किया गया है जिसमें वरिष्ठ सिंधी नागरिकों ने 1947 में भारत आने वाले सिंधियों के यात्रा तथा आत्मनिर्भरता की उनकी यात्रा की झलक प्रदान की है। सिंधियों की भावी पीढ़ी के लिए ये दस्तावेज परिरक्षित किए जा रहे हैं।

पुस्तकों / सीडी / डीवीडी का निःशुल्क वितरण

देश के विभिन्न भागों में सिंधी भाषा के प्रचार–प्रसार के लिए, स्कूलों / कालेजों / पुस्तकालयों / शिक्षा संस्थाओं को निःशुल्क वितरण के लिए 87 पुस्तकें, 37 डीवीडी / सीडी तथा 9 पत्रिकाएं खरीदी गईं।

प्रमाणपत्र / डिप्लोमा पाठ्यक्रम

10 विभिन्न केंद्रों अर्थात थराड (गुजरात), आदिपुर – 3 केंद्र (गुजरात), मुंबई – 2 केंद्र (महाराष्ट्र), अजमेर (राजस्थान), नाडियाड (गुजरात), बडोदरा (गुजरात), अहमदाबाद (गुजरात) में सिंधी भाषा अध्ययन योजना के तहत 1668 छात्रों को सिंधी अध्ययन में प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / उन्नत डिप्लोमा प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (आरएसकेएस), दिल्ली

संस्कृत ने सभी भारतीय भाषाओं के विकास में तथा कुछ विदेशी भाषाओं के भी विकास में तथा भारत के सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण में तथा सामान्य तौर पर विश्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कमोवेश सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है तथा भारत की एक भी भाषा संस्कृत की भाषाई सहायता के बिना फल–फूल नहीं सकती। सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत की समृद्धि से पोषित एवं पल्वित हैं। संस्कृत प्राचीन विज्ञानों की सैद्धांतिक नींव भी प्रदान करती है। इसलिए भारत में चहुंमुखी विकास के लिए संस्कृत का परिरक्षण एवं प्रचार–प्रसार आवश्यक है। इस जिम्मेदारी से पूर्णतः अवगत होकर भारत सरकार ने संस्कृत भाषा एवं साहित्य एवं परंपरागत शास्त्रों के प्रचार–प्रसार एवं परिरक्षण तथा पूरे देश में तथा विदेशों में संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वायत संगठन के रूप में अक्टूबर 1970 में आरएसकेएस की स्थापना की। संस्थान भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है तथा संस्कृत भाषा एवं संस्कृति से संबंधित सभी नीतिगत मामलों में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में काम करता है।

संस्थान का मुख्य उद्देश्य संस्कृत अध्ययन एवं अनुसंधान का प्रचार–प्रसार करना, विकास करना तथा प्रोत्साहित करना है। चूंकि संस्कृत पाली एवं प्राकृत भाषाओं से अनिवार्य रूप से जुड़ी है, इसलिए 2009–10 से संस्थान ने पाली एवं प्राकृत दोनों भाषाओं एवं उनके साहित्य को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। संस्थान अपने सभी परिसरों के लिए केंद्रीय, प्रशासनिक एवं समन्वय मशीनरी के रूप में भी काम करता है। भारत सरकार ने संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार किए हैं तथा उनको राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है। संस्थान अपनी स्थिति, बहु कैंपस निकाय के कारण शास्त्रों, संस्कृत भाषा एवं साहित्य से संबंधित सभी प्रयासों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। संस्थान को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तथा यूजीसी द्वारा 7 मई 2002 से सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इस समय इलाहाबाद, लखनऊ, पुरी, गुरूवयूर (केरल), भोपाल, मुंबई, जयपुर, जम्मू, गार्ली एवं श्रींगेरी स्थित अपने 10 परिसरों का प्रबंधन कर रहा है। परिसर

विद्यावारिधी (पीएचडी) की डिग्री दिलाने वाले अनुसंधान कार्य संचालित कर रहे हैं तथा आचार्य एवं शास्त्री स्तर पर संस्कृत के विभिन्न विषयों में भी शिक्षा दे रहे हैं। 8 परिसरों में शिक्षा शास्त्री (बीएड) भी उपलब्ध है।

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान विभिन्न विषयों अर्थात न्याय व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, साहित्य, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, सर्वदर्शन, वेद, न्याय (नव्य), मीमांसा, अद्वैत वेदांत, धर्मशास्त्र, विशिष्टाद्वैत, वेदांत, सांख्य योग, पौरोहित्य, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, पुराना इतिहास में परंपरागत विषयों के रूप में तथा अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन में शास्त्री (बीएड) एवं आचार्य (एमए) स्तरीय शिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसके अलावा, अवर स्नातक स्तर पर राजनीतिशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, सामाज विज्ञान आदि जैसे एक आधुनिक विषय के लिए शिक्षण सुविधा भी प्रदान की जाती है। शिक्षा शास्त्री (बीएड) एवं शिक्षा आचार्य (एमएड) के पाठ्यक्रम परिसरों में भी संचालित किए जा रहे हैं। परिसर शोध कार्यक्रम भी चलाते हैं जिससे विद्यावारिधी (पीएचडी) की डिग्री मिलती है। वर्ष के दौरान संस्थान की परीक्षाओं में लगभग 1500 छात्र बैठे। पाली एवं प्राकृत भाषाओं के प्रचार–प्रसार के लिए भी संस्थान विभिन्न कार्य करता है।

विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता

संस्कृत शिक्षकों को ₹ 6000 प्रतिमाह वेतन, संस्कृत छात्रों को ₹ 300 प्रतिमाह छात्रवृत्ति, भवनों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए अनुदान, फर्नीचर एवं पुस्तकालय पुस्तकों की खरीद आदि के लिए अनुदान देकर संस्थान संस्कृत के विकास, प्रचार–प्रसार, एवं संवर्धन में लगे स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब तक 746 स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को योजना के तहत सहायता दी गई है। संस्थान शोध संस्थानों समेत 25 आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता देता है जिनका 95 प्रतिशत आवर्ती एवं 75 प्रतिशत अनावर्ती व्यय संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2008–09 के दौरान 3090 छात्र लाभांवित हुए जबकि 2009–10 के दौरान लाभग्राहियों की संख्या बढ़कर 3882 हो गई। संस्थान शास्त्र चूड़ामणि योजना के तहत परिसरों, आदर्श संस्कृत पाठशालाओं एवं अन्य राज्य संस्कृत कालेजों में पढ़ाने के लिए ₹ 6000 प्रतिमाह की दर से 150 सेवानिवश्त्त प्रख्यात संस्कृत विद्वानों को मानदेय भी देता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के आयोजन, संस्कृत की दुर्लभ पुस्तकों की खरीद एवं प्रकाशन तथा अखिल भारतीय शिक्षा प्रतियोगिता आदि के आयोजन के लिए भी वित्तीय सहायती दी जाती है।

संस्कृत शब्दकोश परियोजना, पुणे के लिए वित्तीय सहायता

डेक्कन कालेज, स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, पुणे ने ऐतिहासिक सिद्धांतों पर विश्वकोशमय संस्कृत शब्दाकोश तैयार करने की परियोजना हाथ में ली। इस परियोजना के व्यय का मुख्य स्रोत राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। संस्थान द्वारा कुल ₹ 560.91 लाख की राशि जारी की गई है।

अनौपचारिक संस्कृत शिक्षा

अनौपचारिक संस्कृत शिक्षा के लिए कुल 1092 केंद्र चल रहे हैं। प्रत्येक केंद्र वर्ष में दो बार तीन स्तरों पर शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में तकरीबन 35000 छात्रों के संस्कृत के अध्ययन से लाभांवित होने की उम्मीद है।

आधुनिक विषयों के शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता

संस्थान परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं/महाविद्यालयों में आधुनिक विषयों के शिक्षकों तथा जहां राज्य सरकार ऐसी सुविधा प्रदान करने की स्थिति में नही है वहां राज्य सरकार के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संस्कृत शिक्षकों के वेतन के लिए भी वित्तीय सहायता दे रहा है। वर्ष के दौरान, संस्थान ने आधुनिक शिक्षकों के लिए 89 संस्थाओं तथा 103 संस्कृत शिक्षकों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। संस्थान ने संस्कृत विकास योजना के तहत कक्षा 9 से आचार्य स्तर तक के 17280 छात्रों को ₹ 5.26 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की है।

दयनीय परिस्थितियों में संस्कृत पंडितों को सम्मान राशि

संस्थान ऐसे प्रख्यात पंडितों को प्रतिमाह ₹ 24000 की दर से सम्मान राशि के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक है तथा दयनीय स्थिति में हैं। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 231 पंडित सम्मान राशि प्राप्त कर रहे हैं।

राष्ट्रपति पुरस्कार योजना

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हर वर्ष 16 विद्वानों को संस्कृत के लिए प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की जाती है जिसमें एनआरआई या विदेश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अरबी एवं फारसी में 3–3 तथा पाली/प्राकृत हेतु एक शामिल है। यह पुरस्कार ऐसे विद्वानों को दिया जाता है जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक होती है। इसके अलावा, संस्कृत में महर्षि बद्रायन ब्यास सम्मान के 5 पुरस्कार, तथा पाली/प्राकृत, अरबी एवं फारसी के लिए एक–एक पुरस्कार 30–40 आयुवर्ग के युवा विद्वानों को देने की घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक अलंकरण समारोह में दिए जाते हैं। वर्ष 2010 के लिए, संस्कृत के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए एनआरआई या विदेशी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समेत 16 पुरस्कार, फारसी में 3 एवं अरबी में 2, पाली/प्राकृत में 1 पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार में संस्कृत विद्वानों को ₹ 5 लाख का एकबारगी अनुदान तथा अन्य अवार्डो को आजीवन ₹ 50000 प्रतिवर्ष दिया जाता है। महर्षि बद्रायन ब्यास सम्मान का एक भी पुरस्कार नहीं दिया गया।

एनजीओ तथा सम विश्वविद्यालयों, आदि को वित्तीय सहायता

संस्कृत के प्रचार–प्रसार एवं विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिए एनजीओ तथा सम संस्कृत विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को वर्ष के दौरान ₹ 108.31 लाख की वित्तीय सहायता दी गई है।

संस्कृत साहित्य का राष्ट्रीय ई–डेटा बैंक

सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते रूझानों के मद्देनजर, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने संस्कृत के विकास के लिए ई–बुक्स एवं ई–जर्नल्स विकसित किया है। ई–बुक्स इसलिए विकसित किया गया है कि छात्र/विद्वान अपनी सुविधानुसार अपने घर से इन पुस्तकों तक पहुंच प्राप्त कर सकें। ये पुस्तके छात्र/विद्वान की आवश्यकतानुसार संस्कृत के अध्ययन में सुविधा प्रदान करती हैं। संस्कृत की 537 दुर्लभ पुस्तकें स्कैन की गई हैं तथा संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं। इसके अलावा, वेबसाइट पर 63 ई–बुक्स एवं एक ई–जर्नल भी उपलब्ध है। इन पुस्तकों को यूआरएल www.sanskrit.nic.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। शुरू की गई नई परियोजनाएं हैं: (1) संस्कृत तथा भारतीय बोलियों एवं उपबोलियों के शब्दकोश की परियोजना; (2) संस्कृत साहित्य का राष्ट्रीय ई–डेटा बैंक; (3) तिमाही समाचार बुलेटिन संस्कृत वार्ता एवं अर्धवार्षिक पत्रिका विमर्श का प्रकाशन; (4) हू इज हू; तथा (5) पांडुलिपियों का डेटा बैंक।

भाषा मंदाकिनी का टीवी पर प्रसारण

संस्थान इग्नू द्वारा प्रसारित किए जा रहे ज्ञान दर्शन, डीडी–II के भाषा मंदाकिनी (भाषा चैनल) तथा डीडी भारती एवं प्रसार भारती चैनल के डीडी इंडिया के लिए संस्कृत साफ्टवेयर के निर्माण की आयोजना एवं मॉनिटरिंग के लिए नोडल एजेंसी के रूप मे काम करता है।

सहायता अनुदान

देश के विभिन्न भागों में स्थित 746 स्वैच्छिक संगठनों को कुल ₹ 1036.03 लाख का अनुदान दिया गया है, जिसमें से 35 संगठनों ने ₹ 5 लाख से अधिक अनुदान प्राप्त किया। सभी संगठनों ने दिए गए अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए विशेष प्रावधान

संस्थान स्वैच्छिक संस्कृत शिक्षकों को वेतन देता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न सेमिनार, राष्ट्रीय संस्कृत ड्रामा/महोत्सव का आयोजन कर रहा है। अनौपचारिक संस्कृत शिक्षा के तहत 105 केंद्रों को ₹ 24.88 लाख की राशि संस्वीकृत की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 994 छात्रों को ₹ 30.18 लाख की राशि वितरित की गई है। संस्कृत शिक्षा विकास योजना के तहत 91 संस्कृत एवं 34 आधुनिक शिक्षकों को भुगतान के लिए ₹ 90.00 लाख की राशि जारी की गई है। राधा माधव संस्कृत महाविद्यालय, नाम्बोल, मणिपुर ने जयदेव पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जिसका वित्तपोषण संस्थान ने किया। इस प्रयोजनार्थ ₹ 10 लाख की राशि संस्वीकृत की गई है।

महर्षी संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना जनवरी, 1987 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त संगठन के रूप में उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ की गई थी– (क) वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा का परीक्षण, संरक्षण और विकास करना; (ख) पाठशालाओं के साथ–साथ अन्य तरीकों और संस्थाओं के माध्यम से वेदों का अध्ययन;

(ग) वेदों के कीमती ज्ञान को बाहर लाने हेतु अनुसंधान सुविधाओं का सृजन और प्रोत्साहन और उन्हें वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार बनाना; और (घ) सूचना को एकत्र करने और संबंधित सामग्री के साथ प्रकाशन के भंडारण हेतु और विभिन्न तरीकों से उन्हें मिलाने के लिए अवसरंचना और अन्य बातों का सृजन करना। 2010–11 के दौरान महत्वपूर्ण कार्यक्रम और क्रियाकलाप निम्नवत हैं:

वैदिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता

प्रतिष्ठान के लक्ष्यों में से एक पूरे देश में वैदिक पाठशालाओं की स्थापना, उन्हें अधिकार में लेना, उनका प्रबंधन व पर्यवेक्षण करना या प्रतिष्ठान के किसी लक्ष्य को बनाए रखने के लिए उन्हें चलाए रखना है। इस प्रावधान के अंतर्गत, देश के विभिन्न वेद पाठशालाओं/विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वेदों के सस्वर पाठ की मौखिक परंपरा के परिरक्षण की योजना

यह योजना, जो सरकार में 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि से चल रही थी, प्रतिष्ठान को निष्पादन के लिए 1 अप्रैल 1994 से सौंपी गई। यह योजना वेद के सस्वर पाठन की मौखिक परंपरा को बनाए रखने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हैं। योजना के तहत अपने घर पर या बस्ती में किसी उपयुक्त स्थान पर छात्रों को पढ़ाने के लिए एक स्वाध्यायी शिक्षक की जरूरत होती है।

सबके लिए वैदिक कक्षाएं

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठान द्वारा सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। ये प्रतिष्ठान द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित होते हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रतिष्ठान ने इस गतिविधि को जारी रखा तथा विभिन्न संगठनों द्वारा सेमिनारों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

वैदिक सम्मेलन

प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों में वैदिक सम्मेलनों का महत्वपूर्ण स्थान है तथा ये देश में वैदिक अध्ययन एवं ज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए हैं। अखिल भारतीय स्तर का 1 तथा क्षेत्रीय स्तर के 6 तीन दिवसीय वैदिक सम्मेलन आयोजित किए गए। ये सम्मेलन प्रख्यात वैदिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, विद्यापीठों आदि के साथ मिलकर आयोजित किए जाते हैं। सम्मेलनों के आयोजन के लिए प्रख्यात विद्वानों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की आयोजन समितियां गठित की जाती हैं। 2009–10 के दौरान इरिन्जालकुडा (केरल) तथा पुरी (उड़ीसा) में 2 क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। 2010–11 के दौरान एक अखिल भारतीय सम्मेलन औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में आयोजित किया गया है तथा क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन कोलकाता (पश्चिम बंगाल), बलसाड (गुजरात) में आयोजित किए गए हैं।

पत्रिका का प्रकाशन

प्रतिष्ठान "वेदविद्या" नामक एक पत्रिका प्रकाशित कर रहा है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत में वेद से संबंधित उत्कृष्ट शोध पत्रों/लेखों को छापा जाता है ताकि विद्वानों के साथ–साथ आम जनता भी लाभान्वित हो सके।

पत्राचार पाठ्यक्रमः घर बैठे वेदों की शिक्षा

प्रतिष्ठान द्वारा एक पत्राचार पाठ्यक्रम "घर बैठे वेदों की शिक्षा" शुरू किया गया है। सफल होने वाले अभ्यर्थियों को "वेद निपुण" नामक प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य लोगों में वेद के ज्ञान का प्रसार करना है। इस समय इस योजना के तहत 35 विद्वान पंजीकृत हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वैदिक ज्ञान का प्रसार

संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा विशेष रूप से असम में वैदिक अध्ययन के गहन प्रचार–प्रसार के लिए, गोलाघाट (असम) में एक क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन आयोजित किया गया हैं। राष्ट्र विरोधी एवं आतंकवादी गतिविधियों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए उम्मीद की जाती है कि वैदिक अध्ययनों पर आधारित हमारी सदियों पुरानी परंपरा एवं विरासत के ज्ञान से निश्चित रूप से इस तरह की अवांछनीय समस्याओं के निराकरण में सहायता मिलेगी। उपर्युक्त क्षेत्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रतिष्ठान द्वारा सभी संगठनों को नियमानुसार प्रदान की जा रही हैं।

वृद्ध वेद पंडितों को वित्तीय सहायता

2010--11 के दौरान वृद्ध वेद पंडितों को सहायता की उनकी योजना में प्रतिष्ठान के अंशदान के रूप में वेद पाठ निधि ट्रस्ट, चेन्नई को ₹ 5.5 लाख का अनुदान दिया जाना है। प्रतिष्ठान ऐसे वश्द्ध वेद पंडितों को वित्तीय सहायता सीधे भी देता है जिनकी उम्र 60 से अधिक हो गई है तथा वेद पाठ करने में अक्षम हो गए हैं।

असम, सिक्किम एवं त्रिपुरा में वेद विद्यालयों एवं गुरूकुलों की स्थापना

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निम्नलिखित वैदिक पाठशालाएं तथा गुरू शिष्य परंपरा यूनिटें चल रही हैं तथा एमएसआरवीवीपी द्वारा विहित मानदंडों के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता दी गई है:

(i) गौहाटी (असम) में एक वैदिक पाठशाला

(ii) अगरतल्ला (त्रिपुरा) में एक वैदिक पाठशाला

(iii) सोनितपुर (असम) में एक गुरू शिष्य परंपरा यूनिट

(iv) सिक्किम में एक गुरू शिष्य परंपरा यूनिट

राजभाषा

मंत्रालय के दोनों विभाग राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम की सभी मदों पर समुचित ध्यान दे रहे हैं।

हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर मंत्रालय के दोनों विभागों द्वारा हिंदी में दिया जा रहा है।

यह मंत्रालय हिंदी के प्रयोग के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सरकारी पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करने का पूरा प्रयास कर रहा है।

वर्ष के दौरान अधिसूचित कार्यालय

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस मंत्रालय के दोनों विभागों के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली; इलाहाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूअनंतपुरम स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय तथा दिल्ली, पंचकुला, इलाहाबाद एवं अजमेर स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 4 कार्यालय राजभाषा नियमावली के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं।

राजभाषा निरीक्षण

(i) इस मंत्रालय द्वारा

वर्ष 2010–11 के दौरान मंत्रालय ने 'क' 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र में स्थित क्रमशः 15, 5 एवं 15 अधीनस्थ कार्यालयों/विश्वविद्यालयों के निरीक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई है। इसके अलावा, अधीनस्थ कार्यालयों की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है।

(ii) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने इस मंत्रालय के 11 कार्यालयों का निरीक्षण किया है।

(iii) इसके अलावा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, मंत्रालय की राजभाषा यूनिट ने मंत्रालय के 29 अनुभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अनुभाग का ध्यान राजभाषा के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों की ओर दिलाया गया।

प्रशिक्षण

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलेखन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दोनों विभागों के कर्मचारियों को नामित करता है।

मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को हिंदी टंकण में प्रशिक्षण दिया गया है।

मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग की मॉनिटरिंग

मंत्रालय इन कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में प्रगति की निगरानी करने के लिए अपने अधीनस्थ कार्यालयों से विभागीय राजभाषा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त तथा तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करता हैं। मंत्रालय द्वारा रिपोर्टों एवं कार्यवृत्तों की समीक्षा की जाती है तथा उपचारी कदमों का सुझाव दिया जाता है। सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए मंत्रालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों आदि में न्यूनतम हिंदी पदों के सृजन पर नजर रखता है। न्यूनतम हिंदी पद अर्थात 1 हिंदी अधिकारी, 1 हिंदी अनुवादक तथा 1 हिंदी टंकक सृजित करने के लिए निर्देश मंत्रालय द्वारा सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किए गए हैं।

विभागीय पत्रिका "शिक्षायण"

इस मंत्रालय तथा मंत्रालय के अधीन कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी सृजनशीलता व्यक्त करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करने के निमित्त, इस मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग ने विभागीय पत्रिका शिक्षायण का प्रथम संस्करण निकाला। इस पत्रिका को एक नया रूप दिया गया है तथा इसका दूसरा संस्करण 09.07.2010 को हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा विमोचित किया गया। इसके अगले संस्करण का प्रकाशन प्रक्रियाधीन है।

हिंदी कार्यशालाएं

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मंत्रालय में 30 अप्रैल 2010 तथा 10 सितंबर 2010 को दो हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में क्रमशः 23 और 24 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

अनुवाद कार्य

सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के अलावा, मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग विभिन्न कागजातों, दस्तावेजों, रिपोर्टों आदि का अनुवाद कार्य भी करता है जो मंत्रालय के दोनों विभागों द्वारा नियमानुसार हिंदी एवं अंग्रेजी में जारी किए जाने होते हैं।

मंत्रालय में हिंदी पखवाड़ा

वर्ष के दौरान सितम्बर में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं में 143 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं का ब्यौरा इस प्रकार हैः

- निबन्ध
- हिंदी टिप्पण/आलेखन
- कविता पाठ
- हिंदी सुलेख
- वाद–विवाद

अखिल भारतीय राजभाषा सेमिनार

मंत्रालय के तत्वावधान में गोवा में 10 जनवरी 2011 को अखिल भारतीय राजभाषा सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का विषय ''शिक्षा के बदलते आयाम और राजभाषा हिंदी'' था। सम्मेलन का उद्‌घाटन मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने किया। 'हिंदी की वर्तमान स्थिति – राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में' पर पद्‌मश्री डा. वाई लक्ष्मी प्रसादोन द्वारा दिए गए व्याख्यान के अलावा सेमिनार में वक्ताओं द्वारा 'ई–अभिशासन और राजभाषा हिंदी' तथा 'सरल हिंदी शब्दावली और आनलाइन हिंदी' पर भी व्याख्यान दिया गया। इस मंत्रालय के अधीन कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों आदि में राजभाषा के कार्यान्वयन का काम देखने वाले 90 अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

वेबसाइट

मंत्रालय के उच्च शिक्षा की वेबसाइट दोनों भाषाओं अर्थात अंग्रेजी एवं हिंदी मे उपलब्ध है।

मंत्रालय के अधीन सभी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को हर रोज अपनी वेबसाइट पर एक ऐसा शब्द डालने का निदेश दिया गया है जो उनके काम से संबंधित होता है। इसके अनुसरण में भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ तथा पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी अपनी वेबसाइट पर हर रोज एक शब्द डाल रहे हैं।

हिंदी शब्द

14 मार्च 2008 से मंत्रालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर रोज 'आज का शब्द' प्रदर्शित किया जा रहा है। आज की तिथि तक 703 शब्द प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शित शब्द मंत्रालय के काम–काज से संबंधित होते हैं।

समितियां

(i) केंद्रीय हिंदी समिति

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय हिंदी समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की जाती है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री इस समिति के सदस्य हैं।

(ii) हिंदी सलाहकार समिति

मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति की बैठक 9 जुलाई 2010 को माननीय मंत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मंत्रालय के दोनों विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार तथा इस संबंध में उपचारी कदमों पर विस्तार से विचार–विमर्श हुआ।

(iii) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव (एएंडएल) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित हो रही हैं। बैठकों में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की जाती है।

मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग मंत्रालय में तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों/निकायों में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है।

पुस्तक संवर्धन एवं कापीराइट

14

कापीराइट कार्यालय

कापीराइट कार्यालय की स्थापना 1958 में कापीराइट अधिनियम 1957 की धारा 9(1) के तहत उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में की गई। इसके प्रमुख कापीराइट रजिस्ट्रार है जिनके पास कापीराइट से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अर्ध–न्यायिक अधिकार हैं। कापीराइट कार्यालय का मुख्य कार्य कापीराइट का पंजीकरण करना है। कापीराइट कार्यालय द्वारा अनुरक्षित कापीराइट रजिस्टर कापीराइट की कृतियों के संबंध में आम जनता को सूचना प्रदान करता है। इसके पंजीकरण के अलावा, रजिस्टर का निरीक्षण, उससे उद्धरण लेने के कार्यों में सुविधा प्रदान करता है जो कापीराइट कार्यालय में उपलब्ध होता है। कापी राइट कार्यालय बी 3/डब्ल्यू 4, कर्जन रोड बैरक्स, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली से जुलाई 2010 में इसके नए कार्यालय, चौथी मंजिल जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली को शिफ्ट हो गया।

कापीराइट कार्यालय का कार्यकरण

जैसा कि कापीराइट अधिनियम 1957 की धारा 13 में प्रावधान है, कापीराइट में निम्नलिखित श्रेणी की कृतियों शामिल होती है:

(क) मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय एवं कलात्मक कृतियां;

(ख) सिनेमेटोग्राफिक फिल्में; और

(ग) ध्वनि रिकार्डिंग

कापीराइट नियमावली 1958 के नियम 16 के अनुसरण में कापीराइट कार्यालय कापीराइट के रजिस्टर में दर्ज कापीराइट में परिवर्तनों को भी पंजीकृत करता है। कापीराइट का अधिग्रहण आटोमेटिक है तथा इसके लिए किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं होती। जैसे ही कृति का सृजन होता है, कापीराइट अस्तित्व में आ जाता है तथा कापीराइट प्राप्त करने के लिए किसी औपचारिकता को पूरा करने की जरूरत नहीं होती। तथापि, अधिनियम की धारा 48 के अनुसार कापीराइट पंजीकरण के प्रमाणपत्र तथा उनमें प्रविष्टियां प्रथम दृष्टया कापीराइट के स्वामित्व से संबंधित विवाद के संबंध में किसी न्यायालय में साक्ष्य का काम करती हैं।

अधिनियम की धारा 47 में निर्धारित फीस का भुगतान करके किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा कापीराइट के पंजीकरण के निरीक्षण या कापीराइट रजिस्टर से उद्धरण की प्रमाणित प्रतियां निर्धारित शुल्क का भुगतान करके लेने का भी प्रावधान है। इसे सुकर बनाने के लिए, उन कृतियों की एक अनुक्रमणिका भी रजिस्टर में अनुरक्षित की जाती है जिन्हें कापीराइट कार्यालय में दर्ज किया गया है। जबकि रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर में दर्ज ब्यौरा में छोटी–मोटी शुद्धियां और परिवर्तन किए जा सकते हैं, रजिस्ट्रार या किसी दुःखी व्यक्ति द्वारा आवेदन देकर रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को हटाने लिए कापीराइट बोर्ड सशक्त है।

कापीराइट कार्यालय का आधुनिकीकरण

कापीराइट के पंजीकरण, कानूनी मामलों पर शिकायतों तथा कापीराइट बोर्ड के यहां दायर कानूनी मामलों, रिकार्डों के अंकीकरण आदि से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान में सुविधा प्रदान के उद्देश्य से कापीराइट कार्यालय के आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है। आधुनिकीकरण परियोजना चरण 1 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने 9 सितम्बर 2009 को 'ई–फाइलिंग सुविधा' के माध्यम से आनलाइन पंजीकरण का उद्घाटन किया जो आवेदकों को अपने पसंद के स्थान एवं समय पर आवदेन दायर करने की सुविधा प्रदान करती है। चरण 2 में रिकार्डों का अंकीकरण शुरू हो गया है।

कापीराइट नियमावली

कापीराइट कार्यालय एवं कापीराइट बोर्ड के अबाध कार्यकरण में सुविधा प्रदान करने के निमित्त, संघ सरकार द्वारा कापीराइट नियमावली 1958 तैयार की गई है। ये नियम अन्य बातों के साथ–साथ पंजीकरण की कार्यविधि, आवेदन के लिए विभिन्न फार्मों, शुल्क, बोर्ड के विचाराधीन विषयों तथा लाइसेंस प्रक्रिया का प्रावधान करते हैं। कापीराइट के पंजीकरण के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन का प्रारूप कापीराइट नियमावली 1958 के साथ सलंग्न अनुसूची–1 में दिया गया है जिसमें ब्यौरों की स्टेटमेण्ट वक्तव्य तथा और ब्यौरों की स्टैटमेंट शामिल है।

कापीराइट कानून के बारे में प्रयोक्ताओं को शिक्षित करने के निमित्त, कापीराइट कार्यालय ने कापीराइट कानून का एक हैंडबुक निकाला है जिसमें भारतीय कापीराइट अधिनियम के

संगत विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट किया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित ब्यौरा जिसमें आवेदन फार्म और फीस ढांचा कापीराइट नियमावली 1958 के संगत उद्वरण और कापीराइट लॉ की हैड बुक शामिल हैं, उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.education.nic.in और www.copyright.gov.in के "सेवा" खंड में उपलब्ध है।

कापीराइट बोर्ड

कापीराइट बोर्ड की स्थापना सितंबर 1958 में हुई जो एक अर्ध–न्यायिक निकाय है। कापीराइट बोर्ड के क्षेत्राधिकार में संपूर्ण भारत आता है। बोर्ड को कापीराइट पंजीकरण से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन, कापीराइट के आंबटन, जनता से रोकी गई कृतियों के संबंध में लाइसेंस देने, अप्रकाशित भारतीय कृतियों, अनुवाद के उत्पादन एवं प्रकाशन का कार्य तथा कतिपय निर्दिष्ट प्रयोजनों का कार्य सौंपा गया है। यह कापीराइट अधिनियम 1957 के तहत प्रस्तुत किए गए विविध अन्य मामलों में भी सुनवाई करता है। बोर्ड की बैठकें देश के 5 भिन्न अंचलों (उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व एवं मध्य) में आयोजित की जाती हैं। इससे उनके निवास या रहने के स्थान के समीप लेखकों, रचनाकारों एवं बौद्धिक संपदा के स्वामियों को न्याय दिलाने में सुविधा प्राप्त होती है।

5 अप्रैल 2006 से 5 वर्ष की अवधि के लिए डा. रघुवीर सिंह की अध्यक्षता में कापीराइट बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। इसके 14 अन्य सदस्य हैं। लंबित मामलों की सुनवाई के लिए हर दूसरे महीने कापीराइट बोर्ड की बैठक होती है। 1 अप्रैल 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम अंचलों में बोर्ड की 11 बैठकें हुई तथा संगीत की रायल्टी से संबंधित अनिवार्य लाइसेंस मामलों समेत 54 मामले निपटाए गए।

कापीराइट सोसायटियां

कापीराइट अधिनियम 1957 की धारा 33 में विभिन्न श्रेणी की कृतियों के लिए अलग कापीराइट सोसायटियां गठित करने का प्रावधान है। अब तक 4 कापीराइट सोसायटियां पंजीकृत की गई हैं; एक–एक सिनेमेटोग्राफिक फिल्म (भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन निर्माता कापीराइट विनियम सोसायटी) संगीतात्मक कृति (इंडियन परफार्मिंग राइट सोसायटी लिमिटेड), साउंड रिकार्डिंग (फोनोग्राफिक परफार्मेंस लिमिटेड) तथा फोटोकापी अधिकारों के लिए भारतीय रेप्रोग्राफिक अधिकार संगठन (आईआरआरओ)। ये सोसायटियां कापीराइट के बारे में जागरूकता पैदा करने में सक्रियता से हिस्सा लेती हैं। उन्होंने अपना चोरीरोधी प्रकोष्ठ भी गठित कर रखा है जो पुलिस एवं प्रवर्तन प्राधिकारियों के साथ मिलकर संगीतात्मक एवं ध्वनि रिकार्डिंग से संबंधित कृतियों में पायरेसी रोकने में लगा है। उच्च शिक्षा विभाग इन कापीराइट सोसायटियों से अक्सर वार्ता करता है तथा कापीराइट प्रशासन के क्षेत्र में उनको सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारत में कापीराइट प्रवर्तन

कापीराइट अधिनियम 1957 के अध्याय 13 में अधिनियम के अंतर्गत घटित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है तथा यह आवश्यक कदम उठाने के लिए पुलिस को अधिकृत करता है। कानून का वास्तविक प्रवर्तन अपने–अपने पुलिस बल के माध्यम से राज्य सरकारों का विषय है। कापीराइट अधिनियम के प्रवर्तन में सुधार तथा पायरेसी रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में कापीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद (सीईएसी) की स्थापना शामिल है जिसके सभी संबंधित विभागों से सदस्य, वरिष्ठ प्रतिनिधि तथा अन्य पणधारी सदस्य हैं। सीईएसी चोरीरोधी संबंधी प्रावधानों समेत कापीराइट अधिनियम के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करता हैं। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में राज्य सरकार को निम्नलिखित के लिए राजी करना शामिल है: (1) कापीराइट कानूनों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकारों में विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना; (2) पणधारियों एवं प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समुचित समन्वय संभव बनाने के लिए राज्यों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति; (3) कापीराइट कानूनों के बारे में जनता को संवेदनशील बनाने के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन; (4) कापीराइट सोसायटियों द्वारा सामूहिक प्रशासन।

कापीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद (सीईएसी)

कापीराइट अधिनियम के प्रवर्तन की प्रगति की आवधिक आधार पर समीक्षा करने तथा अधिनियम के प्रवर्तन में सुधार से जुड़े उपायों के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए 6 नवंबर 1991 को कापीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद (सीईएसी) की स्थापना की गई। कापीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद (सीईएसी) का कार्यकाल 3 वर्ष है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद सीईएसी का आवधिक आधार पर पुनर्गठन किया जाता है। वर्तमान सीईएसी का पुनर्गठन 16 सितबंर 2009 को 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया। सचिव (उच्च शिक्षा) इसके अध्यक्ष हैं तथा संयुक्त सचिव (कापीराइट) सीईएसी के उपाध्यक्ष हैं। विज्ञान भवन अनेक्सी, नई दिल्ली में 26 अप्रैल 2010 को आयोजित अपनी पहली बैठक में सीईएसी ने (क) जागरूकता

सृजन (ख) प्रवर्तन एवं सदस्यों के अनुभवों को साझा करने (ग) प्रवर्तन के लाभ संबंधित रचनाकारों एवं अधिकार धारकों को वापस पहुंचाने का सुनिश्चय करने के लिए तंत्र से संबंधित मुद्दों को ध्यान से निपटाने के लिए 3 उप–समितियों के गठन को मंजूरी दी है। कापीराइट रजिस्ट्रार इन उप–समितियों के पदेन सदस्य है।

कापीराइट प्रवर्तन के लिए विशेष प्रकोष्ठ

कुल मिलाकर 24 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रवर्तन प्रकोष्ठ का गठन किया है जिनके नाम इस प्रकार हैं: असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीव समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में या तो अलग कापीराइट प्रवर्तन प्रकोष्ठ स्थापित किया है या कापीराइट अपराधों की छानबीन के लिए पुलिस की अपराध शाखा में अलग प्रकोष्ठ गठित किया है। अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी ऐसे प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

उप–समिति 'ख' (प्रवर्तन एवं सदस्यों के साझे अनुभवों पर) के सुझाव के अनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कापीराइट/बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) संबद्ध मामलों से निपटने के लिए अलग प्रकोष्ठ/यूनिट गठित करने का अनुरोध किया गया है। शुरू में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से किसी साइबर अपराध प्रकोष्ठ, अपराध शाखा या आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ या ऐसी किसी अन्य यूनिट से एक यूनिट मनोनीत करने का अनुरोध किया गया है जो कापीराइट/आईपीआर संबद्ध मामलों से निपटने के लिए पहले से काम कर रही है।

नोडल अधिकारी

कापीराइट कानूनों के प्रवर्तन के मामले में पणधारियों एवं प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य सम्यक समन्वय संभव बनाने के निमित्त, मंत्रालय ने प्रवर्तन से संबंधित मुद्दों को निपटाने के लिए राज्य सरकारों से नोडल अधिकारी नामोदिष्ट करने का अनुरोध किया। आज की तिथि के अनुसार निम्नलिखित 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने यहां नोडल अधिकारी नामोदिष्ट किया है: असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कृमीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीव समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी। कुछ राज्यों की प्रथा के विरूद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नोडल अधिकारी के पदनाम के साथ अधिकारी मनोनीत करने का अनुरोध किया गया है जिन्होंने ऐसे नाम से अधिकारी मनोनीत किया जिससे कार्यकरण एवं समन्वय में रूकावटें बनी रहती हैं।

कापीराइट अधिनियम 1957 में संशोधन

स्पष्टता के प्रयोजनार्थ तथा प्रचालनात्मक कठिनाईयों को दूर करने एवं डिजीटल प्रौद्योगिकी एवं इंटरनेट के संदर्भ में नए मुद्दों से निपटने में समर्थ होने, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा किसी कृति के लेखकों के सरोकारों की रक्षा करने, अधिकारों का प्रवर्तन सुदृढ़ करने एवं कुछ आनुषंगिक परिवर्तन करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कापीराइट अधिनियम 1957 में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है। कापीराइट (संशोधन) विधेयक 2010 राज्य सभा में 19 अप्रैल 2010 को पेश किया गया तथा जांच एवं दो माह के अंदर इस पर रिपोर्ट देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति को 23 अप्रैल 2010 को संदर्भित किया गया। स्थायी समिति ने 23 नवबंर 2010 को राज्य सभा विधेयक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)

भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) का 1976 से सदस्य है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी है तथा डब्ल्यूआईपीओ से संबंधित मामले देखती है। भारत बर्न कन्वेशन तथा ट्रिप्स करार का भी सदस्य है। 2010–11 के दौरान मंत्रालय ने डब्ल्यूआईपीओ एवं इसकी समितियों द्वारा आयोजित आईपीआर एवं कापीराइट कार्यक्रमों पर निम्नलिखित बैठकों एवं सेमिनारों में भाग लिया है:

1. क्वालालंपुर में 22 से 26 फरवरी 2010 तक कापीराइट एवं संबद्ध अधिकारों पर उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का अनुवर्तन।
2. 8 से 12 मार्च 2010 तक वाशिंगटन में अमेरिकी कापीराइट कार्यालय तथा डब्ल्यूआईपीओ द्वारा आयोजित नेत्रहीनों एवं अन्य मुद्रण विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों से संबंधित कापीराइट एवं संबद्ध अधिकारों में उभरते मुद्दों में विकासशील देशों एवं संक्रमणाधीन देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण।

3. 17–18 मार्च 2010 को बैंडंग, इंडोनेशिया में विज्ञापन उद्योग में कापीराइट एवं अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रबंधन पर डब्ल्यूआईपीओ उप क्षेत्रीय गोलमेज बैठक।
4. 7 से 9 जून 2010 तक पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को के कापीराइट कंवेशन (यूसीसी) का 14वां सामान्य सत्र।
5. 21 से 24 जून 2010 तक जिनेवा में कापीराइट एवं संबद्ध अधिकारों पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थायी समिति का 20वां सत्र।
6. 12 से 16 जुलाई 2010 तक दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा आयोजित ब्राडकास्टिंग/श्रव्य दृष्य परफार्मर के अधिकारों की सुरक्षा/कापीराइट एवं संबद्ध अधिकारों के अंकीकरण पर डब्ल्यूआईपीओ की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सेमिनार।
7. 19 से 23 जुलाई 2010 तक जिनेवा में परंपरागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर डब्ल्यूआईपीओ के अंतस्तरीय कार्य समूह का पहला सत्र।
8. 7–8 सितबंर 2010 को उलानबातर, मंगोलिया में कापीराइट एवं संबद्ध अधिकारों के सामूहिक प्रबंधन पर डब्ल्यूआईपीओ की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय संगोष्ठी।
9. 23–24 सितबंर 2010 को डब्ल्यूआईपीओ के सदस्य देशों की सभा की 48वीं बैठक।
10. 8 से 12 नवबंर 2010 तक कापीराइट एवं संबद्ध अधिकारों पर डब्ल्यूआईपीओ की स्थाई समिति का 21वां सत्र तथा 4–5 नवंबर 2010 को 'कापीराइट लाइसेंस के नए तरीके –अंकीय युग में संस्कृति तक पहुंच में सुविधा प्रदान करना' पर वैश्विक बैठक, दोनों बैठकें जिनेवा, स्वीटजरलैंड में आयोजित की गई।
11. 6 से 10 दिसंबर 2010 तक जिनेवा, स्वीटजरलैंड में बौद्धिक संपत्ति एवं आनुवंशिक संसाधन, परम्परागत ज्ञान एवं लोकगीत की अंतर्सरकारी समिति का 17वां सत्र।

एक सतत प्रक्रिया के रूप में मंत्रालय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के क्षेत्र में सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण के कार्य में लगा है जिसमें आईपीआर चेयर की स्थापना एवं अनुसंधान कार्यक्रम के आयोजन, सेमिनार, कार्यशाला आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता देना शामिल है।

बौद्धिक संपदा शिक्षा, अनुसंधान एवं सार्वजनिक आउटरिच की योजना (आईपीईआरपीओ)

3 योजनाओं नामतः (1) कापीराइट मामलों पर सेमिनारों एवं कार्यशालाओं के आयोजन की योजना (2) बौद्धिक संपदा अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता की योजना और (3) डब्ल्यूटीओ अध्ययन पर वित्तीय सहायता की योजना का विलय करके 10वीं योजना अवधि में यह योजना चालू की गई क्योंकि सभी तीनों योजनाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। कापीराइट/आईपीआर एवं डब्ल्यूटीओ मामलों पर जागरूकता एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह विलय उपयोगी साबित हुआ है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

(i) विश्वविद्यालयों तथा अन्य मान्यताप्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकार के अध्ययन को प्रोत्साहित करना।

(ii) जनता एवं विद्वत समुदाय के बीच कापीराइट एवं आईपीआर के मामलों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

(iii) उच्च शिक्षा प्रणाली में आईपीआर विशिष्ट पाठ्यक्रम में अध्ययन का विकास करना और प्रोत्साहित करना।

(iv) प्रवर्तन कार्मिकों नामतः राज्य पुलिस/सीमाशुल्क अधिकारियों का कापीराइट एवं संबद्ध मुद्दों के बारे में प्रशिक्षण।

(v) कालेजों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य मान्यताप्राप्त संस्थाओं में कापीराइट मामलों/आईपीआर मामलों पर सेमिनार एवं कार्यशालाएं आयोजित करना।

(vi) डब्ल्यूटीओ पर वार्ता रणनीतियां विकसित करना।

(vii) डब्ल्यूटीओ मामलों पर नीति निर्माण के निविष्टियां विकसित करना।

(viii) डब्ल्यूटीओ मामलों पर ज्ञान संसाधन सृजित करना।

(ix) डब्ल्यूटीओ मामलों पर प्रक्रिया जागरूकता विकसित करना; और

(x) क्षेत्रीय सहयोग एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण आबंटन की रणनीतियां विकसित करना।

योजना का कार्यक्षेत्र

योजना के तहत, मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सीधे व्यय वहन किया जाना होता है या यूजीसी के मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाओं, पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, पंजीकृत कापीराइट समितियों को वित्तीय सहायता दी जाती है:

(i) उच्च शिक्षा के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के

अध्ययन के लिए तथा डब्ल्यूटीओ अध्ययनों पर भी चेयर की स्थापना।

(ii) पाठ्य विवरण समेत अध्ययन–अध्यापन सामग्री विकसित करने के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन।

(iii) बौद्धिक संपदा अधिकारों तथा जीएटीएस के अध्ययन के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन।

(iv) नोडल संस्थाओं में आईपीआर एवं डब्ल्यूटीओ साहित्य/सामग्री/केस अध्ययन के लिए निक्षेपागार का गठन।

(v) सीधे शिक्षण एवं इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति समेत दूरस्थ शिक्षा विधि से शिक्षण के लिए शिक्षा सेवाओं में आईपीआर पाठ्यक्रम/जीएटीएस के विभिन्न स्तरों के लिए अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करना।

(vi) आईपीआर एवं जीएटीएस: डब्ल्यूटीओ व्यवस्था पर पाठ्यक्रम के शिक्षण के लिए संभावित संकाय के लिए प्रबोधन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

(vii) आईपीआर के नए एवं उभरते क्षेत्रों/डब्ल्यूटीओ: जीएटीएस संबंधी देश के हित के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक, विधिक एवं प्रौद्योगिकीय पहलुओं में अनुसंधान के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति प्रदान करना।

(viii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित विद्वत सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित करना तथा इसके निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(ix) कापीराइट एवं संबंधित अधिकारों के मुद्दों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करना।

(x) कापीराइट कानूनों के प्रवर्तन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।

(xi) क्षेत्रीय स्तर की बैठकें आयोजित करना तथा सार्क एवं एशिया–प्रशांत क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ बैठकें आयोजित करना।

(xii) क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था के विकास के लिए क्षेत्रीय स्तर की बैठकें आयोजित करना।

एमएचआरडी का बौद्धिक संपदा अधिकार चेयर (आईपीआर चेयर)

आज के सुविज्ञ समाज में, नवाचार, सृजनशीलता एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था को आगे ढकेलने वाले संवेग हैं। इससे स्वाभावतः ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार एवं बौद्धिक संपदा प्रबंधन विकास के सिद्धांत में केंद्र बिंदु बन गया हैं तथा न केवल बौद्धिक संपदा के सृजन पर बल देने की जरूरत होगी अपितु राष्ट्रीय संपदा सृजन गतिविधि के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में जागरूकता पैदा करके इसके अनुरक्षण, संरक्षण एवं प्रबंधन की भी जरूरत होगी। बहु–विषयक स्वरूप का होने के कारण, आईपीआर क्षेत्र में जटिल मुद्दों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी, विधिक एवं प्रबंधन संबंधी निविष्टियों में संयोजन की जरूरत होगी। विश्वविद्यालय तथा अन्य मान्यताप्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान इस संबंध में ज्ञान संसाधन सृजित करने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं तथा निभाना भी चाहिए।

अपनी विशाल मानव पूंजी एवं बौद्धिक संपदा के साथ, भारत इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि समता निर्माण की दिशा में उद्देश्यपूर्ण कदम उठाए जाएं। क्षमता निर्माण की इस कवायद के अनेक आयाम हो सकते हैं जिनमें से एक आईपीआर के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने एवं प्रशिक्षित जनशक्ति का एक पूल निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट संस्थाओं में पेशेवर चेयर का सृजन है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर मंत्रालय बौद्धिक संपदा शिक्षा, अनुसंधान एवं सार्वजनिक आउटरिच (आईपीईआरपीओ) नामक एक योजना चला रहा है। योजना के तहत 20 संस्थाएं चुनी गई हैं तथा आईपीआर चेयर संस्वीकृत किए गए हैं जिसमें 5 आईपीआर चेयर विश्वविद्यालयों (अर्थात सीयूएसएटी, कोचीन, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय; दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स; जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और मद्रास विश्वविद्यालय), आईआईटी में 5 आईपीआर चेयर (दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मुंबई एवं मद्रास), 5 आईपीआर चेयर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलएसआईयू, बंगलौर; एनएएलएसएआर, हैदराबाद; डब्ल्यूबीएनयूजेएस, कोलकाता; एनएलआईयू, भोपाल और एनएलआईयू, जोधपुर) और आईआईएम (कोलकाता, बंगलौर, और अहमदाबाद) में 3 आईपीआर चेयर शामिल हैं। इनमें कुछ चेयर ने आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का सृजन किया है, संकाय सदस्यों की नियुक्ति की हैं तथा पूर्णतया काम करना शुरू कर दिया है, जबकि कुछ अन्य क्रियाशीलता के विभिन्न चरणों पर हैं।

2010–11 तथा पिछले वर्षों के दौरान आईपीईआरटीओ योजना के तहत व्यय निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं की संख्या	जारी किया गया अनुदान	एनजीओ की संख्या	जारी किया गया अनुदान	कुल व्यय (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2002–03	252	160	52	166.67	3	1.97	168.64
2003–04	380	300	93	214.82	3	4.50	219.32
2004–05	250	180	75	78.59	1	0.30	78.89
2005–06	450	300	28	38.17	4	3.00	41.17
2006–07	500	400	60	171.61	5	3.02	174.63
2007–08	433	433	40	150.80	2	2.19	152.99
2008–09	500	200	36	199.99	–	–	199.99
2009–10	300	–	5	15.91512	1	0.28800	16.20312*
2010–11	300	300	5	200.04	–	–	200.04

* 31.12.2010 तक

सेवाओं में व्यापार पर सामान्य करार (जीएटीएस)

जीएटीएस का सृजन उरूग्वे दौर की प्रमुख उपलब्धियों में से एक थी, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी, 1995 में यह प्रभावी हुआ। जीएटीएस ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात सेवा के तेजी से बढ़ते क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय रूप में सहमत नियमों एवं प्रतिबद्धताओं का निरूपण किया, जो पहले कभी नहीं किया गया। जीएटीएस उन्हीं उद्देश्यों पर आधारित था जिन पर जीएटीटी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों की एक विश्वसनीय एवं भरोसेमंद प्रणाली को सृजित किया; सभी प्रतिभागियों के साथ उचित एवं साम्यपूर्ण व्यवहार का सुनिश्चय (गैर भेदभाव का सिद्धांत); नीति के सुनिश्चित अनुपालन के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां उत्प्रेरित करना; और उत्तरोत्तर उदारीकरण के माध्यम से व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देना।

जीएटीएस का बुनियादी ढांचा

- मुख्य पार्ट (उदाहरणार्थ एमएफएन) में निहित सामान्य दायित्व एवं अनुशासन;
- विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नियमों से संबंधित अनुबंध;
- बाजार पहुंच, कोई लागू अनुप्रयोग प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत सदस्य की विशिष्ट प्रतिबद्धताएं (उदाहरणार्थ बाजार पहुंच, राष्ट्रीय व्यवहार एवं संदर्भ कागजात का अनुपालन)।

सरकारी प्राधिकार के प्रयोग में आपूर्त सेवाओं को छोड़कर सभी सेवा क्षेत्रों में सिद्धांतः जीएटीएस लागू होता है। ये ऐसी सेवाएं हैं जो न तो वाणिज्यिक आधार पर प्रदान की जाती हैं न ही अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रतियोगिता में। जीएटीएस के तहत वार्ताएं प्रस्ताव एवं अनुरोध दृष्टिकोण के तहत घटित होती हैं। देश अपने आंतरिक बाजार में व्यापार पहुंच के लिए विदेशी सेवा प्रदाताओं से प्रस्ताव करते हैं। इसी तरह अपने बाजारों में पहुंच प्रदान करने के लिए अपने साझेदारों से देश अनुरोध करते हैं। जीएटीएस आपूर्ति के 4 माध्यमों के जरिए घटित होने वाले सेवा व्यापार को परिभाषित करता हैं जो सभी शिक्षा से संगत हैं:

- **मोड 1**: सीमापारीय सुपुर्दगी – इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा सेवाओं की सुपुर्दगी (दूरस्थ शिक्षा, टेली–एजुकेशन, शिक्षा परीक्षण सेवाएं)।
- **मोड 2**: विदेशों में खपत – उच्च शिक्षा के लिए एक देश से दूसरे देश मे छात्रों की आवाजाही (अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र)।
- **मोड 3**: वाणिज्यिक उपस्थिति – अन्य देशों में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा स्थानीय शाखा परिसरों या सब्सिडियरी की स्थापना, घरेलू निजी कार्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऐसे पाठ्यक्रम जो विदेशी विश्वविद्यालयों में डिग्रियां प्रदान करते हैं, दोहरी व्यवस्थाएं, फ्रेंचाइजिंग।
- **मोड 4**: सामान्य व्यक्तियों की आवाजाही – विदेशों में शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए शिक्षकों, व्याख्याताओं एवं शिक्षा कार्मिकों की अस्थायी आवाजाही।

इनमें से प्रत्येक मोड में बाजार पहुंच एवं राष्ट्रीय व्यवहार की शर्तों के तहत अपवाद हो सकते हैं। शिक्षा सेवा के अंतर्गत

भारतीय संशोधित प्रस्ताव इस शर्त के साथ उच्च शिक्षा के लिए खोला गया कि उच्च शिक्षा संस्थाओं को उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा नियत शुल्क वसूलने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते ऐसे शुल्क से कैपिटेशन फीस लेने या मुनाफा कमाने का मार्ग प्रशस्त न हो। उच्च शिक्षा सेवाओं का प्रावधान ऐसे विनियमों के अधीन भी होगा जो पहले से मौजूद हैं या उपयुक्त नियामक प्राधिकरण द्वारा विहित किए जाएंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में जीएटीएस के तहत मुख्य उपक्षेत्र इस प्रकार हैं:

(i) प्राथमिक शिक्षा (सीपीसी 921)

(ii) माध्यमिक शिक्षा (सीपीसी 922)

(iii) उच्च शिक्षा (सीपीसी 923)

(iv) माध्यमिक पश्चात तकनीकी एवं व्यावसायिक, विश्वविद्यालय डिग्री या समकक्ष शिक्षा

(v) प्रौढ़ शिक्षा (सीपीसी 924)

(vi) अन्य शिक्षा सेवाएं (सीपीसी 929)

सभी अनुसूचियों में दो खंड हैं: (1) क्षैतिज प्रतिबद्धता खंड, जो ऐसी सीमाएं स्थापित करता है जो अनुसूची में सूचीबद्ध सभी क्षेत्रों पर लागू होती हैं; (2) सेवाओं में विशिष्ट व्यापार प्रतिबद्धताएं जो विशिष्ट क्षेत्र या उप क्षेत्र पर लागू होती हैं। देश की क्षेत्र विशिष्ट प्रतिबद्धता के निर्धारण में, समग्र क्षैतिज प्रतिबद्धताओं पर भी विचार अवश्य किया जाना चाहिए।

सेवा में ''विशिष्ट प्रतिबद्धता'' अनुसूची में निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसरण में सूचीबद्ध सेवा के लिए बाजार पहुंच एवं राष्ट्रीय व्यवहार प्रदान करने संबंधी देश की प्रतिबद्धता से संबंधित है। प्रतिबद्धताएं कानूनन बाध्यकारी हैं तथा जब कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता की जाती है, तो सरकार बाजार पहुंच एवं राष्ट्रीय व्यवहार के विशिष्ट स्तर के लिए ''बाध्य'' हो जाती है तथा यह आगे चलकर ऐसे उपायों को लागू नहीं कर सकती जो ऐसे बाजारों में प्रवेश को प्रतिबंधित करेंगे। यह अन्य देशों में सेवा प्रदाताओं के लिए गारंटी का काम करते हैं कि बाजार में प्रवेश की शर्तें कम प्रतिबद्धात्मक नहीं होंगी, केवल उनमें सुधार हो सकता है।

बाजार पहुंच एवं राष्ट्रीय व्यवहार से संबंधित प्रतिबद्धताएं एवं सीमाएं अध्ययन के प्रत्येक मोड के संबंध में सेवा अनुसूची में दर्ज हैं। इस लिए उच्च शिक्षा सेवाओं के उप–क्षेत्र पर प्रतिबद्धता (जो शिक्षा सेवा उप–क्षेत्र के अंदर आता है जो बदले में शिक्षा सेवाओं के विस्तृत क्षेत्र वर्गीकरण के अंदर आता है) में आठ प्रविष्टियां होंगी: 4 बाजार पहुंच के कालम में (आपूर्ति के 4 भिन्न मोड के लिए एक–एक) तथा 4 राष्ट्रीय व्यवहार पर सीमाओं के कालम में।

शिक्षा सेवाएं

	बाजार पहुंच	राष्ट्रीय व्यवहार
प्राथमिक शिक्षा सेवाएं (सीपीसी 921) **माध्यमिक शिक्षा सेवाएं (सीपीसी 922)**	**कोई बंधन नहीं**	
उच्च शिक्षा सेवाएं (सीपीसी 923)	(1) इस शर्त के अधीन एक भी नहीं कि सेवा प्रदाता उत्पत्ति के देश में घरेलू प्रदाताओं पर लागू विनियमों के अधीन होंगे	(1) एक भी नहीं
	(2) एक भी नहीं	(2) एक भी नहीं
	(3) इस शर्त के अधीन एक भी नहीं कि वसूल की जाने वाली शुल्क उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा नियत की जाए तथा यह कि इस शुल्क से कैंपिटेशन फीस लेने या मुनाफा कमाने का मार्ग प्रशस्त न हो। ऐसे विनियमों के अधीन भी जो पहले से मौजूद हैं या उपयुक्त नियामक प्राधिकारी द्वारा विहित किए जाएंगे।भारत के उस विशिष्ट सेवा	(3) एक भी नहीं

	क्षेत्र में पहले से सहयोग रखने वाले विदेशी निवेशकों के मामले में एफआईपीबी का अनुमोदन अपेक्षित होगा। (4) क्षैतिज खंड में यथा निर्धारित को छोड़कर कोई बंधन नहींबंधन नहीं	(4) क्षैतिज खंड को छोड़कर कोई
प्रौढ़ शिक्षा सेवाएं (सीपीसी 924) अन्य शिक्षा सेवाएं (सीपीसी 929)	कोई बंधन नहीं	

शिक्षा क्षेत्र में जीएटीएस में भारतीय प्रस्ताव (अगस्त 2005) निम्नवत है:

"एक भी नहीं" के रूप में पठित प्रविष्ठियों का अर्थ यह है कि शिक्षा सेवाओं के राष्ट्रीय व्यवहार पर कोई सीमा नहीं है क्योंकि यह (1) सीमापारीय आपूर्ति, (2) विदेश में उपभोग और (3) वाणिज्यिक उपस्थिति से संबंधित है। शिक्षा सेवाओं की आपूर्ति के "विदेशों में उपभोग" मोड पर भी बाजार पहुंच की कोई सीमा नहीं है।

तथापि, जब भी अनुसूची में "कोई बंधन नहीं" निर्दिष्ट होता है तो इसका मतलब यह है कि अभिचिन्हित आपूर्ति के मोड तथा उसमें निर्दिष्ट शर्तों (उदाहरणार्थ एकाधिकार की समाप्ति या क्षैतिज प्रतिबद्धता) के संबंध में यह बाजार पहुंच या राष्ट्रीय व्यवहार पर प्रतिबंध लगा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (आईएसबीएन) के लिए राजाराममोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी

अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (आईएसबीएन) एक अनोखी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक पहचान संख्या है, जो मोनोग्राफिक प्रकाशनों के लिए है। आईएसबीएन 10 डिजिट की एक संख्या थी (जिसे 1 जनवरी 2007 से 13 डिजिट की संख्या से प्रतिस्थापित किया गया है), जो लंबे बिब्लियोग्राफिक वर्णनात्मक रिकार्डों के निपटान को प्रतिस्थापित करने के लिए अभिकल्पित किया गया था। आईएसबीएन को पूरे विश्व में संक्षिप्त एवं मशीन पठनीय पहचान संख्या के रूप में जाना जाता है, जो किसी पुस्तक के असंदिग्ध पहचान को संभव बनाती है। पुस्तक व्यापार में यह आधुनिक वितरण एवं राष्ट्रीयकरण के अवसरों में एक आवश्यक लिखत है।

आईएसबीएन के लिए राजाराममोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी 1985 से अंतर्राष्ट्रीय आईएसबीएन एजेंसी, बर्लिन की सलाह से काम कर रही है तथा भारतीय प्रकाशकों, लेखकों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं सरकारी विभागों की कृतियों को पंजीकृत करने के काम में लगी है जो पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। अस्तित्व में आने के समय से लेकर अब तक इस राष्ट्रीय एजेंसी ने विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न प्रकाशकों को 19000 पूर्वयोजन आबंटित किए हैं।

बर्लिन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आईएसबीएन सलाहकार पैनल बोर्ड की 30वीं बैठक के दौरान 1 जनवरी 2007 से पिछले 10 डिजिट के स्थान पर 13 डिजिट की नई आईएसबीएन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। संपादक, लंदन, यूके को अंतर्राष्ट्रीय आईएसबीएन एजेंसी का कामकाज तब तक देखने के लिए कहा गया है जब तक प्रुसियन सांस्कृतिक प्रतिष्ठान का उत्तराधिकारी संगठन नियुक्त नहीं हो जाता तथा नई अंतर्राष्ट्रीय आईएसबीएन प्रणाली का सदस्य बनने तथा संगठन के निर्णय अनुसार शुल्क का भुगतान करने के लिए सदस्य देशों से कहा गया। आईएसबीएन के लिए राजाराममोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय आईएसबीएन एजेंसी का सदस्य है तथा हर वर्ष सदस्यता के लिए 2500 पाउंड के वार्षिक शुल्क का भुगतान किया जाता है। एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय आईएसबीएन एजेंसी, लंदन को वर्ष 2010–11 के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान कर दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा 5 श्रेणियां आबंटित की गई हैं जिनके तहत प्रकाशक पंजीकृत किए जाते हैं तथा उनकी आवश्यकता/उत्पादन के आधार पर संख्याएं आबंटित की जाती है। राष्ट्रीय एजेंसी ने विभिन्न श्रेणियों के तहत 1 अप्रैल 2010 से 31 अक्टूबर 2010 तक 2347 भारतीय प्रकाशकों को पंजीकृत किया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

श्रेणी	पंजीकरण की संख्या
2	0
3	20
4	757
5	1400
एकल आईएसबीएन (लेखक सह प्रकाशक)	170
योग	**2347**

वर्ष 2010 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा आईएसबीएन के क्षेत्र में संपन्न की गई कुछ प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं:

- इस मंत्रालय ने 13–15 सितंबर 2010 तक राष्ट्रीय पुस्तकालय, सियोल, दक्षिण कोरिया में आईएसबीएन एजेंसी की अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया।
- अंतर्राष्ट्रीय आईएसबीएन एजेंसी के साथ मिलकर मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, 17–बी, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली–110 016 (भारत) ने 25–26 अक्टूबर 2010 को एक क्षेत्रीय आईएसबीएन प्रशिक्षण का आयोजन किया जिसमें मारीशस, बंगलादेश, नेपाल एवं सिसली समेत भारतीय आईएसबीएन एजेंसी के अधिकारियों, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, एनसीईआरटी, डेलनेट के प्रतिनिधियों तथा प्रकाशकों ने भाग लिया।

पुस्तक संवर्धन

पुस्तकें राष्ट्र एवं लोगों की सृजनशीलता, विवेक एवं ज्ञान की अभिव्यक्ति हैं। पुस्तकों ने समाज की प्रगति में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुस्तक संवर्धन विभाग की अनेक योजनाएं एवं गतिविधियां हैं जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ समाज के सभी वर्गों के लिए पुस्तकों की सरलता से उपलब्धता सुनिश्चित करना, पढ़ने की आदत विकसित करना तथा पुस्तक प्रकाशन उद्योग के विकास में सहायता प्रदान करना और आम लोकप्रिय साहित्य को बढ़ावा देना और इस प्रकार राष्ट्र के विकास में योगदान करना हैं।

इस दिशा में कार्यान्वित किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

(क) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया (एनबीटी)

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1957 में की गई। यह एक अत्यंत पेशेवर बहु–भाषायी प्रकाशन गृह है तथा पुस्तकों के संवर्धन एवं आम जनता में पढ़ने की आदत विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान एनबीटी के लिए योजनागत गतिविधियों के लिए ₹ 1098 लाख तथा योजनेतर शीर्ष के तहत ₹ 1441 लाख का बजट विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। एनबीटी की कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

राष्ट्रीय पुस्तक मेला

ट्रस्ट ने देश के अंदर रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2010 तक 11 पुस्तक मेलों का आयोजन किया जो इस प्रकार हैं: अमृतसर पुस्तक मेला, बिलासपुर पुस्तक मेला, इंदौर पुस्तक मेला, करीमनगर पुस्तक मेला, खम्मम पुस्तक मेला, मैसूर पुस्तक मेला, मुर्शिदाबाद पुस्तक मेला, राष्ट्रीय बाल एवं पुस्तक गतिविधि मेला, नई दिल्ली, 19वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, उत्तर लखीमपुर पुस्तक महोत्सव तथा सोलन पुस्तक मेला। इन सभी पुस्तक मेलों में पूरे देश से भारी संख्या में निजी प्रकाशकों ने भाग लिया तथा जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों खासकर बच्चों एवं युवाओं ने भारी संख्या में भाग लिया।

19वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला

19वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 30 जनवरी से 7 फरवरी 2010 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह मेला 42000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला था तथा विभिन्न हालों एवं आसपास के क्षेत्रों में 2400 से अधिक पंडाल/स्टाल लगे थे। आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को समेत अंतर्राष्ट्रीय निकायों के अलावा 17 देशों से 35 विदेशी प्रदर्शकों समेत 12000 से अधिक प्रतिभागियों ने इस मेले में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भागीदारी

वर्ष 2010 के दौरान एनबीटी ने विदेशों में भारतीय पुस्तकों के संवर्धन के लिए 6 अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लिया। इन अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में आबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, बोलोगना बाल पुस्तक मेला, ढाका अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (भारत मानद अतिथि देश था), नेपाल शिक्षा एवं पुस्तक तथा शारजाह विश्व पुस्तक मेला शामिल हैं।

न्यास द्वारा देश के अंदर पुस्तक मेलों में भागीदारी

अपने दम पर पुस्तक मेलों का आयोजन करने के अलावा न्यास ने अपने 4 क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली; दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर; पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता तथा पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के माध्यम से भारी संख्या में पुस्तक मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लिया जहां न केवल न्यास की रिकार्डतोड़ ₹ 1 करोड़ की पुस्तकों की बिक्री हुई अपितु भारी संख्या में पुस्तक क्लब के सदस्य न्यास की विशेष योजना के तहत पुस्तक संवर्धन के लिए नामांकित किए गए।

प्रकाशन कार्यक्रम

इसने समाज के सभी वर्गों के लिए स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन से संबंधित अपने सतत प्रयास को जारी रखा जिसमें नवसाक्षरों, बच्चों आदि जैसी विविध श्रेणियों के पाठकों, विभिन्न क्षेत्रों एवं भाषाओं तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे विशेष क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को पूरा करना शामिल है। न्यास ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 1436 शीर्षकों का प्रकाशन किया।

एजेंटों एवं वितरकों का नामांकन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पूरे देश में लगभग 125 नए एजेंट एवं वितरक नामांकित किए गए।

पुस्तक क्लब

पूरे देश में पुस्तक प्रसार के लिए अपनी लोकप्रिय पुस्तक क्लब योजना को जारी रखते हुए न्यास ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 5000 नए पुस्तक क्लब सदस्य नामांकित किए।

सेमिनार, पुस्तक विमोचन समारोह तथा संबद्ध साहित्यिक कार्यक्रम

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, न्यास ने विभिन्न श्रृंखलाओं के तहत पुस्तकों का विमोचन करने के लिए विभिन्न स्थानों पर

क्र.सं.	भाषा	मूल	अनुवाद	पुनर्मुद्रण	संशोधित	कुल
1	असमी	1	0	89	0	90
2	बंगला	17	3	154	0	174
3	भोजपुरी	1	0	1	0	2
4	अंग्रेजी	34	7	215	4	260
5	गुजराती	1	1	1	0	3
6	हिंदी	66	24	500	0	590
7	कन्नड़	0	5	19	0	24
8	कोंकणी	0	0	3	0	3
9	मराठी	1	13	38	1	53
10	उड़िया	5	18	43	0	66
11	पंजाबी	13	11	14	0	38
12	सिंधी	1	0	0	0	1
13	तमिल	1	1	106	0	108
14	तेलगू	8	6	5	0	19
15	उर्दू	1	4	0	0	5
	योग	150	93	1188	5	1436

पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया तथा प्रख्यात विशेषज्ञों एवं हस्तियों पर विचार विमर्श किया। जारी किए गए कुछ नए प्रमुख प्रकाशनों में निम्नलिखित शामिल हैं: 'रीडिंग और कॉमन वेल्थ' शीर्षक से खेल पर पुस्तकों का एक टीकायुक्त कैटलॉग, जवाहर लाल नेहरू पर तथा उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर एक सामूहिक प्रदर्श, नेशनल यूथ रीडरशिप सर्वे, प्लैनेट अर्थ : एस एम माथुर, लैटिन अमेरिका: वी के बावा द्वारा परिचय, आशीष बोस, मुल्कराज आनन्द और प्रो. अमरीक सिंह द्वारा इंडियाज क्वेस्ट फॉर पापुलेशन स्टेब्लाइजेशन, इंडियाज ग्लोरियस फ्रीडम स्ट्रगल एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा बाई मोहन धारिया, प्रमोद कुमार द्वारा फ्रांस की क्रांति, विनायक द्वारा नदी किनारे वाली चिड़िया, डॉ. ए के श्रीवास्तव द्वारा गन्ना, रश्मि रमानी द्वारा सिंध की लोक कथाएं, सुदर्शन कुमार कपूर द्वारा भारतीय सांस्कृतिक विरासतः एक परिदृश्य, हरिकृष्णा देवसरे द्वारा श्रेष्ठ हिंदी बाल नाटक का संपादन, शौकत खान द्वारा चालाक चूहा, अंजनी शर्मा द्वारा रावण, चिंगारियां कम्पाइल्ड बाई गुरूदेव सिंह सिद्धू, सुरैय्या रसूल द्वारा बुद्धिमान गुड़िया, गौतम शर्मा व्यथित द्वारा घियाना : पहाड़ी इकन्नी, रमानिका गुप्ता द्वारा पूर्वोत्तर की आदिवासी कहानियां, चित्रा मुद्गल की संकलित कहानियां, मिथलेश्वर की संकलित कहांनिया, पिंदन दा बादल रिहा सब्याचरक मुहंद्रा द्वारा सुलाखान सरहदी (पंजाबी), गांधी–पटेल खाट आटे तकरेरान (पंजाबी), ज्ञानेश्वर द्वारा फिर की होया (पंजाबी), रेड्डी राघव द्वारा नया सवेरा, तेनाली रामकृष्णुनी चमत्कार कथालु (तेलुगू), प्रतिभा रानाडे द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई (उड़िया), जी पी प्रधान द्वारा लोकमान्य तिलक (उड़िया) जसलीन थमीजा द्वारा कमलाराय चट्टोपाध्याय (उड़िया), प्रो. अमरीक सिंह द्वारा मुल्कराज आनन्द (उड़िया), वेद राही द्वारा लाल डेड (उर्दू)।

इसके अलावा, पूरे देश में पुस्तक संवर्धन के भाग के रूप में विभिन्न पुस्तक मेले भी आयोजित किए गए। इनमें शामिल हैं: पुस्तक पढ़ने की आदतः वर्तमान स्थिति तथा इसका भविष्य 'पुस्तक जिसमें मेरे जीवन को प्रभावित किया' विषय पर निबंध प्रतियोगिता, गुजरात में पुस्तक चर्चा कार्यक्रम।

प्रकाशन पर अल्पावधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

देश के प्रकाशन उद्योग के विकास के लिए तथा देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षित प्रकाशनों, पेशेवरों का एक पूल सृजित करने के लिए न्यास अल्पावधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान न्यास ने पुस्तक प्रकाशन में 5 अल्पावधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम गंगटोक (22–27 मार्च 2010), विजयावाड़ा (17–29 मई 2010), दिल्ली (5–31 जुलाई 2010), अगरतला (13–25 सितंबर 2010) और पुणे (16–18 दिसंबर 2010) में आयोजित किया।

बच्चों की गतिविधियां

नेहरू बाल पुस्तकालय की विशेष श्रृंखला के तहत सस्ती दर पर रोचक एवं अच्छी पुस्तकें प्रकाशित करने के अलावा, न्यास ने अपने राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र (एनसीसीएल) के माध्यम से न केवल वाचक क्लब बुलेटिन (मासिक द्विभाषी बाल पत्रिका) निकाले है अपितु स्कूली बच्चों में पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तकें पढ़ने की आदत डालने के उद्देश्य से वाचक क्लब आंदोलन के भाग के रूप में लगभग 3000 वाचक क्लब भी स्थापित किए। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एनसीसीएल द्वारा दो वाचक क्लब प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसके अलावा, एनसीसीएल ने देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण, कठिन क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाल समकालीन साहित्य पर विभिन्न सेमिनारों, पुस्तक समीक्षा सत्रों, वाचन सत्रों, रचनात्मक लेखन एवं चित्रण पर कार्यशालाओं का आयोजन किया। फ्रांसीसी दूतावास के सहयोग से बाल साहित्य के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला तथा बोकारो के साथ मिलकर शिक्षण में कहानी कहने पर एक अन्य दो दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। एनबीटी के नेहरू भवन परिसर में विभिन्न गतिविधियों के साथ सप्ताह भर चलने वाले बाल पुस्तक महोत्सव तथा 'मेरे बच्चे, मेरा साहित्य' पर राष्ट्रीय सेमिनार को अनेक क्षेत्रों से खूब सराहना मिली।

पुस्तक संवर्धन के लिए स्वैच्छिक/निजी संगठनों को सहायता

पुस्तक संवर्धन से जुड़े सेमिनारों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं, वार्षिक समारोहों आदि के आयोजन के लिए स्वैच्छिक निजी संगठनों को सहायता की योजना अगस्त 2006 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट को हस्तांतरित की गई। तब से यह योजना एनबीटी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसके क्रम में कैलेण्डर वर्ष अर्थात जनवरी 2010 से दिसंबर 2010 के दौरान 168 अनुमोदित संगठनों को ₹ 0.65 लाख की सहायता दी गई है।

पुस्तक परिक्रमा

नेशनल बुक ट्रस्ट सचल प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को उनके दरवाजे पर पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। न्यास ने असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में लगभग 1614 स्थानों पर सचल पुस्तक प्रदर्शनी का अयोजन किया।

राष्ट्रीय युवा पाठन सर्वे

अपने स्वर्ण जयंती समारोह (2007) के अवसर पर, नेशनल बुक ट्रस्ट ने समाज के सबसे क्रियाशील एवं बड़े वर्ग पर केंद्रित राष्ट्रीय पुस्तक प्रकाशन एवं संवर्धन तैयार करने के लिए युवाओं में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की। एनएपीआरडीवाई के भाग के रूप में तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त विशेष अनुदान के साथ एनबीटी ने मार्च 2009 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर), नई दिल्ली को राष्ट्रीय युवा पाठन सर्वे नामक एक अध्ययन सौंपा।

इस अध्ययन के तहत 35 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 207 जिले, 432 गांव तथा 200 कस्बे शामिल हैं। एनबीटी एवं एनसीएईआर के 'भारतीय युवा : जनांकिकीय एवं पाठन' नामक एक संयुक्त प्रकाशन ने नए आधारों को उजागर किया तथा विश्व के इस भाग में संभवतः यह अपनी तरह का इतना विशाल पहला प्रयास है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 11 नवबंर 2010 को यह जारी किया गया।

(ख) राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद (एनबीपीसी)

राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद (एनबीपीसी) प्रकाशन उद्योग से संबंधित समस्याओं की छानबीन के लिए सलाहकार निकाय के रूप में काम करती है तथा पुस्तक संवर्धन के सभी प्रमुख पहलुओं पर विचारों के आदान--प्रदान में सुविधा प्रदान करती है जिसमें अन्य बातों के साथ लेखन/पुस्तकों का लेखकत्व; पुस्तकों का उत्पादन, प्रकाशन एवं बिक्री; मूल्य एवं कापीराइट, पुस्तक पढ़ने की आदत; विभिन्न भारतीय भाषाओं में विभिन्न आयु वर्गों के लिए पुस्तकों की उपलब्धता एवं पहुंच तथा आमतौर पर भारतीय पुस्तकों की अंतर्वस्तु शामिल हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2 सितंबर 2008 को राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन पुस्तक परिषद (एनबीपीसी) का पुनर्गठन किया है जिसमें सदस्य के रूप में देश के अंदर पुस्तकों के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों एवं अन्य पणधारियों को शामिल किया गया है। एनबीपीसी की पहली बैठक 25 सितंबर 2009 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में सुझाव दिया गया कि एक व्यापक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार करने के लिए एक 12 सदस्यीय कार्यबल गठित किया जाए। एनबीपीसी की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 5 फरवरी 2010 को कार्यबल का गठन किया जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं:

(i) अध्यक्ष, नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी);

(ii) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी);

(iii) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी);

(iv) कुलपति, राष्ट्रीय आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए);

(v) श्री दिनेश मिश्रा, अध्यक्ष, इंडियन सोसायटी ऑफ आथर्स;

(vi) डा. एस एस अवस्थी, महासचिव, आथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, नई दिल्ली;

(vii) डा. मधु पंत, अध्यक्ष, लेखिका संघ;

(viii) श्री आनन्द भूषण, अध्यक्ष, भारतीय प्रकाशक संघ (एफआईपी)

(ix) श्री एस के घई, अध्यक्ष, पुस्तक, प्रकाशन एवं मुद्रण पैनल;

(x) श्री के के सक्सेना, अध्यक्ष दिल्ली राज्य पुस्तक विक्रेता एवं प्रकाशक संघ;

(xi) संयुक्त सचिव (एसई);

(xii) संयुक्त सचिव (बीपीएंड सीआर) – सदस्य सचिव

भारतीय लेखक संघ के अध्यक्ष श्री दिनेश मिश्रा की अध्यक्षता में कार्यबल की 4 बैठकें हुईं तथा राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति

का प्रारूप तैयार किया गया। राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति के प्रारूप पर गोलमेज बैठक समिति कक्ष ''ए'', विज्ञान भवन अनेक्सी, नई दिल्ली में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में हुई। राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार करने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करने के साथ गोलमेज के प्रतिभागियों ने महसूस किया कि वर्तमान प्रारूप नीति को गोलमेज में उठाए गए कुछ प्रमुख मुद्दों के अनुसार संशोधित करने की जरूरत है। तदनुसार कार्यबल ने प्रारूप को संशोधित किया तथा 3 और बैठकें आयोजित करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया। मंत्रालय ने प्रारूप राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति को टिप्पणी के लिए सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रमुखों, भारतीय प्रबंध संस्थानों एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रमुखों को अग्रेषित किया है। प्रारूप नीति को सभ्य समाज के संगठनों, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों आदि की टिप्पणी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं यूनेस्को

15

यूनेस्को

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) संयुक्त राष्ट्र का एक संघटक निकाय है जिसका अधिदेश शिक्षा, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों, संस्कृति एवं संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझ को बढ़ावा देना है। मूलभूत आदर्श की जड़ यह समझ है कि "चूंकि युद्ध लोगों के मन में शुरू होते हैं, लोगों के मन में शांति की सुरक्षा का निर्माण किया जाना चाहिए।"

भारत यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में से एक है तथा यूनेस्को के आदर्शों एवं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाता आ रहा है। मंत्रालय का यूनेस्को प्रभाग यूनेस्को के भारतीय इंटरफेस के साथ समन्वय स्थापित करता है तथा इसके अलावा अरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम 1988 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन अरोविले प्रतिष्ठान से संबंधित प्रशासनिक मामले देखता है।

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसीसीयू)

यूनेस्को एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसने अपने सदस्य देशों को अपने साथ संपर्क स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यूनेस्को के संविधान के अनुच्छेद 7 के तहत अपेक्षित है कि "प्रत्येक सदस्य देश अधिमानतः एक राष्ट्रीय आयोग के गठन के माध्यम से आयोग के साथ शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक मामलों में इच्छुक अपने प्रधान निकायों को संबद्ध करने के प्रयोजनार्थ अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था करेगा।" तदनुसार, भारत सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा संकल्प संख्या एफ.84–92/48–ए.1 दिनांकः 26 मार्च 1949 के तहत 1949 में यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए एक अंतरिम भारतीय राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ.134–27/50–ए.5 दिनांकः 16 अक्टूबर 1951 के माध्यम से 1951 में स्थायी आयोग का गठन किया गया।

आयोग के तहत शिक्षा, संस्कृति, संचार, समाज विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्रों में उप–आयोग हैं। आयोग की कुल सदस्यता 100 है जिसमें 50 व्यक्ति तथा 50 संस्थानिक सदस्य हैं जो इसके 5 उप–आयोगों में समान रूप से वितरित हैं। सदस्यता 4 वर्ष के लिए होती है।

मानव संसाधन विकास मंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं, सचिव (उच्च शिक्षा) इसके पदेन महासचिव हैं तथा यूनेस्को प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव पदेन उपमहासचिव हैं। निदेशक/उप सचिव (यूनेस्को) आयोग के सचिव के रूप में काम करते है। यह आयोग यूनेस्को से संबंधित मामलों पर सरकार का सलाहकार निकाय है। आयोग विशेष रूप से यूनेस्को के सचिवालय तथा एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र पर राष्ट्रीय आयोगों के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों के निर्माण एवं निष्पादन में भूमिका निभा रहा है।

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 22–2/2001–आईएनसी दिनांक 19 अप्रैल 2010 के माध्यम से 19 अप्रैल 2010 को पुनर्गठन किया गया। 5 उप–आयोगों अर्थात शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, संचार, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति पर आयोगों से युक्त पुनर्गठित आयोग में कुल 98 सदस्य हैं।

आयोग के सामान्य निकाय की पहली बैठक माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में 22 जुलाई 2010 को हुई। यूनेस्को के कार्यपालक बोर्ड में भारत के नामोदिष्ट सदस्य डा. कर्ण सिंह ने बैठक में विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में भाग लिया तथा बैठक की चर्चा के दौरान बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किया। भारत एवं यूनेस्को के बीच संबंधों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें 2009 में आयोजित 35वें आम सम्मेलन का सिंहावलोकन, रवीन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा जैसे विभिन्न प्रख्यात भारतीय हस्तियों के जयंती समारोहों, यूनेस्को श्रेणी 1 संस्थान के रूप में नई दिल्ली में शांति एवं संपोषणीय विकास के लिए महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान की स्थापना शामिल था।

आयोग की गतिविधियां

एशिया–प्रशांत क्षेत्र में यूनेस्को के लिए एशिया–प्रशांत सांस्कृतिक केंद्र (एसीसीयू), टोकियो, जापान द्वारा आयोजित गतिविधियों में भागीदारीः यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने एसीसीयू अवार्ड, पुरस्कार, सांस्कशतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि जैसे यूनेस्को के लिए एशिया–प्रशांत सांस्कशतिक केंद्र (एसीसीयू) द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भारतीय व्यक्तियों/संगठनों की सहभागिता का समन्वय जारी रखा।

यूनेस्को संबद्ध गतिविधियों के लिए योजना – यूनेस्को के कार्यक्रम एवं गतिविधियां – सहायता अनुदान

अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को स्वयं को विभिन्न स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) से जोड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को के उद्देश्यों के अनुरूप गतिविधियां संचालित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता की एक योजना, यूनेस्को क्लब तथा संबद्ध विद्यालय चलाता है।

यूनेस्को/इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रायोजित सेमिनारों, कार्यसमूह बैठकों में भागीदारी

यूनेस्को एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रायोजित विभिन्न क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यसमूह बैठकों में भाग लेने के लिए जनवरी 2010 से दिसंबर 2010 तक आईएनसीसीयू ने उच्च शिक्षा विभाग एवं स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 21 अधिकारियों तथा अन्य संगठनों/राज्य सरकारों/एनजीओ आदि के विशेषज्ञों को मनोनीत किया।

यूनेस्को/यूएनआईटीडब्ल्यूआईएन चेयर कार्यक्रम

यूनेस्को के आम सम्मेलन के 26वें सत्र में लिए गए निर्णय के अनुसरण में 1992 में यह कार्यक्रम स्थापित किया गया। यूएनआईटीडब्ल्यूआईएन विश्वविद्यालय शिक्षा समरूप–व्यवस्था एवं नेटवर्किंग योजना का संक्षिप्त रूप है। यूनेस्को चेयर एवं यूनेस्को नेटवर्क की स्थापना के माध्यम से यह कार्यक्रम काम करता है, जिसे यूएनआईटीडब्ल्यूआईएन परियोजना के रूप में भी उल्लिखित किया जाता है। विश्वविद्यालयों के बीच ज्ञान के अंतरण तथा पूरे विश्व में शैक्षिक भाईचारे को बढ़ावा देने पर बल देने के साथ अंतर्विश्वविद्यालय सहयोग विकसित करने के उद्देश्य से यह आरंभ किया गया। यूनेस्को/यूएनआईटीडब्ल्यूआईएन चेयर परियोजना प्रशिक्षण एवं अनुसंधान से संबंधित काम देखती है तथा यूनेस्को की दक्षता के अंदर ज्ञान के सभी प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करती है जैसे शिक्षा, मानवाधिकार, सांस्कृतिक विकास, पर्यावरण, बुनियादी एवं इंजीनियरिंग विज्ञान, संचार आदि। इस कार्यक्रम के प्रमुख लाभग्राही विकासशील देशों एवं संक्रमणाधीन देशों में उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं।

इस समय 3 यूनेस्को चेयर भारत में काम कर रहे हैं जो इस प्रकार हैंः डा. एम एस स्वामीनाथन द्वारा धारित एम एस स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान, चेन्नई; प्रो. विश्वनाथ डी कारड द्वारा धारित महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे और तीसरे चेयर के धारक प्रो. एम डी नलपत, कुलपति, मनिपाल उच्च शिक्षा अकादमी हैं। 4 नए चेयर अनुमोदित किए गए हैं जो इस प्रकार हैंः ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय, बेल्लूर तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय।

विकास के लिए एशिया–प्रशांत शैक्षिक नवाचार कार्यक्रम (एपीईआईडी)

ए पी ई आई डी को आधिकारिक तौर पर वर्ष 1972 में आरंभ किया गया। यह कार्यक्रम बैंकाक स्थित यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। एपीईआईडी का मूल उद्देश्य शैक्षिक नवाचार एवं अनुसंधान को पोषित करना है। भारत इस कार्यक्रम का सदस्य है। एपीईआईडी पर राष्ट्रीय विकास समूह का सचिवालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) में है।

अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा

यूनेस्को संबद्ध विद्यालय परियोजना (एएसपी) नामक एक परियोजना चला रहा है। संबद्ध विद्यालय ऐसी शैक्षिक संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समझ, सहयोग एवं शांति से संबंधित गतिविधियां संपन्न करने के लिए संबद्ध विद्यालय परियोजना में भागीदारी के लिए यूनेस्को के सचिवालय से सीधे संबद्ध हैं। आईएनसीसीयू की सिफारिश पर, भारत से 42 विद्यालय एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं एएसपी कार्यक्रम के तहत यूनेस्को के साथ सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा यूनेस्को क्लब के रूप में 253 क्लब आईएनसीसीयू में पंजीकृत हैं।

संपोषणीय विकास के लिए शिक्षा

दिसम्बर 2002 में यूनेस्को महासभा में संपोषणीय विकास के लिए शिक्षा का यूएन दशक (यूएनडीईएसडी) घोषित करने के लिए एक संकल्प अपनाया, जो 2005 से 2014 तक चलेगा। यूनेस्को को दशक एवं एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना विकसित करने के लिए अग्रणी एजेंसी के रूप में नामोदिष्ट किया गया। भारत ने यूएनडीईएसडी के शुरूआत का स्वागत किया है। देश में डीईएसडी के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए स्कूल शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है जिसमें सरकार के अधिकारी एवं विशेषज्ञ, सभ्य समाज, शिक्षाविद एवं शिक्षा, पर्यावरण एवं अन्य क्षेत्रों से एनजीओ शामिल किए गए हैं। पर्यावरण शिक्षा अध्ययन केंद्र, अहमदाबाद को देश में दशक के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था के रूप में नामोदिष्ट किया गया हैं। भारत यूनेस्को के बैंकाक कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही संपोषणीय विकास के लिए एशिया–प्रशांत शिक्षा निगरानी परियोजना में भी भाग ले रहा है।

यूनेस्को के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए समितियों/सम्मलेनों की बैठकों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए योजना

यह योजना भारतीय राष्ट्रीय आयोग के उप–आयोगों एवं इसके पूर्ण निकाय की बैठक में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/मंहगाई भत्ते पर व्यय को वहन करने, यूनेस्को के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शनी एवं अन्य बैठकें आयोजित करने के लिए है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के लिए बजट अनुमान के स्तर पर ₹ 25 लाख का बजट प्रावधान है। इस शीर्ष के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक ₹ 21.53 लाख का व्यय हुआ है।

यूनेस्को के बजट में अंशदान

यूनेस्को का प्रत्येक सदस्य देश प्रत्येक दो वर्षों के लिए यूनेस्को के लिए नियमित बजट में अंशदान करता है। यह अंशदान समय–समय पर आम सम्मेलन द्वारा अनुमोदित नियत प्रतिशत के अनुरूप होता है। कलेण्डर वर्ष 2009 के लिए भारत का हिस्सा यूनेस्को के कुल बजट का 0.45 प्रतिशत था। इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के लिए योजनेतर के तहत बजट प्रावधान ₹ 910.00 लाख है। नई दिल्ली में यूनेस्को के कार्यालय के किराया के लिए तथा अंशदान के लिए ₹ 871.40 लाख की राशि इस वर्ष के दौरान अब तक जारी की गई है।

यूनेस्को, नई दिल्ली की कार्यालय के लिए भवन का निर्माण

भारत नई दिल्ली में यूनेस्को कार्यालय को निःशुल्क कार्यालय स्थान उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। इस समय यह किराए के भवन में है जिसके लिए भारत सरकार वित्त वर्ष 2008–09 से ₹ 6.0 लाख प्रतिमाह किराया दे रही है। चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में यूनेस्को के कार्यालय के लिए भवन निर्मित करने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष के लिए बजट अनुमान के तहत प्रावधान ₹ 1 करोड़ है जिसे शहरी विकास मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है। दिल्ली अग्नि कार्यालय, दिल्ली शहरी कला आयोग, एनडीएमसी आदि जैसे स्थानीय निकायों से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद स्थायी वित्त समिति ने ₹ 23.36 करोड़ की अनुमानित लागत से यूनेस्को हाउस के निर्माण की सिफारिश की है तथा निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है।

यूनेस्को में भारत का स्थायी शिष्टमंडल (पीडीआई)

भारत का यूनेस्को को प्रत्यायित पेरिस में एक स्थाई शिष्टमंडल है। यूनेस्को में भारत का स्थाई शिष्टमंडल सभी गतिविधियों के संबंध में समन्वय एवं संपर्क करता है अर्थात कार्यपालक बोर्ड, आम सम्मेलन, वैज्ञानिक प्रावधान, चुनाव तथा यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग एवं यूनेस्को सचिवालय के बीच एएसपीएसी समूह (एशिया–प्रशांत समूह) की व्यवस्थाओं में पारस्परिक सहयोग।

यूनेस्को में भारत

यूनेस्को के कार्यपालक बोर्ड के सत्र

कार्यपालक बोर्ड के 184वें सत्र का आयोजन 30 मार्च से 15 अप्रैल 2010 तक तथा 185वें सत्र का आयोजन 5 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2010 तक किया गया।

मार्च–अप्रैल 2010 में कार्यपालक बोर्ड के सत्र में गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, पेब्लो नेरूदा तथा एमे सिजर के योगदान को एकीकृत ढंग से मनाने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कलात्मक कार्य के अनुवाद एवं प्रकाशन को प्रेरित करना एवं रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा अन्य विद्वानों के संदेश को प्रसारित करना है। इस कार्यक्रम के तहत अनेक कार्यकलापों की परिकल्पना है। इस सत्र में अनेक अवसरों पर तथा वाद–विवाद के दौरान अनेक बिन्दुओं पर भारत ने गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के प्रचुर योगदान एवं विरासत को रेखांकित किया। रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के लिए संयुक्त रूप से नियोजित स्मारक समारोहों के संदर्भ में कार्यपालक बोर्ड ने विविध एवं व्यापक गतिविधियां संचालित करने एवं सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

कार्यपालक बोर्ड के 184वें सत्र ने भारत के अनुरोध पर विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में दक्षिण–दक्षिण सहयोग के मुद्दे को भी उठाया।

हैती में भूकंप पश्चात यूनेस्को के प्रत्युत्तर पर, भारत ने समस्याओं के लिए मध्यम एवं दीर्घावधिक दृष्टिकोणों के विकास में बल दिये जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान में मुख्य भूमिका निभाई।

कार्यपालक बोर्ड के 185वें सत्र का आयोजन पेरिस में 5 से 22 अक्टूबर 2010 तक हुआ। बोर्ड का पहला सप्ताह आयोगों (वित्त एवं प्रशासनिक, कार्यक्रम एवं विदेशी संबंध) तथा समितियों (कंवेंशन एवं सिफारिशें, एनजीओ पर समिति तथा विशेष समिति) की बैठकों को समर्पित था। वित्तीय विशेषज्ञ समूह, जिसका भारत सदस्य है, ने वर्तमान द्विवार्षिक से चार वार्षिक में यूआई/आईईएससीओ के लिए आयोजना चक्र में प्रस्तावित परिवर्तनों पर विचार किया। अन्य मुद्दे जो प्रमुखता से उठे उनमें शामिल हैः वर्तमान डालर विनिमय दर अपनाने की बजाए स्थिर डालर विनिमय दर का प्रयोग करने वाले वर्तमान लेखाकरण प्रणाली के जारी रहने से संबंधित सरोकार, जो अनेक सदस्य देशों पर वित्तीय बोझ को कम करती है। आम सम्मेलन की प्रचालन लागत कम करने के संबंध में सदस्य देश इस बात पर एकमत थे कि यह दक्षता की कीमत पर हावी नहीं होना चाहिए।

'विकास के लिए संस्कृति' विषय आज यूनेस्को में सभी कार्यक्रमों की गतिविधियों का मुख्य अंग बन गया है। यह संगठन की सभी गतिविधियों में 'संस्कृति' के अनोखे एवं कोर यूनेस्को अधिदेश का आधिपत्य बहाल करना चाहता है।

प्रमुख कार्यक्रम (शिक्षा)

यूनेस्को का श्रेणी 1 संस्थान–शंति एवं विकास के लिए महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान स्थापित करने के संबंध में 2009 में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप उद्देश्यों के निर्माण, प्रचालनात्मक एवं प्रशासनिक संरचनाओं की पुष्टि तथा शैक्षिक बल की परिभाषा के रूप में वर्ष के दौरान प्रगति हुई। प्रस्तावित संस्थान के प्रबंधन एवं अवसंरचना को अंतिम रूप देने से संबंधित अन्य उपाय प्रगति पर हैं।

सबके लिए शिक्षा (ईएफए) पहल

भारत इस समय ईएफए पर अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल (आईएपी) का सदस्य है। भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को की अग्रणी भूमिका तथा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए निधियन बढ़ाने के लिए लामबंदी संबंधी प्रयासों में निरंतर सहायता की है।

9 सर्वाधिक अरक्षित ईएफए देशों ने ई–9 पहल का भी निर्माण किया है जिसकी ईएफए के लक्ष्यों को शीघ्र साकार करने की दिशा में कार्य करने के लिए तरीकों एवं उपायों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठक होती है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डा. डी. पुरन्देश्वरी ने जून 2010 में आबुजा, नाइजीरिया में आयोजित 8वीं ई–9 मंत्री स्तरीय समीक्षा बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में भारत ने अधिक मजबूत एवं सफल तथा दृष्टिगोचर दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए एक लीवर के रूप में ई–9 तंत्र को और बढ़ाने की वकालत की। भारत ने ई–9 की अगली बैठक की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा जिसका स्वागत एवं अनुमोदन किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो (आईबीई)

जनवरी 2010 में आईबीई की कार्यकारिणी परिषद के निर्णय के फलस्वरूप, पाठ्यचर्या मामलों में एक उत्कृष्टता केंद्र

संस्थान बनाने की रणनीति तैयार करने एवं गठित करने के लिए एक कार्य समूह गठित किया गया, जिसका भारत सदस्य है। भारत ने कार्य समूह के विचार–विमर्श में सक्रियता सें भाग लिया है, जिसमें अक्टूबर 2010 में अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया तथा पाठ्यचर्या विकास के लिए संस्थान के अग्रणी केंद्र बनने एवं कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने तथा प्रशासनिक एव प्रबंधन सुधार लाने के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया।

1–3 नवंबर 2010 तक अहमदाबाद में 'संपोषणीय विश्व के लिए आचारशास्त्रीय रूपरेखा' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वित्तीय अंशदान से अर्थ क्लस्टर के 10 वर्ष का उत्सव मनाने के लिए अर्थ चार्टर पहल सचिवालय की साझेदारी में पर्यावरण शिक्षा केंद्र, अहमदाबाद द्वारा आयोजित किया गया। सम्मेलन में संपोषणीय विकास के लिए शिक्षा को शिक्षा प्रथा एवं प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु बनाने अर्थ चार्टर के साथ साझेदारी शुरू करने तथा शिक्षा में अर्थ चार्टर की भूमिका स्पष्ट करने सें संबंधित प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा हुई।

प्रमुख कार्यक्रम (संस्कृति)

विश्व विरासत समिति

जून 2010 में ब्रासिलिया में आयोजित विश्व विरासत समिति के 34वें सत्र में जयपुर के जंतर मंतर को शिलालेख की सूची में शामिल करने के लिए अनुमोदित किया गया। इससे, भारत से सूची में संपत्तियों की कुल संख्या 28 हो गई जिसमें 5 राष्ट्रीय एवं 23 सांस्कृतिक संपत्तियां हैं।

सांस्कृतिक विविधता अभिसमय

भारत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की विविधता के संवर्धन एवं संरक्षण पर यूनेस्को अभिसमय की पुष्टि करने वाला विश्व का 17वां तथा एशिया से पहला देश है और इस प्रकार मार्च 2007 में लागू होने वाले अधिसमय की पुष्टि करने वाले पहले 30 देशों में से एक है। भारत ने इस अभिसमय के प्रचालनात्मक निर्देशों को अंतिम रूप देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा इस अभिसमय के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विविधता निधि में 17,434.99 अमेरिकी डालर का अंशदान किया हैं।

अमूर्त सांस्कशतिक विरासत अभिसमय

भारत ने इस अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक निर्देशों को अंतिम रूप देने तथा प्रथम चक्र के दौरान प्रतिनिधि सूची के लिए नामांकनों की प्रॉसेसिंग में सचिवालय द्वारा महसूस की जा रही चुनौतियों के मद्देनजर प्रचालनात्मक निर्देशों की संशोधन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। भारत ने मई 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए निधि में 13146 यूरो का योगदान भी किया है। यूनेस्को में भारत के स्थाई प्रतिनिधि ने 15–19 नवंबर 2010 तक नैरोबी में आयोजित आईसीएच की अंतर्सरकारी समिति में भाग लिया, जिसमें राजस्थान एवं मुदियेट्टू से छाऊ नश्त्य, कालबेलिया लोक नश्त्य एवं गीत, केरल से अनुष्ठानिक थिएटर एवं नश्त्य आईसीएफ की प्रतिनिधि सूची में शामिल किए गए।

जयंती समारोह

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल की पहल पर अक्टूबर 2009 में यूनेस्को की 35वीं महासभा में 2011 में गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती समारोह से संबद्ध होने के लिए यूनेस्को ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। यूनेस्को में समारोह की गतिविधियों में वर्ष भर चलने वाली गतिविधियां शामिल होंगी जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार तथा टैगोर की कविता का अभिनय, संगीत एवं नृत्य शामिल होगा तथा मई 2011 में एक प्रमुख कार्यक्रम के साथ समापन होगा जो गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती की याद में आयोजित होगा।

15 मई 2010 को मैसन डी लिलन्डे सिटी विश्वविद्यालय, पेरिस में मई 2011 में गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भारत एवं यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से स्मारक गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम में बंग्ला, अंग्रेजी एवं फ्रेंच में संगीत, नृत्य एवं कविता की एक साझी प्रस्तुति ''वेव्स ऑफ ज्वाय'' शामिल थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय के सहयोग से प्राप्त गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की दुर्लभ चित्रकला तथा महात्मा गांधी एवं आइंस्टीन के साथ टैगोर की एक दुर्लभ फोटो भी प्रदर्शित की गई।

14 सितंबर 2010 को पेरिस में यूनेस्को के मुख्यालय में यूनेस्को तथा भारत के स्थाई शिष्टमंडल द्वारा मदर टरेसा का जन्मदिन मनाने के लिए संयुक्त रूप से एक समारोह आयोजित

किया गया। यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा तथा हमारे सबसे विख्यात एवं प्रिय नागरिकों में से एक मदर टरेसा को सम्मानित करने तथा देश की सकारात्मक एवं समावेशी छवि प्रस्तुत करने के अपने प्राथमिक उद्देश्य को पूरा किया। हजारों लोगों ने भाग लिया। इतनी अधिक संख्या में लोग कभी–कभार तथा अपवाद स्वरूप ही यूनेस्को में उपस्थित होते हैं। मदर टरेसा को भावभीनीं श्रद्धांजली दी गई। इस अवसर पर पूर्व सीईसी तथा मुख्य वक्ता श्री नवीन चावला के संबोधन को पूरे मनोयोग से सुना गया। पहले से तैयार किए गए अपने पाठ से हटकर तथा पुरानी यादों एवं घटनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने मदर टरेसा की एक आकर्षक, संवेदनशील एवं भावात्मक तस्वीर प्रस्तुत की। यूनेस्को के महानिदेशक डा. बोकोवा ने मदर टरेसा के संदेश के महत्व का उल्लेख किया तथा कहा कि अपने कार्यक्रमों के माध्यम से यूनेस्को एक खुला मानवतावाद स्थापित करने के लिए काम कर रहा है, जिसकी उन्होंने प्रेरणा दी थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी, कोलकाता की वरिष्ठ सलाहकार सिस्टर जोएन ने सिस्टर प्रेमा, सुपिरियर जनरल आफ आर्डर का संदेश पढ़कर सुनाया। होली सियर के प्रतिनिधि मोनसिग्नौर फ्रांसेस्को फोलियो ने मदर टरेसा के साथ अपने लंबे साहचर्य को ताजा किया तथा उनके कार्य की झलक प्रस्तुत की।

प्रमुख कार्यक्रम (संचार)

भारत आईपीडीसी का अध्यक्ष चुना गया

अंतर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम (आईपीडीसी) 1980 में स्थापित किया गया तथा यूएन सिस्टम में एकमात्र अंतर्सरकारी कार्यक्रम है जो इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में विकासशील देशों की क्षमता सुदृढ़ करके संपोषणीय विकास, लोकतंत्र एवं अच्छे अभिशासन में योगदान करने के लिए यूनेस्को मुख्यालय में 24–26 मार्च 2010 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम की अंतर्सरकारी परिषद के 27वें सत्र में, श्री रघुमेनन, सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को आईपीडीसी का नया अध्यक्ष चुना गया। 30,000 अमेरिकी डालर के अपने वार्षिक अंशदान के माध्यम से भारत ने इसके अस्तित्व में आने से लेकर अब तक आईपीडीसी को 1.4 मिलियन अमेरिकी डालर का अंशदान कर चुका हैं। 5,00,000 अमेरिकी डालर का विशेष अंशदान भी किया गया। भारत यूनेस्को के सबके लिए सूचना कार्यक्रम का भी समर्थन करता है जिसके तहत सूचना, साक्षरता, सूचना एवं आचारशास्त्रीय विरासत का परिरक्षण तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक निहितार्थ शामिल हैं।

प्रमुख कार्यक्रम (प्राकृतिक विज्ञान)

यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय बायो–इथिक्स समिति का 17वां सत्र

भारत अंतर्सरकारी बायो–इथिक्स समिति का सदस्य है तथा इसके विशेषज्ञ प्रो. एच शरत चंद्र यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय बायो–इथिक्स समिति में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आईबीसी एवं अंतर्सरकारी बायो–इथिक्स समिति का एक संयुक्त सत्र तथा अंतर्सरकारी बायोइथिक्स समिति का एक असाधारण सत्र 26 से 29 अक्टूबर तक पेरिस में यूनेस्को के मुख्यालय में आयोजित हुआ तथा 'मानव अशिक्षतता एवं निजी निष्ठा के लिए सम्मान का सिद्धांत', मानव क्लोनिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिशासन, 'परंपरागत दवाएं तथा इसका आचारशास्त्रीय निहितार्थ' पर आईबीसी कार्य समूह की प्रगति रिपोर्टों पर चर्चा की गई। ये बैठकें मानव क्लोनिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय अभिशासन के लिए विशेषज्ञों को सिद्धांत विकसित करने का मंच प्रदान करती हैं।

मानव तथा बायोस्फियर कार्यक्रम

अस्तित्व में आने के समय से ही भारत यूनेस्को के मानव तथा बायोस्फियर कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यूनेस्को के मानव तथा बायोस्फियर कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 22वां सत्र 31 मई से 4 जून 2010 तक यूनेस्को के मुख्यालय में आयोजित किया गया। परिषद ने ग्रेट निकोबार को विश्व बायोस्किियर रिजर्व में एक रिर्जव के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया। परिषद ने नोट किया कि प्रस्तावित बायोस्फियर रिजर्व में उत्तरी अंडमान के बाहर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा अविछिन्न वन क्षेत्र शामिल है। परिषद अब तक के कार्य से प्रोत्साहित थी तथा महसूस किया कि इसमें बायोस्फियर डेस्टिनेशन बनने की काफी संभावनाएं हैं। तथापि, परिषद ने नोट किया कि प्रस्तावित साइट में महत्वपूर्ण तटवर्ती एवं समुद्री क्षेत्र शामिल नहीं हैं। परिषद ने भारतीय प्राधिकारियों को समुद्री एवं तटवर्ती क्षेत्र शामिल करने के बाद नामांकन फिर से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया।

2009 में मानव एवं बायोस्फियर कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद ने बायोस्फियर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल करने के लिए नोरक्रेक बायोस्फियर रिजर्व (मेघालय), सिमलीपल बायोस्फियर रिजर्व (उड़ीसा) और पाचमाढ़ी बायोस्फियर रिजर्व (मध्य प्रदेश) को अनुमोदित किया। भारत

में बायोस्फियर रिजर्व के रूप में निर्दिष्ट 15 साइटों में से 7 बायोस्फियर रिजर्व को बायोस्फियर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है।

पांचवां विश्व जल मंच

अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलाजिकल कार्यक्रम की अंतर्सरकारी परिषद का 19वां सत्र पेरिस में 5–9 जुलाई 2010 तक आयोजित किया गया। सत्र के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलाजिकल कार्यक्रम का आठवां चरण (आईएसीपी–VIII, 2014–2019) तैयार करने के संबंध में प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई।

स्पोर्ट में डोपिंग के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय

भारत स्पोर्ट में डोपिंग के उन्मूलन के लिए यूनेस्को निधि की अनुमोदन समिति का सदस्य है। 27 अक्टूबर 2010 को यूनेस्को के मुख्यालय में समिति की बैठक हुई तथा स्पोर्ट में डोपिंगरोधी परियोजनाओं के लिए तथा डोपिंग के उन्मूलन की आवश्यकता पर युवाओं एवं खिलाड़ियों में जागरूकता का स्तर बढ़ाने के लिए भी 21 देशों के आवेदन अनुमोदित किए गए।

अरोविले प्रतिष्ठान

'अरोविले की स्थापना 28 फरवरी 1968 को श्री अरविंदो की आध्यात्मिक सहयोगी 'मां' द्वारा पुंडुचेरी के बाहरी किनारे पर तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कशतिक कस्बे के रूप में की गई जहां भारत समेत 46 देशों के 2166 लोग एक समुदाय के रूप में रहते हैं तथा अपने आपको सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानकि एवं मानव एकता से जुड़ी अन्य गतिविधियों में लिप्त रखते है।

यूनेस्को ने 1966, 1968, 1970, 1983 में चार संकल्पों के माध्यम से अरोविले परियोजना का समर्थ किया तथा अपने सदस्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय, गैर सरकारी संगठनों को एकीकृत जीवन शैली के साथ विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों को एकजुट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कस्बे के रूप में अरोविले के विकास में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था, जो आदमी की शारीरिक एवं आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करता है, जो कि अरोविले के चार सूत्रीय चार्टर में स्पष्टतः अभिव्यक्त है।

यह कस्बा 1980 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा भारत की संसद द्वारा पारित अरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार अभिशासित किया जाता है।

अरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम 1988 की धारा 10(3) के अनुसार, प्रतिष्ठान में (क) शासी बोर्ड (ख) निवासी सभा और (ग) अरोविले अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद शामिल है। अरोविले प्रतिष्ठान का शासी बोर्ड चार वर्ष के लिए 29 अक्टूबर 2008 को पुनर्गठित किया गया। इसमें 9 सदस्य हैं तथा डा. कर्ण सिंह प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं।

अराविले प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार योजनागत एवं योजनेतर शीर्ष के तहत स्थापना, अनुरक्षण एवं तैनाती पर व्यय वहन करने के लिए प्रतिष्ठान को अनुदान के रूप में आंशिक निधियन प्रदान करती है। वर्ष 2010–11 के लिए योजनगात के तहत ₹ 900 लाख तथा योजनेतर के तहत ₹ 165 लाख की राशि आबंटित की गई है।

श्री अरबिंदो अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान एवं भारत निवास पर निर्माण गतिविधियों के अलावा, प्रतिष्ठान ने वर्ष के दौरान निवासियों से शोधकर्ताओं तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के निर्माण का कार्य शुरू किया है।

निवासी सभा से परामर्श करके तथा कस्बा एवं देहात आयोजना संगठन, शहरी विकास मंत्रालय की सक्रिय तकनीकी सलाह से अरोविले सार्वभौमिक कस्बा मास्टर प्लान तैयार किया गया तथा अरोविले प्रतिष्ठान के शासी बोर्ड ने 17 एवं 18 नवंबर 1999 को आयोजित अपनी 21वीं बैठक में इसे अनुमोदित किया। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद, अराविले मास्टर प्लान (परिपेक्ष्य 2025) भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में 3 सितंबर 2010 को अधिसूचना सं. 35 के तहत अधिसूचित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रकोष्ठ शिक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग तथा ऐसे द्विपक्षीय सहयोग पर अधिक केंद्रित ध्यान देने के विचार से विभिन्न देशों के साथ शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम (ईईपी) के निर्माण, कार्यान्वयन एवं निगरानी से संबंधित कार्य का समन्वय करता है। मंगोलिया, अर्मेनिया, इजराइल, गुयाना, आस्ट्रेलिया, हंगरी, म्यांमार, सीरिया, तंजाजिया, उजबेकिस्तान, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्राजील, थाइलैंड, रूवांडा, मेक्सिको, अफगानिस्तान, क्रोएशिया, एक्वाडोर, श्रीलंका, सउदी अरब, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया, वियतनाम, ओमान, नार्वे, चिली, कुवैत के साथ ईईपी पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोत्स्वाना,

मलेशिया, तुर्कमेनिस्तान, कनाडा तथा इंडोनेशिया के साथ ईईपी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यमन, लीबिया, बुल्गारिया, बेल्जियम, फिलीपींस, पोलैंड, तुर्की आदि (तकरीबन 25 देश) के साथ ईईपी के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इसके अलावा, अनेक देशों के साथ डिग्री, डिप्लोमा एवं अन्य शैक्षिक अर्हताओं की पारस्परिक मान्यता एवं समतुल्यता के लिए एमओयू भी विचाराधीन हैं। वर्ष के दौरान यूके, फ्रांस तथा नार्वे के साथ ईईपी/एमओयू के तहत गठित संयुक्त कार्य समूहों (जेडब्ल्यूजी) की बैठकें आयोजित की गईं।

सार्क, आसियान एवं राष्ट्रमंडल देशों के साथ सहयोग तथा शिक्षा क्षेत्र में अन्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कार्यक्रमों से संबंधित मामले भी आईसी प्रकोष्ठ द्वारा देखे जाते हैं।

विदेशी शिष्टमंडलों का दौराः

आईसी प्रकोष्ठ भारत एवं अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ करने के लिए विदेशी शिष्टमंडल के भारत दौरे तथा मंत्री स्तरीय भारत के शिष्टमंडलों के दौरे का समन्वय करता हैं।

वर्ष के दौरान, आस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर, स्काटलैंड, डेनमार्क, नार्वे, मारीशस, कनाडा एवं यूएसस से मंत्री स्तरीय शिष्टमंडल भारत के दौरे पर आ चुके हैं तथा सहयोग बढ़ाने के लिए विचारों का सार्थक आदान–प्रदान हुआ हैं। आस्ट्रेलिया एवं चीन से अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अभी हाल में भारत का दौरा किया। आईसी प्रकोष्ठ भारत के मंत्री स्तरीय शिष्टमंडलों के विभिन्न देशों के दौरे का भी कामकाज देखता है।

वर्ष के दौरान आईसी प्रकोष्ठ ने निम्नलिखित मंत्री स्तरीय दौरों का समन्वय कियाः

1. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 6 से 13 अप्रैल 2010 तक आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर का दौरा किया जिसके दौरान आस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री के साथ एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया तथा न्यूजीलैंड के साथ शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम (ईईपी) हस्ताक्षरित किया गया।
2. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 23 से 25 मई 2010 तक यूएई का दौरा किया जिसके दौरान माननीय मंत्री जी ने दुबई में सीबीएसई की अंतराष्ट्रीय पाठ्यचर्या का उदघाटन किया।
3. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 1 से 7 जून 2010 तक यूएसए का दौरा किया जिसके दौरान माननीय मंत्री जी ने वाशिंगटन में आयोजित भारत–यूएस रणनीतिक वार्ता में भाग लिया।
4. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (आईआईई) द्वारा प्रदान किया गया स्टीफन पी दुग्गन अवार्ड लेने के लिए 20 से 26 सितंबर तक यूएसए का दौरान किया।
5. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में पांच सदस्यीय शिष्टमंडल ने क्वालालंपुर में राष्ट्रमंडल के शिक्षा मंत्रियों के 17वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए 15 से 19 जून 2009 तक मलेशिया का दौरा किया।
6. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने लेक कोंस्टांन्स में लिंडाउ नोबल पुरस्कार विजेता बैठक में भाग लेने के लिए 25 से 29 जून 2009 तक जर्मनी का दौरा किया।
7. माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने न्यूयार्क शहर में क्लिंटन वैश्विक पहल (सीजीआई) बैठक में भाग लेने के लिए 22 से 24 सितबंर 2009 तक यूएसए का दौरा किया।
8. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय शिष्ठमंडल ने सहयोग के लिए पारस्परिक हित के क्षेत्रों की पहचान करने तथा सहयोग के लिए विभिन्न पहलों को आगे बढ़ाने एवं दो देशों के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थानिक सहलग्नता बढाने के लिए 25 से 31 अक्टूबर 2009 तक यूएसए का दौरा किया।
9. माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति का साथ देने के लिए 26 अक्टूबर 2009 से 1 नवंबर 2009 तक यूके और साइप्रस का दौरा किया।

एफडीआई प्रस्ताव

आईसी प्रकोष्ठ शिक्षा क्षेत्र के संबंध में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) तथा परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन का समन्वय भी करता है।

अफ्रीका में भारत की संलिप्तताः

विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अफ्रीका में दो शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने की पहल की है जो इस प्रकार हैंः (1) अफ्रीकी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और (2) अफ्रीकी शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान।

अफ्रीका संघ ने एआईआईटी स्थापित करने के लिए 'घाना' (पश्चिम अफ्रीका) को तथा भारत–अफ्रीका शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान स्थापित करने के लिए बुरूंडी (मध्य अफ्रीका) को नामांकित है। एआईआईटी से संबंधित गतिविधियों का समन्वय एडसिल कर रहा है जबकि अफ्रीकी शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान से संबंधित गतिविधियों का समन्वय एनयूईपीए कर रहा है।

यूके भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल (यूकेआईईआरआई)

यूके भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल (यूकेआईईआरआई) एक पांच वर्षीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच शैक्षिक संबंध में काफी वृद्धि करना है। यूकेआईईआरआई–1 भारत में अप्रैल 2006 में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर द्वारा शुरू किया गया। यूकेआईईआरआई–1 की सफलता के आधार पर, यूके के विश्वविद्यालय और विज्ञान मंत्री डेविड विलेट्स तथा मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने 12 नवंबर 2010 को संयुक्त रूप से यूके–भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल (यूकेआईईआरआई) लांच किया। कार्यक्रम के इस नए चरण में 2011–2016 के दौरान शिक्षा सहयोग के चार घटक शामिल हैं जिसमें निम्नलिखित आते हैंः

1. कौशल विकास
2. नवाचार साझेदारियां
3. लीडरों की एक नई पीढ़ी का निर्माण करना
4. सामंजस्य स्थापित करना और गतिशीलता बढ़ाना

ओबामा–सिंह 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल

ओबामा–सिंह 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल नवंबर 2009 में माननीय प्रधानमंत्री के यूएसए दौरे के दौरान प्रारंभ की गई। दोनों सरकारों ने इस पहल के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग ₹ 25 करोड़) का वचन दिया है जिससे विश्वविद्यालय सहलग्नाता एवं कनिष्ठ संकाय विकास को वित्तपोषित किया जाएगा। अभिशासी नीति निदेश प्रदान करने तथा ओबामा–सिंह पहल के माध्यम से प्रदत्त सभी अनुदानों के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह गठित किया गया है। इस पहल में संयुक्त कार्यक्रम तैयार करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैंः

(i) संकाय विकास

(ii) शैक्षिक नेतृत्व

(iii) सामुदायिक कालेजों का विकास

(iv) संस्थानिक सहलग्नताएं

याले–भारत नेतृत्व कार्यक्रम

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर तथा भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड ने शैक्षिक नेतृत्व कार्यक्रम के लिए 28 अक्टूबर 2010 को नई दिल्ली में याले विश्वविद्यालय, यूएसए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता ज्ञापन पांच वर्ष की अवधि के लिए 1 जनवरी 2011 से प्रभावी हो गया है।

इसमें भारत में शैक्षिक नेतृत्व के दो उत्कृष्ट केंद्र, एक नोएडा में आईआईटी–कानपुर के प्रस्तावित विस्तार केंद्र में तथा दूसरा आईआईएम–कोझीकोड (केरल) के परिसर में स्थापित करने का प्रावधान है।

संयुक्त राज्य–भारत शैक्षिक प्रतिष्ठान

संयुक्त राज्य–भारत शैक्षिक प्रतिष्ठान (यूएसआईईएफ) की स्थापना एक द्विपक्षीय करार के तहत फरवरी 1950 में हुई, जिसे 1963 में नवीकृत किया गया। 4 जुलाई 2008 को संयुक्त राज्य के राजदूत डेविड सी मलफोर्ड तथा विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने भारत एवं संयुक्त राज्य के बीच शैक्षिक विनिमय सुदृढ़ करने के लिए एक नए ऐतिहासिक फुलब्राइट करार पर हस्ताक्षर किया।

विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2010 के लिए यूएसआईईएफ के निदेशक मंडल के लिए 5 भारतीय नागरिकों को नामित किया। भारत में अमेरिका के राजदूत तथा भारतीय विदेश सचिव यूएसआईईएफ बोर्ड के अवैतनिक सह–अध्यक्ष हैं।

नवंबर 2009 में प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने ओबामा वाइट हाउस के पहले आधिकारिक स्टेट विजिटर के रूप में यूएस का दौरा किया। एक संयुक्त वक्तव्य में राष्ट्रपति ओबामा तथा प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने आवश्यक सार्वजनिक राजनय के रूप में शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विनिमय के महत्व पर बल दिया तथा फुलब्राइट–नेहरू कार्यक्रम के लिए 1–1 मिलियन अमेरिकी डालर के अतिरिक्त योगदान की प्रतिबद्धता की।

शैक्षिक वर्ष 2010–11 के दौरान यूएसआईईएफ ने भारतीय एवं अमेरिकी नागरिकों के लिए निम्नलिखित फुलब्राइट–नेहरू तथा फुलब्राइट अध्येतावृत्तियों का प्रशासन किया:

भारतीय नागरिकों के लिए अनुदान

अनुदान का नाम	अनुदानों की संख्या
फुलब्राइट नेहरू अनुदान	121
नवीकरण अनुदान	5
फुलब्राइट अनुदान	31
गैर फुलब्राइट अनुदान	16
कुल	**173**

अमेरिकी नागरिकों के लिए अनुदान

अनुदान का नाम	अनुदानों की संख्या
फुलब्राइट नेहरू अनुदान	133
फुलब्राइट अनुदान	54
गैर फुलब्राइट अनुदान	8
कुल	**195**

यूएस शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रतिष्ठान शोध छात्र अनुदान तथा यूएस स्कूल शिक्षकों के लिए एक अल्पावधिक सामूहिक परियोजना का भी संचालन करता है। अल्पावधिक सामूहिक कार्यक्रम के शैक्षिक घटक के लागत की प्रतिपूर्ति उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है।

भारतीय नागरिकों के लिए फुलब्राइट–नेहरू पोस्ट डाक्टोरल कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को अच्छी लिया गया तथा शैक्षिक वर्ष 2011–12 के लिए यूएस में 10 अनुमानित अध्येतावृत्तियों के लिए भारतीय नागरिकों द्वारा 140 आवदेन प्रस्तुत किए गए।

नियमित विनिमय कार्यक्रमों के अलावा, प्रतिष्ठान ने 141 संस्थाओं को शामिल करते हुए 59 से अधिक आउटरिच कार्यक्रमों का भी संचालन किया तथा 33वें भारतीय समाज विज्ञान कांग्रेस (आईएससी) तथा 97 भारतीय विज्ञान कांग्रेस जैसे पेशेवर मंचों में फुलब्राइट–नेहरू अध्येतावृत्ति की दर्शनीयता बढ़ाने के लिए भाग लिया। इनमें से अनेक कम सेवित क्षेत्रों एवं शहरों के लिए थे जिनका अल्पसंख्यक समुदायों एवं युवा पीढ़ी तक पहुंचने के प्रयास में पहली बार दौरा किया गया।

ऐसे आउटरिच कार्यक्रमों के उदाहरणों में शामिल हैं: नामची (सिक्किम) में लोयोला शिक्षा कालेज, जोडा (उड़िसा) में जोडा महिला कालेज और ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश) में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। भारत में फुलब्राइट अवसरों को यूएस ने उजागर किया गया तथा अर्हताप्राप्त आवेदकों की संख्या बढ़ाने के लिए अनेक वेबिनार आयोजित किए गए।

प्रतिष्ठान ने संयुक्त राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अनेक भारतीय छात्रों को शिक्षा सलाह सेवाएं प्रदान की। उपर्युक्त गतिविधियां प्रतिष्ठान द्वारा दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित 4 कार्यालयों के माध्यम से संचालित की गई तथा वर्ष के दौरान यूएस में उच्च शिक्षा के बारे में सूचना के लिए यूएसआईईएफ के कार्यालयों से 1,287,067 से अधिक छात्रों ने संपर्क किया।

संयुक्त राज्य–भारत उच्च शिक्षा सहयोग का यूएसआईईएफ कार्यालय नवंबर 2009 में लांच किया गया। यूएसआईएचईसी यूएस में एवं भारत में दोनों के बीच सहलग्नता बढ़ाने एवं विकसित करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं को शामिल करता है। यह बड़े पैमाने पर संस्थानिक संबंधों को निम्नलिखित क्षेत्रों में गहरा करना चाहता है: सहयोगात्मक अनुसंधान, विदेश में अध्ययन कार्यक्रम, संकाय विनिमय तथा दोनों देशों से उच्च शिक्षा प्रशासकों के सम्मेलन।

शास्त्रीय इंडो–कनाडियन संस्थान

1968 में स्थापित शास्त्रीय इंडो–कनाडियन संस्थान ने दोनों देशों में मुख्यत: अनुसंधान एवं संबंधित शैक्षिक संस्थाओं के निधियन के माध्यम से तथा भारत में कनाडियन अध्ययन तथा कनाडा में भारतीय अध्ययन को बढ़ावा देकर भारत और कनाडा के बीच शैक्षिक संबंधों एवं आपसी समझ को बढ़ावा देने के काम में जुटा रहा।

भारत सरकार ने संस्थान के लिए 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ 5 वर्ष के लिए संस्थान के कार्यक्रमों एवं प्रचालनों की सहायता के लिए 13.45 करोड़ रूपए की प्रतिबद्धता की है। वित्त वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान ₹ 2.77 करोड़ का अनुदान जारी किया गया। वित्त वर्ष 2010–11 (योजनेतर) के लिए आबंटित बजट ₹ 2.77 करोड़ है।

कनाडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सीआईडीए) का एसआईसीआई के साथ बहुवर्षीय करार 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए 3.5 मिलियन कनाडियाई डालर के लिए हस्ताक्षरित किया गया। दोनों देशों के बीच शैक्षिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए इन निधियों से नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:

- शास्त्री सहस्त्राब्दि विकास अनुसंधान अनुदान
- साझेदारी विकास बीज अनुदान
- छात्र यात्रा सब्सिडी अनुदान
- भारत में अध्ययन कार्यक्रमों के विकास के लिए सहायता अनुदान
- भारत में अध्ययन ग्रीष्म कार्यक्रम
- छात्र उत्कृष्टता अवार्ड
- शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम संस्थान
- गतिशीलता विनिमय अनुदान

शास्त्री सहस्त्राब्दि विकास अनुसंधान अनुदान के तहत सार्वजनिक नीति से संगत अनुसंधान करने के लिए द्विराष्ट्रीय अनुसंधान दलों को निधियां प्रदान की गई हैं। 2008–2010 के लिए 3 अनुदान प्रदान किए गए हैं तथा अनुदान प्राप्तकर्ताओं से अपने निधियन का प्रसार करने की अपेक्षा है।

एसआईसीआई ने अपना पुनर्गठन शुरू किया है तथा एक द्विराष्ट्रीय संस्थान बन गया है। अब यह 50 भारतीय सदस्य संस्थाओं एवं 38 कनाडियाई सदस्य संस्थाओं द्वारा भारत सरकार एवं कनाडा सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अभिशासित किया जा रहा है।

एसआईसीआई भारत सरकार के निधियन से कनाडा में अध्ययन कार्यक्रम चलाता है। इस कार्यक्रम के तहत 2010–11 में 28 कनेडियाई छात्रों को अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई तथा भारतीय अध्ययनों पर पुस्तकें एवं पत्रिकाएं ऐसे 38 कनेडियाई विश्वविद्यालयों को आपूर्त की गई जो संस्थान के सदस्य हैं।

भारत में कनेडियाई अध्ययन कार्यक्रम विदेश मामले, कनाडा द्वारा वित्तपोषित था तथा कनेडियन अध्ययनों में शिक्षण एवं अनुसंधान में लगे भारतीय छात्रों एवं संस्थाओं को अध्येतावृत्तियों की पेशकश की गई। 2010–11 के दौरान संस्थान ने कनाडा में विभिन्न विषयों पर अनुसंधान करने के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए 11 छात्रों का चयन किया। इसके अलावा कनेडियन अध्ययन से संबंधित सेमिनार एवं अन्य गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में भारत में कनेडियन अध्ययन को बढ़ावा देने वाले 7 केंद्रों को ₹ 12.60 लाख से अधिक का अनुदान दिया गया। भारतीय विश्वविद्यालयों में कनेडियन अध्ययन केंद्रों को पुस्तकें एवं पत्रिकाएं भी भेजी गई।

भारत सरकार के निधियन से 2007 से भारत में सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक विभिन्न भारतीय संस्थाओं को 10 अनुसंधान परियोजनाएं वित्त पोषित की गई हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत एवं कनाडा में एसआईसीआई की सदस्य संस्थाओं में अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना है। विषयों में कृषि, पर्यावरण प्रबंधन, मानवाधिकार, व्यापार करार, नैनो प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं।

अनुसंधान करने के लिए या 6 से 8 सप्ताह के लिए मेजबान संस्थाओं में पहुंचने के लिए सभी विषय क्षेत्रों से भारतीय एवं कनेडियन संकाय के लिए संकाय/छात्र गतिशीलता कार्यक्रम नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। छात्र गतिशीलता चुनिंदा कनेडियन कालेजों/विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम करने या इंटर्नशिप करने के लिए युवा भारतीयों के लिए अभिकल्पित है।

कनाडा के प्रधान मंत्री स्टीफेन हार्पर के सम्मान में 5 फरवरी 2010 को आयोजित शैक्षिक गोलमेज की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में एसआईसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रो. सुनैना सिंह ने क्यूबेक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जिससे क्यूबेक के घरेलू शुल्क पर क्यूबेक के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्र पढ़ाई कर सकेंगे।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में शिक्षा प्रकोष्ठ

मित्र देशों के साथ विज्ञान, शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में अच्छे संबंध विकसित करने के ध्येय से न्यूयार्क, बोन, मास्को तथा वाशिंगटन में भारतीय मिशनों में तथा यूनेस्को, पेरिस में भारत के स्थायी शिष्टमंडल में शिक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किए गए। विदेशों में स्थित शिक्षा प्रकोष्ठों के प्रशासनिक एवं वित्तीय मामले यूनेस्को प्रभाग द्वारा संभाले जा रहे हैं। इस समय कांसुलेट जनरल ऑफ इंडिया, न्यूयार्क तथा यूनेस्को, पेरिस में भारत के स्थायी शिष्टमंडल के शिक्षा प्रकोष्ठ काम कर रहे हैं। विदेशों में स्थित हमारे शिक्षा प्रकोष्ठों के कार्य इस प्रकार हैं:

(i) जिस देश में मिशन स्थित है उसमें भारतीय छात्र समुदाय के कल्याण की देखरेख करना।

(ii) देश के विद्वत जगत से संपर्क रखना और संस्कृति एवं भारतीय विद्या के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, शिक्षाविदों एवं मशहूर हस्तियों से संबंध विकसित करना।

(iii) शिक्षा, संस्कृति के क्षेत्र में अद्यतन घटनाक्रमों का लेखाजोखा रखना तथा उन पर भारत में संबंधित मंत्रालयों एवं संस्थाओं को रिपोर्ट करना।

(iv) भारत में शैक्षिक संस्थाओं तथा जिस देश में मिशन स्थित है उस देश की शैक्षिक संस्था के बीच संपर्क कार्यालय के रूप में काम करना।

(v) शैक्षिक विषयों विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार को सलाह देना जिसमें हमें संबंधित देश से भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां प्राप्त करनी चाहिए।

महिला अधिकारिता

16

एक स्वतंत्र समूह के रूप में, भारत की कुल आबादी में 48 प्रतिशत हिस्सा है। वे देश के बहुमूल्य मानव संसाधन का अंग हैं अपितु सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में उनका विकास अर्थव्यवस्था के पोषणक्षम विकास की गति भी निर्धारित करता है। लैंगिक समता का सिद्धांत भारत के संविधान के प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अधिष्ठापित है। संविधान आधिकारिक तौर पर महिलाओं को समानता प्रदान करता है तथा महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय अपनाने के लिए राज्य को अधिकार भी देता है। तथापि, भारत में महिलाएं भेदभाव के जिन विविध रूपों का सामना कर रही हैं वह सकारात्मक से कोसों दूर है।

सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को संभव बनाने में शिक्षा की भूमिका को अच्छी तरह स्वीकार किया जाता है। उभरते अवसरों से लाभ लेने के लिए शिक्षा तक पहुंच आवश्यक है। जिसके साथ आर्थिक विकास भी होता है। इस स्वीकृत सच को ध्यान में रखते हुए आजादी के समय से ही लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि भारत में शिक्षा में व्याप्त अंतराल को पाटा जा सके। 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। तथा इस दायित्व की पूर्ति लड़कियों की शैक्षिक स्थिति में सुधार तथा प्रारंभिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण में लैंगिक समानता के लिए आवश्यक है।

शिक्षा नीति

1976 तक शिक्षा राज्य का विषय था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में अंतरित करने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 में लड़कियों की शिक्षा पर नए सिरे से बल दिया गया, जिसने महिलाओं एवं लड़कियों की शिक्षा के लिए एक समग्र विजन प्रदान किया तथा परस्पर संबंधित मुद्दों की पहचान की जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में रूकावट बनते हैं। 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो एक पथ प्रदर्शक नीति दस्तावेज है। भारत सरकार की संदिग्ध प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है कि ''महिलाओं के स्तर में बुनियादी परिवर्तन के लिए शिक्षा को एक एजेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। अतीत की संचित विकृतियों को दूर करने के लिए, महिलाओं के लिए एक सुविचारित उद्देश्य होगा... यह विश्वास एवं सामाजिक इंजीनियरिंग का एक कार्य होगा... महिलाओं की निरक्षरता तथा उनकी सेवाओं में रूकावट बनने वाली बाधाओं का उन्मूलन, समयबद्ध लक्ष्यों का निर्धारण तथा प्रभावी मॉनिटरिंग...''

1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः ''महिलाओं के स्तर में बुनियादी परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में शिक्षा का प्रयोग किया जाएगा... यह विश्वास एवं सामाजिक इंजीनियरिंग का एक कार्य होगा। महिलाओं की निरक्षरता तथा उनकी पहुंच में रूकावट बनने वाली बाधाओं का उन्मूलन, तथा प्रारंभिक शिक्षा के अवधारण पर विशेष सहायता सेवाओं के प्रावधान, समयबद्ध लक्ष्यों के निर्धारण तथा प्रभावी मॉनिटरिंग के माध्यम से सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी।'' (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अध्याय–IV, पृष्ठ 6, पैरा 4.2 एवं 4.3, भारत सरकार)। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने प्रारंभिक शिक्षा को यह प्रावधान करके 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया है कि ''राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उस ढंग से प्रदान करेगा जिसे राज्य कानूनन निर्धारित कर सकता है।'' यह भारत में एक पथ प्रदर्शक विधायन साबित हुआ है, जहां प्रारंभिक शिक्षा के लिए इतनी बड़ी प्रतिबद्धता ने सरकारों, समुदाय आधारित संगठनों एवं नागरिक समाज को सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक सामान्य संकल्प में बांधा है। उपर्युक्त नीति रूपरेखा के अनुसरण में, मंत्रालय ने महिला शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम/योजनाएं शुरू ही है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ईसीई)

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की एक विशेष ध्यान दिया गया है कि सहोदर भाई–बहनों के देखरेख की जिम्मेदारी के कारण अनेक लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं। ईसीई सुविधाएं प्राथमिक विद्यालय के सन्निकट लाई गई हैं ताकि प्राथमिक स्कूल जाने वाली लड़कियां आगनवाड़ी केंद्रों पर अपने छोटे भाई–बहनों को छोड़ने के बाद स्कूल जा सकें, जिससे लड़कियों की भागीदारी में नाटकीय सुधार हुआ है, ईसीई केंद्रों से ग्रेड–I में संक्रमण

संभव हुआ है, औपचारिक शिक्षाा के लिए नए शिक्षु तैयार हुए हैं तथा बेहतर अवधारण दर में सहायता की है।

सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए): लड़कियों की शिखा को बढ़ावा देना तथा लैंगिक अंतराल पाटना

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) 2001 में शुरू किया गया तथा देश के हर जिले पहुंच गया है। देश में लड़कियों की शिक्षा की मौजूदा स्थिति को स्वीकार करते हुए एसएसए के लक्ष्यों में नामांकन, अवधारण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में लैंगिक अंतरों को पाटने एवं दूर करने पर स्पष्ट रूप से बल दिया गया है। यूईई की आयोजना एवं प्रावधान में लड़कियों की शिक्षा पर स्पष्ट एवं विशेष बल दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान संबंधित राज्यों की भागीदारी से यह सुनिश्चित करने की आशा करता हैं कि शिक्षकों की पर्याप्त संख्या समेत पर्याप्त अवसंरचना के साथ प्रारंभिक स्कूलों तक देश की सभी बस्तियों की पहुंच होगी। प्राथमिक स्कूल के लिए एक कि.मी. तथा उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए तीन कि.मी. के अंदर स्तरीय शिक्षा के प्रावधान से, भारी संख्या में स्कूल बाह्य बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों को स्कूल में लाने तथा प्रणाली में अधिक अवधारण सुनिश्चित करने की उम्मीद की गई।

शिक्षा प्रणाली को पुल फैक्टर के रूप में काम करने के लिए बालिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति अनुक्रियाशील बनाना

- स्कूलों तक पहुंच में सुधार करना
- महिला शिक्षकों के अनुपात में वृद्धि करना
- शिक्षकों की लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण
- लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील एवं संगत पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तके विकसित करना
- सहायक संरचनाएं उपलब्ध करना जैसे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्र
- वैकल्पिक अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करना
- स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं--शौचालय एवं पेयजल का सुनिश्चय करना

रणनीतियों एवं हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला विकसित की गई है जिनका उद्देश्य शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना, व्यवस्थागत अनुक्रियाशीलता का निर्माण करना, लड़कियों एवं उनके अभिभावकों को उत्प्रेरित करना तथा समुदाय आधारित बालिका शिक्षा समूहों के साथ साझेदारी निर्मित करना है। शिक्षण कक्ष से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए प्रयास किए गए हैं ताकि अनुकूल अध्ययन माहौल सृजित हो तथा बालिका शिक्षा में प्रमुख संकेतकों के साथ प्रगति की मॉनिटरिंग की जा रही है।

बालिका शिक्षा के लिए रणनीति के दो विस्तृत पहलुओं के तहत मांग एवं आपूर्ति पक्ष पर समान रूप से बल दिया गया है:

एसएसए के तहत बालिकाओं के लिए लक्षित प्रावधान

- राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित पड़ोस में स्कूल की उपलब्धता संबंधी मानदंड
- कक्षा 8 तक सभी लड़कियों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें (150 रूपए प्रति बच्चा प्राथमिक स्तर तथा 250 रूपए प्रति बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर)

बालिका शिक्षा के लिए सामुदायिक मांग सृजित करना

- अभिभावकों एवं समुदाय का उत्प्रेरण एवं संचेतना
- स्कूल से संबंधित गतिविधियों में महिलाओं एवं माताओं की भूमिका बढ़ाना
- स्कूल समितियो की बैठक में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- विद्यालय, शिक्षकों एवं समुदाय के बीच संबंध सुदृढ़ करना

- लड़कियों समेत प्रत्येक बच्चे के लिए 150 रूपए की दर से आदिवासी भाषाओं के लिए बालपोथी/पाठ्यपुस्तक विकसित की गई।
- लड़कियों समेत अध्ययन–अध्यापन सामग्री तथा वर्कबुक/वर्कसीट
- उच्च प्राथमिक स्कूल पर केवल लड़कियों के स्कूलों का प्रावधान
- लड़कियों के लिए अलग शौचालय
- लड़कियों को निःशुल्क पोशाक
- स्कूल वाह्य लड़कियों के लिए स्कूल वापसी शिविर
- उम्रदराज लड़कियों के लिए सेतु पाठ्यक्रम
- 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की भर्ती
- आईसीडीएस कार्यक्रम के साथ अभिसरण में स्कूलों में

या आसपास प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केंद्र

- साम्यपूर्ण अध्ययन अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम
- पाठ्यपुस्तकों समेत लिंग संवेदी अध्ययन–अध्यापन सामग्रियां
- गहन समुदाय संचेतना प्रयास
- लड़कियों की उपस्थिति एवं अवधारण सुनिश्चित करने के लिए आवश्कता आधारित कार्यक्रमों के लिए प्रति जिला 'नवाचारी निधि'

सर्वशिक्षा अभियान के संगठनात्मक ढांचे में जेंडर फोकस

इसके अलावा, ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जहां बालिका शिक्षा पिछड़ी हुई है, 2003 और 2004 में केंद्रित कार्यक्रम शुरू किए गए जिनके नाम इस प्रकार हैः प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) जिनका उद्देश्य देश के 3000 से अधिक शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में सीमांत सामाजिक समूहों की लडकियों तक पहुंचना है, जहां 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है तथा साक्षरता में लैंगिक अंतराल राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में तथा लाभवंचित समुदायों में लैंगिक विषमताएं अभी भी मौजूद हैं। अगर नामांकन के रूझानों पर नजर डालें तो विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कों की तुलना में प्रारम्भिक स्तर लड़कियों के नामांकन में काफी अंतर मौजूद है। इस प्रकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) अगस्त 2004 में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में अधिमानतः अजा, अजजा, अपिव तथा अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए आरंभ किया गया।

एनपीईजीईएल योजना

सितंबर 2003 में शुरू की गई एनपीईजीईएल योजना सर्वशिक्षा अभियान का एक अभिन्न किंतु अलग घटक है। एनपीईजीईएल में गहन सामुदायिक संचेतना, क्लस्टरों में माडल स्कूलों के विकास, शिक्षकों के लैंगिक संवेदीकरण, लिंग संवेदी अध्ययन सामग्रियों के विकास, प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा की सुविधाओं तथा आवश्यकता आधारित प्रोत्साहनों जैसे लड़कियों के लिए एस्कार्ट लेखन सामग्री, वर्कबुक तथा पोशाक आदि के प्रावधान के माध्यम से प्रारम्भिक स्तर पर कम सुविधाभोगी/लाभवंचित लड़कियों की शिक्षा में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान है। शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी ब्लाकों को एनपीईजीईएल के तहत शामिल किया गया है।

एनपीईजीईएल के तहत लगभग 40384 माडल क्लस्टर विद्यालय खोले गए हैं, 2520 ईसीसीई केंद्रों को सहायता दी जा रही हैं, 26838 अतिरिक्त शिक्षण कक्ष निर्मित किए गए हैं तथा 214731 शिक्षकों को लैंगिक संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा 2418036 लड़कियों को उपचारी शिक्षण, 657622 लड़कियों को सेतु पाठ्यक्रम प्रदान किया गया है तथा सभी लड़कियों को पोशाक आदि जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

एनपीईजीईएल के दिशानिर्देशों में संशोधन

एसएसए के राष्ट्रीय मिशन की कार्यकारिणी समिति ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्पष्टतः परिभाषित परिणामों के साथ एनपीईजीईएल के तहत जोखिमग्रस्त/कठिन परिस्थितियों वाली लड़कियों के लिए ब्लाक आधारित परियोजनाओं के लिए एनपीईजीईएल के कार्यान्वयन संबंधी दिशनिर्देशों में संशोधन को 23 जुलाई 2007 को अनुमोदित कर दिया हैः

(i) हस्तक्षेपों का बल लड़कियों के अवधारण तथा अध्ययन की गुणवत्ता में सुधार पर होना चाहिए। ब्लाक में अपनाए जाने के लिए लड़कियों के लक्षित समूह तथा विशिष्ट रणनीतियों के लिए परिभाषित मापेय परिणामों के साथ विस्तृत कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। तदनुसार जिले की एसएसए वार्षिक कार्य योजनाओं में एनपीईजीईएल की ब्लाक स्तरीय परियोजनाएं परिलक्षित हो रही हैं।

(ii) सभी रणनीतियों एवं हस्तक्षेपों का केंद्रबिंदु ब्लाक के अंदर स्कूल जाने वाली एवं स्कूल वाह्य दोनों लड़कियां होनी चाहिए।

(iii) ब्लाक के लिए निधियां प्रति क्लस्टर एनपीईजीईएल योजना के तहत ग्राह्य उपघटकों का जोड़ होनी चाहिए।

(iv) माडल क्लस्टर स्कूल में अतिरिक्त शिक्षण कक्ष के लिए ग्राह्य 2 लाख रूपए की राशि को योजना से हटा दिया गया हैं क्योंकि एसएसए ऐसी अवसंरचना के लिए पहले से ही प्रावधान करता है। इसकी बजाय निधि का उपयोग उपर्युक्त 3 में शामिल एवं अनुमोदित अन्य गतिविधियों के लिए होना चाहिए।

एनपीईजीईएल के दिशानिर्देशों में दूसरा संशोधनः 23 दिसंबर 2009 को आयोजित अपनी बैठक में एसएसए के राष्ट्रीय मिशन की कार्यकारिणी समिति ने एनपीईजीईएल के तहत आवश्कता आधारित हस्तक्षेपों की अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन में लोच प्रदान करने के लिए एनपीईजीईएल के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन को अनुमोदित किया है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना

केजीबीवी की पहुंच का ब्यौरा इस प्रकार है:

- 2573 संस्वीकृत– इनमें से 492 केजीबीवी में 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है
- 2567 केजीबीवी क्रियाशील
- अक्टूबर 2010 में अतिरिक्त 999 केजीबीवी संस्वीकृत। अब शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी ब्लाकों (ईबीबी) को केजीबीवी के तहत शामिल करने का प्रस्ताव है।
- कुल नामांकन में 27 प्रतिशत अजा, 29 प्रतिशत अजजा, 28 प्रतिशत अपिव, 9 प्रतिशत मुस्लिम तथा 10 प्रतिशत बीपीएल नामांकन है। ईबीबी में नामांकित लड़कियों में से लगभग एक चौथाई मुस्लिम हैं।

ईबीबी में दूसरी प्रमुख पहल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना हैं जिसमें अजा, अजजा, अपिव एवं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूलों की स्थापना का प्रावधान है। यह योजना बिखरी आबादी वाले क्षेत्रों पर केंद्रित हैं जहां स्कूल काफी दूरी पर हैं तथा लड़कियों के लिए सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती है। इसकी वजह से अक्सर लड़कियां अपनी पढ़ाई बंद कर देती हैं। केजीबीवी स्वयं ब्लाक में आवासीय विद्यालय स्थापित करके इस समस्या का समाधान करता है।

केजीबीवी योजना के बहुत विशिष्ट लक्ष्य

- किशोरियां जो नियमित स्कूल जाने में असमर्थ है।
- 10+ आयु की स्कूल बाह्य लड़कियां जो प्राथमिक शिक्षा पूरी करने में असमर्थ है।
- ऐसी बिखरी बस्तियों के दुर्गम क्षेत्रों में यायावर आबादी की छोटी लड़कियां जो प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए अर्हक नहीं हैं।

जैसा कि केजीबीवी विशेष रूप से ऐसे समुदायों को लक्षित करता है जहां लड़कियां अधिक लाभवंचित हैं जैसे अजा, अजजा, अपिव एवं मुस्लिम समुदाय, योजना में अजा/अजजा/अपिव एवं अल्पसख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत तथा बीपीएल परिवारों की लड़कियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

लैंगिक संवेदीकरण

समुदाय के सदस्यों, शिक्षकों एवं प्रशासकों का लैंगिक संवेदीकरण सभी कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बालिका शिक्षा से जुड़ी बाधाओं का मुख्य स्रोत सामाजिक विश्वास एवं प्रथाएं हैं जो लड़कियों के प्रतिकूल हैं। इस संदर्भ में प्राथमिकताओं में से एक पणधारियों में लैंगिक मुद्दों की समझ को ठीक करना है। वैयक्तिक पक्षपातों की पहचान, जेंडर एवं सेक्स पर संकल्पना का निर्माण, शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी की विश्लेषणात्मक प्रस्तुति, लड़कियों के अनुकूल शिक्षण कक्षों का सुनिश्चिय तथा अध्ययन में सुधार के लिए उपस्थिति की मॉनीटरिंग कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लैंगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया। शिक्षकों के लिए, लैंगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में साम्यपूर्ण अध्ययन माहौल के सुनिश्चिय तथा समुदाय के साथ काम करने का एक घनिष्ट संबंध सुनिश्चित करने पर भी बल दिया जाता है।

जेंडर संवेदी अध्ययन सामग्रियों का सुनिश्चय

जेंडर संवेदी पाठ्यपुस्तकें एवं पठन सामग्रियां विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यपुस्तक लेखन प्रक्रिया एवं सामग्री विकास के साथ जेंडर विशेषज्ञों को संबद्ध किया जाता हैं। पूरे देश में जेंडर अनुकूल पाठ्यपुस्तकें विकसित की गई हैं। लैंगिक पक्षपात दूर करने के लिए विद्यमान पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा भी की जाती है। 'क्या करें' तथा 'क्या न करें' की विस्तृत जांच सूचियां विकसित की गई हैं तथा पाठ्यपुस्तकों में लैंगिक पक्षपात के उन्मूलन की प्रकिया के मार्गदर्शन के लिए प्रयुक्त की गई है।

लड़कियों के लिए वैकल्पिक विद्यालयों के विशेष मॉडल

वैकल्पिक अध्ययन केंद्रों के विभिन्न माडल तैयार किए गए ताकि वे लडकियों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकें। सामुदायिक मांग के आधार पर वैकल्पिक विद्यालय के ये माडल कवरेज में अंतर और विविधता दर्शाते हैं। एक माडल 9 वर्षीय स्कूल बाह्य लड़कियों के लिए था तथा दूसरा ऐसी किशोरियों पर केंद्रित था जिन पर अपने सहोदर भाई–बहनों के देखभाल की जिम्मेदारी होती है जिसके तहत एक साथ

अध्ययन एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल केंद्र चलाए जाते हैं। औपचारिक विद्यालयों में अन्यथा गैर नामांकित मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों तक पहुंचने के प्रयास में धार्मिक शिक्षा, मदरसों एवं मकतबों के समुदाय आधारित केंद्रों को औपचारिक पाठ्यचर्या के अध्ययन का केंद्र बनाया गया।

अंतराल पाटने संबंधी रणनीतियां, जो सबसे सफल माडलों में एक हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों तथा बड़ी उम्र की लड़कियों को त्वरित अध्ययन का अवसर प्रदान करने के लिए अभिकल्पित की गई, जो स्कूलों में कभी नामांकित नहीं हुई। लड़कियों की आयु तथा शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग–अलग अवधि की पाठ्यक्रम अंतर्वस्तु तैयार की जाती है। सेतु पाठ्यक्रम आवासीय या गैर आवासीय हैं। इन प्रयासों के माध्यम से सेतु पाठ्यक्रमों के अध्ययन चक्र के सफलतापूर्वक पूरा होने पर अनेक लड़कियों को नियमित विद्यालयों की मुख्यधारा में लाया गया।

प्रोत्साहन

विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन एवं अवधारण में सुधार के लिए उनको निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, लेखन सामग्री, नोट बुक, छात्रवृत्ति, बस पास, बीमा एवं पोशाक जैसे प्रोत्साहन दिये जाते हैं। अपने–अपने क्षेत्रों में लड़कियों के नामांकन, उपस्थिति एवं अवधारण में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन के लिए विद्यालय एवं ग्राम शिक्षा समितियों के लिए पुरस्कार की योजनाएं भी शुरू की गई है।

भारत सरकार ने 2008–09 में "माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन" नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू किया। योजना के अनुसार ₹ 3000 की राशि पात्र लड़कियों के नाम में सावधि जमा के रूप में जमा की जाती है, जो इस पर ब्याज सहित यह राशि 18 साल का होने पर निकालने के लिए पात्र होती हैं तथा उन्हें अब तक कक्षा 10 की परीक्षा पास कर लेनी चाहिए। योजना के तहत निम्नलिखित शामिल हैं (1) अजा/अजजा समुदाय की सभी लड़कियां जिन्होंने कक्षा 8 पास कर लिया हैं तथा (2) ऐसी सभी लड़कियां जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कक्षा 8 की परीक्षा पास की है (वे अजा/अजजा से संबंधित हों या न हों) तथा सरकारी, सरकारी सहायताप्राप्त एवं स्थानीय निकाय के स्कूलों में कक्षा 9 में नामांकित हैं। योजना का उद्देश्य पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर कम करने तथा मुख्य रूप से अजा/अजजा समुदायों की लड़कियों का माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए समर्थकारी माहौल निर्मित करना है। अब तक योजना के तहत 632558 लड़कियां लाभावित हो चुकी हैं।

विशेष कोचिंग कक्षाएं

अपना शैक्षिक निष्पादन सुधारने में अजा एव अजजा की लड़कियों की सहायता के निमित्त उनके लिए स्कूल समय के बाद विशेष कोचिंग कक्षाएं चलायी जाती हैं। इस कार्यक्रम का परिणाम बहुत उत्साहवर्धक है। कार्यक्रम पर किए गए एक अध्ययन ने पाया कि लड़कियों के उपलब्धि स्तर में काफी सुधार हुआ है।

हमराही (एस्कोर्ट)

अक्सर लड़कियां इस वजह से स्कूल जाना बंद कर देती हैं कि स्कूल उनके घरों से काफी दूर होते हैं या उन्हें अकेले, जंगली क्षेत्रों से स्कूल जाना पड़ता है या स्कूल के रास्ते में उनको अन्य भौतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कभी–कभी लड़कियों की सुरक्षा ऐसी स्थितियों में बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे मुश्किल समूहों की समस्या दूर करने के लिए लड़कियों के साथ गांव का कोई बुर्जुग अक्सर कोई महिला जाती है। वह उनको अपने साथ स्कूल ले जाती है तथा उनके साथ वापस आती है। दिन के दौरान वह स्कूल में छोटे–मोटे काम करती है या अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर पढ़ाती भी है। उसे उसकी सेवाओं के लिए सांकेतिक मानदेय का भुगतान किया जाता हैं।

बालिका शिक्षा को सामुदायिक एजेंडा बनाना

इस अनुभूति के आधार पर कि प्राथमिक शिक्षा के लिए मांग से शैक्षिक प्रक्रिया में प्रतिभागिता की दर प्रभावित होती हैं, बालिका शिक्षा के लिए समुदायों को सचेत करने के लिए अनेक विकल्प तैयार किए गए जिनमें से कुछ उल्लेखनीय विकल्प इस प्रकार हैं: मां–बेटी मेला, मीना अभियान, प्रभात फेरी, धार्मिक नेताओं के साथ बैठके, समुदाय आधारित सम्मेलन आदि।

(क) मां–बेटी मेले में भारी संख्या में मां–बेटियां एक साथ आती हैं। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षित करने के महत्व के बारे में उनको जागरूक किया जाता है। वे स्थानीय स्कूल के कामकाज, सामान्य रूप से शिक्षा प्रणाली तथा लड़कियों के लिए उपलब्ध विशेष प्रावधानों के बारे सूचनाएं प्राप्त करती हैं। उनको पोषक आहार, कानूनी मुद्दों की भी जानकारी दी जाती है तथा फिल्में भी दिखाई जाती हैं। बिक्री के लिए

आचार एवं जैम तथा माताओं द्वारा निर्मित हस्तशिल्प जैसे उत्पाद भी रखे जाते हैं। मेलों की गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी से लड़कियों के नामांकन एवं अवधारण की दिशा में अधिक रूचि एवं प्रतिबद्धता पैदा करने में सहायता मिलती है।

(ख) प्रभात फेरियां जागरूकता सृजन के उपाय के रूप में निकाली जाती हैं जिसमें गांव में संचेतना फेरी, स्लोगन एवं दीवार लेखन, पंपलेट एवं पोस्टर वितरण तथा घर–घर संपर्क आदि शामिल होता है।

(ग) कुछ समुदायों के धार्मिक नेताओं एवं राय निर्माताओं के साथ वार्ता को स्कूलों में अपनी लड़कियां भेजने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। समुदाय के व्यवहार पर उनका प्रभाव आवश्यक बनाता है कि उनको प्रभावित किया जाए ताकि वे लड़कियों को शिक्षित करने के बारे में लोगों को प्रेरित कर सकते तथा बालिका शिक्षा के लिए सामुदायिक प्रतिबद्धता का सृजन कर सकें। यह एक प्रमुख रणनीति रही है जिसने मुस्लिम अल्पसंख्यक लड़कियों को शिक्षा के दायरे में लाने में काम किया है।

महिला समूहों के माध्यम से काम करना

अनुभव से यह देखा गया है कि महिलाओं ने विभिन्न तरीकों से बालिका शिक्षा के लिए अभियानों का प्रभावी ढंग से नेतृत्व किया है। उन्होंने शिक्षा के लिए लड़कियों को सचेत किया है, शिक्षकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्कूलों के साथ सीधे काम है, शिक्षको, एवं बालिकाओं की नियमित उपस्थिति का सुनिश्चय किया है, उपचारी शिक्षण प्रदान किाया है तथा अध्ययन–अध्यपान सामग्रियों के विकास में भी योगदान दिया है। समुदायों को सचेत करने समीक्षा के दौरान सामने आने वाले मुद्दों की निगरानी करने और उनका जवाब देने में प्रेरित महिलाओं के समूहों ने बहुत प्रभावी ढंग से काम किया है। ये समूह समस्याओं का स्थानीय समाधान ढूंढनें की नवाचारी विधियां प्रदान करते हैं। रणनीति के रूप में शिक्षा कार्यक्रम महिला समूहों के गठन का समर्थन करते हैं तथा उनकी क्षमता निर्माण में निवेश करते हैं।

सूक्ष्म पहलों के साथ प्रयोग

(क) लड़कियों की विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों की पहचान करने के बाद विशेष हस्तक्षेप किए गए हैं। जिला एवं उप जिला स्तरीय डेटा के विश्लेषण एवं व्याख्या में माध्यम से अनुभव आधारित प्रत्युत्तर अपनाए गए जब सूक्ष्म स्थिति को पूर्णतया समझ लिया जाता है तो सूक्ष्म पहलें तैयार की जाती हैं। इन पहलों में अभिभावकों, शिक्षकों एवं अन्य राय निर्माताओं के साथ अक्सर वार्ता शामिल होती है ताकि स्कूल बाह्य लड़कियों का नामांकन हो सके, लड़कियों के अवधारण का सुनिश्चय हो, तथा बालिका शिक्षा के लिए भरपूर सहायता मिल सके, सभी पणधारियों को शामिल करके सहभागितापूर्ण तरीके कार्य किया जा सके। अवधारण के लिए अपनाई गई रणनीतियों में एक उपस्थिति की निगरानी है।

(ख) सूक्ष्म पहलों को लागू करने के लिए प्रबंधन के विभिन्न माडलों का प्रयोग किया गया। कभी–कभी राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के पदाधिकारियों ने स्कूलों / गांवों के क्लस्टरों का अंगीकरण किया तथा कतिपय मामलों में सुपुदर्गी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए क्लस्टर में अतिरिक्त पदाधिकारी प्रदान किए गए। यह लक्षित दृष्टिकोण के जड़ जमाने की शुरूआत हैं।

(ग) स्कूलों में लड़कियों के अध्ययन स्तर तथा स्कूल बाह्य लड़कियों पर बल में वृद्धि हुई है क्योंकि राष्ट्र सार्वभौमिक नामांकन के करीब पहुंच गया है। जो बच्चे अभी तक बाहर है वे भौगोलिक क्षेत्रों एवं स्थितियों, सामाजिक समूहों, जेंडर आदि की दृष्टि से पहुंच के लिए सबसे मुश्किल हैं।

(घ) इस पृष्ठभूमि में भारत में सर्वशिक्षा अभियान के तहत भारत में यूईई में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

महिला समाख्या

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्यों के अनुसरण में, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक रूप में कमजोर समूहों की महिलाओं की शिक्षा एवं अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिष्ठापित लक्ष्यों को ठोस कार्यक्रमों का रूप देने के लिए महिला समाख्या योजना 1989 में शुरू की गई। इस समय कार्यक्रम के तहत 10 राज्यों में 104 से अधिक जिलों के 495 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में फैले 33577 से अधिक गांव शामिल हैं। यह कार्यक्रम 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में चल रहा हैं। मध्य प्रदेश में नई एमएस सोसायटी का गठन किया गया हैं तथा राजस्थान में भी कार्यक्रम शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

महिला शिक्षण केंद्र (एमएसके), जो महिला/बालिका शिक्षा की दिशा में एमएस की एक प्रमुख पहल है, खोले गए हैं। प्रत्येक एमएसके में लड़कियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:

- निःशुल्क शिक्षा
- रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था
- पुस्तकों एवं लेखन सामग्री का प्रावधान
- ₹ 100 प्रतिमाह की दर से स्टाइपेंड
- चिकित्सा जांच
- अतिरिक्त पाठ्येतर गतिविधियां जैसे गेम्स, थिएटर, गायन, नृत्य, कराटे, योग तथा ज्ञानार्जन दौरे
- सिलाई, दस्तकारी एवं हर्बल मेडिसीन में व्यावसायिक प्रशिक्षण

इस समय असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 94 महिला शिक्षण केंद्र चल रहे हैं तथा कुल 11061 महिलाएं एवं लड़कियां अब तक एमएसके से पढ़कर निकली हैं।

उच्च शिक्षा

इस विभाग का हमेशा से महिलाओं का अधिक नामांकन एवं प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं एवं परियोजनाएं बनाने का प्रयास रहा है। इसलिए उच्च शिक्षा में लैंगिक अंतराल कम करना एक फोकस क्षेत्र है।

देश में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में भारी वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर कुल नामांकन में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत केवल 10 प्रतिशत था जो आज शैक्षिक वर्ष 2010–11 के शुरू में बढ़कर 41.60 प्रतिशत हो गया हैं।

किसी राज्य में कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिला नामांकन सबसे अधिक गोवा (59 प्रतिशत) में है तथा सबसे कम बिहार (30 प्रतिशत) में है। निरपेक्ष रूप में महिला नामांकन राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश में 8.4 लाख के साथ सबसे अधिक है जिसके बाद 7.8 लाख के साथ महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। शैक्षिक वर्ष 2010–11 के शुरू में महिला नामांकन का संकायवार वितरण नीचे दिया गया है:

संकायवार महिला नामांकनः 2010–11

क्रम सं.	संकाय	महिला नामांकन'	कुल महिला नामांकन का प्रतिशत
1	कला	2776289	45.66
2	विज्ञान	1214864	19.98
3	वाणिज्य/प्रबंधन	967392	15.91
4	शिक्षा	224974	3.70
5	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी	467581	7.69
6	मेडिसीन	234702	3.86
7	कृषि	16417	0.27
8	पशु चिकित्सा विज्ञान	4256	0.07
9	विधि	84517	1.39
10	अन्य	89381	1.47
	कुल	6080373	100.00

स्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ('अनंतिम)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), जो विश्वविद्यालय शिक्षा को अभिशासित करने वाला शीर्ष निकाय है, के लिए महिला शिक्षा प्राथमिकता का क्षेत्र रही है। इस प्रयोजनार्थ आयोग ने उच्च शिक्षा में लड़कियों एवं महिलाओं का नामांकन बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं। यूजीसी द्वारा संचालित कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं:

विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में दिवा देखभाल केंद्र

इस योजना का उद्देश्य उस समय लगभग 3 से 6 माह के बच्चों के लिए मांग के आधार पर विश्वविद्यालय प्रणाली के अंदर दिवा देखभाल सुविधा प्रदान करना है, जब उनके माता–पिता (विश्वविद्यालय/कालेज कमचारी/छात्र/स्कालर) दिन के समय घर से दूर होते हैं। इसका उद्देश्य उनके बच्चों को कार्य के घंटों के दौरान एक सुरक्षित स्थान एवं माहौल प्रदान करना भी हैं।

उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकल बालिका शिशु के लिए इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति

इस योजना का उद्देश्य ऐसी लड़कियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना है जो अपने परिवारों में एकमात्र संतान होती हैं तथा इसका उद्देश्य छोटा परिवार संबंधी मानदंडों के अनुपालन के महत्व को स्वीकार करवाना भी है। केवल वही लड़कियां पात्र हैं जिनकी आयु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय 30 वर्ष तक होती है। योजना के अंतर्गत उपलब्ध छात्रवृत्तियों के लिए स्लाट की संख्या 1200 प्रतिवर्ष है। छात्रवृत्ति की राशि 20 माह के लिए 2000 रूपए प्रतिमाह है।

कालेजों के लिए महिला छात्रावासों का निर्माण

छात्रों की गतिशीलता बढ़ने, अपनी इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त करने से छात्रावासों की मांग बढ़ती है। तदनुसार यूजीसी महिलाओं का स्तर ऊपर उठाने के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा समाज के विकास के लिए उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने तथा 'महिला छात्रावासों का निर्माण' की एक विशेष योजना के माध्यम से लैंगिक समानता लाने एवं महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए यूजीसी छात्रावास एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर रहा है। मुख्य उद्देश्य महिला छात्रावास निर्मित करने के लिए सभी पात्र कालेजों को सहायता प्रदान करना है ताकि महिला छात्रों/शोधकर्ताओं / शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ के लिए आवासीय स्थान उपलब्ध हो सके। अधिकतम सीमा के अधीन सहायता शत प्रतिशत होगी। कालेज में महिलाओं के नामांकन के आकार के आधार पर गैर मेट्रो शहरों स्थित कालेजों के लिए सहायता 40 लाख रूपए से 80 लाख रूपए के रूप में है जबकि महानगरों में स्थित कालेजों के मामलों में यह 80 लाख से 120 लाख रूपए है।

विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में महिला अध्ययनों का विकास

(i) इस योजना के तहत नए महिला अध्ययन केंद्र स्थापित करने तथा 10वीं योजना तक स्थापित विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्रों को विश्वविद्यालय प्रणाली में सांविधिक विभागों के रूप में स्थापित करके उनको सुदृढ़ करने एवं बनाए रखने तथा अन्य संघटकों के साथ नेटवर्क स्थापित करने की अपनी क्षमता विकसित करने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता देने की परिकल्पना है ताकि वे एक–दूसरे को सुदृढ़ करें तथा एक–दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनें। इन केंद्रों की प्राथमिक भूमिका कार्रवाई एवं प्रलेखन तक शिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान का उत्प्रेरण करना एवं प्रसारण करना हैं। इस समय देश में 131 महिला अध्ययन केंद्र मौजूद हैं (72 विश्वविद्यालयों में तथा 59 कालेजों में)।

(ii) 11वीं योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, महिला अध्ययन केंद्रों को यूजीसी द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता इस प्रकार हैः

चरण	विश्वविद्यालय	कालेज
चरण–1	5 लाख रूपए (प्रतिवर्ष)	3 लाख रूपए (प्रतिवर्ष)
चरण–2	8 लाख रूपए (प्रतिवर्ष)	5 लाख रूपए (प्रतिवर्ष)
चरण–3	12 लाख रूपए (प्रतिवर्ष)	8 लाख रूपए (प्रतिवर्ष)

(iii) 11वीं योजना के दौरान महिला अध्ययन केंद्रों के लिए कालेजों/विश्वविद्यालयों को जारी किया गया अनुदान निम्नानुसार हैः

अवधि	जारी किया गया अनुदान
2007–08	5 करोड़ रूपए
2008–09	3.5 करोड़ रूपए
2009–10	2.75 करोड़ रूपए

उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता निर्माण योजना

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 10वीं योजना में उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता निर्माण योजना शुरू किया था। इसे संशोधित किया गया है तथा 11वीं योजना में जारी रखा गया। योजना के एक प्रमुख घटक के रूप में देश के विभिन्न भागों में कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में अनेक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। यह कार्यक्रम उनको संवेदनशील बनाने और प्रेरित करने तथा तदनंतर उच्च शिक्षा प्रणाली में निर्णय लेने के पदों के लिए उनको सुसज्जित करने के लिए शैक्षिक एवं प्रशासनिक धाराओं में उच्च शिक्षा में महिलाओं पर केंद्रित है जहां इस समय वे ऐसे पदों पर बहुत संख्या में हैं।

(ii) इस योजना का उद्देश्य जेंडर अनुकूल माहौल सृजित करने तथा ग्लास सीलिंग दूर करने के लिए लिंग संवेदी महिला प्रशासकों का एक महत्वपूर्ण समूह सृजित करना है।

(iii) इस समय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यशालाएं शामिल हैं जो निम्नानुसार हैं:

- 5 दिन की अवधि के लिए संवेदीकरण, जागरूकता एवं उत्प्रेरण कार्यशालाएं जिसमें यात्रा शामिल नहीं है।
- 6 दिन की अवधि के लिए प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशालाएं जिसमें यात्रा शामिल नहीं है।
- 6 दिन की अवधि के लिए प्रबंधन कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएं जिसमें यात्रा शामिल नहीं है।
- 5 दिन की अवधि के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम कार्यशालाएं जिसमें यात्रा शामिल नहीं है।

(iv) 11वीं योजना के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं कालेजों द्वारा 11वीं योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार 15 प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशालाएं, 4 पुनश्चर्या कार्यशालाएं तथा 109 संवेदीकरण/जागरूकता/उत्प्रेरण (एसएएम) कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

11वीं योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार यूजीसी प्रत्येक कार्यशाला के लिए निम्नानुसार अपनी सहायता प्रदान करता है:

(रूपए लाख में)

प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशाला	7.07
पुनश्चर्या कार्यशाला	7.50
संवेदीकरण/जागरूकता/उत्प्रेरण (एसएएम) आवासीय कार्यशाला	4.60
संवेदीकरण/जागरूकता/उत्प्रेरण (एसएएम) गैर आवासीय कार्यशाला	2.16
प्रबंधकीय कौशल माड्यूल के लिए आवासीय कार्यशाला	6.80

महिलाओं के लिए पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्तियां

यह योजना महिलाओं के रूझान को तेज करने के उद्देश्य से अपने संबंधित विषय क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान एवं अध्ययन करने के लिए बेरोजगार पीएचडी डिग्रीधारी महिलाओं के लिए चलाई जाती है। योजना के तहत उपलब्ध स्लाटों की संख्या 100 प्रतिवर्ष है। अवार्ड की अवधि 5 वर्ष है तथा और समयवृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन के वर्ष में एक जुलाई को 55 वर्ष है। चुने गए अभ्यर्थियों को पीएचडी की नई डिग्री के साथ ₹ 6000 प्रतिमाह दिए जाते हैं तथा पीएचडी के बाद 5 वर्ष के अनुभव वाले अभ्यर्थियों को 8000 रूपए प्रतिमाह दिए जाते है। एसोसिएटशिप के साथ 5 वर्ष की पूरी अवधि के ₹ 10000 प्रतिवर्ष की दर से आकस्मिक अनुदान तथा 10 प्रतिशत की दर से विभागीय सहायता भी मिलती है।

उच्च शिक्षा में लड़कियों की प्रतिभागिता दर में पिछले 5 वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। नीचे दी सारणी में देश में उच्च शिक्षा में महिला कालेजों में नामांकन एवं संख्या का डेटा दिया गया है।

उच्च शिक्षा में महिला कालेजों में नामांकन और संख्या

वर्ष	कुल (लड़के + लड़कियां)	छात्र नामांकन (केवल लड़कियां)	लड़कियों का प्रतिशत	महिला कालेजों की संख्या
2000–01	8399443	3306410	39.4	1578
2001–02	8964680	3571656	39.8	1756
2002–03	9516773	3811691	40.1	1824
2003–04	10011645	4026187	40.2	1871
2004–05	10542262	4259072	40.4	1977
2005–06	11137627	4510738	40.5	2071
2006–07	11887095	4820216	40.6	2208
2007–08	12727082	5167192	40.6	2360
2008–09	13641808	5649102	41.4	2565

स्रोत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है कि 2000–2001 में उच्च शिक्षा में नामांकित कुल 8399443 छात्रों में से 33.06 लाख लड़कियां थीं जो 39.40 प्रतिशत बनता है। 2008–09 के दौरान लड़कियों का नामांकन बढ़कर 56.49 लाख (अर्थात कुल नामांकित छात्रों का 41.40 प्रतिशत) हो गया जो पिछले वर्षों में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि की रूझान को दर्शाता है।

इसी तरह महिला कालेजों की संख्या भी वृद्धि का भी रूझान दर्शाती है यह 2000–01 के 1578 से बढ़कर 2008–09 2565 हो गई।

विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में राज्यवार छात्र नामांकनः 2008–09

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिलाओं का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	1150759	471811	41.0
2	अरूणाचल प्रदेश	12670	5321	42.0
3	असम	234124	100673	43.0
4	बिहार	624010	187203	30.0
5	छत्तीसगढ़	226105	79137	35.0
6	दिल्ली	250400	120192	48.0
7	गोवा	24282	14326	59.0
8	गुजरात	701577	305888	43.6
9	हरियाणा	352887	151741	43.0
10	हिमाचल प्रदेश	118194	55551	47.0
11	जम्मू एवं कश्मीर	111550	50198	45.0
12	झारखंड	222608	75687	34.0
13	कर्नाटक	837668	368574	44.0
14	केरल	373092	208932	56.0
15	मध्य प्रदेश	750745	285283	38.0
16	महाराष्ट्र	1813942	779995	43.0
17	मणीपुर	36118	16434	45.5
18	मेघालय	37107	18182	49.0
19	मिजोरम	12129	5640	46.5
20	नागालैंड	22057	10367	47.0
21	उड़ीसा	419939	180574	43.0
22	पंजाब	335407	171058	51.0
23	राजस्थान	572651	209018	36.5
24	सिक्किम	5841	2453	42.0
25	तमिलनाडु	1033755	485865	47.0
26	त्रिपुरा	25884	11337	43.8
27	उत्तर प्रदेश	2170516	803091	37.0
28	उत्तराखंड	177411	78238	44.1
29	पश्चिम बंगाल	903103	353113	39.1
30	अंडमान एवं निकोबार दीपसमूह	2600	1455	56.0
31	चंडीगढ़	50032	25516	51.0
32	लक्षद्वीप	300	102	34.0
33	दमन एवं दीव	750	350	46.7
34	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0.0
35	पांडिचेरी	31595	15798	50.0
	कुल	**13641808**	**5649102**	**41.4**

स्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली (*अनंतिम)

2006–07 से 2009–10 तक विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में महिला शिक्षा के विकास के लिए यूजीसी प्रदान किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1	महिला छात्रावास	14780.62	19116.62	25405.51	19745.79
2	दिवा देखभाल केंद्र	29.50	0.00*	0.00*	1100.98
3	महिला छात्रों/शिक्षकों के लिए आधारभूत सुविधाएं	72.96	0.00*	0.00*	0.00
4.	महिला एवं परिवार अध्ययन/महिला अध्ययन/व्यावसायिक केंद्र	313.49	0.00	310.38	275.21
5	एकल बालिका संतान के लिए इंदिरा गांधी पीजी छात्रवृत्ति	100.00	147.38	1326.85	591.51
6	उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधकों के लिए क्षमता निर्माण	0.00	0.00	301.97	94.65
7	अंशकालिक अनुसंधान एसोसिएटशिप	0.00	0.00	76.81	9.98

*11वीं योजना के दौरान विलयित योजनाओं के तहत विश्वविद्यालयों को दिया गया अनुदान

स्रोत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

विभाग ने 2008 से कालेज एवं विश्वविद्यालय छात्रों के लिए एक केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उच्च अध्ययन एवं पेशेवर पाठ्यक्रम करते समय अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देना है।

कक्षा 12 या समकक्ष परीक्षाओं में 80 प्रतिशत तथा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले ऐसे छात्र इस योजना के तहत पात्र हैं जो क्रीमी लेयर से नहीं हैं तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्था से नियमित छात्र के रूप में उच्च अध्ययन या पेशेवर पाठ्यक्रम कर रहे हैं। हर वर्ष 82000 नई छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जिनमें से 50 प्रतिशत (41000) लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।

छात्रवृत्ति की दर स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए पहले 3 वर्षों के लिए ₹ 10000 प्रतिवर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई तथा चौथे एवं पांचवे वर्ष के पेशेवर पाठ्यक्रम के लिए ₹ 20000 प्रतिवर्ष है। छात्रवृत्ति शैक्षिक वर्ष में 10 महीनों के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति चयनित छात्रों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाती हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) विशेष रूप से दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं/लड़कियों तक पहुंचने के लिए सजग प्रयास कर रहा है। बालिका/महिला शिक्षुओं पर केंद्रित इग्नू की कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

(i) लिंग तथा विकास अध्ययन नामक एक नए स्कूल की स्थापना

इसका उद्देश्य महिला एवं विकास अध्ययन के क्षेत्र में कार्यक्रम विकसित और शुरू करके लैंगिक न्याय एवं समता प्राप्त करना है। जेंडर अध्ययन विद्यमान लैंगिक अंतराल की जांच करते हैं तथा लैंगिक विषमता के मुद्दों का समाधान करते हैं। महिला अध्ययन व्यक्तिगत एवं संस्थानिक प्रयासों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से समाज में महिलाओं के स्तर का विश्लेषण करते हैं जिससे महिलाओं की अधिकारित संभव होती है। विकास अध्ययन लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए मानव, सामाजिक एवं आर्थिक विकास का विश्लेषण करते हैं तथा सहायता करते हैं स्कूल के लिए प्रतिवर्ष प्रस्तावित गतिविधियों में शामिल हैं:

(क) डाक्टोरल, स्नातकोत्तर, अवर स्नातक तथा जागरूकता स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम अभिकल्पित एवं विकसित करना;

(ख) अनुसंधान प्रविधि के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास कार्य करना

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना और लागू करना

(ii) महिला अध्ययन केंद्र और कार्यक्रम

विश्वविद्यालय ने पूरे देश में 36 महिला विशिष्ट अध्ययन केंद्रों की स्थापना की हैं। इसने महिलाओं की अधिकारिता के लिए अनेक महिला केंद्रित कार्यक्रम भी विकसित किया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में लड़कियों/महिलाओं के शैक्षिक विकास के लिए पूर्वोत्तर पहल

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10वीं एवं 12वीं कक्षा के बाद लड़कियों का बेहतर निष्पादन बनाए रखने के लिए ईडीएनईआरयू द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(i) इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 क्षेत्रीय केंद्र काम कर रहे हैं जिनमें शैक्षिक वर्ष 2009 के लिए कुल महिला नामांकन 9425 है।

(ii) योजनाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ओडीएल विधि से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इन क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। निम्नलिखिति कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं:

1. बुनाई में ग्रामीण कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
2. महिला एसएचजी सदस्यों के लिए खाद्य प्रसंस्करण एवं मोमबत्ती निर्माण
3. एसएचजी सदस्यों के लिए टोकरी निर्माण एवं गुलदस्ता निर्माण
4. मोमबत्ती निर्माण मे कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
5. ग्रामीण कारीगरों के बांस आधारित हस्तशिल्प उत्पाद
6. हर्बल कास्मेटिक का निर्माण, ग्रामीण कारीगरों को पाक कला में प्रशिक्षण
7. बुनाई एवं कसीदाकारी
8. मोमबत्ती एवं अगरबत्ती निर्माण
9. मशरूम की खेती
10. डेयरी फार्म कार्यक्रम
11. पुष्प उत्पादन कार्यक्रम
12. वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम
13. सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कार्यक्रम
14. नेतृत्व विकास कार्यक्रम
15. व्यक्तित्व विकास एवं नियोजनीयता कार्यक्रम

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)

तकनीकी संस्थाओं को 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त सीटें संस्वीकृत करके उनको प्रोत्साहन देकर एआईसीटीई के पास लड़कियों के लिए शुल्क मुक्ति प्रोत्साहित करने की योजना है, अगर वे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा 2:3:1 के अनुपात में शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणियों की कम से कम 10 प्रतिशत लड़कियों को शुल्क मुक्ति प्रदान करते हैं। अनन्य रूप से महिलाओं के लिए नई तकनीकी संस्थाएं खोलने के लिए एआईसीटीई ने अपने मानदंडों में ढील दी है।

पालिटेक्निक

पालिटेक्निको पर उप मिशन की योजना के तहत 252 जिलों में 300 पालिटेक्निक में से नए पालिटेक्निक खोलने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। इसके अलावा आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि तथा महिला छात्रावास के निर्माण के लिए विद्यमान सरकारी/सरकारी सहायताप्राप्त पालिटेक्निकों को वित्तीय सहायता दी जाती है। एआईसीटीई के अनुसार 168 महिला पालिटेक्निक विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं।

पालिटेक्निक में महिला छात्रावास

पालिटेक्निक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान पालिटेक्निक में महिला छात्रावास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना आरंभ की गई हैं।

विकलांग व्यक्ति

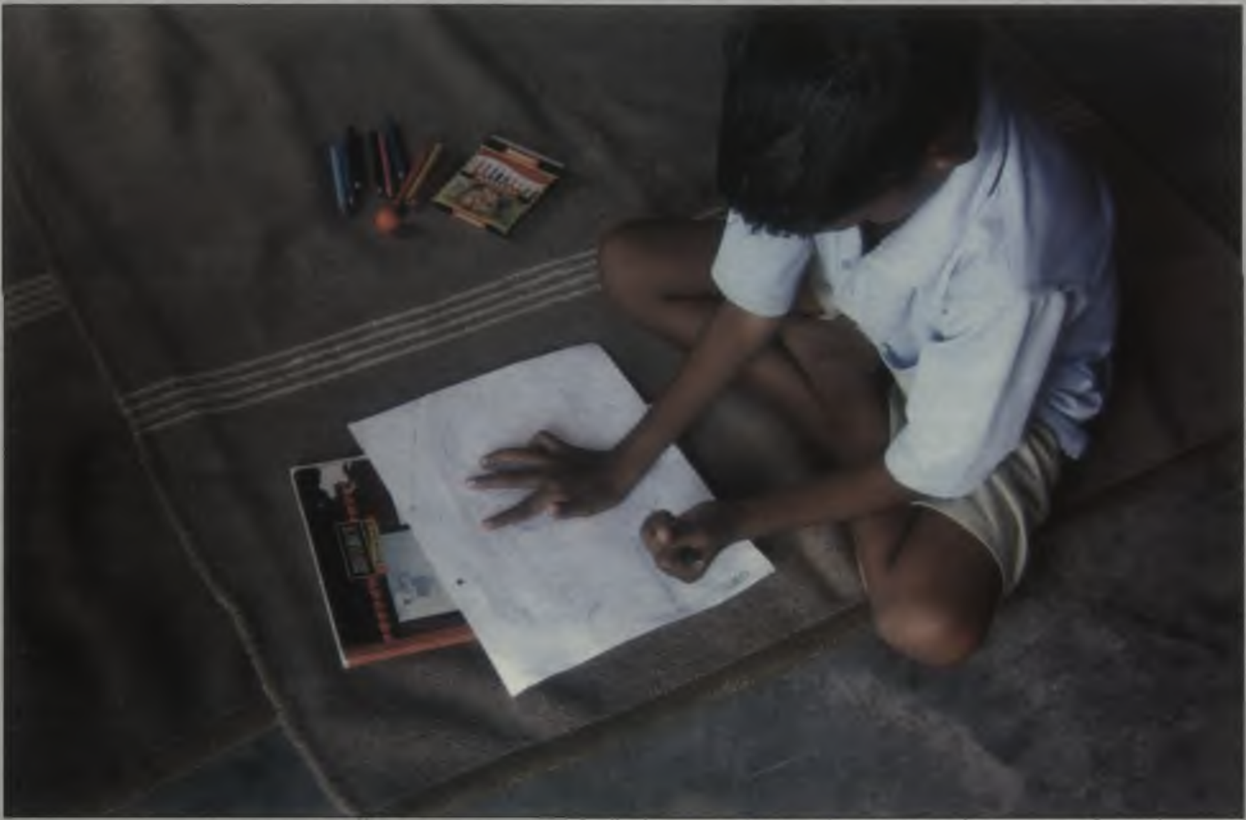

17

विकलांग व्यक्ति

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों की समता, आजादी, न्याय एवं अस्मिता का सुनिश्चय करता है तथा विकलांग व्यक्तियों समेत सबके लिए समावेशी समाज का अधिदेश देता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथासंशोधित) विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा पर विशेष बल देती है। इसमें कहा गया है कि उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांगों को समान साझेदार के रूप में सामान्य समुदाय के साथ एकीकरण करने का होना चाहिए ताकि वे सामान्य विकास के लिए तैयार हो सकें और साहस एवं विश्वास के साथ जीवन का सामना कर सकें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) जहां संभव हो, चलने–फिरने में अक्षम तथा अन्य हल्की विकलांगता वाले बच्चों की शिक्षा अन्यों की शिक्षा के साथ सामान्य होगी।

(ii) गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए यथासंभव जिला मुख्यालय में छात्रावास सहित विशेष स्कूल उपलब्ध कराए जाएंगे।

(iii) विकलांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

(iv) विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास किया जाएगा ताकि वे विकलांग बच्चों की विशिष्ट कठिनाइयों से निपट सकें, और

(v) विकलांगों के लिए हर संभव ढंग से स्वैच्छिक प्रयास प्रोत्साहित किया जाएगा।

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 संघ सूची की मद संख्या 13 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ विकलांग बच्चों के 18 साल का होने तक उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, सामान्य स्कूलों में विकलांग छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देने तथा विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाओं से सुसज्जित करने का प्रावधान है।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम (एसएसए) सुनिश्चित करता है कि 6–14 आयुवर्ग के विशेष जरूरतों वाले हर बच्चे को विकलांगता की किस्म, श्रेणी या डिग्री जो भी हो, सार्थक एवं स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती है।

एसएसए विशेष जरूरत वाले सभी बच्चों को एकीकृत एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करता है। इसमें विद्यालयों, मुक्त विद्यालयों, अनौपचारिक एवं वैकल्पिक विद्यालयों, दूरस्थ शिक्षा एवं अध्ययन तथा विशेष विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा शामिल है। जहां जरूरत होती है, गृह आधारित शिक्षा, उपचारी शिक्षण, अंशकालिक कक्षाएं, समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) तथा व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है।

घटक

- एसएसए विकलांग बच्चों के एकीकरण के लिए प्रतिवर्ष प्रति बच्चा विशिष्ट प्रस्तावों के अनुसार 3000 रूपए तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- समावेशी शिक्षा के लिए एसएसए के अंतर्गत हस्तक्षेपों में पहचान, कार्यात्मक एवं औपचारिक मूल्यांकन, उपयुक्त शैक्षिक नियोजन, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना की तैयारी, सहायक उपकरणों का प्रावधान, शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन सहायता, वास्तुशिल्पीय बाधाएं दूर करना, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन तथा विशेष जरूरत वाली लड़कियों पर विशेष बल देना शामिल है।
- आवासीय सेतु पाठ्यक्रम भी प्रदान किए जाते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य विशेष जरूरत वाले बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और इस प्रकार बेहतरीन समावेशन का सुनिश्चय करना है।
- गंभीर प्रचुर विकलांगताओं वाले बच्चों के लिए गृह आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है।

केंद्रीय विद्यालय

जो छात्र विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 में परिभाषित विकलांगता से पीड़ित होते हैं उनको केंद्रीय विद्यालय में 1 अक्टूबर 2009 से विद्यालय विकास निधि एवं शिक्षण शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।

पहचान और नामांकन

विशेष जरूरत वाले बच्चों की पहचान करने के लिए सभी राज्यों द्वारा परिवार सर्वे एवं विशेष सर्वे संचालित किए गए हैं।

विशेष जरूरत वाले 29.72 लाख बच्चों की पहचान की गई है। सितंबर 2010 तक विशेष जरूरत वाले 24.59 लाख बच्चे (अभिचिन्हित बच्चों का 82.73 प्रतिशत) स्कूलों में नामांकित हैं। इसके अलावा, विशेष जरूरत वाले 71,453 बच्चों को 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईजीएस/एआईई के माध्यम से कवर किया जा रहा है तथा विशेष जरूरत वाले 1,64,002 बच्चों को 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गृह आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। कुल मिलाकर, विशेष जरूरत वाले अभिचिन्हित 90.47 प्रतिशत बच्चों को विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से कवर किया जा रहा है। विशेष जरूरत वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) का श्रेणीवार (कक्षावार) नामांकन नीचे दिया गया हैः

विशेष जरूरत वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) का नामांकन – 2007–08

(आंकड़े संख्या में)

कक्षा	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग	मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1 से 5	265248	105690	257202	202556	166991	1997687
6 से 8	119335	48755	140194	49173	54852	412309
9 से 10	20894	8994	29110	3152	8823	70973
11 से 12	5238	1925	9997	615	2990	20765
योग	**410715**	**165364**	**436503**	**255496**	**233656**	**1501734**

स्रोतः स्कूल शिक्षा सांख्यिकी (2007–08)

बाधा–मुक्त पहुंच

विशेष जरूरत वाले बच्चों के सुगमता से पहुंचने के लिए एसएसए की रूपरेखा में स्कूलों को बाधामुक्त बनाना शामिल किया गया है। आज तक 7.27 लाख विद्यालयों (58.02 प्रतिशत) में बाधामुक्त पहुंच का प्रावधान किया गया है।

शिक्षक प्रशिक्षण एवं संसाधन सहायता

- नियमित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 26.24 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें समावेशी शिक्षा पर 2–3 दिवसीय कैप्सूल शामिल है।
- समावेशी शिक्षा पर बेहतर प्रबोधन के लिए 19.40 लाख शिक्षकों को 3–5 दिवसीय अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया गया है।
- 1.38 लाख शिक्षकों ने 26 राज्यों में भारतीय पुनर्वास परिषद के साथ प्रशिक्षण लिया है तथा वे जिलों/ब्लाकों में संसाधन व्यक्ति के रूप में काम करते हैं।
- 28 राज्यों ने 12,629 संसाधन व्यक्तियों को नियुक्त किया हैं तथा 30 राज्यों में 1075 एनजीओ कार्यक्रम में शामिल हैं।
- विशेष जरूरत वाले 18.37 लाख (72.49 प्रतिशत) बच्चों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं।

सहायता एवं सहायक उपकरणों का प्रावधान

विशेष जरूरत वाले अनेक बच्चे आवश्यक सहायक उपकरणों के अभाव में स्कूल नहीं जा पाते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ अभिसरण में इन बच्चों को अपेक्षित उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा, धर्मस्व संस्थाएं, एनजीओ, कारपोरेट सेक्टर, आदि भी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

एनजीओ की भागीदारी

समावेशी शिक्षा प्रदान करने में 30 राज्यों में 1075 एनजीओ शामिल हैं। इनमें मध्य प्रदेश में आरूषि, स्पास्टिक्स सोसायटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, कोलकाता, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, कोयम्बटूर, राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ, मुंबई तथा अन्य मशहूर एनजीओ शामिल हैं। एनजीओ समावेशी शिक्षा की आयोजना, जागरूकता सृजन, सामुदायिक संचेतना, प्रारंभिक अनुवेदन, विशेष जरूरत वाले बच्चों की पहचान एवं मूल्यांकन तथा व्यक्तिनिष्ठ शैक्षिक योजना की तैयारी, प्रशिक्षण सामग्री के विकास, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रमुख संसाधन व्यक्ति प्रशिक्षण पर विशेष बल के साथ जनशक्ति विकास तथा आवश्यक सहायक उपकरणों (एड्स एंड अप्लायन्सेस) के प्रावधान के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं।

परिणाम

- बेहतर पहचानः 2002–03 में विशेष जरूरतमंद के रूप में अभिचिन्हित बच्चों की संख्या 6.83 लाख थी जो सितंबर 2010 तक बढ़कर 29.72 लाख हो गई।
- अधिक नामांकनः 2002–03 में स्कूलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों का नामांकन 5.66 लाख था जो 2008–09 में बढ़कर 23.17 लाख हो गया। आज नियमित स्कूलों, एआईई एवं गृह आधारित शिक्षा के माध्यम से विशेष जरूरत बाले बच्चों का कवरेज 88.43 प्रतिशत हैं।

उच्च शिक्षा

विकलांग छात्रों को समझना एवं सुविधा प्रदान करना उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बिंदु बन गया है। बच्चों को अपनी विकलांगता का अनुभव उच्च शिक्षा के फोकस के सीमांत पर बना हुआ हैं। नामांकन रूझानों को देखते हुए, यह स्थिति एक विडंबना है किंतु ऐसे छात्रों की संख्या में वृद्धि के वाबजूद अनेक परिसरों/विश्वविद्यालयों में विकलांगता का अनुभव करने वाले अनेक छात्रों को भिन्न तरीके से लिया जाता है जो विविधता की पुष्टि करने या उनके समावेशन को आसान बनाने में असफल है।

इस पृष्ठभूमि में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर अपने नीति पत्र में कहा है कि विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा प्रणाली में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसने विशेष शिक्षा शिक्षक तैयारी कार्यक्रम तथा एक विशेष योजना के विकास की सिफारिश की है ताकि विकलांग व्यक्तियों को विशेष सहायता प्रदान की जा सके और निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा में बेहतर सुगमता संभव हो सके:

(i) भारत में विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षा को विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक तैयारी कार्यक्रम विकसित करने के लिए बढ़ावा देना।

(ii) उच्च शिक्षा संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा के समान अवसर एवं अनुभव प्रदान करना।

(iii) विकलांग व्यक्तियों की विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों के बारे में उच्च शिक्षा के पदाधिकारियों में जागरूकता पैदा करना।

(iv) विकलांग व्यक्तियों को पहुंच प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं को सुविधाओं से लैस करना।

(v) उच्च शिक्षा में उनकी संपोषणीयता बढ़ाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को उपयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(vi) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों में शिक्षित विकलांग स्नातकों के लिए उपयुक्त नियोजन का पता लगाना।

(vii) विकलांग व्यक्तियों की उच्च शिक्षा से संबंधित सभी विद्यमान एवं भावी विधायन एवं नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

विकलांग व्यक्तियों की उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए सुविधाओं के प्रावधान के तहत, योजना के तीन घटक हैं:

- विश्वविद्यालयों/कालेजों में विकलांगता यूनिटों की स्थापना।
- विकलांग व्यक्तियों को पहुंच प्रदान करना।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए शैक्षिक सेवाओं में वृद्धि के लिए विशेष उपकरण प्रदान करना।

विश्वविद्यालयों/कालेजों में विकलांगता यूनिटें

यह सच है कि विश्वविद्यालय एवं कालेज उच्च शिक्षा में विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों से पूर्णतः अवगत नहीं हैं। उच्च शिक्षा प्रणाली में जागरूकता पैदा करने तथा विकलांग व्यक्तियों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने के लिए, देश में विश्वविद्यालयों/कालेजों में विकलांगता यूनिटें स्थापित करने पर बल दिया गया है। इन यूनिटों का उद्देश्य है:

- विकलांग व्यक्तियों के प्रवेश में सुविधा प्रदान करना;
- विकलांग व्यक्तियों को मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करना;
- विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों तथा उनसे संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना, और
- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में सफल रोजगार पाने में विकलांग स्नातकों की सहायता करना।

विकलांग व्यक्तियों को पहुंच प्रदान करना

जहां तक विकलांग व्यक्तियों को पहुंच प्रदान करने का संबंध है, महसूस किया गया हैं कि विकलांग व्यक्तियों को अपनी गतिशीलता एवं स्वतंत्र कार्यकरण के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत होती हैं। यह भी सच है कि अनेक संस्थानों में वास्तुशिल्पीय बाधाएं हैं जिससे विकलांग व्यक्तियों को इन स्थानों में अपने रोजमर्रा के काम निपटाने में कड़िनाई होती है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के तहत प्रावधान है कि विश्वविद्यालयों में नए निर्माण तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यमान संरचना को विकलांगता अनुकूल बनाया जाना चाहिए। रैंप, रेलिंग, विशेष शौचालय, तथा अन्य विशेष सुविधाएं हासिल करने के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष उपकरण

विकलांग व्यक्तियों को अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरा करने के लिए कुछ विशेष उपकरणों की जरूरत होती है। इस तरह के व्यक्तिगत उपकरण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं से उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ, विशेष प्रकार के महंगे उपकरणों की जरूरत हैं, जो इन व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्कैनर, लो विजन एड्स, मोबिलिटी डिवाइस आदि जैसी डिवाइसों की उपलब्धता से विकलांग व्यक्तियों का शैक्षिक अनुभव समृद्ध होगा, इसलिए विश्वविद्यालयों/कालेजों को भविष्य में ऐसी डिवाइसें प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं

केंद्रीय विश्वविद्यालयों, एआईसीटीई जैसे विभिन्न संगठनों के माध्यम से उच्चतर शिक्षा विभाग ने विकलांग व्यक्तियों में उच्च/पेशेवर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें की हैं।

विशेष जरूरत वाले व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा (एचईपीएसएन)

विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में यह कहा गया है कि भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों की सभी स्तरों की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए विशेष शैक्षिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए देश के विश्वविद्यालयों एवं कालेजों की सहायता कर रहा है।

यूजीसी ने नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष जरूरत वाले व्यक्तियों (भिन्न रूप–से समर्थ व्यक्तियों) की उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों/कालेजों की सहायता की योजना शुरू की थी जो दसवीं योजना में भी जारी रही। उच्च शिक्षा संस्थाओं में भिन्न रूपसे समर्थ व्यक्तियों को अवसंरचना प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, योजना का कार्यान्वयन 11वीं योजना में भी जारी रखा गया है। योजना के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

एचईपीएसएस योजना मूलतः

भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों की उच्च शिक्षा में अध्ययन के अनुभव को समृद्ध करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं में माहौल सृजन के लिए है। भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, सुगम्यता सुधार पर केंद्रित निर्माण, अधिगम को समृद्ध बनाने के लिए उपकरणों की खरीद आदि सहायता करने की विस्तृत श्रेणियां हैं।

सुविधाओं एवं वित्तीय सहायता का प्रावधान

एचईपीएसएन योजना में तीन घटक हैं जो इस प्रकार हैं:

घटक 1

भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों के लिए समर्थकारी यूनिटों की स्थापना

उच्च शिक्षा प्रणाली में जागरूकता पैदा करने तथा भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने के लिए, देश के कालेजों में संसाधन यूनिटें स्थापित करने का प्रस्ताव है जिन्हें समर्थकारी यूनिट कहा जाएगा। इस समर्थकारी यूनिट के कार्य होंगे:

(i) विभिन्न पाठ्यक्रमों में भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों के प्रवेश में सुविधा प्रदान करना;

(iii) भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों को मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करना

(iii) भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा उनकी पढ़ाई से संबंधित सामान्य मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना; और

(iv) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में सफल रोजगार पाने में भिन्न रूप से समर्थ स्नातकों की सहायता करना।

घटक 2

भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों को पहुंच प्रदान करना

महसूस किया गया है कि अपनी गतिविधियां एवं स्वतंत्र कार्यकरण के लिए भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों को परिवेश में विशेष व्यवस्था की जरूरत होती है। यह भी सच है कि अनेक संस्थानों में वास्तुशिल्पीय बाधाएं हैं जिससे विकलांग व्यक्तियों को अपने रोजमर्रा के कार्य निपटाने में कठिनाई होती है। इस योजना के तहत कालेजों से विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के निबंधनों के अनुसार सुगम्यता से संबंधित मुद्दों का समाधान करने तथा यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है कि सभी विद्यमान संरचनाएं एवं उनके परिसरों में भावी निर्माण परियोजनाएं विकलांग अनुकूल हों।

घटक 3

भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों के लिए शैक्षिक सेवाओं में वृद्धि के लिए विशेष उपकरण प्रदान करना

अपने नित्य कार्य के लिए भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों को विशेष उपकरणों की जरूरत होती है। ये उपकरण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सहायक उपकरणों के अधिग्रहण के अलावा, उच्च शिक्षा संस्थाओं को उच्च शिक्षा के लिए नामांकित भिन्न रूप से समर्थ छात्रों की सहायता के लिए विशेष अध्ययन एवं मूल्यांकन डिवाइसों की जरूरत हों सकती हैं। इसके अलावा, दृष्टि विकलांग छात्रों को वाचक की जरूरत होती है।

संस्थाओं में स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर से युक्त कंप्यूटर, लो विजन एड्स, स्कैनर, मोबिलिटी डिवाइस आदि जैसी डिवाइसों की उपलब्धता से भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों का शैक्षिक अनुभव समृद्ध होगा। इसलिए कालेजों को ऐसी डिवाइसें प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यूजीसी 11वीं योजना अवधि के दौरान प्रति कालेज 1.50 लाख रूपए का एकबारगी तदर्थ अनुदान प्रदान करेगा।

2009–10 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदान किए गए अनुदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2009–10 के दौरान सहायता पाने वाले कालेज	1.4.2009 से 31.3 2010 के दौरान प्रदान की गई राशि (लाख रूपए में)
1.	यूजीसी–एनईआरओ, गुवाहाटी	41	69.55
2.	यूजीसी–एसईआरओ, हैदराबाद	237	101.97
3.	यूजीसी–डब्ल्यूआरओ, पुणे	103	203.39
4.	यूजीसी–एसडब्ल्यूआरओ, बंगलौर	08	1.14
5.	यूजीसी–सीआरओ, भोपाल	48	271.78
6.	यूजीसी–ईआरओ, कोलकाता	173	146.57
7.	एनआरसीबी, नई दिल्ली	08	14.73
	योग	618	809.13

11वीं योजना के दौरान दृष्टि विकलांग शिक्षकों को वित्तीय सहायता

(i) रीडर (Find and Replace) की सहायता से शिक्षण एवं अनुसंधान जारी रखने तथा ब्रेल की पुस्तकें, रिकार्ड की गई सामग्री आदि खरीदने के लिए रीडर (Find and Replace) भत्ता एवं निधियों की उपलब्धता के माध्यम से दृष्टि विकलांग स्थाई शिक्षकों की सहायता के लिए यह योजना तैयार की गई है।

(ii) इसका उद्देश्य शिक्षण, अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए विभिन्न सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में दृष्टि विकलांग स्थाई शिक्षकों को सहायता प्रदान करना है।

(iii) यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) तथा 12 ख के अंतर्गत शामिल भारत के कालेजों में पढ़ाने वाले सभी दृष्टि विकलांग शिक्षक योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

विकलांग व्यक्तियों के संबंध में यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को जारी किए गए दिशानिर्देश

- शिक्षण पदों में शारीरिक रूप से विकलांगों को रोजगार।
- लेक्चरर की नियुक्ति तथा सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में विकलांग व्यक्तियों को 3 प्रतिशत आरक्षण।
- नेट की परीक्षा में बैठने के लिए शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए निष्णात स्तर पर अंक में 5 प्रतिशत की छूट।
- प्रवेश में विकलांग व्यक्तियों को आयु में 5 वर्ष की छूट।
- एकल बालिका के लिए इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत शारीरिक रूप विकलांग अवार्डी के लिए स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अंक में 5 प्रतिशत की छूट।
- नेत्रहीन छात्रों के लिए कैसेट रिकार्डर की सुविधा।
- यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

प्रधानाचार्य, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष आदि के रूप में नियुक्ति के लिए शारीरिक एवं दृष्टि विकलांग व्यक्तियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर पर अंक में 5 प्रतिशत की छूट अर्थात 55 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत।

भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों के लिए एकीकृत योजना

विशेष शिक्षा में शिक्षक तैयारी योजना (टीईपीएसई)

- विशेष एवं समावेशी दोनों परिवेशों में विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक तैयार करने के लिए विशेष शिक्षक तैयारी कार्यक्रम शुरू करना।
- यह योजना विकलांगता के किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ बीएड एवं एमएड डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता देती है।

नेट की परीक्षा में विकलांग व्यक्तियों को यूजीसी द्वारा प्रदान की गई छूट:

- नेट की परीक्षा में बैठने के लिए अंक में 5 प्रतिशत की छूट।
- कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट।
- कट आफ मार्क्स का निर्णय करते समय अंक में 5 प्रतिशत की छूट।
- जेआरएफ प्रदान करने में 3 प्रतिशत आरक्षण।
- नेट के परीक्षा शुल्क में छूट।
- प्रश्नपत्र I एवं II के लिए 30 मिनट तथा प्रश्नपत्र III के लिए 45 मिनट अतिरिक्त समय।
- लेखनिया की सेवाएं प्रदान करना, यदि वे पेपर लिखने की स्थिति में नहीं होते हैं।

वर्ष 2010–11 के दौरान, विकलांग छात्रों तथा विभिन्न केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में अनंतिम दाखिला नीचे दिया गया है (सारणी 6.1)

बाधा मुक्त परिवेश

बाधा मुक्त परिवेश विकलांग व्यक्तियों को सुरक्षित ढंग से चलने–फिरने तथा इस प्रयोजनार्थ भवन के अंतर्गत निर्मित सुविधाओं का प्रयोग करने में समर्थ बनाता हैं। निम्नलिखित रणनीतियां अपनाई जा रही हैं:

(i) शैक्षिक संस्थाओं (विश्वविद्यालयों, कालेजों एवं तकनीकी संस्थानों के भवनों, संपर्क सड़कों, शौचालयों, खेल के मैदानों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों आदि) को बाधा मुक्त तथा हर प्रकार की विकलांगता के लिए सुगम्य बनाना।

(ii) शिक्षण के माध्यम एवं विधि को गहन विकलांगता की स्थिति की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त ढंग से अपनाया जाएगा।

(iii) संस्थान में या आसानी से उपलब्ध सामान्य केंद्र में अध्ययन–अध्यापन की तकनीकी/पूरक/विशिष्ट प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी।

(iv) अध्ययन–अध्यापन उपकरण तथा सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सामान्य पुस्तकालयों, ई–पुस्तकालयों, ब्रेल पुस्तकालयों तथा वार्ता पुस्तक पुस्तकालयों एवं संसाधन कक्षों आदि की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

(v) अंतर्वैयक्तिक संचार में संकेत भाषा, वैकल्पिक एवं संवर्धक संचार (एएसी) तथा अन्य व्यवहार्य माध्यमों को मान्यता दी जाएगी, मानकीकृत किया जाएगा तथा लोकप्रिय बनाया जाएगा।

(vi) शिक्षित समाज के युग में कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे कि हर विकलांग बच्चे को कंप्यूटर के प्रयोग में उपयुक्त ज्ञान प्राप्त हो।

(vii) मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए मनोवैज्ञानिक पुनर्वास केंद्रों में शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(viii) उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में विकलांग व्यक्तियों को 3 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। विश्वविद्यालयों, कालेजों एवं पेशेवर संस्थाओं को विकलांग छात्रों की शैक्षिक जरूरतों का ध्यान रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उनको शिक्षण कक्षों, छात्रावासों, कैफेटीरिया तथा परिसर में अन्य सुविधाओं को विकलांग बच्चों के लिए सुगम्य बनाने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ix) विकलांग बच्चों के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के प्रवर्तन एवं सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक मॉड्यूल शामिल किया जाएगा।

केंद्र द्वारा वित्तपोषित कुछ शैक्षिक संस्थाओं में दाखिल विकलांग छात्रों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	केंद्रीय शिक्षा संस्था का नाम	सीटों की संख्या जिन पर विकलांग छात्र दाखिल हैं
1	एनआईटी तिरूचिरापल्ली – 2010–11	6
2	एनआईटी जालंधर, 2010	16
3	आईआईटी, गुवाहाटी, 2010–11	2
4	एनआईटीके, सूरतकाल, 2010–11	1
5	आईआईएसईआर, तिरूवंतपुरम, 2010	0
6	मालवीय एनआईटी, जयपुर, 2010	21
7	स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, 2010–11	4
8	आईआईटी, खड़गपुर, 2010–11	39
9	आईआईटी, मद्रास, 2010–11	29
10	आईआईटी, हैदराबाद, 2010–11	2
11	आईआईटी, इलाहाबाद, 2010	11
12	आरजीआईआईएंडटी, अमेठी, 2010	2
13	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र आईआईआईटी डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग, जबलपुर, 2010–11	5
14	डा. बी आर अंबेडकर एनआईटी, जालंधर	16
15	आईआईएम कलकत्ता, 2010–11	11
16	आईआईएम अहमदाबाद, 2010–12	12
17	एनआईटीआईई, 2010	2
18.	आईआईएसईआर, कोलकाता, 2010–11	3
19.	आईआईएसईआर, पुणे, 2010–11	0

कौशल विकास

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को एकीकृत करने के लिए विद्यमान पॉलिटेक्निकों का उन्नयन

यह योजना तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। उन्नयन के लिए 50 विद्यमान पॉलिटेक्निक चुने

गए हैं। हर वर्ष डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए 1250 विकलांग छात्र पंजीकृत किए जाएंगे। 5000 विकलांग छात्र अल्पावधिक तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित किए जाएंगे।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधानों तथा सरकारी निदेशों के आलोक में केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं ने विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं:

(i) रैम्प/लिफ्ट/शौचालय जैसी बाधा मुक्त आधारभूत सुविधाओं का विकास।

(ii) संसाधन कक्ष स्थापित किए गए हैं जो ब्रेल पुस्तकें, वार्ता पुस्तकें, कंप्यूटर जैसी आईटी सुविधाएं, उपयुक्त साफ्टवेयर के साथ ब्रेल प्रिंटर एवं अन्य अपेक्षित उपकरण प्रदान करते हैं।

(iii) विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा बीएड (विशेष शिक्षा), एमएड (विशेष शिक्षा) नामक कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन देश में 50 संस्थाओं में कश्मीर राजकीय पॉलिटेक्निक, श्रीनगर एक ऐसा पॉलिटेक्निक है जो विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है। पॉलिटेक्निक ने वर्ष 2001–02 से यह योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत संस्थान विकलांग व्यक्तियों को औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहा है।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं को बढ़ावा देना है ताकि वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने एवं शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण, चिकित्सा एवं सामाजिक आर्थिक पुनर्वास में अवसरों के माध्यम से उत्पादक सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

औपचारिक कार्यक्रमः 10वीं पास छात्रों के लिए (1) सिविल इंजीनियरिंग (2) यांत्रिकी इंजीनियरिंग (3) इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग (4) इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग तथा (5) कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

अनौपचारिक कार्यक्रमः सभी आयु के व्यक्तियों के लिए: (1) कंप्यूटर में बुनियादी प्रचालन पाठ्यक्रम (2) टैली (3) मोबाइल रिपेयर (4) पुरूषों के लिए कताई एवं सिलाई (5) लड़कियों के लिए कताई एवं सिलाई (6) ट्रांसफार्मर निर्माण (7) वीडियो शूटिंग एवं एडीटिंग (8) स्क्रीन प्रिंटिंग एवं डेंटिंग (9) रेडियो एवं टीवी मरम्मत (10) मेंहदी कला (11) वाणिज्यिक कला (12) कसीदाकारी (13) आरी कार्य (14) टोकरी निर्माण (15) जिल्दसाजी (16) मोमबत्ती निर्माण (17) बुनाई (18) मोटर बांइडिंग (19) झोला निर्माण और (20) हाऊस वायरिंग में 3/6 माह के व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।

प्रशिक्षण का रिकार्ड

कार्यक्रम	श्रवण विकलांग	दृष्टि विकलांग	अस्थि विकलांग	मानसिक पश्चता	कुल योग
औपचारिक	92	26	378	18	514
अनौपचारिक	24	18	130	6	178

हर छात्र को 250 रूपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा, दिवा छात्रों को 200 रूपए प्रतिमाह यात्रा भत्ता दिया जाता है।

प्रति छात्र 3000 रूपए प्रतिवर्ष की दर से पुस्तक/वर्दी भत्ता तथा छात्रावास में रहने वाले हर छात्र को ₹ 1000 प्रतिमाह दिया जाता है।

अनुबंध

अनुबंध – 1

संस्वीकृत एवं क्रियाशील डीआईईटी, सीटीई एवं आईएएसई की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या	संस्वीकृत डीआईईटी, सीटीई एवं आईएसई की राज्यवार संख्या			क्रियाशील डीआईईटी, सीटीई एवं आईएएसई की संख्या		
			डीआईईटी/ डीआरसी	सीटीई	आईएएसई	डीआईईटी/ डीआरसी	सीटीई	आईएएसई
1.	आंध्र प्रदेश	23	23	8	2	23	8	2
2.	अरूणाचल प्रदेश	15	11	0	0	11	0	0
3.	असम	23	23	8	2	18	8	2
4.	बिहार	37	24	4	0	24	4	0
5.	छत्तीसगढ़	16	16	1	1	16	1	1
6.	गोवा	2	1	0	0	1	0	0
7.	गुजरात	25	26	8	2	26	8	2
8.	हरियाणा	19	19	0	1	19	0	1
9.	हिमाचल प्रदेश	12	12	1	0	12	1	0
10.	जम्मू एवं कश्मीर	14	14	2	0	14	2	0
11.	झारखण्ड	22	22	1	0	19	1	0
12.	कर्नाटक	27	27	9	2	27	9	2
13.	केरल	14	14	3	1	14	3	1
14.	मध्य प्रदेश	45	45	6	3	45	6	2
15.	महाराष्ट्र	35	34	12	2	34	12	2
16.	मणिपुर	9	9	1	0	9	1	0
17.	मेघालय	7	7	2	0	7	2	0
18.	मिजोरम	8	8	0	1	8	0	1
19.	नागालैंड	8	8	1	0	6	1	0
20.	उड़ीसा	30	30	10	2	30	10	2
21.	पंजाब	17	17	2	1	17	2	1
22.	राजस्थान	32	32	9	2	30	9	2
23.	सिक्किम	4	3	0	0	1	0	0
24.	तमिलनाडु	30	29	5	2	29	5	2
25.	त्रिपुरा	4	4	1	0	4	1	0
26.	उत्तर प्रदेश	70	70	3	3	70	3	3
27.	उत्तराखण्ड	13	13	3	1	13	3	1
28.	पश्चिम बंगाल	18	18	4	2	16	4	2
29.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	2	1	0	0	1	0	0
30.	दिल्ली	9	9	0	2	9	0	2
31.	पंडिचेरी	4	1	0	0	1	0	0
32.	लक्षद्वीप	1	1	0	0	1	0	0
33.	दमन एवं दीव	2	0	0	0	0	0	0
34.	दादर एवं नगर हवेली	1	0	0	0	0	0	0
35.	चण्डीगढ़	1	0	0	0	0	0	0
	कुल	**599**	**571**	**104**	**32**	**555**	**104**	**31**

2010–11 में आरएमएसए के अंतर्गत नए स्कूलों तथा सुदृढ़ीकृत/परिवर्धित विद्यमान स्कूलों की राज्यवार सूची (30.11.2010 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित नए स्कूलों की संख्या	सुदृढ़ीकरण के लिए अनुमोदित स्कूलों की सं.	अतिरिक्त शिक्षण कक्ष	विद्यमान स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के अंग के रूप में अनुमोदित अतिरिक्त सुविधाएं								
					विज्ञान प्रयोगशाला	प्रयोगशाला उपकरण	कंप्यूटर कक्ष	कला/दस्तकारी/संस्कृति कक्ष	पुस्तकालय	मुख्या–ध्यापक कक्ष	कार्यालय कक्ष	बालिका गतिविधि कक्ष	अलग शौचालय ब्लॉक/पेयजल सुविधाएं
1.	आंध्र प्रदेश	0	487	898	282	282	282	282	282	0	0	0	242
2.	अरूणाचल प्रदेश	11	100	248	86	86	100	99	85	0	0	0	100
3.	चण्डीगढ़ प्रशासन	4	8	11	1	1	0	0	3	0	0	0	8
4.	छत्तीसगढ़	514	584	1698	405	405	469	553	485	350	0	0	584
5.	गुजरात	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	हरियाणा	32	1402	965	709	709	87	1371	1035	170	0	1137	35
7.	हिमाचल प्रदेश	45	351	474	110	110	123	324	166	46	201	345	351
8.	मध्य प्रदेश	0	1872	2144	1072	1072	1072	1072	1072	1072	0	0	1072
9.	महाराष्ट्र	0	693	482	206	206	243	603	447	92	118	0	0
10.	उड़ीसा	400	847	881	766	766	0	0	773	313	155	0	847
11.	पंजाब	79	907	398	350	350	0	878	581	190	655	0	907
12.	त्रिपुरा	42	45	59	41	41	45	45	44	20	0	0	45
13.	उत्तराखण्ड	58	139	253	73	73	133	132	122	0	0	0	139
	कुल	**1257**	**7435**	**8511**	**4101**	**4101**	**2554**	**5359**	**5095**	**2253**	**1129**	**1682**	**4330**

अनुबंध – 3

2010–11 के दौरान स्कूलों में आईसीटी योजना के अंतर्गत अनुमोदित स्कूलों तथा जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यों क्षेत्र	पीएमईजी द्वारा अनुमोदित स्मार्ट स्कूलों की संख्या	अनुमोदित स्कूलों की संख्या 2010–2011	15.11.2011 तक जारी की गई निधियां
1.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह		28	35.00
2.	आंध्र प्रदेश			0.00
3.	अरूणाचल प्रदेश		24	165.82
4.	असम		2440	0.00
5.	बिहार			0.00
6.	चण्डीगढ़			0.00
7.	छत्तीसगढ़			0.00
8.	दादर एवं नगर हवेली	02	13	0.00
9.	दमन एवं दीव		08	0.00
10.	दिल्ली		594	0.00
11.	गोवा			432.00
12.	गुजरात			6915.57
13.	हरियाणा		1617	0.00
14.	हिमाचल प्रदेश	05	618	0.00
15.	जम्मू कश्मीर			0.00
16.	झारखण्ड			0.00
17.	कर्नाटक			0.00
18.	केरल	05		2600.00
19.	लक्षदीप			0.00
20.	मध्य प्रदेश			0.00
21.	महाराष्ट्र			0.00
22.	मणिपुर		260	0.00
23.	मेघालय	04	241	0.00
24.	मिजोरम	04	37	0.00
25.	नागालैंड	04	82	0.00
26.	उड़ीसा			0.00
27.	पुदुचेरी			0.00
28.	पंजाब	05	494	3305.00
29.	राजस्थान			4500.00
30.	सिक्किम		46	0.00
31.	तमिलनाडु	05	461	0.00
32.	त्रिपुरा		282	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	05	1500	3750.00
34.	उत्तराखण्ड		500	0.00
35.	पश्चिम बंगाल	05	2000	3500.00
	कुल	44	10045	25203.39

*स्मार्ट स्कूलों को स्कूलों की कुल संख्या में शामिल नहीं किया गया है।

अनुबंध – 4

उच्चतर शिक्षा विभाग – वर्ष 2010–11 के दौरान (31.12.2010 तक) एनजीओ को 1.00 लाख रू. से अधिक जारी की गई निधियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

1.	आकाश एसोसिएशन आफ आल काइंड्स आफ अवेयरनेस सर्विसेज फार ह्यूमन बीइंग	एफ.9–21 / 2009–ईएचवी	100000
2.	आदिवासी हरिजन संस्थान एवं राष्ट्रीय सामाजिक कार्य (एएचआईएनएसए), धेनकनाल	एफ.9–44 / 2008–ईएचवी	150000
3.	अहिल्या देवी शिक्षण प्रसारक एवं बहुउद्देशीय मंडल, वाशिम	एफ.9–37 / 2009–ईएचवी	100000
4.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नागपुर	एफ.9–66 / 2009–ईएचवी	205000
5.	ब्रेच्यिन मिरर, गाजियाबाद	एफ.9–51 / 2008–ईएचवी	250000
6.	सी पी रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन	एफ.9–63 / 2008–ईएचवी	500000
7.	सेंटर फार स्टडीज इन सिविलाइजेशन	एफ.7–3 / 2010–यू3	2450000
8.	दर्शन कल्चरल सोसायटी, कोट्टायम	एफ.9–34 / 2006–ईएचवी	125000
9.	दर्शन कल्चरल सासायटी, कोट्टायम	एफ.9–18 / 2009–ईएचवी	100000
10.	डीएवी कालेज फार गर्ल्स	एफ.9–29 / 2008–ईएचवी	317000
11.	डनलप वीमेन एसोसिएशन फार सोशल एक्शन, कोलकाता	एफ.9–49 / 2009–ईएचवी	150000
12.	इंडियन मिमी थिएटर	एफ.9–9 / 2009–ईएचवी	200000
13.	इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज	एफ.9–13 / 2006–ईएचवी	250000
14.	इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमन स्टडी, हैदराबाद	एफ.9–43 / 2009–ईएचवी	180000
15.	मां दुर्गा रूरल वीमेन उद्योग, कटक	एफ.9–17 / 2008–ईएचवी	157500
16.	मित्र मंडली तरूण समाज समिति, भरतपुर	एफ.9–69 / 2009–ईएचवी	350000
17.	नंदीकर	एफ.9–31 / 2009–ईएचवी	250000
18.	न्यू कल्चर एजुकेशन सोसायटी	एफ.9–1 / 2008–ईएचवी	100000
19.	निसर्ग विज्ञान मंडल, नागपुर	एफ.9–35 / 2009–ईएचवी	100000
20.	उड़ीसा मीडिया सेंटर	एफ.9–5 / 2008–ईएचवी	175000
21.	राजयोग एजुकेशन एण्ड रिसर्च फाउंडेशन	एफ.9–70 / 2008–ईएचवी	500000
22.	राजयोग एजुकेशन एण्ड रिसर्च फाउंडेशन	एफ.9–45 / 2008–ईएचवी	290000
23.	रंग यात्रा	एफ.9–57 / 2009–ईएचवी	162500
24.	साकेत महिला कल्याण समिति, नवाबगंज	एफ.9–61 / 2008–ईएचवी	125000
25.	संस्कृत संवर्धन मंडल	एफ.9–56 / 2009–ईएचवी	100000
26.	सेवा संकल्प समिति, सिहोर	एफ.9–6 / 2009–ईएचवी	100000
27.	श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर एण्ड स्कूल फार ह्यूमन वैल्यूज	एफ.9–12 / 2009–ईएचवी	250000
28.	दी पोएट्री सोसायटी, इंडिया	एफ.9–10 / 2009–ईएचवी	250000
29.	विवेकानंद निधि, कोलकाता	एफ.9–81 / 2009–ईएचवी	130000
30.	विवेकानंद निधि, कोलकाता	एफ.9–3 / 2008–ईएचवी	130000
31.	विवेकानंद निधि, कोलकाता	एफ.9–81 / 2009–ईएचवी	130000
32.	वीमेन इंकम जेनरेशन सेंटर, डब्ल्यूआईजीसी कंप्लेक्स, थोबाल	एफ.9–53 / 2008–ईएचवी	198000

अनुबंध – 5

स्कूल शिक्षा और सक्षरता विभाग – वर्ष 2010–11 के दौरान (31.12.2010 तक) एनजीओ को 1.00 लाख रू. से अधिक जारी की गई निधियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

1	आंध्र प्रदेश महिला समानता सोसाइटी	एफ.7–6 / 2010–ईई–7	36171000
2	असम महिला समता सोसाइटी	एफ.7–3 / 2010–ईई–7	20000000
3	बिहार महिला समाख्या सोसाइटी	एफ.7–10 / 2010–ईई–7	10000000
4	बिहार महिला समाख्या सोसाइटी	एफ.7–10 / 2010–ईई–7	16000000
5	जन शिक्षण संस्थान	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
6	जन शिक्षण संस्थान	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1500000
7	जन शिक्षण संस्थान	एफ.24–1 / 2010–एई–1	1500000
8	जन शिक्षण संस्थान	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1500000
9	जन शिक्षण संस्थान	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1500000
10	जन शिक्षण संस्थान	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1500000
11	जन शिक्षण संस्थान	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
12	जन शिक्षण संस्थान	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
13	जन शिक्षण संस्थान	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1500000
14	जन शिक्षण संस्थान	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1500000
15	जन शिक्षण संस्थान	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1500000
16	जन शिक्षण संस्थान	एफ21–3 / 2010–एनएलएम–1	1500000
17	जन शिक्षण संस्थान	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1500000
18	जन शिक्षण संस्थान	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
19	जन शिक्षण संस्थान	एफ21–3 / 2010–एनएलएम–1	1500000
20	जन शिक्षण संस्थान	एफ21–3 / 2010–एनएलएम–1	1500000
21	जन शिक्षण संस्थान	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1485215
22	जन शिक्षण संस्थान, अलिराजपुर	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
23	जन शिक्षण संस्थान, चंदौली	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
24	जन शिक्षण संस्थान, दादर व नगर हवेली	एफ21–3 / 2010–एनएलएम–1	1500000
25	जन शिक्षण संस्थान, देवगढ़	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1500000
26	जन शिक्षण संस्थान, डिंडोरी, मध्य प्रदेश	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1273464
27	जन शिक्षण संस्थान, गुड़गांव	एफ.13–2 / 2010–एई–2	1500000
28	जन शिक्षण संस्थान, सोनभद्र	एफ41–1 / 2010–एनएलएम–4	1479361
29	जन शिक्षण संस्थान, अगरतला	एफ.24–1 / 2010–एई–1	1272534
30	जन शिक्षण संस्थान, आगरा	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
31	जन शिक्षण संस्थान, अहमदनगर	एफ.21–3 / 2010–एनएलएम–1	1500000
32	जन शिक्षण संस्थान, आइजोल	एफ.24–1 / 2010–एई–1	1500000
33	जन शिक्षण संस्थान, अजमेर	21–1 / 2009–एनएलएम–1	846667
34	जन शिक्षण संस्थान, अजमेर	एफ.21–3 / 2010–एनएलएम–1	1750000
35	जन शिक्षण संस्थान, अलीगढ	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
36	जन शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1498858
37	जन शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000

38	जन शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
39	जन शिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1436368
40	जन शिक्षण संस्थान, अमेठी	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
41	जन शिक्षण संस्थान, अनंतपुर	एफ.50–1/2010–एनएलएम–2	1500000
42	जन शिक्षण संस्थान, अंगुल	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
43	जन शिक्षण संस्थान, औरंगाबाद	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1498820
44	जन शिक्षण संस्थान, आजमगढ़	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
45	जन शिक्षण संस्थान, बागलकोट	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2	1500000
46	जन शिक्षण संस्थान, बागेश्वर	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1499195
47	जन शिक्षण संस्थान, बहराइच	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
48	जन शिक्षण संस्थान, बालंगीर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
49	जन शिक्षण संस्थान, बालंगीर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
50	जन शिक्षण संस्थान, बालासोर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
51	जन शिक्षण संस्थान, बलियाला, उ.प्र.	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
52	जन शिक्षण संस्थान, बनासकंठा	एफ.21–1/2010–एनएलएम–1	1500000
53	जन शिक्षण संस्थान, बांदा	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
54	जन शिक्षण संस्थान, बंगलौर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2	2000000
55	जन शिक्षण संस्थान, बांकुरा, प. बं.	एफ.24–1/2010–एई–1के	1500000
56	जन शिक्षण संस्थान, बाराबंकी	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1311805
57	जन शिक्षण संस्थान, बरेली	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
58	जन शिक्षण संस्थान, बस्तर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
59	जन शिक्षण संस्थान, बस्ती	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
60	जन शिक्षण संस्थान, बीड	एफ.21–3/2010–एनएलएम–1	1500000
61	जन शिक्षण संस्थान, भदोही	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
62	जन शिक्षण संस्थान, भद्रक	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
63	जन शिक्षण संस्थान, भरूच	एफ.21–3/2010–एनएलएम–1	1500000
64	जन शिक्षण संस्थान, भिंड	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
65	जन शिक्षण संस्थान, भोपाल	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
66	जन शिक्षण संस्थान, भोपाल	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
67	जन शिक्षण संस्थान, भोपाल	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
68	जन शिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
69	जन शिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर	एफ.5–2/2010–एनएलएम–3	3500000
70	जन शिक्षण संस्थान, बोकारो	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
71	जन शिक्षण संस्थान, बुल्ढ़ाना	एफ.21–3/2010–एनएलएम–1	1500000
72	जन शिक्षण संस्थान, बक्सर, बिहार	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3ए ए	1500000
73	जन शिक्षण संस्थान, कालीकट	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2	1500000
74	जन शिक्षण संस्थान, चण्डीगढ़	एफ.13–2/2010–एई–2	1750000
75	जन शिक्षण संस्थान, चंद्रपुर	एफ.21–3/2010–एनएलएम–1	1500000
76	जन शिक्षण संस्थान, चेन्नई	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2	1999928
77	जन शिक्षण संस्थान, छत्तरपुर	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
78	जन शिक्षण संस्थान, चित्रकूट	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
79	जन शिक्षण संस्थान, कोयम्बटूर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2	1750000
80	जन शिक्षण संस्थान, कूच बिहार	एफ.24–1/2010–एई–1के	1500000

81	जन शिक्षण संस्थान, कटक	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1750000
82	जन शिक्षण संस्थान, दमोह	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
83	जन शिक्षण संस्थान, दारंग	एफ.24–1/2010–एई–1	1500000
84	जन शिक्षण संस्थान, दतिया	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1498890
85	जन शिक्षण संस्थान, दावनगेरे	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2	1485633
86	जन शिक्षण संस्थान, देहरादून	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1480162
87	जन शिक्षण संस्थान, देवरिया	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
88	जन शिक्षण संस्थान, देवास	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
89	जन शिक्षण संस्थान, धनबाद	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1236712
90	जन शिक्षण संस्थान, धार	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
91	जन शिक्षण संस्थान, धारावी	एफ.21–3/2010–एनएलएम–1	2000000
92	जन शिक्षण संस्थान, धेनकनाल	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1513700
93	जन शिक्षण संस्थान, धेनकनाल	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1486300
94	जन शिक्षण संस्थान, धुले	एफ.21–3/2010–एनएलएम–1	1500000
95	जन शिक्षण संस्थान, दीमापुर	एफ.24–1/2010–एई–1	1497991
96	जन शिक्षण संस्थान, अर्नाकुलम	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2	1500000
97	जन शिक्षण संस्थान, इटावा	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1461713
98	जन शिक्षण संस्थान, फैजाबाद	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
99	जन शिक्षण संस्थान, फैजाबाद	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
100	जन शिक्षण संस्थान, फर्रूखाबाद	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
101	जन शिक्षण संस्थान, फतेहपुर	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
102	जन शिक्षण संस्थान, फिरोजाबाद, उ.प्र.	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
103	जन शिक्षण संस्थान, गया	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
104	जन शिक्षण संस्थान, गाजियाबाद	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
105	जन शिक्षण संस्थान, गोंडा	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1485413
106	जन शिक्षण संस्थान, गोंडा	एफ.21–3/2010–एनएलएम–1	1500000
107	जन शिक्षण संस्थान, गुना	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
108	जन शिक्षण संस्थान, गुंटूर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1750000
109	जन शिक्षण संस्थान, ग्वालियर	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
110	जन शिक्षण संस्थान, हल्दिया	एफ.24–1/2010–एइ–1के	1500000
111	जन शिक्षण संस्थान, हरदोई	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1494092
112	जन शिक्षण संस्थान, हजारीबाग	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
113	जन शिक्षण संस्थान, हजारीबाग	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1491671
114	जन शिक्षण संस्थान, हाजीपुर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
115	जन शिक्षण संस्थान, होशंगाबाद	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
116	जन शिक्षण संस्थान, हावड़ा	एफ.24–1/2010–एई–1के	1500000
117	जन शिक्षण संस्थान, इडुक्की	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2	1500000
118	जन शिक्षण संस्थान, इंदौर	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1750000
119	जन शिक्षण संस्थान, जगतसिंहपुर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
120	जन शिक्षण संस्थान, जयपुर	एफ.21–3/2010–एनएलएम–1	1750000
121	जन शिक्षण संस्थान, जाजपुर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1335784
122	जन शिक्षण संस्थान, जाजपुर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1499578
123	जन शिक्षण संस्थान, जालौन	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000

124	जन शिक्षण संस्थान, जलपाइगुड़ी	एफ.24–1/2010–एई–1के	1500000
125	जन शिक्षण संस्थान, जम्मू	एफ.13–2/2010–एई–2	1750000
126	जन शिक्षण संस्थान, जमशेदपुर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1674904
127	जन शिक्षण संस्थान, जमशेदपुर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1825096
128	जन शिक्षण संस्थान, जौनपुर	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
129	जन शिक्षण संस्थान, झबुआ	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
130	जन शिक्षण संस्थान, झालावाड़	एफ.21–3/2010–एनएलएम–1	1500000
131	जन शिक्षण संस्थान, जोरहट	एफ.24–1/2010–एई–1	1500000
132	जन शिक्षण संस्थान, कच्छ	एफ.21–3/2010–एनएलएम–1	1500000
133	जन शिक्षण संस्थान, कामरूप	एफ.24–1/2010–एई–1	1500000
134	जन शिक्षण संस्थान, कांचीपुरम	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2	1500000
135	जन शिक्षण संस्थान, कानपुर	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
136	जन शिक्षण संस्थान, कानपुर	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1750000
137	जन शिक्षण संस्थान, करवार	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2	1500000
138	जन शिक्षण संस्थान, कटनी	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
139	जन शिक्षण संस्थान, कौशांबी	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
140	जन शिक्षण संस्थान, क्योंझर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
141	जन शिक्षण संस्थान, क्योंझरगढ़	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
142	जन शिक्षण संस्थान, खम्मम	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2	1500000
143	जन शिक्षण संस्थान, किशनगंज	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
144	जन शिक्षण संस्थान, कोल्लम	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2	1500000
145	जन शिक्षण संस्थान, कोरापुट	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1499700
146	जन शिक्षण संस्थान, कोरिया, छतीसगढ़	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
147	जन शिक्षण संस्थान, कोट्टायम	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2एबी	1500000
148	जन शिक्षण संस्थान, कुंद्राकुड़ी, शिवगंगा	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2	1401248
149	जन शिक्षण संस्थान, लातुर	एफ.21–3/2010–एनएलएम–1	1500000
150	जन शिक्षण संस्थान, लखनऊ	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
151	जन शिक्षण संस्थान, लखनऊ	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1750000
152	जन शिक्षण संस्थान, लुधियाना	एफ.13–2/2010–एई–2	1500000
153	जन शिक्षण संस्थान, मदुरै	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2	1750000
154	जन शिक्षण संस्थान, महबूबनगर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2	1444160
155	जन शिक्षण संस्थान, मंडला	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
156	जन शिक्षण संस्थान, मथुरा, उ.प्र.	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
157	जन शिक्षण संस्थान, मथुरा, उ.प्र.	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
158	जन शिक्षण संस्थान, मउनाथभंजन	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
159	जन शिक्षण संस्थान, मेदिनीपुर	एफ.24–1/2010–एई–1के	1500000
160	जन शिक्षण संस्थान, मेहसाना	एफ.21–3/2010–एनएलएम–1	1500000
161	जन शिक्षण संस्थान, मिर्जापुर	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1500000
162	जन शिक्षण संस्थान, मोहाली	एफ.13–2/2010–एई–2	1500000
163	जन शिक्षण संस्थान, मुरैना	एफ.41–1/2010–एनएलएम–4	1340510
164	जन शिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर, बिहार	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
165	जन शिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर, बिहार	एफ.5–1/2010–एनएलएम–3	1500000
166	जन शिक्षण संस्थान, मैसूर	एफ.5–1/2010–एनएलएम–2	1640421

167	जन शिक्षण संस्थान, नवगांव	एफ.24–1 / 2010–एई–1	1500000
168	जन शिक्षण संस्थान, नाहरलागुन	एफ.24–1 / 2010–एई–1	1500000
169	जन शिक्षण संस्थान, नालंदा	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1500000
170	जन शिक्षण संस्थान, नालगोंडा	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1500000
171	जन शिक्षण संस्थान, नामक्कल	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1500000
172	जन शिक्षण संस्थान, नंदुरबार	एफ.21–3 / 2010–एनएलएम–1	1500000
173	जन शिक्षण संस्थान, नरेंद्रपुर	एफ.24–1 / 2010–एई–1के	1750000
174	जन शिक्षण संस्थान, नरसिंहपुर	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1499900
175	जन शिक्षण संस्थान, नासिक	एफ.21–3 / 2010–एनएलएम–1	1500000
176	जन शिक्षण संस्थान, नोएडा	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
177	जन शिक्षण संस्थान, उत्तर 24 परगना	एफ.24–1 / 2010–एई–1के	1500000
178	जन शिक्षण संस्थान, नवपाडा	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1500000
179	जन शिक्षण संस्थान, पालक्काड, केरल	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1490500
180	जन शिक्षण संस्थान, पानीपत	एफ13–2 / 2010–एई–2	1498082
181	जन शिक्षण संस्थान, पाटन	एफ.21–1 / 2010–एनएलएम–1	1500000
182	जन शिक्षण संस्थान, पटनमथिटा, केरल	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1500000
183	जन शिक्षण संस्थान, पटना	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3 एबी	1420153
184	जन शिक्षण संस्थान, पटना	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–3	1500000
185	जन शिक्षण संस्थान, पीलीभीत	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1494805
186	जन शिक्षण संस्थान, प्रतापगढ़	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
187	जन शिक्षण संस्थान, प्रमास जहांगीरपुरी, दिल्ली	एफ.13–2 / 2010–एई–2	1475547
188	जन शिक्षण संस्थान, पुणे	एफ.21–3 / 2010–एनएलएम–1	1750000
189	जन शिक्षण संस्थान, पुरी	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1500000
190	जन शिक्षण संस्थान, पुरूलिया	एफ.24–1 / 2010–एई–1 के	1500000
191	जन शिक्षण संस्थान, रायबरेली	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1497429
192	जन शिक्षण संस्थान, रायचूर	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1500000
193	जन शिक्षण संस्थान, रायगढ़	एफ.21–3 / 2010–एनएलएम–1	1500000
194	जन शिक्षण संस्थान, रायपुर	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1344768
195	जन शिक्षण संस्थान, रायसेन	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1498892
196	जन शिक्षण संस्थान, राजनंदगांव	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1500000
197	जन शिक्षण संस्थान, रांची	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1474679
198	जन शिक्षण संस्थान, रतलाम	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
199	जन शिक्षण संस्थान, रीवा	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1378773
200	जन शिक्षण संस्थान, रोहतक	एफ.13–2 / 2010–एई–2	1499531
201	जन शिक्षण संस्थान, राउरकेला	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1750000
202	जन शिक्षण संस्थान, साबरकंठा	एफ.21–3 / 2010–एनएलएम–1	1500000
203	जन शिक्षण संस्थान, सागर	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1409440
204	जन शिक्षण संस्थान, सागर	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1482730
205	जन शिक्षण संस्थान, सहारनपुर, उ.प्र.	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
206	जन शिक्षण संस्थान, संबलपुर	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1500000
207	जन शिक्षण संस्थान, सतना	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
208	जन शिक्षण संस्थान, सेनापति	एफ.24–1 / 2010–एई–1	1500000
209	जन शिक्षण संस्थान, साजापुर	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1499660

210	जन शिक्षण संस्थान, शिवपुर, म.प्र.	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
211	जन शिक्षण संस्थान, शिमोगा	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1500000
212	जन शिक्षण संस्थान, श्रावस्ती, उ.प्र.	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
213	जन शिक्षण संस्थान, सिद्धार्थनगर	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
214	जन शिक्षण संस्थान, सिधी	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
215	जन शिक्षण संस्थान, सीकर	एफ.21–3 / 2010–एनएलएम–1	1500000
216	जन शिक्षण संस्थान, सिल्चर	एफ.24–1 / 2010–एई–1	1500000
217	जन शिक्षण संस्थान, सिंधुदुर्ग	एफ.21–3 / 2010–एनएलएम–1	1474087
218	जन शिक्षण संस्थान, सिरसा	एफ.13–2 / 2010–एई–2	1500000
219	जन शिक्षण संस्थान, सीतापुर	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
220	जन शिक्षण संस्थान, शिवकाशी	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1472145
221	जन शिक्षण संस्थान, सोनीपत	एफ.13–2 / 2010–एई–2	1500000
222	जन शिक्षण संस्थान, सोनपुर (सारन)	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1500000
223	जन शिक्षण संस्थान, सुबर्णपुर	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1500000
224	जन शिक्षण संस्थान, सुल्तानपुर	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
225	जन शिक्षण संस्थान, सूरत	एफ.21–3 / 2010–एनएलएम–1	1750000
226	जन शिक्षण संस्थान, सरगुजा, छत्तीसगढ़	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1500000
227	जन शिक्षण संस्थान, तंगधर, जम्मू और कश्मीर	एफ.13–2 / 2010–एई–2	1232971
228	जन शिक्षण संस्थान, टिहरी गढ़वाल (रानीचौरी)	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1499234
229	जन शिक्षण संस्थान, तिरूवरूर	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1499420
230	जन शिक्षण संस्थान, थोबाल	एफ.24–1 / 2010–एई–1	1500000
231	जन शिक्षण संस्थान, त्रिशूर	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2 एए	1465522
232	जन शिक्षण संस्थान, तिरूपति	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1500000
233	जन शिक्षण संस्थान, टुमकूर	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1488090
234	जन शिक्षण संस्थान, उज्जैन	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	549692
235	जन शिक्षण संस्थान, उमरीया	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
236	जन शिक्षण संस्थान, उन्नाव	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
237	जन शिक्षण संस्थान, वडोदरा	एफ.21–3 / 2010–एनएलएम–1	1750000
238	जन शिक्षण संस्थान, वाराणसी	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
239	जन शिक्षण संस्थान, वाराणसी	एफ.41–1 / 2010–एनएलएम–4	1500000
240	जन शिक्षण संस्थान, विजयवाड़ा	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1749475
241	जन शिक्षण संस्थान, विशाखपटनम	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1750000
242	जन शिक्षण संस्थान, वाशिम	एफ.21–3 / 2010–एनएलएम–1	1500000
243	जन शिक्षण संस्थान, पश्चिम दिल्ली	एफ.13–2 / 2010–एई–2	1500000
244	जन शिक्षण संस्थान, पश्चिम दिल्ली	एफ.13–2 / 2010–एई–2	1500000
245	जन शिक्षण संस्थान, पश्चिम गोदावरी	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1500000
246	जन शिक्षण संस्थान, वोर्ली, मुंबई	एफ.21–3 / 2010–एनएलएम–1	1999697
247	जन शिक्षण संस्थान, यवतमल	एफ.21–3 / 2010–एनएलएम–1	1500000
248	जन शिक्षण संस्थान, बिलासपुर	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–3	1500000
249	जन शिक्षण संस्थान, वारंगल	एफ.5–1 / 2010–एनएलएम–2	1484170
250	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी	एफ.7–1 / 2010–ईई–7	10000000
251	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी	एफ.7–1 / 2010–ईई–7	20000000
252	केरल महिला समाख्या सोसाइटी, वझुटकाडु, तिरूवनंतपुरम	एफ.7–9 / 2010–ईई–7	14810000

253	महिला समाख्या गुजरात	एफ.7–4 / 2010–ईई–7	10147000
254	महिला समाख्या गुजरात	एफ.7–4 / 2010–ईई–7	8500000
255	महिला समाख्या उत्तराखंड	एफ.7–2 / 2010–ईई–7	25000000
256	महिला समाख्या उत्तराखंड	एफ.7–2 / 2010–ईई–7	14000000
257	महिला समाख्या कर्नाटक	एफ.7–7 / 2010–ईई–7	34795000
258	महिला समाख्या उत्तर प्रदेश	एफ.7–5 / 2010–ईई–7	41020000
259	सीकिंग माडर्न अप्लीकेशन फार रियल ट्रांसफार्मेशन, दिल्ली	एफ.29–1 / 2003–एई–4 / एई–2	137799
260	राज्य संसाधन केंद्र, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा	एफ.13–4 / 2010–एनएलएम–II	4136467
261	राज्य संसाधन केंद्र, भोपाल	एफ.43–1 / 2010–एनएलएम–4	3565611
262	राज्य संसाधन केंद्र, चेन्नई	एफ.17–4 / 2010–एनएलएम–II	1000000
263	राज्य संसाधन केंद्र, चेन्नई	एफ.13–4 / 2010–एनएलएम–II	3431381
264	राज्य संसाधन केंद्र, गौहाटी	एफ.21–1 / 2010–एई–1	3335064
265	राज्य संसाधन केंद्र, इंदौर	एफ.43–1 / 2010–एनएलएम–4	3403580
266	राज्य संसाधन केंद्र, जयपुर	एफ.17–4 / 2010–एनएलएम–II	5000000
267	राज्य संसाधन केंद्र, जयपुर	एफ.22–2 / 2010–एनएलएम–1	5006124
268	राज्य संसाधन केंद्र, जयपुर	एफ.22–2 / 2010–एनएलएम–1	1763100
269	राज्य संसाधन केंद्र, लखनऊ	एफ.17–4 / 2010–एनएलएम–II	4500000
270	राज्य संसाधन केंद्र, मैसूर	एफ.17–4 / 2010–एनएलएम–II	2500000
271	राज्य संसाधन केंद्र, नंदवनम, तिरूवनंतपुरम	एफ.13–4 / 2010–एनएलएम–II	1923998
272	राज्य संसाधन केंद्र, पुणे	एफ.22–2 / 2010–एनएलएम–1	3196621
273	राज्य संसाधन केंद्र, पुणे	एफ.22–2 / 2010–एनएलएम–1ए	2007169
274	राज्य संसाधन केंद्र, रायपुर	एफ.5–2 / 2010–एनएलएम–3	2833500
275	राज्य संसाधन केंद्र, रायपुर	एफ.17–4 / 2010–एनएलएम–II	1500000
276	राज्य संसाधन केंद्र, रायपुर	एफ.5–2 / 2010–एनएलएम–3	3485838
277	राज्य संसाधन केंद्र, रांची	एफ.17–4 / 2010–एनएलएम–II	1000000
278	राज्य संसाधन केंद्र, सिरच, रोहतक	एफ.14–4 / 2010–एई–2	4060924
279	राज्य संसाधन केंद्र, शिवालिक सदन, इंजन घर, संजोली, शिमला	एफ.14–4 / 2010–एई–2जे	2150000
280	राज्य संसाधन केंद्र, राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद, मैसूर	एफ.13–4 / 2010–एनएलएम–II	3202534
281	राज्य संसाधन केंद्र, पटना	एफ.5–2 / 2010–एनएलएम–3	3537328
282	राज्य संसाधन केंद्र,, पटना	एफ.5–2 / 2010–एनएलएम–3	1498175
283	राज्य संसाधन केंद्र, पटना	एफ.17–4 / 2010–एनएलएम–II	600000
284	राज्य संसाधन केंद्र, पटना	एफ.5–2 / 2010–एनएलएम–3	4376807
285	राज्य संसाधन केंद्र, पटना	एफ.5–2 / 2010–एनएलएम–3	3231057
286	महिला स्वैच्छिक संगठन	एफ.7–74 / 2002–स्कूल–1	959000

अनुबंध – 6

मानव मूल्यों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता की योजना के अंतर्गत एनजीओ को ₹ 5.00 लाख से अधिक जारी किए गए अनुदान की सूची (राज्यवार) 2009–10

क्र.सं.	एनजीओ के ब्यौरे	राशि (₹ में)
दिल्ली		
1	स्पिक, मैके 41/42, लखनऊ रोड, दिल्ली – 110054	750000/-
2	श्री सत्या इंटरनेशनल सैन्ट्रल एण्ड स्कूल, लोधी रोड, नई दिल्ली	500000/-
3	सामाजिक सेवा कला समूह, पी 31, पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली – 110008	700000/-
4	श्री अरबिन्दो एजुकेशन सोसायटी, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली – 110016	500000/-
5	बंगाल एसोसिएशन, बंगा भवन, हेली रोड, नई दिल्ली	500000/-
कर्नाटक		
6	आरई एण्ड आर एफ तपोनेन, जिला–कारवार, येलापुर, कर्नाटक	750000/-
महाराष्ट्र		
7	युवक बिरादरी, (भारत) हजारीमल सोमानी मार्ग, निकट कैपीटल सिनेमा, मुंबई–400001	500000/-
तमिलनाडु		
8	सी पी रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन (सीपीआरएएफ), द ग्रोव, 1 इल्दमास रोड, अलवरपेट, चेन्नई – 600018	500000/-
उत्तर प्रदेश		
9	ब्रेच्तियन मिरर, एल–5, सेक्टर 25, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301	875000/-
पश्चिम बंगाल		
10	नंदीकर, 47/1, श्याम बाजार स्ट्रीट, कोलकाता – 700004	500000/-

अनुबंध – 7

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सारांश

संस्था का नाम	टिप्पणी
	उच्चतर शिक्षा विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय	अधिष्ठापन के लिए स्थल तैयार किए बिना विश्वविद्यालय ने 2007–08 के दौरान ₹ 4.06 करोड़ के उपकरण खरीदे। इसकी वजह से उपकरण निष्क्रिय पड़े रहे। इसके अलावा, शोध छात्र परिष्कृत उपकरणों के आशयित लाभ से वंचित रहे। (पैरा सं. 4.3) (2009–10 का रिपोर्ट सं. 23)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	संस्थान ने मंत्रालय का निर्णय लंबित रहते हुए 1 अप्रैल 2008 के बजाय 1 अप्रैल 2007 से संशोधित दर से अपने पीएचडी छात्रों को छात्रवृत्ति के मद में ₹ 1.35 करोड़ का अनियमित भुगतान किया। (पैरा सं. 4.5) (2009–10 का रिपोर्ट सं. 23)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	इग्नू ने तकनीकी सलाहकार एवं कागज क्रय समिति की सिफारिश को नजरअंदाज किया तथा कम दर के वैध कोटेशन को नामंजूर करते हुए ऊंची दर से 2.47 लाख रीम कागज खरीदा जिससे ₹ 56.56 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। (पैरा सं. 4.7) (2009–10 का रिपोर्ट सं. 23)
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	संस्थान बैंकों से भारत सरकार द्वारा विहित दरों से किराया वसूलने में विफल रहे तथा ₹ 75.03 लाख के राजस्व का नुकसान हुआ। (पैरा सं. 4.9) (2009–10 का रिपोर्ट सं. 23)
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विहित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए संस्थाओं को "सम विश्वविद्यालय" का दर्जा प्रदान किया जिससे विश्वविद्यालय शिक्षा में मानकों के हलका होने का जोखिम बढ़ा। (पैरा सं. 4.12) (2009–10 का रिपोर्ट सं. 23)
	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
नवोदय विद्यालय समिति	समिति अप्रैल 2002 में इस प्रयोजनार्थ अधिग्रहीत भूमि पर कार्यालय भवन एवं प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण करने में असफल रही। इससे किराया एवं विस्तार प्रभारों पर ₹ 2.53 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। (पैरा सं. 4.1) (2009–10 का रिपोर्ट सं. 23)

अनुबंध – 8

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं की सूची

(क) सरकार द्वारा प्रायोजित

क्र.सं.	संस्थाओं का नाम
	आंध्र प्रदेश
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति http://rsvidyapeetha.ac.in
	अरूणाचल प्रदेश
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर, अरूणाचल प्रदेश www.nerist.ac.in
	बिहार
3.	नव नालंदा महाबिहार, नालंदा www.navanalanda.org
	हरियाणा
4.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल www.ndri.res.in
5.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुड़गांव www.nbrc.ac.in
	झारखण्ड
6.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद www.ismdhanbad.ac.in
	कर्नाटक
7.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर www.iisc.ernet.in
8.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर www.nimhans.kar.nic.in
9.	जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बंगलौर www.jncasr.ac.in
	केरल
10.	केरल कला मंडलम, त्रिशूर www.kalamandalam.org
11.	भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनंतपुरम www.iist.ac.in
	मध्य प्रदेश
12.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर http://www.linipe.gov.in
13.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर www.iiitm.ac.in
14.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
	महाराष्ट्र
15.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई www.iipsindia.org
16.	केंद्रीय मात्स्यकी शिक्षा संस्थान, मुंबई http://www.cife.edu.in/
17.	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई http://www.igidr.ac.in
18.	उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान (पहले हथियार प्रौद्योगिकी संस्थान), पुणे www.diat.ac.in
19.	टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुंबई www.tifr.res.in
20.	होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान मुंबई www.hbni.ac.in

	पंजाब
21.	पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ़ www.pec.ac.in
22.	संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, लोंगोवाल, जिला संगरूर www.sliet.ac.in
	तमिलनाडु
23.	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम www.ruraluniv.ac.in
24.	राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट (आरजीएनआईवाईडी) श्रीपेरूम्बदूर www.rgniyd.gov.in
	उत्तराखण्ड
25.	फारेस्ट रिसर्च इंस्टीटयूट, देहरादून www.idfre.org
	उत्तर प्रदेश
26.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, www.smith.edu/cihts/
27.	इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर www.ivri.nic.in
28.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नालाजी, इलाहाबाद www.iiita.ac.in
	नई दिल्ली
29.	इंडियन एग्रीकलचरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली www.iari.res.in
30.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली www.spa.ac.in
31.	श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली www.slbsrsv.ac.in
32.	नेशनल म्यूजियम, इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टिरी ऑफ आर्ट, कन्जरवेशन एण्ड म्यूजिओलॉजी, नई दिल्ली www.nationalmuseumindia.gov.in
33.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली www.sanskrit.nic.in
34.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली www.iift.edu
35.	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली www.ilidelhi.org
36.	नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली www.schoolofdramaindia.org
37.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली www.nuepa.org
38.	इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एण्ड बिलयरी साइंसेस, नई दिल्ली
ख.	**निजी प्रबंधित**
	आंध्र प्रदेश
1.	श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ------- www.sssu.edu.in
2.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इनफोर्मेशन टेक्नालाजी, हैदराबाद www.iiit.ac.in
3.	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एण्ड मैनेजेंट (गीतम), विशाखापट्नम www.gitam.edu
4.	आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजूकेशन, हैदराबाद www.ifheindia.org
5.	बिगनेनस फाउंडेशन ऑफ साइंस, टेक्नालाजी एण्ड रिसर्च, वडलामुडी, जिला गुन्टूर, आंध्र प्रदेश www.vignanuniversity.org/
6.	कोनेरू लक्ष्यमिया एजूकेशन फाउंडेशन विजयवाडा www.kluniversity.in
	बिहार
7.	बिहार योग भारती, मुंगेर www.yogavision.net

गुजरात

8. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद www.gujratvidyapith.org
9. सुमनदीप विद्यापीठ, ग्राम पिपरिया, ताल्लुका वघोदिया, जिला वड़ोदरा (गुजरात) http://www.sumandeepuniversity.co.in

हरियाणा

10. महर्षि मारकंडेश्वर यूनीवर्सिटी, मुलाना, अंबाला http://www.mmumullana.org/
11. मानव रचना इंटरनेशनल यूनीवर्सिटी, www.meri.ac.in
12. लिग्यास यूनीवर्सिटी, नचौली, फरीदाबाद http://www.limat.org

झारखण्ड

13. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, मेसरा, रांची www.bitmesra.ac.in

कर्नाटक

14. मनीपाल एकाडमी ऑफ हायर एजूकेशन, मनीपाल www.manipal.edu
15. स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था बैंगलौर www.vyasa.org.in
16. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इनफार्मेशन टेक्नालाजी, बैंगलोर www.iitb.ac.in
17. के एल ई एकाडमी ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, बेलगांव www.kahe.edu.in
18. श्री देवराज योर्स एकाडमी ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, तमाका, कोलर www.sdumc.ac.in
19. येनीपुआ यूनीवर्सिटी, मंगलोर www.yenepoya.com
20. बीएलडीईई यूनीवर्सिटी, बीजापुर www.bldeuniversity.org
21. जगतगुरू श्री शिवराथरीसवार यूनीवर्सिटी, (जेएसएसए), मैसूर www.jssuni.edu.in
22. श्री सिद्धार्थ एकाडमी ऑफ हायर एजूकेशन, सिद्धार्थनगर, जिला तुमकुर, www.sahe.in
23. निट्ट यूनीवर्सिटी, मंगलौर www.nitte.ac.in
24. किस्ट यूनीवर्सिटीश, होसुर रोड, बैंगलोर www.christcollege.edu
25. जैन यूनीवर्सिटी, वी. वी. पुरम, बैंगलोर www.jaincollege.ac.in

महाराष्ट्र

26. भारती विद्यापीठ, पुणे www.bharatividyapeeth.com
27. डैक्केन कालेज पोस्टग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे www.deccancollege.edu
28. गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पालिटिक्स एण्ड इकोनामिक्स, पुणे www.gipe.etnet.in
29. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, मुंबई www.tiss.edu
30. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे www.tilakvidyapeeth.org
31. सिमबोसिस इंटरनेशनल यूनीवर्सिटी सेंटर, पुणे www.siu.edu.in
32. पदम श्री डा. वी. वाई पाटिल विद्यापीठ नेरुल, नवी मुंबई www.dypatil.ac.in
33. नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई www.nmims.edu
34. डा0 डी वाई पाटिल विद्यापीठ, पिंपरी, पुणे www.dypatilvidyapeeth.org
35. प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, लोनी, जिला, अहमदनगर www.pravara.com
36. दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, नागपुर www.dmims.org
37. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस, कराद, सतारा www.kims.ac.in

38. डी. वाई. पाटिल मेडिकल कालेज, कोल्हापुर www.dypatatailkolhapur.com
39. एम जी एम इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ सांइस, नवी मुंबई www.mgmuhs.com
40. इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नालाजी, माटुंगा, मुंबई www.udct.org

उड़ीसा

41 कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नालाजी, भुवनेश्वर www.kiit.org
42. शिखा "ओ" अनुसंधान, खंडागिरि, भुवनेश्वर www.soauniversity.ac.in

पंजाब

43. थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, पटियाला www.tiet.ac.in

पुड्डुचेरी

44. बाला जी विद्यापीठ, पिल्लईयाकुपम, पुड्डुचेरी www.balajitrust.org

राजस्थान

45. बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली www.banasthali.org
46. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एण्ड सांइस, पिलानी www.bits-pilani.ac.in
47. जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर www.jnrvuniversity.com
48. जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लदनून www.jvbi.ac.in
49. इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजूकेशन गांधी विद्या मंदिर, सरदार शहर www.iaseduniv.org
50. मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एण्ड साइंस, लक्ष्मणगढ़, राजस्थान www.mnit.ac.in
51. एल एन एम इंस्टीट्यूट ऑफ इनफार्मेशन टेक्नालाजी, जयपुर www.lnmiit.ac.in
52. आई आई एस यूनीवर्सिटी, मानसरोवर, जयपुर

तमिलनाडु

53. अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फॉर वूमेन , कोयम्बटूर www.avinashlingam.edu
54. श्री चंद्रशेखरंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम www.kanchiuniv.ac.in
55. श्री रामचंद्र मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई www.srmc.edu
56. विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन, सलेम www.vinayakamission.com
57. शनमुघा आर्ट, साइंस, टेक्नालाजी एण्ड रिसर्च एकाडमी (सस्त्रा) , तंजौर www.sastra.edu
58. वेल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, वैल्लौर www.vit.ac.in
59. सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी, चेन्नई www.sathyabhamauniv.ac.in
60. भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नई www.bharathuniv.com
61. एस आर एम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी www.srmuniv.ac.in
62. अमृत विश्व विद्यापीठ, कोयम्बटूर www.amrita.edu
63. डा0 एम जी आर ऐजूकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई www.drmdrdu.ac.in
64. मीनाक्षी एकाडमी ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नई www.maher.ac.in
65. करौन्या इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी कोयम्बटूर www.karunya.edu
66. सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टैक्नीकल साइंसेस, चेन्नई www.saveetha.com
67. कलासलिंगम एकाडमी ऑफ रिसर्च एण्ड हायर एजूकेशन, आनंद नगर, कृष्णकोइल, विरुद्धुनगर, तमिलनाडु [वर्तमान में अरुलमिगु कलासलिंगम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आनंद नगर, कृष्णकोइल, विरुद्धुनगर तमिलनाडु के रूप में क्रियाशील]www.akce.ac.in

68. चेन्ई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई www.cmi.ac.in

69. पेरीयार मनियामाई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी (पीएमआईएसटी), पेरीयार नगर, तंजौर www.periyar.org

70. एकाडमी ऑफ मैरी टाइम, एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग (एएमईटी), कंथूर, चेन्नई www.ametindia.org

71. पुनैय्या रामजयम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी तंजौर www.prist.ac.in

72. हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एण्ड साइंस, पदुर, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, केलमबक्कम जिला कांचीपुरम्, www.hindustancollege.com

73. सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नई www.stpetersuniversity.org

74. वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नालाजी एण्ड एडवांस स्टडीज (वीआईएसटीएएस), पल्लवाराम, चेन्नई www.velsuniv.org

75. चेतीनाद एकाडमी ऑफ रिसर्च एण्ड एजूकेशन (सीएआरई), पदुर, कलामबक्कम, जिला कांचीपुरम www.chettinadhealthcity.com

76. कर्पागम एकाडमी ऑफ हायर ऐजूकेशन, कोयम्बटूर www.karpagamuniversity.ac.in

77. वेलटेक रंगराजन डा0 शगुन्थला आर एण्ड डी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी, चेन्नई

78. नौरूल इस्लाम सेंटर फॉर हायर ऐजूकेशन, कुमारकोईल, थूकाले, जिला कन्याकुमारी www.niuniv.com

79. बी एस अब्बदुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी, सिथकाठी एस्टेट, जी. एस. टी रोड, वंदालुर पोस्ट, तलुक चेंगालपटु जिला कांचीपुरम www.crescencollege.org

उत्तराखण्ड

80. गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार www.gkvharidwar.org

81. स्वामी रामा विद्यापीठ, स्वामी रामा नगर, पी. ओ. दोईवाला, देहरादून www.sruniversity.com

82. ग्राफिक एरा यूनीवर्सिटी, देहरादून www.geitdoon.com

उत्तर प्रदेश

83. दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट,दयालबाग, आगरा www.dei.ac.in

84. इलाहबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहबाद www.aaidu.org

85. बटखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, लखनऊ www.bhatkhandemusic.edu.in

86. जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालाजी, नोएडा www.jiit.ac.in

87. शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, मेरठ www.shobituniversity.ac.in

88. संतोष यूनीवर्सिटी, गाजियाबाद www.santoshuniversity.com

89. नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा जामुनीपुर, दुब्वाली, जिला इलाहाबाद www.nehrugrambharati.org.in

पश्चिम बंगाल

90. रामाकृष्णा मिशन विवेकानंद एजूकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेलुर मठ, हावड़ा www.rkmvu.ac.in

नई दिल्ली

91. जामिया हमदर्द, नई दिल्ली www.jamiahamdard.edu

92. तेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, नई दिल्ली www.terischool.ac.in

अनुबंध – 9

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वायत्त संगठन/संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय/पीएसयू

उच्चतर शिक्षा विभाग

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख (दूरभाष/फैक्स नं./ई-मेल)
1. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	शीर्ष स्तरीय निकाय	1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002 वेबसाइट: www.ugc.ac.in	डा. वेद प्रकाश अध्यक्ष (कार्यकारी), फोन: 91–11–23234019/23236350 फैक्स– 91–11–23231797
		2.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), 35 – फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली – 110001 वेबसाइट: www.ichrindia.org	प्रो. सब्यसाची भट्टाचार्य, अध्यक्ष, फोन: 91–11–23386033 (का.) 91–495–0370328 (नि.) फैक्स– 91–11–23383421 ई–मेल chairmanichr@gmail.com
		3.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), पो. बॉक्स नं. 10528 अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली – 110067 वेबसाइट: www.icssr.org	पो. जावेद आलम अध्यक्ष फोन: 91–11–267416769 (का.) फैक्स: 91–11–26162516 एपीबीएक्स : 26741849–51 ई–मेल chairman@icssr.com
		4.	भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर), 36, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, बत्रा हॉस्पिटल के पास, तुगलकाबाद, नई दिल्ली – 110062 वेबसाइट:www.icpr.nic.in	प्रो. के रामाकृष्णा राव, अध्यक्ष, फोन:91–11–29964758 टेली/फैक्स: 29964750 फैक्स: 91–11–29964755 ई–मेल: icpr@del2.vsnl.net.in
		5.	भारतीय ग्रामीण संस्थान परिषद, 5–10–174, शंकर भवन, फतेह मैदान रोड, हैदराबाद–500 004 वेबसाइट: www.ncri.in	डा0 एसवी प्रभात अध्यक्ष, फोन : 91–40–3212813/ 23212120 फैक्स: 91–40–23212114
	2. केंद्रीय विश्वविद्यालय	6.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 110007 वेबसाइट: http://www.du.ac.in	प्रो. दिनेश सिह कुलपति, फोन– 91–11–27667011/7190 फैक्स: 91–11–27667049/ 27666350
		7.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली – 110067 वेबसाइट: http://www.jnu.ac.in	प्रो. पी. के. सोपोरी कुलपति, फोन: 91–11–26741500 फैक्स: 91–11–26742641
		8.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ, 202002 वेबसाइट: www.amu.ac.in	प्रो. पी. के. अब्दुल अजिज कुलपति फोन: 91–571–2700994 फैक्स: 91–571–2700528/2401815

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख (दूरभाष/फैक्स नं./ई–मेल)
		9.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी – 221005 वेबसाइटः www.bhu.ac.in	प्रो. डी. पी. सिंह कुलपति फोनः 91–542–2307220/2368938 फैक्सः 0542–2369951
		10.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुड्डुचेरी – 605014 वेबसाइटः www.pondiuni.edu.in	प्रो. जे. ए. के. तरीन कुलपति फोनः 91–413–2655175/2656454 फैक्सः 91–413–2655265
		11.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद – 500134 वेबसाइटः www.uohyd.ernet.in	डा0 सैयद इ. हसनैन कुलपति फोनः 91–40–23010121 फैक्सः 91–40–23010145/23011090
		12.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, लोअर लाचुमेरे, शिलांग–793 022 वेबसाइटः www.nehu.ac.in	प्रो. ए. एन. राय कुलपति फोनः 91–364–2721003/2721004 फैक्सः 91–364–2550076/2551153
		13	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), इग्नू परिसर, मैदान गढ़ी नई दिल्ली – 110068 वेबसाइटः www.ignou.ac.in	प्रो. वी. एन. राजशेखरन पिल्लई, कुलपति फोनः 91–11–29532707/29532484 फैक्सः 91–11–29535933
		14.	असम विश्वविद्यालय सिल्चर – 788011 वेबसाइटः www.assamuniversity.nic.in	प्रो. तपोधीर भट्टाचार्य कुलपति फोनः 91–3842–270801 फैक्सः 91–3842–270802/06
		15.	तेजपुर विश्वविद्यालय, नाप्पम, जिला सोनितपुर, तेजपुर – 784025, असम वेबसाइटः www.tezu.ernet.in	प्रो. मिहिर के चौधरी कुलपति फोनः91–3712–267003, 267115 फैक्सः91–3712–267006/215301
		16.	विश्व भारती, शांति निकेतन – 731235 पश्चिम बंगाल वेबसाइटः www.visva-bharati.ac.in	प्रो. रजत कान्ता राय कुलपति फोनः91–3463–262451 फैक्सः 91–3463–262672
		17.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा – 797001 नागालैंड वेबसाइटः www.nagauniv.org.in	प्रो. के कनन कुलपति फोनः 91–370–2290488 फैक्सः 91–370–2290246
		18.	जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली – 110023 वेबसाइटः www.jmi.nic.in	श्री नजीब जंग कुलपति फोनः 91–11–26984650/269826153 फैक्सः 91–11–26980229/26821232
		19.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ – 226025 वेबसाइटः www.bbauindia.org	प्रो. बी. हनुमैह कार्यकारी कुलपति फोनः 91–522–240820 फैक्सः 91–522–2440821

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख (दूरभाष/फैक्स नं./ई–मेल)
		20.	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांजीपुर इम्फाल – 795003 वेबसाइट: manipuruniv.ac.in	प्रो. अमुबा सिंह कुलपति फोन: 91–385–2435143–45 टेली फैक्स: 91–385–2435145 फैक्स: 389–2330644,42
		21.	मिजोरम विश्वविद्यालय पी.बी.न. 190, आइजौल – 796012, मिजोरम वेबसाइट: www.mzu.edu.in	रिक्त फोन: 91–389–2330650 फैक्स: 91—389–2330650, 51
		22.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद – 211002 उत्तर प्रदेश वेबसाइट: allduniv.ac.in	प्रो. ए. के. सिह कुलपति फोन: 91–532–2461157 फैक्स: 91–532–2451157/2461089
		23.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इटानगर – 791112 अरूणाचल प्रदेश वेबसाइट: www.rgu.ac.in	प्रो. टी. मिबंग (इंचार्ज) कुलपति फोन: 0360–2277568 (का.) फैक्स: 0360–2277889
		24.	सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा यूथ होस्टल, 6वीं माइल, टाडोंग, गंगटोक – 737102, सिक्किम वेबसाइट: sikkimuniversity	कुलपति फोन: 03592–251462–63, 251436 फैक्स: 03592–204343
		25.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमनीनगर अगरतला – 799130, त्रिपुरा वेबसाइट: tripurauniversity.in	प्रो. ए. साहा कुलपति फोन:0381–237 4801, 4803 (का.)
		26.	इंदिरागांधी राष्ट्रीय जनजातीय, विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्यप्रदेश	प्रो. सी.डी. सिंह कुलपति फोन: 07662–230299 (नि.) मोबाइल: 0942518057
		27.	बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय कैम्प कार्यालय : बी आई टी, कैम्पस, डाकखाना – बी वी कालेज, पटना – 800 014 वेबसाइट: www.cub.ac.in	प्रो. जनक पांडे कुलपति टेलीफैक्स: 0612–2226535 0612–2540417
		28	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर छत्तीसगढ़ वेबसाइट: www.gggu.ac.in	प्रो. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति फोन: 07752–260283, 260352 फैक्स: 07752–260148
		29.	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, 95/1, सेक्टर 2 ए गांधीनगर – 382007 वेबसाइट: www.cuguj.org	प्रो. आर के काले कुलपति फोन: 079–23260093 फैक्स:079–23260076
		30.	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर–4 महरोली रोड, गुड़गांव वेबसाइट: www.cuhuryana.org	प्रो. मूल चंद शर्मा कुलपति फोन: 011–26152255

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख (दूरभाष / फैक्स नं. / ई–मेल)
		31.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय पी.बी. न. 21, धर्मशाला – 176215 जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश	प्रो. फरूख कमर कुलपति फोन : 01892–229331
		32.	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, बागी–हैदर, हैदरपोरा, श्रीनगर – 190 014 वेबसाइटः www.cukashmir.ac.in	प्रो. अब्दुल वाहिद, कुलपति टेलीफैक्सः 0194–2421523 0194–2440344 (कार्या.)
		33.	झारखण्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय 601, मरू टावर, कनमके रोड, रांची – 834008, झारखण्ड वेबसाइटः www.cuj.org.in	प्रो. डी. टी काथिंग कुलपति फोनः 06531–2230204 (का.) फैक्सः 06531–2230204
		34.	केंद्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय ज्ञानगंगा गुलबर्गा विश्वविद्यालय परिसर, गुलबर्गा – 585106 वेबसाइटः www.cuk.ac.in	प्रो. ए एम पठान कुलपति फोनः 08472–272057 मोबाइलः 09481000111 फैक्सः 08472–272066
		35.	केंद्रीय केरल विश्वविद्यालय जीमानिश एस पी 16 / 375 श्रीकर्याम त्रिवेंद्रम – 695 017 वेबसाइटः www.cuk-edu.ac.in	प्रो. जेंसी जॉर्ज कुलपति कासरगोड फैक्सः 04994–257465
		36.	डा. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर – 470 003, मध्य प्रदेश वेबसाइटः sagaruniversity.nic.in	प्रो. एन एस गजभिये कुलपति ईपीबीएक्सः 91–7582–264796, 223843 फैक्सः 07582–241215
		37.	केंद्रीय उड़ीसा विश्वविद्यालय, क्वाटर नं. टाइप सी, ब्लाक 4 नई सरकारी कालोनी, गजपति नगर, भुवनेश्वर – 751 017 वेबसाइटः www.cuorissa.org	प्रो. (डा.) सुरभि बनर्जी कुलपति फोनः 033–24642047 फैक्सः 033–28702055
		38.	केंद्रीय पंजाब विश्वविद्यालय, डी–13, सिविल स्टेशन, भटिंडा– 151 001 वेबसाइटः www.central unipunjab.com	प्रो. जय रूप सिंह कुलपति मोबाइलः 09876955155
		39.	केंद्रीय राजस्थान विश्वविद्यालय, 16 नवदुर्गा कालोनी, निकट फोर्टिस अस्पताल, क्लॉर्क होटल के सामने, आमेर, जेएलएन मार्ग, जयपुर–302017 वेबसाइटः www.curaj.ac.in	प्रो. एम एम सांलुके कुलपति मोबाइलः 09822.69521 फैक्सः 0231–2691533
		40.	केंद्रीय तमिलनाडु विश्वविद्यालय, मार्फत कलेक्टोरेट एनेक्सी, तिरूवरूर–610001	प्रो. बी पी संजय, कुलपति फोनः 04366–240240 फैक्सः 04366–220889 मोबाइलः 09442111737
		41.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर – 246174, उत्तराखण्ड वेबसाइटः garhwaluniversity.org	प्रो. एस के सिंह कुलपति फोनः 01346–252167 फैक्सः 01346–252171

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख (दूरभाष/फैक्स नं./ई–मेल)
		42.	केंद्रीय जम्मू विश्वविद्यालय	
		43.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गचीबाउली, हैदराबाद – 500032 वेबसाइटः www.manuu.ac.in	प्रो. मोहम्मद मिंया कुलपति फोनः 91–40–23006601 फैक्सः 91–40–23006603
		44.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र), पी.बी. न. 16, पंचीटीटा, आरवी रोड, उमरी, वर्धा – 442 001 वेबसाइटः www.hindivishwa.nic.in	प्रो. विभूति नारैन राय, आईपीएस कुलपति फोनः 91–7152–230907 फैक्सः 91–7152–203903
		45.	अंग्रेजी एवं विदेश भाषा विश्वविद्यालय, ओ यू कैम्पस, हैदराबाद – 500 007 वेबसाइटः www.efluniversity.ac.in	प्रो. मोहम्मद मिंया (इंचार्ज) कुलपति फोनः 040–27098141 फैक्सः 040–27098402
	3. अन्य	46.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), राष्ट्रपति निवास, शिमला – 171 005 वेबसाइटः www.iias.org	डा. भालचंद्र मुंगेकर अध्यक्ष फोनः 91–0177–23096767 फैक्सः 91–0177–23096622
		47.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, पहली मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली–110 001 वेबसाइटः www.ncmei.gov.in	जस्टिस एम एस ए सिद्दीकी अध्यक्ष श्री. आर रंगानाथन फोनः 91–11–23367759 फैक्सः 91–11–23343766
2 प्रौद्योगिकी शिक्षा	1. शीर्ष स्तरीय निकाय	48.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), 7वां तल चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली – 110001 वेबसाइटः www.aicte-india.org	प्रो. एस एस मंथा अध्यक्ष (कार्यकारी) फोनः 91–11–23724195/97 फैक्सः 91–11–23724196
		49.	वास्तुशिल्प परिषद, इंडिया हैबिटेट सेंटर, कोर–6–ए, प्रथम तल, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003 वेबसाइटः www.coa.gov.in	डा. पी आर मेहता अध्यक्ष फोनः 91–11–24648415 फैक्सः 91–11–24647746
		50.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हौज खास, नई दिल्ली–110016 वेबसाइटः www.iitd.ernet.in	प्रो. सुरेंद्र प्रसाद निदेशक फोनः 91–11–26591701 फैक्सः 91–11–26582659
		51.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), पी.ओ. आईआईटी, कानपुर–208 076 वेबसाइटः www.iitk.ac.in	प्रो. एस जी ढांडे निदेशक फोनः 91–512–2590763, 2597258 फैक्सः 91–512–2590260, 2597790
		52.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), पवई, मुम्बई–400 076 वेबसाइटः www.iitb.ac.in	प्रो. देवांग खखर निदेशक फोनः 91–022–25783645 फैक्सः 91–022–25723546
		53.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), पी.ओ. खड़गपुर–721 302	प्रो. दामोदर आचार्य निदेशक

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख (दूरभाष / फैक्स नं. / ई–मेल)
			वेबसाइटः www.iitkgp.ac.in	फोनः 91–03222–255386, 282002 फैक्सः 91–03222–282000 फैक्स (जनरल): 91–03222–255303
		54.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), पीओ. आईआईटी, चेन्नई–600 036 वेबसाइटः www.iitm.ac.in	प्रो. एम एस अनंथ निदेशक फोनः 91–044–22570694, 22578001 फैक्सः 91–044–22578003
		55.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), उत्तरी गुवाहाटी–781 039 वेबसाइटः www.iitg.ernet.in	प्रो. गौतम बरूआ निदेशक फोनः 91–361–2690401 फैक्सः91–361–2692321, 2690762
		56.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रूड़की–247 667 वेबसाइटः www.iitr.ernet.in	प्रो. एस सी सक्सेना निदेशक फोनः 91–1332–272742, 285500 फैक्सः 91–1332–273560 282815
		57.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राजस्थान (परामर्शदाता – आईआईटी, कानपुर) अस्थायी रूप से आईआईटी कानपुर में वेबसाइटः www.iitk.ac.in/iitj/	प्रो. प्रेम कुमार कालरा निदेशक फोनः 91–0512–259220, 259.763 फैक्सः 91–0512–259051260
		58.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गांधीनगर (परामर्शदाता – आईआईटी, मुम्बई) अस्थायी रूप से विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज, चांदखेड़ा अहमदाबाद में वेबसाइटः www.iitgn.ac.in	प्रो. सुधीर कुमार जैन निदेशक फोनः 91–122–25723488, 25767001
		59.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), पटना (परामर्शदाता – आईआईटी, गुवाहाटी) अस्थायी रूप से नवीन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पाटलिपुत्र कालोनी में, पटना–800 013 वेबसाइटः www.iitp.ac.in	प्रो. अनिल के भौमिक निदेशक फोनः 91–361–2690401
		60	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हैदराबाद (परामर्शदाता – आईआईटी, मद्रास) अस्थायी रूप से ऑर्डियएंस फैक्ट्री मेदक में, वेबसाइटः www.iith.ac.in	प्रो. यू बी देसाई निदेशक फोनः 91–44–22570694, 22578001
		61	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रोपड़ (परामर्शदाता – आईआईटी, दिल्ली) अस्थायी रूप से नांगल रोड, रूपनगर, पंजाब में, वेबसाइटः www.iitd.ac.in/iitrpr	प्रो. एम के सुरप्पा निदेशक फोनः 91–11–26591701
		62	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भुवनेश्वर (परामर्शदाता – आईआईटी, खड़कपुर) अस्थायी रूप से समंतौरी भुवनेश्वर में, वेबसाइटः www.iitbbs.ac.in	प्रो. मधुसूदन चक्रवर्ती निदेशक फोनः 91–3222–28200, 255386

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख (दूरभाष/फैक्स नं./ई–मेल)
		63	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मंडी (परामर्शदाता–आईआईटी, रूड़की) अस्थायी रूप से मंडी सेल, हफीज मोहम्मद इब्राहिम बिल्डिंग (पुराना पुस्तकालय केंद्र) आईआईटी रूड़की में, रूड़की–247 667 वेबसाइटः www.iitp.ac.in	प्रो. तिमोथी ए गोंसाल्वेज निदेशक फोनः 731–2368282
		64	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), इंदौर (परामर्शदाता – आईआईटी, मुम्बई) अस्थायी रूप से इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, डीएवीवी परिसर, खांडवा रोड, इंदौर–452 017	प्रो. प्रदीप माथुर निदेशक फोनः 91–01332–285223 फैक्सः 01332–273560, 284183
	3. आईआईएम	65	भारतीय प्रबंधन संस्थान, वस्त्रपुर, अहमदाबाद–380 015, वेबसाइटः www.iimahd.ernet.in	प्रो. समीर कुमार बरूआ निदेशक फोनः 91–79–26324848 फैक्सः 91–79–26308345
		66	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बन्नेरघट्टा रोड, बंगलौर–560 076 वेबसाइटः www.iimb.ernet.in	प्रो. पंकज चंद्रा निदेशक फोनः 91–80–26583901, 26582450 फैक्सः 91–80–26584050
		67	भारतीय प्रबंधन संस्थान, जोका, डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता–700 104 वेबसाइटः www.iimcal.ac.in	प्रो. शेखर चौधरी निदेशक फोनः 91–33–24678310, 24678300–04 फैक्सः 91–33–24678307, 24677851
		68	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड, कुन्नामंगलम पी.ओ., कोझीकोड–673 571 केरल वेबसाइटः www.iimk.ac.in	प्रो. देबाशीष चटर्जी निदेशक फोनः 91–495–2803003 (डी) 2803001–3009 फैक्सः91–495–2803010, 2803011
		69	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर, पिगदांबर, राउ, मध्य प्रदेश–453 331 वेबसाइटः www.iimidr.ac.in	प्रो. एन रविचन्द्रन निदेशक फोनः 91–731–4228400 फैक्सः 91–731–4228502, 4228800
		70	भारतीय प्रबंधन संस्थान, प्रबंध नगर, सीतापुर रोड के सामने, लखनऊ–226 013 वेबसाइटः www.iiml.ac.in	डा. देवी सिंह निदेशक फोनः 91–522–2734001, 2734002 फैक्सः91–522–2734005, 2734025
		71	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, मयूरभंज परिसर, शिलांग वेबसाइटः www.iimshillong.in	प्रो. अशोक के दत्ता निदेशक फोनः 91–364–2534526 फैक्सः 91–364–2230041
		72	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक, हरियाणा वेबसाइटः www.iimrohtak.ac.in	डा. पी रमेशन निदेशक फोनः 0495–2809111(का.) फैक्सः 0495–2537121 (नि.)
		73	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़	प्रो. बी एस सहाय निदेशक फोनः 771–2772000/200

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख (दूरभाष/फैक्स नं./ई–मेल)
		74	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची, झारखंड	प्रो. एम जे जेवियर निदेशक फोनः 42168228 एक्स. 214 मोबाइलः 09884183422
		75	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु	प्रो. प्रफुल्ल वाई अग्निहोत्री निदेशक
		76	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर उत्तराखंड	प्रो. देवी सिंह परामर्शी निदेशक फोनः 0522–2736601 मोबाइलः 9918116333 फैक्सः 0522–2734005/2734025
		77	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर, राजस्थान	प्रो. समीर कुमार बरूआ सलाहकार निदेशक फोनः 079–66324848 फैक्सः 079–26308345
	4. एनआईटी	78	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट–673 601 वेबसाइटः www.nitc.ac.in	डा. जी आर सी रेड्डी, निदेशक फोनः 91–495–2286100, 2287201 फैक्सः 91–495–2287250
		79	एस वी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत – 395 607 (गुजरात) वेबसाइटः www.svnit.ac.in	डा. पी डी पोरे निदेशक फोनः 91–261–2227334, 2201505 फैक्सः 91–261–2227334
		80	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हजरतबल, श्रीनगर – 190006, जम्मू एवं कश्मीर वेबसाइटः www.nitsri.net	प्रो. एम एस मुबासशीर निदेशक (प्रभारी) फोनः 91–194–2422032, फैक्सः 91–194–2420475
		81	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहबाद – 211004 (उ.प्र.) वेबसाइटः www.mnnit.ac.in	प्रो. ए बी समद्दर निदेशक (प्रभारी) फोनः 91–532–2445100, 2271101 फैक्सः 91–532–2445101, 2445077
		82	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर – 713 209 (पश्चिम बंगाल) वेबसाइटः www.nitdgp.ac.in	डा. स्वपन भट्टाचार्या निदेशक फोनः 91–343–2546397 फैक्सः91–343–2546753, 2547375
		83	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर – 831 014, (झारखंड), वेबसाइटः www.nitjsr.ac.in	प्रो. रजनीश श्रीवास्तव निदेशक फोनः 91–657–2373375, फैक्सः91–657–2382246, 2407642
		84	विश्वैस्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर – 440 001, वेबसाइटः www.vnitnagpur.ac.in	प्रो. एस एस गोखले फोनः 91–712–2223969, फैक्सः91–712–2223969, 2224599
		85	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनिवासनगर, सूरतकल – 575 025, वेबसाइटः www.nitk.ac.in	डा. संदीप संचेती निदेशक फोनः 91–824–2474034 फैक्सः 91–824–2476090
		86	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल–506 004 (आंध्र प्रदेश) वेबसाइटः www.nitw.ac.in	प्रो. वाई वी राव निदेशक फोनः 91–870–2459216 फैक्सः91–870–2459547, 2459119

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख (दूरभाष / फैक्स नं. / ई–मेल)
		87	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर – 302017 (राजस्थान), वेबसाइट: www.mnit.ac.in	प्रो. आर पी दाहिया निदेशक फोन: 91–41–2702954, 2702955 फैक्स: 91–141–2702107
		88	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला–769008, (उड़ीसा), वेबसाइट: www.nitrkl.ac.in	प्रो. सुनील कुमार सारंगी निदेशक फोन: 91–661–2472050 फैक्स:91–661–2472926, 2462999
		89	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल – 462 007 वेबसाइट: www.manit.ac.in	डा. के एस पांडे निदेशक फैक्स: 91–755–2670562, 2670602
		90	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली – 620 015 (तमिलनाडु), वेबसाइट: www.nitt.edu	डा. एम चिदंबरम निदेशक फोन: 91–431–2500370, फैक्स:91–431–2500144
		91	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र– 132119, (हरियाणा) वेबसाइट: www.nitkkr.ac.in	डा. एम एन बांधोपाध्याय निदेशक फोन: 91–1744–238083, 238044 फैक्स: 91–1744–238050
		92	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर – 788010 (असम), वेबसाइट: www.nits.ac.in	प्रो. प्रोबीर कुमार बोस निदेशक (प्रभारी) फोन: 91–3842–233179, फैक्स:91–3842–233797
		93	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर – 177 001, (हिमाचल प्रदेश) वेबसाइट: www.nitham.ac.in	डा. आई के भट्ट निदेशक फोन: 91–1972–222308, फैक्स: 91–1972–223834, 222384
		94	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना – 800 005 बिहार वेबसाइट: www.nitp.ac.in	डा. यू सी राय निदेशक फोन: 0612–2670631 फैक्स: 0612–2670631
		95	डा. बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जी टी रोड, बाई पास, जालंधर –144 01, पंजाब वेबसाइट: www.nitj.ac.in	डा. मोईन उद्दीन निदेशक फोन: 91–181–2690802, फैक्स: 91–181–2690320, 2690932
		96	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ वेबसाइट: www.nitrr.ac.in	डा. (श्रीमती) शशि कृष्णा पांडे निदेशक फोन: 91–771–2254200, 2223969 फैक्स: 91–771–2254600
		97	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला, त्रिपुरा वेबसाइट: www.tec.nic.in	प्रो. प्रोबीर कुमार बोस निदेशक फोन: 91–381–2346630, 2346360 फैक्स: 91–381–2346630
		98	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम	डा. इं. गोपीनाथन निदेशक (प्रभारी) फोन: 2286100, 2287201 (का.) फैक्स: 0495–2287250, 2289100 ईमेल: www.nitc.ac.in

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख (दूरभाष/फैक्स नं./ई–मेल)
		99	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरूणाचल प्रदेश	डा. स्वपन भट्टाचार्या निदेशक फोनः 0343–2546397 (का.) फैक्सः 2547375–6753 ईमेलः bawapan2000@yahoo.co.in
		100	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड	प्रो. प्रोबीर कुमार बोस निदेशक (प्रभारी) फोनः 03842–233179, 242273 फैक्सः 233797 ईमेलः director@nits.ac.in
		101	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय	डा. एस ए चन्नीवाला निदेशक (प्रभारी) फोनः 0261–2227334, 2201505 फैक्सः 2227334 ईमेलः director@svnit.ac.in
		102	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर	प्रो. प्रोबीर कुमार बोस निदेशक (प्रभारी) फोनः 0381–2346630, 2346360 फैक्सः 2514518 ईमेलः tecprincipal@rediffmail.com
		103	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम	प्रो. सी एस मोघे, निदेशक (प्रभारी) फोनः 0712–2223969 (का.) फैक्सः 2223969 ईमेलः director@vnitnagpur.ac.in
		104	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखंड	डा. कृष्ण गोपाल निदेशक (प्रभारी) फोनः 01744–238083 (का.), फैक्सः 238050, 238494
		105	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा	डा. संदीप संचेती निदेशक फोनः 0824–2474034 (का.), फैक्सः 0824–2474033, 2474034 ईमेलः director@nitk.ac.in
		106	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	प्रो. के श्रीमननारायण निदेशक (प्रभारी) फोनः 0870–2459216 (का.) फैक्सः 0870–2459119 ईमेलः director@nitw.ernet.in & yvrao@recw.ernet.in
		107	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पुडुचेरी	प्रो. संदीप संचेती निदेशक (प्रभारी) फोनः 0431–2500370 (का.), फैक्सः 0431–2500144 ईमेलः director@nitt.edu

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख (दूरभाष / फैक्स नं. / ई–मेल)
	5. आईआईटी	108	एबीवी – राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, (एबीवी–आईआईआईटीएम), मुरैना लिंक रोड, ग्वालियर–474 003 वेबसाइटः www.iiitm.ac.in	प्रो. एस जी देशमुख निदेशक फोनः 91–751–2449704, 2449705 फैक्सः91–751–2460313, 2461771
		109	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), देवघाट, झलवा, इलाहाबाद–211002 वेबसाइटः www.iiita.ac.in	डा. एम डी तिवारी निदेशक फोनः 91–532–2431684, 2552380 फैक्सः91–532–2430006, 2461389
		110	पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र भारतीय राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं मैनुफैक्चरिंग संस्थान (आईआईआईटीडीएम), आईटी भवन, जबलपुर इंजीनियरिंग परिसर, रांझी, जबलपुर–482 011 (मध्य प्रदेश)	डा. अपराजिता ओझा निदेशक फोनः 91–761–262273 फैक्सः91–761–2632524 वेबसाइटः www.iiitdm.in
		111	भारतीय राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं मैनुफैक्चरिंग संस्थान (आईआईआईटीडीएम), कांचीपुरम, अस्थायी रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई –600 036 में वेबसाइटः www.iiitdm.iitm.ac.in	डा. आर ज्ञानमूर्थी निदेशक फोनः 91–44–2257 8555 फैक्सः91–44–2257 4691
	6. आई.आई एस एवं आई आई एस ई आर	112	भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी बंगलौर – 560 012 वेबसाइटः www.iisc.ernet.in	प्रो. पी बलराम निदेशक फोनः91–80–23942222, 23600690 फैक्सः 91–80–23600936
		113	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), पुणे अस्थायी रूप से भारतीय रसायन प्रयोगशाला, डा. होमी भाभा रोड, पुणे –411008 में वेबसाइटः www.iiserpune.ac.in	डा. के एस गणेश निदेशक फोनः91–20–25902790, 25893238 फैक्सः91–20–25902660
		114	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), कोलकाता, अस्थायी रूप से आईआईटी, खड़गपुर, कोलकाता परिसर, एचसी ब्लाक, सेक्टर–3 कोलकाता–700 106 में वेबसाइटः www.iiserkol.ac.in	प्रो. सुशांत दासगुप्ता निदेशक फोनः91–33–23379793 फैक्सः91–33–23348091
		115	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), मोहाली, अस्थायी रूप से एमजीएसआईपीए परिसर, सेक्टर–26, चंडीगढ़ –160 019 में वेबसाइटः www.iisermohali.ac.in	प्रो. एन सत्यमूर्ति निदेशक फोनः91–172–2790188 फैक्सः91–172–2790188
		116	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), भोपाल, अस्थायी रूप से आईआईटी (गैस राहत) भवन, गोविंदपुरा, भोपाल – 462 023 में वेबसाइटः www.iiserbhopal.ac.in	प्रो. विनोद के सिंह निदेशक फोनः 91–755–2601087 ईमेलः www.vinodks@iitk.ac.in

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख (दूरमाष/फैक्स नं./ई-मेल)
		117	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), तिरूवतंपुरम, अस्थायी रूप से सीईटी परिसर, तिरूअंतपुरम–695016 में वेबसाइट: www.iisertvm.ac.in	प्रो. ई डी जेमिस निदेशक फोन: 91–471–2112836 फैक्स: 91–271–2597442 ईमेल: iiisertvm@gmail.com
	7.एनआईटीटी आर	118	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ब्लाक एफसी, सेक्टर–3, साल्ट लेक, विधान नगर, कोलकाता – 700 091 वेबसाइट: www.nittrkol.ac.in	डा. एस के भट्टाचार्या निदेशक (प्रभारी) फोन:91–33–23370037, 23374125 फैक्स: 91–33–23376331
		119	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, दक्षिण क्षेत्र, तारामनी पी ओ, चेन्नई– 600 113 वेबसाइट: www.nittrc.ac.in	डा. एस मोहन निदेशक (प्रभारी) फोन:91–44–22542334, 22541126 फैक्स: 91–44–2541126
		120	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, शामला हिल्स, भोपाल–462 002 वेबसाइट: www.nittrbhopal.org	डा. वी के अग्रवाल निदेशक (प्रभारी) फोन:91–755–2261216, फैक्स: 91–755–2261996, 2220173
		121	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, सेक्टर–26, चंडीगढ़ – 160 019 वेबसाइट: www.nittrchd.ac.in	डा. परिजात डेज निदेशक (प्रभारी) फोन: 91–172–2792369, 2791349 फैक्स: 91–172–2791366, 2793893
	8. शिक्षु प्रशिक्षण परिषद	122	शिक्षु प्रशिक्षण परिषद, पश्चिम क्षेत्र, नया प्रशासनिक भवन, दूसरी मंजिल, एटीआई परिसर, सियोन–ट्रांबे रोड, सियोन, मुबंई–400 022 वेबसाइट: www.apprentice-engineer.com	श्री पी एन जुमले निदेशक फोन:91–22–2403891, 24053682 फैक्स: 91–22–24055923
		123	प्रयोगात्मक प्रशिक्षण परिषद (बीओपीटी), पूर्वी क्षेत्र, ब्लाक ईए, सेक्टर–1 (लेबोनी एस्टेट के सामने) पी ओ, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता–700 064 वेबसाइट: www.bopter.gov.in./ html/Impauth.htm	मि. एस मीनाक्षी सुंदरम निदेशक फोन:91–33–23370750, 23370751 फैक्स: 91–33–23216814
		124	शिक्षु प्रशिक्षण परिषद (बीओएटी), प्लाट नं. 16, ब्लाक 1–ए, लखनपुर, जीटी रोड, कानपुर–208024 वेबसाइट: www.batnorth.nic.in	श्री आर के टंडन निदेशक फोन:91–512–2851310 (डाय.) ईपीएबीएक्स: 2584056, 2584057 फैक्स: 91–512–2581504
		125	शिक्षु प्रशिक्षण परिषद (बीओएटी), सीआईटी परिसर, तरामनी, चेन्नई–600113 वेबसाइट: www.boatsr.tn.nic.in	डा. ए अय्याकन्नू निदेशक फोन:91–44–22541359 फैक्स: 91–44–22541563
	9. अन्य	126	भारतीय खान स्कूल विश्वविद्यालय, धनबाद –826004, बिहार वेबसाइट: www.ismdhanbad.ac.in	प्रो. टी कुमार निदेशक फोन: 91–326–202381, 202486 फैक्स: 91–326–203042,202380

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख (दूरभाष/फैक्स नं./ई-मेल)
		127	राष्ट्रीय गढ़ाई एवं ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफएफटी), पीओ हतिया, रांची-834 003, झारखंड वेबसाइट: www.nifft.ernet.in	प्रो. टी कुमार निदेशक फोन: 91-651-2290859 फैक्स: 91-651-2290860, 2291247
		128	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान विहार लेक, पीओ, एनआईटीआईई, मुंबई-400 087 वेबसाइट: www.nitie.edu	डा. एस डी आवले निदेशक फोन: 91-22-28573371, फैक्स: 91-222-28573251
		129	आयोजना एवं वास्तुशिल्प विद्यालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली – 110 002 वेबसाइट: www.spa.ac.in	प्रो. रंजीत मित्रा निदेशक फोन: 91-11-23702395 फैक्स: 91-11-23702381, 23702383
		130	आयोजना एवं वास्तुशिल्प विद्यालय, भोपाल, अस्थायी रूप से एनआईटी परिसर भोपाल में वेबसाइट: www.spabhopal.ac.in	डा. वी के सिंह निदेशक (एसी) फोन: 0755-4092392 फैक्स: 0755-2670602
		131	आयोजना एवं वास्तुशिल्प विद्यालय, विजयावाड़ा, (परामर्शदाता – एसपीए, नई दिल्ली)	प्रो. रंजीत मित्रा निदेशक (एसी) फोन: 91-11-23702395 फैक्स: 91-11-23702383
		132	संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएलआईईटी), ग्राम लोंगोवाल, जिला: संगरूर पंजाब-148106 वेबसाइट: www.sliet.ac.in	डा. वी सहिनी निदेशक (प्रभारी) फोन: 91-1672-280057 फैक्स: 91-1672-284600
		133	उत्तर-पूर्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), निरजूली-79110 (ईटानगर) अरूणाचल प्रदेश वेबसाइट: www.nerist.ac.in	डा. जोराम बेगी निदेशक (एसी) फोन: 91-360-2257584 फैक्स: 91-360-2244307, 2257872
3. भाषा	1. संस्कृत एवं वैदिक संस्थान	134	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56-57, औद्योगिक क्षेत्र, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली वेबसाइट: www.sanskrit.nic.in	प्रो. राधा बल्लभ त्रिपाठी कुलपति फोन: 91-11-28524993, 28524995 फैक्स: 91-11-28521258, 28524387
		135	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, कुतुब होटल के नजदीक, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110067 वेबसाइट: www.slbsrsv.ac.in	वाचसपति उपाध्याय कुलपति फोन: 91-11-26851253 फैक्स: 91-11-26851253
		136	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति (आंध्र प्रदेश) वेबसाइट: www.rsvidyapeetha.ac.in	प्रो. हरे कृष्णा सतपथी कुलपति फोन: 91-8574-27937 फैक्स: 91-8574-27937
		137	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन विकास प्राधिकरण, प्रशासनिक भवन, भरतपुर, उज्जैन-456010 वेबसाइट: www.msrvvp.nic.in	श्री श्रीकिशोर मिश्रा सचिव फोन: 91-734-2511530, 2510078 फैक्स: 91-734-2511530

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख (दूरभाष/फैक्स नं./ई–मेल)
	हिंदी एवं अन्य भाषाओं से संबंधित संस्थान	138	केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा – 282 005 वेबसाइटः www.hindisansthan.org	प्रो. रामवीर सिंह कार्यकारी निदेशक फोनः 91–562–2530159,2530086 फैक्सः 91–562–2530684
		139	राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद पश्चिम ब्लाक सं. 1, आर के पुरम, नई दिल्ली – 110 066 वेबसाइटः www.urducouncil.nic.in	डा. हमीदुल्लाह भट्ट निदेशक फोनः 91–11–26180104 फैक्सः 91–11–26180104
		140	राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद पांचवी मंजिल, दर्पण भवन आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वड़ोदश वेबसाइटः www.ncpsl.org	श्री एस पी सिसौदिया निदेशक फोनः 91–265–2342246 फैक्सः 91–265–2357331
		141	केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी), चेन्नई, पलारू इलाम, 6, कामराजर सलाई, चेपक, चेन्नई–600 005 वेबसाइटः www.cict.in	श्री एस मोहन फोनः 91–44–28448841 फैक्सः 91–44–2844 8888
	4. योजना	142	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए), 17–बी, श्री अरविंदो मार्ग, एनआईई कैंप, नई दिल्ली–110016 वेबसाइटः www.nuepa.org	प्रो. आर गोविंद कुलपति फोनः 91–11–26515472 फैक्सः 91–11–26853041
	5. यूनेस्को	143	अरोविले प्रतिष्ठान, भारत निवास, पी.ओ. आरोविल, जिला– विल्लूपुरम, आरोलि – 605 101 तमिलनाडु वेबसाइटः www.auroville.org	डा. करन सिंह अध्यक्ष श्री एम रामास्वामी, आईएएस सचिव फोनः 91–413–2622 222, 2622 414 फैक्सः 91–413–2623 496
	6. बुक प्रोमोशन	144	नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ए–15, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली–110 016 वेबसाइटः www.nbtindia.org.in	प्रो. बिपिन चंद्र अध्यक्ष फोनः 91–11–24526164 फैक्सः 91–11–24526169
उच्च शिक्षा के संबद्ध कार्यालयों के विभाग				
भाषा		1	केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानसगंगोत्री, मैसूर – 570 006 वेबसाइटः www.ciil.org	निदेशक फोनः 91–821–2515820 फैक्सः 91–821–2515032
		2	केंद्रीय हिंदी निदेशालय, आर के पुरम, नई दिल्ली वेबसाइटः www.hindinideshalaya.nic.in	प्रो. के बिजय कुमार निदेशक फोनः 91–11–2610758 फैक्सः 91–11–26100758
		3	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, आर के पुरम, नई दिल्ली वेबसाइटः www.cstt.nic.in	प्रो. के बिजय कुमार अध्यक्ष फोनः 91–11–26102882 फैक्सः 91–11–26102854

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख (दूरभाष/फैक्स नं./ई-मेल)
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के निदेशक		1	एजुकेशनल कंसल्टैंट ऑफ इंडिया लमिटेड (एडसिल), प्लाट नं. 18 ए, सेक्टर – 16ए, नोएडा–201301 (उ.प्र.) वेबसाइट: www.edcilindia.comn	श्रीमती अंजू बनर्जी अध्यक्ष एवं प्रबंध फोन: 91–120–2515366 फैक्स: 91–120–2512010, 2515372
			स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	
		1	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार नई दिल्ली–110 092 वेबसाइट: www.cbse.nic.in	श्री विनीत जोशी अध्यक्ष (अति. प्रभारी) फोन: 91–11–22215827, 22467263 फैक्स: 91–11–22215826
		2	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) श्री अरविंदो मार्ग नई दिल्ली–110 016 वेबसाइट: www.ncart.nic.in	प्रो. कृष्ण कुमार निदेशक फोन: 91–11–26964912, 26560620 फैक्स: 91–11–26868419
		3	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ए–24–25, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर–62, नोएडा–201309 वेबसाइट: www.nos.org	श्री डी एस विष्ट, अध्यक्ष फोन: 91–120–2402889, 40899828 फैक्स: 91–120–22403172
		4	केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन (सीटीएसए), प्लाट नं. 1, कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर.3, रोहिणी, दिल्ली–110 085	श्री विनीत जोशी, निदेशक फोन: 91–11–27516771
		5	नवोदय विद्यालय समिति ए–28, कैलाश कालोनी नई दिल्ली–110 048 वेबसाइट: www.navodaya.nic.in	श्री अमित खरे आयुक्त (अति. प्रभार) फोन: 91–11–29244148 फैक्स: 91–11–29244149
		6	केंद्रीय विद्यालय संगठन 18, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110 016	श्री रंजलाल जमूदा आयुक्त फोन: 91–11–26512579 फैक्स: 91–11–26852680
		7	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई),, हंस भवन, विंग–II, 1, बी एस जफर मार्ग, नई दिल्ली–110 002	प्रो. मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी अध्यक्ष फोन: 91–11–23370114 फैक्स: 91–11–23370116
		8	राष्ट्रीय बाल भवन कोटला रोड, नई दिल्ली–110 002	सुश्री इंद्राणी चौधरी निदेश (प्रभारी) फोन: 91–11–2327856 फैक्स: 91–11–23231158
			स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय	
प्रौढ़ शिक्षा		1	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय 10, जामनगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली	श्री आर के भट्ट निदेशक फोन: 91–11–23388446 फैक्स: 91–11–23383739

अनुबंध – 10

सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण (1.1.2011 की स्थिति के अनुसार) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय)

समूह	कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	चिन्हित पदों पर	वीएच	एचएच	ओएच
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
समूह क	172	4	0	0	0
समूह ख	603	10	2	0	6
समूह ग	264	29	1	0	3
समूह घ	315	17	1	0	7
कुल	**1354**	**60**	**4**	**0**	**16**

वर्ष 2010 के दौरान सेवाओं में नियुक्त विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय)

समूह	सीधी भर्ती							पदोन्नति						
	आरक्षित पदों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित पदों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या			
	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ख	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	66	2	0	1
समूह ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
समूह घ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
कुल	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79**	**2**	**0**	**1**

टिप्पणीः

1. वीएच का अर्थ है दृष्टि विकलांग (दृष्टिहीन अथवा कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)
2. एचएच का अर्थ है श्रवण विकलांग (श्रवण दोष से पीड़ित व्यक्ति)
3. ओएच का अर्थ है षारीरिक रूप से विकलांग (लोकोमोटर अक्षमता अथवा सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति)

अनुबंध – 11

1.1.2011 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा 2010 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय)

समूह	अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व (1.1.2010 की स्थिति के अनुसार)				कैलेण्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			अन्य विधियों द्वारा		
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा
पीबी–3: 5400 रू.	20	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पीबी–3: 6000 रू.	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पीबी–3: 6600 रू.	65	11	5	1	0	0	0	0	18	2	1	0	0	0
पीबी–3: 7600 रू.	17	3	0	1	0	0	0	0	7	0	0	2	1	0
पीबी–4: 8700 रू.	27	1	2	0	0	0	0	0	9	0	2	1	0	0
पीबी–4: 8900 रू.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पीबी–4: 9000 रू.	9	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पीबी–4: 10000 रू.	13	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0
एचएजी एवं अधिक	7	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
कुल	**172**	**29**	**12**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**	**2**	**4**	**4**	**1**	**0**

अनुबंध – 12

1.1.2011 की स्थिति के अनुसार विभिन्न समूह 'क' सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा 2010 के दौरान विभिन्न ग्रेडों में सेवाओं में की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा संसंबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय)

समूह	अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व (1.1.2010 की स्थिति के अनुसार)				कैलेण्डर / वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			अन्य विधियों द्वारा		
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा
समूह क	172	29	12	4	0	0	0	0	39	2	4	4	1	0
समूह ख	603	96	30	30	21	2	1	5	116	18	5	0	0	0
समूह ग	264	51	10	30	0	0	0	0	11	3	2	0	0	0
समूह घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	292	96	26	20	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	23	16	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
कुल	1354	288	78	84	23	2	1	5	168	23	11	4	1	0

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रकाशित
डिजाइन एवं मुद्रण – डॉल्फिन प्रिंटो ग्राफिक्स, 4ई/7, पाबला बिल्डिंग, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

की ओर से प्रकाशित डिजाइन एवं मुद्रण-डॉल्फिन प्रिंटो ग्राफिक्स, 4ई/7, पाबला बिल्डिंग, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110 05